राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] ग्यारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

बुधवार

28 अगस्त, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री शिवनाथ सिंह।

कृषि उपज मण्डी, झुंझुनूं द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता

31. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा):** क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1999-2000 से जुलाई, 2002 तक की अवधि में कृषि उपज मण्डी प्रांगण, झुंझुनूं में कितनी-कितनी राशि किस-किस निर्माण कार्य तथा अन्य कार्यों पर व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि के निर्माण कार्य निविदा लेकर ठेकेदारों द्वारा करवाए गये थे? यदि हां, तो किस बी.एस.आर. को आधार माना गया था?

(3) क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी.एस.आर. से बहुत अधिक रकम उक्त कार्यों पर व्यय की गई है? उक्त अवधि में सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी.एस.आर. तथा व्यय की गई राशि का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त किये गये कार्यों का मूल्यांकन किसी अन्य एजेंसी से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

कृषि विपणन मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) वर्ष 1999-2000 से जुलाई, 2002 तक की अवधि में कृषि उपज मण्डी प्रांगण, झुंझुनूं में करवाए गये विभिन्न निर्माण कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। निविदाओं हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार की बी.एस.आर. इन्टीग्रेटेड 1998 की दरों को आधार माना गया था।

(3) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी.एस.आर. पर गणना की गई राशि तथा कार्यादेश व व्यय की गई राशि का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहूंगा कि यह जो कार्य आपने कहा बी.एस.आर. में पी.डब्ल्यू.डी. को आधार माना गया है। पी.डब्ल्यू.डी. की जो बी.एस.आर. है और आपने जो कार्य करने का ठेका दिया है उसमें अन्तर कितना है? आप यह बता दें। मैं आपसे यह भी जानकारी चाहूंगा आपने कुछ आइट्म्स के लिए कहा "कार्य प्रगति पर है, अभी तक भुगतान नहीं किया गया।" मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पानी की खेळ, कार्य प्रगति पर है, भुगतान अभी नहीं किया गया है। आपने 43 हजार रुपये एक खेळ के निर्माण पर भुगतान किए हैं। आप अपने डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए। हम सब जानते हैं कि पशुओं की खेळ का कितना पैसा लगता है। एक खेळ पर आपने 43 हजार रुपये खर्च कर दिये। इसी तरह से आपने एक टावर बनाया है। उसकी कीमत आपने खर्च की है 7 लाख रुपये कम्पाउण्ड। लोहे का टावर आपने ऊपर बनाया है उसका पेमेंट किया है 6 लाख। इसी तरह से आपने जो कार्यालय भवन का विस्तार किया है 2 लाख 20 हजार रुपये। ओवर हैड टैंक आपने बनाया है 5 लाख का। इसी तरह से आपने क्वार्टरों की चारदीवारी बनायी है, दो क्वार्टर बनाए हैं। मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा आपने जो क्वार्टर्स बनाए हैं उनका छत एरिया कितने स्क्वायर फीट है और पर स्क्वायर फीट कितना पेमेंट या कितना खर्चा किया है?

इसी तरह से आपकी जो खेल बनी है उसकी लम्बाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है? कृपा करके आप बताइये यह जो टावर बना है उसकी साइज क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा किसी से पाप को अपने सिर पर मत लो आप। इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है, साफ है कि एक खेळ में 43 हजार रुपये आपने खर्च कर दिए। एक टावर, मैंने बिजली विभाग से पूछा है, उसकी कीमत एक लाख रुपये नहीं पहुंच पाती है, उससे कम आता है जिस पर आपने 6 लाख कर दिया। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, आप इस मामले को देख कर, आपने कहा कि हम इसकी जांच नहीं कराना चाहते। आप जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं? क्या आप अपने अधिकारियों को, जिनका दोष है और जिन्होंने इतना बड़ा रुपया गबन किया है, उनके पाप को क्यों छिपाना चाहते हैं? आप किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से, मैं निवेदन करना चाहूंगा चीफ इंजीनियर, पी.डब्ल्यू.डी. से इसकी जांच करवा लीजिए और जांच के बाद यदि कोई भी उसमें कमी पायी जाती है, गबन पाया जाता है, तो आप ए.सी.डी. में केस दीजिए। जांच के बाद नहीं पायी जाती है तो दूसरी बात है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, दो-तीन सवाल पर मैंने आपसे जानकारी चाही है वह जानकारी तो आप दीजिए फिर दूसरा सवाल और पूछूंगा आपसे।

श्री उपाध्यक्ष : मान्यवर मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय (व्यवधान) एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): सदस्य महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं आप यह बताइये असल में कबाड़ा क्या है? यह बताओ ना आप। गोलमोल क्यों कर रहे हो?

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत है। वह आपके जिम्मे है आप पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय भंवरलालजी साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): हमारे पास तो इसका जवाब है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। उनका जवाब आ जाने दीजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सदस्य से पूछने की कौनसी परम्परा आ गई?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): मैं मदद कर रहा हूं उनकी।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ जाने दीजिए उनका।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मंत्री से तो प्रश्न पूछे जाते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): नहीं, खुद से पूछ सकते हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप कृपया मंत्रीजी से पूछें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): नहीं, खुद से पूछ सकता हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप कृपया मंत्रीजी से पूछें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): नहीं, उनसे पूछ सकता हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, सदस्य से नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): उनको पूरी जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलालजी साहब।

श्री हरिसिंह (महुवा) : किनको?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): माननीय सदस्य को।

श्री हरिसिंह (महुवा) : तो जवाब उन्हीं से दिलवा दो। हाउस को उन्हीं से जवाब दिला दो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): हाउस को जानकारी दीजिए कि आखिर में कबाड़ा क्या है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपपास में बैठकर पूछ लो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): आप गोलमोल क्यों कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : आपको पूछना होगा तो अवसर दे देंगे न। आप बिराजो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): आप सीधा बताओ क्या है? सीधा बताओ हैं क्या यह?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आपको अवसर दे देंगे, उनका जवाब आने दो न। आप उनको प्रोम्प्ट कर रहे हो।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टावर लाइट एक नग लगा। उसकी लम्बाई है 22 मीटर एम.एस.। टावर में 6 लाइट लगाकर स्टेब्लाइजर, कंट्रोलर पैनल व केबल इत्यादि एसेसरीज, एल्युमीनियम 5.75 मीटर, 400 वाट की 6 अतिरिक्त लाइटें, 250 वाट की 15 अतिरिक्त लाइट और 250 के अतिरिक्त 15 फिक्सचर्स इसके अन्दर लगाये गये हैं। गेट पर भी दो लाइटें लगायी गई हैं। इसमें कुल खर्चा आया है 3 लाख 86 हजार।

कार्यालय का जहां तक सवाल है प्रथम तल के दो कमरे व सीढ़ियों का हैडकम जिसका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर है, प्रति स्क्वायर मीटर 300 रुपया आया है। निर्माण कार्य में जो खेल बनायी गयी है उसकी साइज है 30×4 । 30 फीट लम्बी, 4 फीट चौड़ी, गहराई 2 फीट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : कीमत कितनी है?

श्री शिवनाथ सिंह : 43 हजार।

श्री रामकिशन वर्मा : पहले सुनो तो सही।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): बनायी तो सीमेंट की ही है या और कोई बड़ा मटीरियल लगाया है। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : कुलमिलाकर इसका जो टेण्डर हुआ था और जो बी.एस.आर. रेट थी वह तो थी 4,95,225 रुपया और हमने खर्च किया है 3,86,010 रुपया। मतलब जो टेण्डर में रेट भरी गई, बी.एस.आर. की जो रेट थी उससे भी कम हमने खर्चा किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, आपने टेण्डर भरा उससे कम किया यह तो मैं जानता हूं। टेण्डर भरने वाले आप, मांगने वाले आप, मंजूर करने वाले आप और कमीशन कौन लेता है, वह सब सदन जानता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मैंने यह नहीं पूछा था कि टेण्डर से कितना कम आपने पेमेंट किया है। मैंने तो आपसे यह पूछा था कि जो पी.डब्ल्यू.डी. की बी.एस.आर. है उसमें और आपने जो पेमेंट किया है उसमें फर्क कितना है? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये सब काम आपके विभाग ने किये हैं और निर्माण कार्यों पर की गई राशि आपने बतायी है। "निर्माण कार्य आर.सी.सी. ओवरहैड टैंक 5,11,001," उसमें आपने सुपरविजन चार्ज लगाया है 76,510, आपका विभाग काम कर रहा है। आपके विभाग के अधिकारी उसकी देखरेख

(श्री शिवनाथ सिंह)

कर रहे हैं और आपके विभाग का ही रुपया है उसका सुपरविजन चार्ज आपने लगाया है।

इसी तरह से जो "रेजिंग आफ कम्पाउण्ड वाल" है उसका भी सुपरविजन चार्ज 75,257 लगाया है। इसी तरह से आपका पम्प रूम है इसकी लागत 42 हजार है। यह स्विच रूम होता है, जो 8×10 का कमरा होता है। इसी तरह से आपने ट्यूबवैल का सुपरविजन चार्ज लगाया है 38 हजार। इसी तरह से आपने स्टाफ क्वार्टर्स के लगाये हैं 54 हजार और 44 हजार आपने सुपरविजन चार्जेज लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो इसमें है, आप पूछना क्या चाहते हो वह पूछ लो न।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं यह सुपरविजन चार्जेज आपने लगाया है, आपका डिपार्टमेंट, आपका रुपया, आप काम करने वाले, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आपने काम नहीं कराया, किस बात के आपने सुपरविजन चार्जेज इसमें एड किए हैं? सुपरविजन चार्जेज का रुपया किसको मिला है यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो चार्ट इन्होंने कम्परेटिव दिया है, आप कहते हो दिया है, वह ठीक है। आपके पेमेंट की, आपके टेण्डर की और पी.डब्ल्यू.डी. की रेट के अन्दर बहुत बड़ा अन्तर है। यह अन्तर क्यों है? यह सब आपने जो किया है इसके लिए मेरे खयाल से किसने तो आवश्यकता समझी थी यह टावर बनाने की, यह बनाने की, यह किसने आवश्यकता समझी थी, कहां से यह प्रपोजल मूव हुए हैं, किसने इनको मंजूर किया है? वहां बनना चाहिए था, गोदाम, दुकानें बननी चाहिए थीं, किसानों के लिए शैड बनना चाहिए था, व्यापारियों के सामान के लिए शैड बनना चाहिए था, वह तो आपने कुछ किया नहीं। फिर वहां से यह मूव किया, 42 लाख रुपये आपने जो खर्च किया है, इसके प्रपोजल्स आपके कहां से मूव हुए हैं, किसने मंजूरी दी है, किसने आवश्यकता समझी? यह सब आप थोड़ा बता दीजिए।

श्री रामकिशन वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जब मण्डी कमेटी से डिमाण्ड आती है और काश्तकारों को भी राहत देनी पड़ती है, पीने के पानी की भी है और यह टंकी किसलिए बनायी जाती है, जानवर आते हैं तो बैलों के लिए खेल भी बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इस सारी बातों के लिए जो टोटल टेण्डर निकला वह 43,17,518 रुपये का था और हमने कुल खर्चा किया 30,92,989 रुपये का। हमने तो टेण्डर से भी कम लागत के ऊपर काम किया, उससे भी कम खर्चा किया है।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, टेण्डर वाली बात ही नहीं, टेण्डर किसका है, आप देने वाले, आप मंजूर करने वाले, हम तो यह जानना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए न।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, ठीक है, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, इनका जवाब आ जाने दो पहले।

श्री शिवनाथ सिंह : जवाब आ जाए।

श्री रामकिशन वर्मा : इसलिए हमने तो खर्चा किया है। अब रहा सुपरविजन चार्जेज बोर्ड के स्टाफ के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु 10 परसेंट, वर्कचार्ज कर्मचारियों के भुगतान हेतु एक परसेंट तथा अन्य चार्जेज शामिल होते हैं, यह पहले से चली आ रही है। यह कोई नई बात अपने यहां कभी लागू नहीं हुई है।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : नहीं, यह कमीशन है या क्या है? (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : सुपरविजन चार्जेज हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, जो मैंने पूछा वह जवाब तो आपने दिया नहीं। मैंने जो पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने जानना चाहा था कि यह जो पी.डब्ल्यू.डी. की बी.एस.आर. है और आपके जो टेण्डर की रेट का फर्क कितना है, एक तो यह पूछा था मैंने आपसे। दूसरा, आप कहते हो कि मंडी कमेटी की तरफ से डिमाण्ड आती है, मंडी कमेटी तो श्रीमन् है ही नहीं वहां। मंडी का तो वहां आफिस है, उसने कोई डिमाण्ड नहीं की कि हमारे यहां काम कर दें। यह अनावश्यक रुपया 43 लाख रुपये आपने खर्च किया। मंडी कमेटी की तो मांग है ही नहीं, मंडी कमेटी है ही नहीं वहां। यह आपको किसने कह दिया कि मंडी कमेटी है और किसने मंडी कमेटी की मांग की आपसे। इस बात के लिए इसकी जांच हो, इसमें पीड़ा क्या है? जो एक खेळ का ही आपने उदाहरण ले लीजिए, जो खेळ 6-7 हजार रुपये में बनती है उसमें 43 हजार रुपये आपने पेमेंट किया है। एक ही ऐसा आइटम है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई दूसरा आइटम नहीं है। इसलिए आप इसकी जांच क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? यह बात पूछना चाहता हूं।

श्री रामकिशन वर्मा : मैं जांच करवाने के लिए तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आप एक बार कह दीजिए, इसकी जांच करवाने के लिए तैयार हो जाइये।

श्री रामकिशन वर्मा : मैं जांच करवाने के लिए तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बस, बात खतम हो गई।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, किससे करवाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हां, यह पूछ लें किससे करवाएंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : पी.डब्ल्यू.डी. के चीफ इंजीनियर से?

श्री रामकिशन वर्मा : सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर से जांच करवाने को तैयार हूं दो महीने में।

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, बी.एस.आर. रेट जो इनके डिपार्टमेंट की है और पी.डब्ल्यू.डी. में अन्तर के कारण क्या हैं? इसको बताया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा अहम सवाल है। पी.डब्ल्यू.डी. की बी.एस.आर. अलग है, इनके डिपार्टमैंट की रेट में और बी.एस.आर. की रेट में अन्तर होने का।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। हो गयी, बात हो गयी।

श्री सांवर लाल : मूल प्रश्न यह है कि इनके विभाग की बी.एस.आर. रेट और पी.डब्ल्यू.डी. की रेट में अन्तर के कारण क्या हैं, यह तो बताया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, जांच की यूटिलिटी क्या है? यह तो बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या?

श्री संयम लोढ़ा : सुपरवीजन चार्जेज की क्या यूटिलिटी है? यह तो बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : वह सब बता देंगे जांच में, बिराजिये। माननीय मंत्रीजी, माननीय पर्यावरण मंत्रीजी बोलिये।

जिला जैसलमेर की फोडर बैंक योजना

32. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर): क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 2,74,385 हैक्टेयर भूमि वन विभाग के अधिकार में है?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में बहुत बड़ा भाग तारबन्दी किया हुआ है तथा चौकीदार नियुक्त है? यदि हां, तो कितना?

(3) क्या तारबन्दी क्षेत्र में उक्त जिले की मुख्य पशु चराई हेतु सेवण घास थोड़ी वर्षा में भी पैदा होती है?

(4) गत तीन वर्षों में कितनी सेवण घास की कटाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पशु बाहुल्य क्षेत्र होने से तथा जैसलमेर जिले में अकाल की स्थिति अधिकांश वर्षों से रहने के कारण फोडर बैंक की योजना बनाई थी? उक्त योजना को बन्द करने का क्या कारण हैं?

(6) क्या सरकार फोडर बैंक को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्रीमती बीना काक) : (1) जिला जैसलमेर में वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में विद्यमान में 2,87,998.56 हैक्टेयर भूमि आती है।

(2) प्रश्न के भाग संख्या-1 में दर्शायी गयी भूमि में से 42,523 हैक्टेयर क्षेत्र की तारबन्दी की हुई है तथा इनकी सुरक्षा विभागीय कार्य प्रभारित कर्मकार तथा नियमित कर्मचारियों द्वारा की जा रही है।

(3) तारबन्दी वाले क्षेत्रों में जहां पर प्राकृतिक रूप से सेवण घास के बोझे विद्यमान हैं वहां पर थोड़ी वर्षा से भी सेवण घास में नया फूटान होता है।

(4) राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ही वन विभाग द्वारा घास कटाई कर एकत्रीकरण की कार्यवाही की जाती है। गत 3 वर्षों में राज्य सरकार का घास कटाई एवं एकत्रीकरण का निर्देश नहीं होने से वन विभाग द्वारा सेवण घास की कटाई कर एकत्रीकरण नहीं कराया गया है।

(5) फोडर बैंक नाम की कोई योजना स्वीकृत नहीं थी तथा ना ही विभाग द्वारा बनाई गई थी। सरकार के स्तर से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अधीन घास कटाया जाकर एकत्रीकरण समय-समय पर किया जाता रहा है।

(6) सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार फोडर बैंक की योजना प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकता है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मिला है वह सरासर सही नहीं है। भाग-दो में यह मंजूर कर रहे हैं कि 42523 हैक्टेयर जमीन तारबन्दी की हुई है वह किस कारण से की हुई है? वह बता दें। सांकड़ा पंचायत समिति में डी.एन.पी. में तारबन्दी कर रखी है, किसलिए कर रखी है? यह बता दें।

भाग चार में यह कह रहे हैं सरकार के निर्देशों के अनुसार वन विभाग द्वारा घास कटाई कर एकत्रीकरण की कार्यवाही की जा रही है। यह सरकार का आदेश क्यों नहीं हुआ? जब प्रति वर्ष हम लाखों रुपये परिवहन में खर्च कर रहे हैं, तो सरकार ने आदेश क्यों नहीं दिया?

भाग पांच, यह बिलकुल सही नहीं है, फोडर बैंक की स्कीम थी, वहां वर्षों चली, 10 वर्ष तक चली। यह जो उत्तर दे रहे हैं, पहले भी मैंने विधान सभा में प्रश्न पूछा था, उस समय यह कहा था कि फोडर बैंक नाम की कोई योजना स्वीकृत नहीं थी। यह सरासर सही नहीं है, कोई फोडर बैंक की स्कीम थी। कृपया इसकी जांच कर लें।

प्रश्न संख्या-6 में कहा है। सरकार आवश्यकतानुसार, गत वर्ष बारिश हुई थी, सेवण घास के पौधे भी पल्लवित हुए थे फिर घास क्यों नहीं कटाया? इस वर्ष भयंकर अकाल है। हरियाणा, पंजाब कहीं से भी घास प्राप्त नहीं हो रही है। लाखों मवेशी हमारे मृत्यु के कगार पर खड़े हुए हैं, तो यह सारा वन विभाग के कारण से हैं। क्योंकि हमने स्कीम बनाई थी और 47 हजार हैक्टेयर जमीन की हमने तारबन्दी की थी, कर्मचारी लगे हुए हैं, चौकीदार बैठे हुए हैं, उन्होंने विभाग की उदासीनता के कारण घास नहीं काटा, कृपया इसका उत्तर दें।

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से पहला प्रश्न भाग दो से सम्बन्धित है कि 42 हजार हैक्टेयर की तारबन्दी की गई है, सही है लेकिन यह केवल घास को प्रोटेक्ट करने के लिए ही नहीं की गई है। यह जो तारबन्दी है इसके अन्दर टीबा स्थिरीकरण, चरागाह विकास, वृक्षारोपण इत्यादि भी सम्मिलित किया गया है। यह प्रोटेक्टेड एरिया है, यह इन सभी विकास कार्यों के तहत किया गया है।

प्रश्न भाग संख्या दो में जो आपने कहा है कि कटाई की जाती रही है, यह सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कटाई की जाती रही है लेकिन पिछले तीन वर्षों से लगातार गम्भीर अकाल की विभीषिका से गुजरते हुए राजस्थान में और जैसा कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य वाकिफ हैं कि राजस्थान में पशु संख्या एवं जनसंख्या का अनुपात जैसलमेर में अधिक है। राजस्थान में एक जन के ऊपर एक पशु है जबकि जैसलमेर में एक व्यक्ति के सामने 6 पशु हैं। 25 हजार तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर गधे हैं, खच्चर हैं दो से ढाई हजार सांड हैं, 30 हजार से 40 हजार गायें हैं, तो करीब 24 लाख पशु वहां पर हैं। यह सब घास की कटाई पिछले वर्ष खास तौर से पैदा होने के ऊपर भी नहीं की जा सकी क्योंकि यह सारे बीड़ पशुओं की चराई के लिए खाली छोड़े गये थे। घास की कटाई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : आपने यह सांड और गधों की गणना कैसे करवाई? सांड और गधों की गणना कैसे करवाई? कौन सा मैकेनिज्म था कि आपने जैसलमेर के सांड और गधों की बात कह दी। (व्यवधान) उनकी गणना कैसे करवाई?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, यह बताइये कि वो कौनसी नस्ल के सांड हैं? सांड की नस्ल बताइये। कौन सी नस्ल के सांड हैं?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। बोल रहे हैं वह, आप काहे को जल्दी कर रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आप उस नस्ल को जानते ही नहीं।

श्री सांवर लाल : आपका तो कोई काम ही नहीं है, आप तो बैठो पण्डितजी।

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1976 से 1987 तक घास कटाई जाती रही थी जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है, निस्तारण भी घास का हुआ था लेकिन कई कठिनाइयां आने की वजह से जो चारा था यह बच भी गया था। जैसलमेर में पिछले वर्ष भी घास हुई थी लेकिन इन जानवरों के लिए बीड़ खुले छोड़ दिये गये थे इसलिए वह ज्यादा बढ़ नहीं पाई थी।

जैसा कि भाग-5 का सवाल है, मैं

(श्रीमती बीना काक)

पुनः कहना चाहती हूं कि विभाग की ओर से फोडर बैंक नाम की कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई थी। माननीय सदस्य महोदय, आप शायद कन्फ्यूज कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट जरूर आया था जो गोल्डन ग्रास प्रोजेक्ट के नाम से स्वीकृत था। माननीय, मैं जरा अर्ज कर दूं उसके बाद आप पुनः पूछ लीजिएगा। यह जो गोल्डन ग्रास प्रोजेक्ट था यह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा काजरी, जोधपुर से मिल करके यह प्रोजेक्ट बनाया गया था, यह वन विभाग का प्रोजेक्ट नहीं था। यह 2000 को स्वीकृत हुआ था जिसमें कुछ राशि भी स्वीकृत की गयी थी। इस परियोजना के अन्तर्गत फव्वारों से स्प्रिंकलर्स से कोई योजना बनाई गई थी घास उत्पादन करने की, जिसे वन विभाग ने क्रियान्वित करने में अपनी असमर्थता दर्शा दी थी। उनके असमर्थता दर्शाने के पश्चात्, जब उनकी प्रेक्टिकलीबिलिटी नहीं थी कि हमसे यह नहीं हो सकेगा, इसमें कुछ खामियां हैं, तो पायलट बेसिस के ऊपर इसे डी.आर.डी.ए. ने शुरू किया था। यह मैं आपको जानकारी देना चाहती हूं। तो कुछ कन्फ्यूजन है, बिटविन द फोडर बैंक एण्ड द सेवण ग्रास, गोल्डन ग्रास प्रोजेक्ट।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कन्फ्यूजन नहीं है, माननीय मंत्री महोदया कन्फ्यूज कर रही हैं। 1976 से 1986 तक फोडर बैंक योजना चली है। उस योजना में साफ था, तीन वर्ष स्टोरेज करेंगे, तीन वर्ष बाद आक्शन करेंगे, हमेशा करेंगे। जैसे कह रही हैं कि 2002 में केन्द्र सरकार ने दो करोड़ रुपये भेजे थे गोल्डन ग्रास योजना में और 1976 से 1986 में यह जो फोडर बैंक योजना चली है और ये कह रही हैं कि नहीं चली है।

दूसरी बात, मुझे कन्फ्यूज कर रहे हैं, मैं कहता आया हूं कि आप डाकुमेंट देखें, इनको मिलेगा कि फोडर बैंक योजना चली थी।

पहले प्रश्न में उत्तर दिया कि धोरा संरक्षण के लिए दिया है, केवल सेवण घास को प्रोजेक्ट करने के लिए तारबंदी की है और 47 हजार हैक्टेयर में तारबंदी की है। वहां न तो धोरा है, समतल भूमि है, केवल सेवण घास है और कुछ भी नहीं है। ऐसे एरियाज को प्रोटेक्ट करके हमने सेवण घास उत्पादन का केन्द्र बनाया था। यह जो उत्तर मिला है यह सही नहीं है।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से एक जानकारी करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। आप बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फोडर बैंक योजना को ले करके एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर पैदा हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : भाटी साहब कुछ बोल रहे हैं, उनके एरिया का सवाल है। नालेज है उनको।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में अकाल का संकट रहता है। बहुत अच्छी एक योजना थी कि 11 लाख हैक्टेयर में से दो लाख बीघा में हमने तारबंदी कर रखी थी। तो क्या आपने इसकी कटाई करके कहीं स्टाक किया या वितरण किया तो कहां किया? क्या यह तारबंदी आज के दिन सुरक्षित है? क्या आगे इस प्रकार के चरागाह जो हमारे पड़े हैं, अकाल के संकट में क्या हम खुली चराई के लिए छूट देंगे? मुख्य मंत्री महोदय, आप कृपया इंटरवीन करें। देखिये, हम घास-घास चिल्ला रहे हैं, नहीं मिल रहा है। हमारे पास 11 लाख बीघा तो वहां जैसलमेर में आज के दिन सुरक्षित है लेकिन हम घास की कटाई नहीं करवा पा रहे हैं। सुरक्षित नहीं है। जैसलमेर से अपने वाले माननीय सदस्य के मन में बहुत पीड़ा है, बार-बार ये प्रश्न उठा रहे हैं। कृपया, आप इंटरवीन करके आगे के लिए तो सुरक्षित कीजिए। कम से कम चरागाह के लिए तो अकाल के संकट में खुला छोड़ दीजिए। यह तारबंदी अभी है तो इसका सही उपयोग होना चाहिए, घास का स्टॉक होना चाहिए।

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने स्वयं भी माना है, जैसा जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 1976 से 1986 में चारा एकत्रित किया जाता था। फोडर बैंक से यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय केवल चारा एकत्रित करने से है, तो होता था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, सीधी सी बात है कि जो घास वहां पर है उसकी सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, कटा करके कहीं इकट्ठा कर रही है या नहीं कर रही है? यह बता दीजिए।

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष तो बरसात नहीं होने के कारण कोई घास वहां पर है ही नहीं लेकिन अकाल की विभीषिका को देखते हुए राज्य भर में जितने भी बीड़ या जोहड़ हैं जहां प्राकृतिक रूप से घास होती है और यदि कहीं पैदा हुई है, तो वह अकाल घोषित क्षेत्रों में स्थानीय मवेशियों की चराई के लिए खोल दिये जाएंगे, ऐसे निर्देश दिये जा चुके हैं। रिलीफ डिपार्टमेंट से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है लेकिन घोषित राष्ट्रीय वन उद्यान, घोषित अभयारण्य क्षेत्र, घोषित वन्य जीव क्लोज्ड एरियाज और जहां पर प्लांटेशन पिछले पांच साल पुराने हैं उनके अलावा। इसके अलावा सभी बीड़ और बीड़ में भी अगर घास नहीं हुई है, तो राजस्थान सरकार बहुत गम्भीरता से चारा बाहर से लाने की व्यवस्था कर रही है। मैं जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूं कि इस विभीषिका से मवेशियों के चारे के लिए 50 चारा डिपो स्वीकृत किये जा चुके हैं और 20 चारा डिपो इस इलाके में खुल भी चुके हैं जहां पर श्री गंगानगर से घास मंगवाई जा चुकी है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह गलत है। देखिए, सेवण घास, पिछले साल वहां पर बरसात हुई थी, एक बरसात से सेवण घास तैयार हो जाती है, तो उसको कटाई कराकर क्यों नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं। आलरेडी वहां पर उपलब्ध है लेकिन इसकी ओर गौर नहीं कर रहे हैं। इसको गम्भीरता से लें, इसमें बहस का विषय नहीं है। हमारे अकाल का संकट है, कृपया ध्यान दीजिए।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं, सेवण घास सबसे कम बरसात में बढ़ती है और कटने लायक हो जाती है। जब भी अकाल पड़ता है, सहायता विभाग से आपके डिपार्टमेंट को रिक्वीजीशन आता है कि इस घास को कटाकर इकट्ठी की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्वेश्चन क्या है?

श्री सांवर लाल : मेरा क्वेश्चन यह है कि तीन साल में आपको सहायता विभाग ने कभी इस प्रकार का रिक्वीजीशन दिया या नहीं दिया कि वन विभाग जैसलमेर की सेवण घास को कटवाये और पशुओं के लिए एकत्रित करें? इसका जवाब दीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : संयमजी। आप क्या पूछ रहे हैं? बैठिए। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया मंजूर कर रही हैं। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : ... पशुओं ने घास खाया है तो नुकसान क्या हुआ है? पशुपालकों को ही फायदा हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रतनारामजी, बिराजिये। आर्डर–आर्डर। एक मिनट।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सेवण घास के बारे में जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और अन्य माननीय सदस्यों ने यह इच्छा जाहिर की है कि वहां सेवण घास काफी मात्रा में उपलब्ध है जिसको कटाई करा करके पशुधन को बचाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं आज ही जिलाधीश से सम्पर्क करके कितना सेवण घास उपलब्ध है, चाहे वन विभाग कटाये, चाहे राहत विभाग कटाये, उसकी कटाई का काम शुरू करेंगे ताकि वह घास हमें उपलब्ध हो सके। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। हो गया न। श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल दूसरा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बीड़ का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : इस बार तो है ही नहीं, घास क्या कटाएंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, चारा मिल नहीं रहा और कह रहे हैं कि हमने डिपो खोल दिये हैं। चारा कहां से आ रहा है यह तो बताओ मंत्रीजी। (व्यवधान) जब तीन साल से लगातार आपका डिपार्टमेंट भेज रहा है सेवण घास कटाने के लिए और यह वन विभाग उसको टर्न-डाउन कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज चारे की समस्या पैदा नहीं होती अगर फोरेस्ट डिपार्टमेंट नैग्लीजेंट नहीं होता। (व्यवधान) सहायता मंत्रीजी का उत्तर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दे दिया इसका जवाब। श्री भंवरलालजी शर्मा। नैक्स्ट क्वेश्चन। बिराजें। (व्यवधान) हो गया न, जवाब दे दिया। अब क्या है?

श्री संयम लोढ़ा : मैं जानकारी करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई जानकारी नहीं है। घास कटेगा। बिराजो।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमने बीड़ खोल दिये और मेरा यहां बालदा बीड़ का आक्शन 56 हजार रुपये में हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न वहां का नहीं है, जैसलमेर का है। आप अपना प्रश्न अलग से पूछिये। भंवरलालजी शर्मा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अभी जवाब दिया है, अभी सदन को जानकारी दी है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठें-बैठें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जानकारी दी है...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। आप अलग से पूछिए। (व्यवधान) श्री भंवरलालजी शर्मा। शर्मा साहब, बोलिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारां जिले के, कोटा जिले के जितने भी बीड़ हैं उनमें चारा है उनको पशुओं को चरने के लिए खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो। (व्यवधान) भंवरलालजी शर्मा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ...दुगुनी, चौगुनी रकम वसूल कर रहे हैं आपके वन विभाग के अधिकारी। मंत्री महोदय, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? यह बताइये आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह जानकारी दी जा रही है कि बीड़ खोल दिये जाएंगे और... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ...बीड़ खोल दिये पर आज भी वसूली होती है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : और एक तरफ बोलदा बीड़ का 56 हजार रुपये में वन विभाग ने आक्शन किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन आपके क्षेत्र का नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : मंत्री महोदय ने रिप्लाई दिया है उस रेफरेंस में पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जवाब पूरे राजस्थान का दिया है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पूरे राजस्थान का जवाब दिया है मंत्री महोदय ने। उसको बताओ तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न नम्बर बोलो। (व्यवधान) बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ...आप एक क्षेत्र तक सीमित करेंगे क्या? पशु मर रहे हैं चारे के बिना और आप उनकी व्यवस्था नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नम्बर बोलो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : प्रश्न संख्या...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कमलाजी।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं पूरे राजस्थान के सन्दर्भ में मंत्री महोदय के द्वारा जानकारी दी गयी है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान) ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान) बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान) बैठिये, बैठिये।

श्री हीरासिंह चौहान : आप बाई पास कर रहे हैं महत्वपूर्ण विषय को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कमलाजी। (व्यवधान) आप खड़े हैं। आप बोलो, बोलो। आप बैठिए, बैठिए। मैंने नैक्स्ट प्रश्न काल-अपोन कर लिया है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : प्रश्न संख्या-33। जब तक शांति नहीं होगी, प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आप बैठिए, बैठिए। अंकित नहीं हो। श्री भंवरलालजी।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये। अंकित नहीं हो। बिराजिये प्लीज माननीय सदस्य।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये एक मिनट। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए न।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो न तो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो तो सही। (व्यवधान) आप बैठो न।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये प्लीज। माननीय सदस्य। (व्यवधान) मदन दिलावरजी।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कुछ अंकित नहीं हो रहा है। न आपका अंकित हो रहा है, न उनका अंकित हो रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप कितनी दफा कहोगे इस बात को। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप कितनी दफा कहोगे इस बात को। आपने कह दी न बात। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों बोले जा रहे हो। अंकित ही नहीं हो रहा है। आप बोले जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न। पहले सुनो न आप।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले मेरे को सुनिये। आप बिराजिये। (व्यवधान) घास का सवाल बहुत गम्भीर है, इसे आप और हम सब जानते हैं। अकाल राहत मंत्रीजी ने अभी कह दिया, उसके बाद कल इस पर पूरी बहस है। आप जो कुछ प्रश्न उठा रहे हैं, उसका कल आपके पास माकूल जवाब आ जाएगा और घास के बारे में सरकार क्या व्यवस्था करती है, वह कल आपको बता दी जाएगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, माननीय सदस्य बैठिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह कल कहना न, हम कह रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब कल आ जायेगा।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। आप भंवरलालजी बोलिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अगला प्रश्न काल-अपोन हो गया है, अब क्या बात है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का केवल इस बात पर एतराज है कि जो फोरेस्ट के बीड़ों में जहां-जहां भी घास उपलब्ध है, उस घास को जैसा आपने सेवण घास के बारे में कहा, क्या बाकी बीड़ों में भी जो आपने आक्शन किये, उस आक्शन को समाप्त करेंगे और किसान को घास काटकर लाने के लिए स्वीकृति देंगे या उनके पशुओं को चराने के लिए कोई स्वीकृति देंगे? यह तो वन विभाग ही कर सकता है, यह सहायता विभाग नहीं कर सकता है इसलिए वन मंत्रीजी इस बारे में अपनी राय बताएं कि जैसा वह सेवण घास के बारे में कह रहे हैं, वैसे ही राजस्थान में जिन-जिन फोरेस्ट में घास उपलब्ध है, वहां भी इस प्रकार की व्यवस्था वन विभाग करना चाहता है या नहीं? बस इतनी सी बात है। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज। ऐसा है, यह बात जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि अभी अकाल राहत मंत्रीजी ने कह दी, उसके बाद फिर निवेदन कर रहा हूं, इसका कल माकूल जवाब आपको दे देंगे। मैंने नैक्स्ट प्रश्न काल कर लिया है। (व्यवधान) हां, दे देंगे। यह बोल रहे हैं। आपको दिला देंगे। (व्यवधान) आप बैठिये। मैंने नैक्स्ट प्रश्न काल-अपोन कर लिया है। भंवरलालजी ने बोल दिया, इसलिए आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : दिला देंगे। दे दिया न।

श्री सी.पी. जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलालजी। आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों से नारेबाजी)

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलालजी।

(माननीय सदस्य, श्री प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा सदन के वेल में धरना)

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : ×××

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना): ×××

श्री रामप्रताप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप तो कम से कम...

श्री रामप्रताप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बता दिया न आपको।

श्री रामप्रताप : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री मोहन लाल मोदी : ×××

श्री रामप्रताप : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री रामप्रताप : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री रामप्रताप : ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सोहन नायक (रायसिंह नगर): ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने केवल इतनी ही व्यवस्था करने के लिए आपसे आग्रह किया था, मेरा आग्रह केवल आपसे यही है क्योंकि यह वन विभाग से सम्बन्धित है जितनी भी राजस्थान के फोरेस्ट में इस समय घास है उस घास के लिए जगह-जगह जिस प्रकार की नीलामी हो रही है उसको रोकें, यह तो फोरेस्ट विभाग ही रोक सकता है। नीलामी की स्वीकृति देकर...(व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री महेश जोशी : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री महेश जोशी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल एक साधारण सी बात है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सोहन नायक : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम केवल इसमें आश्वासन यही चाहते हैं आसन से, क्योंकि यह फोरेस्ट विभाग से सम्बन्धित मामला है और कल जो चर्चा होगी वह केवल राहत मंत्री के द्वारा होगी, फोरेस्ट मंत्री...

श्री उपाध्यक्ष : अकाल मंत्रीजी के द्वारा होगी, उसमें आपको फोरेस्ट मिनिस्टर से जवाब दिला देंगे, यह मैं कह चुका, दिला देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं अकाल राहत मंत्रीजी इतनी बात कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न, यह तो पहले ही कह दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम तो केवल यही, कारण यह है कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो पहले ही कह दिया। क्या व्यवस्था होगी घास की।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मतलब फोरेस्ट मिनिस्टर...

श्री उपाध्यक्ष : घास की क्या व्यवस्था होगी, कल आपको इसका जवाब दिला देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह नहीं कह रहे हैं। जो फोरेस्ट में घास है उसके लिए।

श्री उपाध्यक्ष : जो फोरेस्ट के बीड़ जो छोड़ दिए...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वन मंत्रीजी कल अपनी बात कुछ कहेंगे क्या?

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : हां। मैं समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं, उसका जवाब आयेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वन मंत्रीजी अपनी बात कहेंगे, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो वन मंत्रीजी दे देंगे। बात तो इतनी ही है। कह रहे हैं न हम, फालतू क्यों उलझ रहे हो। यह तो कहा ही था, बहुत पहले कह दी यह बात तो। भंवरलालजी शर्मा। (व्यवधान) बहुत पहले कह दी यह बात तो। (व्यवधान) अब आप बिराजें। आप बोलिए प्लीज। बोलिए, माननीय भंवरलालजी।

कूकस (जयपुर) बांध की भूमि भू-माफिया द्वारा अतिक्रमण

33. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के कूकस बांध की भूमि पर भू-माफियाओं ने अवैध कब्जे कर लिए हैं? यदि हां, तो उक्त कब्जों को हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कूकस बांध में वर्षा से आए पानी को मोरी खोलकर निकाले जाने की कार्यवाही भी उक्त भू-माफियाओं द्वारा की गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचाई मंत्री (डा. (श्रीमती) कमला): (1) जी, हां। सिंचाई विभाग की पेटा तालाब की जमीन खसरा नम्बर 459 व 460 जो ग्राम खुराड़ में स्थित है उसका 0.99 हैक्टेयर रकबा मु. हमीदा बेगम वगैरहा ने इसी वर्ष सम्वत् 2059 में फसल बोने हेतु अतिक्रमण किया था जिसे विभाग द्वारा हटा दिया गया है। ग्राम कूकस की खसरा नम्बर 156 में सिवाय चक की भूमि में मु. हमीदा बेगम वगैरहा, एस.आर. एग्रीकल्चर फार्म एवं वामनारायण घीया पुत्र बद्रीनारायण घीया ने 4.18 हैक्टेयर भूमि में काश्त द्वारा, सफेदे के पेड़ लगाकर एवं कम्पाउण्ड वाल बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। यह भूमि वर्तमान में जे.डी.ए. के स्वामित्व में है, अतः अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जानी है। इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण प्रपत्र-अ में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं। कूकस बांध में बांध की मोरी खोलकर पानी नहीं निकाला गया।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लगातार सदन में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): और सदन के बाहर भी जो भू-माफिया हैं, यह अतिक्रमण करने वाले हैं, उनके बारे में रोज चर्चा होती है और सरकार अपनी उदासीनता या उनसे मिलीभगत का ही परिचय देती है। सामान्य जमीन पर कब्जा करना, यह बात तो चल ही रही है, यह कूकस बांध जो है यह दिल्ली बाइपास पर है, यहां पानी भरता है और सबके काम आता है, वहां भी अतिक्रमण किया है और अतिक्रमण ही नहीं किया केवल, अतिक्रमण करने के बाद जब पानी बांध में आता है, तो न तो आने देते हैं उसको और यदि उनके बलबूते से बाहर पानी आ भी जाए तो मोरी खोलकर पानी निकाल देते हैं। उसके लिए आप कह रहे हैं कि कोई अतिक्रमण नहीं है, और कहते हैं अतिक्रमण तो है लेकिन जे.डी.ए. हटायेगा। जे.डी.ए. अलग संस्था है क्या कोई? जे.डी.ए. सरकार से सम्बन्धित नहीं है क्या? तो यह जो गैर जिम्मेदारी का जवाब है, अतिक्रमियों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, भू-माफियाओं को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो जे.डी.ए. जब इसको हटाएगा तो जे.डी.ए. ने हटाया क्यों नहीं अब तक? यह जैसा आपने जवाब में कहा है कि इस पर कब्जा 1986 में हुआ था और दूसरे में यह बताया 1989, तब यह जमीन तो आपके पास ही थी, सिन्स 1989 एण्ड 1986 तो आपके पास जमीन यह थी, 1995 या 1996 में कहते हैं कि जे.डी.ए. को दे दी हमने, जे.डी.ए. के कब्जे में चली गई, तो उस पीरियड में आप क्या करते रहे, आपने अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): यह मिले हुए थे, कह चुके। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): हां, यही कह दीजिए कि...(व्यवधान) ऐसे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आप अपनी गैर जिम्मेदारी को ऐसे बातचीत, टोक करके नहीं मिटा सकेंगे। Be bold and say it. हमने क्या, आप क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं क्या फिर आप? यह कौन सा जवाब हो गया। कब्जा 1986 में हमने कब्जा करवाया क्या? (व्यवधान) 1986 में। 1986 में किस का राज था, आपने कब्जा करवाया और क्योंकि कब्जा कब हुआ और हम थे इसलिए नहीं हटायेंगे, यह फैसला कर दो आप। आप यह फैसला कर दीजिए। (व्यवधान) ठहरिए, ठहरिए, मेरा अभी पूरा नहीं हुआ। आप ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, उतावले मत होइये। अतिक्रमण हटाने में तो उतावले नहीं हो रहे हैं और अब यहां...

डा. (श्रीमती) कमला : आप दु:खी हो रहे हैं इसलिये मैं उतावली हो रही हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): दु:खी हो रहा हूं आपके कारनामों से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मिनट दो ही बचे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): तो साहब इसको आगे के लिए रख लीजिये। 12 मिनट है, साहब। अभी तो इनके बारह बजने में बारह मिनट हैं साहब, टाइम है थोड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : उनको भी अवसर दो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): तो मेरा यह निवेदन है आपसे कि यह बात तो अलग हुई लेकिन जो पानी भरता है बांध में, वह पानी भी आप निकालने देते हो उसको। तो आप मुझे यह बताइये कि यह इसमें भराव क्षमता कितनी है...

एक माननीय सदस्य : उसमें जे.डी.ए. का क्या लेना-देना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): हां, वही कहता हूं। जो पानी वहां भरता है, जो किसानों के काम आता है, पीने के काम आता है। अभी उसमें इस बार भी सोलह फीट पानी आया। सारा साफ कर दिया, आपने कह दिया कि पानी आता ही नहीं है। मेरे पास एक अखबार की कटिंग है और उसमें उन्होंने फोटो दी है जिसमें आपकी यह मार्किंग है, भराव क्षमता कितनी, उसमें 16 फीट तक पानी बताया हुआ है। आपने कहा कि पानी आया ही नहीं। तो आप यह बतायें इसमें पानी...

डा. (श्रीमती) कमला : मैंने तो कहा ही नहीं कि आया नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): आया है।

डा. (श्रीमती) कमला : मैंने कहां कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अच्छा, नहीं आया।

डा. (श्रीमती) कमला : मैंने तो कहा ही नहीं कि नहीं आया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): आपने कहा कि नहीं निकाला, कह रहे हैं न आप।

डा. (श्रीमती) कमला : निकाला नहीं कहा, यह कह रही हूं। आया या नहीं आया, यह नहीं कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): कितना आया, अब बता दीजिए कि हर साल में कितना-कितना पानी इसमें आता है, भराव क्षमता कितनी है, कब-कब कितना भरा, इस बार इसमें कितना पानी था और अब वह कितना है? वह बता दीजिए पहले आप। चलिये, यह हो जायेगा।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे के बाबत में कुछ भ्रांतियां इसलिए है कि जो जमीन बांध के नीचे है वह जमीन सिंचाई विभाग की 16.08 हैक्टेयर है कुल, उसमें से जो अतिक्रमण हुआ है, इसमें 459 जो खसरा नम्बर है उसका रकबा 0.03 और 460 खसरा नम्बर जो है उसका 1.43 हैक्टेयर यह उसके अन्दर आता है। इसको अभी इसी सम्वत् 2059 में ये जो मैंने नाम बताया है हमीदा बेगम वगैरह इनकी खातेदारी उसके साथ चूंकि लगती है। इन्होंने उस वक्त में इस खसरा नम्बर पर 0.03 गैर मुमकिन चाहा उसको और खसरा नम्बर 460 का रकबा 0.96 हैक्टेयर जो सिंचाई विभाग के नाम

(डा. (श्रीमती) कमला)

दर्ज है उसके ऊपर इन्होंने इसी जून महीने में कब्जा करने के लिए कुछ कार्यवाही की। उस कार्यवाही को राज्य सरकार ने नोटिस में लिया और नोटिस में लेने के बाद, हालांकि उन्होंने कुछ बोने की चेष्टा की। उसमें कुछ उगा भी नहीं लेकिन अभी उसके डोली लगा करके उस रकबे को उससे फर्क कर दिया। जहां तक सिंचाई विभाग की जमीन का सवाल है उस कुल जमीन में से इतनी जमीन पर इन्होंने कब्जा किया था, वो कब्जा अभी किया था इन्होंने और अभी उसको हमने हटा दिया।

अब बाकी जो जमीन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खसरा नम्बर 156 कूकस गांव की, ये है खुराड़ गांव है जो हमारे क्षेत्र में आता है। कूकस के खसरा नम्बर 56 का जो रकबा है। 10.98 हैक्टेयर है कुल। उसमें हमीदा बेगम वगैरह ने कब्जा किया 0.08 पर, ये भी अभी 2059 में ही कब्जा किया और उसी तरह से जून में किया कि ये हमारे लगती हुई है, तो इसमें अपन कुछ कर लें। लेकिन वह भी हमने हटा दिया है और उसके ऊपर अब इनका कोई कब्जा नहीं है। दूसरा कूकस गांव का खसरा नम्बर है 156 जिसका कुल रकबा है 10.92 हैक्टेयर। इसमें से 2.70 हैक्टेयर जो एस.आर. एग्रीकल्चरल फार्म है मि. आनन्द कुमार डालमिया पुत्र कालूराम डालमिया ने सफेदे के पेड़ लगाकर 1986 में इसका अतिक्रमण किया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): कौन से साल में किया?

डा. (श्रीमती) कमला : 1986 में हमारे वक्त में।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): हां, ठीक है।

डा. (श्रीमती) कमला : यह भूमि सिवाय चक थी यह बंधे की जमीन नहीं है। यह सिवाय चक जमीन है। इस सिवाय चक जमीन पर इस व्यक्ति ने कब्जा किया और उस जमीन का उसने 1.40 इसके साथ ही एक वामन नारायण घीया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां): मैडम, डालमियाजी वी.एच.पी. के हैं क्या?

डा. (श्रीमती) कमला : मैं जानती नहीं हूं कौन हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): बहुत पैसे वाले हैं ये लोग।

डा. (श्रीमती) कमला : जो लोग इनसे कोई परिचित होंगे वे जानते हैं। मुझे मालूम नहीं है कौन हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): ये लोग बहुत पैसे वाले हैं। हायर क्लास के पैसे वाले हैं, ये तो आपके हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : इसी खसरा नम्बर में से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रकबा 1.40 हैक्टेयर एक कोई वामन नारायण घीया पुत्र श्री बद्रीनारायण घीया

(डा. (श्रीमती) कमला)

ने अतिक्रमण किया 1989 में। इनको हटाने के लिए, हालांकि यह सिंचाई विभाग की जमीन में नहीं है, सिवाय चक जमीन है चूंकि बंधे के करीब है इसलिए सिंचाई विभाग ने 1989 और 1990 के अन्दर कलक्टर को लिखा कि इस तरह से यह कब्जे हो रहे हैं मेहरबानी करके आप इसकी कार्यवाही करें और इसके बाद इसकी कार्यवाही तहसीलदार ने प्रारम्भ की। नायब तहसीलदार, आमेर ने अतिक्रमण को अवैध मानते हुए 2.8.1989 को फैसला दिया कि इन्हें हटा दिया जाए। उसके बाद हटाने की कार्यवाही हुई। इस निर्णय के खिलाफ पार्टी ने राजस्व अपील संख्या 107/92 द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर में अपील की। जिला कलक्टर ने निर्णय दिया कि खातेदारी की भूमि की बाउण्डरी के बाहर पांच बिस्वा तक पेड़-पौधों के उपयोग हेतु इसको इजाजत दी जाती है। खातेदार द्वारा अधिक भूमि उपयोग में लिए जाने के कारण हालांकि दी थी पांच बिस्वा, उसने ज्यादा करने की चेष्टा की, तो तहसीलदार ने दुबारा उसके ऊपर कार्यवाही करने के लिए एस.डी.ओ. के यहां पर कार्यवाही प्रस्तावित की। एस.डी.ओ. ने दिनांक 21.7.1994 को पार्टी की अपील पर फैसला दिया। उस फैसले के खिलाफ फिर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी आर.ए.ए. 24.95 को पार्टी ने स्थगन आदेश ले लिये। इसके बाद न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट (क-2), जयपुर से भी पार्टी ने स्थगन आदेश ले लिया। वह स्थगन आदेश चलता रहा। उस स्थगन आदेश को रद्द कराने की चेष्टा की, नहीं की वह मेरे पास अभी ब्यौरा नहीं है लेकिन उस स्थगन आदेश के कारण से उन्हें वहां से बेदखल नहीं किया जा सका। 1995 में यह खसरा नम्बर जे.डी.ए. को हस्तांतरित हो गया और हमने जे.डी.ए. को अवगत करा दिया कि आप इसकी जमीन के बाबत में कार्यवाही करें। इसी तरह ग्राम कूकस, यही 156 गैर मुमकिन बंधे पर जो वामन नारायण घीया पुत्र श्री बद्रीनारायण घीया ने 8.40 पर अतिक्रमण करा हुआ था 1989 से पूर्व का। उसको हटाने के लिए भी वो ही कार्यवाही प्रस्तावित की गयी, वो ही चालू की गयी और अब इसके खिलाफ में धारा-91 के तहत में तहसीलदार...।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा।

डा.(श्रीमती) कमला : नहीं आप पूरी बात सुन लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): एक सैकण्ड, जो सवाल है जो बांध का पानी है वह इकट्ठा नहीं होने से...

डा. (श्रीमती) कमला : वह भी मैं आ रही हूं आप पहले जो यह गलतफहमी पैदा कर रहे हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): तो फिर अभी आपके बारह बज जायेंगे।

डा. (श्रीमती) कमला : देखिये ऐसा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनसे कहिये बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): एक सैकण्ड, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं।

डा. (श्रीमती) कमला : नहीं–नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, यह नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अगर बारह बजे बाद भी अलाउ करें तो ठीक है।

डा. (श्रीमती) कमला : आप पहले एक गलत बयानी को दुरूस्त कर लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): केवल बारह बजने के लिए समय अगर उपयोग कर रहे हैं तो गलत है।

डा. (श्रीमती) कमला : आप पहले एक गलतबयानी को दुरूस्त कर लीजिये मैं दूसरे पर भी आ रही हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): तो बारह बजे बाद तक चलाइये फिर इसको आप। बाहर बजे खतम कर देंगी। तो पानी वाला मसला तो फिर रह जाएगा।

डा. (श्रीमती) कमला : वो प्रश्न का भाग–2 है इसलिए पहले भाग–1 के बाबत सुनें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): कोई आपत्ति नहीं है मुझे पर पानी वाला मामले का जवाब देकर ही जाइये फिर।

डा. (श्रीमती) कमला : आपको तो नहीं चाहिए लेकिन वैधानिक स्थिति यही है। पहले भाग–1 का आप निस्तारण सुनें फिर भाग–2 का मैं निस्तारण बताउंगी।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : सरकार के अभी बारह बजने वाले हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्वेश्चन आवर समाप्त करके चले जाओगे।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं कह रही हूं जब तक मैं जवाब नहीं दूंगी बीच में थोड़े ही डिक्लेयर करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): हां यह ठीक है फिर।

डा. (श्रीमती) कमला : इसलिए यह जो श्री घीया ने अतिक्रमण किया इसके खिलाफ सरकार ने बार–बार उसी तरह से कार्यवाही की जिस तरह से श्री डालमिया के बाबत में की और वो कार्यवाही अभी तक कुछ नतीजे पर नहीं पहुंची। इस बीच में यह भी जे.डी.ए. को हस्तांतरित हो गयी और उनको हमने अवगत कराया। उनका कहना यह है कि हमने इनको रोक दिया है या उन्होंने उसके ऊपर कुछ कार्यवाही नहीं की है इसलिए जरूरत नहीं है वो जाने। अभी इसकी जो स्थिति आपने बतायी कि जाने कितनी जमीन पर कितना कब्जा हो गया है और पूरे बंधे की जमीन भू–माफिया खा गया है। अखबारों में भी दिया गया है। जांच करने पर पता लगा कि इस तरह की कोई भी चीज नहीं है.

(डा. (श्रीमती) कमला)

और ये छोटी-मोटी जमीन पर कर भी रखा था, अभी किया था जून के महीने में, उसको भी हमने हटा दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): 1986 से है।

डा. (श्रीमती) कमला : बाकी जो जमीनें हैं मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति स्पष्ट की। जहां तक पानी के भराव की स्थिति है यह सही है कि 22 फीट इसकी भराव क्षमता है, 16 फीट तो इसमें मिट्टी भरी हुई है और मिट्टी भरे रहने के कारण से जो पानी भी डिप्रेशन में आता है, उपयोग में नहीं आता है वो वहां भरा रहता है। इसलिए अभी जब पानी भरा एक डिप्रेशन में, जो कि चैक के पीछे था, उसको नापने के लिए एक नाली खोद कर उन्होंने चेष्टा की यह कितना भरा है उसको देखें, तो एक डिप्रेशन में ही वह पानी भरा हुआ है। आज भी भरा हुआ है। उस पानी का अपने आप में कोई उपयोग हो सकता है वह हो रहा है लेकिन पिलाई के लिए उपयोग में लिए जाने की स्थिति उसमें नहीं है। इसलिए जो 15.3 फीट पानी था वो उस वक्त मौजूद था। किसी ने नाली नहीं तोड़ी, किसी ने बांध को कहीं से नहीं तोड़ा क्योंकि वो केचमेंट के अन्दर है डिप्रेशन और दो दिन बाद में भी नापा तो 14.6 फीट भरा हुआ है। इसलिए वो जो डिप्रेशंस में पानी भरा हुआ है उसका सिंचाई के लिए उपयोग इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो सिल्टिंग हुई

(12.00 बजे)

है उसके ऊपर आकर वह पानी फ्लो से इर्रिगेट नहीं हो सकता। वह पानी आज भी न किसी ने तोड़ा है। इसकी जांच कराई, अधिकारी मौके पर गये उन्होंने लोगों से पूछा, मौके को देखा और जिस मिस्त्री ने तोड़े जाने की शिकायत की थी उस मिस्त्री का कोई नामोनिशान वहां पर नहीं था। यह सारी स्थितियां मैंने आपकी दर्ज की हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : मिट्टी भरी हुई है इसलिए सिंचाई के काम में नहीं आता तो मिट्टी को हटवाने का इरादा है कि नहीं सरकार का?

डा. (श्रीमती) कमला : यह अलग चीज है, माननीय सदस्य ने यह चिंता व्यक्त की और अखबार वालों ने जो सूचना दी, जिस दिन अखबार में यह आया उसी दिन मैंने अधिकारियों को पूछा कि यह क्या हो रहा है। अधिकारी वहां गये, उन्होंने जांच की वह गलत पाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्रश्नकाल समाप्त। शोकाभिव्यक्ति। बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): उपाध्यक्ष महोदय, आप सवाल पूरा नहीं करने देंगे, मैं इसको पहले ही जानता था। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मिट्टी को हटा दे तो वह पानी सिंचाई के काम आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। शोकाभिव्यक्ति।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): वह सवाल लम्बा इसलिए कर रही थी क्योंकि 12 बजने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति, बिराजिये आप।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अहम सवाल के बारे में तो आप रखवा दीजिए। आप हमारे अधिकारों और राजस्थान की जनता के अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं। इतना सा सवाल है। इसमें करोड़ों रुपये लगने वाले नहीं है। सरकार उससे मिट्टी को हटाने का इरादा रखती है या नहीं रखती है? यह बता दीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम भैंसाणा (पाली) की सड़क का डामरीकरण

63. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार शहीदों के गांवों को डामरीकृत सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो जिला पाली की भैंसाणा गांव के शहीद श्री भंवर सिंह जेतावत के गांव की सड़क का डामरीकरण कार्य कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, हां। कारगिल पैकेज में शहीदों के गांवों को डामरीकृत सड़क से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।

ग्राम रालावास (दौसा) के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आबंटित भूमि

64. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रालावास, तहसील लालसोट, जिला दौसा के खसरा नम्बर 289 रकबा, 178. बीघा, 6 बिस्वा में से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 57 बीघा भूमि आबंटित की गई थी? क्या दिनांक 7 नवम्बर, 2001 को तरमीम करने के पश्चात् पत्थरगढी की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) क्या सरकार अब उक्त आबंटित भूमि में पत्थरगढी कराकर आबंटियों को कब्जा सम्भलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? उक्त में विलम्ब के लिये कौन दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। आबंटी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प सलेमपुरा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 7.11.2001 को भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारियान की टीम गठित कर उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान करवाया जाकर आबंटित भूमि की नक्शे में दिनांक 10.11.2001 को तरमीम की जा चुकी है। आबंटित भूमि के सम्बन्ध में आर.टी.ए. की धारा 183(बी) के अन्तर्गत प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, लालसोट के यहां विचाराधीन होने के कारण पत्थरगढ़ी की कार्यवाही लम्बित है।

(2) उक्त आबंटित भूमि के सम्बन्ध में अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही कर मूल आबंटी/खातेदारान को कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार लालसोट के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183(बी) के अन्तर्गत प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.8.2002 नियत है।

कुचामनसिटी (नागौर) में कृषि भूमि पर बसी आवासीय कालोनियों का नियमन

65. **श्री हरिशचन्द कुमावत** (नावां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कुचामन सिटी क्षेत्र (नागौर) में पुराने खसरा नम्बर 83 व खसरा नम्बर 79 से सम्बन्धित सीलिंग प्रकरण का निस्तारण हो गया है? यदि हां, तो निर्णयों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों खसरों में सीलिंग प्रकरण से राजकीय खाते में प्राप्त होने वाली भूमि का कितना रकबा है तथा उक्त सरकारी भूमि के खसरा नम्बर क्या हैं और उक्त भूमि की भौतिक स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगरपालिका, कुचामनसिटी क्षेत्र में भारतीय संचार निगम लि. को कृषि भूमि का स्थानान्तरण जरिए रजिस्ट्री किया गया है? यदि हां, तो कब? उक्त भूमि पर बाउण्डरी का निर्माण कब हुआ? उक्त भूमि के लिए 90 बी की कार्यवाही कब हुई तथा नगरपालिका कोष में कितनी राशि जमा हुई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सीलिंग प्रकरणों का निस्तारण हो जाने के बाद अब शेष बची कृषि भूमि पर जो मकान आदि निर्माण होकर आबादी बस गई है ऐसी भूमि के लिए 90बी की कार्यवाही होकर ऐसे लोगों को भूमि के पट्टे जारी कराने की कार्यवाही कब तक कराई जा सकेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। कुचामनसिटी के पुराने खसरा नम्बर 83 तथा खसरा नम्बर 79 से सम्बन्धित सीलिंग प्रकरण का निर्णय अपर कलक्टर, नागौर के न्यायालय से दिनांक 11.4.2002 को हो गया है। निर्णय दिनांक 11.4.2002 एवं 19.4.2002 की प्रति संलग्न है।

(2) सीलिंग प्रकरण के निर्णय अनुसार प्रताप सिंह पुत्र श्री हरीसिंह व उनके कायम मुकामान के खाते में कुलधारित भूमि 3325–19 बीघा भूमि थी जिसमें से 382–05 बीघा भूमि को वैध हस्तान्तरण माना गया है, शेष 2943–14 बीघा भूमि में से 24–12 बीघा भूमि राजकीय भूमि दर्ज होने के कारण कम की जाने पर 2919–02 बीघा भूमि शेष बचती है जिसमें से 135 बीघा भूमि ही धारित कर सकते हैं शेष 2784–02 बीघा भूमि अधिग्रहण योग्य मानी गयी है। उक्त खातेदार द्वारा धारित भूमि में पुराना खसरा नम्बर 83 रकबा 43–17 बीघा भूमि तथा खसरा नम्बर 79 का रकबा 47–08 बीघा भूमि सीलिंग प्रकरण में विचाराधीन है।

कुचामनसिटी का पुराना रेवेन्यू रिकार्ड न्यायालय में होने की वजह से खसरा नम्बर 83 के वर्तमान खसरा नम्बर की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पायी है। नये खसरा नम्बर का विवरण प्राप्त करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया गया है। खसरा नम्बर 79 से सम्बन्धित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 799, 804, 805, 2531/798, 2532/795 है। इस भूमि की भौतिक स्थिति अनुसार 0–32 हैक्टेयर में विद्यालय भवन तथा शेष भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है।

(3) जी, हां। खातेदार लाड कंवर पत्नी समदर सिंह, हैम कंवर पत्नी दलपत सिंह, समदर सिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत, निवासी रूणिजा ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 959, 960 में से 4000 वर्गमीटर भूमि का बेचान जरिए रजिस्टरी करवाया है। उक्त रजिस्टरी दिनांक 24.5.2001 को करायी गयी है। भूमि के लिए 90–बी की कार्यवाही किये जाने का दायित्व नगरपालिका का है।

(4) इस सम्बन्ध में नगरपालिका मण्डल, कुचामनसिटी ने यह व्यक्त किया है कि धारा 90–बी की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न होने पर पट्टे जारी कर दिये जाएंगे।

(निर्णय प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम कृष्णगंज व वाडेली (सिरोही) में समर्पित भूमि का पुनः आबंटन

66. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला सिरोही के ग्राम दानी गांव कृष्णगंज व वाडेली में ऐसे कितने नागरिक हैं जिनके पास कृषि भूमि बिलकुल नहीं है? ऐसे नागरिकों की सूची जाति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामदानी गांवों में ऐसे

(श्री संयम लोढ़ा)

कितने नागरिक हैं जो राज्य सरकार द्वारा परिभाषित भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं? ऐसे भूमिहीन नागरिकों की सूची जातिवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त के पास कितनी भूमि है? प्रत्येक नागरिक का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त ग्रामदानी गांवों के गठन के समय कितनी भूमि ग्रामदानी गांव में निहीत की गई थी? रकबा सहित विवरण तथा उक्त के गठन के वक्त नागरिकों को आबंटन की व्यक्तिवार, भूमिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) ग्रामदानी गांव के गठन के उपरान्त उक्त दोनों गांवों में अब तक कितने नागरिकों ने अपनी भूमि वापस ग्राम सभा को समर्पित की है? वर्षवार नागरिकों की सूची भूमि खसरा नम्बर सहित जातिवार सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त के गठन के उपरान्त उक्त दोनों गांवों में नागरिकों द्वारा समर्पित की गई भूमि का ग्राम सभा द्वारा वापस किन-किन लोगों को आबंटन किया गया? वर्षवार आबंटियों की सूची भूमि रकबा, खसरा नम्बर सहित जातिवार आबंटन सम्बन्धी ग्राम सभा की कार्यवाही की पत्रावली की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामदानी कृष्णगंज व वाडेली में ऐसे भूमिहीन नागरिकों की सूचना शून्य है।

(2) इस परिभाषा के अनुसार ग्रामदानी गांव कृष्णगंज में ऐसे भूमिहीन कृषक 35 हैं, जिनका जातिवार विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

(3) बिन्दु-2 के परिशिष्ट में अंकित है।

(4) ग्रामदानी गांव कृष्णगंज एवं वाडेली के गठन के समय निम्न प्रकार भूमि निहित की गई :-

क्र.सं.	विवरण भूमि	रकबा बीघा	
		कृष्णगंज	वाडेली
1.	खातेदारी भूमि	1703.00	2925.02
2.	गैर खातेदारी	721.19	637.12
3.	चरागाह	1421.16	150.15
4.	अन्य प्रयोजन :		
	अ. आबादी	215.17	15.02
	ब. विद्युत विभाग	5.15	—
	स. सा.नि.वि.	150.18	—
	द. वन विभाग	3965.01	423.07
	य. अध्यक्ष ग्रामदान	10605.17	2934.16
	योग	**18790.05**	**7006.16**

(राजस्व मंत्री)

(5) ग्रामदानी गांव कृष्णगंज के गठन के उपरान्त कुल 54 व्यक्तियों द्वारा 348.05 बीघा भूमि ग्राम सभा को समर्पित की है। सूची व्यक्तिवार, जातिवार, वर्षवार, नम्बर वार रकबा सहित परिशिष्ट–बी पर संलग्न है।

ग्रामदानी गांव वाडेली में 11 काश्तकारों द्वारा 140.15 बीघा भूमि ग्राम सभा को समर्पित की गई है। सूची व्यक्तिवार, ख.नं. वार, रकबा, वर्षवार, जातिवार सहित परिशिष्ट–सी पर संलग्न है।

(6) ग्राम कृष्णगंज के गठन के उपरान्त नागरिकों द्वारा समर्पित की गई भूमि का ग्राम सभा द्वारा 36 नागरिकों को 345.05 बीघा भूमि का आबंटन किया गया। वर्षवार, रकबावार, खसरा नम्बर रहित, जातिवार सूची एवं ग्राम सभा की कार्यवाही के विवरण की प्रतियां परिशिष्ट–डी पर संलग्न हैं।

ग्रामदानी गांव वाडेली के गठन के उपरान्त नागरिकों द्वारा समर्पित की गई भूमि का ग्राम सभा द्वारा 9 व्यक्तियों को 137.05 बीघा भूमि का आबंटन किया गया। वर्षवार, रकबा वार, ख.नं. वार, जातिवार सूची एवं ग्राम सभा की कार्यवाही के विवरण की प्रति परिशिष्ट–ई पर संलग्न हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला दौसा के ग्राम मौजा, तहसील दौसा में कोली समाज को सार्वजनिक धर्मशाला हेतु भूमि आबंटन

67. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या ग्राम मौजा, तहसील दौसा, जिला दौसा में गौशाला के नाम से रेकार्ड में भूमि दर्ज है? यदि हां, तो खसरा नं. 2458, 2460 एवं 2462 की भूमि किसके नाम दर्ज है? उक्त की खातेदारी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खसरा नं. किस–किस के नाम दर्ज है तथा कितना–कितना रकबा है? उक्त तीनों खसरा नम्बरों की ट्रेस कापी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किस खसरा नं. में कोली वाला, पुख्ता एक लावा कुआं एवं शिवालय बना हुआ है और कब से कौन उक्त कुएं का उपयोग कर रहे हैं व कितने रकबा में हैं? क्या ट्रेस कापी में भी कुआं दर्ज है?

(4) मौजा, दौसा में गौशाला की कितनी भूमि का अन्य व्यक्तियों को आबंटन हुआ है? अब गौशाला की भूमि पर किस–किस का कब्जा है और किनके द्वारा आबंटित की गई है तथा किनके आवेदन पर दी गई है और अब कितनी भूमि शेष है? विवरण खसरा नं. मय रकबा के सदन की मेज पर रखें।

(श्री घासीलाल मेघवाल)

(5) क्या राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 6(10) राजस्व-6/9/2 दिनांक 13.2.2001 के तहत कोली समाज के व्यक्तियों हेतु उनके शिव मंदिर के समीप तथा कृषि विभाग, दौसा के समीप वाली सम्पूर्ण भूमि पर सार्वजनिक धर्मशाला हेतु भूमि के आबंटन हेतु राजस्व मंत्री एवं जिला कलक्टर को भी कोली समाज के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा प्रतिवेदन दिया है? प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार राजस्व विभाग के उक्त आदेश के अन्तर्गत कोली समाज, दौसा को सार्वजनिक धर्मशाला हेतु भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम दौसा, तहसील दौसा में गौशाला के नाम से कुल किता खसरा नम्बरान 80 रकबा 218.88 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है, किन्तु खसरा नम्बरान, 2458, 2460 व 2462 की भूमि गौशाला दौसा के नाम से दर्ज रेकार्ड नहीं है, बल्कि उक्त खसरा नम्बरान सिवाय चक दर्ज रेकार्ड है। जमाबन्दियों की प्रति परिशिष्ट-''क'' संलग्न है।

(2) खसरा नम्बर 2458 रकबा 0.32 हैक्टेयर 2460 रकबा 0.30 हैक्टेयर तथा 2462 रकबा 0.68 हैक्टेयर पेटा तालाबी भूमि है व सिवाय चक दर्ज रेकार्ड है। नक्शा ट्रेस की प्रति परिशिष्ट-''ख'' संलग्न है।

(3) उक्त तीनों खसरा नम्बरान 2458, 2460 व 2462 में कोलीवाला कुआं व शिवालय बना हुआ नहीं है, बल्कि अल-मशहूर कोलीवाला कुआं ख.नं. 3050 रकबा 0.04 हैक्टेयर में बना हुआ है। जिसकी खातेदारी प्रभुदयाल, राधेश्याम पिता बसन्ती लाल जाति कोली के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा शिवालय ख.नं. 3049 में कोली समाज के कब्जे की भूमि 0.09 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर रकबे में बना हुआ है जिसकी खातेदारी गौशाला के नाम से दर्ज रेकार्ड है। उक्त कुएं का उपयोग काफी लम्बे अर्से से ही कोली समाज द्वारा किया जा रहा है। ख.नं. 3050 रकबा 0.04 हैक्टेयर जिसमें कुआं बना हुआ है, वह ट्रेस कापी में भी दर्ज है। नक्शा ट्रेस की प्रति परिशिष्ट ''ग'' संलग्न है।

(4) मौजा दौसा में गौशाला की भूमि का किसी व्यक्ति विशेष को आबंटन नहीं हुआ है, बल्कि गौशाला की कुल किता खसरा नम्बरान 6 रकबा 8.01 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु जिला अस्पताल भवन दौसा के निर्माणकार्यार्थ राज्य सरकार की स्वीकृति से वर्ष 1994 में आबंटित की गई है और गौशाला को विनिमय में चरागाह भूमि ख.नं. 3263, 3264 व 3265 में से 8.01 हैक्टेयर भूमि दी गई है एवं 2 हैक्टेयर भूमि चरागाह भूमि ख.नं. 3265 के बदले बस स्टेण्ड हेतु विनिमय हुआ है, जो नगर

(राजस्व मंत्री)

पालिका, दौसा के प्रार्थना पत्र पर विनिमय हुआ है। यह आदेश तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा पारित किया गया है, किन्तु अभी रेकार्ड में अमल होना शेष है। अब वर्तमान में गौशाला की 0.50 हैक्टेयर भूमि पर कृषि विभाग का कार्यालय बना हुआ है एवं 0.35 हैक्टेयर पर वन विभाग की नर्सरी लगी हुई है तथा लगभग 0.25 हैक्टेयर भूमि पर विभिन्न लोगों के मकान व बाड़े बने हुए हैं तथा 0.09 हैक्टेयर भूमि पर (महावर) कोली समाज दौसा का कब्जा है। जिसमें शिवालय स्थापित है। शेष 215.69 हैक्टेयर रकबे पर गौशाला काबिज है एवं उपयोग में ले रही है। गौशाला की भूमि पर किये गये कब्जे का विवरण परिशिष्ट "घ" संलग्न है।

(5) जी, हां। पंचायत कोलियान कस्बा दौसा जरिये महिला प्रतिनिधि मण्डल द्वारा जिला कलक्टर को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति परिशिष्ट "ड" संलग्न है।

(6) कोली समाज दौसा द्वारा धर्मशाला हेतु आबंटित चाही गई भूमि राजस्व रेकार्ड में गौशाला दौसा की खातेदारी में दर्ज है। इसलिए गौशाला द्वारा राज्य हित में समर्पण करने पर भूमि सिवाय चक दर्ज होने पर ही नियमानुसार आबंटित की जा सकती है। बिना गौशाला की सहमति के आबंटन किया जाना सम्भव नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम नारदपुरा (जयपुर) में मन्दिर के नाम दर्ज भूमि

68. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम नारदपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में मन्दिरों के नाम कितनी भूमि दर्ज है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मन्दिर के नाम दर्ज भूमि का अवैध बेचान कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि एक मन्दिर के नाम भूमि दर्ज किये जाने का प्रकरण वर्षों से विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त पर कब तक निर्णय लिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों व विलम्ब के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम नारदपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में मन्दिर श्री बिहारीजी बिराजमान के नाम कुल किता 2 रकबा 24 बीघा 08 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

(राजस्व मंत्री)

जमाबन्दी सम्वत् 2057 ल. 60 के खाता संख्या 133 में अंकित ख.नं. 201 रकबा 01 बिस्वा किस्म गै.मु. चाह तथा ख. नं. 202 में बारानी अव्वल 9 बीघा 09 बिस्वा, बंजड़ दोयम 1 बीघा 07 बिस्वा, बंजड़ पूला 12 बीघा 08 बिस्वा, चरागाह 1 बीघा 03 बिस्वा, चरागाह कुल किता 2 रकबा 24 बीघा 08 बिस्वा।

(2) जी, हां। सम्वत् 2047 में राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.2(4)राज./6/90/37 दिनांक 13.12.1991 की पालना में दिनांक 24.6.1992 को पटवारी हल्का जमाबन्दी के खरीददारों के नाम विलोपित कर मन्दिर श्री बिहारी जी के नाम अंकित कर दिया गया है। जो वर्तमान में जमाबन्दी में भी है।

(3) जी, नहीं। मन्दिर माफी की जमीन मन्दिर के नाम उपरोक्तानुसार दिनांक 24.6.1992 को ही की जा चुकी है। अत: भूमि माफी मन्दिर के नाम होने से इस बाबत कोई भी प्रकरण विचाराधीन/निस्तारण से शेष नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र चौमूं के प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम

69. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र चौमूं में नये राजस्व गांव घोषित किए गए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने व कौन-कौन से राजस्व ग्राम हैं? उक्त राजस्व ग्रामों की वर्ष 2001 की गणना के अनुसार जनसंख्या कितनी-कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में मौजूद राजस्व ग्रामों के अलावा भी नए राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया चल रही है? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम प्रस्तावित है।

उत्तर

(1) गत 2 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र चौमूं में 7 नए राजस्व ग्राम घोषित किए गए हैं, जो निम्न हैं :–

1. विजयनगर, 2. आडागैला, 3. नयाबास, 4. वीरासिंह का वास, 5. लालपुरा, 6. हीरा का बास, 7. चेता का बास।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 108 राजस्व ग्राम हैं जिनकी सूची संलग्न है।

वर्ष 2001 की जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मौजूदा राजस्व ग्रामों के अलावा 12 नए राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 12 प्रस्तावों में से 2 प्रस्ताव राजस्व मण्डल के स्तर पर एवं 10 प्रस्ताव तहसील स्तर पर परीक्षणाधीन है :–

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित ग्राम
1.	खेजरोली	हदरामपुरा (राजस्व मण्डल स्तर पर)
2.	खेजरोली	ऊटगढ़ा
3.	खेजरोली	बुराला
4.	खेजरोली	पील्या
5.	निन्दौला	नीमडाली
6.	आष्टीकलां व आष्टीखुर्द	गीदा का बास
7.	स्याऊ	कालू का बास
8.	ढोढसर	बाढ़ावाली
9.	गोविन्दगढ़	कृष्णानगर
10.	गोविन्दगढ़	विकास नगर
11.	कालाडेरा	कुमावतों की ढाणी
12.	किशनपुरा	गढ़वालों की ढाणी

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

ग्राम खेजरोली (जयपुर) में नवीन राजस्व ग्राम

70. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम खेजरोली सभी राजस्व ग्रामों में सबसे बड़ा ग्राम है? यदि हां, तो खेजरोली ग्राम की आबादी कितनी है?

(2) उक्त ग्राम का भू-क्षेत्र कितना है।

(3) क्या सरकार खेजरोली राजस्व ग्राम में से कोई नया राजस्व ग्राम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र चौमूं में क्षेत्रफल की दृष्टि से खेजरोली सबसे बड़ा राजस्व ग्राम है। इसकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 15288 हैं।

(2) उक्त ग्राम का भू-क्षेत्र 3178 हैक्टेयर हैं।

(3) तहसील चौमूं के ग्राम खेजरोली में से 4 नये राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव हैं जिनमें से ग्राम ऊटगढ़ा व ग्राम दरामपुरा के प्रस्ताव राजस्व मण्डल के स्तर पर एवं ग्राम बुरोला व ग्राम पील्या के प्रस्ताव जिला स्तर पर परीक्षाधीन है।

जिला सीकर में कृषि भूमि के आबंटन में अनियमितताएं

71. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत तीन वर्षों में जिला सीकर में कृषि भूमि का नियमन एवं आबंटन किस किस ग्राम में किस-किस किसान को कितने रकबे का किया गया है?

(2) उक्त में गलत आबंटन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उनके निस्तारण का क्या निष्कर्ष रहा?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में जिला सीकर में कृषि भूमि का नियमन एवं किसानों को किये गये भूमि आबंटन की सूची ग्रामवार मय रकबे के संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों में वर्ष 1999 में उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा तहसील नीमकाथाना क्षेत्र में उक्त आबंटन/नियमन के साथ-साथ सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई गई। जिसमें आबंटन/नियमन अवैध पाए जाने पर 884 प्रकरणों को निरस्त कराने के सम्बन्ध में भू-आबंटन नियम, 14(4) के अन्तर्गत तहसीलदार, नीमकाथाना को निरस्तीकरण हेतु निर्देश दिये गए। जिसमें तहसीलदार द्वारा 884 प्रकरण भू-आबंटन/नियमन को निरस्त कराने हेतु जिला कलक्टर, सीकर के न्यायालय में प्रस्तुत किये गए। आदिनांक तक 816 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर आबंटन/नियमन निरस्त किये जा चुके हैं। शेष 68 प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में होने के कारण शेष हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों का निस्तारण

72. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में कितने वाद विचाराधीन हैं?

(2) क्या किसी भी राजस्व वाद को अन्तिम रूप से निर्णीत करने की कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? क्या सरकार उक्त वादों के निपटारे हेतु समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दिनांक 31.12.2001 को राज्य के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में 2,41,636 वाद लम्बित थे।

(2) राजस्व वादों का त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। परिपत्र दिनांक 8.8.2002 के द्वारा समस्त राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि अप्रैल, 1996 से पूर्व के लम्बित समस्त राजस्व प्रकरणों का दिनांक 31.3.2003 तक शत-प्रतिशत निस्तारण किया जावें साथ ही अप्रैल, 1996 से मार्च, 1998 के मध्य दर्ज राजस्व प्रकरणों का 50 प्रतिशत निस्तारण भी 31.3.2003 तक किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

तहसील हिण्डौन (करौली) के ग्रामों की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

73. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील हिण्डौन (करौली) के ग्रामों में कितनी-कितनी चरागाह भूमि है? ग्रामों की सूची मय खसरा नम्बरों सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील के ग्रामों की चरागाह भूमि पर किन-किन व्यक्तियों के कब्जे हैं? क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) तहसील हिण्डौन जिला करौली के 106 ग्रामों में कुल 3176 खसरा नम्बरों में 4989 हैक्टेयर चरागाह भूमि हैं। खसरा नम्बर वार सूची तैयार करवाई जा रही है।

(2) तहसील हिण्डौन में सम्वत् 2058 में 1761 व्यक्तियों ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिन्हें नियमानुसार धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही कर बेदखल के आदेश दिये जा चुके हैं। इस वर्ष सम्वत् 2059 में बरसात के अभाव से कोई अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी हैं।

भू-प्रबन्ध कार्यालय अलवर में पदस्थापित निरीक्षक एवं अमीन के विरुद्ध जांच

74. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) एवं श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अगस्त, 1999 को आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग ने जिला अलवर के काश्तकार से प्राप्त शिकायत पर वहां कार्यरत दो कर्मचारियों की भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर से जांच कराई गई? यदि हां, तो भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच के समय भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा भू-प्रबन्ध, राजस्व, पुलिस विभाग के तथा काश्तकार व अन्य किन-किन गवाहों के बयान लिये गये? उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन आयुक्त भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा जिला कलक्टर, अलवर को लिखे गये उनके अर्द्धशासकीय पत्रांक : एफ.1(भू.आ.)/एस.पी./99/1748 एवं 1749 दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 जिसकी प्रति सम्बन्धित काश्तकार को भी भेजी गई, में उक्त दोनों कर्मचारियों को दोषी माना गया? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल चौहान)

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में कार्यरत आयुक्त ने विभागीय जांच में उक्त दोषी निरीक्षक व अमीन को निर्दोष माना है? यदि हां, तो किस आधार पर? उक्त विभागीय जांच में आयुक्त कार्यालय स्तर पर किन-किन के बयान दर्ज किये गए? दर्ज किये गये बयानों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि काश्तकार द्वारा उक्त अनियमितता व काश्तकार द्वारा जमा कराया गया शुल्क उसे नहीं लौटाने की कई शिकायतें सरकार को भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों? काश्तकार के पास सीमाज्ञान कराये जाने वाली खसरा नम्बर, (171, 186 व 180) की भूमि ही काश्तकार के पास गलत रिपोर्ट देने के पश्चात् नहीं रहने पर विभाग किस भूमि का सीमाज्ञान कराने हेतु शुल्क वापस नहीं लौटा रहा और राजस्व विभाग को सीमाज्ञान हेतु लिख रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त कर्मियों के सम्बन्ध में अब पुन: जांच कराकर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार उक्त प्रत्यक्ष दोषी पाये जाने वाले कर्मियों के मामले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को जांच हेतु भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जांच के समय जांच अधिकारी सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी कार्यालय अलवर के श्री जयराम शर्मा क.लि., श्री रामकिशन शर्मा, निरीक्षक श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, भू-मापक तथा राजस्व तहसील के पटवारी श्री नारायण एवं कानूनगो श्री फूलसिंह तहसील मुण्डावर तथा शिकायतकर्त्ता श्री रतनसिंह यादव अध्यापक के बयान लिये गए। बयानों की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) तत्कालीन आयुक्त, द्वारा पत्र संख्या 1747-49 दिनांक 29.10.1999 को जिला कलक्टर, अलवर को लिखा गया। उक्त पत्र में भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का हवाला अंकित किया गया है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) दोषी कार्मिकों को प्रथमत: कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसका प्रति उत्तर आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग को प्राप्त हो गया है। प्रति उत्तर के परीक्षण पश्चात् विभागीय जांच कार्यवाही किए जाने सम्बन्धी निर्णय आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग के स्तर पर विचाराधीन है। चूंकि विभागीय जांच में अभी तक किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है, अत: बयान आदि, लिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(राजस्व मंत्री)

(5) आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग को अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई। जिसके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण प्रश्न के भाग 1 व 4 में दिया गया है। काश्तकार द्वारा जमा कराई गई राशि को लौटाने हेतु भू-प्रबन्ध विभाग को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। काश्तकार से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(6) कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध आयुक्त के स्तर पर विचाराधीन हैं।

(7) जी, नहीं। जांच कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के स्तर पर विचाराधीन है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ (अलवर) में लम्बित प्रार्थना-पत्र

75. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार ने विधवा, नि:सहाय के मामले शीघ्र निपटाने के राजस्व विभाग को निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़, जिला अलवर के यहां कितनी विधवाओं के खातेदारी तकास्मा (भाई बंटवारे) के प्रार्थना पत्र जनवरी, 2000 से पूर्व के लम्बित हैं? विधवा का नाम व पता, प्रार्थना-पत्र/वाद प्राप्त होने की तिथि, उक्त प्रकरण में दी गई तारीखें तथा उक्त तिथियों को उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रार्थना-पत्रों पर सरकार के निर्देशों के बावजूद अब तक निपटारा नहीं होने के क्या कारण हैं? उक्त वादों का अब कब तक निस्तारण कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के यहां विधवाओं के जनवरी, 2000 से पूर्व का एक प्रकरण न्यायालय में भाई बंटवारे का लम्बित है। मु. सरली बेवा गनीराम यादव सा. मण्डाला तहसील बहरोड़ वाद पत्र सं. 166 दिनांक 16.8.1999 व प्रार्थना-पत्र सं. 125 दिनांक 16.8.1999 प्रकरण में दिनांक 30.5.2002 से वादी साक्ष्य को समय चाहा है। जिसमें दिनांक 21.7.2002 को वादनी द्वारा पी.डब्ल्यू-1 भगवान के बयान कराए हैं। शेष साक्ष्य हेतु वादी द्वारा और समय चाहा गया है। दिनांक 1.8.2002 को कार्य स्थगित होने की वजह से दिनांक 21.8.2002 तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 21.8.2002 को भी वादनी मु. सारली द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई व दिनांक 11.9.2002 तक का समय चाहा है।

(3) उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ ने अवगत कराया है कि वादी द्वारा बार-बार साक्ष्य हेतु समय चाहा जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में आबंटन योग्य भूमि

76. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार ने निर्धन व्यक्तियों को कितनी भूमि आबंटित की और इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

(2) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में गत तीन वर्षों में किन–किन गांवों में भूमि आबंटित की गई? क्या आबंटित भूमि पर आबंटियों को कब्जा दिला दिया गया?

(3) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर की किस–किस पंचायत में कितनी–कितनी भूमि अब भी आबंटन योग्य है?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को 85187 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया है तथा इससे 63462 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में गत तीन वर्षों में 62 गांवों में भूमि आबंटित की गई। आबंटित भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है। ग्रामवाइज सूची संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में निम्न प्रकार पंचायतवार भूमि उपलब्ध है :–

क्र. सं.	पंचायत का नाम	उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1.	कूण्डेरा	6
2.	बाडोलारा	109
3.	जडवाडा कलां	37
4.	लोरवाडा	18
5.	भदलाव	52
6.	श्यामपुरा	13
7.	ओलवाडा	84
8.	शेरपुर	7
9.	खटूपुरा	3
10.	करमोदा	10
11.	आटूना कला	35
12.	हथलोडी	83
13.	बडा गांव सरवर	3
14.	बासटोरडा	19
15.	भाडोती	238
16.	गम्भीरा	42
17.	भूखा	26
18.	कूण्डल लीजदी	47
19.	जोलन्दा	37
20.	खिरनी	36
21.	तारनपुर	28
22.	बिच्छीदोना	29
23.	चक बिलोली	206
24.	गक सूदनपुरा	46
25.	सांकडा	230

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर में कार्यरत कर्मियों के स्थानान्तरण

77. **श्री नाथूराम** (किशनगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला उदयपुर के जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर के अधीन कार्यरत 15 वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित सभी कर्मचारियों के स्थानान्तरण कर दिये गए हैं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो इनमें से किस-किस के स्थानान्तरण किये गए हैं एवं किस-किस के नहीं? स्थानान्तरण के आदेशों की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यालय में लम्बे समय से कार्यरत कर्मियों के अब तक स्थानान्तरण नहीं करने के लिए सरकार किसे दोषी मानती है? क्या उक्त के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त में से कुछ कर्मचारियों के स्थानान्तरण जिला मुख्यालय पर एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिये गए हैं? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक उक्त सभी कर्मचारियों के स्थानान्तरण जिला मुख्यालय से बाहर कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर, उदयपुर के अधीन 15 वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित 51 कर्मचारियों में से 20 कर्मचारियों के स्थानान्तरण जिला कलक्टर उदयपुर के द्वारा किये जा चुके हैं, शेष कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं किये गये हैं। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट 1, 2 व 3)

(2) लम्बे समय से पदस्थापित शेष कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने के निर्देश जिला कलक्टर को दे दिये गये हैं।

(3) यह सही है कि कुछ कार्मिकों के स्थानान्तरण जिला मुख्यालय पर ही अन्य स्थान पर किये गए हैं। इनके स्थानान्तरण करने के लिए भी जिला कलक्टर को लिखा जा रहा है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसीलदार आमेर (जयपुर) द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रकरण

78. **श्री नारायण सिंह** (दांतारामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बावड़ी गोपीनाथ तहसील चौमूं जिला जयपुर के खसरा नम्बर 300 से 304 रकबा 602 बीघा 18 बिस्वा का पर्चा लगान सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी आमेर ने दिनांक 10.7.1953 जारी किया? क्या उक्त को राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 25.1.1957 के द्वारा यथावत रखा?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य

(श्री नारायण सिंह)

सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प. 3(63) राजस्व ग्रुप-1/95 दिनांक 16.12.1995 व राजस्व ग्रुप-6(139) 3/95 दिनांक 21.5.1996 प्रेषित जिला कलक्टर, जयपुर व जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक राजस्व 3(53) 93/831 व 832 दिनांक 20.1.1996 प्रेषित उपखण्ड अधिकारी, आमेर व तहसीलदार, चौमूं के अनुसार नामान्तरण संख्या 27, 28, 29, 30 ग्राम बावड़ी गोपीनाथ तहसील चौमूं रेफरेंस न कर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का आदेश दिया?

(3) क्या यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर ने उच्च न्यायालय में राज्य सरकार बनाम गोविन्द लाल देव व राजस्व मण्डल व अन्य के विरुद्ध उच्च न्यायालय बैंच, जयपुर में संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत याचिका संख्या 403/97 पेश की और जो एडमिशन में ही दिनांक 29.1.1997 को खारिज कर दी गई? यदि हां, तो रिट का फैसला रिट के मीमों सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि याचिका खारिज होने के बाद राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.12.1995 व 21.5.1996 तथा न्यायायिक निर्णयों की अनदेखी कर सहायक कलक्टर, चौमूं ने एक नुमायसी दावा इस्तकरार हक तहसीलदार, चौमूं ने राज्य सरकार बनाम मुरली वगैरह पेश किया जो विचाराधीन है?

(5) क्या यह सही है कि तहसीलदार, चौमूं व तहसील चौमूं में कार्यरत पटवारी ने उक्त प्रकरण में नियमित वाद के लम्बित होने के बावजूद न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत पांच रेफरेंस पेश कर काश्तकारों को मुकदमे बाजी में फंसा दिया? यदि हां, तो उक्त झूठे मुकदमे कब तक वापस उठा लिए जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि उक्त कर्मियों की पीड़ित पक्षकार ने शिकायत सरकार व राजस्व मण्डल में की है? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, नहीं। उक्त ग्राम में स्थित भूमि कुल किता 30 रकबा 721 बीघा 14 बिस्वा भूमि का पर्चा गोस्वामी गोविन्द लाल देव को जारी किया गया। इसके पश्चात् ए.एस.ओ. के निर्णय दिनांक 30.4.1955 के द्वारा खसरा नम्बर 300 से 304 रकबा 602 बीघा 18 बिस्वा भूमि गोस्वामी गोविन्द लाल देव के नाम से निरस्त कर मकबूजा ठिकाना मन्दिर श्री गोपीनाथ जी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस निर्णय को भू-प्रबन्ध आयुक्त द्वारा बहाल रखे जाने के विरुद्ध गोविन्द लाल देव द्वारा राजस्व मण्डल में की गई अपील में निर्णय दिनांक 25.1.1957 में ए.एस.ओ. के निर्णय दिनांक 10.7.1953 को बहाल रखा गया।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। याचिका के फैसले के प्रति संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(4) जी, हां। यह सही है कि याचिका खारिज होने के बाद राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.12.1995 व 21.5.1996 के पश्चात् न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं से राज्य सरकार बनाम मुरली बगै. वाद पेश किया जो विचाराधीन है। किन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट दिनांक 29.1.1997 को खारिज होने के पश्चात् अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता द्वारा रिट के निर्णय की प्रति के साथ अपनी राय व्यक्त की गई थी कि इस प्रकरण में नियमित वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः राज्य हित में न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं के यहां वाद प्रस्तुत करने हेतु जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा तहसीलदार, चौमूं को आदेश दिये गये। इस वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है।

(5) यह सही नहीं है कि रेफरेंस कार्यवाही काश्तकारों को मुकदमें में फंसाने के लिए की गई है। अपितु सत्य यह है कि भू-प्रबन्ध आयुक्त के पत्रांक भू.प्र.आ./समू/ सामान्य/9/12/9/2/87/1778 दिनांक 15.6.1989 में प्रश्नागत/विवादित भूमि को मकबूजा सरकार सिवाय चक भूमि माना है। क्योंकि उक्त भूमि जागीरदार की खुदकाश्त भूमि में शामिल नहीं थी, जिसका नियम विरुद्ध बेचान होने पर खोले गए नामान्तरकरण संख्या 27, 28, 29, 30 के विरुद्ध राज्य सरकार की सम्पत्ति को नुकसान से रोके जाने हेतु धारा 82 के अन्तर्गत निदेशन (रेफरेंस) करने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर के यहां एक रेफरेंस संख्या 168/89 प्रस्तुत किया गया था इस रेफरेंस के निर्णय दिनांक 17.11.1992 में यह अंकित किया गया कि प्रत्येक नामान्तरकरण का पृथक्-पृथक् रेफरेंस किया जावे। इसके पश्चात् भू-प्रबन्ध आयुक्त द्वारा अपने पत्र क्रमांक 4243 दिनांक 2.11.1993 के द्वारा पुनः लिखा गया कि मण्डल का निर्णय गोस्वामी श्री गोविन्द लाल देव एवं ठिकाना श्री मन्दिर गोपीनाथ के मध्य किया गया। जिसमें राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि भूमि राज्य सरकार में निहीत थी। अतः राज्य की अचल भू-सम्पदा को बचाने हेतु धारा 82 में रेफरेंस करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया। इसके अलावा राजस्व विभाग के पत्रांक प/पी.एस./पी.आर.एस./ 95/177 दिनांक 17.4.1995 के द्वारा उपरोक्त संदर्भ में भूमि का नाजायत हस्तान्तरण व राजहित में निहित होने के कारण समस्त प्रकरण का पुनरावलोकन कर रेफरेंस करने के निर्देश दिये। अतः अतिरिक्त कलक्टर के निर्णय दिनांक 17.11.1992 की पालना के बाद जांच एवं राजस्व रेकार्ड की प्राप्ति पर तहसीलदार चौमूं के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के यहां उक्त चार नामान्तरकरणों के विरुद्ध चार रेफरेंस प्रस्तुत किये गये, जब कि एक अन्य रेफरेंस श्री तेजपाल वगैरह के विरुद्ध अन्य भूमि रकबा 17 बीघा के मामले में किया गया। इस प्रकार नियमित वाद एवं रेफरेंस

(राजस्व मंत्री)

कार्यवाही राजकीय हित में राजकीय सम्पत्ति को बचाने की दृष्टि से की गई है। अतः राज्य हित में प्रस्तुत वाद/रेफरेंस वापस लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

(6) यह सही है कि पीड़ित पक्षकार द्वारा सरकार (माननीय राजस्व मंत्री महोदया) को शिकायत की गई है। जिसकी जांच सम्भागीय आयुक्त द्वारा की जा रही है। जांच के पश्चात् ही निर्णय सम्भव होगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

ग्राम सावंतसर (अजमेर) की भूमि पर अतिक्रमण

79. **श्री नाथूराम (किशनगढ़):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सांवतसर तहसील, किशनगढ़, जिला अजमेर में खसरा नम्बर-607 की भूमि पर पी.टी. एस., किशनगढ़ द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर?

(2) क्या उक्त अतिक्रमण के बारे में क्षेत्रीय विधायक द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत शिकायत की गई थी? यदि हां, तो कब-कब?

(3) क्या उक्त शिकायतों की जांच किये जाने पर पी.टी.एस. के द्वारा किया गया अतिक्रमण सही पाया गया है?

(4) क्या सरकार उक्त भूमि पर से अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) अब उक्त अतिक्रमण कब तक हटा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी, हां। पी.टी.एस. द्वारा तारबन्दी कर खातेदार भंवर लाल पुत्र प्रभुलाल, जसोदा देवी पत्नी भंवरलाल, बालू पुत्र नारायण कुम्हार व भंवर लाल पुत्र अर्जुन जाट की खातेदारी भूमि 1 बीघा 11 बिस्वा पर कब्जा किया हुआ है।

(2) जी, हां। क्षेत्रीय विधायक द्वारा दिनांक 19.6.2001 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय को शिकायत प्रस्तुत की गई थी।

(3) जी, हां।

(4) यह प्रकरण खातेदारी की भूमि व पुलिस विभाग से सम्बन्धित है। राजस्व विभाग से यह सम्बन्धित नहीं है।

(5) उपरोक्तानुसार।

प्रश्न संख्या-80
(स्थगित)

जिला बाड़मेर में टीबा स्थिरीकरण कार्य

81. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):** क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1). गत पांच वर्षों में जिला बाड़मेर में वन विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय की गई? उक्त राशि से उक्त जिले में वन विकास

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

का किन-किन स्थानों में क्या-क्या कार्य हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) टीबा स्थिरीकरण का कार्य कहां-कहां किया गया और उससे मरूस्थल को रोकने में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में इस वर्ष जून एवं जुलाई माह में रेत की आंधियां चलीं तथा सड़क मार्ग रुक गये और टीबा स्थिरीकरण का कोई लाभ नहीं हुआ?

(4) क्या बाड़मेर शहर में भी वन विभाग ने कार्य किया, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में जिला बाड़मेर में वन विभाग द्वारा वानिकी विकास कार्यों पर कुल राशि रुपये 1540.55 लाख व्यय की गई है। वन विभाग द्वारा विभिन्न वानिकी योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की गई राशि से सम्पादित कराये गये कार्यों की किस्म एवं स्थलों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जिला बाड़मेर में गत पांच वर्षों में जहां टीबा स्थिरीकरण कार्य कराये गये उनका स्थलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाया गया है। इन कराये गये टीबा स्थरीकरण कार्यों से टीबे वनस्पति से अच्छादित हो गए हैं तथा चलायमान टीबों की सक्रियता में अत्यधिक कमी आई है। इस प्रकार टीबा स्थरीकरण कार्य मरूस्थल के प्रसार को रोकने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

(3) यह सही है कि इस वर्ष जून एवं जुलाई माह में रेत की आंधियां चली तथा कुछ स्थानों पर मार्ग भी अवरुद्ध हुए। किन्तु टीबा स्थिरीकरण से कोई लाभ नहीं हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। वस्तुस्थिति यह है कि बाड़मेर का भौगोलिक क्षेत्रफल 28387 वर्ग किलोमीटर है जिससे वन/राजस्व/निजी खातेदारी, गोचर, ओरण, आबादी भूमि आदि सभी प्रकार के भू-भाग पर चलायमान टीबे फैले हुए हैं। वन विभाग द्वारा वन भूमि एवं पंचायतों द्वारा अनुबन्ध के तहत विभाग को सौंपी गई मात्र 36.15 वर्ग किलोमीटर भूमि पर ही टीबा स्थिरीकरण के कार्य कराये गए हैं जो जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 0.12 प्रतिशत है। अतः जब एक विस्तृत भू-भाग पर टीबा स्थिरीकरण कार्य हुए ही नहीं हैं तो रेत की आंधियों को किये गये कार्यों की असफलता मानना उचित नहीं होगा।

(4) बाड़मेर शहर में बी.ए.डी.पी. योजना के अन्तर्गत वानिकी विकास के कार्य किये गए हैं। इसके अन्तर्गत जिला कलक्ट्रेट परिसर में एवं जिला कलक्टर आवास स्थान से विद्युत विभाग कार्यालय तक सड़क के किनारे पौधे लगाये गए हैं जिनका परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

शिक्षकों को केन्द्र के समान वेतनमान

82. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि शिक्षक संघों से दिनांक 29.4.1998 को किये गये समझौते के अनुसरण में दिनांक 1.7.1998 से शिक्षकों के वेतनमान केन्द्र के अधीन शिक्षकों के समान कर उच्चतर वेतनमान वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान स्वीकार किए गये हैं? यदि हां, तो समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या केन्द्र सरकार ने वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित वेतनमान दिनांक 1.7.1998 से परिवर्तन कर दिया है? यदि हां, तो समझौते के अनुरूप राज्य में इसे लागू न किये जाने के क्या कारण हैं? अब इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) शिक्षक संघों से दिनांक 29.4.1998 को हुए समझौते के अनुसार वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.16(5) एफडी/नियम 98 दिनांक 7.8.1998 द्वारा दिनांक 1.7.1998 से प्रारम्भिक, वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान केन्द्र के समान स्वीकृत किये जा चुके हैं।

दिनांक 24.4.1998 को हुए समझौते की प्रति परिशिष्ट ''क'' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। शिक्षक संघों से हुए समझौते के अनुसार आदेश जारी किए जा चुके है। अब पुनः वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित वेतनमान दिये जाने का कोई समझौता नहीं हुआ है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

अंग्रेजी विषय के अध्यापकों की नियुक्ति

83. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत तीन वर्षों में अंग्रेजी द्वितीय श्रेणी (5500-10050) अध्यापकों के पद पर कब-कब नियुक्तियां दी गईं? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त नियुक्तियों में समस्त वर्गों (सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला वर्ग) को दी गई नियुक्ति की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार हरियाणा प्रदेश में बी.ए. उत्तीर्ण जो कि अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में उत्तीर्ण करते हैं, को अंग्रेजी ऐच्छिक के समकक्ष मानती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी अध्यापकों की आगामी नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने का विचार है? यदि हां, तो आगामी नियुक्तियों के लिए बनाये गए नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल चौहान)

(4) उक्त नियुक्तियां अब किस माध्यम/विभाग के द्वारा कराने का विचार है? भर्ती प्रक्रिया के नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 में अंग्रेजी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्तियां प्रदान की गई है। वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में अंग्रेजी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्तियां नहीं दी गई है। नियुक्ति हेतु निर्मित वरीयता सूचियां अत्यधिक मात्रा में होने के कारण व व्यय एवं श्रमसाध्य होने के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी, नहीं। राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम, 1971 के प्रावधानानुसार स्नातक परीक्षा में अंग्रेजी ऐच्छिक विषय होना अनिवार्य है। अतः अंग्रेजी ऐच्छिक विषय लेकर उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति पाने का हकदार है।

(3) जी, हां। चूंकि वरिष्ठ अध्यापक का वेतनमान 5500-9000 शृंखला का होने के कारण यह पद राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) नियम एवं विनियमन के प्रावधानों के अधीन आयोग के क्षेत्राधिकार में आने के फलस्वरूप वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्ति आयोग के माध्यम से करवाई जाएंगी। इस सम्बन्ध में कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट ''क'')

(4) द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्तियां शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी। भर्ती राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार ही की जावेंगी। नियम पुस्तक के रूप में है जिसके कारण अत्यधिक श्रम व व्यय साध्य होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं होगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

अलवर में स्वयंपाठी छात्रों द्वारा की गई अनियमितताएं

84. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) **:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित वर्ष 1999-2000 (अर्थात् सन् 2000) में स्वयंपाठी (प्राइवेट) छात्र के रूप में बैठे कुछ छात्रों के स्थान पर उसके आवेदन-पत्र में दूसरे व्यक्ति के फोटो लगाकर परीक्षा में बैठना व परीक्षा उत्तीर्ण करने के मामले की बोर्ड को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई? उक्त वर्ष माध्यमिक परीक्षा में अलवर से स्वयंपाठी रूप में बैठे नामांक 733846 के छात्र के परीक्षा आवेदन पत्र व उक्त पर लगे छात्र के फोटो की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। ऐसे आठ परीक्षार्थियों के प्रकरण रजिस्टर्ड किये गए हैं जिनकी वर्तमान परीक्षा निरस्त कर उन्हें सन् 2002 तक की बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ठ होने से वंचित किया गया है। स्वयंपाठी छात्र नामांक-733846 का आवेदन पत्र संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम) अलवर को प्राप्त स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही

85. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम), अलवर को दिनांक 1 जून, 2002 से 31 जुलाई, 2002 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं प्रयोगशाला सेवकों के रिक्त पदों के विरुद्ध स्थानान्तरण सम्बन्धित कितने व किस-किस के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लम्बित स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी-प्रथम, अलवर को दिनांक 1 जून, 2002 से 31 जुलाई, 2002 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु 36 एवं प्रयोगशाला सेवक के 09 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त अवधि में स्थानान्तरणों पर रोक होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। रोक हटाये जाने पर रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर आगामी निर्णय लिया जा सकेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत छात्राओं को सहायता

86. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत सत्र 2000-2001 में कितने रुपयों की राहत छात्राओं को दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अंग-भंग होने व पाठ्य सामग्री के क्षतिग्रस्त होने पर भी बीमा योजना के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो ऐसे प्रकरणों में कितने रुपयों की राहत छात्र-छात्राओं को प्राप्त हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 2000-2001 में छात्राओं को 1,30,000 रुपये की राहत दी गई।

(शिक्षा मंत्री)

(2) अंग भंग (शारीरिक क्षति) की अवस्था में छात्रों को भुगतान किया जाता है। किन्तु पाठ्यसामग्री की क्षति होने पर किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जाता है। छात्रों को मात्र बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान प्राप्त होता है जिसके लिए बीमा संविदा होती है, जिसके अन्तर्गत अंग-भंग की स्थिति में भुगतान देय है। किन्तु पाठ्यसामग्री के क्षतिग्रस्त होने पर किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं है। अंग–भंग की स्थिति में वर्ष 2000–2001 में रुपये 500 का भुगतान किया गया है।

साक्षरता कार्यक्रम के पदों पर नियुक्ति में अनियमितताएं

87. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या दिनांक 7, 8 व 9 अप्रैल, 2002 को लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी और डी.पी.ई.पी. के हजारों पदों के लिए वाक इन इन्टरव्यू के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने की प्रक्रिया अपनाई गई थी?

(2) क्या दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में पहले से सेवारत लोगों को ही प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने की शर्त रखी गई थी?

(3) क्या विज्ञप्ति जारी होने के तीन दिन बाद ही दिनांक 3 अप्रैल, 2002 को लोक जुम्बिश कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा एक परिपत्र जारी कर संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को भी साक्षात्कार में सम्मिलित होने योग्य मान लिया?

(4) क्या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उक्त परिपत्र जारी करने से पूर्व सक्षम अधिकारी विकास आयुक्त से स्वीकृति ले ली गई थी? यदि हां, तो कब? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या रेप्सर एक्ट का उल्लंघन करने वाले प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) लागू नहीं।

(5) लागू नहीं।

क्रमोन्नत विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

88. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा कितने विद्यालय क्रमोन्नत किये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने शिक्षक किस–किस श्रेणी के गत जनवरी, 1999 से 10 अगस्त, 2002 तक सेवानिवृत्त हुए तथा

(श्री मदन दिलावर)

कितने स्वर्गवासी हो गये? दोनों की अलग-अलग संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में कितने शिक्षकों/कर्मचारियों के पद सृजित होने चाहिए थे तथा कितने पद किस-किस श्रेणी के सृजित हुए और शेष क्यों सृजित नहीं किये गये?

(4) जनवरी, 1999 से 10 अगस्त, 2002 तक शिक्षा विभाग में किस-किस श्रेणी के शिक्षक कब-कब भर्ती किये गये? उक्त का मूल वेतनमान क्या-क्या है? भर्ती किये गये शिक्षकों व कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में क्रमोन्नत विद्यालयों की संख्या सूची निम्नानुसार है :—

वर्ष	प्रा.वि. से उ.प्रा.वि.	उ.प्रा.वि. से मा.वि.	मा.वि. से उ.मा.वि.
1999-2000	950	400	200
2000-01	950	190	190
2001-02	—	—	—

(2) उक्त विद्यालयों में जनवरी, 1999 से 10 अगस्त, 2002 के मध्य राज्य में सेवानिवृत्त एवं स्वर्गवास हुए लोक सेवकों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

श्रेणी	सेवानिवृत्त	स्वर्गवास
व्याख्याता	111	09
अध्यापक-II	290	100
अध्यापक-III	570	55

(3) प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत मानदण्डानुसार क्रमोन्नति के प्रथम वर्ष में एक द्वितीय श्रेणी प्रधानाध्यापक, एक च.श्रे.क. (अनुबंधित), द्वितीय वर्ष में दो तृतीय श्रेणी अध्यापक तथा तृतीय वर्ष में एक तृतीय श्रेणी के अध्यापक का पद सृजित करने का प्रावधान है। उक्त वर्षों में उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों के लिए बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई नये पद सृजित नहीं किये गये अपितु समानीकरण प्रक्रिया से पद पूर्ति के प्रयास कर अध्ययन अध्यापन सुचारू किया गया।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत क्रमोन्नत विद्यालयों में संवर्गवार सृजित होने वाले पदों व सृजित किये गये पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर सदन की पटल पर रख दिया गया है। उक्त वर्षों में सीमित वित्तीय साधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही नये पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(4) जनवरी, 1999 से 10 अगस्त, 2002 तक विभाग में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की गई नियुक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :—

पद नाम	वेतनमान	संख्या
व्याख्याता	(6,500-10,500)	—
अध्यापक ग्रेड-II	(5,500-9,000)	806
अध्यापक ग्रेड-III	(4,500-7,000)	11275
कनिष्ठ लिपिक	(3,050-4,590)	1771
च.श्रे.क.	(2,550-3,200)	869

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में दोहरे पदों पर रोक

89. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.8(6) शिक्षा-6/98, दिनांक 31 जनवरी, 2001 द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों का कार्य भाषा विभाग को आबंटित कर पदनाम, ''निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग'' किया गया है? यदि हां, तो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सार्वजनिक पुस्तकालयों का भाषा विभाग के अधीन समायोजन के पश्चात् भी उक्त विभाग में दो स्टोर कीपर, दो कैशियर एवं अन्य ऐसे ही कई पद दोहरे रूप में कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में कार्यरत अधिकारी निम्नलिखित हैं :-

1. डा. गजानन्द मिश्र, निदेशक, भाषा विभाग।
2. डा. शकुन्तला गर्ग, उपनिदेशक, भाषा।
3. श्री शिवप्रकाश, विशेषाधिकारी, पुस्तकालय।

(2) जी नहीं।

तकनीकी एवं अभियांत्रिकी पदों में अन्य पिछड़े वर्ग के चयनित अभ्यर्थी

90. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य के तकनीकी एवं अभियांत्रिकी विभाग में अभियंताओं, तकनीकी पदों एवं प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट, ट्रेनिंग के चयन में पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है? यदि हां, तो कब से एवं कितने-कितने प्रतिशत? वर्षवार चयनित व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, जाति, स्थायी पतों, पदनाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

- ❖ जी, हां। तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निदेशालय प्राविधिक शिक्षा तथा स्वायत्तशासी (राज्य सरकार से अनुदानित) इंजीनियरिंग महाविद्यालय आते हैं।
- ❖ निदेशालय प्राविधिक शिक्षा राजस्थान के अन्तर्गत संचालित पॉलीटेकनीक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्तियों हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.9.1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था लागू है।
- ❖ स्वायत्तशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तथा विश्वविद्यालयों के संकाय के

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

रूप में संचालित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में नियुक्तियों हेतु आरक्षण व्यवस्था उनकी शासी परिषद्/ सीनेट में लिये गये निर्णयों के अनुरूप निम्नानुसार लागू की गई है:–

1. मालवीया क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर (केन्द्र एवं राज्य सरकार से अनुदानित) में दिनांक 24.9.1997 से केवल अशैक्षणिक संवर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग के लिए लागू किया गया है।
2. कालेज आफ टेक्नोलोजी एण्ड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, उदयपुर (महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का संकाय) में वर्ष 1995 से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत का आरक्षण लागू किया गया है।
3. एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर (जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर का संकाय) में दिनांक 25.11.1997 से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया।
4. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा में दिनांक 28.9.1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण लागू है।
5. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर में स्थापना वर्ष 1997 तथा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर में स्थापना वर्ष 2000 से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण लागू है।
6. एम.एल.वी. टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट, भीलवाड़ा में दिनांक 28.9.1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण लागू है।
7. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा (राजस्थान प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट) के माध्यम से प्रवेश दिये जाते हैं। प्रवेश हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण लागू है। पॉलीटेकनीक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी वर्ष 1999-2000 से अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण लागू है।

❖ प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के अन्तर्गत नियुक्तियों की वर्षवार सूचना परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है। अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग की नियुक्तियों के सम्बन्ध में वर्षवार सूचना परिशिष्ट-ख पर संलग्न की जा रही है।

(सूचना विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परवन व पार्वती पिक अप वियर बारां की नहरों की मरम्मत व आधुनिकीकरण

91. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बारां की कितनी सिंचाई परियोजनाएं क्यों लम्बित हैं? सरकार ने उक्त को पूर्ण कराने हेतु क्या-क्या प्रयास किये? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त जिले की परवन व पार्वती पिक अप वियर से निकलने वाली नहरों की मरम्मत व आधुनिकीकरण हेतु केन्द्र सरकार ने राशि का आबंटन किया था या स्वीकृति जारी की है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो सरकार उक्त हेतु क्या प्रयास कर रही है?

(3) क्या उक्त राशि का आबंटन या स्वीकृति जारी हो गई? यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या-क्या तैयारियां निर्माण कार्य हेतु पूरी कर ली है? उक्त कार्य कब से प्रारम्भ होगा?

उत्तर

(1) जिला बारां की 2 लघु सिंचाई परियोजनाएं अहमदी एवं नवेली उनके डूब क्षेत्र में वन भूमि आने के कारण वन विभाग द्वारा सहमति के अभाव में लम्बित है। सहमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में संशोधित सूचना मण्डल वन अधिकारी, बारां को दिनांक 30.1.2002 को प्रेषित कर दी गई। प्राप्त आक्षेपों की पूर्ति कर दिनांक 24.5.2002 को मण्डल वन अधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में शीघ्र वन विभाग से सहमति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तरीय प्रयास जारी है।

(2) जी, हां। परवन सिंचाई परियोजना के मरम्मत व आधुनिकीकरण हेतु दिनांक 19.8.2002 को राशि स्वीकृत की गई है। पार्वती पिक अप वियर की नहरों की मरम्मत हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है।

(3) जी, हां। परवन परियोजना का तकनीकी प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, तत्पश्चात् निविदाएं आमंत्रित कर कार्य माह जनवरी, 2003 से प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है।

पंचायत समिति मुख्यालय, बस्सी (जयपुर) के बाजारों की बन्द रोड लाइटें

92. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पंचायत समिति मुख्यालय, बस्सी (जयपुर) के मेन बाजार की रोड लाइटें गत कई माह से बन्द हैं? क्या उक्त के कारण रात के अंधेरे में नागरिकों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो उक्त रोड़ लाइटें कब तक ठीक करवा दी जाएगी?

उत्तर

जी, हां। उक्त कारण से रात के अंधेरे में नागरिकों को आवागमन में असुविधा का सामने करना पड़ता है। बजट की उपलब्धता पर उक्त रोड लाइटें ठीक हो सकेंगी।

पंचायत समिति, मुख्यालय, बस्सी (जयपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कें

93. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मुख्यालय, बस्सी (जयपुर) के मुख्य बाजार की सड़क क्षतिग्रस्त है? क्या उक्त में अनेक स्थानों पर गड्ढे हो गये हैं? क्या उक्त कारण नागरिकों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटना घटित होने का भय हो गया है?

(2) क्या सरकार उक्त गड्ढों की मरम्मत करवाकर नागरिकों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) बजट की उपलब्धता पर उक्त कार्य हो सकेगा।

मन्दिर क्षेत्र श्री मदन मोहनजी, बस्सी (जयपुर) की सफाई व्यवस्था

94. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, मुख्यालय, बस्सी (जयपुर) में मदन मोहनजी के मन्दिर के आस-पास गत कई माह से कूड़े-कचरे के ढेर लगे हुए हैं? क्या उक्त कारण क्षेत्र में बीमारियां फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सफाई व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सफाईकर्मियों की हड़ताल के कारण मदन मोहनजी के मन्दिर के आस-पास का कचरा उठाया नहीं जा सका है।

(2) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बस्सी को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम पंचायत बस्सी की निजी आय से या अन्य स्रोत से कुड़े-कचरे के ढेर को उठवाने की व्यवस्था अविलम्ब करें।

ग्राम साजनबासी (बीकानेर) के वार्ड पंच का निलम्बन

95. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ऊडसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर के ग्राम साजनबासी के वार्ड पंच श्री कोजनाथ के दो से अधिक संतान हैं? यदि हां, तो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

उक्त संतानों ने कब-कब, किस-किस तिथि को जन्म लिया?

(2) क्या उक्त वार्ड पंच के चुनाव के बाद भी संतान हुई है? यदि हां, तो कितनी और उनके क्या-क्या नाम हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी वार्ड पंच को अयोग्य करार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त बच्चों का जन्म रजिस्टर में पंजीयन नहीं होने के कारण इनकी जन्म तिथि बताया जाना तो सम्भव नहीं है लेकिन संतानों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. निरमा	पुत्री	4 वर्ष
2. चन्द्रकला	पुत्री	2 वर्ष
3. पवन	पुत्र	2 माह

(2) जी, हां। उक्त वार्ड पंच के चुनाव के बाद तीसरी संतान एक बच्चे का जन्म हुआ है। इस बच्चें का नाम पवन है।

(3) जी, हां। उक्त वार्ड पंच श्री कोजनाथ के दो से अधिक संतान सम्बन्धी प्रकरण कार्यवाही हेतु सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर के यहां लम्बित है, जिसके शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम पंचायत, ऊडसर (बीकानेर) के राहत कार्यों का भुगतान

96. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर, तहसील नोखा की ग्राम पंचायत ऊडसर के सरपंच ने जनवरी, 2000 से जुलाई, 2002 तक कितने-कितने कार्य कौन-कौनसी योजनाओं के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि के कब-कब किन-किन व्यक्तियों से कितनी-कितनी समयावधि में करवाए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच ने उक्त पंचायत के ग्राम साजनबासी में तलाई खुदाई का कार्य कराया है? उक्त तलाई कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा उक्त कार्य में कितने-कितने मजदूर लगाये जाने थे और उक्त में किन-किन व्यक्तियों को काम पर लगाया गया एवं उक्त को किस दर से कुल कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य पर जिन मजदूरों को लगाया गया था उनके फर्जी हस्ताक्षर करके ग्राम पंचायत ऊडसर के सरपंच ने भुगतान उठा लिया और अभी तक भी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है? क्या उक्त सम्बन्धी शिकायत जिला कलक्टर, बीकानेर को की

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

गई है? यदि हां, तो कब और उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? मस्टररोल की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच ने साजनबासी से जसरासर तक सड़क निर्माण कार्य कराया है? यदि हां, तो कब से कब तक और उक्त निर्माण कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई है?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर सड़क निर्माण सामग्री ही नहीं डाली गई है? क्या बिना सामग्री डाले ही सरपंच ने उक्त का भुगतान उठा लिया है? क्या उक्त के सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त सम्बन्ध में फैक्स द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को शिकायत की गई है? यदि हां, तो कब और उक्त सम्बन्धी जांच कब तक करा ली जावेगी?

(6) क्या उक्त सरपंच ने गरीब व्यक्तियों के नाम से मकान बनाने की राशि स्वीकृत कराकर स्वयं ने उसका भुगतान उठा लिया है? क्या उक्त व्यक्ति ने उक्त राशि का भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को अभी तक नहीं किया और उक्त राशि का सरपंच ने गबन कर लिया है?

(7) क्या उक्त सम्बन्ध में जिला कलक्टर, बीकानेर को लिखित में शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब और उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

(8) क्या सरकार सरपंच, ग्राम पंचायत ऊडसर के द्वारा की गई उक्त अनियमितताओं की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(9) अब उक्त प्रकरणों की कब तक जांच कराकर दोषी सरपंच को दण्डित किया जावेगा?

उत्तर

(1) तहसील नोखा के ग्राम पंचायत, ऊडसर के सरपंच द्वारा जनवरी, 2000 से जुलाई, 2002 तक कराए गए कार्यों का पूर्ण विवरण संलग्न है।

(2) जी, हां। उक्त तलाई खुदाई कार्य हेतु 3 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी। कार्य पर कितने मजदूर लगाए गए तथा किस-किस दर पर भुगतान कितनी राशि का किया गया से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

(3) उक्त कार्य के सम्बन्ध में शिकायत जिला कलक्टर, बीकानेर को की गयी, प्राप्त इस शिकायत की जांच उप खण्ड अधिकारी नोखा द्वारा किये जाने पर आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये हैं। मस्टररोल उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी प्रति उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी, हां। उक्त सड़क निर्माण कार्य 24.4.2001 से 30.6.2001 तक की अवधि में करवाया गया तथा इस कार्य पर 4,98,077/- रुपये व्यय किये गये हैं।

(पंचायती राज मंत्री)

(5) उक्त सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, बीकानेर द्वारा की जा रही है। जांच शीघ्र पूर्ण कर ली जावेगी।

(6) जी, नहीं। उप खण्ड अधिकारी, नोखा से जांच करवाए जाने पर उक्त तथ्य सही नहीं पाये गये हैं।

(7) जी, हां। प्राप्त उक्त शिकायत की जांच उप खण्ड अधिकारी, नोखा से करवाई गई थी। आरोप प्रमाणित नहीं होने पर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।

(8) उक्त सरपंच ऊडसर के विरुद्ध गरीब व्यक्तियों के नाम से मकान बनाने हेतु स्वीकृत राशि का गबन करने एवं साजनबासी तलाई खुदाई कार्य में अनियमितता बरतने सम्बन्धी शिकायत की जांच उप खण्ड अधिकारी नोखा से करवायी गयी थी तथा आरोप प्रमाणित नहीं पाए गये हैं। सड़क निर्माण साजनबासी से जसरासर की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् द्वारा की जा रही है।

(9) उक्त लम्बित जांच को शीघ्र पूर्ण कराकर आरोप प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही कर ली जाएगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला नागौर में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रकरण

97. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत होकर पी.पी.ओ. जारी करने के बाद भी उन्हें पेंशन नहीं दी गई? ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी हैं? पंचायत समिति, कुचामन में ग्रामीण व नगरपालिका क्षेत्र के ऐसे कितने लोग हैं जिनकी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकार होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसे लोगों को अन्य किसी प्रकार की पेंशन का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो उक्त में से कितने लोगों को क्या लाभ दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या केन्द्र सरकार की अन्नपूर्णा योजना राज्य में अप्रैल, 2000 से प्रारम्भ कर दी गई है? क्या उक्त अन्नपूर्णा योजना के निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत ऐसे लोगों को जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था व राज्य वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, को 10 किलो गेहूं नि:शुल्क देने का प्रावधान है? क्या क्रमांक 1 में वर्णित सूची के लोगों को अन्नपूर्णा योजना का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो उन्हें कब-कब, कितना-कितना गेहूं नि:शुल्क दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में पी.पी.ओ. जारी होने के बाद भी पेंशन नहीं दी गई, ऐसे लोगों की संख्या 10,135 है। पंचायत समिति, कुचामन में ग्रामीण व नगरपालिका क्षेत्र के ऐसे लोगों की संख्या 109 है। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) ऐसे लोगों को अन्य किसी प्रकार की पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है।

(3) जी, हां। यह सही है कि केन्द्र सरकार की अन्नपूर्णा योजना राज्य में अप्रैल, 2000 से प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे लोगों को जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था एवं राज्य वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है को 10 किलो गेहूं निःशुल्क देने का प्रावधान है।

क्रमांक 1 में वर्णित सूची यानी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत होकर पीपीओ जारी करने के बाद भी उन्हें पेंशन नहीं दी गयी है की सूची कुचामन नगरपालिका एवं पंचायत समिति की सूची में से 29 को अन्नपूर्णा योजना अन्तर्गत प्रतिमाह 10 किलोग्राम के हिसाब से गेहूं उपलब्ध कराये जा रहे हैं व सूची के बाकी लोगों को अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं दिया गया है, क्योंकि इनका चयन अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत नहीं किया गया है। उक्त 29 व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला दौसा में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु स्वीकृत छात्रवृत्ति का विवरण

98. श्री अमीन खान (शिव) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत चार वर्षों में जिला दौसा में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई एवं सम्बन्धित विद्यालयों में कब-कब भेजी गई और कब-कब वितरित की गई? वितरित की गई राशि की विद्यालयवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती विद्या मन्दिर, नला दौसा एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भण्डाना, जिला दौसा में उक्त अवधि में कितने छात्रों ने वर्षवार आवेदन किया एवं कितने छात्रों को कब-कब छात्रवृत्ति दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिले की समस्त राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों को गत चार वर्षों में अनुसूचित जाति के छात्रों की स्वीकृति एवं भेजी गई छात्रवृत्ति की राशि की सूचना परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' पर संलग्न है।

(2) माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती विद्या मन्दिर, दौसा के नाम से अराजकीय

(समाज कल्याण मंत्री)

विद्यालय संचालित है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भण्डाना, जिला दौसा एवं उक्त विद्यालय की स्वीकृत, भेजी गई तथा वितरण की गई छात्रवृत्ति की सूचना परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला नागौर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

98. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों व कम्पाउण्डरों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो नागौर जिले में कौन-कौनसे पशु चिकित्सालय में उक्त पद कब-कब से रिक्त हैं?

(2) उक्त पदों को भरने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा कब तक उक्त पद भर दिये जाएंगे?

उत्तर

(1) जी, हां। नागौर जिले में पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों एवं कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों की अवधि सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग को 50 पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं 400 पशुधन सहायकों की नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में पशु चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों के रिक्त पद

100. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में लोगों के गुजारे का मात्र आधार पशुधन है?

(2) क्या पश्चिमी राजस्थान के जिलों में डाक्टरों/कम्पाउण्डरों व अन्य कर्मियों के पद रिक्त रहते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कुल कितने पशु चिकित्सालय एवं सब सेंटर हैं? उक्त में से कितनों में कितने पद कब से रिक्त हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पश्चिमी राजस्थान में लोगों के जीवनयापन का मुख्य आधार पशुधन है।

(2) जी, हां। पश्चिमी राजस्थान सहित राज्य के सभी जिलों में डाक्टरों/कम्पाउण्डरों व अन्य कर्मियों के पद रिक्त हैं। कुल रिक्त पदों के विरुद्ध नवीन भर्ती

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

की स्वीकृति कम पदों हेतु प्राप्त होने के कारण पद रिक्त रहते हैं।

(3) जिला बाड़मेर में 53 पशु चिकित्सालय एवं 42 उप केन्द्र हैं तथा जैसलमेर जिले में 34 पशु चिकित्सालय एवं 16 उप केन्द्र हैं। इस प्रकार दोनों जिलों में 87 पशु चिकित्सालय व 58 उप केन्द्र हैं। रिक्त पदों की पंचायत समितिवार अवधि सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला जैसलमेर के आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था

101. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में अन्य जिलों से गत वर्षों में पशु लाकर आवारा छोड़ दिये जिसकी संख्या पचास हजार है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष बरसात न होने से तथा चरागाहों में घास उपलब्ध न होने तथा मालकाना सम्भाल न होने से उक्त पशु कालग्रस्त हो सकते हैं?

(3) क्या सरकार उक्त पशुओं का सर्वे कराकर एक स्थान पर विभाग या किसी स्वयंसेवी संस्था को सौंपने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। गैर सरकारी संस्था/गौशालाओं द्वारा स्वत: ही आवारा पशुओं की सार सम्भाल की व्यवस्था की जाती है।

आर.डी. 257 पर चक 2 एम.के.डी.ए. (बीकानेर) के बन्द खालों के मोगे

102. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर की चारणवासा ब्रांच की आर.डी. 257 पर चक 2 एम.के.डी.ए. पर खाला बना हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चक में दूसरे किसी विकल्प से सिंचाई नहीं की जा सकती है और काश्तकार सिंचाई से वंचित हैं?

(3) क्या सरकार बने हुए खाले के मोगे को खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ग्रामीण क्षेत्र में वैद्य उप वैद्य रिक्त पद

103. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वैद्यों व उप वैद्यों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कुल कितने पद रिक्त हैं? वैद्य और उप वैद्य की अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वैद्यों और उप वैद्यों के कितने पद सृजित हैं जिनमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने-कितने हैं?

(3) वर्तमान में जो पद रिक्त हैं उन में शहरी क्षेत्रों में कितने पद सृजित हैं? उक्त में से कितने पद रिक्त हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पद सृजित हैं उनमें कितने पद रिक्त हैं?

(4) क्या शहरी क्षेत्र के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों, जबकि शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेद के अलावा अन्य सुविधाएं भी हैं?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत दिनांक 15.8.2002 को आयुर्वेद चिकित्सकों के 422 पद तथा नर्स/कम्पाउण्डर के 459 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की जिलेवार संख्या परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है।

(2) आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सकों के कुल 3650 पद सृजित हैं, जिनमें से 540 पद शहरी क्षेत्र में तथा 3110 पद ग्रामीण में सृजित हैं। विभागान्तर्गत उप वैद्य पदनाम के कोई पद सृजित नहीं है, वरन नर्स/ कम्पाउण्डर के कुल 3980 पद सृजित हैं। इनमें से 998 पद शहरी क्षेत्र में तथा 2982 पद ग्रामीण क्षेत्र में सृजित हैं।

(3) दिनांक 15.8.2002 को जो पद रिक्त थे, उनमें शहरी/ग्रामीण क्षेत्रवार रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

		आयुर्वेद चिकित्सक	नर्स/ कम्पाउण्डर
1.	शहरी क्षेत्र	16	79
2.	ग्रामीण क्षेत्र	406	380
	योग	**422**	**459**

(4) जी, हां। विभागान्तर्गत संचालित आयुर्वेद औषधालयों में से लगभग 94 प्रतिशत औषधालय ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने के कारण रिक्त पदों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होना स्वाभाविक है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

पंचायत समिति, रानी (देसूरी) में आंगनबाड़ी भवनों के लिए स्वीकृत राशि

104. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची की पंचायत समिति, रानी, देसूरी एवं मारवाड़ जंक्शन में किन-किन स्थानों पर कितने आंगनबाड़ी भवनों की कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति हुई? वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में स्वीकृत भवन निर्माण कार्य की कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भवनों की स्वीकृति के विरुद्ध कार्य पूर्ण करवा दिए गए हैं? यदि हां, तो कब? व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से जिन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य पूरा किए जाने के पश्चात् भी राशि का आबंटन नहीं किया जिससे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है? यदि हां, तो कार्य पूर्ण होने की दिनांक तथा राशि आबंटन नहीं किए जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त कार्यो पर कार्यरत श्रमिकों का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची की पंचायत समिति, रानी, देसूरी, मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों पर स्वीकृति की राशि व भवन निर्माण कार्य की कार्यवार वर्षवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) उक्त भवनों की स्वीकृति के विरुद्ध कार्य पूर्ण व व्यय का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर अंकित है।

(3) नियमानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों की अंतिम किस्त का आबंटन होना शेष है, जो निम्न प्रकार है :-

नाम आंगनबाड़ी केन्द्र	राशि (लाखों में)
1. देवली	0.27
2. वासनी	0.38
3. रेडावास	0.22
4. सिवली	0.22
5. गुढ़ा केसरीसिंह	0.22
6. जोजावर	0.22
7. आगदोष	0.22

उक्त आबंटन कार्यकारी संस्था द्वारा राज्य सरकार के निदेशानुसार पीले रंग के बोर्ड, निर्माण स्थल से अवशेष मलबा नहीं हटाया, पूर्ण होने के फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं कराने से अंतिम किस्त हस्तान्तरित नहीं हो सकी है।

कार्यकारी संस्था को प्राप्त 80/ राशि में से उक्त केन्द्रों का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। उक्त शेष राशि का आबंटन कार्यकारी संस्था को उपरोक्त सूचनाएं अभिकरण को प्रेषित करने के पश्चात् कर दिया जावेगा।

(4) सूचना शून्य समझी जावें।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास योजनाएं

105. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में ग्रामीण विकास की समस्त योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की हुई हैं?

(2) क्या कोई प्रान्तीय विकास की योजना भी चल रही है? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रान्तीय योजनाओं में भी बहुत बड़ा अंश केन्द्र सरकार का शामिल है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।

(2) जी, हां। प्रान्त के विकास हेतु शत-प्रतिशत राज्य सहायता से विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एवं डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(3) नहीं, प्रान्तीय योजनाओं के केन्द्र सरकार का कोई अंश सम्मिलित नहीं होता। केवल केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में ही केन्द्र सरकार का अंश सम्मिलित होता है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में केन्द्र एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि परिशिष्ट-1 में दर्शायी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

विश्वविद्यालयों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

106. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता पदों के चयन में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू है? यदि हां, तो कब से व कितने-कितने प्रतिशत और नहीं, तो क्यों? वर्षवार चयनित व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, जाति, स्थायी पता, पदनाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये 21 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान 1995 से प्रोफेसर, रीडर एवं व्याख्याता के पदों के चयन में किया हुआ है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा इसी क्रम में स्टेटयूटस/आर्डिनेंस में संशोधन करके इसे लागू करने की व्यवस्था की जा रही है।

अजमेर विश्वविद्यालय से प्राप्त सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। अन्य विश्व-विद्यालयों में वर्ष 1995 के बाद शैक्षणिक पदों पर चयन की प्रक्रिया नहीं हो सकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति की रिक्त सीटें

107. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) एवं **श्री निर्भय लाल** (रूपवास): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्ध जयपुर के सभी महाविद्यालयों में केन्द्रीय प्रवेश समिति के द्वारा प्रथम वर्ष सभी संकायों में कुल कितने प्रवेश दिए गए हैं? महाविद्यालय सहित तथा वर्ग के अनुसार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्ध जयपुर के महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति की कुल कितनी सीटें आबंटित थी तथा कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान कालेज, महारानी कालेज, महाराजा कालेज, कामर्स कालेज, सुबोध कालेज में मोर्निंग एवं इवनिंग में कुल कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को प्रवेश दिया गया है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति की सीटें रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या समाचार पत्रों में इससे सम्बन्धित सूचना प्रकाशित की है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त सीटों को सामान्य वर्ग से भरा गया है? यदि नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्ध जयपुर के केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों में केन्द्रीयकृत प्रवेश समिति द्वारा प्रथम वर्ष में तीनों संकायों में दिये गये प्रवेशों की महाविद्यालयवार एवं वर्गवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आबंटित सीटें एवं प्रवेशित छात्रों की सूचना भी परिशिष्ट-1 में उपलब्ध है।

(3) महारानी कालेज व महाराजा कालेज में सायंकालीन कक्षाएं नहीं चलती हैं। राजस्थान कालेज, कामर्स कालेज तथा सुबोध कालेज की इवनिंग क्लासेज की सूचना भी परिशिष्ट-1 में उपलब्ध है।

(4) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्त सीटों को पुन: भरने के लिये 17.7.2002 को दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करवायी गयी थी। इसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की खाली सीटों को सामान्य वर्ग में परिवर्तित करने की सूचना भी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायी गई थी तथा परिवर्तित सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिया गया है तथा पुन: काउंसलिंग के समय यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपस्थित हुआ तो उसे प्राथमिकता दी गई।

(सूची विधान सभा में पुस्तकालय में रखी गयी)

राधारमण शिक्षा समिति/अकादमी द्वारा मण्डावर में महाविद्यालय हेतु अनुमति

108. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राधारमण शिक्षा समिति/अकादमी द्वारा मण्डावर में महाविद्यालय की अनुमति हेतु शिक्षा निदेशालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा? उक्त प्रार्थना पत्र पर सरकार द्वारा अब क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? समिति द्वारा महाविद्यालय की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति मय संलग्न प्रपत्रों के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा कौशल्या देवी शिक्षा समिति, मण्डावर, जिला दौसा के नाम महाविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कब व उक्त संस्था के पदाधिकारी कौन-कौन हैं तथा उक्त संस्था किस वर्ष से कार्यरत है? विवरण मय अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संस्था के विधान पत्रों तथा महाविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत प्रपत्रों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.7.2002 के द्वारा कौशल्या देवी शिक्षा समिति, मण्डावर (दौसा) को नवीन महिला महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। (संलग्न परिशिष्ट-1) उक्त संस्था के पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। उक्त संस्था का पंजीकरण रजिस्ट्रार संस्थाएं दौसा द्वारा 8 अप्रैल, 2002 को किया गया है। संस्था के विधान पत्र तथा संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत अन्य प्रपत्रों की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट-3 व 4 पर उपलब्ध हैं।

(सूची/विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जयपुर में स्व विवेक के आधार पर प्रवेश प्रकरण

109. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1998 से जुलाई, 2002 के मध्य एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जयपुर में किस-किस छात्र का दाखिला किया गया और उसका क्या आधार रहा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त किये गये दाखिले में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति ने नियमों व कायदे कानूनों की अनदेखी करते हुए उक्त दाखिले किये? यदि हां, तो क्यों?

(श्री अमराराम चौधरी)

(3) क्या यह भी सही है कि प्रवेश तारीख खतम होने के बाद भी कुछ छात्रों के दाखिले किये गये? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति की स्वैच्छा से प्रवेश देने का कोई नियम बना हुआ है? यदि हां, तो कितनी सीटों पर कुलपति स्वविवेक के आधार पर प्रवेश दे सकता है?

(5) कुलपति ने स्वविवेक के आधार पर वर्ष 1998 से जुलाई, 2002 तक कितने प्रवेश इस कोटे के अन्तर्गत पोद्दार मैनेजमेंट में एम.बी.ए. हेतु दिये?

उत्तर

(1) वर्ष 1998 से जुलाई, 2002 के मध्य एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु पोद्दार इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट जयपुर में प्रवेशित छात्रों की सूची परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु कुल 30 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें से 27 सीटों पर प्रवेश आरमेट परीक्षा के आधार पर किया जाता है। शेष तीन सीटों पर प्रवेश मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पोद्दार ट्रस्ट के द्वारा दी सूची में से कुलपति महोदय के द्वारा स्वविवेक के आधार पर किया जाता है।

एम.बी.ए. (3 वर्षीय एक्जीक्यूटिव पाठ्यक्रम) में कुल 40 सीट निर्धारित हैं, जिनमें से 38 सीटों पर प्रवेश आरमेट परीक्षा के आधार पर किया जाता है। शेष दो सीटों पर प्रवेश पोद्दार ट्रस्ट द्वारा दी गई सूची में से कुलपति महोदय द्वारा स्वविवेक के आधार पर किया जाता है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में दिये गये विवरण के अनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में पोद्दार ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में से कुलपति द्वारा स्वविवेक के आधार पर दिन के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में तीन सीटों पर एवं तीन वर्षीय एग्जीक्यूटिव पाठ्यक्रम में दो सीटों पर प्रवेश दिया जाता है।

(5) बिन्दू संख्या 4 के उत्तर के प्रावधान के अनुसार वर्ष 1998 से 2002 तक कुलपति महोदय द्वारा दिये गये प्रवेशों की सूची भी परिशिष्ट–1 में सम्मिलित हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम कानरपुरा (जयपुर) में आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण

110. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील चौमूं, जिला जयपुर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त केन्द्रों में परिचारिका/सहायिका कौन–कौन हैं? क्या उक्त तहसील के ग्राम कानरपुरा में भी उक्त केन्द्र संचालित हैं? यदि हां, तो कब से?

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन बनाने हेतु ग्राम पंचायत से पट्टा भी प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो कब और उक्त भवन हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई? अब तक उक्त भवन निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा चुकी है तथा क्या प्रस्तावित है जो कब तक की जा सकेगी?

(3) अब उक्त भवन का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) तहसील चौमूं, जिला जयपुर में 210 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है आंगनबाड़ी केन्द्रों पर परिचारिका कार्यरत नहीं होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त तहसील के ग्राम कारनपुरा में एक आंगनबाड़ी केन्द्र दिनांक 14.2.1996 से संचालित हैं।

(2) जी, हां। ग्राम कारनपुरा आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन बनाने हेतु ग्राम पंचायत, घिनोई पं.स. गोविन्दगढ़ (जयपुर) द्वारा दिनांक 8.7.1998 को पट्टा जारी किया जा चुका है। परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु विगत 5 वर्षों में समेकित बाल विकास परियोजना (जनरल) में कोई बजट प्रावधान आबंटित नहीं किया गया है।

(3) भारत सरकार से बजट प्रावधान के पश्चात् ही निर्माण कार्य करवाया जा सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अप्रशिक्षित संस्कृत शिक्षा अध्यापकों के वेतनमान

111. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आदेश संख्या नि. स. शि./पी. एफ. 1111/संस्था-2/21819-968 दिनांक 29 जून, 2002 इस तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त हुए अप्रशिक्षित अध्यापकों पर भी लागू होगा? यदि हां, तो अब तक कितने सेवानिवृत्त अध्यापकों पर भी लागू होगा? यदि हां, तो अब तक कितने सेवानिवृत्त अध्यापकों को उक्त आदेश के अन्तर्गत नियुक्ति तिथि से लाभ दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक लाभ दे दिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण ने भी अपने निर्णय में सरकार को सेवानिवृत्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का आदेश दिया है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल सहरिया)

(4) क्या यह भी सही है कि जिला जयपुर के कतिपय सेवानिवृत्त अप्रशिक्षित अध्यापकों ने चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु राजस्थान सिविल सेवा अपील ट्रिब्यूनल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो किस–किस ने और उक्त में अब तक कितनी तारीख पेशी पड़ चुकी है तथा आगामी पेशी तिथि क्या है?

(5) क्या सरकार ने उक्त सेवानिवृत्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु कोई नीतिगत निर्णय लिया/लेने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

(6) अब उक्त सेवानिवृत्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को चयनित वेतनमान का लाभ कब तक दे दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार के आदेश क्र.प.20(1)/वित्त/नियम/92 दिनांक 12.4.2002 की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। संस्कृत शिक्षा विभाग में अब तक 6 सेवानिवृत्त अध्यापकों को उक्त आदेश के अन्तर्गत नियुक्ति तिथि से लाभ दिया जा चुका है तथा 12 अध्यापकों की नियुक्ति तिथि से 9, 18, 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रकरण इनके सेवा रिकार्ड प्राप्त होने पर प्राथमिकता से निस्तारित कर दिये जायेंगे।

(3) राज्य सरकार द्वारा पालना आदेश दिनांक 12.4.2002 को जारी कर दिये गये हैं, तद्नुसार विभाग द्वारा नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान दिये जा रहे हैं।

(4) जी, हां। जयपुर जिले के 3 सेवानिवृत्त कर्मचारियों 1. श्री रामसुख मीणा, 2. श्री बजरंग लाल, 3. श्री किशन लाल शर्मा के वाद विचाराधीन चल रहे हैं। इसकी प्रथम तिथि दिनांक 21.6.2002 थी तथा आगामी पेशी तिथि 20.9.2002 तीनों ही प्रकरण में हैं।

(5) जी, हां। आदेश दिनांक 12.4.2002 जारी किए जा चुके हैं।

(6) आदेश दिनांक 12.4.2002 के बाद प्रकरणों का निरंतर निस्तारण किया जा रहा है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

उपनिवेशन क्षेत्र में आबंटन राशि पर ब्याज

112. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन क्षेत्र में आबंटित राशि समय पर जमा नहीं

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

कराने पर ब्याज 18 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत पेनल्टी ली जाती है?

(2) क्या यह 24 प्रतिशत ब्याज अन्य व्यावसायिक बैंकों तथा अन्य विभागों के ब्याज रेट से बहुत अधिक है?

(3) क्या सरकार 24 प्रतिशत ब्याज को कम करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इ.गा.न.प. उपनिवेशन क्षेत्र में सामान्य आबंटन में आबंटित भूमि की किस्तें समय पर जमा नहीं कराने पर 18% ब्याज लिया जाता है, तथा जो रकबा किस्तों के अभाव में खारिज किया गया हो, उसको बहाल करने हेतु 18% ब्याज तथा 6% शास्ति सहित कुल 24% ब्याज एवं शास्ति जमा कराकर खारिज रकबा बहाल किया जाता है।

(2) जी, हां।

(3) भूमि की किस्तें समय पर जमा नहीं कराने पर ब्याज 18% ही लिया जाता है। किस्तों के अभाव में खारिज रकबे को बहाल करने पर ब्याज के साथ 6% शास्ति ली जाती है। ब्याज व शास्ति कम करने का प्रकरण राज्य स्तर पर विचाराधीन है।

कुण्डेरा-श्यामपुरा (सवाईमाधोपुर) सड़क का नवीनीकरण कार्य

113. **श्रीमती यासमीन अबरार** (सवाईमाधोपुर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने सवाईमाधोपुर में कुण्डेरा-श्यामपुरा सड़क नवीनीकरण का कार्य कृषि विपणन बोर्ड को दिया था? यदि हां, तो उक्त कार्य के लिए कब ठेका दिया गया? उक्त ठेका किस व्यक्ति अथवा फर्म को दिया गया? क्या उक्त कार्य को प्रारम्भ किया गया? यदि हां, तो कितना कार्य किया? उक्त कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार को कितना समय दिया गया?

(2) क्या सरकार ठेका लेने के बाद कार्य न करने के आरोप में उक्त ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? अब उक्त सड़क को कब तक बनवा दिया जावेगा?

(3) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर की सड़कों के नवीनीकरण के अन्य कार्य भी बोर्ड कब तक पूरे करवा देगा?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त कार्य के लिए ठेका दिनांक 5.1.2002 को दिया गया। उक्त ठेका मैसर्स खोखर कंस्ट्रक्शन कम्पनी, सरदारशहर, जिला चूरू को दिया गया। उक्त कार्य संवेदक द्वारा शुरू किया जाकर लगभग

(कृषि विपणन मंत्री)

2.5 किलोमीटर लम्बाई में सामग्री एकत्रित की गई एवं लगभग 300 मीटर लम्बाई में बिछाई कार्य किया गया। इस कार्य के पेटे संवेदक को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया। उक्त कार्य हेतु ठेकेदार को 8 माह का समय दिया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 14.9.2002 है।

(2) जी, हां। ठेकेदार के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है। पुन: निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। निविदा दिनांक 19.9.2002 तक बेची जाकर 21.9.2002 तक प्राप्त की जानी है। निविदा प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृति की कार्यवाही की जाकर इसी वित्तीय वर्ष में बनाने के प्रयास किये जावेंगे।

(3) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य के अलावा सम्पर्क सड़क मलारना डूंगर से मलारना स्टेशन की स्वीकृत लम्बाई 6 किलोमीटर में कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें से 5.5 किलोमीटर डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।

कृषि उपज मण्डी समिति केसरीसिंहपुर (श्रीगंगानगर) द्वारा निर्मित सड़कें

114. श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, केसरीसिंहपुर में विधान सभा क्षेत्र करणपुर भी सम्मिलित है? यदि हां, तो उक्त मण्डी समिति में कितने गांव उक्त विधान सभा क्षेत्र के हैं?

(2) मण्डी समिति, केसरीसिंहपुर कब अस्तित्व में आई और अब तक उक्त मण्डी समिति द्वारा कितने किलोमीटर सड़क विधान सभा क्षेत्र करणपुर में बनाई गई? उक्त विधान सभा क्षेत्र में बनाई सड़क का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में बनाई गई सड़कों में क्षेत्रवार पक्षपात किया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। कृषि उपज मण्डी समिति, केसरीसिहपुर के क्षेत्र में करणपुर विधान सभा क्षेत्र के 37 गांव हैं।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, केसरीसिंहपुर वर्ष 1964 में अस्तित्व में आई। मण्डी समिति द्वारा विधान सभा क्षेत्र करणपुर में 24.05 किलोमीटर सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिनका विवरण निम्नप्रकार है :–

(कृषि विपणन मंत्री)

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	लम्बाई कि.मी.
1.	केसरीसिंहपुर से 19 एच, 3 डब्ल्यू, 2 डब्ल्यू (किमी. 3 से किमी. 6.10)	3.10
2.	गंगानगर करणपुर रोड से 25 एफ (गुलाबेवाला)	1.00
3.	3 डब्ल्यू से 5 डब्ल्यू	3.00
4.	अरायण से 29 एफ	2.90
5.	लखियां से 7 डब्ल्यू, 6 डब्ल्यू	2.95
6.	पी. डब्ल्यू. डी रोड से अरायण	0.50
7.	गंगानगर करणपुर रोड से 27 एफ	0.50
8.	गंगानगर करणपुर रोड से 24 एफ कमीनपुरा	1.50
9.	गुरूसर से 23 एच	3.60
10.	सं. स. फूसेवाला से 6 एम	1.25
11.	गंगानगर करणपुर रोड से 4 एम वाया 26 एफ	3.75
	कुल योग	**24.05**

(3) जी, नहीं। कोई पक्षपात नहीं किया है।

शोकाभिव्यक्ति

श्री फतेह सिंह, पूर्व विधायक के निधन पर

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री फतेह सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री फतेह सिंह का जन्म 5 मार्च, 1912 को हुआ आपने श्री दरबार हाई स्कूल, जोधपुर से मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री फतेह सिंह तीसरी राजस्थान विधान सभा के लिए चौहटन निर्वाचन क्षेत्र से राम राज्य परिषद् के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा कार्यालय के दौरान आप प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। आप अपने क्षेत्र के विकास तथा वहां की समस्याओं के समाधान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री फतेह सिंह का दिनांक 21 अगस्त, 2002 को निधन हो गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं, दिवंगत श्री फतेह सिंह को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजन को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति
श्री खेमराज कटारा
(26 से 30 अगस्त, 2002 तक)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री खेमराज कटारा, सदस्य विधान सभा के...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आफिसर्स गैलेरी की तरफ देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : आज आपको बहुत शौक हो रहा है बोलने का, क्या बात है, जोश बहुत है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवस्था की बात है, आसन पैरों पर है आफिसर्स गैलेरी में इस तरह की बात, यह व्यवस्था की बात है, सदन की गरिमा की बात है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री खेमराज कटारा, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 26 अगस्त, 2002 से सत्रान्त तक सदन की बैठक से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठक में अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री मानिक चन्द सुराना एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से पुलिस प्रशासन द्वारा आम जनता पर कथित ज्यादतियों के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में अकाल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(3) डा. रतनलाल जाट, सदस्य की ओर से रायपुर तहसील के चार क्रमोन्नत विद्यालयों का क्रमोन्नयन निरस्त करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरीशचन्द कुमावंत एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से पंचायत समिति कुचामन सिटी को पूर्व राशि हस्तान्तरण नहीं करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बीकानेर में लाठीचार्ज हुआ है। एक छात्र की मृत्यु हुई है। सारे राजस्थान में छात्रसंघों के शांतिपूर्ण चुनाव हो गये और बीकानेर में जो मोस्ट पीसफुल शहर है, वहां कोई नौसिखिया अधिकारी ए.डी.एम. महावीर सिंह आ गया, कोई एडिशनल एस.पी. शिवलाल जोशी आ गया और उन्होंने अंधाधुंध लाठिया चला दीं। मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट ने जब मना कर दिया था कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा, तो उन्होंने डूंगर कालेज से साढ़े तीन किलोमीटर पब्लिक पार्क तक उनको लाने की इजाजत ही क्यों दी? पब्लिक पार्क लाने के बाद पार्क का गेट बंद करके उन छात्रों की निर्मम और अमानवीय ढंग से पिटाई की गई। उपाध्यक्ष महोदय, 40 आदमियों के चोट लगी और जब अस्पताल गये तो उन छात्रों को अस्पताल में भी पीटा गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। जानकारी प्राप्त करके आपको जवाब आ जायेगा। बिराजिये प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी हाई कोर्ट के जज से जुडिशियल इन्क्वायरी कराने पर राज्य सरकार विचार करे और माननीय गृह मंत्रीजी जब इसका उत्तर देंगे या राज्य सरकार, जो भी आपको सूचना देगी, तब मैं और निवेदन करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में एक छात्र की नहीं, दो छात्रों की हत्या हुई है। जाकिर हुसैन नाम के छात्र को भी पुलिस ने पीट-पीट कर मार डाला और जब यह सारे छात्र इलाज के लिए अस्पताल गये वहां घेरा डालकर जिस तरह का निर्मम लाठीचार्ज किया है, जिस तरह से निर्मम हत्या की है यह राजस्थान के इतिहास में एक तरह से धब्बा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यह एन.एस.यू.आई. के छात्र थे और उन पर आपने लाठीचार्ज कर के, उनको लाठियों से पीट-पीट कर शायद कोई कीर्तिमान स्थापित किया होगा सोनियाजी की निगाह में।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा को पीने के पानी कघलाना झील से उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य की ओर से राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग में कतिपय अन्य जातियों को शामिल करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए पाइप खरीद का कार्य शीघ्र सम्पन्न करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नावां में विद्यालय क्रमोन्नयन में कथित भेदभाव करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री शिवनारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां की ग्राम पंचायत नियाना एवं पलसावा की कच्ची सड़कों का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री गोवर्द्धन कल्ला, सदस्य की ओर से राज्य के सीमावर्ती बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में विद्युत आपूर्ति में अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(8) मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से जामिया उर्दू अलीगढ़ की परीक्षाओं की मान्यता की क्रियान्विति करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से राज्य में कब्जाशुदा कच्ची बस्तियों के अन्तरिम आबंटन/अधिकार पत्र की शर्त संख्या-4 में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के बोरी, परतापुर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक ऐच्छिक विषय और शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(11) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान में जारी किये गये जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्रों को वैध घोषित करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के क्रमोन्नयन में कथित भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री संजीव बेनीवाल, सदस्य की ओर से सिद्धमुख सिंचाई परियोजना क्षेत्र में चकबन्दी का कार्य शीघ्र करवाने के सम्बन्ध में।

मोहम्मद माहिर आजाद : I am on a point of imformation.

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट प्लीज। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है, प्लीज बिराजिए। बिराजिये एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में हजारों लोग आरक्षण की मांग को लेकर इस राजस्थान विधान सभा का दरवाजा खटखटाने आए हैं। दुःख की बात यह है कि इस आरक्षण पर विचार करने के लिए संविधान में प्रदत्त जिस तरह का यह पिछड़ा आयोग बना है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++

सूचना

(दिनांक 29.8.2002 को शून्यकाल की अनुमति)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि कल जीरो आवर होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। श्री अमराराम चौधरी।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, I am on a point of information.

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)**:** विधान सभा के सामने राजपूतों को आरक्षण देने के लिये राजपूत आरक्षण मंच के द्वारा आज धरना दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने आयोग में अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं की। वर्षों से उनका आवेदन विचाराधीन है। इसके लिए राज्य सरकार को उनको बुलाकर बात करनी चाहिए। यदि इसको नजरंदाज किया तो धीरे-धीरे यह कानून व्यवस्था भंग होने का पूरा अंदेशा है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको ले जाओ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार संवेदनहीन है। जब कोई शांतिपूर्वक अपनी मांग रखता है उस पर विचार नहीं करती। जब वह आंदोलनरत होकर और कानून व्यवस्था भंग करते हैं लाठीचार्ज होता है, गोलियां चलती हैं, तब जाकर यह विचार करते हैं। एक तरफ तो राजपूत आरक्षण मंच के द्वारा यहां पर धरना दिया जा रहा है।

दूसरी तरफ ब्राह्मणों के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल होने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। ऐसे संवेदनशील मामलों के ऊपर आज भी सरकार गौर नहीं कर रही है। (व्यवधान) मैं आपको सही आगाह कर रहा हूं यह कानून व्यवस्था भंग हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी, बोलिए। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इनफोरमेशन, एक मिनट...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : जानकारी चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : राज्य सरकार +++ है क्या? (व्यवधान) इस प्रकार की कानून व्यवस्था आपको देखनी है। आज शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा है। (व्यवधान) हियर हैड लगाओ, हियर हैड।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन के सम्मुख....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सुरेन्द्र व्यासजी को काल अपोन किया है, आप उनको (व्यवधान) आप बोल लेना, आपको बुला दूंगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था। कल आपने आसन से एक व्यवस्था दी थी कि उसको जानकारी के लिए भेजा गया है। उदयपुर में भट्टजी की बाड़ी में राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल लिमिटेड, उसने एक अमेरिकन हैल्प मैनेजमेंट लिमिटेड को जो एक बोगस संस्था है 18432 स्क्वायर फीट जमीन है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कल जो थोड़ी उत्तेजना थी उसमें व्यवस्था दे दी थी, इसको जानकारी के लिए सरकार के पास कल ही भेजा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह आ गई (व्यवधान) तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं I am not speaking on the marits of the motion, लेकिन यह बहुत बड़ा लैण्ड स्केण्डल है। जोशीजी, आप जानते हैं, भट्टजी की बाड़ी कितनी वेल्युएवल लैण्ड है। थ्रोपवे प्राइसेज, एक रुपये किराये पर 18432 स्क्वायर फीट स्टेट माइंस एण्ड मिनरल लिमिटेड ने much beyond its scope रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने...

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : तीन-तीन डिपार्टमेंट (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कल हो गया न, आप आज क्या कह रहे हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना सिर्फ यह है कि जानकारी के अन्दर कल और परसों दो दिन है। मैं अभी नहीं बोलूंगा लेकिन आप मुझे कल अवसर प्रदान करें। कल आप सरकार से स्टेटमैंट दिलाएं या जो भी व्यवस्था आसन दें, जो उचित समझे।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी आ जाने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कल आप व्यवस्था देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी आ जायेगी। मैं कहां से व्यवस्था....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर जानकारी नहीं देंगे, तो यह तो कोई....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी आयेगी, आपको मिलेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आसन से व्यवस्था होगी, जानकारी आए चाहे नहीं आए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी हरेक की आती है, हरेक देते ही हैं। Whatever is available. दे देंगे आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर 30 तारीख तक (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर मान लीजिए ऐसी कोई बात पूछ ली जिसकी जानकारी कलक्ट करने में टाइम लगता हो, टाइम लगेगा उसमें क्या कर सकते हैं। यह थोड़े ही है कि अपन तय कर सकते हैं आज की आज निकाल दो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसकी जानकारी जोशीजी को भी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या कहना है? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इसका नोटिस ले।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं माहिर आजादजी?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के माननीय सदस्यों को....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वेतन के अलावा दो भत्ते मिलते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको इनकम टैक्स का नोटिस दिया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये ही पार्लियामेंट के मैम्बर को मिलता है। पार्लियामेंट के मैम्बर को, इससे इनकम टैक्स से एग्जम्पशन दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन विधान सभा के सदस्यों को....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न। आप बिराजिये, बिराजिये (व्यवधान) मैं

(श्री उपाध्यक्ष)

आपको बताता हूं। इसके लिए कल कुछ माननीय सदस्य मुझसे मिले हैं। उनको कुछ डायरेक्शन मैंने दिये हैं, उसकी सूचना प्राप्त कर रहे हैं। उसकी सूचना आने पर इस पर अग्रिम कार्यवाही क्या हो सकती है उस पर विचार कर रहे हैं। आपको बता देंगे, कब बात हो गई इस पर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह इनकम टैक्स एक्ट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद इसमें जरा, मैं आपको बताना चाहता हूं। (व्यवधान) कांस्टीट्यूएंसी अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सब देख लिया, आप बिराजिये। हां, देख लिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो आसन से, आपसे यह चाहते हैं कि वित्त मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं और सरकार की तरफ से भारत सरकार को लिखा जाये या विधान सभा सचिवालय, आप जो है इसको लिखकर विधायकों को....(व्यवधान) पार्लियामेंट के मैम्बर्स की तरह इसमें हमको छूट दिलवाने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनो तो सही, बैठिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जब पार्लियामेंट के मैम्बर्स को छूट है तो फिर यहां के एम.एल.एज. को...(व्यवधान) जितना टेलीफोन का भत्ता मिलता है वह हमारे टेलीफोन के बिल में चला जाता है, जितना...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बिजली-पानी का मिलता है वह बिजली-पानी के बिल में चला जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जितना पत्राचार का मिलता है वह उसमें चला जाता है फिर इस पर टैक्स कैसे दें? यह बताइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते।

मोहम्मद माहिर आजाद : सुनना चाह रहे हैं हम तो आपसे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, बिराजिये। हो गया न। (व्यवधान) हो गया न, आपका हो गया, आपने उठा लिया। यही तो चाहते हो आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो आपसे अपने हितों की रक्षा कराना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप यही तो चाहते थे, आपने प्रश्न को उठा लिया। मैं आंपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को एग्जामिन कर रहे हैं, परसों तक इस पर क्या कार्यवाही सदन कर सकता है अथवा कौन कर सकता है, परसों तक इसका निर्णय हो जायेगा। परसों आपके सामने इसका जवाब दे देंगे। (व्यवधान) आप क्या कह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा के दरवाजे पर हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न यह बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग आरक्षण की मांग को लेकर आए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री देवीसिंह भाटी : राज्य सरकार इस पर नोटिस नहीं ले रही। (व्यवधान)

श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): पिछले दो साल से वह बराबर आंदोलित हैं। आज तक उनकी बात नहीं सुनी। पिछले दो साल से बराबर बात नहीं सुनी जा रही। पिछड़ा आयोग, उसका टाइम खतम हो गया है। राजस्थान की सरकार उनको सुनना चाहती है या नहीं इस बात को सरकार बताए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पिछड़ा आयोग का गठन करेंगे....(व्यवधान) तकलीफ इस बात की है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री उदयसिंह राठौड़ : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न, बार-बार क्या? (व्यवधान)

श्री उदय सिंह राठौड़ : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उदय सिंह राठौड़ : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, हो गई न बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री देवीसिंह भाटी : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा संवेदनशील है? (व्यवधान)

श्री उदय सिंह राठौड़ : xxx

श्री सुरेन्द्र व्यास : xxx

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी, बोलिये। (व्यवधान)

श्री उदय सिंह राठौड़ : xxx

श्री देवीसिंह भाटी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : बात कर लेंगे, आ जायेगी। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : भारत सरकार का सब्जैक्ट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी, बोलिये। बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री देवीसिंह भाटी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : समझ ही नहीं आ रहा काहें पर...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : xxx

श्री देवीसिंह भाटी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : भाई साहब। आर्डर आर्डर (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजिये। वह बोल रहे हैं, आपको भी बुलाएंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां): उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण पर उस विषय पर आपने समय तो दे दिया कल का, मेरे को तो आश्चर्य यह हो रहा है कि कल फिर चर्चा करेंगे। लेकिन जो सदस्यगण यहां फरमा रहे हैं, मण्डल कमीशन में जब सिफारिश हुई थी। खास तौर से बोर्डर के राजपूतों के आरक्षण के लिए, तो उस समय कौनसी सरकार ने वह सिफारिश रिजैक्ट की। यही आपके भैरोंसिंहजी थे, भाटियों को और सोढ़ाओं को आरक्षण मिल रहा था। उस समय तो आप कोई बोले नहीं। भैरोंसिंहजी की आपने खिलाफत की नहीं। राजेन्द्र सिंहजी, आप तो कैसे पाले पलटते हो। भैरोंसिंहजी तो कह रहे हैं आज, सती के बारे में उन्होंने खूब चर्चा की असेम्बली में, उस समय आप तो आंदोलन कर रहे थे प्रो–सती के लिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं प्रो–सती का आंदोलन नहीं कर रहा था। पुलिस एट्रोसिटी के खिलाफ कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, नहीं। आप प्रो–सती के लिए कर रहे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पुलिस एट्रोसिटी जब हुई थी...(व्यवधान) उसके खिलाफ कर रहे थे। बिलकुल गलत कह रहे हो आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान) आपको क्या कहना है?

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : चूंदड़ी महोत्सव में मैं गया था या आप गए थे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं नहीं गया। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप गए थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं नहीं गया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : शपथ लो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आपके बिराजते हुए भी हमारी उपेक्षा हो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये न।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि आज राजपूत समाज आंदोलित है। उसके अलावा दूसरे समाज भी आंदोलित हैं और केवल 5-7 प्रतिशत लोग वे होंगे जो कि क्रीमीलेयर के होंगे, चाहे राजपूत समाज में हों, ब्राह्मण समाज में हों, जैन समाज में हों उनके पीछे...

श्री उपाध्यक्ष : सब्जेक्ट क्या है आपका?

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनट, आप सुनिये तो सही बात। आप उनको आरक्षण नहीं दें और जो आयोग है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब्जेक्ट क्या है यह?

श्री दिग्विजय सिंह : आप सुन लें पूरी बात। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बात तो सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सुनूं मैं? (व्यवधान) आरक्षण पर डिस्कस हो रहा है क्या?

श्री दिग्विजय सिंह : आप बात तो सुनें मेरी।

श्री उपाध्यक्ष : यहां आरक्षण डिस्कस हो रहा है क्या? (व्यवधान) आप लोग अपना-अपना...(व्यवधान) जैसे आरक्षण डिस्कस हो रहा है यहां पर... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप बात तो सुनें। मैं बात कर रहा हूं कि आयोग की...

एक माननीय सदस्य : भावना पहुंचा रहे हैं, साहब अपनी। (व्यवधा)

श्री दिग्विजय सिंह : आप बात तो सुन लें। जो आपका पिछड़ा आयोग था उस आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब उसके सामने कई समाजों के रिप्रजेंटेशंस पड़े हुये हैं, तो राज्य सरकार को यह निवेदन कर रहा हूं कि आप उस आयोग को पुनर्जीवित करें, उसे स्थापित करें ताकि वह आयोग इन सब बातों को सुनकर के आरक्षण के मामले को तय तो करे। उस आयोग की अवधि समाप्त हो चुकी, उसको पुनर्जीवित करें ताकि आयोग अपना काम करे। चूंकि आज न केवल राजपूत समाज, दूसरे समाज भी, ब्राह्मण समाज और दूसरे समाज उत्पीड़ित हैं। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात से बहुत आहत हूं, माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ और देवीसिंहजी भाटी की बात से...(व्यवधान) इन्होंने कहा कि हजारों तो राजपूत हैं और सैकड़ों ब्राह्मण हैं। मैं बहुत आहत हूं इस बात से कि इसमें भी जाति की राजनीति कर रहे हैं। वहां करोड़ों ब्राह्मण हो सकते हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, वहां वे सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं इसलिए थोड़े से ब्राह्मण हैं। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : मैं यह कह रहा हूं कि आपने यह कैसे कहा कि हजारों तो राजपूत हैं और सैकड़ों ब्राह्मण है। (व्यवधान) आप क्या गिनकर आएं हैं? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर, (व्यवधान) एक-एक ब्राह्मण सौ-सौ के बराबर होता है। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : नहीं, नहीं, आप अपने आपको सुधार लें। इसमें जातिवाद की राजनीति मत करिए।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है। आज अन्य पिछड़ा जाति आयोग का गठन नहीं होने के कारण यह जो प्रतिवेदन दिया लोगों ने... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो आप। (व्यवधान) माननीय अमरारामजी। (व्यवधान) आप बिराजो, बिराजो।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम सवाल है, लोग-बाग विधान सभा तक आ गये, जगह-जगह आन्दोलन कर रहे हैं, कोई सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। (व्यवधान) सरकार की मंशा क्या है, यह तो स्पष्ट हो कम से कम।

श्री यशवन्त सिंह (रामू): उपाध्यक्ष महोदय, जनता की सुन नहीं रहे हैं, जनता जाएगी कहां, बताइये आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, आप बैठो न। यह सब्जैक्ट नहीं है, आप बेवजह बोलते जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आयोग अपना विचार करे, विचार करने के बाद सरकार को फैसला करना है। आयोग का गठन तो पूरा हो, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्लीज, बिराजिये। माननीय अमरारामजी।

श्री सांवर लाल : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है, सरकार की मंशा आयोग का गठन की है या नहीं? उपाध्यक्ष महोदय, जो सदस्यों के पद रिक्त हैं उसको भरना चाहती है या नहीं भरना चाहती है?

श्री यशवन्त सिंह (रामू): उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) यह अच्छा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप बिराजो न। अभी हो रहा है क्या आयोग का गठन?

श्री यशवन्त सिंह (रामू): उपाध्यक्ष महोदय, इन पण्डितों की बद्दुआ मत लो, बहुत बुरा होगा। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सरकार सिर्फ टकराव ही चाहती है? जब वे शांतिपूर्वक बैठें हो तो उनके प्रतिनिधि मण्डल को बुलाकर बात करने के लिए आश्वासन क्यों नहीं दे रही है? (व्यवधान) ताकि हम उनको कह सकें कि....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू): उपाध्यक्ष महोदय, एक ब्राह्मण के बराबर एक हजार आदमी होते हैं। एक-एक को आप जोड़ लो। जोशी साहब को देखो, दो जोशी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी माननीय सदस्य, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य और इधर उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य, औसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने राजपूत आरक्षण मंच के द्वारा दिये जा रहे धरने के संबंध में अभी जो कुछ बातें यहां कहीं हैं। मैं पहले देवीसिंह भाटी से यह जानना चाहता हूं कि वे समता मंच की तरफ से कहना चाहते हैं या राजपूत आरक्षण मंच की तरफ से कहना चाहते हैं? यह स्पष्ट कर दें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं जो बात कर रहा हूं वह राजपूत आरक्षण मंच की कह रहा हूं। पांच मिनट बाद में सामाजिक न्याय मंच की तरफ से अपनी बात कहूंगा, वह 295 के तहत।

श्री उपाध्यक्ष : ले जाओ, दोनों को ले जाओ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चलो अच्छा हुआ कि आपने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी इस संबंध में। यह बात सही है कि आयोग की अवधि समाप्त होने की वजह से....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू): सबको मिलना चाहिए आरक्षण।

मोहम्मद माहिर आजाद : मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है आपका, उनके लिये कहते हुए पेट में दर्द हो रहा है क्या? उनकी भी बात करो। हम कह रहे हैं सबको मिलना चाहिए। (व्यवधान) भाटीजी जो कहते हैं, उनको भी दो फिर....(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर): अग्रवालों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह सही है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। कई ऐसी जातियां है जिन्होंने आरक्षण की मांग आयोग के समक्ष रखी हुई है वह विचाराधीन है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मंच के लोगों को डेढ़ बजे ले आइए, चर्चा करिए मुख्य मंत्रीजी के साथ और इसका समाधान आज ही निकाल दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): माननीय, डेढ़ बजे बुलाया है। (व्यवधान) ब्राह्मणों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगा है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू): जोशीजी, आप तो बोलो कुछ। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): ब्राह्मणों की आज दयनीय स्थिति है। मंदिरों की जमीन जा चुकी है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने सभी जातियों के लिए कहा है, जिन्होंने मांगा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): डेढ़ बजे राजपूत आरक्षण वालों को बुलाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी बोलो। (व्यवधान) भाटी साहब, बिराजो।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं इसके लिए राज्य सरकार को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी बोलो। (व्यवधान) माननीय भाटी साहब, बिराजें। भाटी साहब, प्लीज।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कयलाना झील से पचपदरा को पेयजल उपलब्ध कराने

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर कायलाना झील से पचपदरा तहसील के सबसे बड़े कस्बे बालोतरा, पचपदरा, जसोल आये हुए हैं जो करीब 100 किलोमीटर के लगभग दूरी पर स्थित है। (व्यवधान) इस झील में पहले जवाई नहर का पानी आता था अब इन्दिरा गांधी नहर से लिफ्ट कैनाल द्वारा इस झील में पानी लाया गया है। सरकार द्वारा तहसील सिवाना और पचपदरा के पेयजल समस्या के समाधान के लिए शुरू एवं मीठा पेयजल जनता को उपलब्ध कराने के लिए प्रथम व द्वितीय चरण की योजना बनायी गयी है। इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

लेकिन एक विकट समस्या जो वर्तमान समय हमारे समक्ष है वह लूनी नदी के ग्राम बिदुजा के भूमिगत स्रोत में पानी की भारी कमी व खारा होने के संदर्भ में है। बिदुजा व आसोतरा की सरहद से नलकूपों का पानी बालोतरा, जसोल, पचपदरा क्षेत्र के कई गांवों में भेजा जा रहा है। वहां कई जगह तो इतना खारा पानी है जिससे चाय भी फटती है। काफी वर्षों से लूनी नदी में पानी नहीं आने से भूमिगत जल स्रोतों में पानी की भारी कमी है। बालोतरा, शहर पचपदरा, जसोल और इसके आसपास के कई गांव, जिनकी कुल मिलाकर 2 लाख से भी ज्यादा आबादी होगी और तहसील पचपदरा के अन्य गांवों में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न हो गया है।

ऐसी स्थिति में मैं सरकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से विनम्र निवेदन

(श्री अमराराम चौधरी)

करता हूं कि सरकार से शीघ्र से शीघ्र कायलाना झील, जोधपुर से बालोतरा पचपदरा जसोल के लिए जलदाय योजना बनाने का कष्ट करावें ताकि भविष्य में उत्पन्न जल संकट से बचा जा सके। आज भी धनी लोग जोधपुर के 2500/– में इन्दिरा नहर के पानी को टैंकरों से लाते हैं लेकिन 85 प्रतिशत से अधिक मध्यम व गरीब जोग मीठा पानी पीने से महरूम हैं। बिदुजा बालोतरा व जसोल में लूनी नदी में कास्टिक व केमिकल के कारण जल स्रोतों का पानी प्रदूषित हो गया है जिससे पानी खराब व पीने योग्य नहीं रहा है।

अत: मैं श्रीमान् से निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार को शीघ्र ही उक्त समस्या का समाधान कराने का निर्देश दिलावें तथा जो योजनाएं पूर्व में बनायी गयी थीं उन योजनाओं की क्रियान्विति शीघ्र ही करवाने का श्रीमान् निर्देश फरमावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाकोलिया साहब।

घोषणा

पिछड़े वर्ग आयोग का पुनर्गठन

श्री छोगाराम बाकोलिया (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ओ.बी.सी. कमीशन स्थायी बनाना आवश्यक है इसलिए मैं राजस्थान सरकार की ओर से कह रहा हूं कि शीघ्र ही इसका पुनर्गठन कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंहजी।

श्री देवीसिंह भाटी : वाह-वाह, आज तो राज्य सरकार बहुत संवेदनशील हो गयी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी वजह से हो गयी है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : भाटीजी, आपने जब बात उठायी तो कहना ही पड़ेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं धन्यवाद दे रहा हूं। बिलकुल, गृह मंत्रीजी द्वारा भी नोटिस लिया गया, तुरन्त आश्वस्त किया और आपने भी इसका नोटिस लिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंहजी, आपका 295 है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : वह तो आयोग अस्थायी है, पहले ही कर लेना चाहिए था। (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही स्थायी आयोग होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़: आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ही कह दिया था कि 4 महीने के अन्दर-अन्दर। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : पहले वह खतम हुआ, अब गठन करने की कार्यवाही चल रही है, वह हो जाएगा। (व्यवधान) आपको तो अच्छी घोषणा... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : भाटीजी तो धन्यवाद दे रहे हैं और आप अवहेलना की बात कर रहे हो। (व्यवधान) भाटीजी तो धन्यवाद दे रहे हैं और आप उलाहना दे रहे हो। (व्यवधान) आप दोनों तो एक हो जाओ कम से कम। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अहसान किस चीज का है, अहसान किस चीज का है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप ओ.बी.सी. के फेवर में बात नहीं कहें... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : तब भी आपको खराब लग रहा है, बड़े अफसोस की बात है। आपस में एकता नहीं है, नहीं तो भाटीजी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बाकोलियाजी, बिराजें। भाटी साहब।

श्री सांवर लाल: क्या किया सरकार ने, अब यह घोषण कर रहे हो। साल-साल भर से जो पद खाली पड़े हैं, वैसे ही भरना चाहिए इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1992 में जो फैसला हुआ उस फैसले के अनुसार सरकार को आयोग का गठन कर देना चाहिए था।

श्री सांवर लाल : जब यहां पर +++ करें, यहां पर कोई....(व्यवधान) तब घोषणा कर देते हैं, हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, यह तो रूटीन में इनको पहले कर देना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें न, आपको सूचना दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जातियां जो परेशान हैं यह आपकी सरकार की पॉलिसी की वजह से परेशान है। यहां विधान सभा में बात उठ गई तो हम कर देंगे, पहले ही करना चाहिए था उनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई अहसान कर दिया गया क्या?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, इसमें क्या हो गया? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अण्डर कंसीडरेशन चल रहा है तो इसके अन्दर क्या बात है। जब आप माननीय सदस्य ने बात बताई तो मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : तो काम इनको रूटीन में करना चाहिए, यहां पर माननीय सदस्य बोलेंगे तब ही करेंगे?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह सरकार कल्याणकारी सरकार है।

श्री सांवर लाल : साल में दो बार विधान सभा का सत्र होता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई अहसान नहीं किया।

श्री सांवर लाल : कोई जानकारी आएगी तब ही करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह सरकार कल्याणकारी सरकार है। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. और माइनोरिटी के लिए उनको किसी तरह से परेशान नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : विधान सभा में अलग से आपको...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई अहसान नहीं किया। उस पद को खाली (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिन्ता की बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने पर भी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए बिराजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : सुप्रीम कोर्ट का 1992 का 16 नवम्बर का आदेश है कि आयोग बनाएंगे। आयोग कंटिन्युअस रहेगा और फिर खाली कैसे किया उसको? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी यह खाली रहता है तो फिर यह सरकार करती क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, काहे को... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पहले ही करना चाहिए। नियुक्तियां और चयन....(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : सरकार संवेदनशील है और सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की जातियों के उत्थान के लिए हमेशा सजग रही है और उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। आपको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए।

श्री सांवर लाल : उन लोगों को यहां नहीं आना पड़ता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हजारों रुपये खर्च करके, यहां पर लाखों रुपये खर्च करके लोग आए हैं। परिवहन खर्च के हुए हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपने कुछ नहीं किया है और आलोचना कर रहे हैं इसलिए आपकी हालत खस्ता हुई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. के बारे में आपने परवाह नहीं की इसलिए आपकी हालत पतली हो गई और आप बिलकुल सिमट कर रह गये हो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। क्या कह रहे हो? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : तो आपने कौनसी की है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने क्या कर दिया, आपने कौनसा आरक्षण दे दिया? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : 1971 में था, नोटिफिकेशन सैण्ट्रल गवर्नमेंट का आपने 30 साल तक राजस्थान में आरक्षण नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : पूरी प्रजा ने देख लिया, राजस्थान की प्रजा ने और आपको सिकुड़ कर रख दिया। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप बात कर रहे हो....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो अटल बिहारी वाजपेयी की मेहरबानी से देना पड़ा है। बाकी आरक्षण देने वाले आप नहीं थे। इतनी एप्रोज लगाई थी। आरक्षण देते तो? सीट नहीं रह जाती आपकी। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति की (व्यवधान) आपने इतनी अप्रोच लगाई थी जिसके कारण से आपको भुगतना पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आपको अनाउंस कर रहे हैं, सूचना। जिस पर भी आपको आपत्ति है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह यह क्यों कह रहे हैं कि....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या मतलब है इनका? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अच्छी घोषणा करें तो भी आपको....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इनकी मंशा नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जाटों को आरक्षण का नाम....(व्यवधान) इन्होंने नहीं दिया। आपने प्रधानमंत्री ने यहां पर भाषण दिया, उसके बाद उनको यह मजबूरी में देना पड़ा। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अच्छी घोषणा कर रहे हैं तो भी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, बिराजिये। माननीय, बिराजिये। हां, प्रधानमंत्री, बिराजिये। (व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अन्य पिछड़ा वर्ग में कतिपय अन्य जातियों को सम्मिलित करना

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर रहा हूं। कृपया, मैं सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मेरी किसी भी राजनीतिक दल के विरुद्ध बोलने की मंशा नहीं है, न बोलूंगा, न किसी जाति वर्ग विशेष के खिलाफ बोलने की मेरी मंशा है, इसे अन्यथा नहीं लें।

(श्री देवीसिंह भाटी)

संविधान के तहत गठित मण्डल कमीशन रिपोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात् सामाजिक, न्याय, समानता व समता के सिद्धान्त के अनुरूप सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग–जिसमें व्यावसायिक जातियां, दस्तकार, सेवक, भूमिहीन कृषकों को विशेष अवसर, सुविधा छूट देते हुए राजकीय सेवाओं में 21 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।

संवधिान, सर्वोच्च न्यायालय, मण्डल कमीशन व अन्य आयोगों द्वारा निर्धारित सिद्धान्त मापदण्ड व प्रक्रिया की अवहेलना कर बगैर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग व राज्य सरकार की राय के राजनीतिक निर्णय किया जाकर वर्मा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की सबसे विकसित, शिक्षित, सम्पन्न, प्रतिष्ठा प्राप्त, समृद्ध व राज्य के अधिकांश भूमिधारियों व कृषक जाति जिसकी राज्य सेवाओं एवं जन प्रतिनिधियों में प्रतिनिधित्व था, पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित कर आरक्षण का लाभ दे दिया गया। इस राजनीतिक निर्णय के फलस्वरूप राज्य सेवाओं में मूल ओ.बी.सी. का आरक्षण वस्तुतः समाप्त हो गया। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह तो जाति में बांटो मत भाटीजी। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सामाजिक न्याय, यह दोनों बात एक तरफ तो सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हो और दूसरी तरफ राजपूतों को आरक्षण देना चाहते हो। दृष्टिकोण क्या है? यह दोहरा दृष्टिकोण एक नजर से देखो, दोनों नजर से काम नहीं चलेगा। उधर से घोषणा करवाने में लग रहे हो सरकार से और दूसरी तरफ से, इससे सामाजिक न्याय मंच की बात करते हो, क्या सामाजिक न्याय मंच की बात करते हो आप? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं पूरा कर देता हूं। मैं बिलकुल न्याय की बात कर रहा हूं। आपको कोई बात गलत लगे तो मुझे कह देना। (व्यवधान)

राज्य सरकार द्वारा मेरे द्वारा विधान सभा सत्र 2002 में पूछे गये अतारांकित प्रश्नों के उत्तर में सामने आई स्थिति विस्मयकारी एवं चौंकाने वाली है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य कन्फ्यूज हैं, इनको पता नहीं क्या कहना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों ही कन्फ्यूज कर रहे हो। आप बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री सांवर लाल : पता नहीं, क्या पैरवी कर रहे हैं? हमको यहां माननीय सदस्य, जनता भेजती है, कम से कम सैद्धान्तिक रूप से क्लियर तो हो कि इनका उद्देश्य क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न।

श्री देवीसिंह भाटी : वही निवेदन कर रहा हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आज यह 295 से क्या दर्शाना चाहते हैं यहां पर? क्या कहना चाहते हैं? आज यह यहां पर किस चीज का 295 पढ़ रहे हैं? क्या कह रहे हैं यह? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : राजस्थान पुलिस सेवा चयन वर्ष, 1997 में कुल 27 आरक्षित पदों पर मण्डल आयोग में मूल पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति चयनित हुए और 1999 में जुड़ी नई समृद्ध कृषक जाति के आरक्षण के पश्चात् 2001 में 13 में से 7 एक ही समृद्ध जाति के व्यक्ति चयनित हो गये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर डिस्कस करके टेंशन पैदा करेंगे। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की बातें यहां पर नहीं आनी चाहिए जिसमें योग्यता होगी वह आएगा। जो केलिबर होगा वह काम्पीट करके आएगा। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं बिलकुल न्यायिक आरक्षण की बात कर रहा हूं।

श्री संजीव कुमार (भादरा) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको आरक्षण मांगना है, तो मांग लेते लेकिन हमारी सारी जातियों के खिलाफ बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं, एक आदमी का यह (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भाटीजी ठीक बोल रहे हैं, भाटीजी बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : क्या बोल रहे हैं यह तो बताओ। रोळा मत करिये आप यहां पर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह हमसे तो अच्छा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसी जाति?

श्री देवीसिंह भाटी : राजस्थान पुलिस सेवा चयन वर्ष 1997 में कुल 27 आरक्षित पदों पर....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : फलानां बन गया, ढिमका बन गया, क्या नहीं बनेंगे? जिसमें केलिबर होगा, यह तो कल कह देंगे कि ठाकुर बन गया, यह ब्राह्मण बन गया, यह आई.पी.एस. नहीं बनना चाहिए क्या? काम्पीटीशन होता है, रिटन परीक्षा होती है, इन्टरव्यू होते हैं, इनको यह पता नहीं है, जानकारी नहीं है? इनसे ज्यादा जानकारी है सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं निवेदन कर दूं, उसके बाद आप कह देना।

श्री सांवर लाल : सामाजिक न्याय बताएंगे, उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : काम करते हैं तो....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप और बात करो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों के लिए कह रहे हैं तो....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह नहीं चलेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यही आरक्षण की बात करते हैं। जो लोग हैं यही बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही...(व्यवधान) काबिलीयत होगी वह आएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : देवीसिंह भाटी ने आज तक जितना चयन...(व्यवधान) जगह–जगह पर...(व्यवधान) इतना कोई कर नहीं सकता और सामाजिक न्याय मंच की बात करके यह...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : लोगों को जगह–जगह गुमराह, क्यों लोगों को भड़काते हैं? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : वी. पी. सिंहजी आज याद आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा जब राजपूतों का विरोध कर रहे थे और आप आज राजपूतों की पैरवी कर रहे हैं बताओ यह... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आप सभी वी. पी. सिंहजी की जय बोलो कि एक दिन वी. पी. सिंहजी ने इन मण्डल और कमण्डलों की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जाटों की बात आती है तो यह...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यहां पर राजपूतों की वकालत करते हैं, ब्राह्मणों की वकालत करते हैं...(व्यवधान) बनिये को आरक्षण मिलना चाहिए, यह क्या है? (व्यवधान) यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आप सभी ने वी. पी. सिंह का जोरदार विरोध किया था और आज वी. पी. सिंह की याद आ रही है। जिन लोगों ने विरोध किया था, आज वी. पी. सिंह की जय बोलो। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का आरोप बिलकुल बेबुनियाद है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : वी. पी. सिंहजी को तो आप सब लोगों ने मण्डल और कमण्डल को लेकर नीचे उतारा था। कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पहले सुन तो लो, बाद में कहना चाहे वह कह लेना। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : वी. पी. सिंहजी को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और आप यह आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जय-जयकार कर रहे हैं। वी. पी. सिंह की तस्वीर लगाकर उसकी पूजा करो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पहले कहा है वह वापस लीजिये आप। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : वी. पी. सिंह की तस्वीर की पूजा करनी चाहिए आपको। एक दिन मण्डल-कमण्डल को लेकर वी. पी. सिंहजी को अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ी थी। आज सब मण्डल-कमण्डल लेकर के पीछे भाग रहे हैं। वी. पी. सिंहजी की जय-जय करके उनको जिन्दाबाद करो। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : राजस्थान पुलिस सेवा चयन वर्ष 1997 में कुल 27 आरक्षित पदों पर मण्डल आयोग में मूल पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति चयनित हुए और (व्यवधान) 27 पदों पर और 1999 में जुड़ी हुई समृद्ध जाति के आरक्षण में 2001 में 13 में से 7 एक ही समृद्ध जाति के व्यक्ति चयनित हो गए। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम बटन दबाते हैं, इस माइक को ओन नहीं करते हो आप। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी जाति को अगर आरक्षण दिया गया तो मण्डल आयोग की सिफारिश के तहत दिया गया है, हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं की है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह सामाजिक न्याय मंच की....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : और हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि एक मण्डल आयोग का गठन हो, जनजातियों का प्रतिवेदन आए और मण्डल आयोग उन पर विचार करे। इस तरीके की बात करके इस राजस्थान को असंख्य बना देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंकुश लगाएं आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनकी बात तो सुनो।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यायिक सेवाओं में से 30 पदों में से 15 एक ही जाति के व्यक्ति चयनित हुए। तहसीलदार सेवाओं में....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इसमें एक संशोधन करवा दीजिए कि यह जाति का नहीं आएगा। चयनित नहीं होगा। 30 और 15 के....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माइक नहीं खोले, यह हम बोलना चाहते हैं। यह माइक ही नहीं खोलते हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह आरक्षण की बात कर रहे हैं पर...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ऐसी परीक्षा में होगा, नियम होंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह ही तो....(व्यवधान)

श्री रतन लाल जाट : यह ऐसा क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर.जे.एस. की परीक्षा कैसे होती है, इनको पता नहीं है। कैसे होती है परीक्षा, कैसे सलेक्शन होता है?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हर बात पर यह...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ऑन रिकार्ड है वह मैं बोल रहा हूं। राजकीय रिकार्ड के अनुसार बोल रहा हूं। इसमें जो रिकार्ड है।

श्री धर्मपाल चौधरी : राजकीय रिकार्ड में कहीं...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अब तो तीनों खोल दिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : वे अपनी काबिलीयत से आते हैं सारे के सारे। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : जो रिपोर्ट है पी.एस.सी. की उसके तहत बोल रहा हूं।

श्री सांवर लाल : नहीं, पी.एस.सी. की रिपोर्ट में लिखा है क्या कि जाट नहीं हो सकते, राजपूत नहीं हो सकते? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : एक मिनट, मेरे प्रश्न के उत्तर में है यह। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : क्या प्रश्न के उत्तर में है? उसमें है कि सलेक्शन हो गया, जिसमें काबिलीयत थी हो गया। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हां, तो हो गया तो मुझे बोलने दो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपके लड़कों में काबिलीयत हो, तो उनका भी हो जाएगा।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या लग रही है, आपको मेरी बात गलत लगे तो आप उत्तर दे देना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसीलदार सेवा में...(व्यवधान) तहसीलदार सेवा में...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोहरे मापदण्ड नहीं करें। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मूल पिछड़ा वर्ग, प्रत्येक जाति के एक-एक, दो-दो व्यक्ति का। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले फैसला हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कटारियाजी का नेतृत्व स्वीकार किया है या नहीं किया है। सब एक साथ बोल रहे हैं और आपस मे यह.... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : वी. पी. सिंहजी की मेहरबानी से यह हो गया। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आप कटारियाजी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं? कटारियाजी के नेतृत्व को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया जाटों को आरक्षण, प्रधानमंत्री ने दिया है।

श्री जीतमल खांट : +++

श्री सांवर लाल : उन्होंने दिया, आप तो नहीं देते।

डा. महेश जोशी : आप एक तो हो जाओ पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आरक्षण दिया है।

डा. महेश जोशी : राजेन्द्र राठौड़जी, आज देवीसिंहजी वकालत कर रहे हैं आरक्षण की। जब वी. पी. सिंहजी के समय में आरक्षण की बात हुई थी और मण्डल कमीशन की बात हुई थी, अकेले वाजपेयीजी ने आरक्षण का विरोध किया था। (व्यवधान) आज उनका....(व्यवधान) जाग पड़ा है। आज उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : +++

अनेक माननीय सदस्य : +++

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री देवीसिंह भाटी : राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 2001 में 8 में से 5 नये आरक्षित एक ही जाति के चयनित हुए। ऐसी स्थिति में आयोग की मूल जातियों का आरक्षण मात्र कागजों में ही दिखाने के लिए रह गया है। राजनैतिक क्षेत्र में पंचायती राज में मूल पिछड़ा वर्ग के आरक्षित 6 पदों में से मूल ओ.बी.सी. का एक भी जिला प्रमुख नहीं है और पंचायत समिति प्रधानों के 41 पदों पर इसी समृद्ध कृषक जाति का आधिपत्य बन गया है तथा मूल ओ.बी.सी. के 8 से ज्यादा प्रधान नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हम तो सत्ता में ऐश करने को पैदा हुए हैं। (व्यवधान) अभी लेकर आये पांच, अब लेकर आएंगे आठ।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ओ.बी.सी. और मूल ओ.बी.सी. क्या होता है? इनको यह जानकारी नहीं है कि ओ.बी.सी., ओ.बी.सी. होता है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : .... (व्यवधान) वह रहते हैं, वह कैसे आएंगे आरक्षण में, बताइये आप? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : और यह जिस ओ.बी.सी. की मांग रहे हैं वह कौनसी ओ.बी.सी. हो गयी, यह तो बता दें। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव में भी चुनने का अधिकार मतदाताओं को नहीं है क्या? क्या इनके कहने से मतदाता वोट देंगे?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाम को तो कटते हैं इनके बकरे। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पंचायत समिति प्रधानों के आरक्षित 41 पदों पर इसी एक कृषक जाति का आधिपत्य बन गया। (व्यवधान) ताकि ओ.बी.सी. का नहीं आए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपकी ताकत हो तो रोक के बता देना। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : क्रिमिलेयर अपवर्जन नियमों की खुली अवहेलना कर करोड़पति व्यक्ति गंगानगर नगर परिषद् जैसे संस्थानों में अध्यक्ष बन गये हैं। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह शाम को तो पीते हैं, बकरे काटते आ रहे हैं। (व्यवधान) बरबाद हो गये। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह इस प्रकार से किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : (व्यवधान) जातियां कौनसी हैं, वह बताइये तो सही आप। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सुप्रीम कोट के निर्णय के अनुसार एक अथवा दो समृद्ध जाति ही आरक्षण का पूरा लाभ नहीं ले जावे, इसीलिए पिछड़ा वर्ग को सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर श्रेणी विभाजन को वैध, आवश्यक व उपयुक्त बताया है। जिसे ध्यान में रखकर अनेक राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तमिलनाडु एवं हरियाणा आदि में पिछड़ा वर्ग सूची के दो अथवा दो से अधिक भाग कर दिये हैं, जो कि राजस्थान में भी यह व्यवस्था करना अति आवश्यक है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, बिराजिये। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। आप बोले जा रहे हो। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। अंकित ही नहीं हो रहा, आप बोले जा रहे हो। बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री संजीव कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज। एक मिनट, बैठिए।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये प्लीज। एक मिनट बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह 295 करीब 13 हैं, सदन का समय बहुत जाया हो गया इसलिए सबको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री संजीव कुमार : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री संजीव कुमार : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री संजीव कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। प्लीज बिराजिये। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए न। आप नीचे बैठिए, सुनें। (व्यवधान) अगर आप बोलने ही नहीं देना चाहो, तो मेरे पास क्या चारा है?

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यही लोग नहीं बोलने दे रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप इनको पढ़ने दो न। (व्यवधान) इनको पढ़ने दें तो आपको भी पढ़ने दूंगा। एक को पूरा नहीं पढ़ने दे रहे हो। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : और क्या इलाज है? अब क्या चारा है? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री छोगाराम बाकोलिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया जी, क्या कहना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो?

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए प्लीज। आप बैठिए। आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण के विषय को लेकर यहां जो बातें खड़ी हुई हैं, मैं सोचता हूं जो आरक्षण मिला है उसमें सबकी सहमति है और नया किसी को और आरक्षण मिले, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हो सकता। जिस प्रक्रिया से भी आरक्षण सूची में कोई जाति जुड़ने वाली है, तो वह जरूर जुड़े, उससे किसी का किसी प्रकार का एतराज नहीं है। लेकिन इसका विश्लेषण किसी जाति विशेष को आधार बनाकर करना चाहते हैं, तो यह सदन के लिए भी और सम्पूर्ण राजस्थान के लिए भी। अगर सभी जातियां, आज से बीस साल पहले यह सोचते कि आई.ए.एस. अधिकांश बणिये थे ओर उस समय कोई विश्लेषण करने वाला कहता कि आई.ए.एस. में 40 में से 38 बणिये हैं और इतने ब्राह्मण हैं तो यह कोई विश्लेषण करने का विषय नहीं है। जो भी इस वर्ग में आता है, जिसको भी आरक्षण की सूची में जोड़ा है, उसमें सबके साथ समानता का व्यवहार होगा। कानून जैसा बना हुआ है उसमें कोई भिन्नता नहीं कर सकता। नया और जोड़ा जाए, जरूर जोड़ा जाए, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता।

दूसरा, 295 जब आपने शुरू किया, मेरी आपसे फिर प्रार्थना है कि जब एक बार 295 पढ़ना शुरू कर दिया, तो जिन सदस्यों का रह गया उनको भी आप अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी पार्टी के सदस्यों को कंट्रोल करें।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हां, मैं यही कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के सदस्य आपके कब्जे में नहीं हैं और दूसरों को कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ने नहीं देना चाहते। वह बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, और अगर नहीं बोलने देते तो.... (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : नेता के नियंत्रण में नहीं आ पा रहे हैं। (व्यवधान) समस्या यह है कि....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) पढ़ने नहीं देना चाहते आपके लोग, मैं क्या करूं? (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आपकी पार्टी वाले आपके नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं। दोनों आपस में एक-दूसरे के विरोधाभासी वाली बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : It is your look out but not my look out.

श्री धर्मपाल चौधरी : हमारी पार्टी पूर्णतया कंट्रोल में है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : बिलकुल नहीं। बिलकुल नहीं। कल से आपकी पार्टी एकदम अनियंत्रित है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी भावना का ध्यान रख रहे हैं। आपकी भावना का पूरा सम्मान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे हण्डरेड परसेंट एग्री कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं सारे 295 पढ़ा दूंगा, लेकिन यह है कि आप एक को पूरा नहीं पढ़ने दे रहे हो, तो फिर मैं क्या करूं? यह तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, डिस्टर्ब भी आप ही कर रहे हो। पढ़ भी आपका आदमी रहा है, फिर आप कह रहे हो कि हमको पढ़ने दें। यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, इन नेता के कहने में इनके सदस्य नहीं हैं इसलिए इनकी भावना के विपरीत वह बोल रहे हैं। (व्यवधान) ऐसे महान सदस्यों को तो हटा देना चाहिए अगर आप लीडर हैं तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 295 से कोई यहां प्रस्ताव पास हो रहा है क्या? (व्यवधान) आप भी रख देना कल कोई 295 का। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उत्तर प्रदेश के गत विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दोनों दलों के घोषणा पत्रों में श्रेणी विभाजन का "वायदा किया है तथा अन्य उपेक्षित वर्गों यथा– राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, राजपुरोहित, पठान, शेष को 5 से 10 प्रतिशत आरक्षण देने का" वायदा किया है, तो राजस्थान में यह दल इसे क्यों नहीं लागू कर रहे हैं?

राज्य में जब उन्नत, समृद्ध, विकसित, सम्पन्न, सिंचित क्षेत्र के बड़े भूमिधारियों, जिनका राजकीय सेवा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व है एवं ब्राह्मण व क्षत्रीय वंशी अन्य जातियों को पिछड़ा वर्ग आरक्षण सूची में जोड़ा जा चुका है तो अन्य जातियों के जरूरतमंद लघु सीमान्त कृषक, भूमिहीन किसान व सेवक वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना कहां उचित है। संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि बगैर जाति का ध्यान दिए व्यवसाय व आय के आधार पर पिछड़ा वर्ग में जोड़ा जा सकता है। जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार द्वारा मेडिकल, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश, शिक्षा शुल्क में छूट, छात्रावासों में प्रवेश, पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप सहित सभी शिक्षा के क्षेत्र में तथा कम ब्याज दरों पर ऋण देने का लाभ भी 80 प्रतिशत उक्त समृद्ध जाति को ही मिल रहा है। अतः भेदभावपूर्ण नीति को छोड़, राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर सरकार से न्याय अपेक्षित है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इसमें कहां गलत बोल गया, जो इतना विरोध हो रहा था? हमारे विरोधी दल के नेता महोदय भी समझ नहीं पाए कि मैं क्या कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान। खतम हो गयी बात। इतनी ही तो बात है।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए पाइप खरीदने

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में ए.आर.पी. के तहत स्वीकृत करोड़ों रुपयों की योजनाओं का कार्य चालू नहीं होने से बाड़मेर जिले में 10 करोड़ रुपए सरेण्डर करने की सम्भावना है। अगर ऐसा होता है, तो राज्य व रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा क्योंकि स्वीकृत योजनाओं के पाइप खरीद नहीं की जा रही है। राज्य में पिछले 10 सालों से जलदाय विभाग में अस्थाई या स्थाई मजदूर रखने पर पांबदी है। इसी प्रकार विद्युत विभाग में भी मजदूर लगाने पर पांबदी लगी हुई है जिससे क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं को कोई भी देखने वाला नहीं है। कहीं-कहीं पर पाइप लीकेज होते हैं, कहीं-कहीं पर लोग जान-बूझकर पाइप तोड़ देते हैं, कई गांवों की टंकियों में पानी नहीं जाता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में भारी असंतोष है।

अत: मेरा इस सदन में आपकी मार्फत सरकार से अर्ज है कि अतिआवश्यकतानुसार स्वीकृत योजनाओं के पाइप खरीदने की प्रक्रिया शीघ्र निपटाई जावे और जरूरत अनुसार अस्थाई या स्थाई मजदूरों को रखने की स्वीकृति दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीशचन्द।

नावां में विद्यालय क्रमोन्नयन में कथित भेदभाव

श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत स्कूलों को क्रमोन्नत करने में भेदभावपूर्ण नीति अपनाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

नावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जिजोढ़, जहां हाल ही में गोपाल राम मेघवाल शहीद हुए हैं, यहां की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने की पात्रता रखती है। नया भवन बना दिया गया है। नागौर जिले में एक मात्र अनुसूचित जाति से हुए शहीद की स्मृति में इस विद्यालय का नामकरण शहीद के नाम से करना व उसे क्रमोन्नत करना शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि एवं नौजवानों को प्रेरणा स्रोत। परन्तु इसमें की जा रही देरी से ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार अनुसूचित जाति एवं देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद के प्रति संवेदनशील नहीं है।

इसी प्रकार ग्राम लूणवा, कुचामन पंचायत समिति में गांधी ग्राम के लिए चयनित है, बड़ी आबादी का ग्राम है, यहां की राजकीय माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने की सभी प्रकार की पात्रता रखती है। गांधी ग्राम में चयनित ग्राम में सभी प्रकार की पात्रता

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

रखती है। गांधी ग्राम में चयनित ग्राम में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा कराने में विलम्ब करना अन्याय है।

ग्राम नावां तथा कुचामन सिटी, दोनों नगरपालिका क्षेत्र है। नावां के वार्ड नम्बर 13 व 14 में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नम्बर एक तथा कुचामन के वार्ड 25 में प्रेमराज के बासड़ा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जो दोनों पालिका क्षेत्र के ग्रामीण वार्डों में स्थित है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत खारड़िया के ग्राम कासोडा तथा ग्राम पंचायत खारिया के उत्तरी खारिया में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की छात्र संख्या एवं सभी प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने की पात्रता रखते हैं, परन्तु इन चारों विद्यालयों की क्रमोन्नत कराने में विलम्ब कर इस क्षेत्र के साथ अन्याय किया गया है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी केन्द्र सरकार पर भेदभाव व पक्षपात का आरोप लगाते हैं, परन्तु स्वयं एवं उनकी सरकार, जहां इनका राज है, खुद अपने आचरण को भेदभाव एवं पक्षपातपूर्ण बना रखा है। सत्ता पक्ष के क्षेत्रों में तो बजट प्रावधान से भी बढ़ाकर, बजट प्रावधान बढ़ाकर दो-दो सीनियर सैकण्डरी तथा सैकण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है तथा नावां विधान सभा क्षेत्र में अभी तक एक सैकण्डरी तथा एक सीनियर सैकण्डरी विद्यालय व चार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन नहीं किया गया है। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्रीजी से व शिक्षा मंत्रीजी से लिखित में अनुरोध किया जा चुका है। ऐसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के विद्यालयों का क्रमोन्नत कराने में किसी प्रकार का विलम्ब कराना इस बात को प्रकट करता है कि सरकार भेदभाव कर रही है। केन्द्र सरकार से भेदभाव न होने की अपेक्षा रखने वाले माननीय मुख्य मंत्री व उनकी सरकार अपने आचरण व व्यवहार में इस दोष को धारण कर रखा है, उसे दूर कर इन विद्यालयों को शीघ्र क्रमोन्नत करावें।

इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध कर रहा हूं, कृपया भेदभाव को त्याग कर इन विद्यालयों को शीघ्र क्रमोन्नत करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायण। (अनुपस्थित)। श्री गोवर्द्धन कल्ला।

बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में अध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले की प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के क्रमश: 600 व 400 पद रिक्त पड़े हैं। कई विद्यालय एकल अध्यापक विद्यालय हैं जहां अध्यापकों की अनुपस्थिति के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। इन रिक्त पदों का मुख्य कारण पूर्वी राजस्थान के अध्यापक नियुक्ति करवा कर स्थानान्तरण करवा लेते हैं। शिक्षा के सार्वजनिकीकरण में जो राजीव गांधी पाठशालाएं स्वीकृत हुई हैं वे भी प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव में सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र में प्रारम्भ नहीं हो पायीं। शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा जो शिक्षा सहयोगी ग्राम स्तर पर चयन करना है वह भी सम्भव नहीं हो रहा है, कारण उस वर्ग के शिक्षित पुरुष व महिला मिलना सम्भव नहीं।

अत: निवेदन है कि सीमावर्ती बाड़मेर व जैसलमेर जिले की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र हेतु विशेष कैडर केवल इसी क्षेत्र हेतु नियुक्ति करने की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा में विद्युत आपूर्ति में अव्यवस्था

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र, छबड़ा में बिजली की लगातार कमी तथा अव्यवस्था की ओर आपका, ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की दोनों तहसीलों–छबड़ा व छीपाबड़ौद के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में दो–ढाई घंटे से अधिक बिजली नहीं मिल पा रही है। कम बिजली देने तथा उसमें भी बार–बार ट्रीपिंग आने तथा समय निश्चित नहीं होने से कृषकों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीण अंचलों में ट्रांसफार्मर आए दिन खराब होते रहते हैं। ग्रामीणों के बार–बार कहने व प्रार्थना–पत्र देने के बाद भी कई दिनों तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते जिससे ग्रामीण जनता अंधेरे में रहने को मजबूर रहती है तथा कुओं, ट्यूबवैलों से सिंचाई में भी परेशानी होती है। क्षेत्र में जितनी बिजली की आवश्यकता है उसकी अपेक्षा बहुत कम बिजली दी जा रही है। यही स्थिति छबड़ा, छीपाबड़ौद, हसानवदा शाहजी, सारथल अटरू जैसे कस्बों की रहती है। यहां प्राय: 8–10 घंटे बिजली गुल रहती है तथा बार–बार ट्रीपिंग आती है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह क्षेत्र की जनता की परेशानियों को देखते हुए बिजली आपूर्ति में सुधार करने का कष्ट करेंगे? मैं मंत्री महोदय से ट्रांसफार्मर की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा ग्रिड स्टेशनों, 220 के.वी. सांगोद, 132 के.वी. कवाई पर उपभोक्ता की आवश्यकतानुसार लोड बढ़ाने की मांग करता हूं।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

जामिया उर्दू अलीगढ़ की परीक्षाओं की मान्यता

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, जामिया उर्दू अलीगढ़ की परीक्षाओं की मान्यता की क्रियान्विति नहीं करने से उत्पन्न जन आक्रोश को समाप्त करने के लिए शीघ्र आदेश जारी करने हेतु राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी एवं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (बी), जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 2(17) जी.ए.डी. (बी) 63 दिनांक 3 फरवरी, 1965 के आदेश के माध्यम से जामिया उर्दू, अलीगढ़ की परीक्षाओं को निम्न प्रकार मान्यता प्रदान की थी :-

क्र.सं.	परीक्षा	समकक्ष मान्यता
1.	इब्तेदाई	मिडल
2.	अदीब	हाई स्कूल
3.	अदी–ए–माहिर	इण्टर
4.	अदीब–ए–कामिल	उर्दू (बी.ए.)
5.	मोआल्लिम–ए–उर्दू	बी.एड. (उर्दू)

दिनांक 25.6.1976 को उक्त आदेशों को पुनः रिव्यू किया गया।

श्रीमान्, दिनांक 20.4.2001 को राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के ग्रुप (6) के उप सचिव, श्री जेठमल व्यास ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के सचिव को पत्र लिखकर उपरोक्त परीक्षाओं की मान्यता के संबंध में जानकारी चाही गयी थी। जिस पर श्री रंगराजन, निदेशक, कार्मिक गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने भी उपरोक्त परीक्षाओं की पुष्टि की थी। इन सब कार्यवाहियों के बावजूद भी आज तक उपरोक्त परीक्षाओं को मान्यता (समकक्ष परीक्षाओं के समान) का आदेश स्टैण्ड करते हुए भी अघोषित प्रतिबन्ध लगा रखा है और शिक्षा निदेशक मय जिला शिक्षा अधिकारियों के उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों व उर्दू अध्यापकों को नाजायज परेशान कर रहे हैं। इसकी वजह से सैकड़ों उर्दू अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। अनेक उर्दू आध्यापकों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है।

अतः माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि उपरोक्त जामिया उर्दू, अलीगढ़ की परीक्षाओं को समकक्ष मान्यता के आदेशों पर अमल करते हुए राजस्थान के उर्दू अध्यापकों के साथ न्याय कराने का कष्ट करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप राज्य सरकार को यह निर्देशित करें कि इस 295 का जवाब तो समय पर आवे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे 295 का जवाब दो साल में आया है। 1.11.2000 को जो इस हाउस में पढ़ा था उसका जवाब आज मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, दो साल में 295 का जवाब आता है। क्या गम्भीरता रह गयी है इस विषय की?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो गलत है कि दो साल में जवाब आता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको आपके कक्ष में उपस्थित होकर दिखा दूंगा। दो साल में जवाब आया है 295 का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या मतलब है? आप बैठिए प्लीज। सारी बातें सही हैं यहां गलत कौन बोलता है? श्री ज्ञानचन्द पारख।

प्रदेश में कब्जा शुदा कच्ची बस्तियों के अन्तरिम आबंटन/अधिकार पत्र की शर्त में परिवर्तन

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा प्रक्रिया तथा संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिए माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, राज्य सरकार ने कच्ची बस्ती में कब्जाशुदा मकानों के नियमन हेतु अपने परिपत्र क्रमांक प.9(1) न वि वि/3/95 दिनांक 19.5.1999 के तहत कब्जाधारियों को अन्तरिम नियमन-आबंटन/अधिकार पत्र दिए। इस आबंटन/अधिकार पत्र में शर्त संख्या 4 के अनुसार यह भू-खण्ड व उस पर निर्मित भवन किसी अन्य को दान, विक्रय अन्यथा हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।

मान्यवर, इन नियमनशुदा भवनों के मालिक अपने मकान के पुन: निर्माण या नवीनीकरण करने हेतु किसी बैंक अथवा अन्य किसी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करना चाहता है, तो उक्त शर्त के कारण कोई भी वित्तीय संस्थान ऋण देने से इन्कार कर देती है।

मान्यवर, कच्ची बस्ती में अपने कब्जाशुदा मकानों का भारी भरकम राशि चुका नियमन मात्र इसलिए ही कराया कि मकान का मालिकाना हक मिलने पर उन्हें भवन निर्माण एवं किसी रोजगार हेतु आसानी से ऋण प्राप्त हो जाएगा। परन्तु ऋण लेने हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद इस शर्त के कारण वित्तीय संस्थाओं ने ऋण देने में असमर्थता बता दी जिसके कारण इन पट्टेधारियों मे निराशा है।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से मेरा निवेदन है कि उन आबंटन/अधिकार पत्र की शर्त संख्या 4 में आवश्यक परिवर्तन

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

करें जिससे इन पट्टाधारियों को ऋण मिलने का मार्ग प्रशस्त हो सके अथवा बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को इस आशय का निर्देश जारी करें कि यह शर्त बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को भवनों का हस्तान्तरण हेतु लागू नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेश चन्द्र पड्ण्या।

बोरी-परतापुर (बांसवाड़ा) माध्यमिक विद्यालयों में ऐच्छिक विषय

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए विषय खोलने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, राज्य के उन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां तीन ही ऐच्छिक विषय हैं वहां कम से कम एक अतिरिक्त विषय खोला जाना जरूरी है ताकि छात्र अपनी रूचि के अनुरूप विषय ले सकें। वर्तमान में हालात यह है कि तीन ऐच्छिक विषय एक तरह से अनिवार्य विषय ही साबित हो रहे हैं। कक्षा 10 के बाद छात्र के निकट के उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। चाहे वहां उसकी रूचि के विषय हों या न हों। नवक्रमोन्नत विद्यालय में भी अच्छे अंक दिलवाने वाले विषय यथा– संस्कृत, भूगोल, चित्रकला, खुलवा लिए जाते हैं। कई छात्र जिनको गिलास और आम का चित्र बनाना नहीं आता वो भी चित्रकला लेकर अध्ययन कर रहे हैं।

मेरा मत है कि प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहां तीन-तीन विषय संचालित हैं वहां एक-एक विषय अतिरिक्त रूप से खोला जाए ताकि छात्रों को एक विकल्प मिले। विकल्प के बगैर जब छात्र थोपे गये विषय लेते हैं तो कालान्तर में उनमें अध्ययन के प्रति अरूचि उत्पन्न हो जाती है। देखने में आया है कि कक्षा ग्यारहवीं व बारहवीं के ऐच्छिक विषयों को छात्र कालेज में आकर बदल देते हैं जो यह सिद्ध करता है कि वह उसकी रूचि के विषय नहीं थे।

महोदय, नये विषय को खोला जाना तत्काल सम्भव नहीं हो, तो भी कम से कम हिन्दी विषय तो खोला ही जा सकता है जिसका अध्ययन हिन्दी अनिवार्य के व्याख्याता के माध्यम से करवाया जा सकता है।

बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरी, परतापुर के अलावा खान्दु कालोनी विद्यालय में नए वैकल्पिक विषय खोलने की मांग वर्षों से की जाती रही है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के मार्फत भी निदेशक को प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं। जन-प्रतिनिधियों द्वारा भी समय-समय पर मांग की जाती रही है पर हर बार बजट में प्रावधान नहीं होने व बजट नहीं होने के

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

कारण इन प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं कर पाने की बात दोहराई गई है।

महोदय, नये विषय खुलवाना समग्र शिक्षा के हित में रहेगा। कृपया इस पर पूरी गम्भीरता के साथ विचार करें एवं राज्य के हजारों-हजार छात्रों एवं अभिभावकों की भावनाओं के अनुरूप नए विषय खोलने की सौगात दी जानी चाहिए। राज्य के जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कोई विषय अनार्थिक हो गया हो, तो उस विषय को उन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दिया जा सकता है जहां उसकी मांग की जा रही है। आशा है राज्य सरकार इस मसले पर विचार कर उचित निर्णय लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह गौड़।

प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्रों की वैद्यता

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि ''प्रशासन गांवों की ओर'' कार्यक्रम में लाखों जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी किये गये किन्तु वे सभी प्रमाण-पत्र छह माह पश्चात् ही नाकारा हो गये जिससे सभी जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र धारक युवा परेशानी में पड़ गये हैं। पूर्व में भी उन्हें प्रति प्रमाण-पत्र लगभग पचास रुपए व्यय करने पड़े थे। अब पुनः उन्हें पटवारी, तहसीलदार, उप जिला अधिकारी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। विभिन्न प्रक्रिया में धन एवं समय व्यय करना पड़ रहा हैं। पूर्व में तहसीलदार प्रदत्त ये प्रमाण-पत्र किसी भी विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए गये। सरकार से निवेदन है कि पूर्व प्रसारित प्रमाण पत्र वैध घोषित किए जावें ताकि बेरोजगार युवा वर्ग को राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : ये क्यों हो गये हैं? कोई आर्डर निकले हैं क्या?

डा. रघुवीर सिंह गौड़ : पता नहीं। पहले जल्दी में तहसीलदार को ये अधिकार दे दिए गए और तहसीलदारों ने ही उनको प्रमाणित किया और बाद में उन्होंने कहा भी, आब्जेक्शन भी किया था और मैंने भी कहा था कि इसको एस.डी.ओ. द्वारा भी कर देना चाहिए। लेकिन पता नहीं मेरे क्षेत्र में तो अधिकांश तहसीलदार द्वारा दिए गये थे और बाद में किसी भी विभाग द्वारा ये नहीं दिए गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में मिल लेना मेरे से।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ : अब यह कैसे हुआ? सभी जगह हुआ। सभी पर कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

रायपुर विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के क्रमोन्नयन में भेद-भाव

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रायपुर में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत होने में किए जा रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव करते हुए निवेदन है कि वर्ष 1998-99 से लेकर वर्ष 2001-2002 तक विधान सभा क्षेत्र रायपुर (पाली) में उक्त प्रकार के एक भी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत न करने के कारण जनता में जबरदस्त आक्रोश फैला हुआ है। सत्तापक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में उक्त प्रकार के विद्यालय क्रमोन्नत करने में सारे मापदण्ड नजरअन्दाज किए जा रहे हैं जबकि दूसरी ओर अत्यधिक छात्र संख्या वाले अति दूरस्थ स्थानों पर वर्षों से उक्त श्रेणी के विद्यालय सभी प्रकार के मापदण्ड क्रमोन्नति के रखते हैं। जिनके विषय में राज्य के मुख्य मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी व विभाग के सभी अधिकारियों को विद्यालय क्रमोन्नत करने के बारे में ग्रामवासियों द्वारा व जन प्रतिनिधियों द्वारा इस विषय में निवेदन किया जाता रहा है। विधान सभा क्षेत्र रायपुर माध्यमिक विद्यालय, सेन्दड़ा, गिरी तथा कुशालपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत होने की श्रेणी में वर्षों से आ रहे हैं। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय नाना, ओड़िया, चांग, करमावासपट्टा, माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने के सभी मापदण्ड पूरे कर रहे हैं। लेकिन शासन द्वारा पिछले तीन वर्षों में शिक्षा में भेदभाव करके राज्य में असंतुलन पैदा किया जा रहा है। यह जनता के लिए अब असहनीय होता जा रहा हैं। जिससे पीड़ित होकर वे जन आंदोलन करने पर उतारू हो रहे हैं। जबकि पिछले शासन में बिना किसी भेदभाव के पूरे राज्य में समान रूप से विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया था।

विद्यालय खोलने में भेदभाव केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र रायपुर में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के मापदण्ड पूरे करने वाले विपक्ष के बहुतायत क्षेत्रों में ऐसा असंतुलन पैदा किया जा रहा है जबकि प्रत्येक माननीय विधायकगण के क्षेत्रों में दो-दो विद्यालय देने की बजट में घोषणा की थी। लेकिन सरकार वितरीत आचरण कर रही है। जिससे राज्य की जनता में भारी आक्रोश है।

अत: पुन: सभी स्तर के क्षेत्रों का अध्ययन कर विद्यालय खोले जावें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार की स्थिति वनी हुई है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री संजीव कुमार। विराजिये, हो गयी न बात।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, यह तो हो गया। यह भेदभाव कब तक बरदाश्त करेंगे हम? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह बहुत बड़ा अन्याय है....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बात के लिए व्यवस्था चाहते हैं।

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जहां भी प्रतिपक्ष के विधायक हैं....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : एक तरफ तो सरकार नगरपालिकाओं और पंचायतों के अधिकार की बात करती है....(व्यवधान) और दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं...(व्यवधान) वहां स्कूल नहीं खोले।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जीतमल खांट : जहां प्रतिपक्ष के विधायक हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां स्कूल नहीं खुले....(व्यवधान) वहां स्कूल खुलने चाहिए, क्या कारण है....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं उनके यहां स्कूल खुले हैं। (व्यवधान) जितने भी विपक्ष के विधायक हैं उनके साथ, सबके साथ यही हालत है। सरकार कहती है कि हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। मगर जहां भी विरोधी दल के विधायक हैं वहां उनके साथ में, सबके साथ में यही हालत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये।

श्री जीतमल खांट : (व्यवधान) हमारा यह जन्मसिद्ध अधिकार है, सरकार यह कहती है कि पारदर्शिता को रखते हुए काम कर रहे हैं तो हम विधायकों के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सारा सदन इस बात के लिए है (व्यवधान) राजस्थान की सरकार एक तरफ नारे लगा रही है शिक्षा आपके द्वार है, तो क्या सरकार केवल कांग्रेस के द्वार तक है? जनतंत्र में पक्ष और विपक्ष हमेशा रहता आया है....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हम विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? (व्यवधान) हमारे साथ अगर इसी सदन में न्याय नहीं होगा, तो हम कहां पर जाएं.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बीस–बीस किलोमीटर तक वहां पढ़ने के लिए जाते हैं....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : प्रदेश के मुख्य मंत्री गहलोतजी यह कहते हैं कि पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं....(व्यवधान) एक भी विद्यालय आज क्रमोन्नत नहीं किया गया है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनो तो सही.... (व्यवधान) आप सुनिये न, बैठो न।

श्री जीतमल खांट : हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, यह अन्याय करना बन्द करो....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : क्या वहां राजस्थान की जनता नहीं रहती है? (व्यवधान) वह हरियाणा और पंजाब की जनता है? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह इस सरकार में जो अन्याय हो रहा है....(व्यवधान) हम विधायकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : समानता का व्यवहार करना चाहिए....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री अमराराम (धोद) : यह भेदभाव किसी भी स्थान पर राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, आप बिराजो।

श्री हीरासिंह चौहान : आप किसी भी जबह से सूचना मंगा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री जीतमल खांट : हम लोगों के क्षेत्र में एक भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया है। आप कोई व्यवधान दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका यह कथन कि सरकार ने विरोधी पक्ष के किसी क्षेत्र में स्कूल नहीं खोला यह गलत है।

श्री हीरासिंह चौहान : क्यों गलत है? नहीं खोला है....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हम दावे के साथ कह रहे हैं कि नहीं खोला है। हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं खोला है....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बिलकुल सरासर भेदभाव किया जा रहा है, नहीं बरदाश्त किया जायेगा....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न, मैं बता रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : आपके पास क्या सूचना है भेदभाव नहीं किया है?

श्री उपाध्यक्ष : मैं नाम बता रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप कैसे कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं किया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के जितने भी एम.एल.ए. हैं वहां दो दो सैकण्डरी, दो दो सीनियर सैकण्डरी दी गई....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप सरकार नहीं हैं, आप व्यवस्था चलाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात सुनिये पहले... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप उपाध्यक्षजी, हाउस को चलाते हैं....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हमारे साथ में यह भेदभाव किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुन लो। मेरी बात सुनिये न....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार को रीप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं कि भेदभाव नहीं किया है? कहें, शिक्षा मंत्रीजी कहें.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सरकार इस बात के लिए बयान दे....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : सरकार इस पवित्र सदन के अन्दर हमारे साथ भेदभाव कर रही है....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सरकार इस बात के लिए स्पष्ट कर दे....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हमारी आत्मा को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारी पिछली सरकार ने जहां-जहां छात्र संख्या थी.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : जहां-जहां उपयुक्त थे, सभी जगह, पांच साल तक वहां विद्यालय खोले हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात है, आप बिराजिये न।

श्री रतनाराम चौधरी : आपने कौनसे खोले थे? सब अपने खोले थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न।

श्री हीरासिंह चौहान : आप आदेश दे दीजिए हम बैठ जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह कह रहे हो कि विरोधी दल के सदस्यों के स्कूल नहीं खोले, यह मैं कह रहा हूं कि इसमें सत्यता नहीं है। मैं बता रहा हूं....(व्यवधान) आप बिराजिये न।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं खोले हैं।

श्री जीतमल खांट : नहीं खोले हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): खोले हैं, विरोधी सदस्यों के यहां भी स्कूल खोले गये हैं।

श्री जीतमल खांट : आपने कहा वहां विद्यालय नहीं खोले हैं, जहां भी विरोधी दल के विधायक थे उनके क्षेत्र में विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह बात तो आप आंकड़ों से सिद्ध करें। मैं चाहता हूं इस विषय पर, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मंत्री जो भी विद्यालय खोले हैं उनका एक चार्ट बनाकर इस सदन के हाउस पर रख दें कि वास्तव में इस विधान सभा क्षेत्र में...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो गवर्नमेंट का आर्डर है कहीं से भी ले लेना आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपको इस सच्चाई का पता लग जायेगा। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हमारे साथ में इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है।

श्री जीतमल खांट : सरकार की नीयत में खोट है....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपको बता रहा हूं सारी शंका को अगर आप निर्मूल सिद्ध करना चाहते हैं, तो कृपा करके एक बार जो विधान सभा के अन्दर चार साल में विद्यालय खोले हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी जाए। फिर इसमें सच्चाई क्या है वह सामने आ जायेगी। हमारे साथ भेदभाव करके एक बार नहीं, चारों साल की विद्यालय की सूची रखें।

श्री जीतमल खांट : चार साल से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस प्रकार से स्कूल नहीं खोले हैं और यह सारे के सारे अधिकार मुख्य मंत्री ने ले रखे हैं और मंत्री यह कहता है कि अगर विरोधी पक्ष के किसी के स्कूल खुलेगा, तो इसका निर्णय राजस्थान का मुख्य मंत्री करेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और क्या बात हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : निर्णय कौन करेगा, इससे क्या मतलब? निर्णय तो सरकार करती है....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आप कैसे भेदभाव कर रहे हैं? (व्यवधान) मंत्री से मिलते हैं तो कहते हैं मुख्य मंत्री से मिलो, मुख्य मंत्री से मिलते हैं तो कहते हैं मंत्रीजी से मिलो.... (व्यवधान) यह क्या मतलब हुआ? (व्यवधान) आपको नहीं खोलना है आप इन्कार कर दीजिए....(व्यवधान) आप इंकार कर दीजिए स्कूल नहीं खोलना है। हमारे को....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम अपने-अपने क्षेत्र के बारे में आपसे जानना चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : चार साल की सूची सदन की मेज पर रखा दी जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चार साल में कितने विद्यालय हमारे सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी बने हैं हम ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और अगर इसमें कोई गलती है तो हमारी विधान सभा के अनुसार यहां सूची रख दें कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में पिछले चार चालों में कौन-कौनसे स्कूल खुले और कौनसे नहीं खोले हैं।

श्री अमराराम (धोद) : फिर आप निर्णय कर देना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह सच्चाई सामने आ जायेगी क्या होना है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सूची तो आप स्वयं शिक्षा मंत्री थे, यह आपके पास है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारे पास में चार साल की नहीं है।

श्री जीतमल खांट : अभी की, अभी की मांग रहे हैं हम तो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आसन से यह आशा नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह काम आसन का नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आसन से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आसन का काम तो हम माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने का है।

श्री जीतमल खांट : यह सारे विरोधी दल के जितने भी विधायक हैं उनके साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? चार साल से हालत यही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं 400 सैकण्डरी और 400 सीनियर सैकण्डरी खोलने का सरकार ने फैसला किया है, 400 ही खुल गये क्या?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कहां-कहां खोले हैं? यही तो पूछ रहे हैं हम। कहां-कहां खुली हैं?

श्री धर्मपाल चौधरी : भेदभाव किया जा रहा है ना, यही तो कह रहे हैं न हम। इसलिए तो नहीं खोले जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के सदस्यों को दो-दो महीने हो गये स्कूल खोले हुए....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : सरकार कहती है पारदर्शी है....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : एक क्षेत्र में एक-एक किलोमीटर, दो-दो किलोमीटर पर आप स्कूल खोल दो....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह पारदर्शी सरकार नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जवाबदेही सरकार जवाब दे इस बात का कि 400 स्कूलें कहां-कहां खोली हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आप चाहते हैं तो शिक्षा मंत्री हमारे विधान सभा क्षेत्र में...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : शिक्षा मंत्रीजी जवाब दें, हमको संतुष्ट करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चार साल में हमारे विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कितने स्कूल खोले, इसकी सूची रख दें। इन सब सदस्यों की चार साल की सूची रख दें हमारे विधान सभा क्षेत्र में क्या खुला?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह जवाबदेही सरकार जवाब देने में क्यों हिचकिचा रही है?

श्री उपाध्यक्ष : सूची, गवर्नमेंट के जो आर्डर हैं उन्हें आप कहीं से प्राप्त कर सकते हो। उसमें क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : क्यों प्राप्त करें? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** सरकार रख दे यहां।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर हमारे को मालूम होता कि हमारे यहां खुला तो हम काहे को विरोध करते। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पारदर्शी जवाबदेही सरकार जवाब देने में असमर्थ क्यों हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रोज सूचियां निकल रही हैं....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये का....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस दृष्टि से राजनीतिकरण मैं सोचता हूं शिक्षा के क्षेत्र में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आसन से व्यवस्था चाहते हैं....(व्यवधान) हमारे साथ-साथ न्याय किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, यह अन्याय बरदाश्त नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह राजस्थान की पारदर्शी सरकार, यह जवाबदेही सरकार हम लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रही है....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : शिक्षा में राजनीतिकरण....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमें आसन से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हमारी पीड़ा को आपका प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन दु:ख यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारे को जवाब दिलाने की स्थिति में आप स्वयं जवाब दे रहे हैं। हमें तो चाहिये था सरकार का जवाब। आप हमें जवाब दे करके... (व्यवधान) हमें इसका बहुत दुख है....

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई बात ही नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कि हमारे साथ जिस प्रकार से राजनीतिक पक्षपात....

श्री जीतमल खांट : आपसे, आसन से व्यवस्था चाहते हैं हम तो....

श्री नन्दलाल बंशीवाल : हम तो आसन से व्यवस्था चाह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और विद्यालय क्रमोन्नत करने में जो भेदभाव हमारे साथ बरता है, विपक्ष के सदस्यों के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया, हमारे क्षेत्र की जनता के साथ जिस प्रकार से अन्याय किया, शिक्षा से उनको जिस प्रकार वंचित रखा, उनके अधिकारों से वंचित किया, हम तो अपेक्षा करते थे कि आसन हमारा प्रोटेक्शन करे और हमें इस बारे में संतुष्ट करे। यह कोई एक साल का सवाल नहीं है, चार साल में जो भेदभाव हमारे साथ किया उसके कारण से, सरकार की गलत नीति वहां की जनता और वहां के बच्चों को एक तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनको कष्ट दे रहे हैं, उनके हकों को मार रहे हैं। एक ओर शिक्षा आपके द्वार और दूसरी तरफ उन लोगों को शिक्षा से वंचित केवल इसलिए कि हम विरोध से जीतकर आए हैं, एक साल नहीं चार साल में यह हुआ है। मेरी चुनौती है चार साल की सूचियां रख दो, साबित हो जायेगा कि हमारे एक क्षेत्र में कितने विद्यालय खुले या नहीं खुले। इतना भेदभाव और इस बार भी ऐसा ही भेदभाव हुआ, मैं और मेरा दल इस बात के विरोध में बहिर्गमन करता है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ऐसी तानाशाही तो अंग्रेजों के काल में भी नहीं थी.... (व्यवधान) ऐसी तानाशाही तो अंग्रेजों के काल में भी नहीं थी। जवाबदेही सरकार अपने आपको कहते हैं। यह जवाबदेही सरकार है? यह तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह पारदर्शी सरकार और जवाबदेही सरकार.... (व्यवधान) यह पारदर्शी और जवाबदेही सरकार....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ऐसी तानाशाही तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुई....

श्री जीतमल खांट : जब हमारे साथ ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है, तो आम जनता के साथ क्या न्याय कर सकती है। हमारे इस पवित्र सदन में एक विधायक के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा सकता है, तो आम जनता इससे न्याय की क्या अपेक्षा कर सकती है....(व्यवधान) मैं भी बहिर्गमन करता हूं।

(श्री जीतमल खांट व श्री नन्दलाल बंशीवाल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अमराराम (धोद) : जहां पूरे राजस्थान में अकाल है, कल अकाल में भी यही भेदभाव किया जायेगा कि यह प्रतिपक्ष के नेता है, इसलिए जो भेदभावपूर्ण नीति स्कूल क्रमोन्नत में की गयी है इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री अमराराम (धोद) द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री संजीव कुमार।

सिद्धमुख सिंचाई परियोजना क्षेत्र में चकबन्दी का कार्य

श्री संजीव कुमार (भादरा) : राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र में कमाण्ड, अनकमाण्ड एरिया सर्वे एवं चकबंदी का बकाया कार्य शीघ्र करवाने के सम्बन्ध में मैं माननीया सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना तथा रतनपुरा सिद्धमुख वितरिका से 1,12,000 हैक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा रतनपुरा एवं सिद्धमुख वितरिका का कार्य चालू वर्ष में पूरा कर लिया जावेगा। सिद्धमुख फीडर तथा नोहर फीडर में हरियाणा सरकार द्वारा पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गयी है।

प्रस्तावित 1,12,000 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में से 15,000 हैक्टेयर क्षेत्र का सर्वे एवं चकबंदी का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा टेण्डर के माध्यम से पूरा करा लिया गया था। शेष क्षेत्र के लिए आज से लगभग साल भर पूर्व पैकेज के द्वारा एक बड़ा टेण्डर आमंत्रित किया गया जिसकी स्वीकृति शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान द्वारा की जानी थी, परन्तु किन्हीं कारणों से यह कार्य आबंटित नहीं किया जा सका तथा उक्त पूरी प्रक्रिया में कई महीनों का समय बेकार कर दिया गया। आज से लगभग एक वर्ष पूर्व सर्वे एवं चकबंदी का शेष कार्य विभागीय स्तर पर करवाने का निर्णय लिया जाकर तीन सिंचाई खण्ड जयपुर तथा कोटा आदि से भादरा स्थानान्तरित किये गये। इन तीनों ही खण्डों में फील्ड में सर्वे कार्य हेतु कनिष्ठ अभियंताओं की संख्या बहुत ही कम होने के कारण उक्त कार्य की प्रगति बहुत ही धीमी रही।

जुलाई, 2002 तक 1,12,000 हैक्टेयर क्षेत्र में से करीब 54,000 हैक्टेयर में सर्वे का कार्य हुआ है जिसमें लगभग आधे से कम क्षेत्र की सर्वे एवं चकबंदी का कार्य हुआ। इस प्रकार 58,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सर्वे एवं चकबंदी का कार्य अभी भी किया जाना शेष है।

चूंकि वर्तमान में सिंचाई हेतु पानी की सप्लाई सिद्धमुख एवं नोहर फीडर को मिलना शुरू हो गया है, परन्तु चकबंदी के अभाव में फील्ड चैनलों (खालों) का मौके पर कृषकों द्वारा निर्माण नहीं करवाया जा सकता जिससे सिंचाई हेतु पानी के समुचित बंटवारे के लिए एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है तथा न ही नहरी पानी जो राजस्थान के हिस्से का हरियाणा से प्राप्त हो रहा है, उसका सदुपयोग हो पा रहा है। चकबंदी के अभाव में कृषकों में पानी बंटवारे के सम्बन्ध में आपसी विवाद एवं झगड़ा होने की आशंका बनी रहती है।

(श्री संजीव कुमार)

वर्तमान में भादरा एवं नोहर में कार्यरत तीन सिंचाई खण्ड रतनपुरा एवं सिद्धमुख वितरिका के निर्माण कार्य तथा रख-रखाव के साथ-साथ सर्वे एवं चकबंदी का कार्य भी कर रहे हैं। पूर्व में जो अतिरिक्त सिंचाई खण्ड स्थानान्तरित करके भादरा लगाये थे, उन्हें भी वापस भेज दिया गया है। इस प्रकार शेष 58,000 हैक्टेयर क्षेत्र का सर्वे एवं चकबंदी का कार्य वर्तमान कार्यरत स्टाफ द्वारा निश्चित अवधि में पूरा करना असंभव लगता है।

12 जून, 2002 को इस सिंचाई परियोजना का लोक सभा में प्रतिपक्ष की नेता एवं कांग्रेस अध्यक्षा माननीया सोनिया गांधीजी द्वारा लोकार्पण किये जाने पर क्षेत्र की जनता में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ है।

क्षेत्र की जनता की मसंग एवं भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सर्वे एवं चकबंदी का कार्य त्वरित गति से करवाने हेतु अन्य आवश्यक कदम उठाए जाने अत्यन्त आवश्यक है। यदि इस कार्य में और विलम्ब होता है, तो किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। अत: निवेदन है कि इस कार्य को विभाग द्वारा टेण्डर के माध्यम से शीघ्र पूरा करवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बाड़मेर क्षेत्र में सैनिक गतिविधियां एवं बारूदी सुरंगों के फटने से हुए जान-माल का मुआवजा

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 2001 से हमारी सीमाओं पर फौजों का जमावड़ा है और उन फौजों का जमाव भी पाकिस्तान की सीमा से लेकर इंटीरियर में 15-15 किलोमीटर एरिया में करीब-करीब गांवों में फौजे हैं। पिछले साल तो वहां जमाव था, उस जमाव में भी कई लोगों की फसलें भी नष्ट हो गई और कई लोगों की बारूदी सुरंगों के फटने से मेरे क्षेत्र की तहसील शिव और रामसर में 2,500 पशुओं की मौत हुई जिसमें ऊंट, भैंस, गाय, भेड़, बकरी और गधे भी मरे। इसके साथ ही कुछ लोगों के खेतों में घास की कलारें थीं, इस साल अकाल पड़ने से लोगों को उस घास को ले जाने की जरूरत है, पर उन कलारों के आस-पास बारूदी सुरंगें बिछने से खेत मालिक उन कलारों के पास जा नहीं सकते। इसलिए उनके पशुओं के मरने की नौबत आ गयी है और वह घास वहां रह गयी। सीमा सुरक्षा पाइंट-आफ-व्यू से दो गांव सीमा से दो साल पहले हटाए गए थे। उन्होंने दूसरी जगह जाकर अपने झौंपड़े बनाएं। तहसीलदार द्वारा उनका तकमीना बना करके राज्य सरकार को भेजा गया। राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजा लेकिन आज तक एक पैसा भी उन हटायी हुई बस्तियों को मुआवजे के रूप में नहीं

(श्री अमीन खान)

मिला जिससे उन लोगों के सामने भारी परेशानी है। अभी इसी साल मेरे क्षेत्र के अन्दर बारूदी सुरंगों से स्थानीय पशुपालक पांच आदमियों की मौत भी हो गयी। दो आदमी मेरे गांव के नौजवान भी मरे। मिलिट्री इंटेलीजेंस के वह साथ थे। 22 अप्रैल, 2002 में मिलिट्री इंटेलीजेंस के सूबेदार मोहन सिंह व उसका एक ड्राइवर नायब सूबेदार था। वह बार्डर की तरफ जा रहे थे। वहां एक सुरंग फट गयी, उस सुरंग से मिलिट्री इंटेलीजेंस की गाड़ी भी खतम हो गयी और एक मानसिंह नाम का इंटेलीजेंस का सूबेदार भी खतम हो गया। दो हमारे गांव के आदमी उनके साथ थे, एक का नाम रणथला था और दूसरे का नाम नवाब था, वह मौके पर ही खतम हो गये और उनका एक ड्राइवर बचा। रक्षा मंत्रालय से उन लोगों के लिए गांव तक भी कोई आया नहीं और न ही एक टका कोई किस्म की राहत उनके परिवार वालों को मिली। राजस्थान के मुख्य मंत्री सहायता कोष से उन दो घरों को 10-10 हजार रुपया मिला और दूसरे जो तीन आदमी मरे, एक मगरा गांव का राजपूत मरा, एक तालमौट गांव का राजपूत मरा, एक भूखड़ी गांव का आदमी अपने पशुओं के पीछे गया वह भी सुरंग फटने से मरा। उनको भी राजस्थान मुख्य मंत्री सहायता कोष से 10-10 हजार रुपये तो दिये गये लेकिन भारत सरकार की तरफ से उनको मुआवजे के रूप में या अन्य किसी सहायता के रूप में आज तक एक पैसा भी नहीं मिला।

इसके अलावा जो हमारी तारबंदी हुई है उसके अन्दर जो जमीन आयी किसानों की खातेदारों की वह तो अलग, उस तारबंदी के और पाकिस्तान की सीमा के पास भी बगैर तारबंदी के किसानों की खातेदारी की भूमि आयी हुई है। वह लोग वहां काश्त कर नहीं सकते, जमीन अपनी काश्त कर नहीं सकते, अपने पेड़ों को रख नहीं सकते। कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के काम आने वाली जमीन है, उन जमीनों के बारे में किसानों का न तो अन्य जगह किसी रूप में एक इंच भी जमीन आज तक मिली, न उस जमीन का किसान को एक टका मिला। यह वहां लोगों की बहुत बड़ी समस्या है।

इसके साथ-साथ कई गांवों में अभी भी बारूदी सुरंगें इतनी बिछी हुई हैं जिनका इन मिलिट्री वालों को खुद ही पता नहीं है। अगर निकालना चाहें तो भी बारूदी सुरंगें वहां रह जाएगी। इस वक्त बरसात नहीं हुई अगर बरसात उस जगह होती और खेत जोतते तो या तो खेत जोत नहीं सकते थे और जोतने की भी जरूरत पड़ती और जोते होते, तो कई किसान उन बारूदी सुरंगों से मरते।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इस बारे में भारत सरकार को अपनी एक रिपोर्ट और भारत सरकार इन लोगों की तत्काल सहायता करें। जिन लोगों को हटाया गया है उन्होंने दूसरी जगह झौंपड़े बनाए हैं, उनको तहसीलदार, एस.डी.ओ., कलक्टर की रिपोर्ट

(श्री अमीन खान)

के आधार पर मुआवजे के रूप में रुपया मिले और जिन लोगों ने अपने गांवों में मवेशी के मरने या मिलिट्री वालों के सोर्स के आदमी खतम हुए उन आदमियों को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से मुआवजा अच्छी तरह और पूर्ति करने लायक दिलाया जाये। यही मेरी आपके मार्फत सरकार से मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

पैराटीचर्स/शिक्षा सहयोगियों का नियमितीकरण

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक विशेष महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां राजस्थान की स्थापना की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हमारी सरकार ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की। स्वर्गीय राजीव गांधी, जिनके बारे में कल सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बड़े-बड़े विश्लेषण लगा रहे थे, दूसरे लगा रहे थे और राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं जो राजस्थान की उन दूरदराज की ढाणियों और गांवों में खोली गई हैं और उनमें जो पैराटीचर्स और शिक्षा सहयोगी के रूप में लगाए गये हैं, जिनकी संख्या राजस्थान में 38782 के करीब है। आप उन तमाम पैराटीचर्स और शिक्षा सहयोगी जिन्हें अल्प वेतन भोगी कह दीजिए, उनका भत्ता कह दीजिए, यह राजस्थान में शायद कहीं भी नहीं होगा। चालीस रुपये रोजाना के हिसाब से उनसे काम लिया जा रहा है वह उन पाठशालाओं को चलाएंगे, पांच कक्षाओं को पढ़ायेंगे और उनको भत्ते के रूप में मात्र चालीस रुपया दिया जा रहा है। वह अपनी व्यथा को लेकर जहां राजीव गांधी के जन्मदिन को मनाया जा रहा था, 20 अगस्त को, राजस्थान के वह तमाम शिक्षा सहयोगी और पैराटीचर्स जिनमें 33 प्रतिशत महिलाएं थीं। सरकार ने जिस तरह से उनके साथ बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, पैराटीचर्स के साथ, जो अपनी मांगों को लेकर राजस्थान सरकार के सामने, सचिवालय के सामने अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उनकी निर्मम पिटाई की गयी। उसी सरकार के मुखिया द्वारा की गयी जिसने 1998 में इसी राजस्थान के सचिवालय के किंवाड़ तोड़ करके अन्दर घुस गये थे और जब शिक्षा सहयोगी और पैराटीचर्स अपने हकों के लिए यहां आए, तो उन पर निर्ममतापूर्वक लाठियां चलायी गयी। कानून और व्यवस्था की बात करने वाली सरकार और उसके मुखिया 1998 में राजस्थान के सचिवालय में पहुंचकर तोड़-फोड़ कर सकते हैं। उनके लिए कुछ नहीं लागू है और चालीस रुपये रोजाना में 38 हजार से ज्यादा शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर्स जो राजस्थान के अशिक्षित, उस गरीब को, जिसको कि आप गणेश मानने की बात करते हैं उसको ऊपर उठाने की बात करते हैं, उस परिवार के बच्चों को पढ़ाने का काम करें और अपनी वाजिब मांगों को लेकर राजस्थान के सचिवालय और सरकार के सामने जब आए

(श्री अमराराम)

तो उसके साथ यह सलूक किया। केवल लाठियों से वार नहीं किया गया, 20 तारीख की रात को लाठी चार्ज और पिटाई के बाद उन पर मुकदमें बना दिये गये। सचिवालय के समीप स्टेच्यू सर्किल पर 200 लड़के बैठे हुए थे, रात को दो बजे सोये हुए लड़कों पर जिस तरह से फिर निर्मम लाठीचार्ज करके उनके टैंट को ले जाया गया। केवल यहीं तक नहीं है राजस्थान विधान सभा में... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : रात को सोते हुए लोगों पर किस प्रकार से लाठी प्रहार करके मार रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान का सर्वोच्च सदन आज चल रहा है, पिछली 26 तारीख से चल रहा है। राजस्थान के विभिन्न-विभिन्न वर्गों के लोग, चाहे किसान हों और दूसरे लोग हों, अपनी-अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके लिए सरकार मिलने का टाइम दे रही हैं। लेकिन पैराटीचर्स ने क्या बुरा किया है? राजस्थान की सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं- "धरने कार्यक्रम को अनुमति दिया जाना उचित नहीं है।" राजस्थान के वह 38 हजार पैराटीचर्स राजस्थान के सर्वोच्च सदन के सामने धरना भी नहीं दे सकते हैं क्या राजस्थान की सरकार जनतंत्र में विश्वास रखती है या तानाशाही में विश्वास रखती है? केवल पैराटीचर्स जिनसे राजनीतिक उपयोग करना चाहते थे आज वह अपनी मांगों के लिए आते हैं तो.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तानाशाह तो हैं यह।

श्री अमराराम (धोद) : वह धरना नहीं दे सकता। जिस बात के लिए राजस्थान के बहुत से कर्मचारी लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने वह आदेश निकाला है। राजस्थान के पैराटीचर्स ने 22 तारीख को जयपुर में जिला कलक्टर के सामने धरने की अनुमति के लिए एक पत्र दिया। कल उनको लिखित में दिया गया है कि पैराटीचर्स सचिवालय के सामने स्टेच्यू सर्किल पर धरना नहीं दे सकते। क्या आतंकवादी हैं? (व्यवधान) क्या यह न्याय है? इसलिए हम सरकार से यह चाहते हैं कि जो यह कार्य किया गया है, जो लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको सस्पैंड किया जाए और जो धरने के लिए मना करने वाले अधिकारी हैं उनको सस्पैंड किया जाए वरना सरकार यह कह दे कि हम जनतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन और धरने से इसकी मनाही करते हैं। राजस्थान सरकार राजस्थान के शिक्षित और ट्रेण्ड जो नौजवान हैं, उनके साथ जो वायदा खिलाफी कर रही है। बार-बार शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्रीजी

(श्री अमराराम)

ने घोषणाएं की हैं कि उनकी कार्य क्षमताओं के आधार पर उनको थर्ड ग्रेड का स्थाई टीचर बनाया जाएगा।

इसलिए हम तीन चीजें चाहते हैं, जिन्होंने इन पैराटीचर्स और शिक्षा सहयोगियों के साथ अमानवीय लाठीचार्ज करके उनको घायल किया है, उनको धरना देते हुए.... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : घायल नहीं किया है, हाथ तोड़ दिया है, सर फोड़ दिया है....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उन अधिकारियों को बरखास्त किया जाए और उन पैराटीचर्स को कब तक स्थाई किया जाएगा? इसकी एक योजना, जो सरकार की मंशा है.... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : घायल नहीं किया है....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अगर सरकार नहीं करना चाहती है तो इस सदन में घोषणा कर दे कि पैराटीचर्स को केवल 40 रुपये में रखा जाएगा कभी स्थाई नहीं किया जाएगा। हमारी मांग यह है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा अन्याय अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अंग्रेजों के राज में भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : हर क्षेत्र में आप लोगों की तानाशाही इस सरकार की तरफ से हो रही है.... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह सरकार लाठी और गोली कब तक चलायेगी? (व्यवधान)

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा हाथ के संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री जीतमल खांट : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

श्री सुरेन्द्र व्यास : xxx

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : xxx

श्री सुरेन्द्र व्यास : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप काहें पर बोल रहे हैं?

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह पर्ची पर बोल रहे हैं, डिबेट थोड़े ही है।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपालजी, बोलिये, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, आई विल नोट अलाउ। यह कोई डिबेट थोड़े ही है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची जिनकी है, बोलने का अधिकार है उनका। धर्मपालजी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपालजी, बोलो। आपकी आवाज बुलन्द है, आप बोलो तो बन्द हो जाएगी, आप बोलो।

श्री मदन दिलावर : ×××

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा हाथ के संकेत से अंकित न करने के निर्देश)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी। श्री धर्मपालजी। श्री धर्मपालजी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : बोल रहा हूं, साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय प्रारम्भ से, पहले दिन से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भेजा। पर्ची के माध्यम से भी हम लोगों ने लगाने की कोशिश की। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह इतना संवेदनशील विषय है। जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है, सरकार को चलाकर इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए। मैं सोचता हूं कि उनकी जो वाजिब मांग थी, क्या थी, क्या नहीं थी और लाठीचार्ज जिस तरह से हुआ है, जिस निर्ममता से पीटा

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और उस दिन, दिन में ही नहीं, रात्रि में बैठे हुए लोगों को पीटना, उनके तम्बू उखाड़ कर ले जाना, यह तो किसी भी लोकतंत्री व्यवस्था में नहीं है। चला कर होना तो यह चाहिए था कि सरकार को यहां आकर, प्रतिवेदन या उस पर वक्तव्य देना चाहिए था कि वास्तव में घटना क्या थी और क्या नहीं थी। इससे संदेश यह गया कि सरकार ने जबरन एक तरह से क्रश करने की दृष्टि से अपने प्रशासन को शायद कोई ऐसे डायरेक्शन दे रखे हैं जिसके कारण से सीमा से बाहर निकल कर पुलिस अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है और उसके बाद भी सरकार मौन बैठी है। अगर इस प्रकार का अत्याचार, अगर सरकार को यह लगता है कि पुलिस प्रशासन ने गलत काम किया तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस प्रशासन के जिन लोगों ने भी इस प्रकार का गलत काम किया उनके विरुद्ध कार्यवाही करे। लेकिन सरकार का मौन रहना यह प्रदर्शित कर रहा है कि सरकार के ही इशारे पर पुलिस वालों ने इस प्रकार का जुल्म किया और उस दिन लाठीचार्ज किया और रात्रि को और जाकर उनके तम्बू उखाड़ कर वहां लाठीचार्ज किया। इसके बाद भी मौन बैठे रहेंगे और सारा सदन इस बात को जान रहा है, सुन रहा है, देख रहा है और उसके बाद भी हम अगर कोई बात न्याय की कहने की स्थिति में नहीं हैं, तो प्रदेश में इसका क्या मैसेज जाने वाला है, क्या लोग सोचेंगे कि लोकतंत्री तरीके से भी विरोध प्रकट करना क्या कोई अपराध है?

आप और हम सब लोग यहां तक पहुंचे हैं, वह लोकतांत्रिक तरीके के आधार पर ही पहुंचे हैं। हम अपने हकों के लिए, जनता के हकों के लिए हमेशा लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे इसलिए जनता ने लाकर हमको इतने ऊंचे स्थान पर बैठाया। अगर वाज़िब बात के लिए भी, कोई अपने हक मांगने आए, उसके साथ यह ज्यादती करें और सरकार मौन रहकर यह सारा का सारा बरदाश्त करे। हम यहां से बार-बार इस बात को उठाते रहें और सरकार की तरफ से बिलकुल मौन, कुछ भी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं।

पर्ची तो आपके 10 बजे लग जाती है, जब यह विषय आया तो निश्चित रूप से गृह मंत्रीजी को मौजूद रहना चाहिए था। यह पर्ची के माध्यम से अगर विषय उठा तो निश्चित रूप से लाठीचार्ज का विषय उठेगा, उठेगा तो उसके बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बात को जानते हैं कि पर्ची के माध्यम से जो चीज उठती है उसकी कोई सरकार को सूचना जाती नहीं है। सरकार को पता नहीं है किस विषय पर बोलेंगे। यह तो 10 बजे तक पर्ची आती है। (व्यवधान)

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा हाथ के संकेत से अंकित न करने के निर्देश)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आज तक नहीं हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह एक ऐसा विषय है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार को अपना पक्ष अपने आप रखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप गवर्नमेंट को नोटिस देकर इस विषय को उठाते तो गवर्नमेंट को पता होता, जवाब देने की स्थिति में होते। आज आप पर्ची के माध्यम से उठा रहे हैं। न तो यहां शिक्षा मंत्री मौजूद हैं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चलकर अपना वक्तव्य स्वयं देना चाहिए था, घटना कितने दिन पहले हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : How do they know? उनको पता है क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और उसके बाद भी, नहीं पता क्या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : उनको क्या पता कि पर्ची से क्या उठा रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार को पता नहीं, लाठीचार्ज हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची से क्या उठा रहे हो, उनको क्या पता?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार को पता नहीं, लोगों के तम्बू उखाड़ कर, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची के माध्यम से उठा, सरकार को क्या पता कि यह पर्ची के माध्यम से उठा है और जवाब तैयार करना है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर इस प्रकार से अपने हक के लिए, इस प्रकार से अपनी मांग लेकर आने वाले लोगों पर जिस प्रकार से किया।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपकी बात ठीक है, लेकिन इमीजिएट सरकार कोई जवाब दे दे, वह स्थिति अभी है नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन अगर इस तरह से इतना सब हो जाने के बाद भी, इस विषय को इतने दिन हो जाने के बाद भी आज जिस प्रकार से...

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

धरना

पैराटीचर्स पर लाठी चार्ज

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों को भी वेल में आना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हम इस बारे में नहीं कह सकते।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : करे जाओ न, मैं यहीं बैठा हूं। करे जाओ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कर दिया न। अलाउ किया है बात को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : वह नोटिस देना। आपके पास क्या है? क्या पढ़ा? आर्डर क्या है? क्या आर्डर हैं उनके पास?

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) **:** यह रहा, यह रहा। आर्डर है, उपाध्यक्ष महोदय। उनको असामाजिक तत्व कहा, धरने की इजाजत तो, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है, धरने की इजाजत दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ने तो दो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सी. पी. जोशी साहब यहां बैठे हैं, इनसे प्रार्थना है कि जो बात कही है, बात करने में क्या एतराज है? आप उनको समझा सकते हैं, वह आपका जो स्टैण्ड उसको बता सकते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या है? वह आर्डर ही नहीं है, बेकार कर रहे हो आप। उस आर्डर को पढ़ो आप। उसको पढ़ो पहले, ऐसे ही बातें करते हो। यों ही फालतू कोई कागज उछाल दिया। उसको पढ़ो। (व्यवधान) उसको जाकर पढ़ो आप। (व्यवधान) काहे का जवाब दिला दूं। काहे का जवाब दिला दो।

डा. सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) **:** उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रोसिजर है उसमें इश्यू लेकर आएं, सरकार जवाब देगी। 295 में कोई तरीका थोड़े ही है। (व्यवधान) कोई जरूरी नहीं है। करो, करते रहो, क्या तकलीफ है। कोई तरीका उसमें नहीं होता क्या? यह थोड़े ही होता है। पर्ची में नहीं होता है। कोई तरीका है, उसमें लाएं, सरकार कोई मना नहीं कर रही है। आप लाएं। 295 में तो बोल लिये। 295 में तो क्या बात करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी, आप बोलना चाहते हो? बोलो आप। बोलना है, तो बोलो। श्री ज्ञानचन्द पारख। श्री ज्ञानचन्दजी

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

पारख, आप बोलना चाहते हो? तो बोलो आप फिर। (व्यवधान) मैं इनडेफिनेट पीरियड तक हाउस थोड़े ही रोकूंगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : सरकार जवाब देगी, 295 पर नहीं। यह तो गलत परम्परा हो जाएगी। बाकी आप लाएं, सरकार बात करेगी। 295 पर तो इम्पोज करना हो गया। Why are you imposing it? 295 के अलावा आप लाएं, सरकार बात करेगी। 295 पर तो इम्पोजन हो जाएगा। यह रांग परम्परा होगी, बाकी यहां कोई तकलीफ है सरकार को? पर्ची पर कोई जरूरी थोड़े ही है। माननीय विरोधी पक्ष के नेता गुलाबजी कटारिया बने हुए हैं, 295 में कहीं जवाब देना जरूरी है? आप लाएं, हम जवाब देंगे। पर 295 में इम्पोज करना चाहते हैं, यह तो गलत परम्परा करेंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। आप लाएं दूसरे तरीके से। आप लाएं, इसमें एडजोर्नमेंट मोशन लाइये, क्या तकलीफ है। 295 में मत करिये, बाकी आपको जवाब देगी सरकार। यह कोई आर्गुमेंट थोड़े ही है। यहां रोज दे रहे हो यह। (व्यवधान) वह तो उनसे पूछो, इसका जवाब तो वे देंगे। वे तो करेंगे। आप जो कर रहे थे वह हम नहीं कर रहे हैं। आप कौनसी आरती उतार रहे थे। आप आरती उतार रहे थे क्या? (व्यवधान) हमें जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 295 की सेंक्टिटी के साथ सरकार को बाध्य नहीं करें, यह गलत परम्परा हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (नगरीय विकास मंत्री) : मैं नहीं बोलूं, आप कहो तो नहीं बोलूं, बैठ जाऊं?

श्री उपाध्यक्ष : किसने कहा आपको बोलने के लिए? नहीं, काहे को दे दें। (व्यवधान) नहीं दो। माननीय ज्ञानचन्दजी पारख। मैं पर्ची पर नहीं दूंगा, एक बात। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, आप सुन लीजिए। (व्यवधान) आप सुनिए, एक बात सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि जो के आर्डर कोर्ट कोट कर रहे हैं, जिस तरह से वे बोल रहे हैं वह आर्डर नहीं है। दूसरी बात यह है कि पर्ची पर कभी भी गवर्नमेंट फोर्स नहीं करूंगा कि आप जवाब दीजिए। मैं कभी भी फोर्स नहीं करूंगा। आई विल नोट फोर्स। आप चाहे तो आप किसी दूसरे तरीके से इसको उठा दीजिए मैं उस पर अलाउ कर दूंगा। आप नोटिस दे दो न। (व्यवधान) मैं क्यों दिलवा दूं? आप नोटिस दो, जवाब आ जाएगा। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा मंत्रीजी को। मैं नयी प्रेक्टिस नहीं डालने देना चाहता। मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) किसका दिलवा दूं? आप ले आना कल। आप कल नोटिस देकर ले आना, जवाब दिला दूंगा। पर्ची पर जवाब में मंत्री से नहीं दिलाउंगा। मैं गलत प्रेक्टिस नहीं करूंगा। आई विल नोट अलाऊ। आप ले आओ न। हाउस का आज लास्ट डे नहीं है। (व्यवधान) सुनिए, हाउस का आखिरी दिन नहीं है। आप

(श्री उपाध्यक्ष)

कल ले आइए। कल ले आइए जवाब दे देंगे। ले आएं आप। काहे पर दिलाऊं? (व्यवधान) दिया है, तो उस पर विचार कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। जब भी हो जाएगा अध्यक्ष महोदय फैसला कर लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बिना पर्ची के भी आप अलाउ करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस सदन के अन्दर जब पूरा प्रतिपक्ष इस बात के लिए आपको आग्रह कर रहा है। हम चाहते क्या हैं, हम दो ही तो बात चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। आप इतने विद्वान आदमी हो, आपने उस आर्डर को पढ़ा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, पढ़ा है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : तो उसमें क्या रोक है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसमें यह है कि स्टेच्यू सर्किल पर धरना नहीं दे सकते।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेच्यू सर्किल पर नहीं आएंगे। धरने की रोक नहीं है उसमें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, स्टेच्यू सर्किल पर धरना नहीं दे सकते।

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या बात हुई?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं लिखा उसमें। आप पढ़कर सुनाओ। वह आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, पढ़ो न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुनाओ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आदेश है। "कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर (दक्षिण), जयपुर। इसका क्रमांक है, तारीख है 27.8.2002। श्री शम्भूसिंह मेड़तिया, प्रदेश संयोजक, राजस्थान शिक्षा सहयोगी संघ छात्र संगठन, जोधपुर। आपके आवेदन पत्र दिनांक 26.8.2002 के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, शहर (दक्षिण), जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3856, दिनांक 27.8.2002 द्वारा स्टेच्यू सर्किल पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से धरना, कार्यक्रम की अनुमति दिया जाना..."

श्री उपाध्यक्ष : धरना कहां बंद कर दिया?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : व्यवस्था की दृष्टि से धरना कार्यक्रम....

श्री उपाध्यक्ष : किसी पर्टीकुलर प्लेस पर बंद किया है। पर्टीकुलर प्लेस पर आप नहीं करेंगे। धरना कहां बंद कर दिया?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुनो तो सही।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये दो बातें एक साथ नहीं हो सकतीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ो न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप सुनें तो सही।

डा. महेश जोशी : क्यों सुने?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुनिए, सुनिए, एक मिनट (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में ये धरने पर भी बैठें और बोलना भी चाहते हैं ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकतीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : धरना, कार्यक्रम....

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोलना चाहते?

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग नहीं सुनेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुनो।

डा. महेश जोशी : हम लोग नहीं सुनेंगे। दोनों बातें एक साथ नहीं होंगी। या तो आप धरना दो या आप बोलिए मत।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : धरना, कार्यक्रम की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है। यह लिखा है उसमें।

श्री उपाध्यक्ष : उस स्थान पर। ऑन दी पर्टीकुलर प्लेस।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : धरना, कार्यक्रम की अनुमति है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको कंफ्यूज मत कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : धरना, कार्यक्रम की अनुमति है और क्या लिखोगे?

श्री उपाध्यक्ष : आप दीजिए न धरना, कौन रोक रहा है आपको?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह कहा है धरने, कार्यक्रम की अनुमति...

श्री उपाध्यक्ष : सिक्योरिटी रीजन से उस पर्टीकुलर प्लेस पर देना अलाउड नहीं है तो नहीं है। इसमें क्या बात है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : भारतीय जनता पार्टी को तो छात्र संघ के चुनावों में हार का विलाप है यह।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बिराजो, बिराजो।

श्री संयम लोढ़ा : सूपड़ा साफ हो गया आपका पूरे राजस्थान के अन्दर और इसका विलाप इस तरीके से कर रहे हो आप लोग यहां पर। (व्यवधान) कोई मुद्दा आपके पास नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, आजादी के बाद में 50 साल में पहली बार अगस्त माह के अन्दर राहत कार्य इस सरकार ने शुरू किए हैं। कोई मुद्दा आपके पास बचा नहीं है। छात्र संघ चुनाव की हार की भड़ास आप यहां पर उन छात्रों के माध्यम से निकालना चाहते हो।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। डा. कमला।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय,आप सदन की कार्यवाही स्थगित करना चाहते हैं। पूरा विपक्ष धरने पर बैठा रहे, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात पर गौर करेंगे। पूरा प्रतिपक्ष मात्र दो बात को लेकर धरने पर है।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

डा. (श्रीमती) कमला (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 23 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं।

1. अधिसूचना संख्या प. 6(44)राज-6/2001/2 दिनांक 28.1.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या प. 10(5)राज-6/2000/12 दिनांक 17.4.2002 जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1995 की धारा 183-बी के अन्तर्गत तहसीलदार की शक्तियां पंचायत समिति को हस्तान्तरित की गई है;

3. अधिसूचना संख्या प. 13(1)राज-6/2000/13 दिनांक 17.4.2002 जिसके द्वारा राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को महापंजीयक, पंचायत समिति को पंजीयक एवं ग्राम पंचायत सहायक पंजीयक, अधिसूचित क्षेत्रों बाबत नियुक्त किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या प. 6(13)राज-6/91 पार्ट-1/14 दिनांक 18.4.2002 जिसके द्वारा आदेश क्रमांक एफ. 5 (109)राज-8/60 दिनांक 20.7.1963 में संशोधन किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या प. 6(63)राज-6/2001/15 दिनांक 18.4.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई के प्रयोजनों के लिए कुएं खोदने और पम्पिंग सैट लगाने के लिए भूमि का आबंटन) नियम, 1979 में संशोधन किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या प. 6(56)राज-6/2001/18 दिनांक 22.4.2002 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या प. 6(5)राज-6/2001/19 दिनांक 22.4.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या प. 6(63)राज-6/2001/23 दिनांक 1.5.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई के प्रयोजनों के लिए कुएं खोदने और पम्पिंग सैट लगाने के लिए भूमि का आबंटन) नियम, 1979 में संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या प. 6(39)राज-6/2001/24 दिनांक 2.5.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (खेती के लिए तालाब तल भूमि का आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या प. 6(3)राज-6/2001/25 दिनांक 2.5.2002 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है;

(डा. (श्रीमती) कमला)

11. अधिसूचना संख्या प. 6(18)राज-6/94/26 दिनांक 2.5.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (एग्रोबेस्ड एक्सपोर्ट ओरियेंटेड प्रोड्यूस के लिए भूमि का आबंटन) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या प. 6(5)राज-6/2001/27 दिनांक 18.5.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किया गया है;

13. अधिसूचना संख्या प. 6(13)राज-6/1991/पार्ट-1/30 दिनांक 25.5.2002 जिसके द्वारा आदेश क्रमांक प.5 (109) रेव-8/60 दिनांक 20.7.1963 में संशोधन किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या प. 6(5)राज-6/2001/32 दिनांक 28.5.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किया गया है;

15. अधिसूचना संख्या प. 6(39)राज-6/2001/37 दिनांक 3.6.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (खेती के लिए तालाब तल भूमि का आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन किया गया है,

16. अधिसूचना संख्या प. 10(2)राज-6/2000/पार्ट-1/38 दिनांक 3.6.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या प. 6(30)राज-6/2000/40 दिनांक 15.6.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि का आबंटन) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

18. अधिसूचना संख्या प. 6(56)राज-6/2001/41 दिनांक 15.6.2002 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है;

19. अधिसूचना संख्या प. 6(33)राज-6/2001/44 दिनांक 27.6.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ईंट भट्टा के स्थापन के लिए भूमि का आबंटन एवं संपरिवर्तन) नियम, 1987 में संशोधन किया गया है;

20. अधिसूचना संख्या प. 10(6)राज-6/1998/45 दिनांक 2.7.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

21. अधिसूचना संख्या प. 10(2)राज-6/2000/पार्ट-1/47 दिनांक 20.7.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

(डा. (श्रीमती) कमला)

22. अधिसूचना संख्या प. 14(1)राज-6/2002/48 दिनांक 31.7.2002 जिसके द्वारा आदेश क्रमांक प. 5 (109)रेव-8/60 दिनांक 20.7.1963 में संशोधन किया गया है एवं

23. अधिसूचना संख्या प. 11(1)राज-6/2002/50 दिनांक 13.8.2002 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक तो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो पैराटीचर्स को है वह प्रदान किया जाए। इनको धरने की अनुमति दी जाए और उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा उनसे मिल लिया जाए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री इस मामले में इंटरवीन करते हैं तो आप उनको बोलने नहीं देते हो।

श्रम एवं नियोजन विभाग

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम एवं नियोजन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 3(8) लीगल/एफ एण्ड बी/98, दिनांक 16 अप्रैल, 2002 जिसके द्वारा राजस्थान कंट्रोल आफ इण्डिस्ट्रियल मेजर एक्सीडेंट हैजर्डस रूल्स, 1991 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 32वां प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 सदन की मेज पर रखता हूं।

(14.00 बजे)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन में पंचायत राज पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आने दो मौका जब करवाएंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कैसे आएगा? जब आप इस डैड लोक को रिजोल्व ही नहीं करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

राजस्थान राज्य श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 2000-2001 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आसन से यह अपेक्षा की जाती है कि विपक्ष यदि किसी बात को लेकर आज जीरो आवर में धरने पर बैठा हुआ है और मंत्रीजी इन्टरवीन करना चाहते हैं, मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं और आसन अनुमति नहीं दे रहा है।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति 2002-2003 का 56 से 60 वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 2002-2003 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष, 1995-96) से सम्बन्धित समिति का 56वां प्रतिवेदन।
2. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण) प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष, 1995-96 से सम्बन्धित समिति का 57वां प्रतिवेदन।
3. राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष, 1996-97) से सम्बन्धित समिति का 58 वां प्रतिवेदन।
4. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) वर्ष, 1996-97 से सम्बन्धित समिति का 59वां प्रतिवेदन।
5. राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष, 1994-95 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2001-2002 के 34वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही) से सम्बन्धित समिति का 60वां प्रतिवेदन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आसन का तो यह कर्त्तव्य है कि अपोजिशन के और गवर्नमेंट के अगर कन्फ्रन्टेशन हो तो उसको समझाइश-बुझाइश कराकर रिजोल्व करे क्राइसिस को, आप तो खुद क्राइसिस पैदा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनुमान प्रसादजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गवर्नमेंट रेस्पोंड कर रही है, आप अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हनुमान प्रसादजी।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2002-2003 का तृतीय प्रतिवेदन

श्री हनुमान प्रसाद (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2002-2003 का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पैराटीचर्स की डिमाण्ड्स की मैरिट के ऊपर आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हम मात्र दो बात निवेदन कर रहे हैं, उनको धरने की अनुमति प्रदान की जाए और उनसे बात कर ली जाए। दुनिया भर से आप बात करते हो और पैराटीचर्स के डेलिगेशन से मिलने में क्या दिक्कत है, क्या कठिनाइयां हैं उसके अन्दर?

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के मध्य बैठे हुए सभी माननीय सदस्यगण जो हैं से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आज हम जिस अधिकार की चर्चा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं और खास तौर से पंचायती राज को कैसे हम ज्यादा सुदृढ़ कर सकें। पंचायती राज स्तर पर बैठे हुए जन प्रतिनिधियों को, जो हमारी प्रथम इकाई है उनको हम कैसे....

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री मानिक चन्द सुराना : पर्चियां बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बाकी नहीं है, मैंने कॉल अपान कर लिया।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कॉल अपान किया, पर्चियों के लिए क्या करूं? नहीं बोल रहे हैं, मैं क्या करूं?

श्री मानिक चन्द सुराना : पर्चियों पर आप कॉल अपान करें।

श्री उपाध्यक्ष : आई कॉल अपान देन।

श्री मानिक चन्द सुराना : पर्चियों पर आप कॉल अपान करें।

श्री उपाध्यक्ष : दो दफा मैंने कॉल अपोन किया है। यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। बोलो।

श्री मानिक चन्द सुराना : पर्चियों पर कॉल अपान करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाउस आर्डर में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस आर्डर में नहीं है, तो आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं? मेरा क्या कसूर है?

श्री मानिक चन्द सुराना : दुबारा करें, पर्चियों पर अपने कॉल अपान नहीं किया, बीच में तो धरना चल रहा है। पर्चियों पर कॉल अपान नहीं किया गया है, धरना चल रहा है। पर्चियों पर बोलने की इजाजत दें उनको जिनकी पर्चियां हैं वे बोलने को तैयार हैं। धरना चलता रहेगा, पर्चियों पर बोलते रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है?

श्री उपाध्यक्ष : क्या बोलेंगे? अब तो गया समय, तीन दफा बोल दिया।

विभिन्न विषयों पर विचार

पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और संविधान संशोधन भावनानुरूप उनके सशक्तीकरण पर विचार

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज और सहकार की भावना हिन्दुस्तान की आत्मा रही है और यह धारणा सदियों से चली आ रही है लेकिन फिर भी हमारी सामाजिक संरचना थी, धीरे-धीरे सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं ने अपना फन फैलाना शुरू किया और जो

(14.03 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

सामाजिक व्यवस्था हमारे लिए वरदान थी वह भी धीरे–धीरे अभिशाप के रूप में सामने आने लगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापतिजी, पर्चियों पर आप बोलने की इजाजत उनको दें जिनके नाम पर्चियों में हैं। धर्मपालजी चौधरी, ज्ञानजी पारख और अन्य माननीय सदस्य जिनका भी नाम है उनको बोलने दें।

श्री सभापति : उपाध्यक्षजी ने निर्णय दे दिया। माननीय पारीकजी बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : हमारी आबादी का 85 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक सपना संजोया था कि हमारी ग्राम स्वराज की व्यवस्था इस राजस्थान की आत्मा और हिन्दुस्तान की आत्मा के रूप में लोगों के दिलों में बसे और उनकी इस परिकल्पना को साकार करने के लिए ही हम आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। संविधान की भी मंशा थी। संविधान की 40वीं अनुसूचि में यह स्पष्ट मंशा थी कि पंचायतों को हम इतने अधिकार दें। उन्होंने साफ अंकित किया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकार प्राप्त करेगा जो उसे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। माननीय सभापति महोदय, जब हम इस मूल भावना के रूप में राजस्थान और हिन्दुस्तान में महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए ग्राम स्वराज की कल्पना करने लगे। धीरे-धीरे 1953 में हमने यह शुरूआत की लेकिन जो मंशा थी, जो मूल भावना थी वह तब भी अधूरी थी। बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957 से 1959 तक चली। उस रिपोर्ट के आधार पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर नागौर में एक द्वीप प्रज्जवलित किया गया। माननीय सभापति महोदय, वह छोटा सा दीप जो सम्माननीय नेहरूजी ने प्रज्जवलित किया था, धीरे-धीरे राजीव काल तक वह एक मशाल के रूप में हमारे सामने प्रज्जवलित हुआ।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज की जिस अवधारणा से हम पूरे इस राष्ट्र को लाभान्वित करना चाहते थे उसमें कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी अड़चनें हमारे सामने आईं जो बढ़ती हुई आबादी के लावे के रूप में हमारे सामने थी। हमने पंचायतों को अधिकार देने की इच्छा जाहिर की थी लेकिन हम उनके लिए सारे के सारे जो संसाधन हम जुटाना चाहते थे वह हम नहीं जुटा पाए। एक अनवरत यात्रा जो 1959 से लेकर लगातार चलती रही। माननीय सभापति महोदय, कई कमेटियों के माध्यम से, चाहे सादिक अली अध्ययन दल हो, गिरधारी लाल व्यास कमेटी हो, अशोक मेहता कमेटी हो, जी.बी.के. राय कमेटी हो, डाक्टर अश्वना सिंघवी कमेटी हो, सरकारिया कमीशन हो, पी. के. थुंगन कमेटी हो, हरलाल सिंह खर्रा कमेटी हो, इन सारी कमेटियों का मूल मंतव्य यह था कि कैसे भी ग्राम स्वराज की इस अवधारणा को लागू करें। लेकिन इसको लागू करने के पीछे मंतव्य होना अलग बात है और वह सारा वातावरण जो हम उसके लिए तैयार करना चाहते थे, वह अलग बात है।

श्री सभापति : एक मिनट। माननीय मदनजी दिलावर, आसन को बाध्य मत कीजिए, आप इसमें बाधा मत डालिये। आप बैठिये आराम से, धरना देवें आप। आराम से बैठिए आप। आप आसन को बाध्य मत कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान की बढ़ती हुई इस आबादी ने हमारी सारी व्यवस्थाओं को जिस तरह से लीलना शुरू किया, हमारी स्थिति यह थी कि हिन्दुस्तान को, इस मुल्क को हम पूरी तरह से अनाज उपलब्ध करवाने में असमर्थ थे। इन्दिरा गांधी का वह आह्वान था, उनके इस आह्वान के पहले जहां हम दाने-दाने के लिए मोहताज रहते थे, इन्दिरा गांधी का वह आह्वान था जिसके चलते हिन्दुस्तान के लिए किसानों ने धरती का सीना चीरकर इतना अनाज पैदा कर दिया कि आज हम फक्र के साथ यह कहने की स्थिति में हैं कि न केवल हम एक अरब लोगों के मुल्क के लिए अनाज पैदा करते हैं बल्कि पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं।

एक युगान्तकारी परिवर्तन हुआ और राजीव गांधीजी ने प्रधानमंत्री के रूप में हमारे मुल्क की बागडोर सम्भाली। जब प्रधान मंत्री के रूप में इस देश का नेतृत्व उन्होंने सम्भाला, तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हम अनाज के लिए सक्षम हैं लेकिन जिस मूल भावना, जिस वातावरण की, जिन लोगों में एक जागृति की, एक जनचेता की जो आवश्यकता थी उसका बड़ा भारी अभाव था। उनको यह साफ लग रहा था कि हम आजादी के इतने वर्षों के बाद भी पूरी दुनिया के सामने आज हम बहुत पिछड़े हुए हैं। उनके मन में इस बात की ललक थी, एक परिकल्पना थी कि कैसे हम पूरी दुनिया के सामने अग्रणी मुल्कों के रूप में अपने आपको

(श्री राजेन्द्र पारीक)

स्थापित करें। इस सोच के साथ उन्होंने जब अपने कदम आगे बढ़ाए, माननीय सभापति महोदय, जब दौरे में लोगों से वे मिलने के लिए जाते थे, तब उन झौपड़ियों में गरीब बच्चों को मिट्टी से सने हुए अपनी आंखों से देखते थे तो उनकी आंखों में एक प्रश्न तैरता था कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्या हम वास्तव में आजाद हो पाए हैं, क्या आजादी के इतने वर्षों बाद भी ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार कर पाए हैं, आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमको जो अधिकार मिलना चाहिए था, क्या हमें यह अधिकार मिला? राजीवजी जब इन छोटी-छोटी झौपड़ियों में जाकर उन लोगों से जब वह मिलते थे उनकी आंखों में झांकते थे तो बार बार उनके हृदय में एक पीड़ा उठती थी। उनको इस पीड़ा का अहसास होता था। वे सोचते रहते थे कि कैसे मैं इस मुल्क को अग्रणी श्रेणी में लाऊं। उनकी यही पीड़ा उनके मन में एक ज्वाला की तरह धधकती रहती थी और उसी ज्वाला की एक चिंगारी, जो छोटी सी थी, शोले के रूप में उनके मन में प्रस्फुटित हुई और उसका परिणाम यह निकला कि राजीवजी के मन में इस मुल्क को अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित करने के लिए कुछ विचार कोंधे और वो ही विचार थे जिन्होंने इस राष्ट्र को....

श्री सभापति : माननीय एक मिनट, माननीय रामसिंहजी। आप रखो न। बोलो आप। आप तो रखो न।

समिति का प्रतिवेदन

आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2002-2003 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री रामसिंह विश्नोई (सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति) : सभापति महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2002-2003 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वेल में नारेबाजी)

विभिन्न विषयों पर विचार

पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और संविधान संशोधन भावनानुरूप उनके सशक्तीकरण पर विचार

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, राजीव के मन में जो लगन थी कि कैसे हम राष्ट्र को उन्नति के उस शिखर पर पहुंचाएं। तब उनके मन में इस बात की परिकल्पना जगी कि कैसे साधन जुटाएं। हम 21वीं सदी में प्रवेश करें और उसके लिए उन्होंने जो साधन जुटाएं, जिस आई.टी. की उन्होंने परिकल्पना की, जिस संवाद सूचना को उन्होंने अग्रणी श्रेणी में लाने के लिए सेम पित्रोदा जैसे साइंटिस्टों को अपने यहां बुलाया और उन्होंने इस बात को जाहिर कर दिया, इस मन्शा को साफ जाहिर कर दिया कि किसी भी कीमत पर इस राष्ट्र को हम पिछड़े राष्ट्र के बजाय अग्रणी राष्ट्रों के रूप में स्थापित करना

(श्री राजेन्द्र पारीक)

चाहते हैं और आज आपके सामने यह सारी की सारी स्थितियां स्पष्ट हैं।

माननीय सभापति महोदय, दूर-दराज के उन गांवों में भी आज हम साफ इस बात को देख सकते हैं कि आम आदमी पूरी दुनिया के साथ इतने नजदीक से जुड़ गया है, जो कभी हमारे मन में हमने कल्पना भी नहीं की थी। आज जिन अधिकारों की हम मांग करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, यह शुरूआत, इसका बीजारोपण राजीवजी के उन सपनों में था। यदि राजीवजी वो सपने नहीं देखते, राजीवजी यदि दुनिया में हमारे इस मुल्क को अग्रणी श्रेणी में नहीं लाते तो आज दूर-दराज के गांव में बैठा वह व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपनी आंखों से देख रहा है....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

शायद देख भी नहीं पाता। आज वह पूरी दुनिया को इस बात के लिए देख रहा है कि किस तरह से विकास पूरी दुनिया में

(14.11 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हो रहे हैं तो उसके मन में भी इस बात की प्यास जगी कि मेरा मुल्क भी, मेरा गांव भी इस विकास की कड़ी में अपने आपको भागीदार बनाए और इस बहती हुई गंगा में....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो हमेशा आसन को सहयोग करने का मन ले करके ही काम कर रहे हैं और लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो विषय इस छोटे से सत्र में आने वाले हैं उन पर ठीक प्रकार से चर्चा हो। हमारी यह मंशा नहीं है कि चर्चा नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी घटना, दुर्घटना हो जाए और एक वाजिब हक के लिए कोई अपनी मांग ले करके आए और उसके साथ इस प्रकार का लाठीचार्ज हो, तो हम तो यह चाहते हैं कि सरकार कम से कम अपनी तरफ से कोई बात बोले तो सही, कोई जवाब तो दे। सरकार इसके बारे में वक्तव्य दे। हम लोग भी अगर उसमें कोई सवाल अपनी तरफ से पूछें तो कम से कम मैं सोचता हूं कि एक थोड़ी सी देर के वक्तव्य से कम से कम राजस्थान की जनता को भी मैसेज मिल सकता है और हम लोगों ने जो सवाल खड़े किए हैं उन सवालों का भी उत्तर मिल सकता है। हम तो बार-बार आपसे आग्रह इसी बात का कर रहे हैं कि आप वक्तव्य दिलाएं जिसके कारण से कम से कम सदन ठीक प्रकार से संचालित हो सके और पंचायत और नगरपालिका से सम्बन्धित जो कुछ भी हम इसका स्ट्रेंथन करना चाहते हैं उस पर ठीक प्रकार से सब लोग चर्चा में भाग लें ताकि उससे चर्चा का लाभ सारे राजस्थान की जनता को भी मिले और हमारे पंचायती राज और नगरपालिकाओं का भी इसमें स्ट्रेंथ हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप इस पर स्टेटमेंट तैयार करके कल दे देंगे?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (शिक्षा मंत्री): ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ठीक है, कल स्टेटमेंट दिलाएं। अपन सब लोग आ जाएं। बात तो इतनी सी थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ी कसरत तो होनी चाहिए न। पर्ची अब नहीं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा धरना समाप्त किया गया)

(14.14 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मुझे पहले ही पता था कि ये मेरे मित्र लोग हैं, ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते।

श्री सभापति : आप अब शुरू कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरी आंखों ही आंखों में गुलाब चन्दजी कटारिया साहब से बात हो गयी थी कि क्या चाहते हो तो बोले कि अभी इनको इधर लाता हूं। धन्यवाद आपको इसके लिए। आपने मेरी भावनाओं का आदर किया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, एक घटना जब कभी भी होती है तो उसके परिणाम दूरगामी होते हैं और उन दूरगामी परिणामों का ही यह नतीजा है कि तत्कालीन घटना, जब राजीवजी ने एक सोच यह पैदा की कि इस मुल्क को मैं 21वीं सदी में ले जाऊं, तो लोग उनकी सोच पर तब शायद हंसे थे। लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं था कि उनके मन में उपजी हुई यह साधारण सी सोच किसी दिन 2 अक्टूबर, 1959 को नेहरूजी द्वारा जलाई गई दीपक थी वह एक मशाल के रूप में हमारे सामने प्रज्वलित होगी। उनकी उस सोच का ही आज यह परिणाम है कि दूर-दराज में बैठे हुए उन ग्राम पंचायत के घरों में आम आदमी पूरी दुनिया के साथ इस कदर जुड़ गया है कि अमेरिका में क्या घटना घट रही है वह कुछ ही सैकिण्डों बाद उस घटना को दूर-दूराज के गांव में बैठे अपने टी.वी. पर देख सकता है। दूर-दराज बैठे हुए क्षेत्रों में वह अपने लोगों से बात कर सकता है और यह जो एक संवाद की रिक्तता थी, सूचनाओं के आदान-प्रदान में जो विलम्ब था जिससे पूरी दुनिया इतनी दूर फैली हुई थी कि हम सात समन्दर पार की बात करते थे लेकिन उनकी उस सोच ने सात समन्दर को कुछ सैकण्ड के फासले पर कर दिया।

वह उनका जो सोच था यह उसका ही परिणाम है कि हमने दूर-दराज बैठे हुए गांव के उस छोटे से गरीब को भी, जो डाउन ट्रोडन है, उसके मन में भी एक ललक पैदा कर दी, एक प्यास पैदा कर दी कि तुम भी पूरी दुनिया में जो कुछ विकास हो रहा है, तुम अपने आपको भी इस विकास की गंगा में शरीक कर सकते हो। तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम्हारे बच्चे शिक्षित हों। तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम इस विकास में अपने आपको भागीदार बनाओ। तुम्हारा भी हक बनता है कि हिन्दुस्तान की सरकार से चला हुआ वह एक-एक पैसा तुम्हारे भी हिस्से में आए, तुम्हारे बच्चों की भी शिक्षा का प्रावधान हो, तुम्हें भी अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिले।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

यह जो प्यास उन्होंने पैदा की, यदि यह प्यास राजीवजी पैदा नहीं करते, तो आज इतने वर्षों बाद भी हम शायद इस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित नहीं होते। उनके मन में इस बात की पीड़ा थी कि जब वे गांवों में जाते थे, उन झौंपड़ियों में जा करके उन गरीब बच्चों को जो मिट्टी से सने हुए होते थे, जब उनको देखते थे, उन बूढ़ी माताओं को जब अपनी आंखों से देखते थे, तो वे बूढ़ी आंखें उनसे पूछती थीं कि हे भारत के प्रधानमंत्री, क्या हमारे भाग्य में भी कुछ विकास लिखा है? क्या मेरा यह बच्चा भी कभी पढ़ने लायक होगा? क्या मेरा यह बेटा भी विकास के रूप में अपने आपको अग्रणी करेगा और तुम्हारे वहां से चला हुआ वह पैसा क्या मेरे हिस्से में भी आएगा?

उनकी यह सोच थी जिसने उनको मजबूर कर दिया कि जो महिलाएं इस मुल्क में इस आजादी के आधे हिस्से में हैं उनकी क्या स्थिति थी, उनके पास में क्या अधिकार थे। न शिक्षा का स्तर था, न सामाजिक स्तर था, न आर्थिक स्तर था। उन्होंने जब अपने दौरों में अपने युवा साथियों को देखा कि उनके पास में क्या अधिकार है। उनका जज्बा था, उनमें एक एहसास था, इस्टिंक्ट था वह जगा और उन्होंने महसूस किया कि इस मुल्क में युवा साथी जो 18 वर्ष के हैं, हम उन्हें कुछ अधिकार दें, हम इन्हें सरकार के सहभागी के रूप में आगे लाएं। उन्होंने वह अधिकार दिया। उन्होंने उन महिलाओं की आंख में जो स्वप्न देखा कि हम इस राज में भागीदार क्यों नहीं बनें और यही सारी बातें थीं जो हम समग्र रूप में देखते हैं तो 73 और 74वां अमेंडमेंट हमारी आंखों के सामने आता है। यह उसकी उपज थी, उस परिकल्पना की उपज थी और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि इस हिन्दुस्तान में पंचायती राज को यदि सुदृढ़ नहीं किया, यदि हमने गांधीजी के इस ग्राम स्वराज को सुदृढ़ नहीं किया, तो हमारी लोकतंत्र की अवधारणा, अवधारणा रह जाएगी। गांव में बसे हुए उस गरीब को यदि इस राष्ट्र के एक-एक पैसे का लाभ नहीं मिला, तो 50 वर्षों के हमारे इस लोकतंत्र का सफर अधूरा रह जाएगा और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया। जे महिलाएं घर में घूंघट निकाले बैठी रहती थीं वे प्रधान बनीं, वे प्रमुख बनीं, उन्होंने राज में भागीदारी निभायी और वह जो जागृति थी, जन जागृति थी, यह उस जन जागृति का परिणाम है कि आज यहां पर बैठकर अधिकारों को दूसरों को सौंपने की बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस पर मेरा एक छोटा सा एतराज है कि हमने इसको अधिकारों का स्थानान्तरण बता दिया जो एक विवाद का विषय बन गया। क्यों नहीं हम इसको अधिकारों के स्थानान्तरण की बजाय जिम्मेदारियों का स्थानान्तरण बताएं हम अपनी ड्यूटीज का स्थानान्तरण बताएं। हम अपनी लाइबिलिटीज का ट्रांसफर बताएं। हमने इसको ट्रांसफर आफ पावर बता दिया। यह ट्रांसफर आफ पावर नहीं है बल्कि ट्रांसफर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आफ ड्यूटीज है, ट्रांसफर आफ लाइबिलिटीज हैं और यह बात सुनिश्चित है कि एक अकेला व्यक्ति सारी जिम्मेदारियों का वहन नहीं कर सकता। इसलिए अत्यावश्यक था कि हम ग्रामसभा में बैठे हुए उस व्यक्ति को यह अधिकार दें कि जो कुछ तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो कुछ तुम्हारे लिए महत्त्वपूर्ण है, जो कुछ तुम्हारे इस गांव के लिए आवश्यक है, सबसे पहले तुम वह करो। हमारे सामने समस्या यह थी कि हम आकांक्षाएं तो बहुत पाल बैठे लेकिन इस बढ़ती हुई आबादी के लावे ने हमारी उन आकांक्षाओं पर तुषारापात कर दिया।

मैं क्षमा चाहते हुए विपक्ष से पूछना चाहूंगा, एक घटना जब घटती है तो उसका दूरगामी परिणाम होता है, यह मैंने पूर्व में भी कहा था। संजयजी ने एक सोच पैदा की, इस बढ़ती हुई आबादी के लावे को उन्होंने उस वक्त समझा था। उन्होंने इस मुल्क में फैमिली प्लानिंग के रूप में उसको लागू करने की एक मुहिम छेड़ी तब प्रतिपक्ष में बैठे हुए यही लोग थे जिन्होंने उस योजना को जिस कदर कंडेम कर दिया, जिस कदर इस योजना को परिभाषित किया, जिस कदर लोगों के मन में उस योजना के प्रति नफरत पैदा की, आज अरबों-खरबों रुपया लगाने के बाद भी हम इस मुल्क की बढ़ती हुई आबादी को रोक पाने में असमर्थ हैं। अरबों-खरबों रुपया लगाने के बावजूद भी हम इस मुल्क में जो कुछ भी साधन जुटा सकते थे, हमने जुटाए लेकिन क्या हम कर पाए और आज यह धीरे-धीरे हमारे सामने समस्या के रूप में बढ़ती हुई आबादी का लावा है।

हमारे गांव में जिस तरह से सामाजिक संरचना के विघटन की स्थिति पैदा हुई है। आज दूर-दराज में बैठे हुए गांव के लोगों में आर्थिक विषमता का वातावरण बना है। आज युवाओं में बेरोजगारी का जो वातावरण बना है, आज शिक्षित बेरोजगार युवा, अभी आपके सामने सारा का सारा उदाहरण स्पष्ट था कि कैसे पैराटीचर्स कम से कम वेतन ले करके किस तरह से एक आन्दोलन उनके मन में पैदा हुआ था, यह सब कैसे पैदा हो गया, इन सबके पीछे भी वही एक सोच था कि काश, यह जो संजयजी के उस प्रोग्राम को फेल करने में अपनी मुहिम नहीं छेड़ते। उसके बाद तो इन्होंने अपनी बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई और यह कहते नहीं थकते थे हमने 94वां अमेंडमेंट लाकर, हमने दो बच्चों के बाद तीसरे बच्चे के ऊपर हमने अंकुश लगा दिया, हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया और अपना गाल बजाने में इन्होंने कोई कमी नहीं रखी। पूरे हिन्दुस्तान में इस बात को यह बड़ी शान से कहते थे कि हम हैं वह जिन्होंने अग्रणी होकर इस बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगाने के लिए प्रयत्न किये। लेकिन आपने तब प्रयत्न किये, जब इस योजना के प्रति लोगों के मन में एक नफरत के रूप में देखी जाने लगी। आपने तब प्रयत्न किया जब वह बढ़ती हुई आबादी का लावा आपके सपनों को लील गया था। वह एक राष्ट्रीय

(श्री राजेन्द्र पारीक)

अपराध था, हमें मानना होगा इस बात को। एक क्षणिक घटना थी लेकिन उस क्षणिक घटना का परिणाम आज हमारे सामने यह है कि हम एक अरब की आबादी के रूप में इस मुल्क में हैं और तब भी उसको सीमित करने में हमारे सारे साधन सीमित पड़ रहे हैं। हमें यह एक सोच बनानी होगी, या तो यह आबादी का लावा रुके और यदि आबादी का लावा रोकने में हम समर्थ नहीं हैं, तो हम इस मैन पावर को कैसे यूटिलाइज करें, इस मैन पावर को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे उपयोग में लाएं। इस मैन पावर का हम कैसे सदुपयोग करें, इससे परेशानी की बजाय कैसे हम इसको ऊर्जा में तब्दील करें, हम कैसे इसे उत्पादकता में तब्दील करें, हम कैसे अपने राष्ट्रीय विकास में इसकी सहभागिता निभाएं। इस मैन पावर का उपयोग हमें करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, जब हम इन सब बातों को देखते हैं, तो हमें सबसे पहले याद आता है हमारा ग्रामीण विकास क्योंकि आज हमारे इस मुल्क की आबादी का 85 प्रतिशत भाग ग्रामीण इलाकों में रहता है और जब ग्रामीण इलाकों के लोग शहर में आते हैं तथा शहरों की चकाचौंध को देखते हैं, तो उनके मन में भी इस बात की परिकल्पना होती है कि काश, मेरा गांव भी इसी तरह के विकास में अपने आपको सम्मिलित करे। उनके मन में भी इस बात की ललक है कि उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनके बच्चे भी अच्छा स्वास्थ्य लाभ करें, उनके पास भी अच्छी सड़कें हों, अच्छी पेयजल की स्थिति हो लेकिन आज यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि एक हैण्ड पम्प संधारण के लिए हमारे पास में साधन नहीं है। हमने सारी योजनाओं का ट्रांसफर तो किया। हमने हैण्ड पम्प के संधारण के लिए पंचायत को अधिकृत किया, परिणाम क्या निकले? हमें अपनी निर्भरता पी.एच.ई.डी. पर ही रखनी पड़ी। हमने शिक्षक के रूप में उनके पावर्स ट्रांसफर तो किये लेकिन आज भी वह शिक्षा विभाग पर निर्भर करता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ भी हम उनको अधिकार देना चाह रहे हैं, वह देने के साथ-साथ हम उनको समग्र रूप से क्या देना चाह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां एक प्रश्न यह भी खड़ा करना चाहूंगा और मैं माननीय डाक्टर जोशीजी का थोड़ा ध्यान जुटाना चाहूंगा कि जिन ग्रामसभाओं और वार्डसभाओं के हमने विचार रखे हैं, जब हम ग्रामसभाओं और वार्डसभाओं में बैठकर, उस क्षेत्र का आदमी जब अपनी सोच के मुताबिक अपनी योजना तैयार करता है, उसको उस समय इस बात का इल्म नहीं होता है कि तुम जो योजना बना रहे हो, तुम जिन योजनाओं को अपने साकार रूप में देखना चाह रहे हो, तुम्हारे पास में वह साधन है या नहीं है और जब वह उन योजनाओं को साकार रूप में नहीं देख पाता है तब उसके मन में इस बात की पीड़ा होती है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आज जिस सरपंच को पावर देने की हम बात करते हैं, माननीय सभापति महोदय, 2000 की आबादी के रूप में एक सरपंच जब चुनाव लड़ता है, पांच या सात लोग मिलकर उसके साथ चुनाव लड़ते हैं और वह मात्र 500 या 600 वोटों से जीतकर उस गांव का सरपंच बनता है। सरपंच बनने के बाद जो हालात हैं, हमें इससे डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, यह हकीकत है, जब पार्लियामेंट और विधान सभाओं में बैठकर अपने वैचारिक मतभेद हैं, उनको हम सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में नहीं निपटा सकते हैं, तो गांव में बैठा हुआ एक अनपढ़ सरपंच है, आप उससे यह कैसे उम्मीद करते हैं कि आपने जो अधिकार उसको दिया है, उसका वह साम्प्रदायिक सौहार्द्र का वातावरण पैदा करते हुए उनका सदुपयोग करेगा। उसके मन में भी एक राजनैतिक विद्वेष है क्योंकि हमने व्यवस्था ही वैसी कर दी। उसके मन में भी इस बात की पीड़ा है कि जिस व्यक्ति के सामने तू जिस विकास की बात कर रहा है, कल वह व्यक्ति था जो तुझे चुनाव जीतने की बजाय तुझे हराने में लगा हुआ था। तो या तो हम उसके सामने एक ऐसी जन जागृति का वातावरण पैदा करें और वह तभी सम्भव है जब हम उनको शिक्षित करें।

मुझे यह कहते हुए फख्र है इस बात का कि राजस्थान में जब से यह सरकार बनी है, उन्होंने इस बात को सिरे से महसूस किया कि जब तक हम उस ढाणी में, दूर-दराज में बैठे हुए एक-एक व्यक्ति को शिक्षित नहीं कर देंगे, एक मात्र शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके चलते हम स्वावलम्बन की भावना पैदा कर सकते हैं, जिसके चलते हम सहकार की भावना पैदा कर सकते हैं, जिसके चलते हम गांवों में सामंजस्य की भावना पैदा कर सकते हैं, जिसके चलते हम उस पूरे गांव में भ्रातृत्व भावना का संदेश दे सकते हैं। इस रूप में माननीय गहलोत साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी तीन साल की अवधि में राजीव गांधी पाठशालाओं के रूप में जिस तरह से घर-घर और ढाणी-ढाणी में शिक्षा का जो दीप जलाया है। वह दीप भले आज कम रोशनी दे रहा हो, वह दीप आज भले ही पैराटीचर्स की समस्या के रूप में हमारे सामने आड़े आ रहा है लेकिन भविष्य इस बात की गवाही बनेगा, आने वाला समय इस बात की मिसाल कायम करेगा कि यही वह शिक्षा का दीपक था जिसने इस छोटी सी शिक्षा को लेकर आज गांव में एक जागृति, एक ऐसी मिसाल जिसकी कि उसने कभी कल्पना नहीं की थी खयाल में, उसको साकार करने में वह अपने आपको समर्थ पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, गांव में कोई बहुत बड़ी आवश्यकताएं नहीं होती हैं। छोटी-छोटी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको जो हम अधिकार देना चाहते

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हैं, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि पूर्व की जो योजना थी, जिसमें मटीरियल और श्रम का कम्पोनेंट था, उसका पहले 40 और 60 का जो रेशो था, जिसके रूप में हम बराबर उनको यह कहते थे कि भ्रष्टाचार पनप गया, भ्रष्टाचार पनप गया, उसको 50-50 कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी, हम हर समय यह कहकर कि भ्रष्टाचार पनप रहा है, हम क्या कहना चाहते हैं? यदि भ्रष्टाचार है, तो सिरे से है। गांव-गांव में बैठे हुए उस व्यक्ति ने पिछले अकाल में इस बात को साबित कर दिया पूरे के पूरे प्रतिपक्ष ने इस बात को सराहा कि पिछले अकाल में ग्रामीण विकास में जितनी भी योजनाएं जो अकाल राहत के माध्यम से हमने लागू की उनमें, और कुछ भी हुआ होगा लेकिन भ्रष्टाचार की कम से कम शिकायतें हमारे सामने पैदा हुई।

श्री मदन दिलावर : हमने खूब सारी की हैं। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, 777 काम तो करोड़ों रुपये के अकाल राहत में पैंतीस करोड़ रुपये तो आप लोग खा गये और फिर भी कहते हो कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कितने रुपये खाना चाहते थे आप लोग मिल करके?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको सबको समय दिया जाएगा, आप बिराजिये। आपका नाम है....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पैंतीस करोड़ से ज्यादा, कितना भ्रष्टाचार करना चाहती थी यह सरकार....(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नाम है, आपको समय दिया जाएगा, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : यह सरकार, यह मंत्रीगण मिल करके कितना भ्रष्टाचार करना चाहते थे। यह कहते हैं हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, खाया नहीं अकाल राहत कार्यों में। यह तो सारे खा करके डकार भी नहीं ले रहे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रथम तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति दे और सद्बुद्धि दे।

श्री सभापति : धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक : क्योंकि इनकी आत्मा जब कभी भी पंचायतों की या नगरपालिका और परिषदों की चर्चा होती है तब इनकी पीड़ा, मन में एक टीस उठती है और उसका कारण है, माननीय सभापति महोदय, कारण यह है कि इन्होंने अपने विधायक काल में जिस तरह से जमीनों के घोटाले करके....

श्री मदन दिलावर : भगवान इनको भी मेरे पास जल्दी भेजे।

श्री राजेन्द्र पारीक : अपने और अपनी पत्नी के नाम से फर्जी जिस तरह से जमीनों की रजिस्ट्रियां करवाई हैं। इनको यह भय सताता रहता है कि जब कभी भी यह चर्चाएं होंगी, इनकी चर्चाएं नहीं उठ जाए। मैं सशपथ कह सकता हूं कि इस सब के बावजूद भी, मुझे यह जानकारी है कि आपने अपनी पत्नी और आपके नाम पर जमीनों का आबंटन करवाया है फर्जी। फिर भी मैं आप पर कोई एलीगेशन नहीं लगाना चाहूंगा और उसकी कोई चर्चा भी नहीं करना चाहूंगा....

श्री मदन दिलावर : मेरे और मेरी पत्नी के नाम कोई फर्जी आबंटन हो, इस राजस्थान की विधान सभा से इस्तीफा दे सकता हूं।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : 150 करोड़ रुपये खा गये एम्फोर्ट घोटाले में किसानों के, 150 करोड़ खा गये आप लोग। फिर उसका कुछ नहीं किया आप लोगों ने, 150 करोड़ जो खा गये आप।

श्री मदन दिलावर : मेरी पत्नी के नाम, मेरे नाम, मेरे बेटे के नाम, मेरी बेटी के नाम, मेरी मां के नाम, मेरे पिताजी के नाम, मेरी सास के नाम, मेरे श्वसुर के नाम यदि एक बीघा भी कहीं फर्जी आबंटन हो, तो इस राजस्थान की विधान सभा से इस्तीफा दे सकता हूं।

श्री सभापति : अब बिराज जाइये।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य ने यह जो आरोप लगाया है यह मिथ्या है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इसको एक्सपंज करवाइये साहब। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री मदन दिलावर : यह जो कह रहे हैं, +++ मिथ्या....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री सभापति : सुराना साहब, सुराना साहब, हां।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं व्यवस्था के प्रश्न के जरिए यह मुद्दा उठा रहा हूं कि सीकर से आने वाले हमारे माननीय साथी ने अटरू से आने वाले हमारे माननीय मदन दिलावरजी के खिलाफ जो आरोप लगाये हैं, क्या उसका कोई नोटिस दिया गया है? बिना नोटिस दिये इस सदन में कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता और यह....

श्री सी. पी. जोशी : वह खुद तो लगा रहे हैं, वह लगा रहे जो...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, वह क्यों लगा रहे हैं? यह लगा रहे हैं चार्ज। चार्ज तो यह लगा रहे हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सुनिये तो सही। किस-किस ने क्या कहा। यह अभी बता रहे थे, पैंतीस करोड़, फलां करोड़। किस-किसने खाया, बताएं। हम भी जानना चाहते हैं कि किसने क्या किया।

श्री मानिक चन्द सुराना : इन्होंने ही लगाया है चार्ज तो।

श्री सी. पी. जोशी : यह थोड़े ही होता है....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इन्होंने लगाया तो....

श्री मदन दिलावर : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को नोटिस दिया हुआ है कि पैंतीस करोड़ रुपये का घोटाला अकाल राहत में हुआ है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप लगा रहे हैं तो मैं आपत्ति कर रहा हूं और इसलिए इनके चार्ज को निरस्त किया जाए।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी): चार्ज तो खुद लगा रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, इस चार्ज को निरस्त किया जाए और यदि दोनों ओर ने लगाए हैं, तो दोनों के चार्जों को निरस्त किया जाये।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : माननीय सुराना साहब, चार्ज तो दिलावर साहब लगा रहे हैं, आप उनको पहले चुप कराएं।

श्री सभापति : अब ठीक है। आप बिराजें।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : दिलावर साहब को आप चुप करें पहले, यह क्या बोलते, इनको बोलना नहीं आता है।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मेरे को जानकारी होते हुए भी मैं कोई चार्ज नहीं लगा रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : मैंने नोटिस दे करके चार्ज लगाया है, बिना नोटिस चार्ज नहीं लगाता हूं।

श्री महादेव सिंह : माननीय सदस्य ने इनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाया है। माननीय सदस्य ने तो यह कहा है कि इनकी वाइफ के और इनके नाम जमीन अलाट हुई है इसके बावजूद भी मैं कोई चार्ज नहीं लगा रहा हूं, यह साफ कहा है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री सभापति : खण्डेला साहब, बिराजिये। (व्यवधान) बिराजें न। नहीं, कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक बीघा जमीन, एक इंच भी जमीन आबंटन हुई हो, तो कहें जो कर दूं।

श्री सी. पी. जोशी : अच्छा, ठीक बात है।

श्री सभापति : हो गया, सब ठीक है। हां, चलिए, पारीक साहब, अब समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, अपनी-अपनी करनी है....

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : अपनी-अपनी करनी है....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जमीन पर जम करके बैठे हैं भ्रष्टाचार करके और धारीवालजी उकसा रहे हैं। +++ क्या इधर का इधर दे करके बताते हो; +++ की भी कोई पराकाष्ठा होती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब बिराजें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मुझे मत छेड़ वरना सारी पोल खोल दूंगा....

श्री मदन दिलावर : खोलो, खोलो, खोलो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कि ए.सी.डी. में क्या केस चल रहा है, पैट्रोल पम्प किसी के नाम से अलाट हुआ....

श्री मदन दिलावर : मेरी भतीजी के नाम....

श्री शांति कुमार धारीवाल : और फोरजरी का केस किसके खिलाफ चल रहा है ए.सी.डी. में, हां, मुझे ज्यादा मत छेड़।

श्री मदन दिलावर : मेरी भतीजी के नाम। सजा दिलवा दो +++ आपमें ताकत हो और +++ तो मुझे सजा दिलाओ।

श्री सभापति : बिराजिये। बिराजिये, बिराजिये। माननीय पारीक साहब, समाप्त कीजिए आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने आप को यदि गंदगी में आकंठ ही डुबोना चाहता है तो मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता है और मैंने तो सशपथ यह कह दिया था कि मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा तब भी यह अपने आप को उद्वेलित महसूस करते हैं। मैं फिर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें सद्बुद्धि दे और मैं अपनी बात को, माननीय सभापति महोदय....

श्री मदन दिलावर : कहने के लिए आपके पास है क्या?

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : भ्रष्ट आचरण करने वाला मेरे लिये क्या कहेगा?

श्री सभापति : वह कह रहे हैं कि आपके लिए नहीं कहा।

श्री मदन दिलावर : भ्रष्ट आचरण करने वाला मेरे लिये क्या कहेगा? किसमें ताकत है इस राजस्थान की विधान सभा में किसी भी सत्ता पक्ष में, तो मेरी जांच कराए और मेरे को सजा दिलाए। मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : अब बिराजें, बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, एक दिन इन्होंने कहा कि मेरा पोस्टमार्टम करवाओ। मैंने कहा भाई कि पोस्टमार्टम तो आपका ऊपर गमन करने के बाद ही हो सकता है और इस हत्या का अपराधी मैं नहीं बनना चाहता। इसलिए पोस्टमार्टम रहने दीजिए, सारा राजस्थान जानता है कि आपकी क्या है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊं.....

श्री शांति कुमार धारीवाल : सारा राजस्थान यह भी जानता है कि कितनी बार तो आपकी पूजा हो चुकी है और कितनी बार बकाया है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मकान में जब धारीवालजी। +++ और जब +++ छुड़ाने वाला मदन दिलावर था उस समय। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : महान हो आप भी।

श्री सभापति : माननीय।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, अब मैं संक्षिप्त में अपनी बात को समाप्त करता हूं। हमने अधिकार देने की बात की। पंचायतों को अधिकार के साथ में फंड्स, उनके कार्य और उस कार्य को इम्पलीमेंट करने वाली एजेंसी और यह एक सुखद संकेत है। मुझे इसमें अपनी ओर से यह निवेदन करना है, खास तौर से यह जो व्यवस्था है, जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चुनाव का कहां आ गया इसमें, इसमें तो अधिकारों की बात है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं अपनी बात कहूं, आपको मौका मिलेगा, आप काफी विद्वान हैं, काफी सीनियर हैं, मैं आपके ज्ञान से अपने आपको लाभान्वित करूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह जो आपका इलेक्टोरल कालेज है, यह इतना छोटा है कि इसकी वजह से भ्रष्टाचार को हम आमंत्रण देते हैं। खास तौर से प्रधान और जिला प्रमुख के जो चुनाव हैं इस व्यवस्था को तो हमें बदलना होगा। इसलिए संविधान संशोधन के जरिये इसको पूर्व की भांति किये जाने का मेरा एक छोटा सा आपको सुझाव है।

श्री सभापति : बहुत बढ़िया।

श्री राजेन्द्र पारीक : क्योंकि यदि यह नहीं होगा तो आपको पता है कि यह तो धन्ना सेठों की पार्टी है, पूरे हिन्दुस्तान में इन्होंने इस बात को अपने जेहन में पाल

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

रखा है कि चाहे कुछ भी खर्च करना पड़े, कैसे भी सत्ता हथियानी है। उसके लिए इन्हें चाहे साम्प्रदायिक दंगे पैदा करने पड़े, इन्हें चाहे आर्थिक रूप से किसी को, बड़ी से बड़ी होर्स ट्रेडिंग करनी पड़े। यह हम बराबर देखते आ रहे हैं कि जब थोड़े से व्यक्तियों को ही है, तो उनमें इस तरह का घपला करके प्रधान और प्रमुख में यह जिस तरह का वातावरण बनाते हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है और उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।

साथ ही, माननीय सभापति महोदय, यह जो आयोजना समिति है, मैं शहरी क्षेत्र से आता हूं इसलिए थोड़ा शहरी क्षेत्र की बात करूंगा कि आयोजना समिति का जो गठन होता है उसमें अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है और नगर परिषद की उसमें भागीदारी होती है लेकिन नगर परिषद की भागीदारी मात्र एक सदस्य के रूप में ही होती है। आप यह सुनिश्चित करें कि अध्यक्ष का पद जिला प्रमुख के पास में है, तो उपाध्यक्ष का पद नगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्र से आने वाला एक सदस्य उसका होना चाहिए ताकि वह भी अपनी बात को प्रभावी तरीके से कह सके। यह मेरा एक छोटा सा सुझाव है।

सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आर्थिक है, चुंगी के समाप्त होने के बाद लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई, लोग यह चाहते हैं कि उनके पास अच्छी सड़कें हो, अच्छे से अच्छे सारे साधन हों, अच्छी बिजली की व्यवस्था हो पर साधन उनके सीमित हैं। उस पर भी तुर्रा यह है, मसलन मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करूं, बिजली विभाग से सम्बन्धित एक छोटी सी मेरी शिकायत है। बिजली विभाग के सिटीज में जितने भी खम्भे लगते हैं उनका जहां मन होता है वहां लाकर उसको वह खड़ा कर देते हैं। नगर परिषद की कीमती से कीमती जमीन के ऊपर उन्होंने यदि 11 के.वी.ए. की लाइन निकाल दी या शहर की किसी भी अच्छी से अच्छी सड़क के बीच में उन्होंने खम्भा खड़ा करके उस पर ट्रांसफार्मर लगा दिया, लगाते वक्त वह यह कह करके अपना कर लेते हैं कि आप जब कहेंगे इसको हम हटा देंगे। लेकिन जब कभी भी शहर के विकास की बात चलती है और हम अपनी ओर से उन्हें रिक्विजिशन भेजते हैं तो वे उस सारे सिस्टम को री-आर्गेनाइज करने के लिए री-स्ट्रेंथन करने के लिए उसमें वे हमें एक बिल थमा देते हैं कि इसका आप इतना पैसा दीजिए। नगरपालिका और परिषदों के पास मात्र गृह कर के अलावा आय का कोई स्रोत नहीं है। विद्युत विभाग बिलकुल पुलिसिया प्रणाली की तरह अपने बिल के लिए तो जब वो मन होगा तब कनेक्शन काट देगा। चाहे वह पार्क का कनेक्शन हो या किसी सार्वजनिक स्थान का कनेक्शन हो लेकिन गृह कर की अदायगी के मामले में वो जितनी कंजूसी बरतता है, यह बड़ी चिन्ता का विषय है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि नगरपालिका और परिषदों की आय का स्रोत नहीं बढ़ेगा, आज आप देख रहे हैं कि शहरों पर बढ़ती हुई आबादी का जो दबाव है, वह उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनके पास में हैं वर्तमान में वो ही पूर्ण नहीं कर पा रही हैं और यदि गांव से आबादी का दबाव और उन पर बढ़ता जायेगा, तो कैसे पूरा कर पाएंगे? कैसे वे अपने रिसोर्सेज डवलप करेगा? चुंगी का हमारे पास स्रोत नहीं है। गृह कर की हमारे पास अदायगी भी नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं सीकर का निवेदन करूं 20 साल हो गये गृह कर की अदायगी नहीं हो रही है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, कि आपके नियमों में भी है कि आप तीन या चार साल का कोई ऐसा तय कर दें कि उतना नगर परिषद में गृह कर जमा हो जाए और उसका बाकी का यदि आप छूट दे सकें, तो छूट दें वरना जो आपको मिल नहीं रहा है और हम आगे वाले को लेने की स्थिति में नहीं है तो कब तक यह संशय की स्थिति बनी रहेगी। आप इसमें निश्चित रूप से एक अग्रणी कदम उठा करके इनकी आय का स्रोत सुनिश्चित करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, जब तक हम इन संस्थाओं को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक हम लाख कोशिश कर लें, हम इनको लाख अधिकार दे दें जब तक इन संस्थाओं का कोई बहुत बड़ा इम्पेक्ट हमारे सामने आ जाए हमारी व्यवस्था में आ जाए तब तक सम्भव नहीं है।

श्री सभापति : अब बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं आपको कुछ अपनी ओर से निवेदन कर दूं।

श्री सभापति : अब आप धन्यवाद देकर बैठ जाएं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं बड़े संक्षेप में कहूंगा चूंकि शहर का मामला है, माननीय सभापति महोदय, करना बड़ा अत्यावश्यक है। कुछ चीजों पर एन्ट्री टैक्स लगाया जाए जिसमें पैट्रोल, डीजल, आयल, लुब्रिकेंट्स, अंग्रेजी शराब। माननीय सभापति महोदय, यह अंग्रेजी शराब ने गांवों का और शहरों का वातावरण जितना दूषित किया है वह सारा का सारा पैसा यहां से स्टेट में आकर बैठ जाता है। उस पैसे में से चाहे एन्ट्री टैक्स के माध्यम से या कोई एक प्रतिशत आधा प्रतिशत के माध्यम से आप शहरी निकायों को और ग्रामीण इलाकों को यदि आप कुछ धन उपलब्ध करायेंगे, तो निश्चित रूप से उनको अपनी योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। इसके साथ में, माननीय सभापति महोदय, एक तो यह एन्ट्री टैक्स का है और इसके लिए आपका वाणिज्यक कर विभाग

(श्री राजेंद्र पारीक)

ही इसको वसूल करे ताकि नगर परिषद का इसमें कोई सीधा दखल नहीं हो।

श्री सभापति : काफी हो गया है अब, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं-नहीं, बड़ी महत्त्वपूर्ण कोई बात कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका और परिषद क्षेत्र में सम्पत्तियों का रजिस्ट्रेशन होता है उस रजिस्ट्रेशन शुल्क में 1975 में कुछ प्रावधान किये गये थे कि एक या आधा प्रतिशत नगरपालिका और परिषद क्षेत्र में उनके यहां जहां भूमि का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है सब रजिस्ट्रार उनको कुछ देगा लेकिन वह केवल कागजों में सीमित रहा। जब किसी भूमि का वहां पर लेन-देन हो रहा है और वहां पर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो सम्बन्धित पालिका और परिषद को उसमें से कुछ दिया जाना अतिआवश्यक है ताकि उसकी फाइनेंशियल पोजिशन बने।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, यह खाद्य लाइसेंस के इसमें 12 रुपये, 6 रुपये आदि जो खाद्य सामग्री चैकिंग के जो अधिकार आपके स्वास्थ्य विभाग को दिये गये हैं। नगरपालिका और परिषदों के क्षेत्र में इनके अपने खुद का हैल्थ आफिसर होता है इसलिये ये सारे के सारे अधिकार उनको दिये जाने चाहिए ताकि इनकी समय पर चैकिंग हो सके। क्योंकि उनके पास में तो मात्र एक खाद्य निरीक्षक होता है लेकिन नगरपरिषद के पास में तो उसका राजस्व अधिकारी भी है, उसके पास उसका हैल्थ आफिसर भी है, उसके पास में सेनीटेशन अधिकारी भी है और इतना बड़ा अमला है कि वह उसकी रिकवरी ज्यादा अच्छी तरीके से कर पायेगा। इसलिए उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए यह अति आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, यहां पर इकट्ठे इसलिए हुये हैं कि हम कैसे इनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन करें। मैं अपनी बात दो-तीन मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब बिल आयेगा तब बता देना।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मैं तो उनकी वजह से परेशान हो गया। खामखाह इतनी देर तक बोलना पड़ा, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अच्छे सुझाव दे रहे हैं।

श्री सभापति : खराब कौन देता है सुझाव?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, जितना भी आपका कच्ची बस्तियों के नियमन का कार्य है उनके कृषि भूमि के रूपान्तरण को गति प्रदान की जाए। जिसमें

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आय का स्रोत बने। स्थानीय निकायों की भूमि पर जो भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है लम्बे समय से उनके अतिक्रमण नहीं हटे उनको हटाया जाए। स्टेट ग्रान्ट एक्ट के रूप में, माननीय सभापति महोदय, राजा-महाराजाओं के जमाने से कुछ लोगों के पास में ऐसी जमीनें हैं जिनको उस वक्त तो क्राउन एक्ट के नाम से हमने पट्टे दे रखे थे और आज उस क्राउन एक्ट को चेंज करके स्टेट ग्रान्ट एक्ट के रूप में उनको बना दिया। स्टेट ग्रान्ट एक्ट की स्थिति यह है, सभापति महोदय, सम्बन्धित व्यक्ति को पांच रुपये में एक पट्टा देते हैं और वह पांच रुपये का पट्टा न तो हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं न हम उसको बैंक को मोर्गेज कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास में 70-80-100 साल तक का कब्जा है उस व्यक्ति को आपने पांच रुपये में कागजों का पुर्जा थमा दिया जो केवल इस बात को सिद्ध करता है कि इसमें इस जमीन में स्वामित्व व्यक्ति विशेष का है लेकिन वह उसको किसी काम में नहीं ले सकता। आप भले ऐसा करें कि पांच रुपये इंडीवीजुअल उस पट्टे के बजाय उसमें लीज मनी ले लें, आप उसमें 5-10-20 रुपए जो भी आप मुनासिब समझें उस क्राउन एक्ट के पट्टे पर लागू कर दें लेकिन उसको ट्रांसफर करने की पावर होनी चाहिए, उसको बैंक में मोर्गेज करने की पावर होनी चाहिए ताकि समय रहते उस जमीन के कागजात हैं उनके माध्यम से वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

श्री सभापति : कृपया अब तो समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : अब, माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन करूंगा और वह निवेदन करना इसलिए जरूरी है कि, "स्थानीय निकायों के द्वारा विक्रय किए गये भू-खण्डों के पंजीयन से पूर्व पुनः विक्रय होने पर अंतिम आंतरिकी के पक्ष में पंजीयन करने की प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि स्वीकृत शाश्वत लीज भाग 4 में इन्हें स्थानांतरित कर या पुनः विक्रय करने पर खरीदे गये स्थानान्तरण विक्रय करने की तिथि को बाजार दर के मूल्य के अन्तर की राशि का पचास प्रतिशत भाग नगरपरिषद निगम कोष में जमा करवाने के स्थानान्तरित किये जाने का प्रावधान है जो अव्यावहारिक है और असम्भव भी है अतः इसे विलोपित किया जाए और अधिकतम 10% किया जाये जो उपयुक्त होगा।"

अब, माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन है राज्य सरकार को कि इन्होंने ए.डी.बी. के पैसों से 6 बड़े जिलों को विकास के रूप में चिन्हित किया। जब चिन्हीकरण होने लगा, जब चिन्हीकरण की चर्चा चली तब सीकर भी उसमें शरीक था। आज सीकर, बीकानेर और जयपुर के बीच का एक बहुत बड़ा शहर है। आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं जब झुंझुनूं से आप पधारते हैं तब कि

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आजादी का जितना विकास सीकर में इन दिनों में हुआ है आस-पास के और दूसरे जिलों में नहीं हुआ। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सीकर को भी एशियन डवलपमेंट के इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए।

अन्त में एक निवेदन है सीकर, जहां से मैं प्रतिनिध के रूप में चुन कर आपके बीच में आता हूं उसकी पेयजल स्थिति इतनी अच्छी थी कि वहां का जल अमृत तुल्य था लेकिन धीरे-धीरे आपके इन शाक पिट्स ने, जो सीवरेज के लिए बनते हैं, उन्होंने अण्डरग्राउंड वाटर की स्थिति ऐसी खड़ी कर दी है कि भूमि का अंदर का पानी वह धीरे-धीरे पोल्यूट हो रहा है और आने वाले 10-15 वर्षों में स्थिति यह बनेगी कि वह जल पीने योग्य नहीं रहेगा। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विशेष आग्रह है कि आप तत्काल, नगर परिषद भी इसमें कुछ पैसा खर्च करने को तैयार है, आप हमें गवर्नमेंट गारंटी के माध्यम से, हुडको से या किसी अन्य जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप हमें फंडिंग करा सकते हैं। हम अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे लेकिन किसी भी तरीके से आप वहां पर सीवरेज और ड्रेनेज की कोई सुनिश्चित व्यवस्था करें ताकि आने वाले समय में यह जो पेयजल की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है यह नहीं रहे।

इसके साथ ही मैं इतना सा कह कर अपनी वाणी को विराम देता हूं।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद् दुःखभागभवेत्॥

जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री परसादी लाल जी।

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने कल पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने, उनको और संवैधानिक अधिकार देने की जो चर्चा की शुरूआत की उसको मैं आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के नेताओं का, चाहे वे पण्डित जवाहर लालजी नेहरू हो, चाहे वे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी हो, चाहे आज की हमारी लोक सभा में प्रतिपक्ष की नेता और कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत हो, गांव का विकास तभी सम्भव है जब महात्मा गांधी जी के सपनों का ग्राम स्वराज का सपना देश में और राजस्थान में कैसे साकार हो, इसीको मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी गांधी ने 1989 में, जब उनका 3-4 साल का प्रधानमंत्रित्वकाल था, सारे देश में गये, सारे देश को देखा, सारे वर्गों को देखा और जो महसूस किया उसके अनुसार एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी., महिलाएं जो

(श्री परसादी लाल)

एस.सी. के लोग कहीं सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख चुनकर नहीं आते थे, जो शोषित पीड़ित समाज के लोग इन संस्थाओं में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाते थे उनको किस तरह से संवैधानिक अधिकार दिया जाए, इसका संविधान संशोधन वह पार्लियामेंट में लेकर आए। लोकसभा से वह पारित हुआ और हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों की पार्टी के उस समय के नेताओं ने और आज के प्रधानमंत्री जी ने, इनकी पार्टी ने राज्यसभा में यह संविधान जब गया तो उसको पास नहीं होने दिया। 2 वोट से वह गिर गया। आज़ चाहे कितने ही हिमायती बनें महिलाओं के, एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. के पर इसका यदि सही रूप में किसी को श्रेय जाता है, तो वह देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को जाता है जिन्होंने इसकी एक शुरूआत की। गांव के विकास की उन्होंने पहली बार कोशिश की कि गांव में विकास हो, गांव के लोगों को अधिकार मिले। उसके बाद आपकी सरकार आ गई। लोकसभा के चुनाव हुए और आपकी सरकार आने के बाद वह सारा काम ठण्डे बस्ते में चला गया।

22 दिसम्बर, 1992 को, जब 1991 में हमारी सरकार बनी, हमारे नेता का जो कमिटमेंट था, हमारे नेता की जो भावना थी, हमारे नेता देश में जिस तरह का बदलाव चाहते थे उसको कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 73वें और 74वें संवधिान संशोधन कर के उसको पूरा किया। अब कई जगह सरकारों ने अधिकार दिए, नहीं दिए पर आज देश में चिंता इस बात की है, हमारे बहुत ही विद्वान अशोक गहलोत जी की सरकार आई। आपके समय में भी हरलाल सिंह खर्रा साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और अधिकार देने की कोशिश की गई। उस कमेटी की रिपोर्ट आई। कमेटी की रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार ने ठण्डे बस्ते में डाल दिया। आज तक उस पर एक अधिकार देने की बात नहीं हुई। 1995 में जब जिला परिषदों के, पंचायत समितियों के, पंचायतों के चुनाव हुए, तत्कालीन सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी अधिकार उनको नहीं दिया और वह जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच जो भी मैम्बर थे पंचायती राज संस्थाओं के वह सब चिल्लाते–चिल्लाते रह गये। भैरोंसिंह जी से कहते,देख लेस्यां, कर लेस्यां, देख लेस्यूं, करते–करते उनकी विदाई राजस्थान से हो गई और यहां की सरकार से भी हो गई। आज भी इनकी भावना नहीं बदली है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की आज भी भावना नहीं बदली है। राजेन्द्र जी राठौड़ कल इस मामले में बोल रहे थे, कह रहे थे कि इन पर राइडर्स लगाये जाने चाहिए। वही पुरानी अपनी भावना कि इन संस्थाओं के चुने हुये लोगों को अधिकार नहीं मिले। हीरासिंह जी चौहान बोल रहे थे कि ये काम नहीं कर सकेंगे, दूसरे माननीय सदस्य, अमराराम जी चौधरी बोल रहे थे, जो कि गांव से आते हैं, कि इनको ज्यादा अधिकार

(श्री परसादी लाल)

देंगे तो यह काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह की भावना प्रतिपक्ष की आज तक भी इन पंचायती राज संस्थाओं के प्रति बनी हुई है। मैं यह कहता हूं...

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको चार साल राज करते हो गये क्या गांव के सारे सपने पूरे कर दिये आपने?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत गम्भीर मामला है, बीच में नहीं बोलें, अच्छा रहेगा।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, सारे जिला प्रमुख उनसे मांग करते-करते थक गये कि हमको डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाओ, आपने नहीं बनाया। राजस्थान के सारे सरपंच मांग करते करते थक गये आपकी सरकार से कि पंचायत समिति में हमारी कोई वक्त नहीं है, हमको उसके मैम्बर बनाओ, आपने नहीं बनाया और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने और तत्कालीन विद्वान पंचायती राज मंत्री जी ने आते ही एक ही आर्डर में सारे सरपंचों को पंचायत समिति का मैम्बर बना दिया, सारे प्रधानों को जिला परिषद का मैम्बर बना दिया। और तो और जिला परिषद की गवर्निंग काउंसिल का जो चेयरमैन है वह आपने नहीं बनाया, कोशिश नहीं की आपने। आज चाहे हमारी पार्टी के कम जिला प्रमुख हैं, चाहे आपकी पार्टी के हैं हमने उनको डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाया। यह हमारी सरकार का कमिटमेंट था, हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में था कि हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करेंगे, उनको अधिकार देंगे, काम करने का मौका देंगे।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : जिला प्रमुखों को डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाकर क्या पावर दी? वित्तीय पावर तो है नहीं उनके पास, खाली एक मात्र कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं वह और इसके अलावा कुछ नहीं है।

श्री परसादी लाल : आप सुनिए।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): कुर्सी ही तो है सब कुछ, सारे आदेश देने का अधिकार उनको है।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, हमारी पार्टी ने जो कहा वह किया, हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र में जो बातें कहीं पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के बारे में उस कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, एक-एक को पूरा कर रहे हैं। आपकी पार्टी के कौनसे मैम्बर बोले, कौनसा सुझाव दिया कि यह अधिकार रह गया, यह अधिकार और दीजिए। आपने मेरे ख्याल से कुछ नहीं कहा है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने अभी मेरे बारे में फरमाया था।

श्री परसादी लाल : आपका पूरा भाषण लिखा हुआ है।

श्री अमराराम चौधरी : पहले शिक्षा पूर्ण होने के बाद आप पावर देंगे तो उसका पालन होगा।

श्री परसादी लाल : आपकी पार्टी के सारे मेम्बरों के भाषण लिखे हुये हैं मेरे पास। आपने जो कहा है वही कहूंगा।

श्री अमराराम चौधरी : आप पहले स्त्री शिक्षा दीजिए, आपके पास धन नहीं है, जनसंख्या पर काबू नहीं है तब तक यह काम देना कहां तक वाजिब होगा, यह कहा था मैंने।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने जो कहा वह सब लिखा गया है।

श्री परसादी लाल : यह भावना आपकी पहले से ही बनी हुई है, आज की नहीं है। सभापति महोदय, आज भी हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की भावना पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देने की नहीं है। हम चाहते हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी चाहते हैं, हमोर प्रतिपक्ष की नेता चाहती हैं। अभी जब दिल्ली में सम्मेलन हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी भी आये, प्रतिपक्ष की नेता भी आईं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह कर गये किताब में उनका पूरा भाषण है, उस पर अमल करने के लिए केन्द्र सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया और हमारे प्रतिपक्ष की नेता जो कह कर गईं कि मैं कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर विधान सभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए कहूंगी। आज उसकी यह शुरूआत है। हमारे नेता के कमिटमेंट की शुरूआत है। आपके माननीय प्रधान मंत्री जी, आपके ग्रामीण विकास मंत्री जी यह कह कर गये कि हम पार्लियामेंट का जोइंट सैशन बुलाकर इन संस्थाओं को अधिकार देंगे, आज तक पार्लियामेंट में इस पर चर्चा नहीं की है।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, आपके प्रधानमंत्री से क्या मतलब है? मंत्री महोदय जरा सम्भल कर बोलो आप। प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के हैं, यह आपके और हमारे नहीं होते हैं।

श्री परसादी लाल : मैं माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहा हूं, आपके पार्टी के प्रधानमंत्री हैं।

श्री सांवर लाल : आपने कहा कि आपके प्रधानमंत्री, यह कहना आपका ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, जिस पार्टी की कथनी और करनी में अंतर हो; जिस पार्टी का देश के ग्रामीण विकास पर विश्वास नहीं हो उस पार्टी के प्रधान मंत्री मीटिंग में कहकर जाएं, पार्लियामेंट का जोइंट सैशन आज तक नहीं बुलाया। पंचायती राज पर चर्चा के लिए पार्लियामेंट में आज तक बिल नहीं लाए। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हमारी नेता के निर्देश पर कैबिनेट सब कमेटी बनाई। मुख्य मंत्रियों के गुवाहाटी सम्मेलन के तुरन्त बाद कैबिनेट सब कमेटी को कहा कि 15

(श्री परसादी लाल)

जुलाई तक आप रिपोर्ट दें। 31 जुलाई को कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट दी और 26 अगस्त को विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर हम इनको अधिकार देना चाह रहे हैं। हम ग्रामीण विकास को, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए आज जिस तरह की ग्रामीण आवश्यकता है कृषि में, रेवेन्यू में हम अधिकार दे रहे हैं कि ग्रामीण हाट वगैरह सब इनमें होनी चाहिए। केबिनेट सब कमेटी ने भी थोड़ी कंजूसी की है। ग्रामीण विकास में राजस्व की आज जो समस्या है, चरागाह है, सिवाय चक है, रास्ते हैं। हमारा प्रशासन गांवों के संग जो अभियान चला उसमें 70 परसेंट शिकायतें तो राजस्व की आई हैं और दूसरी आई है बिजली सम्बन्धी। हमने यह देने की कोशिश की है। कैबिनेट सब कमेटी के माननीय सदस्यों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप पूरा का पूरा राजस्व का जो आपका अमला है वह जब तक आप पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द नहीं करेंगे तब तक यह गांधी जी का सपना साकार नहीं होगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि अभी आपने यह फरमाया कि "प्रशासन गांवों के संग" अभियान हमने बहुत जोर–

(15.00 बजे)

शोर से चलाया और 70 प्रतिशत आपने समस्याओं का समाधान किया, आपने 70 प्रतिशत समस्याओं को उल्टा उलझा कर धर दिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल : माननीय सदस्य, आप तो अपने एक भी अभियान में गए नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री सांवर लाल : आपको पता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ये एम.एल.ए. नहीं हैं? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने मेरा लेखा-जोखा रखा हुआ है क्या कि मैं गया या नहीं गया? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : 153 के अलावा जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है वे विधायक भाग नहीं ले सकते क्या इस डिबेट में? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका नाम बोलने वालों में है।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, जिस तरह का प्रयास...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं तो मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, साहब।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री परसादी लाल : पंचायती राज संस्थाओं के जिला प्रमुखों को आपने गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नहीं बनाया। गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन ही नहीं, हम डी.आर.डी.ए. है उसका जिला परिषद में विलय कर रहे हैं और सारे अधिकार चुने हुये जिला परिषद के जो मैम्बर्स हैं वह गांव के विकास की जो भी योजनाएं हैं डी.आर.डी.ए. की, बहुत लम्बे समय से आपसे मांग कर रहे थे। आज आपको चिढ़ हो सकती है कि अशोक गहलोत की सरकार इन अधिकारों को दे रही है। हम चाहते हैं कि चुने हुए लोग, जिला परिषद के मैम्बर्स, पंचायत समितियों के मैम्बर्स हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए कि उनके इलाके में कौनसा काम होना चाहिए। उनको अधिकार मिलना चाहिए कि एजुकेशन का काम किस तरह चलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए कि उनको कृषि में किस तरह वाटर शैड, एनीकट्स, सोइल कंजरवेशन के काम वह कहां पर होने चाहिए, यह काम भी हमने, आपने तो आयोजना समितियों का गठन नहीं किया, हमने तो आयोजना समितियों का गठन करके उनमें चेयरमैन जिला प्रमुख को बनाकर कोशिश की कि हमारी पार्टी ने चुनाव घोषणा-पत्र में जो कमिटमेंट किया था, निश्चित रूप से उसको पूरा करें।

कैबिनेट सब-कमेटी के माननीय सदस्यों ने कृषि विभाग के कुछ अधिकार देने की कोशिश की है पर, सभापति जी, आज हम जानते हैं कि 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। आज गांवों में सड़कों की, पानी की, रास्तों की बहुत सारी समस्याएं हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी, आपने कह दिया कि पटवारी, पंचायत में हाजरी देगा और उसका वेतन सरपंच की सिफरिश से मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा कि इससे आपका काम सफल नहीं होगा। जब तक आपके राजस्व के पूरे अमले को, आप पंचायतीराज संस्थाओं के सुपुर्द नहीं करोगे, आप पटवारी सरपंच को नहीं, जो गांव की सबसे बड़ी समस्या है वह पटवारी है। अगर पटवारी को हम सरपंच के अधीन कर देंगे, ग्राम सेवक को आप करने जा रहे हैं, पटवारी को क्यों नहीं करते? (व्यवधान) जब पटवारी उसके अंडर में नहीं होगा, तो वह कैसे काम करेगा? आज रास्तों की समस्याएं हैं, सिवाय चक की है, चरागाह भूमि पर जिस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं। आज बहुत बड़ी समस्या गांवों में है।

कृषि, हाट, बाजार और इनके निर्माण के कामों की केबिनेट सब-कमेटी ने सिफारिश की है। मैं, सभापति जी, इससे हटकर सरकार को कहना चाहूंगा कि जो हमारी ग्रामीण कृषि उपज मण्डियां हैं इनको क्यों नहीं पंचायती राज संस्थाओं को दे देते, क्यों नहीं इनका संचालन आज वह करें? बहुत लम्बे समय से चुनाव नहीं। क्यों नहीं प्रधान को हम कृषि उपज मण्डी का पदेन चेयरमैन बना दें? हमको अधिकार देने पड़ेंगे। हम इतने सारे अधिकार एक साथ दे कि पंचायती राज संस्थाओं के

(श्री परसादी लाल)

प्रतिनिधियों को बार-बार अधिकार मांगने की जरूरत नहीं पड़े। गांव के विकास की जो भी समस्याएं हैं, ग्रामीण विकास की जो भी समस्याएं हैं, हम वह सारी की सारी उनको ट्रांसफर करें। आज जिस तरह पंचायतों के साथ-साथ, नेहरू जी ने कहा था कि जब तक हर पंचायत में शिक्षा, हर पंचायत में को-आपरेटिव संस्थाएं नहीं होगी...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बार-बार उठना ठीक नहीं है। बिराजिये।

श्री परसादी लाल : जब तक हम सहकारी विभाग को इन पंचायती राज संस्थाओं में नहीं जोड़ेंगे, आज गांव के सारे लोग को-आपरेटिव के मैम्बर हैं। तीन-तीन पंचायतों में वह हैं, सोसायटियां हैं। आज पंचायत मुख्यालय पर हम खाद, बीज, दवाइयां नहीं पहुंचा सकते फिर हम ग्रामीणों की क्या मदद कर सकते हैं?

पंचायती राज मंत्री जी, मेरा सुझाव है कि सहकारिता विभाग को भी आप इससे जोड़िए और जो जिला प्रमुख और प्रधान हमारे हैं उनकी हैसियत बनाइये। जब इतने सारे अधिकार हम दे रहे हैं, इतने सारे आई.ए.एस. आफिसर्स जिला परिषद में बैठा रहे हैं, आप उसकी हैसियत जिला प्रमुख की भी नहीं बनायेंगे? यह राजस्थान पहला राज्य होना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि हमारे जिला प्रमुखों को चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, चाहे उनको मंत्री का दर्जा दें, चाहे राज्य मंत्री का दें, चाहे उप मंत्री का दें उनकी कोई हैसियत नहीं बनाएंगे, तो उनको कलक्टर से मिलने के लिए तीन घंटे तक बैठना पड़ेगा। अगर इतने सारे अधिकार देने के बाद उनकी हैसियत हमने डवलप नहीं की, उनकी हैसियत वह की वह रखी, तो इन अधिकारों का सही रूप में जो हमारे मुख्य मंत्री जी गांव में ग्रामीण स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं उनमें रूकावट आयेगी। जिला प्रमुख की हैसियत होनी चाहिए। जिला प्रमुख को इस तरह का दर्जा देंगे तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास की व्यवस्था में सुधार आयेगा। आज सारे अधिकार दे रहे हैं अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, सारे विभागों को दे रहे हैं और भी हमारे विभाग हैं, जैसे को-आपरेटिव को भी आप जोड़िए। निश्चित रूप से आज लोगों की आम समस्या है कि उन्हें ऋण नहीं मिलता है। पहले हर पंचायत समिति में को-आपरेटिव का अफसर होता था। आज उसको बिलकुल हटा दिया गया है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस तरह का सपना हमारे नेता ने सोचा, जिस तरह की सम्भावनाएं व्यक्त कीं, जिस तरह की पहले न्याय पंचायतों की व्यवस्था थी, आज न्याय पंचायतें नहीं हैं। न्याय पंचायतों के स्तर पर छोटे-छोटे मामले पहले वही गांव स्तर पर ही निपटा लिए जाते थे। आज हर

(श्री परसादी लाल)

ग्राम पंचायत में आपने जो न्याय पंचायत बनाई है वह कहीं कोई एक भी फैसला नहीं कर पाती है। सरपंच बहुत परेशान है। पहले 5-5, 6-6 पंचायतों की जो न्याय पंचायतें हुआ करती थीं अगर उनकी पुन: स्थापना हम करें, तो निश्चित रूप से आज कोर्ट में छोटे-छोटे मामले, छोटे-मोटे झगड़े, छोटे-छोटे विवाद, रास्तों के, जमीन नापने के विवाद आज तहसीलदार के यहां, एस.डी.ओ. कोर्ट में जिस तरह के मामले लम्बित हैं, बहुत लम्बे समय तक उनका निस्तारण नहीं होता है। ग्राम स्वराज के सारे अधिकार हम पंचायती राज संस्थाओं को दें। प्रधान, जिला प्रमुख, जिला परिषद् और पंचायत समिति के सदस्य तो आपसे मांगते-मांगते चले गए पंचायती राज मंत्री जी।

आज एक वार्ड के हजार वोट पर जो सदस्य बनता है उसको हम मानदेय देते हैं पर जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य को हम एक पैसा भी मानदेय नहीं देते। आपको विचार करना चाहिए, जब इतनी सारी जिम्मेदारी, छह पंचायतों की जिम्मेदारी एक जिला परिषद के मैम्बर पर आयेगी, इतना काम उसको करना पड़ेगा, तो आप यह भी सोचिये। आपको हमारे जिला परिषद और पंचायत समिति के जो मैम्बर हैं उनको भी मानदेय देना होगा। तब ही कोई जिला परिषद के मैम्बर, पंचायत समिति के मैम्बर ठीक से काम कर सकेगा जब उसको सुविधा मिलेगी।

आज हमारे प्रधान को भी पंचायत समिति मुख्यालय पर आवास की सुविधा नहीं है, टेलीफोन की सुविधा नहीं है फिर वे किस तरह काम करेंगे? अगर यह सुविधा हमने इनको साथ-साथ नहीं दी तो हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो जायेगी। किस तरह प्रधान काम करेगा, किस तरह जिला परिषद का मैम्बर काम करेगा, किस तरह पंचायत समिति का मैम्बर काम करेगा और किस तरह सरपंच काम करेगा, यह भी हमको साथ-साथ देखना होगा। आप ग्राम पंचायतों के लिए कहेंगे कि अगर इंकम हो तो वहां पर मानदेय दें। आज जो भी रेवेन्यू हमको मिलता है भू-राजस्व से, आप क्यों नहीं उसको साथ-साथ ट्रांसफर कर देते। हर ग्राम पंचायत में रेवेन्यू आता है, वह उस ग्राम पंचायत के विकास के लिए क्यों नहीं देते पंचायती राज मंत्री जी, जब हमारा मन है देने का, इस कमेटी में आप सारे वरिष्ठ मैम्बर हैं कैबिनेट के, यह पूरा दीजिए जिससे ग्राम स्वराज का महात्मा गांधी जी का जो सपना है वह पूरा हो सके। आज हम धीरे-धीरे दे रहे हैं, कंजूसी करके धीरे-धीरे दे रहे हैं, यह कंजूसी हमको नहीं करनी चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिल खोलकर शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, आज उसका प्रभाव है कि हमारे प्रदेश में 10 लाख बच्चे जो अनामांकित थे, 90 प्रतिशत बच्चों का हमने नामांकित स्कूलों में दाखिला करा दिया। एक संकल्प था,

(श्री परसादी लाल)

एक मिशन था, उसी तरह अगर हम इसको भी लें। हम ग्राम स्वराज के सारे अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों को पंचायत समितियों और जिला परिषदों में दें। बहुत सारे माननीय सदस्य यह कहेंगे कि हमारे अधिकार जा रहे हैं। हमको सुविधाएं मिल रही हैं अधिकार नहीं जा रहे। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी की बात की ताकीद कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बार-बार व्यवधान डालना...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मंत्री जी की बात का मैं समर्थन कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं मंत्री जी की बात का समर्थन कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सारे जिला परिषद के मैम्बर को एक-एक गाड़ी दे दें, एक-एक अम्बेसडर कार दे दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। बार-बार व्यवधान डालना ठीक नहीं।

श्री परसादी लाल : आपको पीड़ा हो रही है। सभापति महोदय, अगर जिसको अगली बार एम.एल.ए. का अधिकार कम लगे, जिला प्रमुख, प्रधान का ज्यादा लगे वह वहां चुनाव लड़ ले। यहां दूसरे लोग आने को तैयार बैठे हैं, आपकी और हमारी जरूरत नहीं है। दूसरे लोग तैयार बैठे हैं आने को। अगर आपको जिला प्रमुख और प्रधान की सीट अच्छी लगे, तो आप वहां जाइए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मंत्री तो और भी बनने के लिए बैठे हैं, यहां पर। मैं तो लाल बत्ती की गाड़ी की बात कर रहा हूं, लाल बत्ती की गाड़ी दे दो। इसलिये हमारे प्रतिपक्ष की पार्टी के माननीय सदस्यों की जो भावना बनी हुई है मैं उनसे कहूंगा कि आपकी जो सामन्तवादी प्रवृत्ति है। अब भैरोंसिंहजी गये, अब छोड़नी पड़ेगी, वह प्रवृत्ति अब छोड़नी पड़ेगी और अधिकार देने पड़ेंगे गांव में चुने हुए लोगों को। आज ग्राम सभा में कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट हमको देना होगा। हमको विश्वास करना होगा। सरपंच चाहे किसी पार्टी का है, प्रमुख किसी पार्टी का है, हमको चुने हुए लोगों को अधिकार देने के लिए पैरवी करनी होगी और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह का यह अधिवेशन बुलाकर इसकी शुरूआत की है, एक मन बनाया है, आपकी भावनाएं भी यहां आ रही हैं और हमारे माननीय सदस्यों की भावना भी जो व्यक्त की गयी, माननीय पारीक साहब ने...

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति : एक मिनट, एक मिनट, बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन है, बहुत जरूरी है।

श्री सभापति : एक मिनट, बिराजिये।

श्री सांवर लाल : मुझे जो जानकारी मिली है, वह बता दूं। माननीय सभापति महोदय, मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि कांग्रेस विधायक दल में विधायकों ने इस विधेयक का, इन संशोधनों का विरोध किया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए, बिराजिए।

श्री सांवर लाल : इसकी वजह से इन मंत्रियों को खड़े होकर बोलना पड़ रहा है।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : कोई विरोध नहीं किया। (व्यवधान) यह मिथ्या प्रचार है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह गलत है। कांग्रेस विधायक दल में विधायकों ने एक होकर अपना समर्थन दिया...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : कोई विरोध नहीं किया। (व्यवधान) कोई विरोध नहीं किया, सारे लोग चाहते हैं कि इनको अधिकार दिए जाएं। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : किसी ने विरोध नहीं किया। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : विरोध किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कांग्रेस की एक ही नेता है, श्रीमती सोनिया गांधी। (व्यवधान) वो, कांग्रेस में...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में हर विधायक ने माना कि यह विधेयक...(व्यवधान) पंचायतों को पूरे अधिकार दिये जाएं, इनको सशक्त किया जाए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कांग्रेस में कोई दूसरी बात नहीं हुई। (व्यवधान) कांग्रेस राजग नहीं है, कांग्रेस राजग नहीं है। (व्यवधान) कांग्रेस, कांग्रेस है, एक राजनीतिक दल है। (व्यवधान) इसकी एक नेता है और पूरी कांग्रेस सिर्फ एक नेता के...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : पंचायतों को सारे अधिकार कांग्रेस ने दिये हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप पहले दिन से बोल रहे हो कि आपकी वित्तीय स्थिति खराब है...(व्यवधान) क्या धोयेगी और क्या निचोड़ेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय, कांग्रेस में अगर कोई खूबी नहीं होती तो आप हमारे दरवाजे पर खड़े होकर हमसे आने के लिए नहीं कहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति जी, पंचायती राज विधेयक पर मंत्री लोग बोल रहे हैं, माननीय सदस्य तो बोल ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी तो आप लाइन में खड़े हैं कांग्रेस में आने के लिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : हम नहीं आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलेंगे, अभी बोलेंगे। सब बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ट्रेजरी बेंचेज को आप देखो तो सही। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय परसादीलाल जी।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, जब हम गांवों में महसूस करते हैं, आप भी गांवों में जाते हैं पी.एच.इ.डी. के हैण्डपम्प खराब पड़े रहते हैं। मिस्त्री कोई जाता नहीं है, सामान है नहीं। यह सारा का सारा अपना वर्डन ग्राम पंचायतों को दे रहे हैं, पंचायत समिति को दे रहे हैं और सारा बजट दे रहे हैं। आपको और हमको सुनने को नहीं मिलेगा, गांव में जायेंगे कि हैण्ड पम्प खराब है। हम कह सकते हैं पंचायत समिति का प्रधान करेगा, ग्राम पंचायत का सरपंच करेगा। सारे अधिकार दे रहे हैं, आपको कहां दिक्कत है। हमारे माननीय सदस्यों ने, किसी एक ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। विधायक दल की मीटिंग में एक भी मेम्बर ने यह नहीं कहा कि आप पंचायतों को अधिकार मत दीजिए। हमने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है कि पंचायतों को जितने अधिकार दिये जाएं, जितना मजबूत बनाया जाए उतना ज्यादा हमारा ग्राम स्वराज मजबूत होगा और हमारे गांव के विकास की जो सम्भावनाएं हैं। उतनी ज्यादा वे प्रबल होंगी। अब जिस तरह की मानिटरिंग है, विभाग के अधिकारी काम करते हैं, चाहे वह पी.डब्ल्यू.डी. के हों, पी.एच.इ.डी. के हों, इर्रिगेशन के हों, उनका सुपरविजन पंचायत समिति स्तर पर ए.ईएन. और जे.ईएन. बैठकर वहां पंचायत समिति के निर्देश में काम करेगा वहां पर उनके प्लान बनायेगा। वहां पर वह काम करेगा, तो काम पहले से बेहतर होगा। हम अधिकारियों के बजाय, आज जो अधिकारियों को काम करने का अधिकार है वह हम दे रहे हैं चुने हुए प्रतिनिधियों को। इसमें कहां बुराई है। सरकार ने जो भी हमारे घोषणा पत्र में, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया था। अब जब वे मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का घोषणा पत्र ही मेरी सरकार के कामकाज का... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, आप घोषणा-पत्र पर चर्चा कर लीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : बेरोजगारी आपने मिटा दी?

श्री परसादी लाल : यह अभी पंचायती राज पर चर्चा हो रही है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप पूरे पर बहस करो, इस घोषणा पत्र पर। इस घोषणा पत्र पर कितना अमल किया है। जनता को असत्य बोलकर, गलत बोलकर आप लोगों ने वोट लिया। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : मेरी पार्टी का घोषणा पत्र ही...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अगली बार जब जनता के बीच जायेंगे न तब पता लगेगा आपको। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : हमने अमल किया है। हमने घोषणा-पत्र आपके हाथ में पकड़ा दिया। आप भी हमारे घोषणा पत्र की बात करने लगे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सोनिया जी की फोटो छपवाकर जो आपने घोषणा-पत्र में घोषणा की, एक पूरे दिन घोषणा-पत्र पर अगर बहस हो जाए, तो पता लग जायेगा। (व्यवधान) राजस्थान की जनता को कि इस घोषणा-पत्र की जितनी आप...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आप तो रोजाना ही उस घोषणा पत्र को गीता की तरह पढ़ते हो और क्या चाहिए। (व्यवधान) सबसे ज्यादा आप ही पढ़ते हो उस घोषणा पत्र को और हम उस पर अमल कर रहे हैं। (व्यवधान) और यह घोषणा पत्र के अमल करने का यही तरीका है कि पंचायती राज को अधिकार देने का काम, वह अधिकार हम पूरे कर रहे हैं। इसमें आपको क्या एतराज होने की बात है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, आगामी विधान सभा में इस प्रदेश की जनता दे देगी आपको... प्रदेश की जनता... इस घोषणा-पत्र का परिणाम दे देगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह हमारी क्षमता है, इनको घोषणा पत्र पकड़ा दिया। आप लोगों ने कभी प्रयास भी नहीं किया।

श्री सभापति : एक मिनट, कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप इसका रोज अध्ययन करते हैं। हनुमान चालीसा की तरह पढ़ते हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, ये बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कितने काम हमने कर दिये, कितने बाकी हैं। आप तो रोज पढ़ते हैं, हमको याद दिलाते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : माननीय सभापति महोदय, जब माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं तो बीच-बीच में ये सदन का समय क्यों खराब कर रहे हैं? इनको बैठाइये न। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, क्लेरीफिकेशन मंत्री महोदय, जरा आपने भी कहा... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : आप तकलीफ क्यों उठा रहे हो? तीन चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में उप.चुनाव हो रहे हैं, बी.जे.पी. ने क्या काम किया, वह मालूम हो जायेगा बिलकुल।

श्री परसादी लाल : माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री ने हमारी पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में कहा कि यह मेरी सरकार का रामायण है, यह बाइबल है और हमारी सरकार 5 साल तक इसी के आधार पर कार्य करेगी। पंचायती राज के सम्बन्ध में, आज चर्चा पंचायती राज की हो रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट।

श्री परसादी लाल : अगर कोई बात इसमें छूट गयी हो तो हमारे पंचायती राज मंत्रीजी बिराजे हुये हैं उनको आप बोलिये न। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं आपसे एक क्लेरीफिकेशन, सुनें एक मिनट।

श्री परसादी लाल : आपको पंचायतों की जानकारी नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): हां नहीं है।

श्री परसादी लाल : पंचायतों के बारे में जानते नहीं हैं, गांवों के बारे में समझते नहीं हैं। आपको पंचायती राज से क्या मतलब है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सारा ज्ञान आप ही को है, आप सुनिए... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : 4 साल तक कहां थे आप? इस घोषणा-पत्र को लेकर 4 साल कहां थे आप? 4 साल तक... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : आपके हर एम.एल.ए. के यहां तो हमारा घोषणा-पत्र मिलेगा। (व्यवधान) यही हमारे घोषणा-पत्र का महत्व है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने अपना घोषणा-पत्र पढ़ा है क्या? आपने अपना घोषणा-पत्र पढ़ा है क्या? (व्यवधान) आपके घोषणा-पत्र में लिखा हुआ है कि भय, भूख और बेरोजगारी मिटाएंगे। भय, भूख और बेरोजगारी मिटाएंगे। जरा केन्द्र सरकार से पूछिए कितना आपने एम्पलायमेंट जनरेट किया है?

श्री धर्मपाल चौधरी : और आप लोगों ने, एक दिन आपके घोषणा-पत्र की चर्चा हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा और राजस्थान की जनता के साथ जो धोखा किया। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कितना एम्पलायमेंट जनरेट किया है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सदस्य, राजीव गांधी को तो पता था कि बिहार में लाल मिर्च की बजाय हरी मिर्च बोओ और हरी मिर्च की बजाय लाल मिर्च बोओ? क्या राजीव गांधीजी को पंचायती राज का पता था? उनको गांवों का पता था क्या? (व्यवधान) क्या सोनिया गांधी को पता है कि गांव क्या होते हैं, गांव की सौंधी मिट्टी क्या होती है? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं उन लोगों की क्या बात करूं जो एक दिन में गणेशजी को दूध पिला दें, पूरे संसार में एक दिन में गणेशजी को दूध पिला दें। (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हो। आप प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गांव की सौंधी मिट्टी क्या होती है। आपको पता है क्या? सोनिया गांधी को पता है कि पंचायती राज कानून क्या होता है? राजीव गांधी को मालूम था? बात करते हैं।

श्री सभापति : माननीय आहूजा साहब, माननीय आहूजा साहब।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सचेतक महोदय, खूब दोस्ती निभा रहे हो आज तो, खूब दोस्ती निभा रहे हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : प्रधानमंत्री +++ होंगे, यह पता था उनको (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको क्या पता कि लाल मिर्च में और हरी मिर्च में किस में फायदा है? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजीव गांधी ने कहा कि लाल मिर्च में फायदा है, लाल मिर्च बोओ! आपको पता है कि राजीव गांधी ने बिहार में क्या कहा?

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी, आपका नाम बोलने वालों में है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, बिहार वाला कहता है कि राजीव गांधी ने राजस्थान में कहा। बिहार वाला आपका भाई कहता है कि राजीव गांधी ने राजस्थान में कहा। (व्यवधान) राजीव गांधी ने कभी यह बात नहीं कही।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको गांवों के बारे में क्या पता है। (व्यवधान) गांव की सौंधी मिट्टी के बारे में क्या पता है आपको? (व्यवधान) क्या मालूम है आपको? (व्यवधान) आप किसान के बेटे भी नहीं... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं किसान का बेटा नहीं हूं तो कौन है? (व्यवधान) मैं हल चलाकर आया हूं। (व्यवधान) मैं मेरे हाथों से हल चलाकर आया हूं यहां। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : विदेशियों के भरोसे...(व्यवधान) करना चाहते हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए, माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप न जिद्दें इनसे, दोनों खास मित्र हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मल्टी–नेशनल को लाकर राजीव गांधी ने देश को गुलाम बना दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी, माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आहूजा जी, आपको मालूम नहीं है, ये दोनों खास मित्र हैं।

श्री मदन दिलावर : शकरकंद पेड़ पर आती है क्या? राजीव गांधी जी एक सभा में कहते हैं कि शकरकंद पेड़ पर आती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बार बार उठना, व्यवधान डालना उचित नहीं है। आप बिराजिए, बिराजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं तो इनसे निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्य से...

श्री सभापति : बिराजिए आप, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं तो यह बता रहा हूं, दोनों खास मित्र हैं इनसे जिद्द न करें। (व्यवधान) कितना ही बोल लें इनसे... (व्यवधान) दोनों ही खास मित्र हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ताबूत भी मल्टी नेशनल के द्वारा ही मंगवाए। इसमें भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप अफण्ड मत फैलाओ। आपको तो मनुवादी कह गये भाई स्वर्गीय जगत दायमा, आप अफण्ड मत फैलाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने ताबूत भी विदेशों से मंगवाए। (व्यवधान) आप ताबूत चोरों के अनुयायी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपके ताबूत इस धरती के होंगे, इस मिट्टी के होंगे।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, अपना समझौता हो गया था फिर क्यों तोड़ रहे हैं आप उसको? समझौता मत तोड़ो। मंत्री महोदय।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, आज जिस तरह हमारी सरकार ने कोशिश की है केबिनेट सब कमेटी का एजेण्डा आपके सामने है कि उसमें कोई चीज हमसे छूट गयी है और आप कोई आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, जैसे हमने स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण इलाकों में जो भी हमारे सेंटर, सब सेंटर, एड पोस्ट, आयुर्वेदिक, यूनानी...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, एक क्लेरीफिकेशन है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जितने भी हैं, हास्पिटल हैं, वह हमने पंचायती राज संस्थाओं को देने का तय किया। अब कहां एतराज है आपको इसमें?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब आप सुनो एक मिनट।

श्री परसादी लाल : इसलिए, सभापति महोदय, आज जिस तरह के हम अधिकार पंचायतों को दे रहे हैं वह ग्राम पंचायत मजबूत होगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री परसादी लाल : गांव के लोगों को जो इस व्यवस्था से अधिकार मिलेगा, उससे हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य पीड़ित हैं। पीड़ित हो सकते हैं पर हमारी पार्टी का जो कमिटमैंट है, हमारे मुख्य मंत्रीजी का जो वायदा है, उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ग्रामीण व्यवस्था के लिए, विकास के लिए जो भी फण्ड्स हैं वह निश्चित रूप से सरकार सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराएगी। हम ग्रामीण विकास और पंचायती राज, दोनों को एक करके यह कोशिश कर रहे हैं कि इनका तालमेल ठीक रहे, काम ठीक हो, गांव के लोगों को परेशानी नहीं हो और इस तरह की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भंवरलालजी बहुत ही विद्वान हैं। बहुत साल तक पंचायत मिनिस्टर, शहर के मिनिस्टर रहे हैं, पंचायत के नहीं रहे। पंचायत का मिनिस्टर, तो आपकी पार्टी का कभी जीतता ही नहीं है। चाहे वह हरलाल सिंहजी खर्रा हो,चाहे नाथूसिंहजी गुर्जर हो क्योंकि उनको सोच ही नहीं है कि हम गांव के लिए काम करें। आप पूर्व नगरीय विकास मंत्री हैं, आपको गांवों की जानकारी नहीं है। आज गांवों में जिस तरह की....(व्यवधान) पूर्व नगरीय विकास मंत्री हैं आप। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने मंत्री बना दिया न गांव के। आपके राज में कांग्रेस के दो मंत्री...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल : आपके राज के जो पंचायती-राज मिनिस्टर थे, एक भी दुबारा जीतकर नहीं आए कोई भी। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सी. पी. जोशी भी हैं और शांति धारीवाल, दोनों गांव के ही हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : आप जिस तरह की भावना गांव के लोगों के प्रति रखते हैं इसीलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय प्रतिपक्ष की नेता ने जो अधिकार देने की बातें की हैं। आपकी भी सरकारें हैं कई प्रदेशों में, आपकी गुजरात में है, आपकी हिमाचल प्रदेश में है, आपकी यू.पी. में है, क्या आपकी सरकारों ने कोशिश की है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : भट्टा बैठा दिया।

श्री परसादी लाल : आपकी सरकार ने भट्टा बैठा दिया वहां का और जिस तरह की व्यवस्था हमारे मुख्य मंत्रीगण ने की है, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने हमारी नेता के निर्देश पर जो अधिकार देने की पहल की है कम से कम आपको आगे से नहीं तो पीछे से तो कांग्रेस की ओर चलना चाहिए कि इन संस्थाओं को किस तरह से मजबूत करें। हम गांव के चुने हुए लोगों को किस तरह अधिकार दें। आज बहुत सारी महिलाएं चुनकर आई हैं। बहुत सारे प्रमुख हैं, प्रधान हैं, हम चाहते हैं कि बिना राजनीतिक आधार पर गांव के चुने हुए लोगों को अधिकार दें। जिस तरह से हमारी कैबिनेट सब कमेटी ने जो रिकमण्डेशंस की है यदि आपको उसमें लगे कि यह अधिकार और हैं, राजेन्द्रजी राठौड़ को तो कुछ लग नहीं रहा, वह तो यह कह रहे हैं कि इसमें राइडर्स लगाए जाने चाहिए, इनको शंका ही शंका लगती है। आपकी सारी पार्टी का जो सोच है, मैं अगली बार चुनाव में आपको अगर गांवों में रहना है, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको अपना रवैया बदलना होगा, नहीं तो गांव के लोग अभी तो आप यहां पर 32 बैठें हैं, तीन और दो पांच भी आप आ सकते हैं अगर यही धारणा आपकी रही। इसलिए आपको अपने रवैये को बदलना चाहिए।

भंवरलालजी सर्वे–सर्वा थे, शहरों में जो चाहे वह किया पर शहरों में भी जब जयपुर में विकास की बात आई तो भंवरलालजी ने आठ साल में कुछ नहीं किया। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने आज जिस तरह हैरिटेज सिटी जयपुर को बनाया, आप देखकर दंग रहेंगे। आपने क्या किया आठ साल में? यह आपके सामने है कि हमने चार साल में क्या किया जयपुर का। आज जिस तरह का जयपुर का डवलपमेंट हमने किया है। आठ साल तक आप राज में रहे, आप सर्वे–सर्वा रहे। बरामदे खाली कराने की बात आप भी उठाते थे जब 1985 में थे। आपसे आठ साल में बरामदे खाली नहीं हुए। आज जयपुर के लोग महसूस करते हैं कि हमारे नेता की प्रतिबद्धता, संकल्पबद्धता के आज सारे बरामदे राजी–खुशी खाली हो गये। भंवरलालजी, आप देखते रह गये और बरामदे खाली हो गये। यह सरकार की... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : देखते ही नहीं रह गये। अपना घर भी भूल गये। मुझसे मिले। मैंने पूछा क्या हुआ यहां कैसे घूम रहे हो? तो बोले, घर नहीं दिखाई दे रहा, गली तो वही लग रही है। मैंने कहा साहब, परिवर्तन हो गया, यह वही गली है, जहां आपका घर था।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गांव में ही नहीं सोनिया गांधीजी आपकी ढाणी की होंगी, परसादीलालजी। माननीय मंत्री महोदय, यह सोनिया गांधीजी आपकी ढाणी की होंगी।

श्री परसादी लाल : हमारी सरकार ने गांवों में ही काम नहीं किया, हमारी सरकार ने शहरों में भी काम किए हैं। आप शहरों की बात करते हो तो...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप शहरों की बात करते हो तो सोनिया गांधीजी आपकी ढाणी की ही हैं क्या?

श्री परसादी लाल : जिस तरह से ए.डी.पी. का प्रोजेक्ट लाकर...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप गांव में घुसकर देखना...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल : जयपुर में जिस तरह से अतिक्रमण हटाया, जिस तरह से बरामदे खाली करवाए, जिस तरह से सड़कों का सौन्दर्यीकरण किया, आपने आठ साल में आपकी गली का भी सौन्दर्यीकरण नहीं किया। आज तो जयपुर के लोग आपको कोसते हैं कि भंवरलाल जी ने आठ साल में कुछ नहीं किया और अशोक गहलोत, चाहे वह जोधपुर के हों, वे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। जयपुर ही नहीं, उदयपुर, जोधुपर, कोटा, इन पांचों शहरों को उन्होंने चुनकर, अजमेर का जिस तरह का विकास आज किया है, कांग्रेस गांव का ही नहीं शहरों का भी विकास करना चाहती है।

हम अरबन डवलमेंट, अरबन नगरपालिकाएं हैं, नगर-निगम हैं उनको भी अधिकार देना चाहते हैं। भंवरलालजी, आप आठ साल तक शहरी विकास मंत्री रहे हैं। आपने कहा नियमन कर देंगे, इस रेट से कर देंगे, उस रेट से कर देंगे, आप करते-करते ही बाहर चले गये और उधर बैठ गये। हमारी सरकार ने "प्रशासन शहरों के संग" अभियान चलाकर जो काम किया, आप आंकड़े देख लीजिए, आपने कुछ नहीं किया होगा जयपुर के लिए। आज जयपुर के लोग जिस तरह से अशोक गहलोत की वाहवाही करते हैं और आपका नाम भूले गये। आपको इस बार अकेले को भेज तो दिया जयपुर से मगर ऐसा ही आपका रवैया रहा तो अगली बार आप अकेले भी नहीं आओगे और इस विधान सभा से बाहर हो जाएंगे।

हमारी सरकार ने, जयपुर को हैरिटेज सिटी बनाया। हमारे माननीय मंत्री ने जिस तरह का काम किया, आपने खूब आलोचना की, आपने खूब धरना दिया पर जयपुर की जनता समय आने पर आपको सबक सिखा देगी कि कांग्रेस ने क्या किया और आपकी सरकार ने क्या किया इसका परीक्षण होगा आगे आने वाले विधान सभा के चुनावों में जब आप और हम मैदान में होंगे। हम आपको निश्चित रूप से कहते हैं कि अगर आपकी पार्टी का यही रवैया शहर और गांवों के प्रति रहा तो आपके 32 नहीं आपके तीन और दो पांच ही मैम्बर आएंगे। हमने जो कुछ भी कहा उसको करके दिखाया है। हमारे नेता ने जो कमिटमेंट किया, अपने घोषणा-पत्र में उसको गिन-गिन करके पूरा किया है, जो भी हमारे घोषणा-पत्र में है, हमारी सरकार

(श्री परसादी लाल)

घोषणा-पत्र से चलती है। आपकी सरकार थी, तो हमने घोषणा-पत्र के दर्शन नहीं किये। हम आठ साल तक एम.एल.ए. रहे हैं अपोजिशन में कभी भी घोषणा-पत्र की शक्ल तक नहीं देखी। आपके मंत्रियों के हाथ में नहीं देखा, किसी मैम्बर के हाथ में नहीं देखा क्योंकि आपका घोषणा-पत्र तो भैरोंसिंहजी कहते थे वह था और वही घोषणा-पत्र था, वही सरकार थी और वही कार्यक्रम थे इसलिए आप अब नेता विहीन हो गये। अब भी अक्ल लाओ, इन ग्राम पंचायतों को अधिकार और क्या दिए जाने चाहिए अगर यह सुझाव आप दें तो आपका फिर भी थोड़ा-बहुत कल्याण हो सकता है और अगर राजेन्द्र राठौड़ की लाइन पर ही आप चलें तो आपका सूपड़ा साफ होने वाला है। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मानिक चन्द जी सुराना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : माननीय श्री मानिक चन्दजी सुराना। नहीं, आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष को नेता विहीन कहा है मंत्री महोदय ने, इस पर जो शास्त्रों में कहा है यह मैं निवेदन करूं।

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब, बिराजिए। माननीय पारीक साहब, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय ने इनको जो नेता विहीन कहा है उसके बारे में शास्त्रों में यह कहा है-

"अनायका विनश्यन्ति।
नशयन्ति बहुनायका॥"

आप यदि नेतृत्व विहीन हो तो नाश सुनिश्चित है और आप सबके सब लीडर बन गये तब भी आपका नाश सुनिश्चित है।

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब, बिराजिए। आप माननीय सुराना साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक मिनट साहब।

श्री सभापति : हां, फरमाइए आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने पंचायती-राज की व्याख्या करते समय कुछ व्यक्तिगत बातें मेरे बारे में कही हैं। मैं आपका आभारी हूं, आपके अज्ञान के लिए मेरी सहानुभूति है। आप कहते हैं कि जयपुर में मैंने कुछ नहीं किया। जयपुर देखा है क्या आपने, कैसा है जयपुर? (व्यवधान) अब बोलेंगे नहीं आप। बोलेंगे नहीं।

श्री परसादी लाल : 1981 से जयपुर में रह रहे हैं। आप मेरे पहले आए हो। 1985 से मैं कंटिन्युअस सदस्य हूं असेम्बली का। मैंने जयपुर पहले भी देखा है। आपके समय का जयपुर, अशोकजी गहलोत के समय का भी जयपुर देखा है और दुनिया देख रही है पर आप नहीं देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छी बात, सुनिए आप। आंख खोलकर देखते तो ज्यादा अच्छा था। यह बारबार क्यों बोलते हो आप? आप जानते हो मैं जवाब दूंगा आपको टेढ़ा पड़ेगा। जो जवाब दूंगा वह भारी पड़ेगा तो बोलने ही नहीं दोगे मेरे को आप। सुनो तसल्ली से आप। आप बरामदों की बात करते हो न?

श्री सभापति : ठीक है सुनो। माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह बरामदे कब से कवर किए हुए थे?

श्री सभापति : नहीं–नहीं, आप फरमा दो न अपनी बात।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर बोल रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : हमारी सरकार ने कराए। आठ साल तक आपकी सरकार रही, बारबार लोगों ने मांग की। आप बरामदों वालों को प्रोटेक्ट देना चाह रहे थे और हमारी सरकार ने संकल्पबद्ध रूप से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो कह चुके न आप। आप कह चुके हैं।

श्री परसादी लाल : कि हमारी प्रायोरिटी बरामदे खाली कराने की है। बरामदे खाली कराए और आपने रोड़े अटकाए। आप वहां मशीनों के आगे गये, आपने आन्दोलन किया, फिर भी हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने कह दिया कि हर कीमत पर बरामदे खाली कराए जाएं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बरामदों पर कब्जा किसने कराया +++ कांग्रेसियों ने। कब्जे कांग्रेसियों ने कराए, खाली भी उन्हें ही करवाने थे, जिम्मेदारी भी उनकी ही थी।

डा. के. सी. चौधरी : सभापति महोदय, यह शब्द क्या हुआ, यह संसदीय शब्द है क्या?

श्री संजीव कुमार : यह आरोप लगा रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कब्जे आपने करवाए तो खाली भी आपको ही करवाने थे और क्या करना था। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, क्या बोल रहे हैं?

श्री सभापति : बैठो न आप। माननीय सदस्य, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह अंताक्षरी नहीं हो रही है यहां पर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उनको बताइए, यह बारबार नहीं बोलें। बिलकुल ठीक है आपका यह।

श्री सभापति : इसलिए एक माननीय सदस्य जो बोलें, दूसरे माननीय सदस्यों को शांति से सुनना चाहिए। यह सबके लिए लागू होता है। आप फरमाइए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इन पर भी है न? अब आप नहीं बोलेंगे।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : हां, आप फरमाइए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप बरामदों की बात करते हो। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि जयपुर की बरामदों की बताते हो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप इनसे क्या पूछते हो। आपको जो बात कहनी है वह कह दीजिए। इन से पूछते हो, तो वही झगड़ा होगा फिर। आप अपनी बात कह दो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, मैं कहता हूं साहब। सबसे बड़ी बात बरामदे खाली करा लिए हमने। बड़ी बात बरामदे खाली करवा लिए।

श्री सभापति : आप अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हो क्या? मैंने सुराना साहब को काल किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने व्यक्तिगत मेरे पर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर सदन में जब बात की गई है तो उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं इंकार नहीं कर रहा हूं। मैं इंकार नहीं कर रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बस वही बोल रहा हूं।

श्री सभापति : मैंने सुराना साहब को, आप बिराजिए न अब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अलाउ किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, मैं इनका नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : एक सैकण्ड, मैंने सुराना साहब को काल किया है। एक मिनट, बीच में आपको एक दो बात कहनी है, तो आप वह एक-दो बात कह दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, वहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति : कह दिया। अब इनसे हां भी मत कराओ, आप इनसे ना भी मत कराओ। आप अपनी बात करिए। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुखाड़िया जी के राज में यह बरामदे थे, हरिदेव जोशी जी के राज में बरामदे थे, शिवचरण जी के राज में यह बरामदे थे और इमरजेंसी आयी, इमरजेंसी में यह बरामदे वैसे के वैसे थे। कहां गयी थी आपकी सरकार? कांग्रेस सरकार थी, आपने खाली क्यों नहीं कराए? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं, आपने रामगंज के बरामदे खाली करा लिये क्या? जौहरी बाजार के तो आपने खाली करा लिये बरामदे। रामगंज के करा लिये क्या आपने? आप खाली करवा सकते हो क्या रामगंज के बरामदे? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कितनी बार कहलाओगे आप। बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं माननीय मंत्री महोदय, आपने यह फरमाया सदन के अन्दर कि हमने जौहरी बाजार के बरामदे खाली करा लिये। क्या आपने रामगंज के खाली करा लिये?

श्री परसादी लाल : बरामदे खाली करने की इतनी पीड़ा है, भंवरलाल जी आप आठ साल तक शहरी विकास मंत्री रहे हैं। आप कराते किसने मना किया था, किसने हाथ पकड़ा था आपका? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : रामगंज में खाली करवाकर दिखा दो। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : आपको पीड़ा हो रही है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप कहां गये थे? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : रामगंज के बरामदे खाली करवाकर दिखा दो हमारे को। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : आठ साल तक खाली नहीं करा सके। आपके ही लोग थे, बरामदों पर अतिक्रमण करने वाले आपके ही थे। इसलिए आप खाली नहीं करा सके। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा संयम रखिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बरामदे खाली कराने में भी आप भेदभाव करते हो।

श्री सभापति : आप संयम रखिए मंत्री महोदय। आप मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : वह आपने, चेयर से, आसन से कहे, मेरे से क्या पूछते हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप मंत्री हैं। थोड़ा संयम रखिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, बरामदे खाली कराने में भी भेदभाव किया सरकार ने। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराज जाओ। आप बिराज जाओ। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जौहरी बाजार के बरामदे खाली करा लिये। रामगंज के बरामदे खाली कराने की इनकी ताकत नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराज जाओ। माननीय बिराज जाइए आप। हां, माननीय भंवरलालजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा यह निवेदन है इतने लम्बे समय तक यह बरामदे आपके कब्जे में रखे आपने। (व्यवधान) हां, मैं ही कह रहा हूं न वह। (व्यवधान) फिर आप बीच में बोले।

श्री परसादी लाल : कहना पड़ेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा निवेदन है कि आपने बरामदे खाली करवाकर ऐसा समझ लिया कि सब काम

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हो गया। बरामदे खाली हो गये तो कांग्रेस ने सारे काम पूरे कर दिये। सारा बाइबल पूरा कर दिया। सारी इच्छाएं पूरी हो गयीं। जिस जगह से आप फरमाते हो गांव से, आप जब जयपुर में घुसते थे तो घाट की गुणी में चढ़ना मुश्किल होता था, आपको हांफनी आती थी, पसीने आते थे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां, आपने वह करवाया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुन लीजिये। आप मेरी सुन लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक-एक गली आज सीमेंटेड है। सारे शहर में गटर लाइन डाली हुई है। 200 से ज्यादा पार्कों का डवलपमेंट किया हमने। मैं आपका सर्टिफिकेट नहीं मानता। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने वालों में आपका नाम है। आपने व्यक्तिगत कुछ बात कही थी उसके लिए कहा था आपने। कह दिया न आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक बात यह पूछना चाहता हूं, आप कह रहे थे कि हम गांव में जायेंगे....(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं-नहीं, वह अपने समय में कहिए आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हैण्ड पम्प की कहीं शिकायत नहीं आयेगी। हमने पंचायत को पूरे अधिकार दे दिये हैं। आपको यह जो घोषणा-पत्र है, इसको पढ़ लीजिये, आपने क्या लिखा है इसमें।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, माननीय सदस्य, आपने अपने....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : साहब, एक सैकण्ड सुनिये ना। एक लाइन है, साहब। इसका जवाब मांगता हूं इनसे। यह पेयजल-हैण्ड पम्पों की सम्पूर्ण मरम्मत एवं संधारण (मय बजट) तथा नाकारा हैण्ड पम्प के स्थान पर नये हैण्ड पम्प के निर्माण कार्य (मय बजट) पंचायत समिति को हस्तांतरित किया जायेगा। क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे हम। एक तो यह करेंगे, संधारण करेंगे और जो हैण्ड पम्प खराब हो गया उसकी जगह नया लगायेंगे। नये हैण्ड पम्प लगाने के लिए इसमें लिखा ही नहीं आपने। (व्यवधान) नहीं लिखा है इसमें। यह लिखा है पढ़ लीजिये न आप। यह नहीं लिखा आपने।

श्री सभापति : नहीं, ठीक है। ठीक है। माननीय सुराना साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो काहे को फालतू बातें करते हो। यह पेज है आपका 69....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, आप सुझाव दीजिए। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा सुझाव यह है कि नये लगाने का अधिकार दीजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां, यह ठीक है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नये लगाने का अधिकार दीजिए। आपने केवल वाहवाही लेने के लिए लिख दिया। ईमानदारी से आपके मन में उनको अधिकार देने का है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके सुझाव स्वीकार हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई हैण्ड पम्प नाकारा होगा, उसको लगा देगा। आप यह कहते हो बड़ा आराम हो गया। यह हो गया। काहे का आराम हो गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको बोलने का अवसर मिलेगा। माननीय सुराना साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपको केवल कांग्रेस सरकार की तारीफ करनी थी, मुख्य मंत्री को राजी करना था और वह आपने पूरा कर दिया बाकी लेना-देना कुछ नहीं है। अब यह कहते हो गांव के बारे में क्या जानते हो। मैं काश्त करता हूं। आ जाओ मेरे मुकाबले में, खड़े हो जाओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : रामगंज में बरामदे खाली करा लिये क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यहीं आ जाओ।

श्री परसादी लाल : लालसोट में आ जाओ। यदि आपने जयपुर में काम किया तो पता-लग जायेगा आपको। अगली बार पता चल जायेगा आपको। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : लालसोट कैसे आयेंगे, यह तो एस.टी. की सीट है। जनरल में कैसे लड़ेंगे वह।

श्री परसादी लाल : मैं यहां क्यों आउंगा जयपुर में, हवामहल में?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप तो जयपुर में लड़ सकते हो।

श्री परसादी लाल : बुढ़ापे में मेरे से क्यों लड़वाते हो? (व्यवधान)

(15.34 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो माननीय सदस्य बोलें, उनको इन्टरप्ट मत कीजिये। यह तो बहस खतम ही नहीं होगी। इतनी देर से देख रहा हूं मंत्रीजी बोल रहे हैं उसके दो-दो मिनट में आप बोल रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : नाम लेकर क्यों कह रहे हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने तो किसी को इन्टरप्ट नहीं किया है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी को इन्टरवीन करो, इंन्टरप्ट करो तो खतम ही नहीं होगी बहस।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो मेरा भाषण शुरू कर रहा हूं।

डा. के. सी. चौधरी : साहब, आपको आप ही की पार्टी वाले इन्टरप्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हर पांच मिनट में मंत्रीजी को आप इंटरवीन कर रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह मंत्रीजी को मना करिये न कि हमें। मंत्रीजी को कहिये। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : व्यक्तिगत कैसे नाम लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बात को समझिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बिराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : दस बार किसी का नाम लेंगे तो करेंगे ही हम तो।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात को समझिए यह कोई मंत्री की हैसियत से नहीं बोल रहे हैं। Everybody is speaking as a member of the House. यह कोई डिबेट इसकी तो है नहीं। जो बोल रहे हैं वह बोल लेने दो। आपको जो योजना है आप बोल लो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : He has named me so many times.

श्री उपाध्यक्ष : आप इतने इन्टरप्ट कर रहे थे जिससे आधा टाइम तो आपने उनका ले लिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, कितनी बार नाम बोला उन्होंने मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोले प्लीज। आप बिराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्षजी, इन्होंने तो अपना एक्सप्लेनेशन दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, एक्सप्लेनेशन तो यह बोल लेंगे। इनको मौका मिलेगा जब बोल लें।

श्री मानिक चन्द सुराना : इन्होंने अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : Where is the end to it? इसका एण्ड क्या है?

श्री मानिक चन्द सुराना : मुझे पता नहीं। सभापति जी, यहां बिराज रहे थे। उन्होंने अलाउ किया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्षजी, आप कुछ बदल गये हो।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई नहीं बदल गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता पक्ष भी जिम्मेवार होता है। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य कितनी बार खड़े होते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Both are equally...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मुख्य सचेतक जी, इनका मुख्य कार्य है पूरे सदन को सुचारू रूप से चलाएं।

श्री उपाध्यक्ष : I am not telling, मैं केवल आपको नहीं कह रहा हूं। मैं पूरे सदन को कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो दोनों को कहो आप।

श्री उपाध्यक्ष : I am telling the whole House.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप क्यों हमारी तरफ इतनी निगाह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : निगाह तो मेरी ठीक है। आप तो बिराजिए। हां, बोलो आप बोलो।

डा. के. सी. चौधरी : नाम माननीय भंवरलाल जी का लिया जा रहा था और जवाब आप हैण्ड पम्प का दे रहे थे। आपने एक्सप्लेनेशन तो दिया ही था किसी भी बात का।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्षजी, पंचायती राज और स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण पर आज चर्चा है। सरकार कहती है कि हम दोनों को बहुत सशक्त बनाना चाहते हैं। सरकार के इरादे का हम समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन आ गया, सन् 1992 में आया और 1993 में लागू हुआ। एक लागू हुआ मार्च 1993 में और दूसरा लागू हुआ जून, 1993 में और जब वह लागू हो गया उसके एक साल के भीतर राजस्थान में पंचायती राज का नया एक्ट भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लागू किया गया। उस एक्ट की धारा 15 आज भी बिना किसी संशोधन के है। धारा 15 के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम एस.सी., एस.टी., बैकवर्ड क्लासेज और महिलाओं का आरक्षण पहली बार किया गया। उनके लिए कितनी पंचायतें थीं, उनमें महिलाओं के लिए वन थर्ड चेयर पर्सन्स का पद पहली बार सुरक्षित किया गया। (व्यवधान) अब यह राजीव गांधी का....(व्यवधान) माननीय बाकोलिया जी, हमारे लिये नहीं भारत....(व्यवधान) मैं इन्टरवीन कर लूंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ हैं। आपको जब उपाध्यक्ष महोदय ने मना कर दिया फिर कैबिनेट मंत्री होकर यह +++ की बात है, +++ आप सत्तारूढ़ पार्टी के कैबिनेट मंत्री होकर और हस्तक्षेप कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या बोल रहे हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या बोल रहे हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) : किसको?

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या बोल रहे हैं?

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह सीमाएं लांघ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों इन्टरप्ट कर रहे हैं? बोलने दें न।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सीमाएं लांघ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और आपका इलाज भी हमारे पास यही हैं, बोलेंगे। अगर आप इसी तरह करोगे तो हमारी तरफ यह बोलेंगे। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : यह सदन में बात कर रहे हैं या सड़क पर बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपको यह कह रहा हूं राजीव गांधी जी के... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मत बोलो न। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : साहब, क्या माननीय ज्ञानदेवजी को इजाजत दे दी आपने जैसी मर्जी आये वैसी भाषा बोल दें? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, गलत बात है। इन्होंने इन्टरवीन किया इसलिए बोले यह। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : नहीं, बहुत खराब भाषा बोल रहे हैं। +++

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं यह कह रहा हूं इनकी मूंछे नकली हैं, इनका थोड़ा टैस्ट करा लिया जाये।

डा. के. सी. चौधरी : यह भाषा संसदीय भाषा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, प्लीज। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जब पंचायती राज मिनिस्टर था उस समय राजीव गांधी जी ने.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह बात हो गयी। आप बोलेंगे फिर यह बोलेंगे।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं उस समय जब पंचायती राज मिनिस्टर था उस समय राजीव गांधीजी ने पंचायती राज मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलना है तो बोल लेना डिबेट पर। आई अलाउ यू।

श्री छोगाराम बाकोलिया : उस समय मैंने यह बात रखी थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. के लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ताकि उनको राज करने का हक मिले और उसी के अनुरूप उन्होंने एग्जामिन कराने का निर्णय लिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है? यह क्या है?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनका भी भाषण करा दो आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप बोल लेना न।

श्री छोगाराम बाकोलिया : इनको पता ही नहीं इस परिप्रेक्ष्य में राजीव गांधी जी की क्या मंशा थी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या हो रहा है इनको? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बोलो, हम बैठ जाते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : नींद में हो क्या? क्या बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : समझ में नहीं आ रही है बात, पता नहीं आप लोग...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अब तो चुप रहें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : You have a right to speak.

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आप जिस सशक्तीकरण की बात कर रहे हैं, धारा 15 के मार्फत ही सशक्तीकरण शिड्यूल्ड कास्ट का किया गया, शिड्यूल्ड ट्राइब का किया गया, महिलाओं का किया गया और ओ.बी.सी. का किया गया। उस वक्त 15 परसेंट किया गया, आपकी सरकार ने आकर 15 को 21 कर दिया। मैं मान लेता हूं कि 6 परसेंट सशक्तीकरण ओ.बी.सी. का आपने अधिक कर दिया पर इस धारा 15 में सिर्फ इस एक संशोधन के अलावा कि 15 को 21 पढ़ा जाए ओ.बी.सी. के लिए आज तक कोई दूसरा संशोधन नहीं है और मूल सशक्तीकरण उस धारा 15 के माध्यम से किया गया है।

आपके लिए हो सकता है वो राजीव गांधीजी का सपना था, मेरे लिए यह महात्मा गांधी का सपना है। आप तो महात्मा गांधी को भूल चुके हो और भूलना ही चाहिए, महात्मा गांधी टिकट वितरण नहीं कर सकते, पार्लियामेंट्री कमेटी के वे अध्यक्ष नहीं हो सकते। आप सब को टिकटों की आवश्यकता है इसलिए राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के साथ अशोक गहलोत साहब, आप जितनी चाहें प्रशंसा करें, हमें इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है पर इतना ध्यान रखिये कि कहीं प्रियंका गांधी बन जाए तो शायद आपको राबर्ट बडेरा साहब की भूरि-भूरि प्रशंसा करनी पड़ जाएगी। यह रोज जो नेता बदल कर आप बात करते हैं, इसको जरा ध्यान में रखिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज का सशक्तीकरण का असल चित्र, यह पुस्तक हमें वितरित की है

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं पर सन्दर्भ सामग्री का संकलन इसमें द्वितीय वित्त आयोग ने क्या दिया है पंचायतों को और ग्यारहवें वित्त आयोग ने क्या दिया है पंचायतों को, इसको जरा ध्यान से देखें हमने इनको सशक्तीकरण के नाम पर कितना धन दिया है अब तक। 2002-2003 में चल रहे हैं अपन, वित्त आयोग के अनुसार 155 करोड़ रुपये, कुछ पाइंट हैं जिनको मैं नहीं बोल रहा हूं मैं राउण्ड फिगर में ही बोलूंगा, 155 करोड़ रुपये अपन पंचायत राज संस्थाओं को देंगे और अगले वर्ष 25 करोड़ बढ़ा देंगे, 180 पर ले जायेंगे। उसके अगले वर्ष, क्योंकि आपने 2004-2005 तक वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है, उसके बाद हम 208 करोड़ देंगे। 155 करोड़ रुपया हम देंगे द्वितीय वित्त आयोग के तहत और ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत हम इनको देंगे पांच साल के लिए 98.10 करोड़। अब 155 और 98 को जोड़ लीजिएगा और राजस्थान की पंचायतों की संख्या का यदि विभाजन कर देंगे तो करीब 80 हजार। राउण्ड फिगर में है, कोई हजार, दो हजार कम-ज्यादा होगा। एक पंचायत को राज्य सरकार और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 80 हजार रुपये का वितरण और उसको सशक्तीकरण कहिए कि 80 हजार रुपए का वितरण हो जाएगा। अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि पंचायत समिति का प्रधान क्या करेगा, मकान ही नहीं है और टेलीफोन ही नहीं है। बना लीजिए मकान और टेलीफोन लगा लीजिए, 80 हजार का खर्चा है मकान तो ढाई-तीन लाख का बनेगा। तो आने वाले दो-तीन सालों में जो भी मिलता है उसका काम बराबर हो जाएगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र पंचायत को 80 हजार रुपए औसत मदद देकर आप जो सशक्तीकरण की बात कह रहे हैं यह सशक्तीकरण का ढोल पीटना ठीक नहीं है। यह हीरालालजी देवपुरा ही तो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। हमारे सकल राजस्व का, सकल नैट राजस्व आय का उन्होंने 2.55 परसेंट राजस्व आय का वितरण इनको किया है। 2.50 तो सीधा और 0.5 वो और कुछ साधन इकट्ठा कर सकें, सोच सकें इसके लिए किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप वास्तव में इस सशक्तीकरण के लिए भी हामी हैं, आप कुल राजस्व का 2.50 करोड़ क्यों, कम से कम इस सशक्तीकरण को बहस के वक्त में आप 5 परसेंट पर तो आइये, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी, कि हम 5 परसेंट करेंगे चाहे वित्त आयोग ने 2.50 या 2.55 सकल आय का वितरण किया है पंचायतों को पर हम 5 परसेंट सकल राजस्व आय, जो सालाना राजस्थान की राजस्व इनकम है, उसका 5 परसेंट देंगे। इसको डबल तो करिए। इसको डबल किये बिना कोई सशक्तीकरण की बात करना उपयुक्त नहीं है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता था कि आज यह कोई बिल लाते, सशक्तीकरण जो किया जा रहा है उसका ठोस प्रारूप आ जाता, बिल आ जाता, उसको अधिनियम में परिवर्तित कर देते, विधेयक आ जाता और उसमें किस डिपार्टमेंट का क्या-क्या हमने ट्रांसफर कर दिया, उसका पूरा ब्यौरा आ जाता।

आपने अपनी केबिनेट सब कमेटी की राय उसमें व्यक्त की है अनेक बातों पर, हम पंचायतों को कृषि पर्यवेक्षक देना चाहते हैं, दे दीजिए कृषि पर्यवेक्षक। यदि आज तक राजस्थान में कृषि मंत्री, कृषि विभाग और कृषि निदेशालय राजस्थान की खेती को आगे नहीं बढ़ा पाया, तो एक कृषि पर्यवेक्षक एक पंचायत समिति में जाकर वह क्या कर लेगा? एक कृषि पर्यवेक्षक हम उसको दे रहे हैं, सहायक कृषि पर्यवेक्षक दे रहे हैं और एक सहायक कृषि अधिकारी हम लगा देंगे जिला परिषद् के अन्दर। आप लगा देंगे उससे क्या होगा? सहायक कृषि अधिकारी का बजट और पर्यवेक्षकों का बजट जो कृषि विभाग के बजट में है वह बजट ट्रांसफर उसके पी.डी. अकाउंट में हो जाएगा, तनखाह उसको वहां से मिल जाएगी और वे वहां बैठ लेंगे। जहां जगह नहीं होगी तो फिर भवन भी मिल जाएगा पंचायत समिति में धीरे-धीरे, कोई दिक्कत नहीं है पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर तो हमें पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद की अपनी आय, उनके खुद के टैक्सेज के द्वारा वह कितनी आय कर सकेंगे, इसको भी देखना है। राज्य सरकार को ढाई से पांच परसेंट पर आना चाहिए और उनके खुद के साधन क्या होंगे?

माननीय मंत्रीजी, आप अपने पंचायत विभाग में देखिए राजस्थान की कितनी पंचायतों ने कोई टैक्सेज के प्रस्ताव आपको भेजे, पंचायत समितियों ने कितने प्रस्ताव भेजे, जिला परिषदों ने कितने प्रस्ताव भेजे और उन प्रस्तावों पर आपके विभाग ने क्या एटीट्यूड लिया। किस तरीके से उसको लालफीताशाही का शिकार बनाया और आपने उन प्रस्तावों को जल्दी से मन्जूर क्यों नहीं किया? इसका परीक्षण तो करिए और परीक्षण करके सदन को कभी बताइये कि नीचे से इतने प्रस्ताव आए और इतने हमने मन्जूर कर लिये और इतने इन कारणों से रिजैक्ट कर दिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कहना बहुत सरल है कि हम पंचायतों को और फिर पंचायतों के साथ नाथद्वारा से आने वाले हमारे मंत्री महोदय, माननीय सी.पी. जोशीजी हैं, वे ग्राम सभा और वार्ड सभा के बारे में बिलकुल भावनात्मक हो जाते हैं, बहुत जोश में भी आ जाते हैं और भावना, उनकी निष्ठापूर्वक भावना वार्ड सभा और ग्राम सभा से जुड़ी हुई है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दार्शनिक दृष्टि से भी।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, दार्शनिक दृष्टि से भी, सारी।

श्री सी. पी. जोशी : I am sorry to interrupt you. यह मेरा आंकड़ा नहीं है यह भारत सरकार का ग्रामीण मंत्रालय है जिसके वैंकेय्या नायडु मंत्री थे, यह कोई राजस्थान सरकार का नहीं है। सारी टु इंटरप्ट। जब पहली एस.सी.एफ.सी. बनी थी, जब आपकी सरकार थी तब आपने कितना रिकमण्ड किया? सकल आय का 2.18. Are we aware about this?

श्री मानिक चन्द सुराना : हमने तो 2.18 रखा, आपने 2.55 कर दिया।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने तो कल ही कहा है कि 269 आर्टिकल में परिवर्तन नहीं करेंगे तो जरूरी है...

श्री मानिक चन्द सुराना : 269.

श्री सी. पी. जोशी : संविधान का आर्टिकल 269 जिसमें डिवोल्युशन आफ फाइनेंशल पावर के अधिकार हैं। उसके अन्दर जो 23 परसेंट हम, गवर्नमेंट आफ इंडिया जो नैट कलेक्शन का डिवोल्व करती है स्टेट को उसका परसेंटेज हम पंचायत में डिवोल्व करने के लिए अमेंडमेंट नहीं करेंगे वहां पर तब तक सारी एक्सरसाइज बेकार है। This is why I am saying it.

श्री मानिक चन्द सुराना : वह जवाब आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कह चुके हैं कल यह बात।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं मंत्रीजी और पूर्व मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने ग्राम सभाओं में साल के प्रथम क्वार्टर में यह लिखा है कि धारा 3(6) में कि एनुअल फाइनेंशल लेखा, वार्षिक लेखा ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा। एनुअल फाइनेंशल स्टेटमेंट रखा जाएगा। रिपोर्ट रखी जाएगी कि प्रशासनिक दृष्टि से पंचायत ने क्या किया है, आने वाले वर्ष में डवलपमेंट के प्रोग्राम क्या हैं, विकास के कार्यक्रम क्या हैं और लास्ट आडिट रिपोर्ट और उसमें क्या जवाब दिए गये, यह ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कितनी ग्राम पंचायतों ने इस वैधानिक जिम्मेदारी को पूरा किया है और यदि यह वैधानिक जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही है, तो आप कौनसे सशक्तीकरण की बातें कर रहे हैं। जो अधिकार दिये जा चुके हैं, जो वैधानिक अधिकार हैं ग्राम सभा के यदि उसके समक्ष वही चीज नहीं रखी जा रही है, एनुअल फाइनेंशल स्टेटमेंट कौनसी पंचायत है जो कि रख रही है पहले क्वार्टर में? माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, आप इसको सुनिश्चित करें और जो ग्राम पंचायत अपने इस वैधानिक अधिकार और वैधानिक दायित्व है ग्राम सभा के लिए, उसका पालन नहीं करती है। आप कभी एक को तो सस्पेण्ड करके दिखाइए कि यह मैंने सस्पेण्ड कर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

दिया क्योंकि इसने एनुअल फाइनेंशल स्टेटमेंट नहीं रखा। एक-एक जिले में एक एक ग्राम पंचायत को इस आधार पर ससपैण्ड करेंगे तो सारे राजस्थान की पंचायतों की जो यह स्टेट्च्युरी लायबिलिटी है उनकी, उसका पालन करेंगी। पालन करवाना इसलिए जरूरी है कि एनुअल फाइनेंशल स्टेटमेंट देना बहुत मुश्किल है सरपंच के लिए, सारे गांवों को बताना कि कितना रुपया आया है पिछले साल भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से किस-किस योजना के लिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको, मेरी वार्ड पंचों से बात होती है, वे कहते हैं कि हमें पता नहीं, ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम सेवक ही को पता है। एक दिन मैंने माननीय गृह मंत्रीजी से चर्चा की। मैंने कहा माननीय गृह मंत्रीजी मेरे यहां तो यह स्थिति है ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों की। आपके यहां क्या स्थिति है। मुझे इस बात की खुशी है कि गृह मंत्रीजी ने भी कहा कि चार पांच वार्ड पंचों ने उनको शिकायत की कि रुपया क्या आता है ग्राम पंचायत में इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। क्या मैं माननीय मंत्रीजी से पूछ सकता हूं वर्तमान और पूर्व मंत्रीजी से, कि आपने अपने कार्यकाल में इस बात को ट्रांसपेरेंट करने के लिए प्रशासनिक निर्देश जारी किये? और सिर्फ जारी ही नहीं किये, उसकी पालना करवाने का क्या प्रयत्न किया? आज ग्राम पंचायत के वार्ड पंच को पता ही नहीं है कि चार लाख रुपया आ गया, पांच लाख रुपया आ गया और वह सरपंच और ग्राम सेवक के बीच किस तरह से खर्च हो, किस तरह से बंटे। इसीलिए लोग सही कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि भारत सरकार और आपके द्वारा भेजे हुए धन की वही स्थिति हो रही है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि तीस-पैंतीस परसेंट रुपया तो साइफन आफ हो रहा है, बल्कि और अधिक हो रहा हो तो भी मैं नहीं कह सकता, परन्तु तीस-पैंतीस परसेंट तो हो ही रहा है। राजीव गांधीजी ने तो कहा था कि 15 परसेंट लेकिन आज वह पैंतीस परसेंट की रेट में पहुंच गया है। उस टाइम में 15 था और अब आप जो भेज रहे हैं वह रुपया जानकारी के अभाव में खाया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सरकार टुकुर-टुकुर देख रही है और सशक्तीकरण की बात कर रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको क्यों नहीं लागू कर सकते? जो भी धन आप भेजते हैं, आपके पास सारा रिकार्ड है वार्ड पंचों का। आप क्यों नहीं सीधे उसको पत्र भेजते हैं कि इस योजना का इतना रुपया आपके पास आया है? आपका डाक खर्च बढ़ जाएगा। बढ़ने दीजिए इसकी परवाह मत कीजिए पर आप वह पन्द्रह, बीस, पच्चीस पत्र जो जायेंगे सौ डेढ़ सौ रुपये के, उससे ग्राम के लोगों को मालूम हो जायेगा कि कितना रुपया आया और उसके बाद वार्ड पंच भी उसको मजबूर करेगा कि वह किन-किन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कार्यों में उस पैसे को खर्च करे और खास तौर से जहां किसी योजना के तहत रुपया आता है उस योजना के तहत रुपया खर्च करवाने के लिए सरपंच पर दबाव लाए। (व्यवधान) नहीं, मैं अभी आ रहा हूं माननीय मंत्रीजी। एक मिनट आप बैठ जाएं। (व्यवधान) मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बिराजिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आपके विचार जानने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं उस पर बोलने ही वाला हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं काटें और सामाजिक अंकेक्षण पर मैं आ जाउंगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं यह कह रहा हूं कि सोशल आडिट होते रहे हैं और उसमें भी कोई सुधार...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरे ध्यान में है। आप बैठें एक बार। (व्यवधान) नहीं-नहीं, मेरे खूब ध्यान में है। यह सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान अभी भी है और माफ करेंगे मुझे यह प्रावधान सामाजिक अंकेक्षण का जहां तक मैं समझा हूं, इस प्रावधान का मतलब यह है कि चाहे कितनी ही आपत्ति चल रही हो, चाहे करप्शन के केसेज दर्ज हों, ग्राम सभा ने सरपंचजी के खिलाफ कह दिया फिर भी नहीं-नहीं, सब काम हो गया, काम हो गया तो यह सामाजिक अंकेक्षण हो गया। सामाजिक अंकेक्षण यही है न? जहां तक मैं समझा हूं वह तो यही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि ग्राम पंचायतों को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहते हैं तो इस सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान को तत्काल निरस्त करिये। यह सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त से है पर उसको आज, आपका दायित्व है कि आप उसको अनुभव के आधार पर निरस्त करें, निरस्त करना आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि देश में और राजस्थान में भ्रष्टाचार न रहे, तो सामाजिक अंकेक्षण को माननीय मंत्रीजी, खतम करिये या उसकी कोई दूसरी परिभाषा है? जो मैंने अभी मेरी समझ के अनुसार निवेदन किया आपकी दूसरी परिभाषा हो तो आप बता दें और हमें कंवींस कर दें। भाई व्यासजी को कंवींस कर दें कि हां, सामाजिक अंकेक्षण का मतलब इसके अलावा कुछ और है।

दूसरी बात, मैं जो आपको निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस ग्राम सभा में आपने दस प्रतिशत कोरम रखा और इस कोरम में यह भी रखा कि अभी आपकी सरकार ने एक दिया कि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिलाओं की उपस्थिति दस प्रतिशत होनी चाहिए। यदि

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सौ लोग हैं तो दस तो आदमी वे होने ही चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं पूर्व मंत्रीजी से कि क्या ग्राम पंचायतों के रजिस्टर में ऐसा कालम है कि जो एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिलाओं का हो और वे अलग दस्तखत करें और जो दूसरे सवर्ण लोग हैं वे अलग दस्तखत करें ताकि पता चल जाए कि दस प्रतिशत का जो आपने प्रावधान किया है वे लोग हाजिर हैं या नहीं हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों के रेकार्ड और उसकी मीटिंग्स फर्जी बनायी जाती हैं क्योंकि एक मीटिंग यदि नहीं हुई तो प्रावधान है कि फिर दूसरी मीटिंग में कोरम की जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी, दूसरी मीटिंग में कोरम जरूरी बनाइए। (व्यवधान) हां, दूसरी मीटिंग में कोरम नहीं होता, परन्तु मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं को यदि आपको सशक्त बनाना है, तो दूसरी मीटिंग का भी कोरम बनाइए। अगर आप कोरम नहीं रखेंगे तो सरपंच साहब घर बैठे लोगों के हस्ताक्षर करवाकर वह मीटिंग दिखा देंगे और मीटिंग की घोषणा कर देंगे। राजस्थान में यह ग्राम सभाओं का जो औसत है वह यही हो रहा है, ग्राम सभाओं की मीटिंग्स वास्तव में होती ही नहीं हैं और जो मीटिंग्स स्थगित होती हैं वे सब फर्जी हस्ताक्षर करवाकर दिखा दी जाती हैं।

श्री सी. पी. जोशी : मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि भारत सरकार के पास बी.पी.एल. फेमिलीज की जो सूचना है जिसका एण्डोर्समेंट आपके समय की ग्राम सभाओं से हुआ है वह सारा फर्जी है? आई विश दैट वह सब बेकार है। भारत सरकार को लिखकर भेजें, काहे को बी.पी.एल. के आधार पर यह डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। जिस ग्राम सभा के आधार पर भारत सरकार ने बी.पी.एल. फेमिलीज को आइडेटिंफाई किया जिसके आधार पर गेहूं मिलता है, सब मिलता है? यदि आपके समय में जो ग्रामसभाएं हुईं, बी.पी.एल. परिवारों का चयन गलत हुआ तो फिर काहे को, लिखकर भेजें वाइंड-अप करें इस चीज को। बेसिक चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय जोशीजी, आप इस बात को उछाल कर...

श्री सी. पी. जोशी : उछाल कर नहीं सुराना साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक सैकण्ड।

श्री सी. पी. जोशी : बड़ी गम्भीरता से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक जिम्मेदार मंत्री रहे हुए हैं और आपकी ग्राम सभाएं बी.पी.एल. फेमिलीज के नाम का आइडेटिंफाई करें, इस आधार पर भारत सरकार नियम और कानून बनाती है, आप उसको डिसआन कर रहे हैं...

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जोशीजी, बात को सुनें।

श्री सी. पी. जोशी : ...कि हम कह सकें भारत सरकार को कि तत्कालीन सरकार के समय जो ग्रामसभाएं हुईं सब फर्जी हुई थीं इसलिए बी.पी.एल. फेमिलीज रद्द कर दी जावे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुरेन्द्रजी, आप इनके बाद बोलें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : That list is revised.

श्री सी. पी. जोशी : Not at all. For your information, the B.P.L. families, names were endorsed by the Gram Sabhas.

श्री सुरेन्द्र व्यास : It has to be revised now.

श्री सी. पी. जोशी : That is a different issue. पांच साल तक जो आंकड़े दे रखें हैं वे सब गलत थे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह वही इश्यू है। चेंज हो गया क्या? पांच साल में पूरा काम्प्लेक्शन बदल गया। बी.पी.एल. वाले ए.पी.एल. में आ गये और ए.पी.एल. वाले बी.पी.एल. में चले गये।

श्री सी. पी. जोशी : अब क्या काम्प्लेक्शन बदल गया? माननीय व्यास साहब, आप सुन लीजिए इश्यू नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : वह तत्कालीन सरकार के समय में जो ग्राम सभा के एण्डोर्समेंट से आंकड़े बने। आप क्या मंत्री की हैसियत से यह कहना चाहते हैं कि वह सब फर्जी बने हुए हैं? I am shocked. आप जिस सरकार के मंत्री थे उस सरकार ने ग्राम सभा में एण्डोर्समेंट किया और आप वह कहना चाहते हैं तो वह तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाएगी। उसमें कमी हो सकती है, खामी हो सकती है वह तो खैर समझ में आता है लेकिन आप कह रहे हैं कि ग्राम सभा हुई नहीं तो बी.पी.एल. फेमिलीज में क्या किया हमने?

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरी बात सुनें। माननीय उपाध्यक्षजी, आप प्रोटेक्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सुराना साहब, आपका सजेशन क्या है? वह बताओ न आप तो।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सब चीज फर्जी, फर्जी कह रहे हैं तो फिर ठीक कैसे होता है वह बताओ आप। सजेस्ट।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने बिलकुल स्पेसीफिक निवेदन किया है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ये उस समय के एक जिम्मेदार मंत्री थे उस सरकार की ग्राम सभाओं में बी.पी.एल. फेमिलीज के नाम एण्डोर्स हुए हैं। आप कह रहे हैं ग्राम सभाएं फर्जी हुई हैं तब तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारत सरकार जिस आधार पर बी.पी.एल. फेमिलीज का आदर कर रही है वह बेसिक चीज ही गलत है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्रीजी, सी. पी. जोशी साहब, हम आपका आदर करते हैं। किसी भी सरकार के समय का कार्य गलत हुआ हो तो वह गलत है। आप अपनी सरकार और हमारी सरकार का हवाला मत दीजिए। कोई भी ग्राम सभा ने कोरम पूरा नहीं किया और कोरम के अभाव में घर पर दस्तखत करवाये, वह गलत है। चाहे सरकार कोई भी हो। आपका हम आदर करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार बोल रहे हैं, इनको नहीं कहते।

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल सही कह रहे हैं आप। ठीक कह रहे हो आप बिराजो माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले उनको कहिए बीच में नहीं खड़े हो।

श्री उपाध्यक्ष : इतनी बढ़िया बात कह रहे हो तो मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं और आप...

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्षजी, यह मुद्दा इंटरप्ट करने की आवश्यकता नहीं थी फिर भी माननीय मंत्रीजी ने जो बात कही है मैं निवेदन करता हूं कि बी.पी.एल. फेमेलीज का चयन पांच साल में एक बार होता है और जिस दिन चयन होता है सैकड़ों लोगों को यह चाह होती है कि हमें बी.पी.एल. में चुना जाए। जब बी.पी.एल. का चयन होने की मीटिंग होती है, तो जो गरीब लोग हैं वह उसमें इतने लालायित रहते हैं कि वह मीटिंग्स में जाते हैं। इसलिए जो बी.पी.एल. की मीटिंग्स हुई है उसमें बाकायदा कोरम से दुगुने लोग रहे हैं। इसलिए मैं उसको चुनौती नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) This is very wrong.

श्री सी. पी. जोशी : यह तो सरासर अन्याय है...(व्यवधान) Do you have the record of this? आप तो बहुत जिम्मेदार आदमी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, उनको बोल लेने दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है, फिर हम लोग बोलेंगे न। क्या हो रहा है आप थोड़ा धैर्य रखिए।

श्री सी. पी. जोशी : क्या मतलब है आप तो मंत्री नहीं थे, जिम्मेदार मंत्री रहे हैं एक मंत्री की हैसियत से...(व्यवधान) जिस सरकार के मंत्री रहे हैं उस सरकार की परफार्म को डिस्आन कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप इंटरप्शन क्यों कर रहे हैं? आप बैठिए न। उपाध्यक्षजी ने दो बार व्यवस्था दी आप बार बार खड़े होंगे तो हम लोग भी खड़े होंगे फिर।

श्री सांवर लाल : आप उस सरकार में मंत्री नहीं थे जिसकी बात आप कर रहे हो। आपको यह ही जानकारी नहीं है... (व्यवधान) आपका विभाग इधर ट्रांसफर हो गया। आप क्यों परेशान हो रहे हो बार-बार?

श्री सी. पी. जोशी : परेशानी का सवाल नहीं है।

श्री सांवर लाल : बार बार खड़े हो रहे हो।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर है मेरा। Let me speak my point of order. क्या मतलब है?

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को यह ही पता नहीं है कि पिछली सरकार में यह मंत्री थे कि नहीं। जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप मंत्री थे।

श्री सी. पी. जोशी : आप मंत्री का मतलब बी.जे.पी. की सरकार थी। मंत्री कोई आप होता है क्या? बी.जे.पी. की सरकार थी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप चुप हो जाओ।

श्री सी. पी. जोशी : सरकार बी.जे.पी. की थी जिस सरकार में ग्राम सभा के कंसेप्ट के आधार पर बी.पी.एल. फेमिलीज का चयन किया। यदि उस समय में ग्राम सभाएं ठीक नहीं हुई हैं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राजस्थान सरकार को बी.पी.एल. फेमिलीज का चयन...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको इसलिए दर्द हो रहा है कि इनसे यह मंत्रालय छिन गया। इनसे पंचायती राज मंत्रालय छिन गया इसलिए दर्द हो रहा है इनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेवजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपसे यह मंत्रालय छिन गया अब आपका नहीं है कोई, आपका मंत्रालय है नहीं, इस पंचायती राज से गहलोत साहब ने आपको हटा दिया अब आपको दर्द क्यों हो रहा है? धारीवाल साहब बोलें आप बार-बार क्यों बोल रहे हैं, बताइए?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीस माननीय सदस्यों को और बोलना है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा इंटरप्शन का समय तो आप निकालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज डोंट इंटरप्शन और हाउस को चलने दें और दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह मिनट में अपनी बात कहिए नहीं तो इसका कोई एण्ड नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, उधर कहिए उधर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आसन निष्पक्ष नहीं होता तो इसी तरह इंटरप्शन चलता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन निष्पक्ष है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप हमें ही कहते रहते हैं। आपने मंत्रीजी को एक बार नहीं टोका। किस तरह से उछल-उछल कर बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : टोका न, यह किसने कहा नहीं टोका।

श्री सांवर लाल : जिस तरह से हमारी तरफ नजरे हैं एक बार उधर कर दो इनकी हिम्मत नहीं होगी बोलने की।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दोनों तरफ देख रहा हूं आप चिन्ता मत करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्षजी, मंत्री पद से यह पद बहुत ऊंचा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं ग्राम सभा के कोरम की बात सदन को निवेदन कर रहा था। मेरे ठोस सुझाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शार्ट कीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : सारा इंटरप्शन का टाइम मेरा निकाल लेंगे तो मैं तो दस मिनट ही नहीं बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है आप कितना बोले हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : अब आप मेरी बात करे रेलेवेंट समझें तो बता दें नहीं तो मैं बैठ जाउंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो इर्रेलेवेंट बोलते ही नहीं हो मैं इर्रेलेवेंट कैसे कह सकता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : लेकिन आप ना इजाजत देंगे तो मुझे बैठना है उसमें कहां दिक्कत है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं घंटी बजाऊं जब बैठ जाना अभी तो बोलें आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यही अर्ज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोरम का प्रावधान जो दूसरी मीटिंग में नहीं है वह रखा जाए, बिना कोरम के ग्राम सभाओं की मीटिंग न होने दी जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ग्राम सभाओं के प्रत्येक के रजिस्टर छपाए यहां पर और कौनसा रजिस्टर किस पंचायत को इश्यू किया ताकि कार्यवाहियां बदली नहीं जा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राम सभा कोरम का कानून नहीं है?

श्री मानिक चन्द सुराना : कोरम का कानून है पहली मीटिंग में, दूसरी में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरी में तो किसी में नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : दूसरी में किसी में नहीं है मैं कह रहा हूं कि इसका कानून बनाया जाए। क्या मुझे कहने में पाबंदी है? मैं कह रहा हूं दूसरी में भी बनाया जाए।

इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि रजिस्टर यहां से भेजा जाए ताकि वह कार्यवाही रजिस्टर बदला नहीं जा सके, हस्ताक्षर दुबारा हो नहीं सकें और सरपंच अपनी मनमानी से ग्राम सभाओं की मीटिंग में चाहे जो प्रस्ताव पारित न कर सके।

अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारी तो करीब नौ हजार कुछ पंचायतें हैं और हर में 15-20 कहीं कहीं 40 तक वार्ड

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैम्बर हैं। अब वार्ड सभाएं जो करनी हैं नौ हजार कुछ और फिगर तो ग्राम पंचायतों का और वार्ड सभाएं भी करनी हैं तो अब उसका एवरेज बीस मान लीजिये, पच्चीस मान लीजिये। सवा दो लाख ग्राम सभाएं होनी हैं हर साल। एक दिन में चार बार होनी है। सवा दो लाख जब होंगी वार्ड सभाएं तो वह पच्चीस से गुणा करेंगे सवा दो लाख और चार बार होनी है, क्योंकि चार बार ग्राम सभा होनी है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ग्राम सभा और वार्ड सभा के प्रस्तावों को पढ़ने का आकलन करने की मशीनरी तो बना ली है न? ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई पढ़ता ही नहीं है और जैसा कागज आता है फाइल हो जाता है। माननीय पूर्व मंत्रीजी ऐसा भी तो नहीं कि कहीं सारा रिकार्ड उपलब्ध ही नहीं हो पंचायत विभाग में कि वार्ड सभा ने क्या प्रस्ताव पास किये और यदि रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या सैंक्टिटी क्या सशक्तीकरण की बात कर रहे हैं? यदि ग्राम सभा प्रस्ताव तीन बार पास कर दे, मैं पूछना चाहता हूं कि जो ग्राम सभा को सशक्त करना चाहते हैं वह बार-बार कहे कि हमारे गांव में एक पानी का भण्डार बनाओ। जी.एल.आर. नहीं है जी.एल.आर. बनाओ, डिग्गी नहीं है, डिग्गी बनाओ और वह सरकार तीन प्रस्ताव के बाद डिग्गी नहीं बनाती। आप कानून यह लाइये कि एक ग्राम सभा तीन बार प्रस्ताव पास करेगी तो वह राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होगा, यह काम करे।

मैं खास तौर से पानी के लिए कहना चाहता हूं कि पानी के लिए यह बाध्यकारी होना चाहिए कि लोग कहें तीन बार प्रस्ताव पास करके और तीन बार कहेंगे वह नौ महीने में एक साल में करेंगे तीन बार, चार बार जब मीटिंग होती है तो साल में तीन बार करें तो यह तो बाध्यकारी होना चाहिए। आपने क्या काम बाध्यकारी बना रखा है कि ग्राम सभा में पास हो गया तो हम करेंगे। आप तो उसको पढ़ते ही नहीं हैं। पंचायत समिति पढ़कर क्या करे उसके पास कोई फण्ड नहीं, जिला परिषद् पढ़ ले, तो क्या हो जाए और जिला परिषद् के पास वह रिकार्ड भी सुरक्षित रहे तो क्या उपलब्धि हो जाएगी?

माननीय मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मूल समस्याएं हैं यह हैण्ड पम्प संधारण का, ट्रांसफर करने से, "ब" श्रेणी का औषधालय ट्रांसफर करने से, कृषि पर्यवेक्षक को ट्रांसफर कर देने से और सब सेण्टर पशुपालन का ट्रांसफर कर देने से यह सशक्तीकरण नहीं होगा। सशक्तीकरण नहीं होगा, ठीक है, बजट उस विभाग का वहां चला जाएगा पी.डी. अकाउंट में और वह पास हो जाएगा। आप सशक्तीकरण करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायतों की बात को मानने का कोई साधन आप सोचें। मैं यह नहीं कहता कि आप सब बातें उनकी मान लें। सब तो यह कहेंगे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कि स्वर्ग आ जाए धरती पर लेकिन कौन-कौनसे विषयों पर उनकी बात को इस प्रकार से तौला जाएगा, माना जाएगा, देखा जाएगा और राज्य अपने वित्तीय संसाधन जो उपलब्ध हैं उसमें उनको फिट करने की कार्यवाही करेगी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम ग्राम सभाओं के सशक्तीकरण के पक्ष में हैं और चाहे वार्ड सभा का लिखा होगा इस 73वें संविधान में, पर मैं वार्ड सभाओं की मीटिंग को बहुत अव्यावहारिक और पूर्णतया अनावश्यक समझता हूं क्योंकि न तो उसका रिकार्ड रखा जा सकता है, न सरकार के पास इतने साधन हैं कि हम यह दे सकते हैं। मुझे ध्यान है माननीय पूर्व मंत्री जी ने कहा था, मंत्री तो अभी भी हैं पर यह पूर्व पंचायत मंत्री की उस वार्ड सभा को तीस हजार या चालीस हजार के प्रस्ताव पास करने का और खर्च करने का अधिकार होगा। वार्ड सभाएं तो बीस हैं, पन्द्रह हैं और चालीस हजार में आठ लाख हो गये और पंचायत के पास चार लाख रुपये ही आ रहे हैं साल में। वह कहां से उस प्रस्ताव को पारित करा देगी। इसलिए इन सब बातों को जरा गहराई से देखिये। सशक्तीकरण के हम तो पक्ष में हैं आप राज्य सरकार के संसाधन कितने ट्रांसफर करने की स्थिति में हैं वह ट्रांसफर कर दीजिए, 2.55 नहीं और कर दीजिए। संविधान की कोई आड़ है तो कांग्रेस पार्टी और बी.जे.पी. दोनों मिलकर के कोई संविधान संशोधन ले आएं, दिल्ली में पास हो जाएगा, कहां दिक्कत है। आपकी पार्टी के तौर पर आपकी सैंट्रल पार्टी उस बात को उठाए, मुद्दे को उठाए और कांग्रेस सरकार अधिक धन देना चाहती हैं पंचायतों को। यह बात आए कि कांग्रेस के सभी मुख्य मंत्री देना चाहते हैं अधिक, तो हमारी पार्टी संशोधन करेगी... (व्यवधान) नहीं, आड़े नहीं आ रहा है। वह कह रहे हैं कि आड़े आ रहा है। कोई पर्टिकुलर 269 की धारा बतायी है उन्होंने और आ रहा है, तो हमारा निवेदन है कि केन्द्रीय नेतृत्व उसको संशोधन करने के लिए आपकी पार्टी का भी प्रस्ताव आयेगा और हमारे ध्यान में यह बात आयी है तो हम हमारे केन्द्रीय नेताओं तक भी उस बात को पहुंचाने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बातें कही गयी कि विपक्ष में जो बैठे हैं वह सशक्तीकरण के पक्ष में नहीं हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं राजस्थान में आपकी ही सरकार थी जिन्होंने तेरह साल तक ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं कराए और 13-13 साल तक चुनाव न कराने वाले राजस्थान में 1977 से पहले हरिदेव जोशीजी थे, उसके पहले मोहन लाल सुखाड़िया थे और बीच में बरकतुल्ला खान साहब थे। तीन महान दिग्गज जो हैं राजस्थान के सुखाड़ियाजी, बरकतुल्ला साहब और हरिदेव जोशी, इन तीनों ने मिलकर 13 साल तक चुनाव नहीं कराये और आज आप हिमायती बन रहे हो सशक्तीकरण के। जब वह कानून

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आ चुका कि 5 साल से चुनाव कराने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह 13 साल से रुके हुए चुनाव कराए। आपकी आलोचना कि पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। मैं मानता हूं कि आपकी उस आलोचना में कुछ दम है, पर मैं निवेदन करता हूं कि 13 साल तक चुनाव न कराना और उन्हीं लोगों को कायम रखना यह कौनसे लोकतंत्र और कौनसी लोकतांत्रिक परम्पराओं में निष्ठा की बात है।

मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 13 साल तक चुनाव नहीं कराने का जो क्लॉट है राजस्थान की कांग्रेस पर वह जल्दी से धुल नहीं सकता और अब तो क्या है, अब तो 5-5 साल से चुनाव निश्चित है। वह संविधान ने कह दिया। वह स्थानीय निकायों के भी होने हैं, उनके भी होने हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन स्थानीय निकायों को, नाथद्वारा से आने वाले माननीय मंत्री महोदय, क्या इनको राजस्थान के स्थानीय निकाय कहा जा सकता है जो 95 प्रतिशत राजस्थान सरकार के द्वारा दिये हुये, सरकार से इकट्ठा किये हुये धन को सैल्स टैक्स पर सरचार्ज लगाकर दिए हुए धन पर ही निर्भर हैं? आज भी स्थानीय निकायों को अपने पांवों पर खड़े किए जाने की आवश्यकता है। आप स्थानीय निकायों के साधन सोचिए। आप उसमें क्यों इंकार कर रहे हैं और छह सौ करोड़ का वजन अपने सिर पर लिये हुये क्यों घूम रहे हैं? राजस्थान में अकाल है, आप इस छह सौ करोड़ के वजन को उतारिये। छह सौ, साढ़े छह सौ, छह सौ चालीस करोड़, जो भी है, माननीय जोशीजी, इस वजन को उतारने की कोशिश करिये।

राजस्थान की नगरपालिकाएं सक्षम हैं और उनमें जितना व्यापार है उस व्यापार के माध्यम से टैक्स आ सकता है। उस टैक्स का नाम बदल दीजिए। एंट्री टैक्स कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए लेकिन उस टैक्स को स्थानीय स्तर पर नगरपालिकाओं में जो पैदा होता है वह चाहे सैल्स टैक्स अधिकारी को रिटर्न करे व्यापारी, पर सैल्स टैक्स अधिकारी को रिटर्न करके साढ़े छह सौ की जगह मैं निवेदन करना चाहता हूं साढ़े सात सौ करोड़ आएगा। हमारे स्थानीय निकायों के साधन बढ़ जाएंगे। आपका वजन उतर जाएगा।

अभी अकाल सामने है, आप इस पर इमरजेंसी में जैसे किसी बात को सोचते हैं उसी तरीके से सोचिये। राजस्थान का इस बार का अकाल पच्चीस सौ करोड़ से कम में नहीं निपटेगा। आप भले ही ढाई लाख, तीन लाख, चार लाख का जो भी आंकड़ा दे रहे हैं कि हमने लगा दिया है, खैर वह तो कल चर्चा होगी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अकाल इस बार इतना गम्भीर है आपको हर ग्राम पंचायत में चारे के डिपो खोलने पड़ेंगे। आपको हर परिवार में से एक को रोजगार देना पड़ेगा और इसलिए यह छह सौ

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चालीस करोड़ का वजन आप नहीं उतारेंगे तो आपकी सरकार अकाल का मुकाबला नहीं कर पाएगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो काम आपने पंचायतों को देने का सोचा है, माननीय सिंचाई मंत्रीजी बैठी हैं, सिंचाई कर वसूलने का काम आप पंचायतों को क्यों दे रहे हैं? आपने सिंचाई पटवारी जब से खतम किये राजस्थान का सिंचाई शुल्क सैकड़ों करोड़ का लोगों में बकाया पड़ा है। कोई दूसरी मशीनरी नहीं हो सकती सिवाय रेवेन्यू के, राजस्व पटवारियों के। राजस्व पटवारी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप राजस्व मंत्री भी हैं। राजस्व पटवारी उस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं? माननीय मंत्रीजी, आज हमारा सिंचाई शुल्क मैं दावे से कहता हूं कि सैकड़ों करोड़ जब से आपने सिंचाई पटवारियों को खतम किया है तब से बकाया पड़ा है लोगों में और कोई वसूल करने वाला नहीं है। इस सिंचाई शुल्क को पंचायतों को देना भी बड़ी भारी भूल होगी।

इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि यह राजकीय भवनों की मरम्मत और संधारण का काम जो आप ग्राम पंचायतों को देना चाहते हैं पंचायत समितियों को देना चाहते हैं यह बड़ी भारी भूल होगी और ऐसा मिश्रण हो जाएगा सरकारी भवनों में यदि आपने यह काम ग्राम पंचायतों को दे दिया तो यह सरकारी भवनों की जो भी आज स्थिति है वह अत्यधिक कमजोर हो जाएगी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : किन भवनों की बात कह रहे हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : सरकारी भवनों की। आपने लिखा है, राजकीय भवनों की मरम्मत, संधारण का कार्य पंचायत समितियों को स्थानान्तरित किया जाएगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कहां के भवन?

श्री मानिक चन्द सुराना : राजकीय भवन।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कहां के?

श्री मानिक चन्द सुराना : कहीं के भी चाहे पंचायत क्षेत्र के, पंचायत समिति क्षेत्र के।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप इसको दुबारा देखें। पंचायत समिति के मुख्यालय को छोड़कर। फिर उसके बाद में कितने भवन आते हैं, यह देखें आप। देख लें आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : पर माननीय मंत्रीजी...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पंचायत समिति, पंचायत, ग्राम पंचायत का भवन आएगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आज स्कूल भवन की मरम्मत करवाता कौन है? आज सब सेंटर्स की मरम्मत कौन करवाता है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : करवाये कौन का सवाल नहीं है। फिलहाल आपने जो दिया है, वह बता रहे हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : फिर वह वहां ट्रांसफर होगा। वह बजट वहां ट्रांसफर होगा पंचायत समिति मुख्यालय पर दूसरे कई तरह के भवन हैं उनको छोड़ते हुए।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह पढ़ देता हूं मैं। पेज 71 पर मैं पढ़ रहा हूं। आप देखें अपनी किताब को। ''ग्रामीण क्षेत्रों में उप खण्ड स्तर पर और उससे नीचे के स्थानों पर निर्मित होने वाले समस्त नये राजकीय भवनों का निर्माण कार्य एवं मौजूदा राजकीय भवनों की मरम्मत/संधारण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की बजाय पंचायत समितियों के द्वारा किया जावेगा।'' अब तो साफ हुआ।

इन कार्यों के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रोरेटा आधार पर बजट एवं स्टाफ का हस्तान्तरण पंचायत समिति को किया जाएगा। मैं समझता हूं कि मैंने गलत नहीं पढ़ा है। माननीय मंत्रीजी दुबारा देख लें और फिर भी मेरे पढ़ने में गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं नहीं, आपके पढ़ने में कहीं कोई गलती नहीं है लेकिन मेरे कहने में भी गलती नहीं है...

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं तो आप बताइए न।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अब आप सुन लो। हो सकता है छपाई में गलती हो गयी हो। मैं पढ़ देता हूं उस पेज को। किस पेज को पढ़ रहे हैं आप?

श्री मानिक चन्द सुराना : 71 पेज, आप द्वारा प्रेषित और प्रसारित पुस्तक का 71 पेज।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हां, हो सकता है। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि अगर मान लीजिये इसमें यह है, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन यह है तो वह गलत है।

डा. (श्रीमती) कमला (राजस्व मंत्री)**:** नहीं, माननीय मंत्री महोदय, आप यह मत कहिए कि गलत है। मैं इसलिए कहना चाह रही हूं...

श्री शांति कुमार धारीवाल : हो सकता है कि मैं गलत हूं।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं इसलिए कह रही हूं जब यह चर्चा हुई थी उस वक्त मैंने खुद ने इस बात को रखा था कि आज भी बहुत सी पंचायत समितियों में जो नये एस.डी.ओ. मुख्यालय बने हैं उनके भवन उन पंचायत समितियों ने बनाए हैं और पी.डब्ल्यू.डी. की रेट से बहुत कम रेट में बनाए हैं, अच्छे बनाये हैं और आगे भी कोई और भवन अगर पंचायत समिति मुख्यालय पर बनता है, तो पंचायत समितियां अच्छे भवन बना सकती हैं। इसलिए आप यह पंचायत समिति स्तर को

(डा. (श्रीमती) कमला)

काट रहे हो यह मत काटो। आप पंचायत खण्ड स्तर उसको कायम रखो। इसलिए यह कोई गलत नहीं छपा है, यह सोच समझकर रखा हुआ है।

श्री मानिक चन्द सुराना : ठीक है, इस पर आप विचार कर लें...

श्री जीतमल खांट : ...(व्यवधान) पंचायत समिति और ग्राम पंचायत ने बनाए थे तब तो...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आज भी पंचायत समितियां पी.डब्ल्यू.डी. से कहीं अच्छा काम कर रही हैं और कहीं कम की...(व्यवधान) काम कर रही हैं... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह गलत है, सरासर गलत है...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आपका भरोसा नहीं है, यह बदकिस्मती है।

श्री जीतमल खांट : दस साल के बाद में यह बिल्डिंग गिर जाएगी, यह हम दावे के साथ कह रहे हैं। दस साल बाद वह बिल्डिंग गिर जाएगी। पंचायत समितियों द्वारा निर्मित जो भी बिल्डिंग होगी दस साल बाद गिर जाएगी, स्वत: ही गिरेगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ग्राम पंचायत बी.एस.आर. रेट पर काम करती है, अब बोलो...

श्री मानिक चन्द सुराना : पुस्तकालयों के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : पांच मिनट लूंगा कनक्लूड करने के लिए।

सैकण्डरी स्कूल में सार्वजनिक पुस्तकालय जो खुलेंगे उसका अध्यक्ष आपने बनाया है प्रधान को। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रधान कहीं पढ़े-लिखे हैं, कहीं कम पढ़े-लिखे हैं, इस पुस्तकालय का अध्यक्ष तो उसको मत बनाइए। इस पुस्तकालय का अध्यक्ष तो वहां के हैड मास्टर या कोई उससे भी ज्यादा योग्य प्रिंसिपल मिले, तो पुस्तकालय का अध्यक्ष तो उसको रहने दीजिए। प्रधान की कृपा उस पुस्तकालय पर मत डालिए। ऐसा डाल देंगे तो पता नहीं कौन कौनसी किताबें आकर पढ़ जाएगी।

इसी प्रकार ग्रामीण आवासन का कार्य...

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय, आप बहुत सीनियर हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दीजिये न आप। कोई एण्ड ही नहीं है इसका तो।

श्री मानिक चन्द सुराना : और ग्रामीण आवासन का कार्य जो बहुत महत्त्वपूर्ण है वह पंचायत समितियों को आप दे देंगे, कुछ होना जाना नहीं है। आज भी कुछ नहीं हो रहा है ग्रामीण आवासन में।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

इसलिए इस काम के लिए आप कोई सेपरेट सैल बनाएं आपके मंत्रालय में और वह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय दोनों का आप मिश्रण करके एक बनायेंगे, डायरेक्टर दो होंगे, तीसरा डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा वाला भी होगा, चौथा रूरल हाउसिंग वाले को बना लीजिए ताकि गांव में रूरल हाउसिंग की जो आवश्यकता है वह पंचायत या पंचायत विभाग के मार्फत पूरी हो सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को कि यदि यह खाली जोश-जोश में अनेक काम पंचायतों को या पंचायत समितियों को दे दिये और उसके साथ बजट भी ट्रांसफर कर दिया।

श्री नानूराम ककरालिया (फुलेरा): यह सारे पंचायती राज के खिलाफ है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं...(व्यवधान) पंचायतें बहुत बढ़िया हैं यह विरोध कर रहे हैं इसका, सरपंचों का और प्रधानों का विरोध कर रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, हां, ठीक है। आप तो बिराजें, मेरे पर कृपा करें।

श्री नानूराम ककरालिया : आपने ठेका नहीं ले लिया सारी बात का, कितने घंटे हो गये। कोई समझ में नहीं आ रहा है। पंचायतों का, संरपचों का और प्रधानों के खिलाफ करने के सिवाय आपके पास कोई चारा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह जो बोल रहे हैं आपकी समझ में भी नहीं आएगा।

श्री नानूराम ककरालिया : यह प्रधान रहे ही नहीं, आप वकील हैं...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जोश में आकर अनेक कार्य जो कि अभी ठीक से सम्पन्न नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ जोश-जोश में उनको स्थानान्तरित न करें। कल की बात है माननीय जल प्रदाय मंत्री कह रहे थे कि वह जनता जल योजना में तीन करोड़ का खर्चा था, एक करोड़ चालीस लाख रुपए ही उपलब्ध थे और इसलिए अनेक लोगों को मासिक वेतन 500 रुपए नहीं दिया जा सका। आपने यदि जल योजना भी वहां ट्रांसफर कर दी या पम्पों का संधारण भी ट्रांसफर कर दिया और उसके लिए साधन नहीं दिये तो बात बहुत अच्छी लगेगी कि हां हमने दे दिया है, पम्पों का संधारण वह करेंगे लेकिन उसके साथ उसके अनुरूप धन भी उनको दीजिए बराबर उनको धन दीजिए। उनके साथ ऐसा नहीं हो कि जो काम उनको दे दिया, उसका धन कम रहे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप...(व्यवधान) आप मुझे दो-तीन मिनट और प्रदान करें। मैं मेरे क्षेत्र की भी कुछ बात करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने इतनी देर क्या किया? यही तो किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : वैसे तो पूरा राजस्थान मेरा क्षेत्र है। मैं थोड़ा सा इनका ध्यानाकर्षित करूंगा, आप फिर भी घंटी बजाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप 40 मिनट तक ध्यानाकर्षित ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको 40 मिनट हो गये।

श्री मानिक चन्द सुराना : उसमें से इंटरप्शन का समय तो निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसका एण्ड तो होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : कृपया 20 मिनट का समय तो निकाल दें। मैं आपका ध्यान माननीय मंत्री जी ग्राम पंचायत जैतपुर की तरफ आकर्षित करता हूं। मेरे क्षेत्र की है, ग्राम पंचायत जैतपुर, क्योंकि मुझे बहुत संक्षेप में बात कहनी है। आपके इस पंचायत विभाग के द्वारा एक कनिष्ठ लेखाकार को सस्पैंड किया गया था और उसमें यह कहा गया, मैं पढ़ देता हूं--''दुर्गादत्त शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार ने कार्यालय पंचायत समिति, लूणकरणसर, बीकानेर की कार्यावधि में सरपंच ग्राम पंचायत जैतपुर से मिलकर अकाल राहत के तहत सैकण्डरी स्कूल जैतपुर में निर्माण कार्यों को दर्शाकर गांव जैतपुर एवं ग्राम सांवणिया में जल निकासी योजना के तहत निर्माण कार्यों को दर्शाकर लाखों रुपयों की राशि राज्य सरकार को हानि पहुंचाई जबकि उक्त निर्माण कार्य करवाए ही नहीं गये। प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा अपराध संख्या 35/92 दर्ज करने एवं इस विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने के कारण कार्मिक (क) विभाग के परिपत्र फलां-फलां द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है।''

माननीय मंत्री महोदय, सारा सदन इस बात का ताज्जुब करेगा कि जो सरपंच उस वक्त था, उसको एग्जोनरेट कर दिया। पहले कनिष्ठ लेखाकार के आरोप-पत्र में कहा है कि जो कार्य करवाए ही नहीं गये। उसके लिए बी.डी.ओ. को मौके पर भेजा गया और बी.डी.ओ. ने वह जो सामाजिक अंकेक्षण होता है, उस पैटर्न पर कह दिया कि गांव वालों ने कह दिया और मौके पर मैंने देख लिया कि काम हो गया। उस आधार पर आपने 21.4.2000 को जैतपुर के सरपंच को, जिसका कि एंटी करप्शन ने चालान करने की परमीशन चाही थी वह परमीशन आपने रिफ्यूज कर दी। 21.4.2000 आप नोट कर लें, 1203 है... (व्यवधान) जो है वही बोलूंगा, ऐसे कैसे बोलूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कनिष्ठ लेखाकार के चार्जशीट में आप कह रहे हैं कि कार्य हुआ ही नहीं और इसके अलावा कह रहे हैं कि कार्य तो हो चुके और संतोषजनक हो गये।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का यह रवैया पंचायतों के प्रति सही नहीं है और आप यह न देखें कि उसका रंग क्या है और उसने आपके उम्मीदवार का समर्थन किया है या किसके उम्मीदवार का समर्थन किया है। इन दोहरे मानदण्डों से पंचायती राज कहीं नहीं पहुंचेगा। आप जिस शिक्षा की गद्दी पर बैठे हैं, माफ करें, आज सदन के काफी माननीय सदस्यों ने स्कूलें खोलने के मामले में जो दोहरा मानदण्ड अपनाया जा रहा है उस पर काफी कुछ कहा है। माननीय खेतसिंह जी नहीं हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगा, खेतसिंह जी होते तो मैं उनकी उपस्थिति में कहना चाहता था। माननीय खेतसिंह जी 1977-80 में विधायक थे, विपक्ष में बैठे थे और श्री भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री ने जो मानदण्ड बनाये, उनके अनुसार उनके क्षेत्र में 6 सैकण्डरी स्कूलें खुली और खेतसिंह जी ने कहा कि हमने तो कांग्रेस के राज में भी 6 सैकण्डरी स्कूलें नहीं देखी। आप भेदभाव नहीं करो।

श्री संयम लोढ़ा : आप यह भी देख लीजिए कि भैरोंसिंह जी के क्षेत्र में तीन सैकण्डरी स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : भैरोंसिंह जी ने किसको दी? (व्यवधान) भैरोंसिंह जी ने अपने जमाने में, अपने मुख्य मंत्रित्व काल में किसको दी, खेतसिंह जी को दी?

श्री मानिक चन्द सुराना : खेतसिंह जी को नहीं, हर क्षेत्र में।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हम भी विधायक थे। एक स्कूल नहीं दी उस वक्त मेरे क्षेत्र में...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपका क्षेत्र कौनसा?

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरा हिण्डौली था।

श्री मानिक चन्द सुराना : हिण्डौली में।

श्री शांति कुमार धारीवाल : एक स्कूल नहीं दी उस वक्त।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप उस वक्त विधायक थे क्या?

श्री शांति कुमार धारीवाल : हां, मैं विधायक था।

श्री मानिक चन्द सुराना : 1977-80 में?

श्री शांति कुमार धारीवाल : 1977-80 में काहे का, अभी तक लेटेस्ट 1993-98 की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : 1993 से 1998 की बात करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं 1993 से 1998 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 1977 से 1980 की...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना जी... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इसीलिए बदला ले रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपको तो मिली हैं। आप तो बोले ही मत... (व्यवधान) आपको मिली हैं और मिल जाएंगी। आप बैठ जाएं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना जी।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं समाप्त ही कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह स्कूल कहां से आ गये बीच में?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं समाप्त ही कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप तो राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ से कहलवा दें कि स्कूलें नहीं मिली...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हमें नहीं दी आपने कह करके...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप तो बिराजें। आपको जरूरत कहां है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने कह दिया तो मैं इस चुनौती को मानने को तैयार हूं कि अगर 1993 से 1998 तक आपके निर्वाचन क्षेत्र में स्कूल नहीं खुली तो मैं अभी त्यागपत्र देकर यह सदन छोड़कर जाने को तैयार हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कौनसे वर्ष में?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं अभी पूरी लिस्ट आपके सामने ला देता हूं। अभी मेरे पास यहीं है। मैं आपको अभी चुनौती देता हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं निकलवा लूंगा...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप तो क्या राजस्थान के सारे एम.एल.एज. के।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं निकलवा लूंगा और आपको अवलोकन करवा दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे पास इसी समय है। मैं अभी ला करके आपको पूरी लिस्ट...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय धारीवाल साहब चुनौती स्वीकार करें, त्यागपत्र दें। या तो त्यागपत्र दो या त्यागपत्र लें, चुनौती स्वीकार करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो ओसवाल वाद पैदा कर रहे हैं। मैं भी उस वक्त विधायक था, एक सैकण्डरी स्कूल के लिए पांच लाख रुपये, तीन लाख रुपये दे करके स्कूलें खुलवायी हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दोषी हो, अपराधी हो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चुनौती स्वीकार करें या त्यागपत्र दें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : किस नीति से, नियम से खोली हैं यह तो बताएं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं एक बात कह देता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सब्जैक्ट ही छोड़ गये....(व्यवधान)

श्री नानूराम ककरालिया : स्कूलें खोली हैं पांच लाख रुपया ले करके।

श्री उपाध्यक्ष : कहीं और पहुंच गये... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं पंचायती राज मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको तो कोई बात समझ में आती नहीं, ऊपर से निकल जाती है। आपके तो सर से निकल जाती है। आपको क्या बात समझ में आती है... (व्यवधान)

श्री नानूराम ककरालिया : आपको आ रही समझ में?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको तो कोई बात समझ में आती नहीं है, बैठें आप।

श्री नानूराम ककरालिया : पहले खुद बैठें...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाएं, बैठ जाएं। आपके कुछ समझ में तो आती नहीं है। यूं ही बोलते रहते हो। (व्यवधान)

श्री नानूराम ककरालिया : खड़े हो जाते हो। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : पंचायतों की शिकायतें कलक्टर को की जाती हैं, कमिश्नर को की जाती हैं। सब शिकायतों की जांच करने वाला एक ही अधिकारी है, एक जिले में होता है जिसका नाम ए.सी.ई.ओ. है। आपका डायरेक्शन है कि सारी जांचें उसी से कराएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ए.सी.ई.ओ. सैकड़ों जांचें नहीं करता और इस कारण से उनका निस्तारण नहीं होता है।

आप हर जिले में पांच-छह अधिकारियों को आथोराइज्ड करें कि जो भी जांच खिलाफ आएगी पंचों के, संरपचों के उसके लिए ए.सी.ई.ओ. ही नहीं बल्कि पांच-छह अधिकारी दूसरे भी सक्षम होंगे और तभी उसका डिस्पोजल होगा। आज ही देवीसिंह जी भाटी का सवाल है और उसमें 16 शिकायतें मैंने की हैं और चार उन्होंने की है और उनमें से किस तरह डिस्पोजल हुए हैं माननीय मंत्री जी देखें। मैं इस सुझाव के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से चर्चा पंचायत राज को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए इस पर चल रही है और गुलाब सिंह शक्तावत कमेटी की रिपोर्ट हमें प्रोवाइड की गयी है जिसके अन्दर वरिष्ठ मंत्रीगण थे और सत्ता पक्ष की तरफ से आधे से ज्यादा तो मंत्री बोल रहे हैं। इसका कारण लगता है कि सत्ता पक्ष में वक्ताओं की कमी हैं। दो नहीं बोले हैं, तीन-चार बोल चुके हैं, चार बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलो न, आपको बुला रहा हूं, आपको बुला रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आपको इससे क्या? आप कहोगे जो बोलूगां?

श्री उपाध्यक्ष : आप उनसे क्यों बोलते हो? आप बोलो न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर आप बीच में क्या? मैं एक बात बता रहा हूं, यह तो नहीं हो सकता कि या तो मैं लिखित भाषण दूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको प्रोवोक कर रहे हैं, वह खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए अभी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं कोई प्रोवोक नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि यह तमाम रिपोर्ट्स और उसका हवाला दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, देखिए, यह एक निर्विवाद सत्य है, यह सुस्थापित सत्य है, स्वीकार्य सत्य है कि पंचायती राज का विकेन्द्रीकरण होकर सशक्तीकरण होना चाहिए। यह विवाद का विषय नहीं है बिलकुल भी। जितनी भी शिकायतें की गई हैं पंचायती राज की, व्यवस्था के बारे में या सरपंचों के बारे में या क्रियान्विति के बारे में, वह व्यवस्था को लेकर है, ऐसा किसी ने जाहिर नहीं किया कि पंचायतों को अधिकार नहीं देने चाहिए। पंचायती राज की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी और जवाहरलालजी ने इसको प्रारम्भ किया था। उसके बाद यह भी अपने आप में सत्य है कि उसकी क्रियान्विति में काफी गतिरोध रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रोवोक नहीं कर रहा हूं लेकिन एक सत्य है उसका वर्णन कर रहा हूं कि वर्तमान कांग्रेस का जो स्वरूप है वह यह मानता है कि कांग्रेस का जन्म 1998 में हुआ है। यह भूल जाते हैं कि कांग्रेस की 1952 से और उससे पहले से 1947 से, राजस्थान के अलग-अलग स्टेट्स बने थे, तब से लगातार हुकूमत रही है। यह वर्तमान कांग्रेस के नेता उस कांग्रेस की सरकार को डिसाल्व नहीं कर सकते। यह कहना, क्योंकि उसी भ्रांति में, जब यह कहते हैं कि पंचायत चुनाव नहीं हुए, सुखाड़ियाजी के शासन में नहीं हुए? सुखाड़ियाजी भी कांग्रेस के मुख्य मंत्री थे। उस जमाने से एक प्रतिरोध यह चलता था, मुख्यतया विधायकों का प्रतिरोध था कि पंचायतों को शक्तियां नहीं मिलनी चाहिए।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा मोमेंटम इम्पीटस अगर किसी ने प्रोवाइड किया पंचायती राज के लिए तो राजीव गांधी ने किया है और Rajiv Gandhi was definitely a noble soul. राजीव गांधी ने जब यह कहा कि 85 प्रतिशत पैसा बीच में रह जाता है। उसके अलग-अलग मतलब लगाए जाते हैं। उन्होंने किसी पर आक्षेप नहीं किया, उन्होंने इस सिस्टम पर आक्षेप किया, इस व्यवस्था पर आक्षेप किया। जिस प्रकार की व्यवस्था है, उन्होंने यह नहीं कहा कि अमुक आदमी पैसा खा जाता है क्योंकि दिल्ली से चलकर आता है तो 15 प्रतिशत पैसा ही पहुंचता है, यह अपनी जगह एक वास्तविकता है।

माननीय बी.डी. कल्लाजी नहीं हैं, मुझे अत्यन्त पीड़ा हुई कल उनका भाषण सुनकर। उन्होंने क्या कहा कि 70 प्रतिशत एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा है। अगर किसी सरकार के अन्दर 70 प्रतिशत एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा है तो सरकार चल ही नहीं सकती एक दिन भी। मेरे खयाल से उन्होंने इनएडवर्टेटली कहा कि बिना सोचे समझे कहा। भाषण के कुछ मुद्दे जो जोशीजी ने उठाए हैं, विचारणीय हैं, इसको मैं मानता हूं। आर्टिकल 369, डिवोल्यूशन ऑफ फण्ड्स, एक तो वह मुद्दा इन्होंने उठाया है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी लाइबिलिटी ट्रांसफर करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, आप तो कुछ पैसा नहीं देना चाहते न। क्योंकि आर्टिकल 369 में स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेज से और रिसोर्स मोबिलाइजेशन से जो पैसा इकट्ठा करती है उसका डिवोल्यूशन ऑफ फण्ड्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्दर, अपनी तरफ से क्या करना चाहते हैं, कितना पैसा देना चाहते हैं, यह आपने क्लीयर नहीं किया है।

दूसरे कुछ बिन्दु इन्होंने उठाए, वे बड़े प्रैक्टिकल बिन्दु हैं। इन्होंने स्वीकारा भी हैं।

(16.35 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं इसकी प्रशंसा भी करना चाहता हूं इस बारे में। मूल बात क्या है? आप उस सरपंच को सुदृढ़ करना चाहते हैं, पंचायत समिति के प्रधान को सुदृढ़ करना चाहते हैं, जिला प्रमुख को सुदृढ़ करना चाहते हैं अथवा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सुदृढ़ करना चाहते हैं, यह मूल मुद्दा है। कमेटीज का जो फोर्मेशन होता है, वह होता ही नहीं है टाइम पर, होता है तो प्रधान मीटिंग नहीं बुलाता, जिला परिषद् में प्रमुख मीटिंग नहीं बुलाता। सभापति महोदय, एक ज्वलंत उदाहरण है, आप उसको देख लें, मैं फिर मंत्रीजी से स्पष्ट रूप से निवेदन करता हूं कि मेरा कतई यह आशय नहीं है, आज भी इस हवा के रुख के अन्दर यह कहना नासमझी होगी कि पंचायतों को अधिकार

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

न दिए जाएं। यह एक्सेप्टेड नोर्म्स है.... (व्यवधान) कल्लाजी, आ गए, ठीक है, वह बात गई। यह नहीं, मेरा आशय है कि लेकिन आप इससे इंकार नहीं कर सकते हैं कि आज गांव में पंचायत समिति के स्कूल में ताले पड़े रहते हैं और पंचायत समिति की अध्यापक महीने में एक दफा, दो दफा जाकर ताले खोलता है। यह एक सत्य है। हर एम.एल.ए. जानता है इस बारे में। आप प्रमुख भी रहे हैं, हिण्डौली से विधायक भी रहे हैं और एम.पी. भी रहे हैं। अब उस पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे? जोशीजी ने किया है, ब्लाक एजुकेशन आफिसर बनाकर।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : यह ठीक नहीं है मामला। पूरे शिक्षा विभाग के अन्दर तो हो सकता है कि कहीं पर स्कूल में मास्टर नहीं जाते लेकिन पंचायत समितियां बंद रहती हैं, यह ठीक नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, नहीं, पंचायत समिति थोड़े कहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं कहा, नहीं कहा।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, नहीं, कोई स्कूल ऐसी नहीं है। पंचायत समितियों में उल्टा अच्छा काम है, अच्छा कंट्रोल है, पंचायत समितियों के अच्छे स्कूल चल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रामसिंहजी, अपन, वी मे एग्री, डिस एग्री। आप अपना ओपिनियन हाल्ड करें, मैं पंचायत समिति के लिए कह नहीं रहा हूं, स्कूलों के लिए कह रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : स्कूलों के लिए कहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और स्कूलों के लिए आर्बिटरेरी तरीके से देखिए। सभापति महोदय, पोजिशन क्या है? शिक्षा विभाग के इतने मिडल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, जोशीजी ने थोड़ा मेथोडिकल काम किया, ब्लाक एजुकेशन आफिसर भी बनाया, आपके जिला शिक्षा अधिकारी बनाया और सबसे ज्यादा काम तो किया कि नोर्म्स बना दिए। ट्रांसफर के नोर्म्स के अन्दर पूरी इफेक्टिव चेन, (व्यवधान) सभापति महोदय, एक तो मंत्रीजी से कहें कि इस वक्त बड़ी गम्भीर चर्चा हो रही है।

श्री सभापति : आप आपस में बात कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह मसला इसको आप सोच कर करें, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, यह सब कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि पहले प्रतिरोध किया था। यह प्रतिरोध है कि अगर बी.डी.ओ. सही काम करेगा तो बी.डी.ओ. वह लगेगा जिसको एम.एल.ए. साहब चाहेंगे।

यह जो ट्रांसफर की पोलिटिक्स है,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पोलिटिकल इंटरफरेंस है, उसी ने तो ब्यूरोक्रेसी को खतम किया है। यह पहला राष्ट्र है जब जवाहर लालजी ने ब्यूरोक्रेसी को एम्ब्रेस किया, यह समझते हुए कि Bureaucrats are the Loyalists of the Govt. of the day. और काम चलाया है इस देश के अन्दर। इन ट्रांसफर्स ने ब्यूरोक्रेट्स को बिगाड़ कर रख दिया। यस सर, वरना ब्यूरोक्रेट का फर्ज होता है, उसके बावजूद भी, सभापति महोदय, मुझे कहने में संकोच नहीं है, स्टेट लेवल के ऊपर, इसको फिर अन्यथा न लें, इधर की, उधर की बात, मंत्री कई बहुत अनफेयर होते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेट्स उन पर कंट्रोल करते हैं। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं, न किसी पार्टी से मतलब है। एक तो वह सिस्टम ऐसा बना हुआ है, आपसे मुझे थोड़ी सी उम्मीद है, मुख्य मंत्रीजी भी ट्रांसफर की पोलिटिक्स पसन्द नहीं करते हैं। जैसे आज ट्रांसफर पर बैन लगा रखा है, उन्होंने 7 फार्मूले निकाल दिए।

सभापति महोदय, मुझे यहां पर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं लेकिन आप जरूर थे और बनवारीजी भी थे, राजस्थान के अन्दर जोधपुर के ही एक मुख्य मंत्री हुआ करते थे, स्वर्गीय बरकतुल्लाह खां और पोसिबली इस स्टेट के अन्दर वह एकमात्र चीफ मिनिस्टर हुए हैं जिन्होंने बहुत कम टेन्योर में पोलिटिकल इंटरफरेंस को करीब करीब खतम कर दिया था, बिलकुल खतम कर दिया था, रामसिंहजी भी थे। और उससे फेयर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड हुआ। यह जो मुश्किल आकर पड़ी है, आप उसको देखें और फिर उसको कैसे चैक करेंगे?

कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन है, मंत्रीजी सही कहते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, पंचायत समिति के वार्ड्स डिवाइड होंगे, इन दी मैनर पापूलेशन डिवाइडेड, जिला परिषद् के वार्ड डिवाइड होंगे। सभापति महोदय, अब एक नया नाम, पंचायत समिति के सदस्य का नाम हो गया सी.आर. और जिला परिषद् के सदस्य का नाम हो गया डी.आर.। वे पांच साल मक्खियां मारते हैं। पहले चुनाव में तो लड़कर आ गए, अब के चुनाव में, आप खुद इस वास्तविकता से अवगत हैं चुनाव मुफ्त में तो होता नहीं है, सभापति महोदय। चुनाव में तो अपने भी सबका पैसा खर्च होता है। कैसे आता है, कहां से आता है, अपने-अपने हिसाब से आता है। किसी को पब्लिक देती है, कोई जेब से लगाता है, कोई पार्टी देती है, कोई चंदा होता है, वह अलग बात है। चुनाव में तो प्रधान के, प्रमुख के भी खर्चा होता है। तो सी.आर., डी.आर. ने यह सोच लिया कि पांच साल में अपने पास में कोई काम है नहीं, इन्होंने सब पैसा उसी वक्त वसूल कर लिया। करीब-करीब यह सामान्य स्टोरी है, आप मालूम कर लीजिए इसको। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब एक एम.एल.ए. का, मैं आपको एक धरातल की ओर, वास्तविकता की ओर ले जाना चाहता हूं। सभापति महोदय, एम.एल.ए. के

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पीछे पार्टी होती है, पोलिटिकल पार्टी को चंदे मिला करते हैं और एम.एल.ए. के चुनाव में प्रेस्टिजियस इलेक्शन भी हो जाता है, लोग उनमें चंदा देते हैं, लेकिन प्रधान को इतना चन्दा नहीं मिलता और प्रधान के चुनाव में, प्रमुख के चुनावों में, जब इतना पैसा खर्च होता है और सी.आर. डी.आर. को देना पड़ता है तो वह लाएगा कहां से। करप्शन कहां ब्रीड होता है, उसकी जड़ को पकड़ो आप। अब आपने उनको पावरफुल बनाने के लिए कुछ नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : खेतसिंह जी भी आ गए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : खेतसिंह जी तो सबसे पुराने हैं। खेतसिंह जी तो बरकत साहब के चीफ व्हिप थे। बरकत साहब के चीफ व्हिप थे न आप?

एक माननीय सदस्य : प्रमुख भी रहे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, प्रमुख नहीं रहे। बरकत साहब को पता था कि चीफ व्हिप के लिए बैस्ट आदमी हैं। गवर्नमेंट में नहीं लिया उन्होंने। बरकत साहब को पता था कि चीफ व्हिप के लिए बैस्ट आदमी हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके पिताजी भी समझते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मेरे पिताजी तब नहीं थे। सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था, अभी यह चर्चा आयी थी, एक वास्तविकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बहुत वीकन हो गई। मैं तो, सभापति महोदय, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जाना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि समय निरर्थक होता है। एक तो कुछ राजस्थान की वित्तीय स्थिति ऐसी हो गई कि न तो किसी कमेटी के अन्दर कोई प्रपोजल्स होते हैं, न फण्ड्स होते हैं और न उनमें कोई काम होता है। जाकर आ गये। पूरी डिसंड हो गई ये कमेटीज।

सैकण्डली, सभापति महोदय, जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, देखिए, डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कलक्टर की चीफ पोजिशन होती है। ओवर दी ईयर्स कलक्टर को आपने बहुत वीक कर दिया। आज स्थिति यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में एक्स.ईएन. नहीं आता है, ए.ईएन. खुद नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जे.ईएन. को भेज देते हैं। जिला लेवल का अधिकारी और कलक्टर का उसमें कोई नियंत्रण नहीं है। मुख्य जो प्रयोजन विकेन्द्रीकरण का है वह यह है कि जब हम इस विधान सभा में बैठकर यह कहते हैं कि मेरे खेत के अन्दर जो पांच किलोमीटर की पाइप लाइन चल रही है उसमें दो किलोमीटर गल गई या टूट गई, यह चर्चा यहां नहीं उठानी चाहिए। यहां प्रदेश के स्तर की चर्चा उठानी चाहिए, यहां पर नीतिगत चर्चाएं उठनी चाहिए। पर यह चर्चा उठानी पड़ती है, इसलिए उठानी पड़ती है कि जिले के स्तर पर न तो किसी की अकाउंटेबिलिटी है, न कोई अफसर आता है, न कोई अफसर ध्यान देता है। आप उनका एंश्योर कैसे करोगे।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सभापति महोदय, आपको यह बताता हूं, यह तो मंत्रीजी भी जानते हैं इस बात को, मंत्री इफेक्टिव होता है, खेतसिंह जी राठौड़ के दस्तखतों से कोई आदेश प्रभावशाली नहीं होता है। खेतसिंह जी राठौड़ के दस्तखत होते हैं फाइल पर, उनका सैक्रेटरी आर्डर इश्यू करता है तब दस्तख्त प्रभावशाली होता है। तो यह सैक्रेटरी ब्यूरोक्रेट, पोलिटिशिएन, यानी पोलिटिकल विल, पोलिटिकल लीडर इनका काम्बीनेशन है वह इफेक्टिव बनता है। आप इतना पावर देना चाहते हो तो वह सिस्टम बंद करो कि वह जेब से निकाली, यह मोहर सरपंच की। यह थोड़े ही होता है। जब आप पावर देना चाहते हो, तो आपको सैक्रेटरी भी लगाना पड़ेगा। जब आप यह कहते हो हम आई.ए.एस. अफसर को या सलेक्शन स्केल के आई.ए.एस. अफसर को या सुपर टाइम स्केल के आर.ए.एस. अफसर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाएंगे जिला परिषद् के अन्दर तो, सभापति महोदय, आपको कैलिबर वहां के अफसरों का बढ़ाना पड़ेगा। अफसर पर प्रभावी नियंत्रण हो और आदेश सर्वमान्य हो जिला परिषद् का, प्रधान का और सरपंच का नहीं, जिला परिषद् का, पंचायत समिति का और पंचायत का। एक्जीक्यूट करे उसको सैक्रेटरी जिला परिषद् या जो चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर बोलते हो बी.डी.ओ. और सैक्रेटरी। वे यह देखे कि जो आर्डर्स हैं वे इन कांट्रावेंशन आफ दी रूल्स नहीं हैं, वेरियंस विद दी प्रोनाउंस्ड पालिसी नहीं हैं और सबकी रेगुलर मीटिंग्स हों। आप जब तक इन सबका रायडर नहीं लगाओगे, उसका स्तर डिवाइड करें, मैं जोशीजी के उस विचार से सहमत हूं कंस्ट्रक्शन एक्टीविटीज के अन्दर भी डिवाइड करना पड़ेगा। आज पंचायत समिति के पास कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है। जिला परिषद् के पास कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है।

सभापति महोदय, जब ये काम्प्रीहेंसिव बिल लेकर आएंगे तो क्लाजवाइज डिस्कशन अपन करेंगे? लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आज चर्चा में भाग लेने का यह है कि राज्य सरकार से मैं यह पूछना चाहता हूं कि फाइनेंशियल पावर्स तो आप क्या देना चाहते हो? यह आप जो शिड्यूल 11 पढ़कर बताना चाहते हो तो यह मेंडेटरी नहीं है, फिर भी आप लिखते हो। यह तो डायरेक्टिव है। अब इन सब में एक साथ देने से क्या मतलब है। मंत्रीजी, यह काफी इंट्रीकेट प्रोब्लम है। ऐसा किसी का प्रतिविरोध नहीं है। इसके साथ इनको पंचायतों को देने से ख़राब हो जाएगा, यह हो जाएगा, लेकिन ओवरआल कंट्रोल तो रखना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि एप्रोच आसानी से नहीं बदली जाती है when you go higher on the ladder. तो अप्रोच थोड़ा नॉन पार्टीजन होती है। जितना यहां पर सलेंगिंग मैच होता है तो यहां से साइट

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने राजस्थान के फलां क्षेत्र की उपलब्धि के लिए प्रशंसा दी। होता है यह नॉन पार्टीजन है। अब सैंट्रल गवर्नमेंट के बाद अब स्टेट गवर्नमेंट में आते हो तो स्टेट गवर्नमेंट का भी उतना पार्टीजन नहीं होता है जितना आप नीचे चलते जाते हो उतना ज्यादा पार्टीजन होता है।

सभापति महोदय, आप गांव के हालात से परिचित हैं। छोटी–छोटी बात के अन्दर, यानी बिलकुल ऐसा एक्यूट डिवीजन है गांवों के अन्दर। उस वोट का हैंग ओवर ऐसा जबरदस्त रहता है, मैं यह नहीं कहना चाहता, इसका मतलब यह नहीं कि उसको आप इग्नोर करें। वह तो वोट लेकर आएगा तो होगा। उसका कई मंत्री लोगों के भी होता है, कुछ लोगों के नहीं होता है। अब मेरे पड़ौसी मंत्रियों के हैं, जिले के मंत्रियों के है तो है, लेकिन औरों के नहीं है तो नहीं है। वह एक व्यक्तिगत बात हो गई, इंडिविजुअल वेरिएशन, लेकिन आप कोई मैकेनिज्म ऐसी डवलप करें और वह मैकेनिज्म सिर्फ नोर्म्स बनाने से डवलप होती है।

सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन एक और करना चाहता हूं कि पंचायत अपने सोर्स से क्या आमदनी पैदा कर सकती है यह भी एक समझने की बात है। अब ये आटोनोम्स बाडीज् हैं, स्वायत्त शासन का धारीवाल साहब को बड़ा अनुभव है, स्वायत्त शासन मंत्री भी रहे हैं, ये अब पंचायत मंत्री हो गए, स्वायत्त शासन संस्थाओं में, अब कल्ला साहब का मंत्रालय है, नगरपालिकाओं के पास काफी कमाई का साधन है जमीन का, लेकिन अनफोर्च्युनेटली जमीन से, आबादी की जमीन से कोई कमाकर खाता नहीं। तो नगरपालिका कमाती है चार पैसे। अभी प्रशासन शहरों के संग में तो काफी पैसा कमाया और पंचायतों के कमाने का तो सवाल ही नहीं है।

सभापति महोदय, अगर आप थोड़े पावर्स देते हैं तो कुछ आपको इंटरवेंशन सीनियर आफिसर का रखना पड़ेगा। यह बड़ा अव्यवहारिक है। यह जो सर्कुलर निकालते हो, ये कहते हैं गवर्नमेंट आफ इंडिया का सर्कुलर है। आप भी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हैं। अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया का इल्ल–एडवाइज सर्कुलर है तो आप लिख सकते हैं। एक साथ 15 अगस्त को मीटिंग्स बुला लीं। एक तारीख को आप मीटिंग्स बुलाते हो वह ठीक नहीं है। फिर रेंडम चैंकिग सीनियर आफिसर करता है।अब अलग–अलग रखते हैं, मान लीजिए पंचायत की मीटिंग के अन्दर किसी में नायब तहसीलदार चला जाएगा, किसी में तहसीलदार चला जाएगा, किसी में एस.डी.ओ. चला जाएगा, किसी में दूसरा आफिसर को भेज दिया जाएगा। एक सीनियर आफिसर मौजूद रहता है तो उम्मीद यह की जाती है कि प्रोसिडिंग सही तरीके

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

से कंडक्ट होगी, फर्जी कार्यवाही नहीं होगी, जैसा एलेज किया जाता है कि फर्जी रिपोर्ट बना लेते हैं, वह नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैं अंत में एक निवेदन बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि इनके इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव्स को पावर्स आप दें वह बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो हमारे विधायक कोटे का पैसा है, यह जोशीजी ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया है, वह आप वापस मत दे देना कि प्रमुख ही चैक के ऊपर दस्तखत करे। (व्यवधान) वह थोड़ा माननीय जोशीजी ने ठीक किया। मेरा एम.एल.ए. कोटा से मतलब नहीं, जनरल मतलब है। इस फाइनेंशियल डीलिंग में मेरे को नहीं लगता है कि किसी मिनिस्टर के भी किसी चैक पर दस्तखत होते होंगे। तो ये कौन से पावर्स हैं आपके कि चैक के ऊपर दस्तखत करे। फाइनेंस से तो उसको अलग ही रखना चाहिए था, फाइल पर रखो। आप ब्यूरोक्रेट का गला पकड़ सकते हो, आपका मातहत है वह, इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव्ज का गला पकड़ना मुश्किल है। आपकी मर्जी आती है जब तो सस्पैंड कर देते हो और मर्जी आती है जब रि-इंस्टेट कर देते हो। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि हर पंचायत मिनिस्टर ने यह किया है। जोशी जी ने किया होगा उसको मजबूरी में किया होगा। इन लोगों ने भी बहुत किया है। जो पंचायत मिनिस्टर होता है वह यही होता हैं कि जिसकी मर्जी आई गला पकड़ लिया, सस्पैंड कर दिया जिसकी मर्जी आवे वापस कर दिया। सभापति महोदय को तो पता है कि बनेड़ा के सरपंच को सस्पैंड भी कर दिया, आपने बहाल भी करवा दिया और उसकी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यह रोजमर्रा का धंधा है, सभापति महोदय, कोई खास बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर अगर हम कोई फेयर तरीके से मेकेनिज्म डवलप करके काम करेंगे तो अच्छा होगा।

मैं तो अंत में, यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो आपके पास पर्याप्त समय है। आर्थिक स्थिति आपकी बड़ी विषम है और आर्थिक स्थिति विषम है, आपके सामने भारी अकाल है जिसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। उस चेलेंज को, उस चुनौती को मीट आउट करने में ही आपका काफी पैसा लगेगा, आपके पास सम्भवतया कोई राशि शेष नहीं रहेगी, तो सिर्फ एक भावावेश में आकर, अभी कम से कम अगले साल तक तो आपको राज करना ही करना है। उसके बाद तो ठीक है हो सकता है और करें, नहीं करें वह अलग बात है लेकिन अभी तो निश्चित बात है तो इस को हम पास ओवर कर जाएं। (व्यवधान) नहीं, आप करें, भाटी जी, मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूं। आप 5 साल करें, 10 साल करें जिसकी तकदीर में होगा। मैं विवाद खड़ा ही नहीं कर रहा हूं। एक साल तो निश्चित है न, उसमें तो कोई विवाद नहीं है, आगे छोड़िए क्या होगा क्या नहीं होगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और संविधान संशोधन भावनानुरूप उनके सशक्तीकरण के उपायों पर विचार

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि इससे फेमिन की जो क्राइसिस है उसको आप पास ओवर कर लें, उसके बाद भी कर सकते हैं और यह जो इलेवंथ शेड्यूल है, इसको लागू करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूं कि यह पहली इस वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर है, सबसे ज्यादा इस वक्त राजस्थान की निराशाजनक स्थिति है तो वह शिक्षा विभाग की है। शिक्षा विभाग तो न घर का रहा, न घाट का रहा। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। पता नहीं इन्होंने क्या मैसिब मैस किया है कि एलीमेंटरी अलग हो गई, सैकण्डरी अलग हो गई और एलीमेंटरी पंचायत समिति में चली गई, वह वहां चली गई। अब यह शिक्षा मंत्री और पंचायत मंत्री भी एक हो गये। तो यह व्यवस्था भी आप ठीक कर लें, सक्सेसफुली आप इफेक्टिव कंट्रोल पंचायत समितियों का और जिला परिषदों को शिक्षा विभाग से दे दें और शिक्षा विभाग में फेयरनेस रह जाए।

मैं, सभापति महोदय, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे को निश्चित जानकारी है। एक तो आज की तारीख में हैण्ड पम्प मिस्त्री को तनखाह नहीं मिलती जब तक सरपंच सर्टिफिकेट देता और गांव वाले रोज शिकायत करते हैं कि हमारा हैण्ड पम्प खराब है और हैण्ड पम्प मिस्त्री आता नहीं है और उसके बाद सरपंच सर्टिफिकेट नहीं दे देता है। सरपंच से पूछते हैं कि सर्टिफिकेट कैसे दिया तो कहता है महाराज, क्या करूं, रोने लग गया। यह हालत है। तो आप समझो इसको। अब यह सरपंच का नियंत्रण है। यहां तक तो ठीक है, अटेंडेंस के लिए उसकी क्या जरूरत है। गांव वाले कहते हैं ऐसा नहीं है और फिर आपके दूसरे ग्रुप में कोई भी, मैं यह नहीं कहना चाहता ऐसा है, उस वक्त रामसिंह जी विश्नोई वाली बात हुई, सहमत हूं, ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क के अन्दर कई दफा सरपंच बहुत अच्छे काम करते हैं और डेफिनेटली कम पैसे में ज्यादा अच्छा काम करते हैं इससे भी इंकार नहीं करता हूं। इसलिए जोशीजी वाली बात से सहमत हूं, पर यह भी सही है कि प्रभावी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नियंत्रण सरपंच का नहीं रह सकता है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल अगर आपने खतम कर दिया, पंचायत को एक इंडिपेंडेंट यूनिट बना दिया और वह भी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए बना दिया तो, सभापति महोदय, कम्पलीट केओस हो जाएगा।

मैं अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व पुन: यह निवेदन करना चाहता हूं कि ओवर ऑल रेस्पोंसिबिलिटीज यह अगर यूनिक जोशीजी, I invite your attention. जोशीजी, आप बहुत दार्शनिक आदमी हैं, जरा विचार करना आप इसका, यह ठीक लगे तो आगे मनन करना इसका कि कलक्टर की इंस्टीट्यूशन को अगर आप पावरफुल बनाएं। आपका यह डिवीजनल कमिश्नर का रिडेंडेंट आफिस है, किसी जमाने में कुछ लोगों को एडजस्ट करने के लिए बनाया था। Why it is carried?

श्री रामसिंह विश्नोई : जिला परिषद् में आई.ए.एस. आफिसर नहीं हैं क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं है। आई.ए.एस. हैं तो ठीक है, अच्छा है। मैं कह रहा था कलक्टर को और भी आप सुपर टाइम लगाओ न। Collector represents the Govt. under the law the District Collector represents the Government. कलक्टर की इंस्टीट्यूशन बहुत डाइल्यूट हो चुकी है और कलक्टर के, मैंने तो सभापति महोदय, शुरू से यह देखा है कि कलक्टर तो चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर के कहने से भी नहीं लगता, The Collector is the only person. कि जिसके पास पब्लिक का आदमी भी आकर चिल्ला सकता है और कलक्टर सुने। आज यह नया-नया जो तरीका हो गया, खेतसिंह जी कह रहे हैं, कलक्टर लगा देते हैं, वह गलत है। वह कलक्टर तो चीफ मिनिस्टर को अपने हिसाब से चीफ सैक्रेटरी से कंसल्ट करके मेरिट पर लगाना चाहिए। कलक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होता है उस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर सत्यानाश होता है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन दोनों, तीनों बातों पर विचार करके मंत्री जी, आप कोई काम्प्रीहैंसिव बिल लाइए, क्लाजवाइज डिस्कशन करेंगे उस पर और जल्दबाजी में अभी आर्डिनैंस प्रमोलगेट मत कीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप काफी स्टेट से आलरेडी आगे चल रहे हैं। सब तरफ प्रशंसा हो रही है आपकी इसलिए ज्यादा प्रशंसा लेने के लिए आप आतुर मत होइए, प्रतीक्षा करके धैर्यपूर्वक लाइए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती कमला।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सभापति महोदय, दो दिन से सदन में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण और स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण के बाबत माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। आज की कमी खामियों के ऊपर भी काफी कुछ चर्चाएं हुई हैं, आगे किस तरह की व्यवस्था में क्या सुधार किया जाए, उसके सुझाव भी आये हैं और संवैधानिक व्यवस्थाओं में भी कुछ परिवर्तन

(डा. (श्रीमती) कमला)

हो इस तरह की चर्चाएं भी सदन में प्रस्तुत हुई हैं। आज जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। इस मुद्दे पर इस दृष्टि से सोचने की जरूरत है कि हम पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये कुछ कामों को, कुछ कार्यक्रमों को, कुछ व्यवस्थाओं को निष्पादित करने मात्र की संस्थाएं रखना चाहते हैं या वे स्वयं एक प्रशासनिक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करें जिन्हें हम स्वशासी संस्थाओं के रूप में, सैल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस के रूप में स्थापित करें, यह सोचने की जरूरत है।

आम तौर पर तो सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को माना है कि इसे स्वशासी संस्थाओं के रूप में या कहना चाहिए अपने स्तर की एक सरकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। लेकिन बोलते वक्त में कभी-कभी कोई आपके या कोई उनके ध्यान में कोई सरपंच आ गया या प्रधान आ गया या कुछ गलतियां आ गई हैं तो फिर उससे कुछ थोड़ा सा लीक से हटकर सारी बातों के ऊपर चले गये तो उसमें आशंकाएं बहुत सारी पैदा कर दीं। मेरा यह निवेदन है कि इस सदन के अन्दर हमें सैद्धांतिक सोच के प्रति सबसे पहले अपने विचार प्रकट करने हैं और सैद्धांतिक सोच यही है कि हम आजादी के इतने लम्बे समय के बाद हमारी इस ग्राम स्तर की, पंचायत समिति स्तर की और जिला स्तर की जो संस्थाएं हैं इन्हें एक स्वशासी स्वतंत्र सरकार के रूप में, सरकार न कहें शायद भ्रांति हो, तो एक संस्था के रूप में स्थापित करना आवश्यक है।

(17.00 बजे)

कहीं-कहीं यह जो बीच-बीच में हमारी स्थिति आ जाती है कि ये इसके लायक नहीं हैं इसलिए यह तो अभी मत दें, ये इसके लायक नहीं हैं इसलिए इनको अभी यह न दें। जो वहां चुनकर आए हैं उनको दृष्टिगत मत रखिए, वो जिन हालात के हैं उसमें से अपन आए हैं उन्हीं हालात में वो हैं। अगर महिलाएं पढ़ी-लिखी नहीं हैं, पर्दे में हैं, अपने पुरुषों के सहयोग से पंच, सरपंच, प्रधान का काम कर रही हैं तो यह उनकी गलती नहीं है, यह गलती हमारी है, समाज की है कि आजादी के 55 वर्ष बाद भी इस देश में बहुत बड़ा तबका जो 50 प्रतिशत के बराबर है, उसको हम पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सके, कोई माहौल नहीं बना सके, कोई मोटिवेशन नहीं कर सके, कोई स्पेसिफिक इस तरह की व्यवस्थाएं कायम नहीं कर सके। इसलिए जब कभी कहीं किसी मंच पर या आपसी बातचीत के दौरान हमारे साथी या अन्य लोग मजाक के रूप में, व्यंग्य के रूप में यह कहते हैं कि महिलाओं का आरक्षण कर दिया, कोई अपने पति को लेकर आती है, कोई जेठ को ले करके आती है, कोई ससुर को लेकर आती है, कोई देवर को लेकर आती है और घूंघट में बैठी होती है, वह जो कहता है वह दस्तखत कर देती है। यह स्थिति सोचकर अगर हम यह मन बना लें कि अभी हमें बहुत कुछ

(डा. (श्रीमती) कमला)

इंतजार करने की जरूरत है और इसलिए जब ये सब पढ़ जाएं तब हमें यह सोचना चाहिए कि इनको दें या नहीं दें, इससे ज्यादा कोई भी भ्रमित सोच नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे सभी सम्माननीय साथियों को और प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भी यह याद दिलाना चाहती हूं कि जब आजादी कर जंग लड़ी जा रही थी तो देश के तमाम वर्गों के, सभी क्षेत्रों के लोग और विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र के अनपढ़, कमजोर, गरीबी में रह रहे, पिछड़े हुए लोग आजादी की जंग में सूझे थे और जेलों की काल-कोठरियां काटीं थीं, फांसी चढ़े थे, सूली चढ़े थे, गोलियां खायी थीं। उस वक्त नाममात्र का कोई पढ़ा लिखा था, उन्होंने देश की आजादी को कितना जरूरी समझा था और कितना अहम समझा था कि चाहे कितना ही त्याग करना पड़े, कितना ही समर्पण करना पड़े, कितना ही कष्ट उठाना पड़े, आजाद होकर रहना ही सम्मान की बात है, इंसानियत की बात है, देश के लिए जरूरी है इसलिए हमें कुर्बान होना चाहिए। उसके लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं थी।

जब देश आजाद हुआ और देश में प्रशासनिक पद्धति क्या कायम की जाए, क्या व्यवस्थाएं राजनीतिक कायम की जाएं, तो चर्चा के दौरान कुछ महानुभावों ने यह भी सुझाव दिया कि साहब, इतनी दूर-दराज की ढाणियों में, गांव में अशिक्षित, कमजोर, अर्थ से, साधन से बिलकुल महरूम लोग बैठें हैं और उन्हें आज अगर हम राज सौंप दें सीधा तो यह कैसे शासन चला पाएंगे, कैसे यह कर पाएंगे। उसके जवाब में उस वक्त पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू ने यह कहा था कि जिस देश के गरीब, बिना पढ़े लिखे, गांवों में रहने वाले, अशिक्षित, बिलकुल कमजोर तबके के लोग यह समझ सकते हैं कि देश की आजादी कितनी जरूरी है, बिना देश की आजादी के हमारा अपना सम्मान नहीं है और हम इंसान नहीं है इसलिए देश को आजाद होना जरूरी है चाहे कितनी ही फांसी लटकनी पड़े और कितनी ही गोलियां खानी पड़े। तो क्या ये लोग इस बात का नहीं एहसास कर पाएंगे कि हमें अपने हित में, समाज के हित में किस तरह से अपना राजनीतिक स्वरूप संचालित करना चाहिए। इसलिए सब को इस देश का शासन चलाने का, बनाने का हक होना चाहिए।

इस प्रजातंत्र के इतने वर्षों ने यह साबित किया है, दुनिया के सामने साबित किया है कि देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और इस प्रजातांत्रिक देश में बहुत पढ़े लिखे, बहुत जिम्मेदार, बहुत समझदार, बहुत धनपति लोगों ने तो प्रजातंत्र में घाव करने की कमी नहीं रखी पैसे के जरिए से, शराब के जरिए से, जातीयता के जरिए से, स्वार्थ के जरिए से लेकिन ये बिना पढ़े लिखे, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर और अनपढ़ लोग थे जिन्होंने जब कभी भी चुनाव

(डा. (श्रीमती) कमला)

हुए तो यह दिखाया कि इस देश का प्रजातंत्र अपने आप में सशक्त है, सजग है, सतर्क है और किसी प्रकार के भी दांव-पेच से वह समय की गति को वहीं खड़े नहीं रहने देंगे, गति आगे चलती रहेगी और शुद्ध और स्वच्छ प्रजातंत्र बनाने के लिए हमेशा वे साथ देंगे। यह साबित किया हमारे देश ने और इस देश के इस माहौल को दुनिया ने रिकग्नाइज किया है कि चाहे कितना ही कुछ व्यवस्थाएं उलट-पुलट हुई हैं लेकिन हिन्दुस्तान का प्रजातंत्र अपने आप में दुनिया सबसे कारगर, सबसे आदर्शवान और सबसे सशक्त रूप में उभर करके आया है।

इसलिए आज अगर हम यह शंकाएं पैदा करते हैं तो व्यक्तियों के कारण से कर सकते हैं और वह व्यक्तियों का कारण भी उनका नहीं, हमारा है। अगर हमने इस व्यवस्था को कायम करते समय में यह सोचा होता कि हम जिनको एग्जीक्यूटिव पावर्स दे रहे हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए तो शायद आप ऐसा कर सकते थे। आज विधायकों के लिए, सांसदों के लिए भी यह व्यवस्था नहीं है तो पंचायती राज में तो यह व्यवस्था आप करने की सोच भी कैसे सकते थे। लेकिन विधायक और सांसद लेजिस्लेशन करते हैं, आम तौर पर विकास के अपने प्रोग्राम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उनके क्रियान्वयन से सम्बन्धित जितने विभाग है उनके जरिए से उसको सम्पादित करते हैं लेकिन ये संस्थाएं खुद एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सरसाइज करती हैं इसलिए अगर हमने संविधान में संशोधन किया तो उस समय में शिक्षा का हम अगर थोड़ा ध्यान करते तो शायद बहुत सी समस्याओं का निराकरण हो सकता था लेकिन मूल बात यह है कि हमने आज सैद्धांतिक सोच के साथ यह निर्णय तो ले ही लिया है और इसको पुष्टि भी करना है कि हमें इन संस्थाओं में स्वशासी स्वतंत्र इकाइयां संस्थाओं या सरकार के रूप में स्थापित करना है।

यह हमारा संकल्प उस वक्त भी था जब हमने पंचायती राज का पहली बार श्री गणेश किया था और उसके बाद में जब राजीव जी ने और संशोधन संविधान में प्रस्तुत कराए तो उस वक्त और इसको पुष्टि दी कि बिना संविधान की व्यवस्थाओं के यह कारगर नहीं हो सकता। उस वक्त भी था और आज भी जो अभी दिल्ली में कांफ्रेंस हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें आये, माननीय प्रतिपक्ष की नेता महोदया आयीं और उन्होंने भी अपना पूरा का पूरा सोच इस बात में लगाया है कि हमें इन संस्थाओं को प्रजातंत्र की मौलिक, स्वतंत्र और स्वशासी संस्थाओं के रूप में खड़ा करना है।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अगर कोई वार्ड सभा में गलती हुई है, कोई पंचायत की सभा में गलती हुई है, कोई सड़क बनाने में गलती हुई है, कोई तालाब खुदाने में गलती हुई है, हिसाब किताब रखने में गलती हुई है, तो यह इस सोच की गलती है, इस व्यवस्था की गलती नहीं है, वह गलती हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमी की गलती

(डा. (श्रीमती) कमला)

है। अगर आज हम काम कर रहे हैं, मंत्रीगण काम रहे हैं तो कोई मंत्री से यह अपेक्षा करे कि मंत्री स्वयं ही सारा कानून पढ़ेगा, स्वयं ही सारे नियम पढ़ेगा, स्वयं ही सारी ट्रेडिशंस जो चली आ रही हैं उनको पढ़ेगा और उनको पढ़कर के वह अपने आप ही सब कर लेगा तो फिर सैक्रेटरी की जरूरत कहां आती हैं, हैड ऑफ द डिपार्टमेंट क्यों है? बिना पढ़ा लिखा अगर प्रधान भी है, सरपंच भी है, मंत्री भी है तो ये सचिव, हैड आफ द डिपार्टमेंट और दूसरे डी.एस., ए.एस. लगा रखें हैं वे लगाए ही इसीलिए हैं कि नीति निर्धारण हम करेंगे, क्या कार्यक्रम रखना है वह हम करेंगे, दिशा-निर्देश क्या होने हैं वह हम करेंगे, कैसे कहां पहुंचना है यह तय करेंगे लेकिन किस जरिए से पहुंचेंगे, क्या कानून-कायदे बनाने पड़ेंगे, कौनसे रूल्स बनाने पड़ेंगे, क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी इसके लिए हम उनसे कहेंगे कि आप जो यह है ना, यह सारा का सारा निकाल कर हमें बताइए और इसमें इस तरह की व्यवस्था जो की हैं, इसमें इन लोगों को यह दिक्कत हो सकती है, इसमें यह प्रावधान नहीं है, यह प्रावधान रखा जाना चाहिये। यह व्यवस्था जो सचिवों की है, इन अधिकारियों की है, नीचे तक के कर्मचारियों की है, वह है ही इसलिए कि आपके हाथ में कलम नहीं है, उनके हाथ में तो कलम है, आपके हाथ में कलम नहीं है, आपके हाथ में नीति निर्धारण है। उसका आदेश जारी होगा तो मंत्री ने चाहे हुकुम कर दिया फाइल पर, आदेश जारी होगा सचिव के दस्तखतों से या असिस्टेंट सैक्रेटरी के दस्तखतों से, आपके पी.एस. या पर्सनल सैक्रेटरी के दस्तखतों से जारी नहीं होगा, इसलिए कि ये दोनों मिलकर इस काम को करते हैं।

इसलिए अगर कहीं जो कभी खामी आ रही है तो उस कमी का कारण है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं, वित्तीय व्यवस्थाएं बहुत कमजोर हैं, अधूरी हैं और अपर्याप्त है और सुदृढ़ नहीं हैं। आज कोई बिना पढ़ा लिखा भी अगर पंच, सरपंच है, तो उसके काम करने में कहीं कोई बाधा नहीं आ सकती। अगर हम उनके चुनाव के बाद में पूरा का पूरा प्रशिक्षण दे सकें कि किस तरह से उसे यह सारी जानकारी हो कि कौन-कौनसे प्रोग्राम हैं, किन-किन प्रोग्रामों में क्या-क्या प्रावधान हैं। उन प्रावधानों का संचालन करने के लिए मौजूदा किस तरह के क्या रूल्स हैं, एक्ट है, यह सारा उसका कोई एक साथ आप प्रशिक्षण दे दो और उसके समझ में आ जाए तो ऐसा नहीं है लेकिन इतनी बात समझाने की जरूरत होती है कि हमें यह काम इस पद्धति से करना है। वह जब काम करने लगे, जब सामने फाइल आए कि इस एक व्यक्ति को इन्दिरा आवास के लिए प्लाट देना है या पैसा देना है तो उसको यह रटा हुआ होने की जरूरत नहीं है कि इन्दिरा आवास में क्या-क्या प्रावधान हैं, कितना पैसा है, कितनी इंस्टालमेंट्स में पैसा देना चाहिए, किस क्राइटेरिया के आदमी को देना चाहिए। जैसे ही उसके पास

(डा. (श्रीमती) कमला)

फाइल आती है, वह फाइल बी.डी.ओ. को बुलाकर पूछे कि क्या प्रावधान है बताइये, क्या क्राइटेरिया है वह बताइए, यह क्राइटेरिया है, यह प्रावधान है। इसको पहली किस्त कब दी थी उसका इंपलीमेंटेशन होना चाहिए, वह हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कहां कितनी बड़ी बात है लेकिन हम क्या करते हैं कि चुनाव हुआ और उनको संस्थाएं सौंप दीं। न तो उनकी भले तरीके से कोई ट्रेनिंग होती है, न उन्हें प्रैक्टिकल फंक्शन का जो अनुभव है, उसके बारे में कोई गाइड करता है, न बी.डी.ओ. करता है, न सचिव करता है। वह चाहते हैं कि यह जितना अनाड़ी रहे उतना ही अच्छा है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रैक्टिकली वह अपना काम बिलकुल एफिशियंसी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ और कानून कायदे के साथ कर सके, इसके लिए जो अधिकारी वहां बैठाए हैं, वे इस बात को देखें कि उसमें कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। अब हम कई बार यह कहते हैं कि हमारा सारा पैसा भी ले लिया, यह भी करते हैं, वह भी करते हैं, सब-स्टैण्डर्ड चीजें बनाते हैं, तो वह खुद तो बनाने नहीं जाता। आज भी वह अगर काम करेंगे, जो उनको काम इस प्रस्ताव के अन्दर दिया है तो वह काम अधिकारियों के मार्फत करेंगे। आज जो ए.ईएन. या एक्स.ईएन. या जे.ईएन. पी.डब्ल्यू.डी. के या इर्रिगेशन के काम करते हैं, वह अगर प्रधान के नीचे चले जाते हैं तो क्या वह काम करना बंद कर देंगे या उनके काम के तरीके में कोई फर्क हो जाएगा? प्रधान को भी काम उन्हीं से लेना है जिनसे काम आप और हम लेते हैं लेकिन उन कर्मचारियों और अधिकारियों की नीयत और सोच सही होनी चाहिए कि आप यहां पर आए हैं, तो आपको यहां पर उसी प्रकार से काम करना है और उसी नीयत से काम करना है कि हमें यह काम बढ़िया करके दिखाना है। इसलिए मैं यह समझती हूं कि एक तरफ तो सैद्धांतिक सोच है, हमें तो बिलकुल एक मत से तय करने की जरूरत आई नहीं है, सब लोग मान ही नहीं रहे हैं कि यह अपने आप में सेल्फ गवर्निंग इकाई, एक छोटी सरकार के रूप में अपना काम करेगी।

दूसरी, बात यह है कि हमें जब इसको तैयार करने का काम करना है तो इस इकाई का गठन कैसे हो, इसका चुनाव कैसे हो, इसके कौन-कौनसे उपांग हो और इसमें राज्य सेवाओं के बारे में जो हमने पहले 94 वां विधेयक आया है उसमें रखा है कि हम समय के साथ में इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि पंचायती राज की खुद की सेवाएं डवलप हों न कि हम विभागों से मांग मांगकर उनकी सेवाओं को लें। कभी कोई बी.डी.ओ. किसी विभाग से आ गया, कभी कोई बी.डी.ओ. किसी विभाग से आ गया, एक-दो वर्ष के लिए किसी तरह से ट्रेंड हुआ तो दूसरा आकर फिर नई ट्रेनिंग शुरू करें कि मुझे बी.डी.ओ. के रूप में क्या करना है।

(डा. (श्रीमती) कमला)

यह हमने तय किया था कि पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय संस्थाओं की इनकी अपनी सेवाएं डवलप की जाएगी और इसमें नगरीय क्षेत्र में तो सेवाएं डवलप भी हुई हैं लेकिन पंचायती राज में कोई सेवाएं डवलप नहीं हुई हैं, सारी के सारी डेपुटेशन पर सेवाएं चल रही हैं। इसलिए सबसे बड़ा एक कारण यह भी है कि यह सेवाएं उधारी हैं, यह हमारी गलती है, यह उन प्रधान, पंच-सरपंचों की गलती नहीं है कि हमने उनसे काम लेने की व्यवस्थाएं कायम नहीं की इसलिए मेरा एक तो यह कहना है कि यह काम हमें करने की जरूरत है।

इसी तरह से जो विषय है उनका भी संविधान के अन्तर्गत निर्धारण होना चाहिए। यह जैसा हम नीचे आपने पंचायतों का, प्रधानों का, प्रमुखों का, उनके साथ काम करने वाले अधिकारियों की खूब अच्छी गहमागहमी की चर्चा की, फिर जो पार्टी के अन्दर चर्चाएं हुई, दूसरी पार्टियों ने भी अपनी चर्चाएं कीं, अब हम विधान सभा में कर रहे हैं। जैसा माननीय प्रतिपक्ष की नेता महोदया ने माननीय प्रधानमंत्रीजी को सुझाव दिया कि यह संयुक्त बैठक पार्लियामेंट को सिर्फ इसी काम के लिए होनी चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं का, निकायों का क्या स्वरूप हो, क्या उनके विषय हों, किस तरह से उन्हें वह ट्रांसफर हो और किस तरह से उन्हें अनुशीलन किया जाए। यह अपने आप में सारी पद्धति को विकसित करने की जरूरत है। पद्धति क्योंकि विकसित नहीं हुई, प्रक्रियाएं विकसित नहीं हुई तो जैसी अभी चर्चा हो रही थी कि यहां वार्ड सभाएं, अब वार्ड सभा भी एक दिन में सब जगह पर, तो गलती किसकी? उस वार्ड मेम्बर की तो गलती नहीं है, पंचायत की भी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हमने वार्ड सभा करने का कह तो दिया लेकिन किन सीमाओं में, किस सोच के साथ, कितने वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत आप यह करेंगे और क्या सोचकर करेंगे, यह तो हमने उनको कहा नहीं और उन्होंने जितना समझ में आया, किसी ने पांच करोड़, किसी ने सात करोड़ के अपने प्रोग्राम बना लिये तो वह हमारी गलती है।

हमने अपने अधिकारियों को या हमने अपनी पंचायती राज संस्थाओं को यह डायरेक्शंस नहीं दिये कि हम इस बाबत में आपसे क्या चाहते हैं इसलिए जो पंचायती राज की मीटिंग होती है, उन मीटिंगों में, जैसे प्लान बनाना,आज जब हम यह चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने बड़ी मजाक की कि पंचायत स्तर पर आप प्लानिंग सिखाना चाहते हो। मैंने कहा कि मैं सोच रही हूं, बिलकुल सही सोच रही हूं कि हम अपने लोगों को अगर प्लान बनाने के लिए उनका मन मानस उसके हिसाब से या सोच उस तरह से नहीं बनाएंगे, तो यही होता रहेगा कि मेरे वार्ड में यह बना दो मेरे वार्ड में यह भी बना दो, यह भी बना दो, यही होगा। लेकिन

(डा. (श्रीमती) कमला)

जब प्लान बनाने की पद्धति को उनको सिखाएंगे, तो पंचायत की मीटिंग में जो पंचायत समिति स्तर के अधिकारी हैं, वह तो कम से कम जाएं ही जाएं, जिला स्तर के भी कुछ जरूरी अधिकारी हों, चाहे कृषि के हों या पशुपालन के हों सड़कों के हों या और विभाग के हों, इनके अधिकारी वहां पर जाने चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप प्लान किस तरह से करो और उस प्लान को वहां पर तैयार करके फिर वह पंचायत समिति में उनका प्लान डिस्कस हो और जब पंचायत समिति स्तर पर प्लान डिस्कस हो तो जिला स्तर के अलावा राज्य स्तर के भी कुछ विशेषज्ञ, कुछ एक्सपर्टीज रखने वाले अधिकारी वहां पर जाने चाहिए। वह जो कंसोलिडेटेड प्लान बने, उस कंसोलिडेटेड प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमें इसमें दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए फिर जो कमी खामी लग रही हैं, वह वर्किंग सिस्टम में कमी खामी है न कि इस सोच में कमी है, सोच हमारी सही है। अगर प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करना है, गांव के, ढ़ाणी के हरेक व्यक्ति को प्रजातंत्र की सफलता के लिए अपना योगदान करने की जरूरत है और सही ढंग से इस प्रजातंत्र को चलाने की जो बात उन्हें सुचानी है तो जरूरी है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर, स्टेट लेवल पर नहीं रहकर नीचे गांव-ढाणी स्तर तक इसको कामयाब बनाने की आवश्यकता है।

अब दूसरी बात यह कि जो संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन जो सम्माननीय राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया, वह अपने उस मूल रूप में तो नहीं हुआ क्योंकि उस समय 2/3 मेजोरिटी नहीं बन पाई, बाद में जब वह मूल रूप में मंजूर हुआ तो आम सहमति और 2/2 मेजोरिटी बनाने के लिए उसमें बहुत सारे कम्प्रोमाइज हुए और कम्प्रोमाइज होने के कारण से उसका वह रूप नहीं आया जो आना चाहिए था। इसलिए यह जो चुनाव की हमने व्यवस्था रखी कि हम अलग-अलग, पंचायत समिति का सदस्य होगा, जिला परिषद् का सदस्य होगा तो इसमें वैसे तो कोई गलती नहीं है, सोचने की गलती है। जैसे ग्राम पंचायत का पंच पंचायत की जनरल बाडी का एक सदस्य है, ऐसे ही यह सोचा गया कि जो पंचायत समिति सदस्य चुना जाएगा वह पंचायत समिति की जनरल बाडी के सदस्य हैं और इसी तरह जिला परिषद् के जो सदस्य हैं वह जिला परिषद् की जनरल बाडी के सदस्य हैं। उन्होंने यह कैसे इम्प्रेशन लिया, कैसे यह आम बात गई और कैसे यह परसेप्शन गया कि इनका अपना अलग अस्तित्व कुछ होगा, इनको कुछ अलग पावर्स दी जाएगी, तो वह जो बात चली और उसके साथ जो चुनाव लड़े गये और लाखों रुपए लोगों ने खर्च किये और फिर उनको अलग से कुछ

(डा. (श्रीमती) कमला)

अधिकार मिले नहीं, कोई अस्तित्व अलग से मिला नहीं तो उनको फ्रस्टेशन आया। यह अपने आप में दरअसल में उस सोच की भी गलती हुई। क्योंकि जनरल बाडी अभी पंचायत समिति की जो पहले थी वह उनका अपना खुद का कोई सदस्य नहीं था, सिर्फ सरपंच उसकी जनरल बाडी होता था। अब यह सोच भी सही है कि सरपंच जनरल बाडी का सदस्य बन जाए इसका मतलब सरपंच तो वहां बन गया और प्रधान जिला परिषद् में बन गया। तो जो जनरल और पोपुलेशन है उसका जो रिप्रजेंटेटिव वहां पर जनरल बाडी के सदस्य के रूप में आना चाहिए वह तो आया ही नहीं। वह सोच तो सही थी लेकिन इम्प्रेशन जो उनको कनवे हुआ वह इम्प्रेशन गलत हुआ और उसके कारण से स्थिति गडबड़ हुई।

अब यह जो रिजर्वेशन हुआ है यह मेरी समझ में तो अपने स्टेट के हिसाब से है। रिजर्वेशन होने का सबसे बड़ा जो एक कारण बन रहा है जिसको बहुत से सदस्य भी कहते हैं कि रिजर्वेशन तो सही है लेकिन जो एक टर्म के लिए एक तरह का रिजर्वेशन है उसके कारण से दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो यह कि कोई भी कार्यकर्ता दो वर्ष में, तीन वर्ष में तैयार नहीं होता, बीस-बीस वर्ष, पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष तक जो कार्यकर्ता सार्वजनिक जीवन में काम करता है, उतार में, चढाव में, हार में, जीत में, कापरेटिव में, पंचायत राज में, दूसरी संस्थाओं में, तब जाकर वह अपने आप में एक बहुत निष्ठावान और समझदार कार्यकर्ता के रूप में तैयार होता है। एक बार रिजर्वेशन के कारण से वह कार्यकर्ता आ गया और पता है दूसरी बार यह सीट रिजर्व रहेगी या नहीं रहेगी इसलिए अपने को इसमें कोई रुचि नहीं। तो वह रूचि नहीं होने के कारण से वह अपने जो फंक्शंस हैं उनको भी सही ढंग से शायद अंजाम नहीं दे पा रहा है और उसकी सोच भी किसी और उद्देश्य के साथ में जुड़ जाती है, बजाय इसके कि वह अच्छा काम करें, अच्छी परफारमेंस दे, अच्छी संस्था डवलप करे, तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा प्रधान आया, बहुत अच्छा सरपंच आया। तो उसमें नहीं। इसलिए यह हमें सोचना पड़ेगा कि यह जो हमने हर बार सीटों को बदलने का जो कर रखा है यह पंचायती राज के पुख्ता और सशक्त ढंग से, स्वच्छ ढंग से डवलप होने के लिए बाधक होता है। इसको हम किस तरह से यह आश्वस्त करें कि भाई आज जो तुम आए हो तो आगे भी आओगे, या तो हम यह करें कि भाई तीन वर्ष का टर्म रखें और दो बार तक रखें तो पांच वर्ष के बजाय चाहे छह वर्ष लगें। लेकिन एक बार तीन वर्ष जिसने अच्छा काम किया तो उसको लगेगा कि अच्छा काम किया तो अगली बार भी मुझे इस जगह मौका मिलेगा।

(डा. (श्रीमती) कमला)

ऐसी कुछ व्यवस्था इसमें संविधान संशोधन के तहत में होनी चाहिए और संविधान में यह भी संशोधन होना जरूरी है कि यह जो हम सरपंच का, प्रधान का और प्रमुख का अलग-अलग चुनाव करवाते हैं, फिर अलग-अलग पंच सरपंचों को, सदस्यों को लेकर बाड़ाबंदी करते हैं और फिर लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो इसका परिणाम यह होता है कि जो पैसे वाले लोग हैं वह आम वोटर को, आम सदस्य को परचेज करने की चेष्टा करते हैं और उसमें वास्तविक रूप में जो व्यक्ति आना चाहिए वह नहीं आ पाता। अब कई बार अपन देख रहे हैं कि आम सदस्य तो एक सोच विशेष के जीतकर आ गये लेकिन जब वह चेयरमैन बना, प्रधान बना, प्रमुख बना तो वह कोई और बन गया क्योंकि वह होर्स ट्रेडिंग हो जाती है, खरीद-फरोख्त हो जाती है।

यह सुझाव करीब पिछले बीस वर्षों से जब माननीय गिरधारी लालजी अध्यक्ष होते थे पी.सी.सी. के, तब से हम लोग इस बात को कहते आए हैं कि आप सरपंचों का और पंचायत समिति सदस्यों का, जिला परिषद् के सदस्यों का तो चाहे अलग से चुनाव करा लें लेकिन सरपंचों, प्रधान और प्रमुख का एक साथ चुनाव करा दीजिए जनरल वोटिंग से, यह अगर आप करा देते हैं तो मैं समझती हूं कि बहुत सारी समस्याएं आपकी हल हो जाती हैं और थोड़ा बहुत आने वाले समय में हमें शिक्षा का भी कुछ स्तर अब कायम करना चाहिए। क्योंकि पिछले इन 55 वर्षों में काफी कुछ शिक्षा का प्रसार हुआ भी है, हमने आज जो शिक्षा आपके द्वार के जरिए से आम बच्चे और बच्ची को स्कूल तक दाखिल करने के लिए भेजा है और कुछ लोगों में खुद में भी जाग्रति आई है, अभी भी जब यह पद आए हैं तो कई लोगों ने अपनी बेटियों को, बहुओं को थोड़ा-बहुत पढ़ा लिखा करके तैयार करने की चेष्टा की है कि आगे चुनाव आएगा तो क्या पता जरूरत पड़ जाए। इसलिए थोड़ा-बहुत शिक्षा का भी इसमें प्रावधान, खास तौर से जो मुखिया हैं सरपंच, प्रधान और प्रमुख उनके लिए हमें आवश्यक रूप से रखना चाहिए जिससे कि जो एक्जीक्यूशन पावर्स उनको दी हुई है उनको वह सफलता से एक्जीक्यूट कर सके।

अन्त में, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी, जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं तीनों स्तर के आपसी समन्वय की, सरपंचों की, प्रधान की और प्रमुख की, अभी कुछ योजनाएं ऐसी चलाई हैं कि जो सीधे भारत सरकार पंचायत को दे रही है। उसका न पंचायत समिति को पता है और न राज्य सरकार को पता है। अब वह किस तरह से उनको एक्जीक्यूट कर रही है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसका उसकी बड़ी बाडी को भी नहीं पता और उसको स्पोंसर करने वाले को भी नहीं पता। इसी तरह से जो पचास प्रतिशत तो पंचायत

(डा. (श्रीमती) कमला)

का, तीस प्रतिशत पंचायत समिति का, बीस प्रतिशत जिला परिषद् का, वह अपने स्तर पर उसको जैसे चाहे वैसे लागू करें, तो यह जो हमने खुला करा है वह भी सही नहीं है क्योंकि उसकी एक पद्धति होनी चाहिए, उसके टेण्डर्स स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, उसकी सारी की सारी प्रक्रिया जो एक काम को करने की होनी चाहिए, वह भी होनी चाहिए, हमने छूट दी है कि इतने हजार तक तो कुछ भी नहीं, न टेण्डर लेने की जरूरत, न एस्टीमेट बनाने की जरूरत, आप चाहे दस हजार का ही पचास हजार का हिसाब बनाकर दे दो, तो वह मोटिवेशन है फोर करप्शन। इस तरह की जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कमी है उनको हमें निकालने की जरूरत है।

इसलिए आज जो भी कुछ खामी है मेरा यह निवेदन है कि आम तौर पर जो सैद्धांतिक सोच हैं, संवैधानिक संशोधन की और आवश्यकता है, विषयों का निर्धारण होना है, वह भी संविधान में संशोधन आवे, चुनाव की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए इसको भी फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। शिक्षा का भी प्रावधान रखा जाए, यह भी सोचने की जरूरत है और एक पंचायतों के पुनर्गठन की अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि जो भी सरकार आती है वह यह कि मुझे यह सूट करेगा इसलिए ऐसा कर दो, मुझे यह सूट करेगा इसलिए ऐसा कर दो। इसलिए पंचायत भौगोलिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से और आम लोगों की सहजता से उठ-बैठ हो सके, इस दृष्टि से और एक स्पेसिफिक पोपुलेशन तक उसको करना चाहिए।

आज, सभापति महोदय, मेरे यहां एक पंचायत है 45 वार्ड की, पच्चीस हजार की पापुलेशन की और उसमें गांव और ढाणियां शामिल कर रखी हैं तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर दूर की, तो हम अगर ऐसी पंचायत बनाएं या ऐसी बनाएं कि पहाड़ के इस तरफ तो पूरी पंचायत है और पहाड़ के परली तरफ एक छोटी सी ढाणी है वह भी इसके अन्दर लगा दी है, या कोई नाला चल रहा है उसके आर-पार कोई गांव जोड़कर रखा है वह लोग वहां आते ही नहीं हैं। इसलिए पंचायतों को, पंचायत समितियों को ज्योग्राफिकली और प्रैक्टिकल फंक्शनिंग के लिए भी सहूलियत के ढंग से और व्यावहारिक ढंग से पुनर्गठित किया जाना भी आवश्यक है और इनके विषयों के बारे में जो आपने कहा कि यह आपने दे दिया, यह कैसे सम्भलेगा, यह तो मत दीजिए अभी।

अब मुझे यह बताइए कि इर्रिगेशन का जे.ईएन. जो विभाग में आज काम कर रहा है उसको अगर पंचायती राज को दे देते हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ गया। उसको उसी तरह से पंचायती राज अपने काम में लेगा जिस तरह हम लोग काम में ले रहे हैं। बल्कि मैं आपसे यह कहना चाह रही हूं, आप भी जानते हैं कि जो आज हमारे

(डा. (श्रीमती) कमला)

कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली संस्थाएं हैं या कंस्ट्रक्शन का नहीं कर रही हैं, दूसरे भी काम कर रही हैं तो आज उनका कितना प्रतिशत तो पहले से तय है कि इतना तो पैसा क्योंकि हमको सुपरविजन करना होता है, हमें वह करना होता है, वह करना होता है इसलिए इतना तो हम अतिरिक्त तय करते ही हैं और उस अतिरिक्त के अलावा फिर कुछ अतिरिक्त हो जाए तो यह भगवान मालिक है। लेकिन वह अतिरिक्त अगर पंचायती राज संस्थाओं में हम न आने दें और उसके मुकाबले में हम खुद सीधा काम करें तो मैंने तो कई पंचायतों में और पंचायत समितियों में देखा, मेरे यहां दोनों पंचायत समितियों में पंचायत समिति ने एस.डी.ओ. के मुख्यालय बनाए हैं और बहुत अच्छे बनाए हैं और उन्हीं अधिकारियों से काम लिया है जो सरकार के अधिकारी थे, उन्हीं से काम लिया है, कोई खुद थोड़े ही बनाता है प्रधान और सरपंच। (व्यवधान) नहीं–नहीं। साहब, एक व्यक्ति की थोड़े बात है। मेरा यह कहने का मतलब है, काम तो वह खुद तो करेगा नहीं, न कोई खुद ठेकेदार लगाएगा, वह भी जो सरकार की मशीनरी आपने उसको दी है उसी के माध्यम से काम कराएंगे लेकिन ये जो इनके परसेंटेज बाकायदा विभागों के बंधे हुए हैं वो उसके अन्दर नहीं लगते हैं तो कम कीमत में अच्छी बिल्डिंग्स बन रही हैं। इसी तरह और काम भी हो सकता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री महोदया, ये प्रधान, जे.ईएन. ये भी सरपंच से परसेंटेज लेते हैं। सबसे पूछ लीजिए सबको मालूम है। ये भी परसेंटेज लेते हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : सुमित्रा जी, वह मैं नहीं कह रही हूं, उस परसेंटेज की बात नहीं कह रही हूं वह परसेटेंज तो है नीयत की खराबी से लेकिन ये तो कायदे–कानून में इनका परसेटेंज है कि इतना तो हम प्रशासनिक खर्च, यह हमारा मानिटरिंग और यह हमारा सुपरविजन और यह फलां उसके निमित्त ले रहे हैं, तो वह जो कर रहे हैं वह तो आदमी की खराबी है। कौन विधायक, कौन एम.पी., कौन मिनिस्टर, कौन सरपंच, कौन प्रधान कैसे क्या आफ दी रिकार्ड कौन–कौन से परसेंटेज ले रहे हैं इसका तो कोई ब्यौरा इस प्रजातंत्र के गिरते हुए हालात में हम कहां–कहां देंगे और कैसे–कैसे देंगे। ये तो मैं नहीं कह सकती लेकिन जो बंधा हुआ कायदे का परसेंटेज है वह तो कम से कम। अब आप हैण्ड पम्प लगा रहे हैं आप पूछिए पी.एच.ई.डी. कितने में हैण्ड पम्प लगा रहा है और वह काम पंचायत समिति उससे बहुत कम पैसे के अन्दर कराती है। इसलिए अगर व्यक्ति सही है तो पंचायती राज के काम करने में सहूलियत भी है, गलती करता है तो वहीं की वहीं लोकल जो लोग हैं वे उसको पकड़ने में सक्षम भी हैं और उसका घेराव करने में भी सक्षम हैं। कहा यहां एक्स.ईएन. को पकड़ेंगे, कहां जे.ईएन. को पकड़ेंगे,

(डा. (श्रीमती) कमला)

कहां मंत्री को पकड़ेंगे, हाथों-हाथ जाकर कहेंगे कि यह तुमने क्या किया और कुछ बस नहीं भी चले तो पहचान तो जाएंगे कि यह क्या चीज है।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आने वाले समय में हमें एक तो जो संवैधानिक किए जाने हैं उनके बारे में वर्क आउट करने के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जानी हैं उनके बारे में भी एक कमेटी बनानी चाहिए जिससे कि हम इस सारे सिस्टम को फूलप्रुफ बना सकें, सहज बना सकें, इसमें किसी प्रकार का भी कोई असंवैधानिक काम नहीं हो सके और किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की व्यवस्थाएं भी इसमें जन्म नहीं ले सकें यह मेरा निवेदन है। मैं समझती हूं कि आज के दिन जब हम इतना लम्बा चल कर प्रजातंत्र में आ चुके हैं, प्रजातंत्र की मूल इकाई नीचे हमारे ये संस्थाएं हैं और रहेंगी, इनके बिना हम अपने इस पूरे वटवृक्ष को खड़ा भी नहीं कर सकते।

इसलिए इसको मान्यता देते हुए इसमें जो कमियां हैं संवैधानिक, प्रशासनिक या व्यावहारिक या ट्रेनिंग की या शिक्षण की इन सबको माकूल ढंग से इंटेंसिव वे में करने की जरूरत है जिससे कि कोई गलती हम न कर पाएं और करें तो ह्यूमन वीकनेस के कारण से जो हो रही है अब उसका तो कोई इलाज नहीं है। आज यू.पी. में, बिहार में ए.के. 47 और मर्डर और गोलियां उनके कारण से चुनाव हो रहे हैं, तो ये प्रजातंत्र को घायल करने वाली कार्यवाहियां हो रही है। लेकिन वो व्यक्तियों पर निर्भर है, वो प्रजातंत्र का दोष थोड़े ही है, व्यवस्था का दोष नहीं है, वो व्यक्तियों का दोष है जिनको समाज अभी कटघरे में पकड़कर ला नहीं सक रहा या हमारा शासन उनको काबू नहीं कर पा रहा है। प्रजातंत्र का, सोच का या सिद्धांतों का कहीं इसमें दोष नहीं है वो तो हमें मानना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया. धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज संस्थाओं नगरपालिकाओं हेतु 73वें-74वें संविधान संशोधनों में सिफारिशों के अनुरूप सशक्तीकरण करने के आधार पर विचारार्थ हेतु जो राजस्थान विधान सभा का सत्र आहूत किया गया है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 73वें-74वें संशोधन में। 11वीं और 12वीं अनुसूची में जो विषय सम्मिलित किए हैं...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय राठौड़ साहब, माननीय मंत्री महोदय सुबह से तैयारी कर रहे हैं पेट में आफरा चढ़ गया। इनसे कुछ बुलवाइए वरना कागज बख्श जाएगा इनके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हम भी विचार जानना चाहते हैं विद्वान रामस्वरूपजी के इसलिए पहले रामस्वरूप जी को बुला दीजिए।

श्री सभापति : आपने इनके विचार तीन साल से सुने हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री के रूप में पहली बार बोलेंगे। रामस्वरूपजी।

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री आर. पी. शर्मा : निश्चित रूप से राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता माननीय।

श्री राजेन्द्र पारीक : रामस्वरूपजी मीणा साहब मंत्री हैं पहले तो आप इनका परिचय करवाइए इसके बाद इनसे बुलवाइए।

श्री आर. पी. शर्मा : पारीक साहब, आप मेहरबानी करें। आप खड़े हुए तो मैं नहीं बोला बिलकुल प्लीज। निश्चित रूप से हमारे जो मुख्य मंत्री हैं उनकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है और यह साबित करता है कि हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामवासियों के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने में दृढ़ संकल्पित है। साथ ही साथ मैं यहां कहना चाहता हूं कि आज जिस विषय पर सदन में बहस चल रही है वह निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने इस पर काफी चर्चा की है, कईयों ने शंका-आशंकाएं जताई हैं इसकी क्रियान्विति के संदर्भ में इसकी सफलता के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी ओब्जक्ट अगर पवित्र है, अच्छा कार्य है तो उसके रिजल्ट भी अच्छे होंगे। आज हम उन ग्रामीण निवासियों के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के बारे में विचार कर रहे हैं जो देश की आजादी के बाद हमको बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंग्लिश में कहते हैं कि Rome was not built in a day. कोई भी चीज एक दिन में पूरी नहीं होती लेकिन अगर हम किसी चीज को लेकर चलते हैं, इच्छा शक्ति हमारी मजबूत है और इरादे हैं पवित्र तो वह काम हमारा निश्चित रूप से उस पवित्रता की ऊंचाइयों को छुएगा। यह कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में पंचायती राज की जड़ें बहुत गहरी थीं। हम अपने ग्रन्थों को देखें। हम बौद्धकाल मौर्यकाल, चन्द्रगुप्त काल, मध्य काल और ब्रिटिश कालों को भी देखें तो सभी ने माना है कि गांव को छोटी शासकीय इकाई के रूप में सबने जाना है, पहचाना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त आजादी के जननायक महात्मा गांधी जी ने कहा था कि—''भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक गांव स्वतंत्र नहीं

(श्री आर. पी. शर्मा)

होते भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकती।" उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा था कि "स्वतंत्रता नीचे के स्तर से प्रारम्भ होती है।" यानी ग्राम स्तर से स्वतंत्रता प्रारम्भ हो और हर गांव पूर्ण शक्तिमान पंचायत गणतंत्र का स्वरूप ग्रहण कर सके यह उनकी इच्छा थी। उन्होंने यह भी कहा था कि केन्द्र में बीस निर्वाचत व्यक्तियों के बैठने से जनतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता इसकी सफलता के लिए हमें हर गांव को जोड़ना होगा। इससे स्पष्ट जाहिर है कि जब तक गांव स्वावलम्बी नहीं होंगे भारत का विकास सम्भव नहीं हो सकता। गांवों को स्वावलम्बी बनाने के लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों का गठन करके इनको सुदृढ़ करना क्योंकि दिल्ली और प्रदेश की राजधानियों में बैठे हुए लोगों को ग्राम की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इसलिए भारत के संविधान में डा. भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी अनुच्छेद 44 में यह अपेक्षा की है कि–"राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के कदम उठायेगा तथा उन्हें ऐसी शक्ति तथा अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन के रूप में कार्य करने योग्य बनाने में सहायक हो।"

मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों के पीछे जो मेरा सारांश है वो है कि जिस तरह से प्रजातंत्र में पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट का गठन होता है, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक प्रणालियों का गठन करें। इसीलिए इस सन्दर्भ में हमारी भारत सरकार ने देश की आजादी के बाद चिन्तन और मंथन करने के बाद 1957 में एक बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया था। और बलवंतराय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1959 में दी। अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने तीन महत्त्वपूर्ण बातें कही थीं, पहली, विकास सम्बन्धी सभी कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपे जाएं। दूसरी, कही थी कि जिला स्तर पर त्रि-स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो जिसमें कि सरपंच, पंचायत समिति और जिला प्रमुख बने। उनका किस तरह से यह हो वो सब मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता। इसके साथ ही यह कहा था कि सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए जाएं। उसी व्यवस्था के तहत हम सौभाग्यशाली हैं, हमारा राजस्थान सौभाग्यशाली है कि बलवंत राव मेहता कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद राजस्थान ने सबसे पहले पहल की पूरे हिन्दुस्तान में पंचायती राज की स्थापना हेतु और माननीय पण्डित जवाहर लाल नेहरूजी, जो तत्कालीन प्रधान मंत्री थे उन्होंने नागौर में 2 अक्टूबर, 1959 को दीप प्रज्जवलित कर के पंचायती राज की स्थापना की।

मैं इस मौके पर पण्डित जवाहर लालजी नेहरू का वह भाषण सुनाना चाहता हूं। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में दीप

(श्री आर. पी. शर्मा)

प्रज्जवलित कर राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज का श्रीगणेश किया। तब पण्डित नेहरू ने अपने ऐतिहासिक उद्घोषणा में देशवासियों को सावचेत करते हुए ठीक ही कहा था कि "याद रखो यह ऐतिहासिक कदम है। जैसे–जैसे कदम उठे अंग्रेजी राज खतम होकर यहां स्वराज आया, रजवाड़े अलग हुए, वह भी जनता के राज में शरीक हुए, जागीरदारी प्रथा का अंत हुआ। एक–एक कदम है, देखिए जिसमें हल्के हल्के राज का काम और राज की शक्ति फैलती जाती है। अब सारी जनता के हाथों में बागडोर आ गई है। पहले दो चीजें थीं राजा और प्रजा, अब वह दो चीजें नहीं रहीं क्योंकि राजा भी प्रजा हो गया है और प्रजा भी राजा हो गई है। स्थानीय विकास में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप और स्थानीय कार्यों में नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी ही इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है।"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों के बाद हमारी सरकार ने किस तरह से सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, पंचायती राज को मजबूत किया जाए, इसके बाबत भी हमने समय समय पर विभिन्न कमेटियों का गठन किया है। जिसमें सबसे पहले सादिक अली कमेटी 1964 में गठित की गई। जिसने पंचायती राज के विकास हेतु साधनों की बहुत बड़ी कमी बताई। साथ ही साथ हर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक का होना भी जरूरी बताया। इसके बाद गिरधारीलालजी व्यास कमेटी 1973 में गठित की गई। इसके बाद श्री अशोक मेहता कमेटी 1977 में गठित हुई। इसके बाद जी.वी.के. राव कमेटी 1985 में गठित की गई। इसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी 1986 में, सकारिया कमेटी, पी.के. थुंगन कमेटी, हरलाल सिंह खर्रा कमेटी गठित की गई। इन सब कमेटियों की एक ही विचारधारा थी कि पंचायती राज को सफल बनाना है, तो आर्थिक दृष्टि से जो पंचायती राज पंगु होता था उसको हमें आर्थिक सहायता देना बहुत जरूरी है और, प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से भी हमें उनको प्रोपर स्टाफ देना बहुत जरूरी है।

मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो महत्त्वपूर्ण बात मैंने कही कि पंचायती राज किस तरह से सफल हो उसके लिए अगर भारत में सबसे महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम जिसने उठाया, इस पर एक ठोस कार्यक्रम करने के लिये योजना बनाई, मैं आज इस मौके पर याद करना चाहूंगा स्वर्गीय राजीव गांधी को जिन्होंने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए एक पहल की, एक ऐतिहासिक फैसला किया और उन्होंने इस बात को समझा कि हम निश्चित रूप से पंचायती राज का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं पंचायती राज को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में हमको इस बात के लिये फैसले लेने होंगे कि पंचायती

(श्री आर. पी. शर्मा)

राज का चुनाव निश्चित समय पर हो, पंचायती राज के चुनाव की निश्चित सीमा हो और पंचायती राज के चुनाव में शोषित, पीड़ित एस.सी., एस.टी. और महिलाओं को आरक्षण मिले। यह एक ऐसा महत्त्वपूर्ण फैसला स्वर्गीय राजीव गांधी ने लिया।

जैसा मैंने कहा कि यह भारत के और हिन्दुस्तान के विकास के लिये ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। मैं आज फख्र के साथ कह सकता हूं, हमारे यहां 1993 से लेकर केवल दो चुनाव हुए हैं। जिस तरह से महिलाओं में पंचातयी राज के लिये जागरूकता आई है, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों में जिस तरह से जागरूकता आई है पंचायती राज में और सत्ता में भागीदार बनने के लिये, मैं यह कह सकता हूं कि आगे आने वाला भविष्य इस बात का साक्षी होगा कि बहुत बड़ी एक शक्ति जनप्रतिनिधियों की उभर कर आएगी जो ग्रामीण क्षेत्र की भावनाओं को समझ कर ग्रामीण विकास में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

आज हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वर्गीय राजीव गांधी की भावना के अनुरूप 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो पेश हुए उनमें 11वीं और 12वीं शिड्यूल्ड है उसमें 73वें में 29 विषय और 74वें में 18 विषय सम्मिलित करने के लिये जो सिफारिश की गई थी उन सिफारिशों को मानने के लिये मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं, राजस्थान के समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आभार प्रकट चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत साहब ने इस बात के लिये पहल की कि हम कटिबद्ध हैं ग्रामीण विकास के लिये और हमारे जो 29 और 18 विषय थे पंचायती राज में शामिल करने के लिये उसमें कामयाब होने के लिये हम क्या कदम उठाए उस कदम के लिये पंचायती राज सम्मेलन बुलाया गया है।

मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मुख्य मंत्रीजी का यह कदम भी राजस्थान को आगे आने वाले समय में जनता के लिये, ग्रामीणवासियों के लिये एक बहुत महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस सम्मेलन से पहले राजस्थान सरकार ने न केवल विभिन्न राज्य स्तरीय कमेटियों का गठन किया, प्रशासनिक सुधार आयोग से रिपोर्ट ली, तृतीय वित्त आयोग की रिपोर्ट ली, स्टेट टास्क फोर्स गठित की गई और उसके बाद जो महत्त्वपूर्ण काम किया गया पंचायती राज प्रतिनिधियों की कार्यशाला, जिसमें जिला प्रमुख और सी.ई.ओ. की मीटिंग हुई। जिसमें प्रधान और बी.डी.ओज. बुलाये गए, जिसमें सरपंच और सैक्रेटरी बुलाए गए, जिसमें पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य बुलाये गए। उन सबकी बात सुनकर हमारी सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि संविधान की मंशा के अनुरूप जो बात हमें करनी चाहिए उनको करने के लिए हमें ठोस काम करना है। उसके बाद हमारे एम.एल.एज.

(श्री आर. पी. शर्मा)

की मीटिंग लेकर, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय अशोकजी गहलोत ने इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने का जो काम किया है यह हमारे लिये सराहनीय विषय है।

पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अभी मेरे साथियों ने बहुत कुछ कहा है। आज हम विधायकों के सामने एक बहुत बड़ी जो शंका है उसके लिये अभी माननीया कमलाजी ने बताया था कि जो चुनाव होते हैं उन चुनावों की जो पहले प्रक्रिया थी, जो बलवंत राय मेहता जी के समय था उसमें जो परिवर्तन किया गया निश्चित रूप से वह परिवर्तन हमारे लिये बहुत दुखदायी है। मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता है उसी तरह से प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव भी डायरेक्ट होना चाहिये। इसके लिये चाहे हमें संविधान में संशोधन करना पड़े। इसके लिये हमारी विधान सभा से प्रस्ताव जाना चाहिए और संविधान में संशोधन करने के लिये हमें एक ताकत लगवानी चाहिए। (व्यवधान)

दूसरा, वर्तमान चुनाव प्रणाली के बारे में मैंने बताया इसमें एक सबसे बड़ी कमी है कि इलेक्शन बाई रोटेशन हो गया है। उसमें एस.सी., एस.टी. और महिलाओं का आरक्षण होने के बाद किसी भी पंचायती राज संस्था के चुने हुए प्रतिनिधि को यही नहीं पता कि अगली बार वह इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने में सक्षम होगा या नहीं होगा। उसकी वजह से हमारे जनप्रतिनिधि के मन में कुंठा रहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इलेक्शन बाई रोटेशन है इसमें कोई परिवर्तन निश्चित रूप से किया जाए।

तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में मैं बिलकुल खुल कर बात करना चाहता हूं जिस तरह से आज विधायक और पार्लियामेंट मेम्बर है वह पालिसी मेकिंग और प्लानिंग का काम करता है, एग्जीक्यूशन का काम करने के लिये हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है लेकिन पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच को पालिसी और प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन का जो काम दिया गया है, मैं कह सकता हूं कि वह निश्चित रूप से गलत है। पालिसी और प्लानिंग का काम सरपंच करे लेकिन एग्जीक्यूशन का काम जो हमारी पंचायत समिति के, ग्राम पंचायत के कर्मचारी है उन पर ही छोड़ा जाए। मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि आज जो सरपंच है उनको लोग ठेकेदार के नाम से पुकारते हैं। सरपंच तो ठेकेदार बन गया है। वह बी.डी.ओ. से, प्रधान से और जे.ईएन. से एक तरह से डरा हुआ रहता है। उसको आज अपनी अहमियत का पता नहीं है कि मैं सरपंच हूं, वह उनसे डरा हुआ रहता है। लिहाजा मैं चाहूंगा कि सरपंचों के चैक पर जो दस्तख्त होते है उससे और एग्जीक्यूशन के काम से सरपंच को बिलकुल दूर रखा जाए जिससे कि प्रजातन्त्र में चुने हुए प्रतिनिधि का सम्मान हो।

(श्री आर. पी. शर्मा)

मैं इसके साथ-साथ निवेदन करना चाहूंगा पंचायती राज संस्थाओं के लिये हम आज जिन विभागों का ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें पंचायती राज संस्था का सर्विस कैडर अलग बनाना बहुत जरूरी है और जैसा कि कल जोशीजी कह रहे थे यह बिलकुल सही बात है। आज एक्सक्लूसिव सर्विस के अलावा हमें इनक्लूसिव सर्विस की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को हर काम आना जरूरी है। इस तरह का कैडर डवलप करें जिससे कि पंचायत में जो व्यक्ति सर्विस कर रहा है वह पंचायत के हर क्षेत्र में सेवाभावी होकर सेवक का काम कर सके।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा नहीं बोलते हुए अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम वास्तविक रूप में समस्त प्रदेश, ग्रामवासी, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनका सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो वास्तविक रूप में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से हम सभी राजनेताओं तथा नौकरशाहों को अपनी सोच, इच्छाशक्ति जाहिर करनी होगी। पंचायती राज संस्थानों के सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तीकरण के मार्ग में मार्गदर्शक और सहायक बनना होगा क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का मतलब पूजनीय महात्मा गांधी और पूजनीय राजीव गांधी के सपनों को मजबूत करना तथा प्रदेश के समस्त ग्रामवासियों की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे समय दिया, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री सांवर लाल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और संविधान संशोधन भावनानुरूप उनके सशक्तीकरण के उपायों पर विचार

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, हमें बड़ा दुख हुआ कि जब यह विधान सभा का नियमित सत्र छह महीने में बुलाना जरूरी है और राजस्थान की जनता लगभग 41,000 गांव, मगरे, ढाणी सब अकाल से पीड़ित हैं, अकाल पर प्राथमिकता से चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा न करके राजस्थान की जनता जो आज भूखी, प्यासी, जानवर मर रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था

(श्री सांवरलाल)

नहीं है उन सबका ध्यान हटाने के लिए राजस्थान की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और 73वें, 74 वें सविधान संशोधन की मूल भावना के अनुरूप उनके सशक्तीकरण के उपायों पर विचारार्थ 26.8.2002 से प्रारम्भ होने वाले विधान सभा के विशेष सत्र हेतु सन्दर्भ सामग्री हमको पकड़ा दी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर आपको विशेष सत्र बुलाना था तो आप पहले भी बुला सकते थे। आपने सत्र बुलाकर यह पुस्तक हमको पकड़ाई, विधान सभा का काम कोई यह वर्क शॉप करने का है? अगर इस सरकार को चिंता होती तो आप बिल लेकर आते और उस बिल में आप क्या देना चाहते हैं स्पष्ट होता। आपने कईं सेमीनार्स करवाई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न पंचायत समितियों के सदस्यों, जिला प्रमुखों, विकास अधिकारियों, ग्राम सेवकों, सरपंचों को आपने बुलाया, बुलाने के ऊपर आपने कितना खर्चा किया? इस सम्बन्ध में जो सुझाव उनसे आए उनमें से आपने कौनसे सुझाव इसके अन्दर इनक्लूड किए, इसमें एक भी सुझाव इनक्लूड नहीं किया। कोई सामान्य प्रवृत्ति के होंगे।

सभापति महोदय, पंचायतों को अधिकार दें यह तो महात्मा गांधी का भी सपना था और चौधरी चरण सिंहजी ने भी पहले ही कहा था कि हिन्दुस्तान के विकास का रास्ता गांव और खलिहानों से होकर गुजरता है। गांव अगर समृद्ध होंगे, गांव में अगर सत्ता होगी, उनको अपना निर्णय लेने का अधिकार होगा, अगर उनकी भागीदारी निर्णयों में होगी तो गांव का कल्याण होगा तो निश्चित रूप से भारत का कल्याण होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज जानना चाहता हूं, आप यह नई–नई बातें तो देना चाह रहे हो पर आपको जानकारी है क्या 1994 का कानून है, 1996 के नियम हैं उन कानूनों और नियमों की पालना राजस्थान में आपके अधिकारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे, तो आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की या नहीं की? जो आज तक कानून में प्रावधान है उन कानूनों की पालना नहीं करने वालों को मंत्रीजी जरा गम्भीरता से लीजिए। केवल अधिकार देकर यहां पर सारे सदस्यों की सहमति से आप कोई भी बिल लाकर पास करवा लेंगे उससे भला होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, कानून है और उस कानून की पालना नहीं होती उस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं, उसको आपको आर्डिनेंस में स्पष्ट देना पड़ेगा।

आज आपका कानून है कि पंचायत समिति के प्रधान के अनुमोदन से प्रधान की जानकारी से, स्टैंडिंग कमेटी की जानकारी से काम कांज होंगे। उनके ट्रांसफर, अगर किसी कर्मचारी का पंचायत समिति में है तो उनकी जानकारी में लाने के बाद ही किया जा सकता है, अनुमोदन से किया जा

(श्री सांवर लाल)

सकता है, पर आपके विकास अधिकारी कर रहे हैं, आपके सी.ओ. कर रहे हैं। अब आप यह कहो कि बी.जे.पी. के जहां प्रधान हैं वहां पर आपने यही कानून बना रखा है, ऐसे अधिकारियों को प्रोटेक्ट करने का मन अगर बना रखा है, तो मैं निहित रूप से कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान की जनता के साथ जो धोखेबाजी कर रहे हो, यह कतई उचित नहीं है। आपका इस प्रकार का बिल लाने का कोई औचित्य नहीं है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात आई है क्या कि किसी प्रधान की अवेहलना हो रही है; कोई प्रधान गाड़ी मांगता है, तो नहीं देता है? भारतीय जनता पार्टी का, जनता दल का प्रधान है, तो उसकी सुनवाई नहीं होती। आप यह चाहते हैं कि हमारा राज आए तो आपको प्रधान और प्रमुख के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो? वास्तव में आप चाहते हैं जनप्रतिनिधि को सशक्त बने, वह बाडी अगर सशक्त बने तो आपका दृष्टिकोण एक होना चाहिए। प्रधान चाहे किसी पार्टी से हो, सरपंच चाहे किसी पार्टी से हो, समान प्रकार का व्यवहार करने का अगर आपका मन है, तो निश्चित रूप से मैं समझूंगा कि आपका उद्देश्य ठीक है और आप वास्तव में जनता का भला करने का मन रखते हैं।

अब कह रहे हैं हम विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं मंत्रीजी आदेश दे रहे हैं ग्राम सभा 15 अगस्त को होगी, ग्राम सभा फलां तारीख को होगी। ग्राम सभा बुलाने का अधिकार भी आप ग्राम पंचायत को नहीं देना चाहते। यह अधिकार भी आप अपने पास से डायरेक्ट कर रहे हैं। आज राजस्थान में पहली बार हुआ है जब से यह सरकार बनी है। माननीय मंत्रीजी चले गए, मुझे लगता है उनको ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि का पता नहीं होगा इसलिए दफ्तर में बैठकर आदेश जारी कर देते हैं। एक ही दिन में ग्राम सभाएं होंगी। अब आपके पास अधिकारी नहीं, आपके पास कर्मचारी नहीं, वह एक ही दिन में कहां-कहां जाएंगे। जिस स्तर का अधिकारी ग्राम सभा में जाएगा उसको वॉच करेगा कोरम है कि नहीं, लोग-बाग आए कि नहीं आए। फर्जीवाड़ा ग्राम सभाओं में होने का मुख्य कारण यही रहा कि इस राज के आने के बाद में एक ही तारीख मंत्रीजी के फोटो के साथ छपा दी। वार्ड सभाएं होंगी, अब ग्राम पंचायतों के पास फण्ड नहीं है, और कह रहे हो वार्ड का विकास कराएंगे। इसलिए मंत्रीजी मेरा निवेदन यह है कि निर्णय आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए।

आप बिजली विभाग दे रहे हैं, आप ग्राम सेवक दे रहे हैं, आप सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम भी उनको दे रहे हैं, पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट के काम भी दे रहे हैं, आप सब दे दीजिए। आज की हालत में भी यह जरूरी है कि पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठकें होती हैं उन बैठकों

(श्री सांवर लाल)

के अन्दर उस स्तर के अधिकारी को जाना पड़ता है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने विधान सभा में प्रश्न किया, जिसमें मैंने पूछा कि कौन-कौनसी पंचायत समितियों की अजमेर जिले की बैठकों में सम्बन्धित वांछित अधिकारी आने चाहिए और कौन-कौनसे नहीं आए? उस समय मंत्रीजी जवाब आया कि यह-यह स्तर के अधिकारी आने चाहिए और यह नहीं आए। कार्यवाही करने का अधिकार कलक्टर के पास है। अगर इस प्रकार आपकी जानकारी में आने के बाद आप देखते रहोगे, एक्शन नहीं लोगे, अधिकारियों को पांबन्द नहीं करोगे तो पंचायती राज की कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी आप अधिकार दे रहे हैं उन अधिकारों के ऊपर वॉच भी आपकी होनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक रोटेशनल सिस्टम वाला रिजर्वेशन है। पहले से ही पता हो जाता है कि इस बार तो यह एस.टी. की होगी, एस.सी. की होगी, यह महिला की होगी और अगली बार चेंज हो जाएगी, इससे लोगों के काम करने की जवाबदेही कम हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि रिजर्वेशन तो कायम रहना चाहिए पर यह पता नहीं रहना चाहिए कि कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। अगर हर साल भी आप रोटेशन करें तो कानून इस प्रकार का नहीं बनाए कि समय से पहले ही जब बनता है तब ही मालूम पड़ जाए कि अगली बार आपका नम्बर आएगा कि नहीं आएगा। बड़ी अनिश्चित स्थिति होती है, तो इस कारण से वह काम में मन लगाते हैं और लोगों के प्रति जिस प्रकार की जवाबदेही निभानी चाहिए वह नहीं, अगर आपके एम.एल.ए., एम.पी. का रिजर्वेशन यह हो जाए कि अगली बार आप यहां से नहीं लड़ेंगे, तो आपकी हालत भी यही हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कालम के ऊपर हमको सोचना चाहिए कि निश्चित रूप से पहले से ही यह चीजें जानकारी में नहीं हों।

अब आप सशक्तीकरण की बात कर रहे हो, चार साल हो गये, आपका यह घोषणा पत्र है। अब आपको जब चुनाव आए तब मालूम पड़ा। यह भी आरर्डिनेंस आप लाओगे कि नहीं पर भैरोंसिंहजी शेखावत ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। ग्रामीण महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। एस.सी., एस.टी. का रिजर्वेशन किया, ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन किया और आपको मालूम होना चाहिए गांव की महिलाएं पढ़ी-लिखी नहीं हैं। पढ़ी-लिखी नहीं होने से आपके जमाने का कानून बना हुआ था कि आपका कोई वह ही बनना चाहिए सरपंच, क्योंकि आपके चेले-चपाटी पढ़े लिखे थे, तो आपने कानून बना रखा था जो किताब पढ़ेगा वह ही सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। भैरोंसिंहजी ने कानून बदला।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : यह सब कानून तो भैरोंसिंह जी ने बनाया। यह रोटेशन वाली बात आप जो कर रहे हैं यह कानून किसने बनाया? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह हमने बनाया। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : फिर?

श्री सांवर लाल : हमने, भैरोंसिंहजी ने बनाया, इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा अनुभव आ गया अब आप इसको बदल दीजिए और फिर भी नहीं बदलो तो मत बदलो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मान्यवर, न आप बदल सकते हैं, न हम बदल सकते हैं। यह 73वें अमेंडमेंट की देन है, उसमें तय किया हुआ है। (व्यवधान) महिलाओं का अनुसूचित जाति/जनजाति का और यह सेंट्रल गवर्नमेंट ही बदल सकती है।

श्री मानिक चन्द सुराना : सक्रिय प्रणाली का प्रावधान भी संविधान में है। (व्यवधान) संविधान के निर्देश पर ही वह कानून बनाए।

श्री सांवर लाल : मुझे बड़ा दुःख है, आप एडवोकेट रहे हुए हैं, संविधान में यह

(18.00 बजे)

लिखा हुआ है कि यह रोटेशन से रिजर्वेशन होगा, नहीं लिखा। रिजर्वेशन होगा एस.सी., एस.टी. और महिलाओं का...

श्री हरिसिंह (महुवा) : देखिए, चक्रानुक्रम से 73वें में...

श्री सांवर लाल : हां, तो चक्र, यह नहीं लिखा हुआ कि हर बार चक्र होगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां, यह लिखा हुआ है।

श्री सांवर लाल : यह नहीं लिखा हुआ है, आप पढ़ना ढंग से।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मान्यवर, आप करेक्ट कर लें, आपके पीछे विद्वान वकील बैठे हैं, हाई कोर्ट के, उनसे पूछ लें।

डा. महेश जोशी : प्रतिपक्ष के माननीय नेता से पूछ लें आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रतिपक्ष के नेता से पूछ लें आप।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, एक चक्कर 15 साल का भी हो सकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इसे लागू भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संविधान के संशोधन के अनुरूप राजस्थान पंचायती राज कानून में संशोधन करके भैरोंसिंहजी ने लागू किया।

डा. महेश जोशी : यही हम कह रहे हैं, समझ जाओ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : किया है।

श्री सांवर लाल : यही हम कह रहे हैं और आप ढंग से पढ़ लेना, आपने अगर पढ़ने में कमी रखी हो तो। (व्यवधान) चक्रीय व्यवस्था होगी, पर हर वर्ष चक्रीय होगी, हर चुनाव में, यह नहीं लिखा हुआ है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संविधान के अन्दर यह संशोधन हुआ और पंचायती राज को कानूनी दर्जा दिया, प्रोटेक्शन दिया गया तभी तो किया है यह।

श्री सांवर लाल : भैरोंसिंहजी ने किया है।

श्री महेश जोशी : यह नाम बार बार... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह नाम आप ही लेंगे ज्यादा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 73वें, 74वें संविधान संशोधन को नरसिंह रावजी लेकर आए थे और उसके बाद भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार ने पंचायती राज कानून में संशोधन करके उन प्रावधानों को लागू किया। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : कांग्रेस की सरकार लेकर आयी थी, यह बोलिए आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सैक्शन 15 पढ़ लें आप, पंचायती राज कानून का सैक्शन 15 पढ़ लो।

श्री सांवर लाल : आप कह रहे हो, उनका नाम नहीं होना, राजीवजी का।

श्री मदन दिलावर : राजीव गांधी का कोई लेना-देना नहीं था। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मदन दिलावर साहब, अपनी सीट से बोलिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : एक्चुअली में बात क्या है जो श्रेय आपको सम्माननीय भैरोंसिंहजी को देना चाहिए वह तो आप दे नहीं रहे हैं। यह तो संविधान के 73वें संशोधन में है लेकिन उसमें पिछड़े वर्ग के लिए डिस्क्रिशन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है, राजस्थान में पिछले वर्ग को 15 प्रतिशत आरक्षण देने का श्रेय भैरोंसिंहजी को जाता है। हम स्वीकार करते हैं। यह स्वीकार करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को आरक्षण 73वें अमेंडमेंट में दिया गया है और वह चक्रानुक्रम से होगा। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसकी भावना के अनुरूप पंचायती राज एक्ट में यह व्यवस्था की गयी थी।

श्री सांवर लाल : आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप चालू रखें।

श्री सांवर लाल : मैं तो बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, अब इनको तकलीफ हो रही है अगर सारी ही श्रेय माननीय भैरोंसिंहजी को दे दो आप रिजर्वेशन का...(व्यवधान) तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? बार-बार खड़े हो रहे हो। आपसे ज्यादा काम्पीटेंट मिनिस्टर हैं। अगर आप होते, तो इनकी जगह आपको बैठा देते गहलोत साहब।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जारी रखें। इन्होंने तो स्वीकार ही किया है। माननीय भैरोंसिंहजी ने किया पर उन्होंने किया संविधान संशोधन आने के बाद।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मिनिस्टर बनना काम्पीटेंसी का कोई प्रतीक नहीं है।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अब इनकी मंशा क्या है, भगवान जाने। पहले तो इन्होंने 13 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराए। अब तक इन्होंने सहकारिता के चुनाव नहीं कराए। हर साल प्रशासक लगाते हैं, कार्यकाल बढ़ाते हैं। कृषि मण्डियों के चुनाव नहीं कराते हैं। अब ये किस को मजबूत करना चाह रहे हैं, यह तो ये खुद जानें। जनता को भ्रमित करने के अलावा इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया और हर जगह इन्होंने भ्रमित किया। यह जो घोषणा पत्र पकड़ाया। यह आखिरी, चुनाव का समय आ रहा है उस समय इस तरह की एक पुस्तक लेकर आए हैं, बिल लेकर नहीं आए हैं। इसलिए हमको नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप वास्तव में अधिकार देना चाहते हैं तो आपको उन्हें फाइनेंशल पावर्स देने पड़ेंगे। राज्य सरकार आबंटन करें, वह राशि वहां पहुंचे और तब तक वे आपकी तरफ देखते रहें। आपकी सरकार ने अभी जैसे नगरपालिकाओं की 130 करोड़ की राशि काट दी। हमेशा, अगर उनको मोहताज रखना चाहते हैं तो यह कतई उचित नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जैसे आबकारी के ठेके होते हैं, राज्य स्तर पर आप ठेके करवाते हो। आप पंचायत समिति स्तर पर दे दीजिए। ग्राम पंचायत स्तर पर ठेकेदार बना दीजिए। कम से कम आपके बड़े-बड़े गिरोह के ठेकेदार बने हुए हैं, जिनको आप कहते हैं कि यह बड़ा माफिया ग्रुप हो गया है उससे ऊपर अंकुश लगाने के लिए आप जिला स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर या आप यह पंचायत स्तर पर ठेके करवाइए, उनकी आमदनी का सोर्स भी हो जाएगा।

और एक डिसेंट्रलाइजेशन, आप रोजगार लोगों को दे नहीं सकते हैं। रोजगार नहीं दे सकते हैं तो यह व्यवस्था अगर लागू करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रकार के काम में भागीदार बनेंगे तो कुछ आमदनी होगी पंचायत की और पंचायत अपना काम चला सकेगी।

अब आपने सारी चीज देने के बाद भी अधिकार तो सारे आपके पास ले लिए। आपने यह स्थानान्तरण का अधिकार सारा ले लिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कहां ले लिया

श्री सांवर लाल : यह देखो ना। आप पढ़ो न, किताब में तो ले लिया। आर्डिनेंस लाओगे तब अलग बात है। अभी तो यह सुझाव हमसे ले रहे हो। इसमें लिखा है जिले के भीतर, जिले के अन्दर जिला स्थानान्तरण का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग में निहित होगा। और इसी का दुरुपयोग करते हुए आपके जो गांव में रहने वाले छुट-भैया नेता हैं वह अधिकारियों पर दवाब डालकर गलत-सलत काम करवाते हैं। आप जिस मंशा से यह कानून बनाते हो उसकी पालना कराने में वे अड़चन पैदा करते हैं। जहां भी रूलिंग पार्टी के अलावा दूसरा कोई भी प्रधान, कोई भी सरपंच या कोई भी प्रमुख होता है, वहां पर उसको कहता है कि तेरे को रहना है कि नहीं रहना है। अब रहने, नहीं रहने की तलवार आपने लटका दी तो आपका यह कानून कहीं काम नहीं करेगा। कानून काम नहीं करेगा फिर यहां हमारी मुहर लगाकर के राजस्थान विधान सभा से कानून पास करवाओगे, वह कानून भी उचित नहीं होगा। इसलिए आप बिल लाओ, उससे पहले मंत्री महोदय, हमारा निवेदन यही है कि अगर आपकी मंशा वास्तव में ग्राम पंचायतों को, पंचायती राज को अधिकार देने की है, इस प्रकार के अधिकार मत दो जैसे जिला प्रमुख को कुर्सी पर बैठा दिया डी.आर.डी.ए. में। आपने कहा था हमने घोषणा पत्र में दिया है कि हम उसको अध्यक्ष बनाएंगे। किस प्रकार का अध्यक्ष बनाया। केवल वहां कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके पास कलक्टर आते ही वह कुर्सी आगे-पीछे खिसकानी पड़ती है उनको। क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं हैं। सारे अधिकार जिला कलक्टर के पास हैं। इसलिए अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो वास्तव में दीजिए। आपकी मंशा अगर सही है, तो उसी प्रकार से आप बिल लाइए और बिल लाने के बाद ही चर्चा कीजिए। आपने यह दो दिन का जो समय है, यह समय जाया किया। आपने तो एक वर्कशाप टाइप यह किताब पकड़ा दी। माननीय, कोई बिल आता है, उस बिल में आपकी मंशा का पता चलता है। आप क्या-क्या देना चाहते हैं, किस प्रकार देना चाहते हैं उसके ऊपर चर्चा होती उसमें कोई अमेण्डमेंट होते तब तो यहां की चर्चा आपकी सार्थक होती। आपने तो जैसे उस पंचायती राज संस्थाओं के अन्दर सरपंचों को और उनको बुलाकर किया वैसे ही एम.एल.ए. को लाकर यहां पर कर दिया। आप यह समझ रहे हैं जैसे राजस्थान की जनता आपकी मंशा को नहीं समझ रही है। वह जान रही है कि आपने अकाल से ध्यान हटाने के लिये केवल एक चर्चा रखी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय, आप बोल रहे हैं, इसको जाया मान रहे हैं क्या? आप जो बोल रहे हैं इसको जाया मान रहे हैं क्या?

श्री सांवर लाल : मेरे को जाया मत मानो और मैं कह रहा हूं, जो सही मानो। आप जाया कर रहे हो सारा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके बहुमूल्य सुझाव आ रहे हैं। (व्यवधान) भविष्य में पंचायती राज संस्थाएं भविष्य में कैसे सबल बनायी जाएं, आपके इस पर अमूल्य सुझाव आ रहे हैं। यह जाया नहीं किया गया है। आपके अमूल्य सुझाव लाने के लिये यह सत्र बुलाया गया है।

श्री सांवर लाल : अच्छा, बहुत चिन्ता है। मैं यही तो कह रहा हूं न आपने जिन सरपंचों को बुलाया, जिन प्रधानों को बुलाया, जिन जिला प्रमुखों को बुलाया उनके सुझाव इसमें हैं। उन सुझावों के ऊपर ही आपने कोई चर्चा नहीं की। अगर चर्चा करनी ही थी तो आपकी मंत्रिमण्डलीय कमेटी बनायी उस कमेटी की पूरी की पूरी रिपोर्ट हमको पेश करते कि उस कमेटी ने क्या किया। उसने केवल रिकमंडेशन दे दी। आप लोगों ने ओरिजनल रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं जो गलत है। मैं यह कह रहा हूं कि आपने राजस्थान की जनता का इस अकाल की गम्भीर समस्या से ध्यान हटाने के लिये, क्योंकि आपकी मंशा इस पंचायती राज को अधिकार देने की नहीं है और इस अकाल से ध्यान हटाने के लिये...अगर मंशा होती तो बिल लेकर आते। कोई तथ्यात्मक बात कहते। आपने तो यह किताब लाकर हमको पकड़ा दी। यह किताब तो कानून बन नहीं सकती है। इसलिए उस जनता को आज चारे की, पानी की, रोजगार की आवश्यकता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : गलत बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : वह नहीं करके आप यह किताब लाये। अगर इसमें भी बिल होता तो निश्चित रूप से हम कहते कि राजस्थान की सरकार को पंचायती राज को मजबूत करने की चिन्ता है।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : जब आप अकाल राहत मंत्री थे तो आपने कितने जिलों का दौरा किया था। आप इतने बड़े चिन्तक हैं किसानों के, कितने जिलों का दौरा किया था, वह भी विवरण बता दीजिए।

श्री सांवर लाल : आपके जिले का तो किया ही था, झौंपड़ियां उड़ी थीं जब। आपको पता होगा और कुछ देकर ही आए। आपके तो मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी खाली जेब ही घूम रहे हैं राजस्थान में। जहां भी जाते हैं जनता के लिये कोई काम की बात नहीं कर सकते हैं। आपने जो स्कूल खोलें हैं उसमें आपके मास्टर नहीं लगेंगे 3 साल तक।

श्री हीरालाल विश्नोई : आपने क्या किया था, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं।

श्री सांवर लाल : आप मास्टर भी नहीं लगा पाएंगे।

इसलिए, प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है किसानों को तत्काल सहायता दी जाती है। सहायता विभाग भी देता है। पंचायत समिति और जिला परिषदों

(श्री सांवर लाल)

को भी कुछ अधिकार हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं अगर आप रिसोर्सेज पंचायत लेवल पर, पंचायत समिति, जिला परिषद् लेवल पर जनरेट करने का अधिकार नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा से सामना करने के लिये लोगों को तत्काल सहायता मुहैय्या कराने के लिये पर्याप्त धनराशि पंचायत समिति और जिला परिषदों को अपने बजट से यहां से उपलब्ध करानी थी। या तो आप उनको वहां पर रिसोर्सेज जनरेट करने के लिये अधिकार दीजिए। बाकी यहां से दीजिए। लोगों के अचानक आग लग जाती है। खलिहान नष्ट हो जाता है, चारा नष्ट हो जाता है, मकान नष्ट हो जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है तो 25 हजार रुपए एक पंचायत समिति के पास है, उस 25 हजार रुपए को भी वह निजी आय से खर्च करती है। पंचायत समिति के पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं हैं। अगर आप और देंगे तब तो ठीक है। अन्यथा राज्य सरकार को ही इसमें ज्यादा सहयोग देना चाहिए जिससे ये उनकी मदद समय के ऊपर कर सकें। मंत्री महोदय, इसलिए मैं एक तो यह निश्चित रूप से चाहूंगा कि आपका जो पंचायती राज कानून है उस कानून की पालना की मंशा आपकी सरकार की है क्या कि जो अधिकारी वर्तमान में इसकी अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करने का विचार रखते हैं या नहीं?

मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि "शिक्षा आपके द्वार" कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजस्थान के समस्त शिक्षकों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध रहेगा और कई जगह आपके अधिकारी ट्रांसफर कर रहे हैं। "शिक्षा आपके द्वार" योजना को सफल बनाने के लिए यह स्थानान्तरण किए जाते हैं, अब वे मुख्य मंत्री से बड़े हो गये क्या? मेरा निवेदन है कि...

श्री शांति कुमार धारीवाल : ऐसा कोई नहीं हुआ, आपकी जानकारी में हो तो मुझे बता देना।

श्री सांवर लाल : हुआ है, साहब, जब ही कह रहा हूं। आप अजमेर जिले से रिकार्ड मंगा लो। अजमेर जिले की पंचायत समितियों से मंगा लीजिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप मुझे बता दें कि कौनसी पंचायत में हुआ है।

श्री सांवर लाल : मैंने आपके, हमारी प्रधान ने आपके जो एडिशनल चीफ सैक्रेटरी हैं, कमिश्नर आपके डिपार्टमेंट के हैं उन तक को लिखकर दिया है। डायरेक्टर तक को लिखकर दिया है, उसके बावजूद महिला है, गरीब है। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप मुझे बता दें।

श्री सांवर लाल : मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप तो अजमेर जिले की पंचायत समिति से कलक्टर को कह कर मंगा लीजिए कि कहां–कहां हुआ है तो यह सारी चीज है तो हमारा निवेदन यही है।

श्री हीरालाल विश्नोई : उनको याद नहीं है इसलिए यह कह रहे हैं कि कलक्टर साहब से मंगा लो।

श्री सांवर लाल : अब एक बात है विश्नोईजी, अब आपका बोलने में नम्बर तो गहलोत साहब नहीं ले रहे हैं, बीच-बीच में काहे को हूटिंग कर रहे हो। मेरा यही निवेदन है कि यह सारे विभाग जो आप स्थानान्तरित कर रहे हैं इन विभागों पर इफेक्टिव कंट्रोल पंचायत समिति और जिला परिषद् और ग्राम पंचायत का रहे, इस प्रकार की व्यवस्था आप कहिये और बार-बार सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो, कोई असामान्य परिस्थिति हो कि वह कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे वहां पर स्थानीय स्तर पर वह अधिकारी एक्शन नहीं ले सकते, वहां तक तो ठीक है अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में पूर्ण रूप से उनके अधीन रहेंगे। प्रधान अगर बी.डी.ओ. की सी.आर. भरेगा, प्रमुख अगर सी.ओ. की सी.आर. भरेगा और सी.आर. के ऊपर आप एक्शन लेंगे तब तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों में भय रहेगा कि यह-यह पंचायत समिति और यह आपके स्टैंडिंग कमेटियां, प्रधान प्रमुख कर रहा है, उसके अनुसार मुझे करना है और बाकी अगर यह व्यवस्था नहीं होगी तो चाहे आप कितना ही सुदृढ़ीकरण करने के लिए कदम उठा लें, उसमें सफलता मुझे संदिग्ध लगती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जीतमलजी।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) **:** माननीय सभापति महोदय, आज हम विधान सभा में इस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पवित्र उद्देश्यों और जनता की भावनाओं की हम जिस ढंग से चर्चा कर रहे हैं और हमारे माननीय सदस्यों ने जो बहुमूल्य अपने विचार यहां पर व्यक्त किये हैं, मैं भी इस तर्ज पर अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहूंगा लेकिन मेरे पाइंटेड दो-चार जो बिन्दु हैं, मेरी हैसियत के हिसाब से आपके सामने रखना चाहूंगा।

सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि राजस्थान भर में "ग्राम सभाओं" का जो आयोजन किया जाता है इसमें चार तिथियां नियत कर रखी हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और चौथी कौनसी तारीख है, मुझे ध्यान नहीं है। पर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सम्माननीय मंत्रीजी, मंत्रीजी, मंत्रीजी, हमारी बात को आप अपनी बातों में मशगूल हैं, सम्माननीय धारीवाल साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं सदन में कि जिन तारीखों को आपने 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर इन दिनों में जो आपने ग्राम सभाओं का आयोजन रखा है, यह ऐसे पवित्र दिन हैं, जहां भी हम जिस एरिये में जाते हैं, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सभी सरपंच महानुभाव, सभी पंचगण यह कहते हैं कि आज का दिन चाहे

(श्री जीतमल खांट)

15 अगस्त का हो, 26 जनवरी का हो, यह स्वतंत्रता का अपने आप में महत्त्वपूर्ण दिन है। उसी दिन ग्राम सभा का आयोजन करके आपस में छीना-झपटी और आपस में जिस तरीके से लड़ाई-झगड़े होते हैं, उससे इन दिनों की जो पवित्रता है वह बिलकुल नष्ट होती है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

(18.15 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि ग्राम सभाओं में, सम्माननीय सुराना साहब अभी कह रहे थे कि ग्राम सभाओं का कोरम पूरा नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि "प्रशासन गांवों के संग" अभियान जिस तरह से चले हैं और पूरे राजस्थान भर के अन्दर उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी रहा हो, मैं यह नहीं कहता हूं कि उसका रिजल्ट रहा या नहीं रहा लेकिन जिस जिम्मेदारी के साथ में वह "प्रशासन गांवों के संग" अभियान में एक प्रभारी अधिकारी को नियुक्त किया गया और उसकी देख-रेख में उस पंचायत के अन्दर कितने काम हुए, कितने डिपार्टमेंट के लोग आये, आम जनता वहां इकट्ठी हुई, उनके अभाव-अभियोग को सुना गया। ठीक उसी प्रकार से ग्राम सभाओं के दिन आप एक ही दिन ग्राम सभा का जो आपने कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम को बदला जाए और 18-20 दिन का पूरी ग्राम सभा का, पूरे जिले भर में और राजस्थान भर में अपनी-अपनी अलग-अलग तारीखों के अन्दर हर ग्राम पंचायतों का काम बांट दिया जाए, वहां प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए। तमाम डिपार्टमेंट्स के अधिकारी, छोटे-मोटे कर्मचारी आएंगे। पूरी ग्राम पंचायत के लोग वहां मौजूद हों और साथ ही साथ हम जितने भी विधायकगण हैं, चाहे सांसदगण हों, चाहे हमारे जिला परिषद् के सदस्यगण हों, कम से कम एक दिन की ग्राम सभा के अन्दर एक या दो पंचायतों को वह देख सकते हैं। 15 या 20 दिन का समय अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से जितना भी अपनी सर्कल का एरिया बनता है, वहां पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। अपने बहुमूल्य विचार दे सकता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, इस बात पर भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं अमल में लाये।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि पंचातयी राज को हम सशक्तीकरण करने की बात कर रहे हैं, मजबूत करने की बात कर रहे हैं और अधिकार देने की बात हो रही है। मैं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके मन में यह जज्बा तो निश्चित रूप से जागा कि पंचायतों को सशक्त बनाया जाए, उनको ओर अधिकार दिये जाएं तो उनकी इच्छाशक्ति जब हुई तब ही तो आज हमारे सामने यह चर्चा का विषय चल रहा है। परन्तु जिस तरीके से आप उन गांव और ढाणियों में रहने वाले लोगों को जो उत्तरदायित्व दे रहें

(श्री जीतमल खांट)

हैं, जो जिम्मेदारी दे रहे हैं, उनका तो हम स्वागत करते ही हैं लेकिन मैं कुछ बातें, मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक-दो मुद्दे हैं, एक-दो मामले हैं वह भी आपके सामने रखना चाहूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा की ग्राम पंचायत समिति, आनन्दपुरी, पंचायत समिति, आनन्दपुरी जहां पर अभी राजीव गांधी पैराटीचर्स के चयन के बारे में मामला सामने आया। पंचायत समिति से बाहर और अन्दर जितने भी लोग थे, पंचायत समिति क्षेत्र के बाहर के लोगों ने और पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर रहने वाले जिन लोगों ने अपने आवेदन दिये तो प्रधान पति, वहां प्रधान महिला है और उसके पति ने कहा कि मेरे बिना पूछे एक भी ग्राम पंचायत के अन्दर कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करेगा। सारे के सारे आवेदन पत्र किसी भी सरपंच ने लेने की हिम्मत नहीं की और सारे के सारे आवदेन पत्र पंचायत समिति के अन्दर इकट्ठे करवाये गये और वहां पर कलेक्शन करवाकर न तो आवक-जावक का रजिस्टर रखा गया और अपनी हैसियत से सारे सरपंच को एक-एक, दो-दो, जहां पर जितने-जितने पैराटीचर्स का चयन करना था वहां पर सरपंच को यह कह दिया कि यह फार्म आप ले जाओ और ले जाकर इसका चयन हो जाना चाहिए। दूसरी पंचायत में कह दिया कि यहां दो व्यक्तियों की जरूरत है, यह दो फार्म लेकर चला जा और इसका चयन कर। एक तरफ हम पंचायती राज को सशक्तीकरण करने की बात एक कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक प्रधान और प्रधान का पति सारी की सारी पंचायत समितियों के अन्दर, 26 पंचायतों के अन्दर प्रधान पति ने जिस तरीके से चयन लिस्ट तैयार की, उस तरीके से वहां पर चयन हुआ। उस पैराटीचर्स को तो मिलते हैं, 1,200 रुपये और पता नहीं उसको किन-किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर उप योजना क्षेत्र में आने वाली जितनी भी पंचायत समितियां हैं, जहां पर भूरिया कमेटी की सिफारिश के सम्बन्ध में वहां पर जितने भी अध्यक्ष के पद हैं, वह जनजाति के लिए रिजर्व है, मैं चाहूंगा कि हमारे पंचायती राज मंत्रीजी; जहां पर इस तरीके से अनियमितता होती है, वहां गये भी। इन अनियमितताओं को समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो यह सशक्तीकरण और हम लोगों के लिए जो वरदान साबित होने वाली शक्तियां और उत्तरदायित्व आप सौंप रहे हैं, कहीं कल को यह सशक्तीकरण और यह अधिकार हम गरीब लोगों के लिए कहीं वरदान के बजाय अभिशाप साबित नहीं हो जाए।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पंचायतों

(श्री जीतमल खांट)

से लगाकर जिला परिषदों तक आप जो भी अधिकार दे रहे हैं कम से कम वहां पर एक स्वतंत्र बॉडी जिला स्तर पर कायम की जाए और जहां पर इस तरीके की अनियमितता बरती जाए या जहां पर किसी तरीके के घोटाले होते हैं, उनको रोकने के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढ़े जाने चाहिए। वरना आने वाले समय में, अभी कांग्रेस का राज है, कल को बी.जे.पी. का राज आयेगा, कल किसी और का राज आयेगा और यह जो शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं, हम जैसे गरीब लोगों के लिए बड़ी तकलीफ में आ सकते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो भी पालिसी हमारी बने, जिला स्तर पर कलक्टर के अलावा एक और आई.ए.एस. रखा जाए और उनकी निष्पक्ष और स्वतंत्र इकाई के रूप में जहां भी इस तरीके से गलतियां होती हैं, जहां भी अनियमितताएं होती हैं, उनको रोकने के लिए वह स्वतंत्र रूप से उसकी समय-समय पर सुनवाई करते रहें। इस तरीके की हमारी व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए इस समय इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस तरीके से पूरे राजस्थान की जनता में एक नया संदेश देने का जो एक काम किया है, मैं गहलोत सरकार को धन्यवाद देते हुए मैंने कुछ सुझाव दिये हैं। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन है, उसको निश्चित रूप से ग्राम सभा से हटाया जाए, हमारी पवित्र भावनाओं के साथ कुठाराघात होता है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूपजी मीणा, मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप (राज्य मंत्री, जन अभाव अभियोग निराकरण) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारा धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप : आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा सदन के अन्दर हो रही है। देश के उन कर्णधारों को जिन्होंने देश को आजादी दिलाई थी, उनमें सर्वश्री महात्मा गांधीजी, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी और उन्होंने ही इस पंचायती राज के बारे में कहा था। उन्होंने ही ग्राम स्वराज की कल्पना की और उन्होंने ही राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएंगे। यह शब्द उन्होंने कहे थे संविधान के अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत। यह सारे कदम इसमें उठाने के लिए कल्पना उन्होंने की थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था, इस देश का

(श्री रामस्वरूप)

दुर्भाग्य था कि साम्प्रदायिक ताकतों ने महात्मा गांधीजी को हमसे छीन लिया और उनका वह सपना साकार नहीं हो सका। इसलिए सबसे बड़े दुःख की बात है कि ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने देश निर्माण के लिए हमारी जो नींव रखी थी, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए जिन्होंने कल्पना की थी, उनको हमसे इतना जल्दी छीन लिया। लेकिन इसके साथ ही हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरूजी ने देश की बागडोर को जब सम्भाला था उस समय बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर, 1959 को पण्डित नेहरूजी ने नागौर में दीप प्रज्जवलित करके इसी राजस्थान के अन्दर पंचायती राज की नींव को रखा था। इसलिए आज सबसे पहले हम सबको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने गांधीजी के सपनों को साकार करने के लिए हमारे कांग्रेस में कर्णधार, जिन्होंने इस देश को मजबूत करने के लिए, हिन्दुस्तान की नींव को मजबूत करने के लिए, राजस्थान में पंचायती राज मजबूत करने के लिए राजस्थान को चुना और उसमें भी नागौर को चुनकर देश की नींव को मजबूत किया।

श्री राजेन्द्र पारीक : उसमें टोडाभीम मजबूत हुआ कि नहीं, यह भी तो स्पष्ट करो माननीय मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : पण्डित जवाहर लाल नेहरू चले गये। देश की बागडोर श्रीमती इंदिरा गांधीजी के हाथ में आयी और उन्होंने भी पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कहा था– ''ग्राम के लोग ही पंचायतों का निर्माण करते हैं, उनका नियंत्रण उनके हाथ में होना चाहिए। सरकार का हस्तक्षेप कम, जनता के हाथ बागडोर होनी चाहिए।'' श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने देश की जब सत्ता सम्भाली तो उन्होंने यह शब्द कहे थे और उन्होंने गांधीजी के और नेहरूजी के सपनों को साकार करने के लिए इसकी ओर कदम बढ़ाया था। लेकिन इन्हीं साम्प्रदायिक ताकतों ने उनको भी हमसे छीन लिया और उनके सीने में 32 गोली देकर उनको भी हमारे देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। मेरा विनम्र निवेदन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। (व्यवधान) इस देश की नींव रखने के लिए, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए गांधीजी ने कुर्बानी दी। श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने इसके लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन यह कदम फिर भी नहीं रूका और पंचायती राज को मजबूत करने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधीजी के बेटे श्री राजीव गांधीजी ने देश की बागडोर को सम्भाला और उन्होंने इसकी ओर आगे कदम बढ़ाया। राजीव गांधीजी ने कहा था...(व्यवधान) बहुत महत्त्वपूर्ण मसला है। हां, छोटा-मोटा मसला नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप मंत्री बन गये।

श्री सभापति : आप चालू रखिये। माननीय मीणा साहब, आप अपनी बात को चालू रखिये।

श्री रामस्वरूप : राजीव गांधीजी ने नेहरूजी और श्रीमती इन्दिरा गांधीजी के सपने को साकार करने के लिए देश की बागडोर सम्भाली और उन्होंने हमारे देश की नींव को मजबूत करने के लिए, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए यह कहा था और यह कल्पना की थी कि ''जब तक पंचायत एवं नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक यह मजबूत नहीं होंगे।'' क्रान्तिकारी कदम उन्होंने उठाया और 73वां और 74वां संविधान संशोधन कराया। चुनाव समय पर होने लगे। जो चुनाव 12-12 और 15-15 साल तक नहीं होते थे आदरणीय श्री राजीव गांधीजी ने उन चुनावों को करवाया। पंचायतों को अधिक अधिकार देने के लिए उन्होंने पंचायतों को यह संशोधित करके अधिकार दिलाये। आरक्षण व्यवस्था की। महिला, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. आदि के लिए अनुपात के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर उन्होंने आरक्षण करवाया और आज उसी का परिणाम है कि जिस जाति के लोग जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम प्रमुख बन सकते हैं, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम प्रधान बन सकते हैं, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम नगरपालिका के चेयरमैन, अध्यक्ष बन सकते हैं, आज वह अध्यक्ष बन करके बैठे हैं। उनकी आत्माएं आज श्री राजीव गांधीजी के लिए दुहाई दे रही हैं कि जिन्होंने गरीबों को इस कुर्सी के ऊपर बैठा दिया।

माननीय सभापति महोदय, जिला प्रमुखों को भी उन्होंने अधिकार दिलाये। विकास अभिकरण का अध्यक्ष उनको बनवाया। वित्तीय प्रशासनिक शक्तियां भी उनको दीं। इसी प्रकार अनुसूची 29 में से 15 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं को आदरणीय राजीव गांधीजी ने मजबूत किया और सारी शक्तियां नीचे के लेवल पर उन्होंने पहुंचाई। लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि ऐसा महापुरुष जो पंचायती राज को मजबूत करना चाहता था, जो इस पंचायत की नींव को और भी सुदृढ़ करना चाहता था, एक विशाल इमारत उसकी खड़ी करना चाहता था, उसको भी साम्प्रदायिक ताकतों ने हमारे देश से छीन लिया और वह भी काम अधूरा रह गया।

बड़े दु:ख की बात है कि जिसने भी पंचायती राज के लिए अपना दृढ़ निश्चय किया कि मैं पंचायती राज को मजबूत करूंगा, महात्मा गांधी ने दृढ़ निश्चय किया, उनको छीना गया, सीने में गोली मारी। उसके बाद में इरादा किया इन्दिरा गांधी ने, उनके भी 32 गोली मार दी सीने के अन्दर। इरादा किया राजीव गांधी ने, उनको भी मार

(श्री रामस्वरूप)

दिया। लेकिन कोई बात नहीं, यह कांग्रेस पार्टी है जिसके अन्दर ऐसी-ऐसी कुर्बानी की है, जो अपने आप कुर्बानी देकर चले गये "ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।" तो आज उनको हमको याद करना चाहिए जिन्होंने पंचायती राज को मजबूत किया था। आज याद करने का दिन है आपका। इसकी चर्चा के दौरान अगर उनको हमने याद नहीं किया तो हम हमारे कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे इसलिए आज याद करना जरूरी था।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो जिम्मेदारी मत ले लेना। आप तो रास्ते चलते यह जिम्मेदारी मत लेना क्योंकि तीन ने पहले ली, उनका देख लो क्या हुआ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, आप इनका माइक बंद कर दो।

श्री रामस्वरूप : सुमित्राजी, अब तो मैंने बिलकुल ही मौन धारण कर रखा है फिर भी क्यों चिन्ता कर रही हो। आज ही तो बोल रहा हूं पहली बार।

श्री हीरालाल विश्नोई : आपका पीछा भी छोड़ दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो आपको माइक का उपयोग नहीं करने की राय दे रही हूं।

श्री सभापति : माननीया मीणा साहब, आप चालू रखिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय को आप प्रोटेक्शन दीजिए, इस तरह से एक माननीय सदस्या इनको रोक नहीं सकती। कृपया आप इन्हें प्रोटेक्शन दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं रोक नहीं रही हूं केवल माइक बंद करने के लिए कह रही हूं।

श्री सभापति : प्लीज डोंट इंट्रप्ट।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, यह तो इनके अधिकारों पर सीधा कुठाराघात है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री रामस्वरूप मीणा को बोलने दिया जाए और खूब बोलने दिया जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : अभी तो माइक बंद करने के लिए कह रही हैं कल को आप कहोगी मुह बंद करो। यह तो सरासर इनके अधिकारों पर कुठाराघात है।

श्री सी. पी. जोशी : इनको बीच में रोकोगे नहीं तो बोल नहीं सकेंगे। बीच में रोकोगे तो बोलेंगे, चुप रहोगे तो बोल नहीं पाएंगे यह।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, अभी हमारे देवीजी बोल रही थीं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो तो कुर्बानी

(श्री रामस्वरूप)

देकर चले गये और आकर इस देश की बागडोर देवी ने सम्भाली और आज सारा हिन्दुस्तान उस देवी की ओर निहार रहा है, श्रीमती सोनिया गांधी, जो हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, आज पूरा हिन्दुस्तान उनकी ओर निहार रहा है। यह भारत मां भी उनकी ओर निहार रही है जिसके लालों को कश्मीर के अन्दर निर्दोषों को मारा जा रहा है और जिसके कारण से हिन्दुस्तान की संसद को उड़ाने की तैयारी हो गयी। देश की भारत मां दुखी हो रही है, करुणा कर के पुकार रही है-हे देवी, बागडोर को सम्भाल नहीं तो भारत मां का यह क्या कर दिया। (व्यवधान) आज जरूरत है भारत मां को इसलिए आप भारत मां के लालों...

श्री राजेन्द्र पारीक : और आंख में भर लो पानी। तालियां।

श्री रामस्वरूप : आदरणीय सोनिया गांधीजी ने पंचायती राज के बारे में, इसकी नींव को मजबूत करने के लिए उन्होंने यह इरादा किया कि राजीव गांधी का सपना, महात्मा गांधी का सपना, नेहरूजी का सपना साकान नहीं हुआ है। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि निश्चित रूप से यह सपना साकार होना चाहिए। इसी को लेकर 5 अप्रैल, 2002 को अध्यक्षों का एक सम्मेलन बुलाया गया था गोवाहाटी में उसमें सोनिया गांधीजी ने कहा था...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह बात काफी कर ली प्रियंका पर आ जाओ अब आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीधा दिल्ली कैसे आएगा? गोवाहाटी आएगा फिर दिल्ली आएगा। सीधा दिल्ली, पहले गोवाहाटी आओ फिर गोवाहाटी से दिल्ली आओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आप जवाहर लाल नेहरू से प्रारम्भ हुए सोनिया गांधी तक आ गये अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और वडेराजी, इनके लिए जरा और बता दें आप क्योंकि आपसे हम सुनना चाहते हैं और आपके मौलिक विचार हैं। आपके मौलिक विचारों से सारा सदन प्रभावित है। आप सोनिया गांधी के बाद प्रियंकाजी और...

डा. बुलाकी दास कल्ला : ऐसा है आप लोकतंत्र के हामी नहीं हैं, यह लोकतंत्र को सुदृढ़ीकरण के लिए बोल रहे हैं आप बीच में क्यों बोल रहे हो?

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो सामन्तशाही के प्रतीक हैं, आप नहीं चाहते कि इस तरह के ग्रामीण इलाके के लोग आ करके यहां पर अपनी बात कह सकें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब, सहयोग कीजिए। रामस्वरूपजी, प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : इससे बड़ा और सहयोग क्या हो सकता है, सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सभापति महोदय, इन्होंने आंख में पानी भरने की बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कही। आप किसकी आंख में पानी भरना चाहते हो? आपने कहा न आंख में भर लो पानी, दुबारा बताइए आपने क्या कहा था?

श्री राजेन्द्र पारीक : हमें पंचायती राज को मजबूत करना है और हमारा साथी जब तक अपने विचार नहीं रखेगा, जब तक माननीय मंत्री महोदय के ज्ञानार्जन से हम लाभान्वित नहीं होंगे, जब तक सारे माननीय सदस्य मिलकर आंख में पानी नहीं भर लेंगे तब तक कैसे यह पंचायती राज मजबूत होगा, यह बताइए।

श्री सभापति : बिराजिए, पारीक साहब।

श्री रामस्वरूप : यह बड़ा गम्भीर मसला है, हंसने का मसला नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : गम्भीर मसला है।

श्री रामस्वरूप : राजस्थान की नहीं, यहां की पांच करोड़ की जनता का मसला है, निर्णय होने जा रहा है इसलिए कृपया मेहरबानी करके सुनें।

श्रीमती सोनिया गांधीजी, जिन्होंने इसके बारे में सम्मेलन में कहा था... (व्यवधान) सुनिए आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आगे आओ इससे।

श्री रामस्वरूप : एक मिनट सुनिए आप। ध्यान देकर सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपको सुनने पडेंगे यह तो। बिराजिए आप।

श्री मदन दिलावर : संजयजी की मेनकाजी ने भी कुछ कहा था। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप सुनिए न, अभी तो दिल्ली से जयपुर और जयपुर से टोडाभीम तक की यात्रा बाकी है।

श्री रामस्वरूप : आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया शांति से सुनिए आप, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके और मेरे बस का काम नहीं है।

श्री रामस्वरूप : सोनिया गांधीजी ने कहा था–"India will progress only if its villages are prosperous and only if the quality of life in its villages improves quickly and vastly. This is possible only if panchayats become effective institutions, Only if you are all empowered to carry out the responsibilities that have been placed on your shoulders by our Constitution. The Central Government must ensure that the different State Governments implement Panchayati Raj Legislation seriously. I have been personally monitoring progress in the Congress ruled states but this is not just a party issue. Strengthening of panchayats to place power in the hands of the people to move from Rajniti to Lokniti is a National Mission. To

(श्री रामस्वरूप)

ensure dominance through consensus, a special meeting of the nation's highest development body the National Development Council should be called.

I have also earlier suggested a special session of Parliament to discuss issues related to the further strengthening of panchayati bodies. I am asking my colleages the Chief Ministers of Congress ruled states to hold a special session of thier legislatures and present an annual 'state of pachayats' report to promote an informed debate on this vital..."

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। सभापति महोदय, मंत्रीजी ने जो अंग्रेजी में पढ़ा है उसका हिन्दी अनुवाद भी बताया जाए।

श्री सभापति : वह अपना कथन पूरा कर लें।

श्री रामस्वरूप : हमारा जो अभी यह सैशन बुलाया गया है इसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। इसमें साफ दिया है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसका हिन्दी अनुवाद भी बता दिया जाएगा।

श्री रामस्वरूप : ....subject affecting the lives or crores and crores of all sections of our people."

श्री सुमित्रा सिंह : स्टुपिड किसको कह दिया?

श्री हीरालाल विश्नोई : गांव का आदमी इतना बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सोनियाजी ने स्टुपिड किसको कहा यह तो बताओ।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय रामस्वरूपजी जो आपने पढ़ा है, इसका हिन्दी अनुवाद कर दीजिए, ताकि जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते वो समझ जाएं।

श्री हीरालाल विश्नोई : यह काम इनका नहीं है, आप लोग कीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री महोदय, स्टुपिड किसको कहा सोनियाजी ने, जरा हिन्दी में तो बताओ।

श्री रामस्वरूप : कृपया सुनिए, मैं इसका हिन्दी अनुवाद पढ़ रहा हूं।

पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने की बात मैंने इसलिए कही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए मैं एक और सुझाव देना चाहती हूं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी प्राथमिक संवैधानिक जिम्मेदारी पंचायतों पर है। केन्द्र सरकार इन क्षेत्रों के लिए करीब पन्द्रह से बीस हजार करोड़ रुपए खर्च करती है। हम चाहते हैं कि यह पैसा दिल्ली से सीधे आप तक पहुचे।

(श्री रामस्वरूप)

ग्राम सभाएं पंचायत राज व्यवस्था का आधार है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि ज्यादातर राज्यों में ग्राम सभाओं का या तो गठन नहीं हुआ है, या फिर उन्हें सही तरीके से काम नहीं करने दिया जाता। उनकी बैठक तक नहीं होती। इस स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है। ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी और भूमिका की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आदिवासी इलाकों में, खास तौर से पंचायत राज व्यवस्था के काम–काज पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। देश के हर जिले में, जिला योजना समितियों का गठन होना चाहिए जिससे गांवों और शहरों के विकास में तालमेल हो और दोनों की प्रगति में सन्तुलन बना रहे। मुझे इस बात का अफसोस है कि दस साल बीत जाने पर भी ज्यादातर राज्यों में जिला योजना समितियां नहीं बनी हैं। आजकल केन्द्र और राज्य सरकारें दसवीं पंचवर्षीय योजना बना रही हैं, जिला योजना समितियों के बिना उसे कैसे लागू किया जाएगा।

अब मैं उन भाई-बहरों के लिए कुछ शब्द कहना चाहती हूं, जो मैंने आपको पढ़ करके सुना दिए हैं।

श्री सभापति : माननीय मीणा साहब, कम्पलीट कीजिए और भी वक्ता बहुत हैं।

श्री रामस्वरूप : बस मैं आखिरी बोल रहा हूं, साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : साहब, महत्त्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं।

श्री सभापति : आ लिए, सुन लिए।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैंने आपके सामने आदरणीय सोनियाजी के विचार रखे।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : पारीक साहब, सहयोग कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आपने मंत्री महोदय को तीन-चार दफा टोक दिया। आप ग्रामीण विकास मंत्री हैं। पंचायती राज मंत्री महोदय ने अपना उद्बोधन दे दिया, नगरीय विकास मंत्रीजी ने अपना उद्बोधन दे दिया, आज ग्रामीण विकास मंत्रीजी अनुपस्थित हैं तो ये उनकी तरफ से हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : चेयर की तरफ से कोई रोक-टोक नहीं की गयी है।

श्री राजेन्द्र पारीक : हां, चलिये।

श्री रामस्वरूप : आदरणीय सोनियाजी ने जो दिशा-निर्देश उसके अन्दर दिये थे उसी समय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने जो सम्मेलन बुलाया था, उन्होंने कहा था कि राजीव गांधीजी ने पंचायती राज के सुधार को आगे बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयीजी ने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है और राजीव गांधीजी को पंचायती राज को

(श्री रामस्वरूप)

मजबूत करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने सुझाव दिया था कि राज्यों को जल्दी से जल्दी इस तरह विशेष अधिवेशन बुलाया चाहिए और विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए हमारी राजस्थान की जनता के हृदय सम्राट आदरणीय श्री अशोकजी गहलोत साहब को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आदरणीय सोनियाजी के विचारों को देखते हुए और हिन्दुस्तान की और राजस्थान की जनता की मांग पर इस कदम को सबसे अग्रणीय उठाया है। इस बात के लिए राजस्थान की जनता हमेशा उनका आभार प्रकट करती है।

आदरणीय अशोकजी, आपने राजस्थान की जनता के दिल को जीत लिया है। राजस्थान में आपने वे सुधार किये हैं उस गरीब को जो चयनित परिवार वाला है चाहे एक लाख रुपये का खर्च हो और चाहे पांच लाख रुपये का खर्चा हो उसकी बीमारी के लिए आपने व्यवस्था कर दी है। राजस्थान में प्रगति के कदम लगातार बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। राजस्थान में जयपुर की काया पलट कर दी, गांवों में सड़कों की काया पलट कर दी। सारे राजस्थान में आपका यह युग स्वर्ण युग के नाम से जाना जाएगा। ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी, आपने राजस्थान में जो सुधार किये उसके लिए, आदरणीय, हमारे माननीय पूर्व बिजली मंत्रीजी यहां पर बिराजमान हैं और वर्तमान में भी मंत्री हैं, आपने बिजली के सुधार के लिए गांवों में 132–133 के.वी. के जाल बिछाये। बिजली की वोल्टेज व्यवस्था को आपने सुधारा, किसान भी आपको धन्यवाद दे रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सुधार और किये हैं पंचायती राज के अन्दर। उसमें जो सुविधाएं दी हैं मैं बताना चाहता हूं। पंचायतों को समृद्ध बनाकर वित्तीय शक्तियां आपने दी हैं। मुख्य मंत्रीजी, आपने अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रामस्वरूप मीणाजी को मंत्री बनाया है यह भी तो बोलो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसके लिए इन्होंने आते ही सबसे पहले आपको धन्यवाद दिया था। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्या कह रही हैं मैं इस बात के लिए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इतना पवित्र विभाग जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग मुझे सौंपा है जिसके अन्दर सेवा का बहुत अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैंने राजस्थान में दौरे चालू कर दिये हैं। सारे राजस्थान में जाकर गरीब के दुःख और उसके आंसू को पोंछने के लिए मैंने अपना कार्य तय कर लिया है, जनता प्रकोष्ठों का निर्माण किया है, एकल खिड़कियों की व्यवस्था मैंने करवायी है और सतर्कता समितियों को हमने उप खण्ड लेवल तक पहुंचा दिया है। जनता की जो भी समस्याएं होंगी वह हमारे उप खण्ड लेवल पर भी निश्चित रूप से हल की

(श्री रामस्वरूप)

जाएंगी। विकलांगों के लिए हमने शुक्रवार का दिन तय कर दिया है। इस प्रकार जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग राजस्थान में सक्रिय हो गया है। सारे जिलों में बैठकें ली जा रही हैं और गरीब की समस्याओं को वहीं पर सुना जा रहा है। यह क्रांतिकारी कदम राजस्थान के अन्दर उठ चुका है। आपकी कोई भी समस्या हो वहां पर दर्ज करवाइये उसका निश्चित रूप से निराकरण करवाया जायेगा। इस प्रकार का विभाग आपने मुझे दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पवित्र विभाग है, सेवा का विभाग है। (व्यवधान)

इसमें जो सुधार किये माननीय मुख्य मंत्रीजी, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपराधियों को चुनाव लड़ने से आपने रोका। इन संस्थाओं में एस.सी., एस.टी. और महिला अध्यक्ष जो होते थे उनको हटा दिया जाता था जो जनरल का आ जाता था लेकिन आपने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिला कोई अध्यक्ष अगर हटेगा तो उसके स्थान पर रिजर्वेशन का ही आयेगा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

इसके साथ-साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ा कदम राजस्थान के अन्दर जो उठाया है वह है सूचना का अधिकार जो कोई भी आज तक नहीं दे सका था। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने इतना बड़ा अधिकार देकर भ्रष्टाचार को बिलकुल समाप्त करने की योजना बना ली है। हर बात की जानकारी जब हमको हो जायेगी तो भ्रष्टाचार अपने आप खतम होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : अभी तो कई लोग हैं लेकिन क्या करें।

श्री मदन दिलावर : मैंने इतने आवेदन दिये लेकिन एक का भी कागज पत्र हमको नहीं दिया है। ये असत्य बयान कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय मदनजी। वे एक मंत्री की हैसियत से अपनी बात कह रहे हैं। प्लीज।

श्री मदन दिलावर : मंत्री की हैसियत से असत्य बयान कर रहे हैं। असत्य की भी हद होती है। मैंने इतने आवेदन दिये हैं एक भी कागज आज तक उपलब्ध नहीं करवाया है।

श्री रामस्वरूप : दिलावरजी, मैं कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं क्यों आप बेकार में तकलीफ पा रहे हैं। मैं तो मौन होकर बैठा था।

श्री मदन दिलावर : तकलीफ इस पर आ रही है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप ही मेरी तारीफ कर रहे थे जब मंत्री बनाया था, आप ही मांग कर रहे थे और आप ही बुराई कर रहे हो मेरी, यह कौनसी बात है? (व्यवधान) आपने ही तो मांग की थी और आप ही बुराई कर रहे हैं मेरी। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, कम्पलीट कीजिए आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, जन अभाव अभियोग का मंत्रालय इनके पास में है। कल आप उलाहना देंगे इस बात का कि दिलावरजी के खिलाफ कार्यवाही हो गयी। उनको रोकिये वरना कोई सीधी-सीधी कार्यवाही इनको करनी पड़ेगी।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता को नये इस प्रकार के जो सुधार दिये हैं, राजस्थान की गरीब जनता को, हम सबको बहुत बड़ी सुविधाएं उन्होंने प्रदान की हैं इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक ही मुद्दा बचा था। आपनें कहा था कि एक मुद्दा बकाया है माननीय मुख्य मंत्री महोदय इनको मंत्री बना दिया जाए वह मुद्दा खतम हो गया। अब आप मुद्दा विहीन हो गये हैं।

श्री रामस्वरूप : सूचना का अधिकार देकर उन्होंने सारी राजस्थान की जनता को यह अवगत करा दिया है कि हमारी संवेदनशील सरकार, पारदर्शी सरकार और जवाबदेह सरकार का सबसे बड़ा नमूना यह है इसलिए अच्छा शासन देने के लिए उन्होंने जितने भी ये सुधार राजस्थान के अन्दर किए हैं, वे अनुकरणीय हैं। सारे हिन्दुस्तान के लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं। चाहे शिक्षा के मामले को ले लें, आदरणीय जोशीजी यहां विराजमान हैं, आपने "शिक्षा आपके द्वार" सारे राजस्थान में मात्र आठ लाख व्यक्ति ही बचे हैं बाकी सबको साक्षर आपने कर दिया। पूरे हिन्दुस्तान में प्रथम नम्बर आपने प्राप्त किया है इसके लिए जोशीजी को भी धन्यवाद। आपने कई प्रकार के सुधार इसके अन्दर किये हैं। आपने पंचायतों में ग्राम सभाएं और वार्ड सभाएं जो बनायी हैं इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और ग्राम सभाएं और वार्ड सभाएं बदस्तूर काम कर रही हैं।

अन्त में, हमारे वर्तमान पंचायती राज मंत्रीजी है श्री शांति धारीवालजी, वास्तव में आपने जो कमेटी शक्तावली के नेतृत्व में बनायी है, आपने इतना बढ़िया सुधार इसके अन्दर रखा हैं। राजस्थान की जनता इनका स्वागत करेगी। जनता यह देखना चाहती है कि राजस्थान के सदन में कौन इसका विरोध करता है। सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है वह सब धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने इतने बढ़िया सुधार करके राजस्थान में पंचायतें और नगरपालिकाएं जितनी भी हैं उन सबका सुधार के लिए आपने कदम उठाया है ये अच्छे कदम हैं। थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कदम उठाये हैं। अन्त में एक ही बात कहता हूं, हमने कोशिश की है और किसी भी पार्टी ने इसके लिए कोशिश नहीं की इसलिए मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान) सुनिये आप आखिर में। "गिरते हैं सवार मैदाने जंग में", माननीय पंचायती राज मंत्रीजी ध्यान दे करके सुनो, चिन्ता मत करो विरोध करने दो "गिरते हैं सवार मैदाने जंग में, वह तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले।" धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय भंवरलालजी शर्मा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

विभिन्न विषयों पर विचार

पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और संविधान संशोधन भावनानुरूप उनके सशक्तीकरण के उपायों पर विचार

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मीणाजी के भाषण के बाद, कितना रोचक भाषण था, इतने रोचक भाषण के बाद मुझे चांस मिला है, वैसे तो बड़ा मुश्किल होगा कि उस रोचकता को बनाए रखूं मैं...(व्यवधान) उसके बाद ही मिला है और आगे भी उसके बाद ही मिलेगा, कोई खास बात नहीं है।

सभापति महोदय, दो दिन से चर्चा चल रही है उसमें अधिकांश पंचायत के बारे में उसको कैसे मजबूत किया जाए, इस पर बहुमूल्य सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं परन्तु एक विषय नगरपालिका का भी है। इनको सशक्त करना उतना ही आवश्यक है जितना पंचायतों को है और इसलिये नगरपालिकाओं को मजबूत किया जाए, उनको सुदृढ़ किया जाए यह प्रजातंत्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है और हमारा दल, हमारी पार्टी हमेशा से ही इसी पक्ष में रही है। जब जब अवसर आया है तो हमने इनको मजबूत करने के कदम उठाये हैं। आपको ध्यान होगा कि जब पिछली बार कुछ समय पूर्व अपनी सरकार आयी इससे पूर्व नगरपालिकाओं की क्या स्थिति थी। नगरपालिका का अध्यक्ष अपनी जो खुद की नगरपालिका की गाड़ी, कार को अगर उसको जयपुर आना होता, कहीं जाना होता तो उसको भी डी.एल.बी. से परमिशन लेनी पड़ती थी। यदि उसको अपने किसी न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त करने की जरूरत पड़ती तो उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम किसको वकील बनाएं।

श्री राजेन्द्र पारीक : अभी भी लेनी पड़ेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी भी लेनी पड़ती है। हमने खतम कर दिया था उसको। ठीक है आपने करेक्ट कर दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप करेक्ट करिये, अभी भी लेनी पड़ती है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं खुद ही कह रहा हूं, आपने खतम कर दिया न। इसी प्रकार से जमीन का रेगुलराइज करना या स्ट्रिप आफ लैण्ड है उसको भी नगरपालिका दे नहीं सकती थी। ऐसी स्थिति बना दी थी कि नगरपालिकाएं बिलकुल सरकार के पंगु बनकर चल रही थीं। नगरपालिकाओं में जो लोग उपयोगी तो हैं, चुनाव लड़ना पसन्द नहीं करते या चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते लेकिन नगरपालिकाओं की उनको सेवाओं की आवश्यकता रहती थी। उनका भी चयन नगरपालिका खुद करती थी। वर्तमान में अब फिर यह नियम बना दिया कि नहीं अब राज्य सरकार ही अपनी पसन्द के लोग नगरपालिका में भेजेगी चाहे वह चुनाव हार चुके हों। कभी-कभी तो चुनाव में जमानत जप्त होने के बाद भी उस व्यक्ति का चयन होता है। यदि किसी माननीय सदस्य को तीन सन्तान या अधिक सन्तान होने के कारण उसको अयोग्य भी घोषित कर दिया ऐसे भी सदस्यों को आज नगरपालिकाओं में यह स्थान दिया गया है।

तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में अगर हमारा मन यह है कि नगरपालिकाओं को सशक्त करना है तो उदार मन से उसके लिए विचार करना पड़ेगा लेकिन जो वर्तमान में स्थिति बना रखी है वह मैं समझता हूं ऐसी नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की अब आप कुछ ऐसे प्रस्ताव ला रहे हैं जिससे इन सारी दुविधाओं से पीछा छुटाकर शायद नगरपालिकाएं मजबूती से काम करेंगी। आपने यह एक पुस्तक निकाली है और उसके आधार पर यहां आपने सुझाव मांगे हैं।

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ एक चीज के लिए टोकना चाहता हूं। बहुत गम्भीर बात माननीय सदस्य ने कही है कि अयोग्य घोषित किये हुए व्यक्तियों को नगरपालिकाओं में लिया, मैं समझता हूं कि यह बात सत्य नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है, आपकी जानकारी यह होगी लेकिन मेरे पास शिकायत है और यदि आप चाहेंगे तो, इसको विवाद का विषय मत बनाइये।

डा. महेश जोशी : ऐसे कोई नाम है तो आप नाम दीजिए क्योंकि यह बहुत गम्भीर बात है और सदन के माध्यम से आप इस बात को उठा रहे हैं। अगर नाम है तो आप अभी दीजिए न। आप नाम कोट करिये। नाम दे देंगे उसको हटा देंगे। उसको हटाया जायेगा नाम दे देंगे तो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उसको हटा देंगे हम।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हटा देना।

श्री हीरालाल विश्नोई : एक व्यक्ति जो ग्राम, वार्ड के अन्दर खड़ा होता है, हार भी जाता है तो उसको मनोनीत करने पर आपको एतराज है और जैसे एम.पी. में हारने वाले आदमी आज केबीनेट के मंत्री बने बैठे हैं। राज्य सभा में लेकर उनको केबीनेट मंत्री बनाया तो यह उसकी और इसकी तुलना बराबर ही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सवाल इतना ही है कि मैं जो सोच रहा हूं मेरी पार्टी का जो सोच है उसमें अच्छे...

श्री हीरालाल विश्नोई : आपकी पार्टी में ही तो हुआ है, बता रहे हैं ना आपकी पार्टी में ही तो हुआ है...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह बहस की उचित परम्परा नहीं है कि एक-एक सेंटेंस पर आप उसका खण्डन करेंगे।

डा. महेश जोशी : लेकिन इतने गम्भीर आरोप अगर बिना किसी प्रमाण के लगाए जाएंगे तो टोका जाएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय जोशीजी, अभी मैंने आपकी बात पर नहीं कहा है। यह इस तरीके से बहस नहीं चल सकती। फिर तो आपका मंत्री बोलेगा तो एक-एक सेंटेंस पर हम भी उसको टोक देंगे। बहस की परम्परा यह है कि आप उसका खण्डन अपने भाषण में करते रहें। आपका मंत्री उसका खण्डन कर दे, सिम्पल बात यह है। आप बहस को बहस के तरीके से चलने दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरे पास जो सूचना है...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : टोको, टोकते रहो। रामस्वरूपजी बोले जब एक आदमी नहीं बोला यहां से लेकिन इतने सीनियर आदमी बोल रहे हैं, आपकी बीच में आदत खराब है।

श्री हीरालाल विश्नोई : वह आपकी और हमारी सबकी सहमति थी। आपकी और हमारी सबकी सहमति से बोल रहे थे रामस्वरूपजी तो।

श्री सभापति : अब यहां भी सहमति बना दीजिए प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदय, मैंने जो बातें कही हैं वह आपत्तिजनक है और आपने भी उसका नोटिस यही लिया कि वह आपत्तिजनक है। यदि ऐसी भूल हुई है तो ठीक करने में कहां दिक्कत है। तो क्या विवाद का विषय हो गया इसमें I will try to make the name. मैं कोशिश करूंगा कि वह नाम आपको बता दूं और जैसा आपने कहा कि हटा देंगे तो ऐसा करते ही क्यों हैं। ऐसा सवाल यहां ख़ड़ा हुआ था (व्यवधान) नहीं बताइये। ऐसे उतावले क्यों हो रहे हो आप। आपने पूरे राजस्थान की जिम्मेवारी ले करके कह दिया कि ऐसा नहीं है। ठीक है आप बहुत विद्वान हो। पूरे राजस्थान का आपको मालूम है कि कितने मैम्बर कहां हैं, कौन-कौन को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लिया जाता है क्योंकि सारा आपसे पूछकर ही होता है। मुख्य मंत्रीजी यदि कोई सलाह करते हैं तो केवल एक ही व्यक्ति हैं उनके पास और वह है महेश जोशी। मुझे तो खुशी है इसमें कि हमारे परिचित और मेरे अनुज की तरह ही जो व्यक्ति है उसका...

श्री राजेन्द्र पारीक : इससे ब्राह्मणों का भी गौरव बढ़ा है।

एक माननीय सदस्य : जयपुर शहर का भी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो आप जानों लेकिन...

श्री हीरालाल विश्नोई : आपको भी पूछते थे भैरोंसिंहजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा निवेदन है कि हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं इसमें कोई दो पक्ष नहीं हैं कि कांग्रेस पक्ष है और बी.जे.पी. है। हम सब इस बात से सहमत हैं कि नगरपालिकाओं और पंचायतों को सशक्त किया जाए क्योंकि अगर यह नहीं होगा तो प्रजातंत्र चल नहीं पाएगा। अब सशक्त करने के कुछ तरीके हैं। पंचायत के मामले में आया और नगरपालिका के मामले में वही बात आयेगी कि सबसे पहली बात तो यह होगी कि उनको अधिकार तो दिये ही जाएंगे और कुछ अधिकार आज हैं उनके पास, अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी हैं पर उनको पूरा करने के लिए जब तक उनको सक्षम नहीं करेंगे तो कितने भी अधिकार दे दीजिए आप उनको वह सम्भव नहीं है।

इसलिए सबसे पहली बात तो यह होगी उनको फाइनेंशली स्ट्रांग करना पड़ेगा और उनको निष्पक्ष रूप से सब कुछ वह ही निर्णय कर सकें ऐसी स्थिति में लाना पड़ेगा। अगर यह नहीं करेंगे तो केवल हम अधिकार दे देंगे, तो अधिकार देने से कुछ होगा नहीं। आपने इसमें लिखा है कि हम यह अधिकार देंगे, यह अधिकार देंगे और संविधान की जो आवश्यकता है, संविधान में वर्णित जो अधिकार है उनके बारे में आप सोच लें कि इनको अधिकार दिये जाएं। उनमें कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो अधिकार नहीं कर्तव्य हैं। वह अपने आप करते हैं। आपने सफाई करने के लिए कह दिया तो सफाई करेंगे तो अभी भी करते हैं वह तो। आग बुझाइये तो आज भी बुझाते हैं लेकिन आज...

(19.00 बजे)

आग बुझाने के जो लेटेस्ट इक्वीपमेंट चाहिए वह उनके पास हैं। उदाहरण लीजिए आज जयपुर में ऊंची-ऊंची बिल्डिंग बन रही हैं और इनके पास जो उपकरण हैं वह उपकरण इतने सक्षम नहीं हैं कि ऊपर की मंजिल में आग लग जाए तो बुझा सकें। तो केवल उनको यह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दायित्व दिया कि आग बुझाने का काम आपका है, लगाना हमारा काम है, बुझाना आपका काम है, तो सम्भव कैसे होगा? इसलिए मुख्य बात क्या रहेगी? मुख्य बात यह रहेगी कि पहले हमको फाइनेंशली सशक्त करें। इसमें आपमें लिखा है कि वह अपने सोर्सेज से, स्रोतों से भी आय बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे? जब सरकार कभी कोई टैक्स लगाती है, तो बड़ा आन्दोलन होता है और क्या होता है धीरे-धीरे या तो वह वापस लेते हैं, या कम करते हैं। जब सरकार ही उस प्रकार के विरोध को सहन नहीं कर सकती तो नगरपालिकाएं अपना कोई टैक्स लगा करके और जनता से पैसा वसूल करें ऐसी स्थिति में नगरपालिका का होना मुश्किल होता है इसलिए पहली बात आपको यह करनी पड़ेगी कि जो कुछ नगरपालिकाओं को दायित्व दे रहे हैं उनके निर्वहन के लिए उनके पास पूरा धन है कि नहीं, उसकी व्यवस्था आपने कुछ की नहीं।

आपने लिख दिया कि जो अस्पताल है वह इनके पास चले जाएंगे। डिस्पेंसरी इनके पास चली जायेगी। अब डिस्पेंसरी देना एक बात है। देखिए, जिस प्रकार से आज चिकित्सा में विकास हो रहा है, नये-नये साधन आ रहे हैं, मशीनें बड़ी-बड़ी इलाज के लिए आ रही हैं, आप तो जो वर्तमान में स्थिति है उतना करके छोड़ दोगे तो इस आने वाले समय में जो भी इस प्रकार के साधन उपलब्ध होंगे उनको किस आधार पर वह मुहैय्या करा सकेंगे इसकी व्यवस्था बताइये आप। कई जगह तो हास्पिटल में आज बांधने को पट्टी नहीं मिलती। आयुर्वेद के अन्दर तो इतना कम बजट है कि दवाइयां भी नहीं खरीद सकते और आपने यह तय किया कि हम तो जैसा आज है वैसा का वैसा दे देंगे सम्भालो इसको, तो यह केवल देना, अपनी जो जिम्मेदारी है, जो आप कर नहीं पा रहे हो, वह दायित्व उन पर चला जायेगा और फिर वह असफल होंगे तो फिर वही चर्चा होगी कि सारे अधिकार दिये, कुछ काम नहीं करते हैं। इसलिए पहले यह स्थिति क्यों बनाना चाहते हैं आप उसकी। वह बताइये जिससे वह वास्तव में काम कर सके और उसके लिये फाइनेंसेज की व्यवस्था बहुत जरूरी है।

इस पुस्तक में आपने केवल यह लिखा है कि हम यह अधिकार दे देंगे, यह काम उनको दे देंगे लेकिन अगर उनके साथ वर्तमान में आपका बजट है उस पर देने की बात करते हो वह उनके लिए सम्भव नहीं है। जैसा अभी सुराना साहब ने भी कहा था, जोशी साहब ने भी कहा था कि हमने जो यह पानी की स्कीम बनायी थी उसके लिए तीन करोड़ रुपया चाहिए था, हमारा एक करोड़ ही था, तो आप तो जैसे तैसे करके निकल गये, निभ गये, वह नगरपालिका क्या करेगी और उसमें भी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आपने यह कहा है कि नगरपालिका जो हैण्ड पम्प है पानी के लिए, उसका संधारण करेगी, मरम्मत करेगी और यदि नाकारा हो गया तो उसको नया लगा देगी और कोई व्यवस्था नहीं करेगी। आपको कहना था कह दिया कि शहर में पानी की व्यवस्था के लिए हमने नगरपालिका को अधिकृत कर दिया। लेकिन यह किया क्या आपने? इसमें आप निकाल लीजिए हैण्ड पम्प वाले को, उसमें आपने यह लिखा है कि संधारण करेगी, अब संधारण में अगर उतना पैसा आपने उसको नहीं दिया, फंड्स अवेलेबल नहीं किये तो वह नयी मशीन तो कहां से लाएंगे। आपको मालूम है हैण्ड पम्प मशीन से लगता है। सामान्यतया खुदाई होती है उसकी। कहां से लाएंगे वह? नया हैण्ड पम्प नहीं ला सकेगा वह उस नगर की पानी की पूर्ति के लिए। अगर कोई नया हैण्ड पम्प चाहिए तो वह मना कर दिया आपने उसको। संधारण करेगा, मरम्मत करेगा और नाकारा होने के बाद दूसरा हैण्ड पम्प लगा देगा। यह पर्याप्त नहीं है। इसमें क्या मंशा है आपकी? ऐसा क्यों करना चाहते हो आप? क्या मानसिकता है? केवल जो हैण्ड पम्प खराब हो गये, ठीक नहीं हुआ उससे जो नाराजगी आती है उससे बचने के लिए आप उसको यह देना चाहते हैं। फंड्स तो दोगे नहीं, नया लगाने दोगे नहीं, तो क्या होगा फिर? इसलिए मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आप उसको देना चाहते हो पूरे ढंग से दो।

आपने प्रस्तावना में लिखा है कि नगरपालिका प्रभावी एवं कारगर तरीके से कार्य वहन कर सकें, बहुत अच्छी बात है और यह नहीं होगा तब तक तो कोई लाभ भी नहीं होगा और करने के उपाय जो आपने लिखे हैं आगे, वह व्यावहारिक नहीं है और आपकी मंशा पूरी नहीं कर पाएंगे।

आपने यह भी लिखा है कि जो काम आप कराएंगे नगरपालिका से, वह एक ही संस्था काम करेगी। या तो विभाग करेगा, या नगरपालिका करेगी। सम्भव कैसे है? आंशिक रूप से कोई काम नहीं करेगा जो विभाग काम कर रहा है या तो वह करेगा, या फिर नगरपालिका करेगी। आपने प्रतिवेदित किया कि आंशिक रूप से काम नहीं होगा। मीनिंग देयर बाई कि डिपार्टमेंट नहीं काम करेगा और नगरपालिका काम करेगी, यही मतलब है न आपका? अब इसका ब्यौरा प्रकरण लाओ आप।

इसमें लिखा है, जे.डी.ए. है, यू.टी.आई. है, नगरपालिका है और आपका डिपार्टमेंट भी है, किससे कराएंगे आप। तीनों करेंगे। तीनों करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। यह आपने लिखा है कि नगरपालिकाएं भी करेंगी, जे.डी.ए. करेगा और यू.टी.आई. है

(श्री भंवरलाल शर्मा)

वहां यू.टी.आई. करेगी और डिपार्टमेंट है ही आपका। तो कोई ऐसी विसंगतियां हैं जिससे आपकी जो मंशा है वह इसमें पूरी नहीं कर पाएंगे।

फिर आपने जो कर्मचारियों के स्थानान्तरण की बात कही है कि हम कर्मचारी नगरपालिका में दे देंगे, बजट भी दे देंगे और एक शर्त लगा दी है कि नगरपालिकाओं में जो कर्मचारी काम करेगा, गया हुआ व्यक्ति, वह नगरपालिका में काम करे, यह जरूरी नहीं है। सरकार के निर्देश पर भी उसको काम करना पड़ेगा। नगरपालिका में जो कर्मचारी चला जाएगा वह नगरपालिका में काम करेगा सही बात है लेकिन सरकार के निर्देश पर कोई भी काम वह कर सकेगा जो काम उसको उस वक्त नहीं मिला है। तो कभी आपकी जनगणना शुरू हो गयी, कभी आपका ओवर ब्रिज बनना तय हो गया, कभी अकाल पड़ गया तो वह जो कर्मचारी वहां लगा हुआ है, जिससे नगरपालिका काम ले रही है, उससे बिना पूछताछ के आप दूसरे काम में लगा दोगे। आपने यह भी लिखा है कि नगरपालिका को काम डिपार्टमेंट देगा, हस्तान्तरित करेगा... (व्यवधान) नहीं, वह बातें कर रहे हैं न इसलिए...(व्यवधान) बातें कर रहे हैं न। मंत्री बात कर रहे हैं न...

श्री शिवनाथ सिंह : चेयर को एड्रेस करें। चेयर को एड्रेस करो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे को क्यों कह रहे हैं? मैंने नोट किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरे पास तो लिखा हुआ है। हां, वह ठीक है, मुझे मालूम है पर आप बात करने लगे थे न।

आपने कहा है कि यह जो लक्ष्य निर्धारित करेगा, विभाग तय करेगा। नगरपालिका से जो काम कराया जायेगा उसका लक्ष्य डिपार्टमेंट दे देगा उसको और यदि उसने पूरा नहीं किया तो डिपार्टमेंट नगरपालिका के खिलाफ एक्शन लेगा। तय वह लक्ष्य आप करेंगे? लक्ष्य तो तय करेगा विभाग और यदि वह पूरा नहीं हुआ तो नगरपालिका के खिलाफ कार्यवाही करेंगे आप। मतबल यह हुआ कि नगरपालिका आपके विभाग के अण्डर में काम करेगी न? Subordinate to the department and the government? तो यह जो आप देना चाहते हो, स्वायत्ता, वह इसमें से कहां मिलने वाली है उसको? कर्मचारी आपके कहने से काम करेगा। चाहो जहां उसको दूसरी जगह लगा दोगे। टारगेट आप देंगे, निर्धारित लक्ष्य आप देंगे। पूरा उसको करना पड़ेगा। उससे बिना पूछे देंगे। उसकी क्षमता देखे बिना देंगे और यदि वह काम पूरा नहीं कर पायी, जैसे विभाग कई बार फेल होते हैं जिसके पास सारे इक्वीपमेंट होते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं वह भी समय पर काम पूरा नहीं कर पाते हैं या उनमें न्यूनता रहती है। लेकिन आपने यह न कहकर यह कह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दिया कि यदि आप फेल हुए तो आप पर एक्शन होगा तो यह तो नगरपालिकाएं एक तरह से उस विभाग के अण्डर में हो गई जो आज नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : जुरासिक पार्क का प्रकरण है क्या इसमें?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौनसा पार्क का?

श्री राजेन्द्र पारीक : जो आपके टाइम में बने थे न जुरासिक पार्क यहां पर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पार्क का, क्या हो गया उसमें?

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने कई पार्क बनाए हैं यहां न, रामनिवास पार्क और अन्य पार्क।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां बनाएं थे न। बहुत से पार्क बनाए हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : जुरासिक पार्क भी बनाया था न आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एकाध तो स्पेशल आपके लिए ही बनाए थे। जो सिर्फ आपके उपयोग के लिए हैं। किसी दूसरे के लिए है ही नहीं। हां, बनाये थे न मैंने।

श्री राजेन्द्र पारीक : अपन दोनों ही चलेंगे उसमें तो। उसमें मेरा मन नहीं लगेगा दोनों ही चलेंगे फिर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, उसमें आपका ही प्रवेश अलाऊ है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुझे भी एक संरक्षक चाहिए न वहां पर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : देखेंगे कोई मिल जाएगा ऐसा, कई घूमते हैं सड़कों पर...(व्यवधान) यह आपका विषय है, नम्बर 5, चिन्हित विषय/कार्यकलापों का निष्पादन व क्रियान्वयन राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित नीतिगत/तकनीकी/सामयिक निर्णयों/ दिशा-निर्देशों के आधार पर नगरपालिकाओं द्वारा किया जायेगा। यदि नगरपालिकाओं द्वारा यह लक्ष्य पूरा नहीं किया तो लक्ष्यों के आबंटन, प्रशिक्षण, मोनिटरिंग बाबत भी राज्य सरकार का सम्बन्धित विषय का प्रशासनिक विभाग सम्बन्धित नगरपालिकाओं को सीधे निर्देश दे सकेगा, जिसकी पालना बाध्यकारी होगी तथा इन निर्देशों की अवहेलना करने अथवा समुचित निर्वहन नहीं करने पर राज्य सरकार यानि स्वायत्त शासन विभाग सम्बन्धित नगरपालिकाओं के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही कर सकेगी। यह लिखा है आपने। मैं समझता हूं आपके पास किताब होगी यह आपका आर्टिकल 5 है, पेज है 73, हस्तान्तरित किया जाने वाला स्टाफ हस्तान्तरण के पश्चात् सम्बन्धित नगरपालिका के निदेशानुसार कार्य करेगा तथा विभाग उन्हें सीधे निर्देश अथवा आदेश नहीं देगा।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

एक तरफ तो यह लिख दिया और इसके आगे लिख दिया आपने कि सरकार के निर्देश पर नगरपालिकाएं अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु भी आदेश दे सकती हैं पहले, आदेश नहीं दें पहले तो यह लिख दिया फिर कहा नहीं, भूल हो गयी, अब निर्देश दे सकती हैं तो आपका कर्मचारी रहेगा या नगरपालिका का रहेगा। यही जब तक आप निश्चित नहीं करेंगे तो उसमें कर्मचारियों की वैसे ही अनिश्चितता रहेगी। फिर आपने इसमें लिखा है, 6(घ) में कि हस्तान्तरित स्टाफ के लिए नियम 17 सी.सी.ए. के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति नगरपालिका एवं स्वायत्त शासन विभाग में रहेगी। आप क्लियर करिए कि 17 सी.सी.ए. की जो कार्यवाही होगी, नगरपालिका व स्वायत्त शासन विभाग के पास रहेगी, क्या मतलब हुआ...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : दोनों का अधिकार रहेगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सदस्य जो इसमें लिख रहा है वह पढ़ रहा हूं। आप भी यह समझती हैं कि नहीं लिखा जाना चाहिए। आप भी मानती हैं लेकिन लिखा हुआ यही है। नगरपालिका व स्वायत्त शासन विभाग में होगा तो बड़ी असमंजस होगी। दोनों चालू करेंगे कि नहीं करेंगे, कि क्या होगा और वह कर्मचारी कहां-कहां भटकता फिरेगा फिर। आगे है, हस्तान्तरित स्टाफ के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के लिए प्रतिवेदक रिपोर्टिंग आफिसर नगरपालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। ए.सी.आर. कौन भरेगा? उनका जो कमिश्नर है वह भरेगा, नीचे वाला भरेगा चेयरमैन फिर देखता रहेगा। जैसे अभी हो रहा है। आज नगरपालिकाओं के अधिकारियों को मनमाना करने का मौका इसलिए है कि उनकी ए.सी.आर., कंट्रोलिंग अथोरिटी यानि चेयरमैन के पास नहीं है तो वह उनके पास होनी चाहिए। यह अगर उसको भय नहीं रहेगा तो उसकी काम में रुचि नहीं आएगी। वह केवल अपने कंट्रोलिंग जो अधिकारी है उसको खुश करने में लगा रहेगा। उसके बंगले पर काम कर लेगा, उसके बच्चों को पढ़ा देगा। यह जो अधिकार हैं यदि आपने इन चेयरमैनों को नहीं दिया तो उनका कंट्रोल नहीं हो सकता है। स्वायत्तता दें तो फिर पूरी दें।

फिर आपकी जो 18 ड्यूटियां हैं संविधान की उसमें नम्बर वन पर आपने लिखा है नगरयोजना जिसके अन्तर्गत शहरी योजना भी है। नगरीय क्षेत्र में मास्टर प्लान का प्रस्तावित प्रारूप समस्त प्रक्रियाओं के उपरान्त सम्बन्धित नगरपालिकाओं, नगर सुधार न्यासों में चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। इस चर्चा में अगर कोई नवीन सुझाव आया तो उस पर भी यथोचित विचार किया जायेगा यानि जो मास्टर प्लान है उसमें नगरपालिकाओं का कोई हस्तक्षेप नहीं बताया है और फिर आपने नगरपालिका और नगर सुधार न्यास कह दिया। एक शहर में मास्टर प्लान बनेगा तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नगरपालिका की राय मानी जायेगी या यू.टी.आई. की मानी जायेगी या जे.डी.ए. की मानी जायेगी? यह दो आपने क्यों लगा दिये? आप अधिकार दे रहे हैं नगरपालिकाओं को, एक साथ जोड़ दिया यू.आई.टी. को आपने और उसमें भी कोई चर्चा नहीं हो रही है वह जो मास्टर प्लान बनेगा उसमें उसकी कोई राय नहीं होगी। वह आपका बन जायेगा तो फिर कहेंगे तो आपके पास भेज रहे हैं आपको कोई नोट देना हो तो दे दें और उस पर कोई निर्णय नहीं होगा। मानेंगे तो मानेंगे नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। मैं जो समझा हूं उसका अर्थ तो यही है। अगर कोई नवीन सुझाव आए तो उस पर भी यथोचित विचार किया जायेगा। उस पर कोई निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा केवल वह एक सुझाव दे देगा। जैसे हम कई बार आपको देते हैं और आप मनमानी करते हो, मानते नहीं हो। वैसे ही वहां हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि नगर नियोजन का काम तो नगर का है और जो चुने हुए लोग हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनको आप सर्वमान्य मानने के लिए तैयार हो। फिर यह अधिकार उनको क्यों नहीं देते हो आप। कल्ला साहब, आप बातचीत बाद में करें तो ठीक रहेगा। अभी कुछ समझ रहे हो क्या ? (व्यवधान) अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, वह तो कहीं जाने वाली नहीं है। पूरी मदद करेगी। उनका आपको आशीर्वाद है, यह कोई विवाद का विषय नहीं है और जैसा काम चलाना चाह रहे हैं उसी पर सुझाव दे रहा हूं आपको, इस पर विचार कर लीजिए। आपको कोई जिद है कि ऐसा नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं समझता। आपका भी उद्देश्य वही है, मैं भी वही बात कह रहा हूं। अगर आपने नगरपालिकाओं को यह काम नहीं दिया और किसी एजेंसी को दे दिया और उनसे भी कहा कि आप कोई नयी बात कहें तो कह दें तो यह तो उनको अपमानित करना भी है और इसका कोई असर भी नहीं होगा। इसलिए यह काम तो उनको ही करना चाहिए। आप अपने एडवाइजर को भेज सकते हो। जो नगर नियोजन में ज्यादा दक्षता रखते हैं वह उनकी मदद तो कर सकते हैं लेकिन वह अपना प्रस्ताव भेज दें कि आपको कुछ कहना है तो, उस पर भी यह नहीं कि बाध्यकारी होगा या पुनर्विचार होगा या जायेगा ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं है।

इसलिए सबसे बड़ा काम जो नगर नियोजन का है वह आप उनको नहीं दे रहे हैं। फिर नम्बर दो पर आपने लिखा है, राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा नगरीय क्षेत्र में समस्त प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में नगरीय निकायों को अधिकृत करना उचित है। इस बाबत फिलहाल 500 वर्ग गज तक भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नगरपालिका और 1000 वर्ग गज तक के लिए नगर परिषद्, नगर सुधार न्यास तथा 1500 वर्ग गज तक के लिए नगर निगम, नगर सुधार न्यास को अधिकृत किया जाए। यह क्या होगा इसमें? आपने अधिकार दिया नगरपालिका को और यू.आई.टी. को, यह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अधिकार नगरपालिका को क्यों नहीं देना चाहते? आप नगरपालिका को सशक्त कर रहे हो, इस यू.आई.टी. का क्या मतलब है? यू.आई.टी. ईमानदारी से तो नगरपालिका की जो स्कीम है, जमीन है, उसके विकास के लिए होती है, उसका परमानेंट काम नहीं है, जब वह एरिया विकसित हो जाए तो नगर विकास न्यास वहां नहीं रहना चाहिए, पर जमे बैठे रहते हैं, नहीं हटते। अब आपने कह दिया कि नहीं वह इसका नियमन भी करेंगे, क्यों करेंगे जब नगरपालिका है, नगर परिषद् है, नगर निगम है, तो वही करेंगे, जब अधिकार दे रहे हो तो ऐसा क्यों? यह है आज और फिर आपने यह और लिखा है, जयपुर नगर में नगर सुधार न्यास, नगर सुधार न्यास कहां है साहब जयपुर में? है क्या कहीं?

श्री शांति कुमार धारीवाल : प्राधिकरण।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किताब है क्या आपके पास?

डा. बुलाकीदास कल्ला : लिखा हुआ है, एक ही बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरी किताब में तो नगर सुधार न्यास है। हो सकता है आपके पास कोई दूसरी किताब हो, पेज 76 है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सबकी में न्यास है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : न्यास ही है न? गलत भी पढ़ सकता हूं, कोई किताब गलत भी आ सकती है। पेज 76 है, न्यास ही है, मैं गलत पढ़ सकता हूं। तो यह कहां-कहां से आया? मान लो आपने लिख दिया...

डा. बुलाकीदास कल्ला : लिखा हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरी भूल हो गई साहब, अब जरा फिर पढ़ लूं क्या एक बार?

श्री शांति कुमार धारीवाल : पढ़ लो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप भी पढ़ लो मेरे साथ ही। 150 वर्ग गज तक के लिए नगर निगम, यह लिखा है। नगर निगम, जयपुर के लिए नहीं है। तीन निगम हैं राजस्थान में केवल, अभी आप नए-नए पधारे हैं, तीन हैं कुल जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो यह जयपुर नगर निगम में यह कहां आयेगा, नगर सुधार न्यास?

डा. बुलाकीदास कल्ला : जयपुर कहां लिखा हुआ है इसमें?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसको छोड़ दिया न इसमें, नहीं है न, उसको माइनस करके है न?

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : कोटा में है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हुआ तो इसको जयपुर को दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जयपुर में तो जे.डी.ए. है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो वह लिखा नहीं है, इसमें श्रीमान्, आप लिखो, जयपुर छोड़ कर।

श्रीमती ममता शर्मा (संसदीय सचिव): अण्डरस्टूड है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह अण्डरस्टूड है तो जे.डी.ए. है क्या? क्या अण्डरस्टूड है?

श्री राजेन्द्र पारीक : वह इसमें साइलेंट है।

श्रीमती ममता शर्मा : जयपुर में जे.डी.ए. साइलेंट है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह साइलेंट है लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है तो आप इतनी जिद क्यों करते हैं? करैक्ट कर लो इसको। आप इस पर बहस कर रहे हैं, नहीं-नहीं, ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : रह गया इसमें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रह गया इसमें गलती से, मैं कब कहता हूं कि आपने बनाया नहीं, आपने पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मिस कर सकते हैं, अच्छा दोनों को, सारे पावर दे दिये, यह काम नगर परिषद् का है, उनको ही दीजिए, यह क्यों बीच में अड़ा रहे हो? फुल पावर देना चाहते हो, सशक्तीकरण कर रहे हो तो विभक्तीकरण क्यों कर रहे हो?

(19.24 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके पास पढ़ा हुआ हो तो वह ले लो, पढ़ा हुआ मान लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह आपने जो दिया है, वही है, नया कुछ नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट। यह बिल नहीं है। आप तो उस हिसाब से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, अच्छा है, विश्लेषण कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने इसको पढ़ा है।

श्री सभापति : मैं एक निवेदन कर रहा हूं इसलिए मेरे खयाल से आप इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, उन पर कहें, यह बिल की तरह एक-एक शब्द है, एक-एक लाइन है, वह अवोइड कर दें, अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा कहें, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह मैंने पढ़ लिया है, यह एक्ट नहीं है, यह मुझे मालूम है और एक्ट मानकर नहीं चल रहा हूं मैं इसको।

श्री सभापति : नहीं, वह नहीं कह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यदि आप मेरा समय कम करना चाहते हैं तो मैं अभी बन्द कर देता हूं कर दूंगा मैं।

श्री सभापति : यही बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं यही छोड़ देता हूं।

श्री सभापति : नहीं, बात समय वाली है, आप कनक्लूड कर दें, बात समय वाली है, बहुत कुछ पाबन्दी भी नहीं है, समय की, मर्जी हो उतना लगाओ आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मान लीजिये, हमारे मंत्री की तरह, उनको रोक दीजिए आप।

श्री सभापति : नहीं, वह नहीं कह रहा हूं। कनक्लूड कर दें तो अच्छा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो खूब बोलते रहे, उनसे मजे लेते रहे।

श्री सभापति : नहीं ठीक है, बोलिये आप बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : चलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। आगे चलिए। तीन है, इसमें लिखा है, नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिए नगरपालिकाओं को अधिकृत किया जायेगा। नगरपालिका क्षेत्र में स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावासों को नगरपालिकाओं को हस्तांतरित किया जायेगा। मतलब यह हुआ कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब छात्र हैं उनका आप ध्यान रखेंगे, उनकी आप मदद करेंगे, जो छात्रावास में रहते हैं केवल उनकी। अब छात्रावास में नहीं है लेकिन उसकी स्थिति भी वह की वह है, जो छात्रावास में है तो उनके लिए नगरपालिका कोई ध्यान नहीं देगी। मान लो कोई गरीब पढ़ नहीं रहा है, गरीब है, पढ़ने की भी स्थिति में नहीं है, उसकी देखरेख के लिए आपने इसमें उद्धरण नहीं किया, मेरा ऐसा विचार है इस प्रकार के जो लोग हैं जो पढ़ाई भी नहीं कर सकते, वास्तव में आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं या उनके माता पिता इतनी मानसिकता के नहीं हैं, उनकी देखरेख के लिए भी नगरपालिकाओं को अधिकृत करें क्योंकि नगरपालिकाओं की इस प्रकार की बस्तियों में बहुत से लोग रहते हैं, जिनकी देखरेख करना उनके लिए बहुत जरूरी है और लाभदायक होगा। आपने केवल सीमित कर दिया कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी, पढ़ने वाले तो और भी कई लोग होंगे उसी श्रेणी के तो उनको भी जोड़िए आप।

फिर आपने चार नम्बर पर सड़कों और पुलों के लिए लिखा है, उसमें आपने कह दिया कि नहीं, यह काम आपको नहीं देंगे। सड़कें अगर नगरपालिकाओं को, पुल तो मत दीजिए, आप भले लेकिन सड़क का निर्माण भी आप नगरपालिकाओं को नहीं देंगे तो उसके पास काम ही क्या है? सड़क, नाली, सफाई, बिजली, प्रकाश, यही तो काम हैं उसके पास तो सड़क का काम उनको देंगे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नहीं आप, सशक्तीकरण तो कर देंगे उनका आप, सड़क मत बनाओ आप, वह तो हम ही बनाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप?

फिर जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जलप्रदाय, बहुत अच्छा हैडिंग है यह, आप नगरों को पानी पिलाने का काम भी नगरपालिकाओं को दे देंगे, यह अच्छा है हैडिंग तो, पर इसमें देंगे क्या आप? हैण्ड पम्पों की सम्पूर्ण मरम्मत, शब्द खयाल रखें, मरम्मत केवल, संधारण, संधारण का मतलब मेंटीनेंस होता है शायद अंग्रेजी में, मेंटीनेंस जिसको कहते हैं आप, मेंटीनेंस तथा नाकारा हैण्ड पम्पों के स्थान पर नए हैण्ड पम्पों का निर्माण का कार्य मय बजट हस्तान्तरित करेंगे आप। आपको मिला है यह, कल्ला साहब, मिल गया आपको यह? Have you got it? तो नाकारा हैण्ड पम्पों के स्थान पर नए हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य कर सकेंगे। अगर कहीं आवश्यकता है, कच्ची बस्ती है, गरीब बस्ती है या पानी नहीं आ रहा है तो एक नया हैण्ड पम्प नहीं खोद सकती है नगरपालिका, हैण्ड पम्प लगाएगी नए और आपने कहा कि सारी जलप्रदाय योजनाएं उनको हम दे रहे हैं। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन, इसमें क्या वाणिज्यिक प्रयोजन पूरा होगा? एक हैण्ड पम्प ठीक करने में कौनसा वाणिज्यिक प्रयोजन पूरा होगा? औद्योगिक प्रयोजन उस हैण्ड पम्प को ठीक करने से पूरा होगा?

यह आपका नहीं है, यह हैडिंग है, यह संविधान का है, संविधान में जो 18 हैं, उनमें यह है पांचवां। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : बिल पर डिस्कशन कर रहे हैं?

श्री सभापति : आप तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की तरह से व्याख्या करने लगे माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सशक्तीकरण तो करना है न, सशक्तीकरण का कंसेप्ट भी क्लीयर तो होना चाहिए।

श्री सभापति : क्लीयर तो है यह।

श्री मानिक चन्द सुराना : और आपने सेमीनार ही तो किया है और आज क्या किया है? यह परिचर्चा ही तो है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह पहली बार पढ़ रहे हैं जो कुछ भी सामने आ रहा है वह मंत्री महोदय से पूछ रहे हैं, अध्ययन काहे का किया है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर मैं बिना अध्ययन के बोल रहा हूं तो और भी तारीफ की बात है। आप तो दस बार पढ़ कर फेल होते थे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजेन्द्रजी साहब, आप तो रामस्वरूपजी को फीड करें, इनको क्यों कर रहे हैं?

श्री सभापति : आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कुलमिलाकर मेरा निवेदन यह है कि हाउस की मंशा को समझ रहा हूं, काफी डिस्कशन हो चुका है। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह आपके कहने से नहीं बोलेंगे, अपने हिसाब से बोलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप कहेंगे तो जरूर बोलूंगा।

श्री सभापति : अब आप कनक्लूड करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपके कहने से थोड़े ही बोलूंगा मैं।

श्री सभापति : अब कनक्लूड करेंगे ये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपके कहने से जरूर बोलूंगा।

श्री सभापति : अब कनक्लूड करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर आप यही चाहते हैं तो मैं कर देता हूं, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो सारी बातें हैं उन सब बातों पर विचार करिए आप और मेरा विचार तो यह है कि एक बार आपने यह कमेटी बनायी है जिसका यह विचार आया है कुछ लोगों के साथ बैठकर यह एक्ट ड्राफ्ट करें और बैठकर आप यह मत करिए, अछूत मत मानिए कि विपक्ष के हैं, इनको बिठाने से न जाने क्या हो जाएगा, ऐसा मत करिए, ज्ञान केवल सीमित नहीं होता है, कुछ लोगों के पास, बहुत लोगों के पास होता है। तो हमारे भी इधर के भी और मान लो हाउस के मेम्बर नहीं हैं, लेकिन जिन्हें इसमें ज्ञान है, अनुभव है, क्योंकि यह एक्ट हमेशा के लिए बनाओगे और बड़ी उदारता से बना रहे हैं, नगरपालिकाओं को मदद के लिए बना रहे हैं। आपने कहा जो पशु क्रूरता होती है उस क्रूरता के निवारण का अधिकार भी नगरपालिका को देंगे आप। क्या करेगी वह? कोई जुर्माना कर देगी, जेल भेजेगी, क्या करेगी, क्रूरता कैसे रोकेगी? वह तो आफेंस है, क्रूरता तो आफेंस है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : वह किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें लिखा है साहब। रामनारायणजी साहब, यह लिखा है, यह बिजली की रोशनी में दिख सकता है। लिखा है इसमें।

श्री सभापति : रामनारायणजी तो आपको भटकाना चाहते हैं, आप भटक नहीं रहे हो। वे भटकाना चाहते हैं आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उनके मेरे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। वह जरूर भटक गये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : वसुंधराजी की ना-नुकर से आज जरा मूड बहुत अच्छा है, साहब का। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब समाप्त कर लो थोड़ा सा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो मैं निवेदन कर रहा हूं पशु क्रूरता के लिए भी आप उनको क्या करेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, जितना इन्होंने अध्ययन किया है उसके आधार पर बोलने दो। ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नगरपालिकाओं द्वारा आधुनिक...

श्री राजेन्द्र पारीक : चेहरा ही ऊर्जावान आज हुआ है इनका तो।

श्री सभापति : दो ब्राह्मण एक साथ नहीं होते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खैर, मैं आप सब लोगों की जो मंशा है उसको समझ पा रहा हूं। क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं यह एक्ट नहीं है, यह बात सही है कि यह एक्ट नहीं है, एक्ट तो बाद में बनेगा, लेकिन एक्ट क्या बने उसके लिए आपने हमसे सुझाव मांगे थे। अब आप समझते हो कि इतना ही पर्याप्त है, बाकी अक्लमंद को इशारा बहुत है, अगर ऐसा फार्मूला है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। अगर वह नहीं है तो मुझे बहुत बोलना पड़ेगा। अक्लमंद को इशारा बहुत है, तो ठीक है। अभी जवाब थोड़े ही देंगे वे।

श्री सभापति: वह तो बिल के टाइम बोलेंगे अपन सब मिलकर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह क्रूरता निवारण जो होगी नगरपालिका उसको कैसे करेगी। कोई कोर्ट बनाएगी (व्यवधान) कर लीजिए, कोई बात नहीं। बात तो खैर कानून बनाने से होगी ही, लेकिन कुछ बातें ऐसी डाल दीं जो कर नहीं पायेंगे। कुछ बातें ऐसी रह गईं जिनको आपने डाला नहीं। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इन सब बिंदुओं पर विचार करने के लिए एक बार कुछ लोगों के साथ बैठ जाइए और इसको जब लाएं तो फिर ऐसा लाइए कि वास्तव में आने वाला युग ही याद करे कि कोई ऐसी नगरपालिकाएं बनी थीं और नगरपालिकाओं को इतने अधिकार मिले हैं जो वास्तव में सशक्त हों और..

श्री सभापति : यह तो होगा ही।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी हमारे आदरणीय परसादी लालजी नहीं हैं यहां पर। वे यहां नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य : बैठे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बैठे हैं, पर बैठे हुए दिखते नहीं है। पर मैं एक शर्त पर बोल सकता हूं अगर आप बीच में नहीं बोलें तो। क्योंकि अभी जब चर्चा हुई थी तो आपने एक तो अशोकजी के खूब गुणगान किये, खूब गुणगान किये अपने मुख्य मंत्रीजी के। खैर, करना भी चाहिए था।

एक माननीय सदस्य : आप भी भैरोंसिंहजी की करते थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : करते थे, कौन मना करता है और आज देखो, वे किस स्थान पर चले गये। सही करते थे हम तो। उनके गुण थे इसलिए करते थे, यहां क्या लेना-देना है। करो तो सही बात का तो करो। (व्यवधान) उन्होंने पुल बांध दिए, किस-किस के क्या कर दिया। क्या लेना-देना। (व्यवधान) तो आपने कहा जयपुर में आपने कुछ नहीं किया। खैर, मैं यह कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप आंख खोल कर जयपुर शहर को देखें तो जो 40 साल में काम नहीं हुआ था आपके राज में वह जयपुर शहर में किया है हमने। (व्यवधान) अभी हुआ है। (व्यवधान) आ रहा हूं, फिर बोल दिया आपके बीच में। हुआ है, अभी हुआ है, मैं मना नहीं करता। अभी भी हुआ है, पर हुआ क्या? 40 साल में जो आपके नहीं किया वे खड्ढ़े हमने भरे हैं। वे दिखें किसको? खड्ढ़े थे दिखते किसको?

श्री परसादी लाल : आपके समय खड्ढ़े सारे राजस्थान में हैं सड़कों के। आपने एक सड़क का रिपेयर नहीं करवाया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर आप बीच में बोल रहे हो।

श्री परसादी लाल : करोड़ों रुपए खर्च करके गहलोतजी की सरकार ने किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सीने पर जो फफोले पड़े हुए थे उन फफोलों को 600 करोड़ में अब हम भर रहे हैं।

श्री परसादी लाल : चतुर्वेदीजी ने यह कहा कि सड़कों पर खड्ढ़े होते हैं तो मेरी छाती पर फफोले होते हैं। उन फफोले वालों के तो दर्शन हुए नहीं और आप खड्ढ़े बता रहे हो ।

श्री राजेन्द्र पारीक : उन फफोलों को 600 करोड़ रुपए खर्च करके भर रहे हैं?

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा कुछ नहीं। दो साल में 600 करोड़ कितने हुए? शहरों में लगा दिये 900 करोड़ रुपए...(व्यवधान) पूरे राजस्थान में खर्च कर रहे हैं क्या मेहरबानी कर दी आपने ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके सीनियर लीडर बोल रहे हैं।

श्री परसादी लाल :आपने सारी सड़कों का सत्यानाश कर दिया, पूरे राजस्थान का सत्यानाश कर दिया जिनको अब ठीक कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपका आ गया अंतिम समय, अब भरो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह अभी नहीं मंत्रीजी। वह अभी पूर्व मंत्री हैं नहीं। अभी विश्नोई साहब हैं नहीं, भट्टा बिठाने की बात तब करते आप।

श्री परसादी लाल : आपकी सारी कार्य प्रणाली हमने साढ़े आठ साल तक देखी है। अगर आपमें ही ठीक होता तो आप पीछे नहीं आगे बैठते।

श्री राजेन्द्र पारीक : अभी आप जो धीमी गति से समचार पढ़ रहे हो वैसे ही आपका धीमी गति का काम था तब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है, कोई बात नहीं। आप बोल चुके हैं।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब सुनने की हिम्मत है या नहीं?

श्री सभापति : हिम्मत है पूरी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं है, तो हाथ खड़े कर दो।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, खूब है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो फिर सुनो, बार-बार क्यों बोलते हो बीच में? आप जब बोल रहे थे तो मैं कब बोल रहा था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आदत से लाचार हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने अनावश्यक रूप से बात कर दी। भंवरलाल शर्मा बीच में आ गया। कहां से आ गया? आपने कम्पेयर किया अशोक गहलोतजी को और मुझे उनको बड़ा बनाने के लिए। क्या लेना-देना था? आप चर्चा कर रहे थे पंचायत पर, कहां भंवरलाल शर्मा बीच में आया था? लेकिन आपने मतलब से मेरा नाम लिया होगा, कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए लिया होगा। अब दो मिनट मेरा भी सुन लो आप।

श्री सभापति : काफी सुन लिया।

श्री परसादी लाल : आपकी भी हिम्मत होनी चाहिए सुनने की।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर खड़े हो गये।

श्री परसादी लाल : आप अगर मुझे सुनायेंगे तो आपकी भी हिम्मत होनी चाहिए सुनने की। आपके बारे में जो लिखा है वह मैं भी कह दूंगा।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री परसादी लाल : ऐसे नहीं, मैं भी सुना दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसका मतलब है आपके खिलाफ कुछ कहने के लिए है कहीं न कहीं तो।

श्री परसादी लाल : ऐसा नहीं है। आपके बारे में जो आपके शासन में जो टिप्पणियां हैं आप कहोगे तो मैं भी कहूंगा फिर।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री परसादी लाल : आप कहेंगे तो मैं भी आपको जवाब दूंगा। ऐसा नहीं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री परसादी लाल : हम आपसे कमजोर नहीं हैं, कोई आपकी कृपा से जीत कर नहीं आये हैं। आप कहोगे तो आपको सुनना ही पड़ेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह अपने राज की उपलब्धियां, अपने मंत्रित्वकाल की बता रहे हैं, आप अपनी बता देना, कहां दिक्कत है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : शर्माजी (व्यवधान) मंत्रीजी तो रुक गये। वह तो रुक गये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मुझे इतना ही कहना है, मैं इतना ही कह सकता हूं आपको जो काम कांग्रेस ने आजादी के बाद 40 साल में नहीं किया वह काम हमने किया।

श्री सभापति : बिलकुल ठीक कहा आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर ये कर देते, अगर आपने 40 साल में एक काम भी किया होता तो करने को कुछ बचता ही नहीं। अब क्या कर रहे हो फिर आप।

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर आपने सारे काम 40 साल में कर दिये तो अब क्या कर रहे हो। कुछ नहीं किया।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छा, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी। माननीय श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और तिहत्तरवें व चौहत्तरवें संविधान संशोधन की मूल भावनाओं के अनुरूप इनके सशक्तीकरण के उपायों पर विचारार्थ हेतु विशेष सत्र का जो आयोजन किया गया है उसके लिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत के प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं। राजस्थान के समस्त चुने हुए पंचायती राज के जन प्रतिनिधि और नगर निकाय के चुने हुए समस्त पार्षदगण भी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि विशेष सत्र बुलाकर पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिकाओं को संवैधानिक अधिकार देने के लिए पहल की है। पूरे भारत देश के अन्दर 26 राज्यों में जो पहल राजस्थान राज्य के अन्दर की है। (व्यवधान)

श्री सभापति : पारीक साहब, आपकी पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय सभापति महोदय, भारत को आजाद कराने के लिए ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसम्बर, 1885 में हुई। भारत को आजाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी उसके बाद जाकर भारत आजाद हुआ। आजाद भारत में सदियों से शोषित, दलित समाज को भारत की आजादी के अन्दर पंचायती राज का जो सपना देखा, अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ और आजादी के पुरोधा, दलितों के मसीहा और संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपना संविधान रचते समय संविधान के अनुच्छेद 40 में भी पंचायती राज के सम्बन्ध में ग्राम स्वराज्य की स्थापना करने के लिए निर्देश दिये थे वह संविधान इसी आधार के लिए रचा था। लेकिन हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद सामंतशाही व जागीरदारों से स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को जोड़े बिना ग्राम स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती है।

अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने भी सन् 1946 में हरिजन पत्रिका में लिखते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि अनुसूचित जाति, जनजाति के समाज को जोड़े बिना सामाजिक विषमताएं रहेंगी और उनके जोड़े बिना ग्राम स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने खुले दिल से और खुले विचार से छुआछूत को मिटाते हुए समानता का अधिकार देने के लिए भंगी समाज को हरी का जन बताकर और हरिजन शब्द से संबोधित किया है। इससे उनकी मानसिकता इस चीज से परिलक्षित करती है कि स्वर्गीय महात्मा गांधीजी जो गांवों के अन्दर भारत की आत्मा जो गांवों में बसती है, उसके अन्दर वास्तविक रूप से ग्राम स्वराज बने उसके लिए उन्होंने जो सपना देखा उसको साकार करने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लालजी नेहरू ने पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर पंचायती राज को मजबूत करने के लिए इस राजस्थान के नागौर जिले के अन्दर 2 अक्टूबर, 1959 को दीप प्रज्जवलित कर लोकतंत्र की सत्ता के विकेन्द्रीकरण की जो ज्योति जलायी। 1959 के अन्दर दीप प्रज्जवलित हुआ, तब से लेकर आज 1990 तक किसी प्रकार से इन पंचायतों को अधिकार नहीं मिल पाया। इस गहराई में मैं जाना चाहूंगा।

आदरणीय सभापति महोदय, आजाद भारत के बाद में अनुसूचित जाति, जनजाति को 10-10 साल का आरक्षण दिया गया था उसके बावजूद भी सामाजिक विषमताओं के कारण से वह छूआछूत की बीमारी नहीं मिट पायी। इन्दिरा गांधीजी के जमाने में यहां पुराने जो हमारे पूर्वज हैं वह इस चीज को जानते हैं और पुराने यहां पर अनुभवी विधायक हैं, मंत्रीगण हैं वह इस चीज को जानते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति का आदमी गांव की चौपाल के

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

सामने से गांव के गढ़ और रावलों के सामने से चप्पल पहन कर और जूते पहन कर नहीं गुजर सकता था। उसको माथे के ऊपर अपनी चप्पलें, मोचड़ियां और जूतियां रखकर गुजरन पड़ता था। सामंतशाही प्रथाओं के माध्यम से शोषित, दलित समाज कुंठित था, जिस प्रकार के दलित समाज के ऊपर अत्याचार किये गये थे, जिस प्रकार के अत्याचार हुए थे।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति जनजाति जो शोषित होता आ रहा था उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन तो आया कि इन्होंने कांग्रेस के शासन में एक आई.पी.एस. अधिकारी को पीटने की छूट तो दे दी। इतना परिवर्तन तो जरूर हुआ।

श्री सभापति : बिराजिए हो गया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : समानता का अधिकार दिलाने के लिए, सभापति महोदय, 1970 के अन्दर अन्तरराष्ट्रीय नेता स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सामंतों और राजे-रजवाड़ों के राज खतम कर दिये, उनके प्रिविपर्स खतम कर दिये, किलों की किलेबन्दी कर दी और इस स्वराज को स्थापित करने के लिए और समानता का अधिकार देने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति का फिर 10 साल की और आरक्षण अवधि को बढ़ाया। उनके बाद में जब सत्ता की डोर हिन्दुस्तान के आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधीजी ने जब केन्द्र की सरकार सम्भाली, उन्होंने महात्मा गांधीजी के सपनों को साकार करने के लिए, नेहरूजी के सपने को साकार करने के लिए, इन्दिरा गांधीजी के सपनों को साकार करने के लिए और ग्राम स्वराज की स्थापना को साकार करने के लिए जब उन्होंने देखा कि 1959 के अन्दर जिस ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए जो दीप प्रज्जवलित हुआ उनको अभी तक उसको किसी प्रकार का संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया था। उसके पीछे एक ही मंशा थी कि वह सामाजिक परिवेश के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति समाज को आरक्षण नहीं था। इसके अन्दर आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन करते समय श्री राजीव गांधीजी ने शिक्षा से लेकर नौकरी तक आरक्षण दिया, वार्ड पंच से लेकर सांसदों तक जो आरक्षण दिया वह कांग्रेस पार्टी ने दिया। ग्राम स्वराज की स्थापना करने के लिए पंचायतों को अधिकार देने के लिए उन्हें पता था कि सन् 1959 से जो यात्रा चली हुई आ रही है, 1989 तक पंचायतों को संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है, उसके पीछे एक ही मंशा थी कि उसमें पंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण नहीं था।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उस आत्मा के प्रति नमन करता हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने 1989 के अन्दर पंचायतों को चुनाव के लिए 73वें,

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

74वें संविधान में संशोधन करते समय अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं को आरक्षण देकर उनका चुनाव करवाया गया। 1992 के अन्दर यह संशोधन पारित हुआ। उसके बाद जब पंचायतों के चुनाव हुए, उन पंचायतों के चुनाव के बाद में जिस प्रकार से खुशहाली आई राजस्थान के अन्दर कि जिन अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को उन गढ़ और रावलों के सामने से जाने के लिए पांबदी थी वही अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रधान, वही सरपंच उसी चौपाल के सामने सरपंच के रूप में जीतकर आए और वहां चौपाल पर बैठकर न्याय की बात करी, विकास की बात करी और वहां पर सामाजिक सुरक्षा की बात करी। यह कांग्रेस पार्टी की देन है, यह राजीव गांधीजी की देन है।

आदरणीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से राजीव गांधीजी ने यह बिलकुल बात ठीक कही, 1988 के अन्दर अजमेर के पटेल मैदान में उन्होंने इस बात को सत्यता के साथ में दोहराया कि जिस प्रकार से केन्द्र सरकार से मैं ऊपर से एक रुपया भेजता हूं वह नीचे पंचायत स्तर पर जाते-जाते 15 पैसे रह जाता है, 85 पैसे जो प्रशासन के कारिंदे भ्रष्टाचार के रूप में हजम कर जाते हैं। इसलिए उन्होंने खुले दिमाग से इस बात को कहा था। पूरा का पूरा पैसा कैसे वहां पहुंचे। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी आवाज को सत्यता के साथ में दोहराया था।

आदरणीय सभापति महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधीजी ने 18 साल के नौजवान को वोट देने का अधिकार भी दिया। 73वें, 74वें संविधान को संशोधन करके पंचायती राज की स्थापना भी की और पंचायती राज के चुनाव भी करवाए। मैं आज इस मौके पर राजस्थान के अन्दर पंचायती राज के सशक्तीकरण करने के लिए, उनको संवैधानिक अधिकार देने के लिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी,

(19.49 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आदरणीय पंचायती राज मंत्रीजी, स्थानीय निकाय मंत्रीजी और आदरणीय शक्तावतजी की कमेटी के प्रति भी आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि राजस्थान राज्य पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर अग्रणी रहेगा और इनकी जो सिफारिश पेश की गयी हैं इन सिफारिशों को हू-ब-हू मानने के लिए मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं।

साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक बात कही कि समाज की सेवा करने का सबसे बेजोड़ और सबसे कारगर हथियार उनके पास यह है कि संसाधनों के लिए केवल सरकार की बाट जोहते रहने की आदत उन्हें अब छोड़नी पड़ेगी और ग्राम सभा की सर्वोच्चता को सही अर्थों में स्थापित

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

किये बिना देश की खुशहाली की राह और उसके साथ पंचायत प्रतिनिधियों की सार्थकता की राह प्रशस्त नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके अन्दर यह भी अमेंडमेंट करें कि जिस प्रकार से पंचायती राज स्वयं अपने आप में निर्भर हो करके अपनी आय के स्रोत खुद ढूंढे।

दूसरा, आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार अपने करों व अन्य स्रोतों में आय का समुचित हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने हेतु अधिनियम को संशोधित कर आदेशात्मक प्रावधानों को लागू करना चाहिए।

तीसरा, यह कि भू-राजस्व की सम्पूर्ण राशि भी पंचायती राज संस्थाओं को आबंटित की जानी चाहिए एवं जिला खण्ड स्तर पर वैधानिक कोष सृजित किया जाए व समस्त आय व अनुदान आबंटन की राशि उक्त कोष में रखी जाकर उसका नियमानुसार उपयोग किया जाना चाहिए। (व्यवधान) यह सुझाव देने के लिए ही है। टैक्स लागू करने एंव नियमों में प्रावधान करने हेतु गृह कर, मनोरंजन कर, वाहन कर, मवेशियों के, सामान के आयात पर चुंगी आदि पंचायतों द्वारा वसूली के आदेशात्मक प्रावधान अधिनियम में किये जाने आवश्यक हैं।

इसी प्रकार पंचायत समितियों के लिए व्यवसाय, उद्योग, व्यापार मेला आदि पर एवं भू-राजस्व, शिक्षा के लिए शेष लागू किया जाए। राज्य स्तर पर एक पंचायत वित्त निगम की स्थापना की जाए जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को लाभकारी पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए लम्बी अवधि के ऋण इस संस्था के माध्यम से राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से सुलभ हो सके। भौतिक संसाधनों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित कर पंचायत खण्ड व जिला स्तर पर योजनाएं, परियोजनाएं बनायी जाकर पंचायत खण्ड व जिला स्तर पर भागीदारी से लागू की जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए। अब सुझाव आप मंत्रीजी को लिख कर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। मैं यही कह रहा हूं। समय एक घंटा बढ़ाने का कह रहे हैं उसमें दो माननीय मंत्री जवाब देंगे और 6-7 माननीय सदस्य और बोलने बाकी हैं तो कृपया करके समय का ध्यान रख करके साढ़े आठ बजे तक जवाब दिला दें तो ऐसी स्थिति ले आएं तो चल जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बिराज रहे हो तो 9 बजे खतम हो ही जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी यह समाप्त करो। सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

एक घंटा बढ़ाया गया। चलो बोलो।

विभिन्न विषयों पर विचार

पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और संविधान संशोधन भावनानुरूप उनके सशक्तीकरण के उपायों पर विचार

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी राजस्थान के आधुनिक गांधी हैं, राजस्थान के लौह पुरूष हैं, राजस्थान के आधुनिक निर्माता हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़े वर्ग के मसीहा हैं। महात्मा गांधीजी के सपनों को साकार करने के लिए इन्होंने एक पालिसी जिस प्रकार से नगर निकायों के अन्दर एक हरिजन समाज के आदमी को सहवरण सदस्य नियुक्त किया है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी पंचायती राज और नगर निकायों को सशक्त करने के लिए, उनको संवैधानिक अधिकार देने के लिए उस अनुसूचित जाति, जनजाति, उस हरिजन समाज के व्यक्ति को सहवरण सदस्य नियुक्त कर महात्मा गांधीजी के सपनों को साकार किया है इसलिए हम लोग कहते हैं कि वे राजस्थान के आधुनिक गांधी हैं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन आपने समय सीमा के अन्दर बांध दिया इसलिए अपनी बात को समाप्त करते हुए इस कमेटी को धन्यवाद देता हूं, आदरणीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी धन्यवाद। आप समझदार हो। श्री जुगलजी काबरा। समय का ध्यान रखें।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और 73वें व 74वें संविधान संशोधन की मूल भावना के अनुरूप उन्हें सशक्तीकरण के द्वारा अधिकार सम्पन्न करने के लिए राजस्थान विधान सभा का यह विशेष सत्र आहूत किया गया है। गत दो दिनों से सभी माननीय सदस्य पूरी तन्मयता के साथ इस विचार मंथन में हिस्सेदारी निभा रहे हैं।

मान्यवर, प्राचीनकाल से ही भारतीय संस्कृति में पंचायत व्यवस्था की अवधारणा रही है और उसी के अनुरूप जन सहभागिता के लिए समय-समय पर प्रयास किये गये हैं। यहां तक कि अंग्रेजी

(श्री जुगल काबरा)

शासनकाल में भी कई वायसरायों ने यह प्रयास किया कि पंचायती राज संस्थाएं कायम करके चाहे सीमित मात्रा में ही जनता को अधिकार सम्पन्न करते हुए उनका सहयोग प्राप्त किया जाए, चाहे मनोनीत पंचायत संस्थाओं द्वारा जनता को इसमें सम्मिलित किया जाए इस तरह का प्रयास शुरू से रहा है। लार्ड मेयो, लार्ड रिपन से ले करके मांटेगो और चेम्सफोर्ड के रिफार्म तक इस तरह का यह प्रयास हुआ। 1935 में जब पापुलर गवर्नमेंट बनी उस समय भी महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद जब हमारे देश का संविधान बना उसमें आर्टिकल 40 के द्वारा ग्राम पंचायतों को अधिकार सम्पन्न करने तथा स्वायत्तशासी बनाने के लिए संविधान में प्रावधान किये गये और सभी राज्य सरकारों को, राज्य विधान मण्डलों को यह निर्देश दिया गया कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें।

राजस्थान में पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया और उसके बाद काफी कुछ समय तक यह व्यवस्था कारगर ढंग से चलती रही किन्तु शनैः शनैः पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों में कमी होती गयी और ये संस्थाएं मात्र औपचारिक बन कर रह गयीं। ऐसी स्थिति में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में यह निश्चय किया कि हमें संविधान संशोधन के द्वारा इन संस्थाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व में जैसा कि कई वक्ताओं ने कहा, कई वर्षों तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए। राज्य सरकारों की इच्छा पर और मंशा पर ये चुनाव निर्भर रहे किन्तु संविधान संशोधन के बाद में अब यह सुनिश्चित हो गया है कि समयावधि समाप्त होने के बाद में आवश्यक रूप से पंचायत राज संस्थाओं और स्वायत्तशासी निकायों के चुनाव करवाने आवश्यक होंगे।

यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था जिसके माध्यम से यह आवश्यक हो गया कि इस तरह की व्यवस्था के बाद अब कोई भी स्वायत्तशासी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को रोक नहीं सकेगा। संविधान के 73वें और 74वें

(20.00 बजे)

संशोधन के द्वारा यह अधिकार दिया गया। राजीवजी ने अपने प्रधानमंत्री काल में प्रयास किया था कि इस अधिनियम को लागू किया जाए किन्तु उस समय राज्य सभा में कांग्रेस पार्टी का संविधान संशोधन के लिए पर्याप्त बहुमत न होने के कारण यह संभव नहीं हो सका।

1991 में कांग्रेस दुबारा जब सत्ता

(श्री जुगल काबरा)

में आई, उसके बाद 1992 में ये दोनों संविधान संशोधन पारित कराए गये और उसका प्रभाव यह रहा कि एक तरफ समयबद्ध चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और दूसरी तरफ अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला जो कभी सोच नहीं सकते थे कि हम इन स्थानीय निकायों और पंचायत संस्थाओं के प्रमुख पदों पर चुनाव लड़कर आसीन हो सकते हैं। आरक्षण के माध्यम से उन्हें यह अधिकार मिला और यह व्यवस्था निरन्तर जारी है। लोगों को जो आंशकाएं हैं कि कई माननीय सदस्यों ने दबी जुबान में यह आशंका व्यक्त की, यहां भी कईं समितियां गठित की गई, सेमिनार आयोजित हुए, उसमें भी इस तरह की आशंका जाहिर की गई कि अंगर पंचायती राज संस्थाओं को तथा स्वायत्तशासी निकायों को पूरी तरह से अधिकार सम्पन्न बना दिया जाएगा तो वह इस व्यवस्था को संभाल नहीं पाएंगे। आजादी से पूर्व देश की आजादी के बारे में भी इसी तरह की आशंका व्यक्त की जाती थी कि हिन्दुस्तान लोकतंत्र के काबिल नहीं है, हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र कायम नहीं रह सकेगा, लोकतांत्रिक गणराज्य टिक नहीं पाएगा किन्तु वे सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। इसी तरह से आज जो हम आशंका करते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं तथा स्वायत्तशासी निकायों को अगर हम अधिकार सम्पन्न बना देंगे तो वह इन अधिकारों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें खुली भावना से इन अधिकारों के हस्तान्तरण के लिए एक राय होकर यह प्रयास करना चाहिए कि इन संस्थाओं को अधिकाधिक रूप में हम किस तरह से सशक्त और मजबूत बनाएं। जहां एक तरफ पंचायती राज संस्थाओं में थ्री-टायर सिस्टम लागू किया गया है उसी तरह से नगरपालिकाओं को भी सशक्त बनाने के लिए कई प्रावधान किये गये हैं। देश के अन्य राज्यों में भी यह व्यवस्थाएं हैं। जो सेमिनार, सिम्पोजियम हुए हैं, जो हमारे विभिन्न कमीशन राज्य सरकार द्वारा गठित किये गये हैं चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमीशन हो या हमारा दूसरा वित्त आयोग राज्य का हो, इन सभी ने भी अन्य राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं तथा स्वायत्तशासी निकायों की कार्य पद्धति का अध्ययन किया है और उससे यह प्रयास किया है कि वहां जिस तरह के प्रावधान लागू हैं, उन प्रावधानों में से जो बेहतर प्रावधान हैं, उन्हें हम अपने राज्य में लागू करें और उन अधिकारों को हम अपने यहां भी हस्तान्तरित करें जिससे कि राजस्थान राज्य की जनता को स्थानीय स्तर के ऊपर

(श्री जुगल काबरा)

स्वायत्त शासन का अधिकार मिल सके और जो अवधारणा रही है महात्मा गांधी की, राजीव गांधी की ग्राम स्तर पर और नगर स्तर के ऊपर हम स्वशासन कायम करें। स्थानीय सरकार की अवधारणा को हम पूरी तरह से कार्य रूप में परिणत कर लें। इस तरह के जो प्रयास हुए हैं उसको हम हर तरह से मजबूत बनाने का प्रयास करें, यह हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए।

मान्यवर, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर निगमों की स्थिति वर्तमान हालात में बड़ी गम्भीर बनी हुई है। अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जैसा कि बता रहे थे कि नगरपालिकाओं और नगर निगमों की आर्थिक स्थिति आज उस तरह से नहीं है जिससे कि वह कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर सके और जो अधिकार और दायित्व उन्हें सौंपे जा रहे हैं उनको वह सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। मेरा निवेदन है कि इसके लिए राज्य सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारे स्थानीय निकाय पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके और जो कर्तव्य और दायित्व उन्हें सौंपे जा रहे हैं या जो पूर्व में उन्हें सौंपे गये हैं, उन सबका ये सही तरीके से पालना कर सके।

मान्यवर, वर्तमान में नगर निगमों की आय का मुख्य स्रोत राज्य सरकार द्वारा दिया गया चुंगी पुनर्भरण की राशि है और वह राशि भी इतनी अपर्याप्त है कि वह अपने कर्मचारियों की तनखाह भी नहीं चुका पा रही है। पूर्व में इन स्वायत्तशासी निकायों को मनोरंजन कर के रूप में आर्थिक संसाधन राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराए जाते थे किन्तु पिछले कुछ वर्षों से इसमें भी कटौती कर दी गई है। चुंगी पुनर्भरण के मामले में भी जिस तरह से राज्य की जनसंख्या के आधार पर इसका पुनर्भरण होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है। नगरों की जनसंख्या के आधार पर चुंगी की व्यवस्था राज्य सरकार नहीं कर पा रही है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में तीन नगर निगम हैं जयपुर, कोटा और जोधपुर, किन्तु जोधपुर नगर निगम को जो चुंगी के पुनर्भरण की राशि दी जाती थी, वह दोनों अन्य नगर निगमों के अलावा राज्य के अन्य नगर परिषदों की राशि से भी कम दी जाती है। पता नहीं, किस तरह से भा. ज. पा. के शासन में यह चुंगी पुनर्भरण की राशि जोधपुर के लिए तय की गई, न तो इसमें जनसंख्या का खयाल रखा गया, न चुंगी से आमदनी का खयाल रखा गया, किस तरह से इस राशि की व्यवस्था की गई और इसलिए आज भी जोधपुर का नगर निगम अपनी आर्थिक व्यवस्था के कारण...

श्री मदन दिलावर : चार साल में तो ठीक कर लेते आप। चार साल में भी यह नहीं सोच पाये।

श्री उपाध्यक्ष : मान्यवर, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? आपको बोलना है या नहीं बोलना है। आप बोलना नहीं चाहते हो क्या?

श्री जुगल काबरा : चुंगी पुनर्भरण की राशि नगर निगम, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं को उपलब्ध कराई जा रही है उस पर पुनर्विचार करके उसे जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्वायत्तशासी निकायों को स्थानीय कर लगाने की भी अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए ताकि ये स्थानीय स्तर के ऊपर अपने आर्थिक साधन जुटा सके। पूर्व में कई नगर परिषदों और नगर निगमों ने भी राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि कुछेक ऐसी जिंसें हैं जिनका सीधा जनता पर भार नहीं पड़ता है, शराब, तम्बाकू, गुटखा, पान-मसाला, पैट्रोल-डीजल, इनके ऊपर प्रवेश शुल्क लगाने की अगर राज्य सरकार इजाजत दे देती है तो नगर परिषदों, नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों को तो इनकी आय में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह से अन्य शुल्क लगाने की भी अगर इन्हें...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। ये अपनी सीट पर बैठे हैं, कैसे अलग करूं।

श्री जुगल काबरा : करारोपण का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है तो हम आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर सकेंगे। वर्तमान में इन स्थानीय निकायों को सफाई, सार्वजनिक रोशनी, भवन निर्माण की अनुमति, नाली निर्माण की व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था, आवारा पशुओं पर नियंत्रण, अग्निशमन सेवा, नगरीय भूमि का विक्रय तथा तालाब सरोवरों की व्यवस्था दी हुई है और अब कुछ अन्य अधिकार इन्हें प्रदान किये जाने वाले हैं जिनमें उद्यान तथा बाग-बगीचे, शिक्षा, चिकित्सा, पशु चिकित्सालय, भू-उपयोग परिवर्तन, हैण्ड पम्प संधारण, इसके साथ ही साथ शहरी यातायात व्यवस्था भी इनके अधिकार क्षेत्र में दी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए।

श्री जुगल काबरा : मैं चाहूंगा कि इतने सारे काम जब इन स्थानीय निकायों को प्रदान किये जा रहे हैं तो इसके लिए इनके आर्थिक साधनों के बारे में भी राज्य सरकार को सोचना चाहिए और इसके लिए विशेष व्यवस्था करने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखने के बाद ही हम जिस भावना से इन्हें अधिकार सम्पन्न करना चाहते हैं स्थानीय निकायों को, स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करना चाहते हैं वह हमारी भावना पूरी हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिकाओं के सशक्तीकरण के उपायों पर जो विचार चल रहा है, सरकार की ओर से मंत्री एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से कई बार यहां इस सदन में कहा गया कि राजस्थान पहला राज्य है जो पंचायती राज और नगरपालिकाओं के सशक्तीकरण करने के लिए, राजीवजी की, सोनियाजी की, पण्डित जवाहर लाल नेहरू से लेकर बड़े गुणगान किये जा रहे हैं कि केवल यह राजस्थान है जो पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं का सशक्तीकरण करने के लिए विचार कर रहा है। लेकिन यह जो पुस्तक दी गई है, मैं समझता हूं कि यह बिलकुल असत्य है। इस सरकार की ओर से राजस्थान की ग्रामीण और शहरी जनता को लुभावने नारों का रूप देकर उसको जिस तरह से आज 55 साल तक कांग्रेस ने चीट किया है उसी तरह से चीट करने की कोशिश इस सशक्तीकरण के माध्यम से की जा रही है। क्योंकि इस सरकार ने 1971 में बड़ा नारा दिया था कि "इस देश से गरीबी हटाएंगे और नई रोशनी लाएंगें।" रोशनी कैसी आई, इस 55 साल की आजादी के बाद भी आज 38 प्रतिशत लोग, 38 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। किस तरह से यह गरीबी मिटी है। आपने जो पुस्तक दी है इसी में है कि कई राज्यों ने इस सशक्तीकरण के माध्यम से और 11वीं अनुसूची में जो दिया गया है उनको इम्प्लीमेंट किया है, कर्नाटक हो, वेस्ट बंगाल हो और इसमें आखिरी पेज नं. 81 जो दिया गया है इसमें लिखा है—

"...delegated with all functions of 29 sectors under schedule 11 with 17 other item and 24 departmental schemes for implementation. In view of this, PRIS in West Bengal are very strong bodies to function as real institution of self-governance."

यह बंगाल में बहुत पहले से है और तय रूप से राजस्थान के ग्रामीण इलाके में आज भी राजस्थान की आबादी 80 प्रतिशत जो गांवों में है जिसका पेशा प्रमुख रूप से खेती है। उसमें राजस्थान की जो सरकारें रही हैं उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति पर सबसे पहले इस बात का आधार करता है कि इनकम बढ़ाने में, जहां खेती पर निर्भर है।

आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, हालात यह है कि 40 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के पास खेती का मात्र 15 प्रतिशत रकबा उनके पास है और राजस्थान के 15 प्रतिशत लोग आज भी 45 प्रतिशत जमीन पर काबिज हैं। भूमि सुधार का इसमें उल्लेख किया गया है, राजस्थान की सरकार द्वारा, राजस्थान के इस पवित्र

(श्री अमराराम)

हाउस में जो भी सीलिंग कानून बनाये गये, न उनको तब लागू किया गया, न उनको कभी आगे लागू किया गया। जहां तक इस सशक्तीकरण का सवाल है, जब तक राज्य के उस गरीब की आय नहीं बढ़ाई जाएगी, उसको सशक्त नहीं किया जाएगा तो आप कितने भी अधिकार दे दें उनका उपयोग वह नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज जिस तरह से यह उपयोग करने की बात है, यह अधिकार देने की बात है और मैं समझता हूं कि मूल रूप से जो पंचायती राज संस्थाओं की मूल इकाई जो ग्राम पंचायत है, तमाम निर्णयों और विकास के कार्यों को जो लागू करती है और उस पर जो तलवार केन्द्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी और राज्य सरकार की भी, मैं समझता हूं, राज्य सरकार की तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज के सिवाय शायद ही कोई योजना रही हो, 32 जिला 32 काम थी, अपना गांव अपना काम थी, तमाम वह योजनाएं जो राज्य सरकार से सीधी फण्डेड थी, एक भी योजना आज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को नहीं है। जो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं हैं ग्रामीण विकास की, उनमें राज्य सरकार का भी शेयर है लेकिन उनमें हालत क्या है, जो ग्रामीण विकास की सबसे पहली ईकाई है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत पर हमेशा के लिए तलवार लटकी रहती है। इसीलिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने इस राजस्थान की विधान सभा के सामने आकर हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट भी किया और वह तलवार इस रूप में लटकी रहती है, आपके इन सुझावों में भी आया है कि तीनों तरह के, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों में यह सजेशन है कि श्रम और सामग्री का जो रेशों है जिसकें आधार पर आंकड़े तैयार करवाने के लिए विकास कार्य ग्राम पंचायत तय करती है। ग्राम सभा तय करती है उसको निर्माण करने में जो भी श्रम और सामग्री का रेशो होगा उसके अनुसार नहीं होगा, सरकार की स्कीम के तहत तय होकर आएगा और सैंट्रल स्कीम भी आज सब की सब मिलकर एक स्कीम बनाई हुई है जिसमें मैं समझता हूं कि ग्रामीण विकास को नेस्तनाबूद करने का काम किया गया है जिसमें 75 प्रतिशत श्रम पर होगा और 25 प्रतिशत सामग्री पर होगा। कोई भी निर्माण कार्य पक्का निर्माण कार्य नहीं होगा, केवल कच्ची मिट्टी इधर से उधर हो सकती है। केवल काम एक ही हो सशक्तीकरण, केवल रोजगार देने की बात हो तो बात समझ में आ सकती है लेकिन गांवों में क्या आवश्यकता है। यह गांव के लोग और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा तय करे और उस पर अगर चुनी हुई संस्था काम नहीं करवाए, तो जो वोटर हैं वह उनको मारेंगे। काम करवाए तो सरकार उसका राजनीतिक शोषण करती है।

जहां आप पारदर्शिता की बात करते

(श्री अमराराम)

हैं, आप अधिकार की बात करते हैं, आप कहते हैं कि यह पारदर्शिता का अब हमने अधिकार दिया है, कहां उसको छुपाने के लिए तैयार है। जो भी आप पैसा देते हैं, श्रम सामग्री का रेशो हटा दीजिए, आप जो रेट तय करने की है, राजस्थान की आज जो हालत है जहां हमारा मिनिमम वेज आठ रुपए है, जहां आदिवासी इलाके में साठ से कम में भी मजदूर मिल जाएंगे। आज अकाल की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे विकसित जिलों में कोई भी ग्राम पंचायत आज काम कराएगी वहां साठ रुपए मिनिमम वेज में कोई मजदूर आने के लिए तैयार नहीं है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बाकी टेक्नीकल और तमाम जो निर्माण कार्य में काम आते हैं उनकी रेट्स बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई हुई है लेकिन आज भी बहुत कम जिले ऐसे होंगे, प्रोटेस्ट करके उनको मीटिंग करवानी पड़ी। मैं तो सीकर का उदाहरण बता सकता हूं कि वहां ग्राम पंचायत कोई ठेका नहीं दे सकती, ग्राम पंचायत स्वयं विकास के कार्य करवाएगी। आप अंदाजा कीजिए कि एक मजदूर को साठ रुपए कारीगर है उसको पिचहत्तर रुपए और ऊंटगाड़ा ग्राम पंचायत के विकास कार्य पर लगाए उनको सौ रुपए। बड़ी जद्दोजहद के बाद अभी रेट्स रिवाइज हुई हैं। यही राजस्थान की हालत है।

फण्ड देने के लिए तो हमारी सरकार कहती है कि खजाना खाली है, पंचायतों के विकास के लिए जितना पैसा और चाहिए वह पैसा जब तक नहीं देंगे, केवल भाषण से हम पंचायतों और नगरपालिकाओं का सशक्तीकरण करना चाहें, मैं समझता हूं कि सशक्तीकरण न तो आज तक हुआ है और न आगे होने वाला। ग्राम पंचायत, पंचायत संस्थाओं में और नगरपालिकाओं में कितना बड़ा डिफरेंस है, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि नगरपालिका, परिषद् और निगम का कोई भी पार्षद चुना जाएगा उसको भत्ता मिलेगा और राजस्थान की पंचायत इंस्टीट्यूशन में, पंचायत समिति और ज़िला परिषद् का जो भी मेम्बर चुना जाएगा उसके लिए कोई भत्ते का प्रोविजन नहीं है वो भी प्रतिनिधि है, लेकिन उसके लिए कोई भत्ता नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो ग्राम पंचायत विकास कार्य को एग्जीक्यूट करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है, सबसे बड़ी सामाजिक अंकेक्षण कह दीजिए और दूसरा कह दीजिए उसमें जो अधिकार आपने दिया है कि कोई भी उससे नकल ले सकता है। क्यों झिझकता है? ग्राम पंचायत इस बात के लिए झिझकती है कि जब कारीगर डेढ़ सौ रुपए में मिलेगा आपको 75 रुपए भरना पड़ेगा जब मजदूर कहीं 40 में मिलेगा कहीं 100 में मिलेगा। फिर क्यों श्रम और सामग्री का रेशो है इस बात के लिए

(श्री अमराराम)

लगाया जाए। केवल मात्र इस बात के लिए लगाया जाता है कि वो चाहे केन्द्र सरकार के स्तर पर हो, चाहे राज्य सरकार के स्तर पर हो, ये आंकड़े तैयार करवाये जाएं राजस्थान और देश के स्तर पर कि इतने लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध करा दिया, केवल आंकड़े तैयार कराने के लिए।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि राज्य सरकार की जो स्कीम्स हैं उनमें श्रम, सामग्री और रेट जो भी है, क्योंकि आज नगरपालिका और पंचायती राज में कितना बड़ा डिफरेंस है, चाहे केन्द्र या राज्य सरकार की ओर से नगरपालिका और परिषद् और निगम में जो भी पैसा आएगा, वो ठेके पर करा सकते हैं। ग्राम पंचायतें ठेके पर नहीं कराये लेकिन जो कुछ भी काम चाहे वो कच्चा हो, पक्का हो, पानी का हो, कोई भी काम कराने के लिए वो सक्षम है, उसमें जितना एक्चुअल आता है उसके अनुसार उसको इस बात की छूट हो। अब राजस्थान के अलग-अलग एरिये में अलग-अलग मजदूरी की हालत है, अलग-अलग सामाजिक हालात हैं, तो उसी अनुसार उनको छूट दी जाएगी, तो न तो नकल देने में उनको एतराज है, न सामाजिक अंकेक्षण कराने में कोई एतराज है।

निश्चित रूप से जो पीछे से किया गया है कि जो भी ग्राम पंचायत ने विकास कराये हैं ग्राम पंचायत के बोर्ड पर तमाम की लिस्टें लगी हुई हैं तमाम रिकार्ड दिखाने में उनको कोई एतराज़ नहीं है लेकिन एक्चुअल में जो लगता है कम से कम वो अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो आप कितना ही कानून बना दें वो उन पर लागू नही होगा। मुख्य रूप से पंचायत समिति और जिला परिषद् के आपने काम गिनाए हैं, अभी 14 गिनाए हैं और उनमें भी यह है कि पंचायत समिति में पी.डब्ल्यू.डी. का वर्क है उसमें केवल एक जे.ईएन. रहेगा और जिला परिषद् में एक ए.ईएन. रहेगा। मरम्मत के कामों के लिए अभी मंत्रीजी ने बता दिया कि मरम्मत के काम हैं ही नहीं, कोई विभाग ही नहीं है, स्कूलों के भवनों की मरम्मत के लिए पैसा नहीं है। जिन पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स को छोड़ कर मरम्मत की बात कह रहे हैं, पी.डब्ल्यू.डी. में आज भी एक पैसा नहीं है केवल यह घोषणा की जाए कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को यह काम दिया जा रहा है, बड़ा काम हो सकता है। आज पी.एम.जी.एस.वाई. केन्द्र प्रवर्तित योजना है, बड़ी राशि का जिस तरह से मिसयूज हो रहा है। अभी प्रश्नकाल में मंत्रीजी ने उत्तर दिया था कि किस तरह से लाखों रुपए सुपरविजन चार्जेज पर रेटा चार्जेज लगे आपने इसमें भी लिखा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पंचायत समिति के अंडर में रहेगा वो सुपरविजन चार्जेज, पर रेटा चार्जेज के आधार पर उस पर आएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री अमराराम)

मैं कहना चाहता हूं कि केवल इन घोषणाओं से यह विभाग किस तरह से सशक्तीकरण हो जाएगा, केवल यह 14 विभाग जो आपने बताए हैं उनमें जो काम हो रहा है, उससे किस तरह से गांवों का विकास उनके नियंत्रण, उनके अण्डर में आ जाएगा इससे राजस्थान के ग्रामीण का विकास नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा कि आप सशक्तीकरण की बात कर रहे हैं, विशेष अधिवेशन की बात कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत समिति धोद, हमारे 237 पंचायत समितियां हैं उनमें आप विकास के इतने डिपार्टमेंट्स को जोड़ रहे हैं, आज भी पूर्व मंत्रीजी ने भी यहां कहा कि 237 पंचायत समिति में से केवल एक पंचायत समिति धोद है जिसका भवन आज तक नहीं है। 9 हजार ग्राम पंचायतों के भवन हैं, जिला परिषदों के भवन हैं, 236 पंचायत समितियों के भवन हैं लेकिन धोद पंचायत समिति का भवन आज तक नहीं है। राजस्थान की सरकार क्या सशक्तीकरण कर सकेगी जब एक भवन बनाने में सक्षम नहीं है। कई बार यहां कहा गया और कई बार यहां हाउस में मंत्रीजी ने घोषणा की कि पैसा हम देंगे, जमीन नहीं है। अभी जमीन सरकार ने उपलब्ध करा दी तो विभाग से बात करने पर कहते हैं कि सरकार का खजाना खाली है पंचायत समिति का हम भवन नहीं बना सकते। यह हमारा सशक्तीकरण है। हम 14 विभागों को उसमें शामिल करना चाहते हैं, सशक्तीकरण करना चाहते हैं मैं समझता हूं किस तरह से सशक्तीकरण होगा कि जहां जिस संस्था का खुद का भवन नहीं हो हर तीन साल के बाद में उसको बदलना पड़े।

इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि जब तक आप फण्ड नहीं बढ़ाएंगे, आज जहां पेयजल को उसमें शामिल करने की बात कर रहे हैं वहीं राज्य सरकार प्रदेश की ग्रामीण जनता, जो 80% हिस्सा राजस्थान का उस पर पेयजल का बजट मात्र बीस प्रतिशत खर्च करते हैं और उसको भी सैक्टर रिफोर्म के नाम से सीकर, जयपुर, अलवर और राजसमन्द में खतम करने पर तुली हुई है। अभी श्री सी. पी. जोशीजी परसों बयान दे रहे थे कि सीकर जिले का इलैक्ट्रिक चार्जेज सरकार जमा कराएगी। वहां एक तरफ सैक्टर रिफोर्म पायलट प्रोजेक्ट के नाम से हर गांव में कमेटी बना कर पूरा प्रशासन इस बात पर लोगों के साथ जबरदस्ती करके लिखा कर दे कि ये चार्जेज हम जमा कराएंगे और वहां के आपके पी.एच.ई.डी. के एक्स.ईएन. ने जो 238 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें तमाम में यह नोटिस भेज दिया कि 1.9.2002 के बाद में साल भर की बिजली चार्जेज का जो सात करोड़ रुपए पी.एच.ई.डी. अकेले सीकर जिले का जमा कराता था, एक सितम्बर के बाद में राज्य सरकार उसका वहन नहीं करेगी।

(श्री अमराराम)

स्कीम को चलाने का, संधारण का पूरा काम ग्रामवासी कर रहे थे केवल राजस्थान सरकार एक बिजली के बिल की राशि जमा कराने का काम करती थी वो पैसा भी सरकार नहीं देना चाहती। शहर के लिए पैसे की कमी नहीं होगी शहर की जो 20% आबादी है उसको तो सरकार पेयजल उपलब्ध कराएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी।

श्री अमराराम (धोद) : और जो ग्रामीण लोग हैं वे अपने आप पेयजल की व्यवस्था करेंगे। मैं समझता हूं यह सुदृढ़ीकरण नहीं है केवल लोगों के लिए प्रचार करने का काम है। अगर सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, तो न तो संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, सरकार जितना भी पैसा, जो 80% ग्रामीण जनता है, राजस्थान सरकार के बजट की 80% राशि ग्रामीण जनता पर खर्च हो तो निश्चित रूप से सशक्तीकरण होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी। 5 मिनट आपको। आपके मुख्य सचेतकजी ने कहा कि 5-5 मिनट बोलेंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच मिनट में ही बोल देता हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : उनको पूछो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है जिसका 41 हजार गांवों और 183 नगरों में रहने वाली राजस्थान की जनता से सीधा सम्बन्ध है। गांवों और शहरों के विकास के लिए बुनियादी संरचनाओं को पूरा करना प्रत्येक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है परन्तु यह दायित्व जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि इसमें पंचायती राज और स्थानीय निकाय स्वशासी, प्रशासनिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे।

दो दिन से इस पर विचार चल रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से आज दो दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। अखबारों में भी इससे पहले छपा कि सत्ता पक्ष के विधायक दल की मीटिंग हुई तो कई सदस्यों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो हमारे अधिकार, जो आज ये इस सरकार में बैठ कर अपने चहेते अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाना चाहते हैं उसके पावर नीचे चले जाएं और आरोप हम पर लगाते हैं। हम पूरी तरह से चाहते हैं कि पंचायती राज और स्थानीय निकायों को पूरे अधिकार मिले उसमें कोई संकुचित सोच नहीं हो। आज गांवों में ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की चर्चा भी दो दिन से खूब हो रही

(श्री धर्मपाल चौधरी)

है। हम लोग गांवों से आए हुए हैं मंत्रीजी तो शहर के हैं। गांवों में जाकर हम देखते हैं कि ग्राम सभा जब होती है, तो वहां पर गांव की दो प्रतिशत जनसंख्या भी नहीं पहुंचती है और इसी तरह की वार्ड सभाओं की हालत है। आज इस बात के लिए पूरे सदन में चर्चा है, तो हम भी इसके पक्ष में हैं कि पंचायतों को, प्रधान को, जिला प्रमुख को अधिकार दिए जाएं। (व्यवधान) आज चर्चा के समय यह आया कि हमने घोषणा पत्र की सारी मांगें पूरी कर दी। माननीय सहकारिता मंत्रीजी बहुत जोर शोर से गुणगान कर रहे थे। महात्मा गांधीजी को तो भूल गये लेकिन स्वर्गीय इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अशोक गहलोत, प्रियंका तो अभी है नहीं, आएगी जब गुणगान करेंगे और आज जिस तरह से सभी मंत्रियों ने खड़े होकर जो गुणगान किया...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आपको अभी से डर क्यों लग रहा है?

श्री हीरासिंह चौहान : महत्वपूर्ण आदमियों का नाम गिनाना गुनाह है क्या?

श्री धर्मपाल चौधरी : गुनाह इसलिए कह रहे हैं कि अगर असल रूप में जब आपने 1998 में चुनाव लड़ा था, अगर आप पंचायती राज और नगरीय विकास संस्थाओं को अधिकार देना चाहते थे, तो चार साल पहले कहां गये थे? अब जब चुनाव नजदीक आ गये तब आपकी नींद उड़ी है। आज सोनिया गांधीजी का नाम लेकर कि सोनिया गांधीजी ने कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर यह कहा कि इन पंचायतों को और नगरपालिकाओं को अधिकार दिए जाएं। चार साल पहले तक आप कहां थे? आज प्रदेश अकाल से जूझ रहा है...

श्री राजेन्द्र पारीक : पुरानी वाली विधान सभा में थे।

श्री संयम लोढ़ा : उसमें यह नहीं थे।

श्री धर्मपाल चौधरी : आ गया था मैं पुरानी वाली विधान सभा में।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब वापस पुरानी वाली जगह पहुंच जाएंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : आज अगर आप पंचायतों का स्वरूप ठीक करना चाहते हैं तो पंचायत समिति के सदस्य को...

श्री राजेन्द्र पारीक : दशहरे के बाद आप का रोल शुरू होगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : पंचायत समिति सदस्य को आज कोई भी अधिकार नहीं है। न उसको कोई भत्ता मिलता है और जब वह मीटिंग में जाता है, 3-4 महीने में एक बार मीटिंग होती है और पंचायत समिति में जब मीटिंग होती है तो न उसकी कोई सुनवाई है, एक बार जो बातें चलती रहती हैं वह हर बार मीटिंग होने

(श्री धर्मपाल चौधरी)

के बावजूद भी सिर्फ उसका अधिकार एक बार प्रधान बनाने में या प्रधान हटाने में होता है। ऐसी स्थिति में जब तक उनको अधिकार नहीं दिये जाएंगे तो उनके साथ बेइंसाफी होगी। इसी तरह जिला परिषद् के सदस्य को भी उसका अधिकार होना चाहिए। जो ग्राम पंचायतों को आप अधिकार दे रहे हैं उसमें पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्य को भी कोई अधिकार दीजिए। उस कमेटी को रखिये जिससे उनको भी कुछ अधिकार होंगे क्योंकि वह भी कई बार आपसे मांग कर चुके हैं कि हमको भी अधिकार दिये जायें। आप इस महत्त्वपूर्ण विषय को यहां पर चर्चा में लाएं और माननीय उपाध्यक्षजी ने बोलने का जो मुझे 5 मिनट का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत समझदार आदमी हो, क्या बात है। माननीय पण्डिजी, इन्दौरिया साहब।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): आज तो आपने बड़ी कृपा की है।

श्री उपाध्यक्ष : हमेशा ही आपकी कृपा मेरे पर है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ''सान्तम् सुसान्तम् सततम् नमामि'', माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए यह राजस्थान विधान सभा का विशेष अधिवेशन जो आहूत किया गया है वह स्वागत योग्य है। यह सरकार की मंशा है कि हम इन संस्थाओं को अधिकार देकर इनको सशक्त बनाएं ओर उसके सम्बन्ध में ही विधान सभा आहूत की गई और सदस्यों से सुझाव मांगे गये। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने भाषण में बहुत विद्वतापूर्ण, चिंतनशील प्रवचन से हम सब लोगों को ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया है। मैं दो दिन से बराबर इस सदन में पूरे समय उपस्थित हूं। सभी के भाष्य सुनने के बाद यह मालूम हुआ कि सशक्त बनाने के लिये जो अधिकार नगरपालिकाओं को और पंचायती राज संस्थाओं को दिये जाने की बात है उसमें सारा हाउस एकमत है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि हां पक्ष विस्तृत रूप से अधिकार देना चाहता है और ना पक्ष अधिकार देने की बात तो कहता है लेकिन साथ में किन्तु, परन्तु, अगर, मगर इन शब्दों को भी सम्मिलित करता है। यह जितने भी शब्द जो किन्तु, परन्तु, अगर, मगर हैं यह संदेह के घेरे में हैं। मैं यह चाहता हूं कि ''सर्वेगुणा कांचन माश्रयन्ति'', वह आपके पास है नहीं। अधिकार के साथ-साथ उनको साधन सम्पन्न और पूरा स्टाफ दिया जाए। सिर्फ कागजों में अधिकार दे देंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी जो स्थिति है वह आप लोगों से छिपी हुई नहीं है।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

अभी सबसे मुख्य जो काम है, राज को सबसे ज्यादा जिस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है भयंकर सूखे की स्थिति से निपटाने की। मैं ऐसा समझता हूं और मेरे मन में यह आशंका है कि अधिकार तो शायद दे देंगे लेकिन जो आर्थिक व्यवस्था उसकी करनी है वह अभी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि सबसे पहला काम लोगों को रोजी-रोटी देनी है, पशुओं को बचाना है, लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना है, यह महत्वपूर्ण काम है, इसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी और जब इसको प्राथमिकता देंगे तो इन संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न तो कर देंगे लेकिन साधन सम्पन्न नहीं बना सकोगे, उसमें आपको दिक्कत आएगी। अभी कतिपय सदस्यों ने इस बात पर शंका व्यक्त की है कि क्या आज स्कूलों में मास्टर है, क्या अस्पतालों में डाक्टर है, क्या गांवों में औषधालय है वहां वैद्य है, गांवों में जहां पशु चिकित्सालय है वहां डाक्टर है? अभी जो व्यवस्था है उसको भी हम सही ढंग से नहीं चला रहे।

मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह राजस्थान का सर्वोच्च सदन है। इसमें शास्त्रों के अनुसार "सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात और न सत्यम अप्रियम बुर:।" सत्य बोलो हमारे शास्त्रों में भी कहा है। हमारी भारतीय संस्कृति है कल्ला साहब, सत्यम वद और धर्ममचर, सत्य बोलो और कर्तव्य का पालन करो। अब मैं सत्य तो कहूंगा लेकिन जो अप्रिय सत्य है उसको नहीं कहूंगा। अप्रिय सत्य वह है जो प्रतिकूलता की दिशा को इंगित करता है और सत्य वह है जो स्पष्ट है। स्पष्ट स्थिति तो यही है अधिकार आप दीजिए, मैं तो आपके अधिकार देने और इनको सशक्त करने के पक्ष में हूं लेकिन स्वयं का भी चिन्तन कर लीजिए कि हम इन अधिकारों के साथ-साथ में उन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए साधन भी उनको दे देंगे क्या? तो सीधा सा उत्तर है जैसा वित्त मंत्रीजी कहा करते हैं बजट अलाउ नहीं है। तो इस काम के लिए आपके पास यदि बजट उपलब्ध है जरूर दीजिए, नहीं तो क्या है कि जिन अधिकारों के अन्तर्गत, जिन विभागों के अधिकारियों को वहां भेजेंगे वह एक भी नहीं रहेंगे। वह किसी न किसी बहाने से वहां से जाने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि उनको वहां पर समय से तनखाह नहीं मिलेगी टी.ए., डी.ए. नहीं मिलेगा, भत्ता नहीं मिलेगा तो नि:शुल्क तो वहां कोई काम करेगा नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बैठ जाऊं?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, दो मिनट और।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : दो मिनट और। नहीं, आप कहो तो बैठ जाऊं। मेरे को कोई रुचि नहीं है। कहने का कोई शौक नहीं है लेकिन आपने दो मिनट और दिए हैं तो और कह दूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप उसको घुमा रहे हो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से जलदाय विभाग ने अपनी जल वितरण व्यवस्था का भार पंचायतों को दे दिया और सरपंचों से दस्तखत करा लिए कि आप अपने गांव की पेयजल व्यवस्था को सुधारो, चलाओ और हम आपको पम्प ड्राइवर के लिए 500 रुपए देंगे और यदि आपकी मोटर खराब हो जाएगी तो हम आपको उसकी रिपेयरिंग का पैसा दे देंगे, आप दे रहे हैं क्या? 12-12 और 15-15 महीनों से लोगों को वह 500 रुपए भी नहीं दे रहे।

श्री हरिसिंहजी कुम्हेर साहब बहुत मौके पर आ गए। जब यह हमारे जिले के प्रभारी थे तब इनको मैंने निवेदन किया था कि 18 महीने से लोगों को 500 रुपए नहीं मिल रहे तो वह पम्प ड्राइवर मुफ्त में जाकर कुआं क्यों चलाएगा। ऐसे मेरे क्षेत्र में 18 ग्राम हैं जो पानी के लिए तरस रहे हैं। 500 रुपए महीने नहीं दे सकते, इतने सारे अधिकार और सशक्तीकरण कैसे करेंगे मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। मैं तो सिर्फ, आप इस योजना को करना चाहते हैं और अधिकार देना चाहते हैं इसलिए राजी हो गया कि आज तक तो आपने लेने ही लेने की बात की और पहली दफा आप देने की बात कर रहे हैं। बारहखड़ी में लल्ला भी है और दद्दा भी है लेकिन आपने हमेशा लल्ले का ही उपयोग किया, दद्दे का उपयोग नहीं किया, पहली दफा आप दद्दे का उपयोग कर रहे हो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। जब प्रभारी मंत्रीजी को यह बात वहां जानकारी में या जांच से मालूम हुई, में कुम्हेर साहब आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सिर्फ आधे पैसे भिजवाए, तो सही। 18 महीने का था, 16 महीने का था आपने कम से कम 6 महीने का पैसा तो भिजवाया। मैं निवेदन चाहता हूं कि मेरे को तो आप यहां बुलाया मत करो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाओ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : क्योंकि मैं सत्य के अलावा कुछ कहना नहीं चाहता और सत्य बहुत अप्रिय है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं को सशक्त करने पर विचार हो रहा है। आप सब जानते हैं अनादिकाल से हमारे यहां की पंचायत व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। गांव में चौपाल पर पांच लोग बैठकर जो निर्णय कर लेते थे वह लागू होता था। उन पांच आदमियों की बात को गांव के लोग परमेश्वर की वाणी मानते थे और परमेश्वर की वाणी मानकर उसकी पालना करते थे। परन्तु आज की वर्तमान स्थिति में देखें, इस राजनीतिक अड़ंगेबाजी के कारण

(श्री मदन दिलावर)

से लोगों में मन-मुटाव, गुट, अनेक प्रकार के व्यवधान इस पंचायत व्यवस्था में होते हैं। निश्चित रूप से यदि हम उस परम्परा को जिन्दा रखते तो शायद आज हमको यह बात नहीं करनी पड़ती। देश आजाद होने के बाद हमने पंचायती राज की बात तो की, गांधीजी की बात को चलाने की बात की लेकिन इस पर किसी ने किया कुछ नहीं। चाहे जवाहर लाल नेहरू आकर दीपक जला गए हों और दीपक के बाद 13-13 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराकर, आज तक सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराकर, कृषि उपज मण्डी के चुनाव नहीं कराकर हम अब यह कहने जा रहे हैं कि पंचायतों का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए लेकिन कैसा दोगलापन है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं इनको सुदृढ़ करेंगे, एक तरफ जो व्यवस्था है उसको हमने पंगू बना दिया और आज जितनी भी शक्तियां दी हुई हैं यदि उनका पालन किया जाए, सरकार उनको सपोर्ट करे तो मैं कहता हूं पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ है। परन्तु मैं कुछ उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं कि यह सरकार पंचातयों को सुदृढ़ीकरण का काम कर रही है या निर्बलीकरण का काम कर रही है। मैं अलसीसर पंचायत समिति का उदाहरण आपको पेश कर रहा हूं। अलसीसर पंचायत समिति में प्रधान और उप प्रधान का अविश्वास प्रस्ताव आ गया। अविश्वास प्रस्ताव के बाद किसी को चार्ज देना चाहिए था। एक महीने तक चार्ज नहीं दिया गया। बहुमत के आधार पर दे देते, जिसको मेम्बर्स का बहुमत हो उसको दे देते या और को दे देते। लेकिन जिस प्रकार की नियमों में व्यवस्था है कि बहुमत के आधार पर किसी को चार्ज दे दें, नहीं दिया गया। लेकिन उनको परेशान करने के लिये, तोड़ने-मरोड़ने के लिये पंचायती राज व्यवस्था को भंग करने के लिये फिर एक महीने के बाद मनचाहा, अपने चाहते को उठाकर उसका चार्ज दे दिया गया। क्या हुआ इस पंचायती राज व्यवस्था का। क्यों नहीं पंचों की राय से और बहुमत के आधार पर चार्ज दिया गया? क्यों इस प्रकार का खोटा काम करने का प्रयत्न किया जनता की भावना के विपरीत? वहां के पंचायत समिति सदस्यगण यह चाहते थे कि वहां प्रधान का जो चार्ज है हम चाहें जिसको मिले बहुमत के आधार पर, हम इस प्रधान और उप प्रधान को नहीं चाहते हैं और इसलिये अविश्वास प्रस्ताव आ गया, फिर भी इस पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाह रहे हैं, वह लोग इस प्रकार की बात करते हैं।

मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं, बारां की केलवाड़ा ग्राम पंचायत का। केलवाड़ा ग्राम पंचायत में औंकार लाल सरपंच है। 19.5.2000 को उनको डिसमिस कर दिया या जो यह कहते हैं लेखबद्ध निर्णय, पता नहीं क्या, परिनिर्णय लेखबद्ध आदेश। अब मैं इसका मतलब यह

(श्री मदन दिलावर)

समझता हूं कि इसको डिसमिस कर दिया है, अपने पद से हटा दिया है। आदेश सरकार का प्रसारित हो जाता है। फिर पता चलता है, फिर वह जा करके हाथ जोड़ता है कि मैं तो आपकी पार्टी का हूं, इसलिए फिर कहा जाता है कि 3 महीने में जांच कर ली जाए, या तो इसको यहां... अब 3 महीने अभी हो रहे हैं, वह सरपंच जिसको हटा दिया गया अनियमितताओं में, गबन के आरोप में आज वही सरपंच वहां सरपंची कर रहा है। क्या यह बेईमानी नहीं है? क्या यह बेईमानी की पराकाष्ठा नहीं है?

बारां जिला परिषद् में अभी तक स्टैंडिंग कमेटियों के चुनाव नहीं हुए। जिला परिषद् चुन ली गयी, चुने हुए सदस्य आ गये तो स्टैंडिंग कमेटियों के चुनाव क्यों नहीं करवाये जा रहे, आखिर क्या कारण है? बारां जिला परिषद् सदस्य श्री मोहन लाल मीणा को इसलिए हटा दिया जाता है कि आप जिला प्रमुख का चुनाव क्यों लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। आप जिला परिषद् की मीटिंग में क्यों बोलते हो। हमारा जिला प्रमुख या उप जिला प्रमुख वहां का जो रिश्वतखोरी करता है, बेईमानी करता है आप उसमें अड़ेंगे क्यों अड़ाते हो। इसलिए पंचायती राज मंत्रीजी ने उसको निलम्बित कर दिया है। सुलतानपुर पंचायत समिति के प्रधान को इसलिए हटा...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : सुझाव दीजिए, सुझाव मांग रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : हां, सुझाव दूंगा अभी। आप बिराजें।

श्री श्रवण कुमार : मेरा निवेदन करना यह है कि सुझाव हैं क्या यह?

श्री मदन दिलावर : आपका टाइम हो गया दूसरा।

श्रीमान्, कोटा में सुलतानपुर पंचायत समिति है वहां के प्रधान को इसलिए निलम्बित कर दिया जाता हैं कि आपने अपनी गाड़ी क्यों ठीक करवायी। अब गाड़ी ठीक करवाने का कौन पैसा देता है, कैसे होता है। बी.डी.ओ. की भी राय होती है इसमें, स्टैंडिंग कमेटी की भी राय होती है, सबकी राय होती है। फिर हटा दिया गया और केवल इसलिए हटा दिया गया...

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : इसलिए हटाया गया कि ड्राइवर का पोस्टिंग किया है।

श्री मदन दिलावर : केवल इसलिए हटा दिया गया कि वह वहां के...

श्री हेमन्त कुमार : नियमों के विरुद्ध अवैधानिक काम किया है उसने।

श्री मदन दिलावर : क्योंकि वह वहां के मंत्रियों को पैसा नहीं पहुंचाता मन्थली। श्रीमान, मैं यह कहना चाह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : आप सुनें, मैं बहुत विनम्र शब्दों में अपनी बात कह रहा हूं। श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि हम ऐसे हाथों से सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, सशक्तीकरण करना चाहते हैं जो हाथ पहले खून से रंगे हुए हैं। आप खून से ऐसे रंगे हुए हाथ, जिसमें बेईमानी हो, जो अभी हमने पहले से ही तय किये गये पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार दिये हुए हैं, उसको कैसे पंगु बना रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है और फिर वही तथाकथित हाथ, खून से रंगे हुए हाथ, इसके सशक्तीकरण की बात कर रहे हैं। क्या यह +++ नहीं है इस सरकार का? मैं चाहता हूं जितने अधिकार दिये थे नियमानुसार पूरी ईमानदारी के साथ उनकी पालना होनी चाहिए थी। ईमानदारी के साथ जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए था। लेकिन जनप्रतिनिधियों का क्या सम्मान किया। 15 अगस्त पर विधायक झण्डा नहीं फहराएगा। यह सम्मान है माननीय सदस्यों का? जब विधान सभा सदस्यों का ही ये सम्मान नहीं कर रहे हैं तो उन सरपंचों का क्या करेंगे। उनको केवल इसलिए कि जब मंत्रीजी आएं आप ढोक लगाओ, मंत्रीजी आएं आप अखबार में हमारी फोटो छपवाओ। एक कांग्रेस का नेता हमारे अटरू में पहुंच गया सब सरपंचों के पास। मंत्रीजी आ रहे हैं उसके लिये फोटो छपवानी है इसलिए 5-5 हजार देने हैं। अब सरपंच ने नहीं छपवाए तो उसका पैसा नहीं दिया। प्रधान की हम कई बार शिकायत कर चुके, अटरू में कि एम.एल.ए. के कोटे से जो पैसे देते हैं उसमें भी 10 प्रतिशत खा जाता है। इसकी कार्यवाही करो। प्रधान, अटरू पंचायत समिति का। आखिर में हमारा सुझाव यह है, श्रीमन्।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी : माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय पंचायती राज मंत्रीजी और माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी के जवाब तक के लिये बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या दोनों मंत्री महोदय के जवाब तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और संविधान संशोधन भावनानुरूप उनके सशक्तीकरण के उपायों पर विचार

श्री मदन दिलावर : श्रीमन्, मैं एक उदाहरण पेश करना चाह रहा हूं। आज मेरा पंचायती राज से सम्बन्धित एक प्रश्न था और वह था पैराटीचर के सम्बन्ध में।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय नहीं बढ़ाया है।

श्री मदन दिलावर : हां, बढ़ गया। वह तो आपकी कृपा से अपने आप बढ़ जाएगा।

मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसका हम कितना सम्मान कर रहे हैं। पैराटीचर चयन का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया और उसमें 4 सदस्य और लगा दिये कि ये चयन करना। ग्राम सभा बैठी। कोरम पूरा नहीं हुआ। प्रधान वहां उपस्थित, सरपंच वहां उपस्थित और प्रस्ताव में लिखते हैं कि कोरम पूरा नहीं हुआ इसलिए स्थगित की जाती है। स्थगित हो गयी, पैराटीचर का चयन हो गया बाहर आ करके, पैराटीचर का जो चयन हुआ वह एक व्यक्ति ने कर लिया और 15 तारीख में चयन करना बताया और 16 तारीख में उसने हस्ताक्षर किये हैं, 16 तारीख को हम चयन करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री उपाध्यक्ष : इससे कोई इसका ताल्लुक ही नहीं है, सम्बन्ध ही नहीं है इससे।

श्री मदन दिलावर : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पंचायत यह कह रही, प्रधान यह कह रहा है कि हमने चयन नहीं किया है। बी.ओ. उसको ट्रेनिंग में भेज देते हैं। पंचायत समिति इसका विरोध करती है, सरपंच उसका विरोध करते हैं और उसको ट्रेनिंग भेज करके कलक्टर कहता है कि इसको यहां नौकरी दे दो। और मंत्रीजी क्या कहते हैं जवाब में, सब कुछ माननीय सदस्य ने ठीक कहा है लेकिन कलक्टर ने परिवेदना सुनी है। कलक्टर ने कोई परिवेदना नहीं सुनी। अगर कलक्टर परिवेदना को सुनता तो रिकार्ड पर होती न। आज कहीं रिकार्ड पर नहीं है। केवल चलते हुए कह दिया एस.डी.एम. को यदि ये इसको नौकरी नहीं लगाता है तो ग्राम सेवक को निलम्बित कर दो। क्या रहा अधिकार ग्राम पंचायत का, प्रधान, पंचायत समिति का और इन सबका? इसलिए इस प्रकार की बेईमानी जहां हो जिसके मन में, वह इस पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण करेगा या दुर्बलीकरण करेगा।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा करबद्ध निवेदन है कि यदि हम ईमानदारी से सशक्तीकरण करना चाहते तो 4 साल पहले करते। और यदि हम ईमानदारी से सशक्तीकरण करना चाहते हैं तो यह एक साल भर और भूल जाएं, अच्छी सरकार आ जाए, हो जाएगा। परन्तु यदि यह सरकार करती है तो निश्चित रूप से यह केवल इसलिए कर रही है कि सोनिया गांधीजी ने वहां डांट मारी अशोकजी गहलोत को।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और अशोकजी गहलोत ने कहा कि मेरे एम.एल.ए. मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्रसिंह जी जाड़ावत। श्री सुरेन्द्रसिंह जी।

श्री मदन दिलावर : अशोक जी गहलोत ने कहा कि मेरे एम.एल.ए. इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि टिकट लेनी है कि नहीं लेनी है? धारीवालजी को डांट मारी, अशोकजी को डांट मारी, तब जाकर यह असत्य का पुलिन्दा हमारे सामने लाकर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्रसिंह जी। अंकित नहीं हो।

(21.00 बजे)

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। श्री सुरेन्द्र सिंहजी।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से पूरा सदन पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय विकास संस्थाओं को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। दिलावरजी।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : अधिकार देने के लिए सदन के सदस्यों से अपने-अपने सुझाव मांगे जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप। सुरेन्द्रजी।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से पूरा सदन पंचायती राज संस्थाओं को और अधिकार सम्पन्न बनाने और नगर विकास संस्थाओं को और अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु सदन के सभी सदस्यों से आवश्यक सुझाव मांगे जा रहे हैं। सदस्यों ने अपने आवश्यक सुझाव दिये हैं। ग्राम पंचायत कैसे मजबूत हो, ग्राम-स्वराज का जैसा सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने संजोया था उसको कैसे मजबूती मिले, उस सपने को साकार करने के लिए 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पण्डित जवाहर लालजी नेहरू ने नागौर में पौधा लगाया और उसके बाद के अन्दर इस पौधे को सींचने का काम आने वाली कांग्रेस की

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

सरकारों ने किया। इन्दिरा गांधी ने इन पंचायती राज-संस्थाओं की मजबूती के लिए और अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा वह कर सकती थीं वह उन्होंने किया।

स्वर्गीय राजीव गांधी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने नजदीकी से गांवों में जाकर जब इन पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति को देखा। ग्राम की स्थिति को समझा और यह पाया कि देश आजाद होने के बाद भी अभी तक इन पंचायती राज संस्थाओं को जितने अधिकार मिलने चाहिए, जितनी मजबूती मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाई है। इसके लिए उन्होंने राज्य स्तर पर अधिकारियों के स्तर पर, और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर मंथन शुरू किया। केन्द्रीय स्तर पर इन्होंने सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुखों को बुलाकर उनके विचार जाने। अधिकारियों के दल अलग-अलग राज्यों में भेजे और काफी समय के बाद में उन्होंने संविधान में संशोधन किया। हर राज्य पहले पंचायती राज संस्थाओं को अलग-अलग तरीके से अधिकार सम्पन्न बनाने जा रहे थे और उन्होंने बनाये भी और अधिकार भी दिये लेकिन पूरे देश के अन्दर एकरूपता लाने के लिए इन्होंने संविधान के अन्दर संशोधन किया और काफी व्यापक अधिकार दिये।

पहले पंचायती-राज संस्थाओं के चुनाव दस-दस साल और पन्द्रह-पन्द्रह साल तक नहीं होते थे लेकिन उन्होंने एक कानूनी बाध्यता और संविधान में संशोधन करके पांच वर्ष की बाध्यता की तथा उन्होंने आरक्षण दिया। जो महिलाएं कभी सोच नहीं सकती थीं कि हम सरपंच बनेंगी, प्रधान बनेंगी, जिला प्रमुख बनेंगी, वे बनीं। अनुसूची जाति, जनजाति के लोग इस क्रम में आगे आए।

मैं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर और इनकी मूल भावना भी पंचायती-राज संस्थाओं को मजबूत करने की रही है, हमारे मुख्य मंत्रीजी की और उसी के अनुरूप उन्होंने यह विशेष सत्र आहूत किया और हमारे सुझाव मांगे जा रहे हैं। लम्बी-चौड़ी और भूमिका नहीं देते हुए मैं पूर्व के पंचायती राज मंत्रीजी को और पूर्व के स्वायत्त शासन मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने कार्यकाल के अन्दर पंचायती-राज संस्थाओं को उन्होंने बहुत मजबूती दी और नगरीय विकास के अन्दर भी ऐसे ऐतिहासिक फैसले किये जो पिछली कई सरकारें नहीं कर पाईं, चाहे हमारी सरकारें थीं लेकिन इन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किये, कानून में संशोधन भी किये और इसी के क्रम के अन्दर वर्तमान पंचायती राज मंत्रीजी और नगरीय विकास मंत्रीजी इसी क्रम में लगे हुये हैं।

श्री मदन दिलावर : धन्यवाद देने से कुछ नहीं मिलेगा।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मैं पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो आप अधिकार देने जा रहे हैं और जो हमारी सरकार की मंशा है, पूरे देश के अन्दर राजस्थान हमारा पहला राज्य है जो इन संस्थाओं की मजबूती और अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा है।

मेरा अनुरोध, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी और सरकार से है कि जो विषय हम देने जा रहे हैं, क्या उन संस्थाओं में जो लोग लगे हुए हैं वे पूरा उसको समझ पायेंगे और कर पायेंगे? इसके लिए मेरा सुझाव है कि पंचायत का जो सरपंच चुना जाए, चाहे वह महिला हो, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति का भाई हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, उसकी शैक्षणिक योग्यता एक निर्धारित होनी चाहिए और कम से कम सीनियर सैकण्डरी उसकी योग्यता हो जाकि जो विभाग आप स्थानांतरित करने जा रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर उन विभागों के क्रियाकलापों को वह समझ सकें। वह पढ़ सकें, वह हिन्दी पढ़ सकें, अंग्रेजी भी पढ़ सकें और निर्णय भी कर सकें।

इसी तरह से पंचायत समिति के प्रधान के लिए भी शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए। मैं अपनी पंचायत समिति का उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे अनुसूचित जाति का प्रधान के पद पर आया और उसमें हमने खोजा कि जो सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा अनुसूचित जाति का भाई है, वह इस पर आए तो वह पंचायत समिति को अच्छे तरीके से चला सकेगा। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि पंचायत समिति के अन्दर हमारे पी.जी. कालेज के रिटायर प्रिंसिपल मिले और उनको हमने तैयार किया कि वे चुनाव लड़ें और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ हमारे जिले की दूसरी अन्य पंचायत-समितियों से हर क्षेत्र में अग्रणी हैं क्योंकि शिक्षा का इनके अन्दर अच्छा प्रसार है, वे हर योजना को समझते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं, अधिकारियों पर नियंत्रण भी रखते हैं और उसका फंक्शन ढंग से हो उसकी पूरी-पूरी निगरानी रखते हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि शिक्षा सबसे जरूरी है इसके लिए।

दूसरा, सचिवों के लिए, सचिवों के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कई बार हमारे विभागों में जो सरप्लस कर्मचारी होते हैं, कोई सिंचाई विभाग से सरप्लस बेलदार हो गया, कोई अपने चुंगी नाके को जो नाकेदार सरप्लस हैं उनको हमने पंचायतों में सचिव बना दिये, उन्होंने जाकर पंचायतों की व्यवस्थाएं खराब कीं। इसलिए इसका एक कैडर बनाना चाहिए और अभी इस पद के लिए सचिवों की जो योग्यता है वह 10वीं हैं, वह कम से कम बी.ए. उनकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए ताकि जो योजनाएं स्थानांतरित हो रही हैं उनका प्रभावशाली संचालन वे ग्राम पंचायत के सरपंच के माध्यम से बैठकर कर सकें और विभिन्न विभागों से तालमेल कर सकें।

इसी क्रम में मेरा अनुरोध है कि पंचायत समिति का जो बी.डी.ओ. का पद है वह पद

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

कम से कम आर.ए.एस. अधिकारी का होना चाहिए और आर.ए.एस. अधिकारी भी वह अधिकारी लगे जो कम से कम उप खण्ड अधिकारी के रूप में दो–तीन वर्ष तक उसने कार्य किया हो, उसको हर तरीके का अच्छा अनुभव हो, वह आर.ए.एस. अधिकारी उस पंचायत समिति का प्रधान होना चाहिए, नहीं, विकास अधिकारी होना चाहिए ताकि वह जो सारे विभाग दिये जा रहे हैं, उन पर प्रभावशाली नियंत्रण कर सकेगा और जो हमारी सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप कार्य कर सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा आपके माध्यम से दोहराना ही हो गया कि पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद् के सदस्यों की एक काफी समय से परेशानी है कि वे हमेशा से यह पंचायत समिति और जिला परिषदों की बैठकों में अपने आपको असहाय मानते हैं कि हमारी कोई भूमिका नहीं है। उनकी प्रभावशाली भूमिका निश्चित रूप से आप करें कि इनकी भूमिका पंचायत समिति में या जो हमारी ग्राम–सभाएं हो रही हैं, उसमें क्या रहेगी और जिला परिषद् की बैठकों में हमारी क्या रहेगी।

एक मेरा सुझाव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से है कि जो प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था है कि वहां सीधे जनता से चुने हुए प्रधान आते हैं। इस पद पर और जिला प्रमुख पद पर भी पूरे जिले के जो ग्रामवासी हैं वे चुनकर भेजते हैं। होता क्या है कि पंचायत समिति के अन्दर प्रधान, जो अभी वर्तमान व्यवस्था है, सिर्फ अपने पंचायत समिति के सदस्य जो इनको चुनते हैं, वे उनको केवल खुश रख लेते हैं और उनकी जवाबदेही पंचायत समिति के सदस्यों के प्रति रह जाती है। जब पूरे क्षेत्र की जनता चुनेगी तो निश्चित रूप से इनकी जवाबदेही पूरे ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचेगी और वे ज्यादा जिम्मेदारी से और अधिकार से कार्य कर सकेंगे।

एक यह मेरा सुझाव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्रीजी से है कि सरपंचों को पूरी पंचायत चुनती है लेकिन हटाने में केवल वार्ड पंच आ जाते हैं और एक सरपंच को हटा देते हैं और सरपंच को हटाने का काम इसलिए होता है कि कई जगह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि वह उनकी वार्ड पंचों की खातिरदारी मान लीजिए या उनसे जो वे चाहते हैं, वह सरपंच नहीं कर पाता है। एक गांव के प्रभावशाली लोग इकट्ठे होकर वार्ड पंच को इसके लिए तैयार करते हैं कि तुम इस सरपंच और उप सरपंच दोनों को हटा दो और वार्ड पंच को छह महीने के लिए तो कम से कम चार्ज दिला देंगे ताकि तुम चाहे जैसा कर लो। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है यह तो वार्ड पंचों की स्थिति है। कई बार गांव के प्रभावशाली व्यक्ति मिल करके अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरपंच को हटा देते हैं। जब एक प्रधान को हटाने के लिए, प्रधान तो चुना जाता है पंचायत समिति सदस्यों से, तो उनका अविश्वास प्रस्ताव तो पंचायत समिति सदस्य लाते हैं तो समझ में आता है

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

लेकिन सरपंच को जब पूरी ग्राम की पंचायत चुनती है और हटाने में केवल सात, आठ या नौ वार्ड पंच मिलकर उसको हटा देते हैं तो इस व्यवस्था के अन्दर परिवर्तन होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लाखों के वारे-न्यारे होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा अनुरोध यह है कि जिस तरह से लोक सभा और विधान सभा के जो सदस्य चुनाव लड़ते हैं और उनका आपराधिक रेकार्ड के आधार पर जो अब फैसला होने जा रहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ पायेंगे, उसी तरह की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में स्पेसिफिक होना चाहिए। कई मामलों के अन्दर कोर्ट क्या निर्णय कर लेता है, हमारे संविधान में पंचायती राज अधिनियम में क्या व्यवस्थाएं हैं और उन विसंगतियों में, क्योंकि चित्तौड़ जिले के अन्दर हम इसके भुगतभोगी हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उसके अन्दर साफ-साफ पंचायत राज अधिनियम बनें।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था अभी है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर अभी हाई कोर्ट ने कोई चार्ज लगाया, सरकार ने निर्णय किया उसके बाद हाई कोर्ट ने फिर कोई निर्णय कर दिया तो इस तरह का कोई कानून के अन्दर स्पष्ट प्रावधान किया जाये ताकि यह चीजें बार-बार दोहराई नहीं जाए और परेशानियों का सामना पंचायती राज संस्थाओं को कम से कम नहीं करना पड़े।

मेरा एक अनुरोध नगरीय विकास मंत्रीजी से है कि आपने नगरपालिका क्षेत्र की भूमि तो पूरी नगरपालिकाओं को सौंप दीं लेकिन नगरपालिका क्षेत्र में आने वाली चरागाह जमीन, वन भूमि जिनके ऊपर मकान बन चुके हैं जिनके पैसे भी नगरपालिकाओं में जमा हो चुके हैं लेकिन उनको अभी तक हम पट्टे नहीं दे पाये। हमारी सरकार ने निर्णय किया था कि 1998 से पूर्व जिनके भी कब्जे हैं, उनको पट्टे दे दिये जाएं। वह पट्टे आज भी नहीं मिले हैं। चित्तौड़ उसका एक उदाहरण है इसलिए इसका भी आप कोई तुरन्त निर्णय करें। काफी सारे व्यक्ति अभी पट्टे लेने के लिए नगर पालिकाओं के इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। हमको पूछते हैं कि सरकार ने जब यह निर्णय कर दिया तो हमको पट्टे क्यों नहीं मिल रहे हैं। यह समस्या सम्भवतया पूरे राजस्थान की होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है नगरीय विकास मंत्रीजी से कि आपने 1998 के पूर्व के कब्जों को नियमित करने का फैसला किया। उसमें उस वक्त जो सर्वे हुआ उसमें कई जगह सर्वे में विसंगतियां रह गयी हैं जिनके कब्जे नहीं थे। उनके उन्होंने कब्जे लिखा लिये और जिनके कब्जे थे उनके नाम उस सूची में नहीं आये हैं। इसलिए मेहरबानी करके अगर वापस इस सर्वे को कराकर और जिनके कब्जे 1998 से पूर्व रहे हैं और जिनके नहीं है और नाम लिख दिये गये ऐसी सर्वे सूची को पुन: ठीक करायी जाए ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके और हमारी सरकार की मंशा पूरी की जा सके।

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

एक मेरा अनुरोध है कि उस समाज के लोगों को, जो सामाजिक कार्यों के लिए, शैक्षिक कार्यों के लिए भूमि देने का एक प्रावधान था कि आधी रेट पर या राज्य सरकार के स्तर पर उनको टोकन मनी के रूप में दे दिया जाए, लेकिन अभी कुछ समय से शायद सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई निर्णय हुआ या न मालूम क्या हुआ कि नगरपालिकाओं से यह अधिकार ले लिये गये हैं। मैं नहीं कहता कि आप नगरपालिकाओं को अधिकार दें। आप ऐसे समाज के जो कमजोर समाज है और वह अपनी शैक्षिक गतिविधियों को या सामाजिक गतिविधियों को चलाने के लिए कोई भूमि मांगता है नगरपालिका से और बोर्ड का प्रस्ताव अगर आपके पास आता है, तो जो आपने अभी आधी रेट पर देने का फैसला किया है, आरक्षित आधी दर भी काफी अधिक होती है। कमजोर तबके के लोग वह नहीं ले सकते। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर बोर्ड का प्रस्ताव नगरपालिका आपको भेजे तो उसके अन्दर न्यूनतम राशि लेकर उस कमजोर समाज को दिये जाने का प्रावधान आप इसके अन्दर शामिल कराने का कष्ट करावें।

मैं पुनः मुख्य मंत्रीजी का बहुत–बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया और पूरे देश के अन्दर राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए अग्रणी राज्य के रूप में खड़ा किया। उन्होंने हौंसला अफजाई पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से की है। मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। (व्यवधान) क्या हो गया? हो गया न। इनको बोलने दें न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पांच मिनट जब आप सबको दे रहे हैं तो मेरे साथ अन्याय क्यों करे हैं, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी मूंछों से डर लगता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से लेकर आज तक पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के सुदृढ़ीकरण के बारे में उनको सशक्तीकरण के बारे में जो चर्चा सदन में चल रही है, उसका मैं स्वागत करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से अब तक सत्तारूढ़ पार्टी के लोग, माननीय सदस्य, मंत्रियों सहित बार–बार नाम ले रहे हैं पण्डित जवाहर लाल नेहरू का, श्रीमती इंदिरा गांधी का, स्वर्गीय राजीव गांधी का और वर्तमान में इनकी नेता सोनिया गांधी का। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं वास्तव में संविधान के निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने इस देश के मूल को, धरती को, सोने की मिट्टी को, पंचायती राज को ठीक से समझा, फिर स्टडी की इससे ज्यादा किसी ने नहीं, महात्मा गांधी जी ने, जिनको हमारी सत्तारूढ़ पार्टी के बन्धु भूल चुके हैं और आज उनका

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

नाम तो शायद किसी-किसी ने ही लिया। लेकिन बाकी सब नाम चर्चा में आये और तीसरे व्यक्ति और हुए पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने नारा दिया– ''हर हाथ को काम, और हर खेत को पानी'' यानि पंचायती राज का सशक्तीकरण हम चाहते हैं तो पण्डित दीन दयाल जी का स्वदेशी चिन्तन और महात्मा गांधीजी का स्वराज का सपना है, उसको हम सामने रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। पण्डित जवाहर लालजी नेहरू और हमारे कांग्रेसी सदस्य और बन्धुओं ने 50-55 साल पूरे देश में नाम तो महात्मा गांधीजी का लिया, लेकिन उनकी एक बात को भी नहीं माना। वह चाहते थे गांवों का विकास हो। वह चाहते थे जो पंचायतें हैं, जो मूल भावना से पंच परमेश्वर उसके साथ जुड़े। महात्मा गांधी चाहते थे कि छोटे–छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग गांव में प्रतिस्थापित हो, वह गोबर और मिट्टी से बने हुए छोटे-छोटे उद्योगों को प्रतिस्थापित करना चाहते थे। लेकिन गांधीजी को भूल गये और वैसे भूल गये, गांधीजी के बारे में मैं आदरपूर्वक चार पंक्तियां कहना चाहता हूं :-

''वाह रे महात्मा गांधी,
खूब चली तुम्हारी आंधी,
खुद तो रहे जिन्दगी भर लंगोट में,
लेकिन अब नजर आते हो पूंजीपतियों के,
इन कांग्रेसियों के पांच सौ और हजार रुपये के नोट में।''

अब पांच रुपये और दस रुपये के नोट पर भी गांधीजी का चित्र दिया है, यह एक अलग बात है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुझाव दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वही दे रहा हूं। पंचायती राज संस्थाओं पर आपने तो कुछ बोला नहीं। मैं ही बोल रहा हूं। नेहरूजी ने क्या किया, पंचायतों को कमजोर किया और विदेशी मल्टीनेशनल्स को तब से शुरू किया। राउरकेला और बोकारो–भिलाई जैसे बड़े-बड़े उद्योग लगे। तब समाज़वाद का नारा लगाया– ''गांव-गांव में समाजवाद लाएंगे'' और समाज बाद में और पहले मैं, इन कांग्रेसियों ने एक नारा दिया। मुख्य बात रही कि पंचायतों को क्या सशक्तीकरण देंगे। मैं समर्थन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन करती है कि सशक्तीकरण किया जाए। पंचायतों को जो 19 संस्थाएं दे रहे हैं, मेरी तरफ से कोई जैसा पण्डित जी ने कहा कोई बट, परन्तु, लेकिन, किन्तु, पर, अगर, मगर नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य और यहां विधायक होने के नाते से चुनकर आया हूं, मेरे क्षेत्र में एक भी नगरपालिका नहीं है तो भी मैं चाहता हूं कि नगरपालिकाओं को सशक्तीकरण के साथ जोड़ा जाए और पंचायतों में वह पूर्व की भावना पैदा की जाए। आज जो राजेन्द्र जी ने कहा और हम लोगों ने कर दिया है। गांवों में श्मशानों तक पर कब्जे हो गये। कब्रिस्तानों तक पर कब्जे हो गये। उन पर अतिक्रमण हो गये। नारा बहुत दिया ''प्रशासन गांव के संग'' लेकिन मैं आपको एक उदाहरण सुनाना चाहता हूं।

मैं आपको परिवार नियोजन का एक सरपंच का किस्सा निवेदन करूंगा। डा. सी. पी. जोशी साहब यहां बैठे हैं, पूर्व

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

पंचायती राज मंत्रीजी। दो साल से इन्क्वायरी चल रही है। छठा बच्चा हुआ। मैंने लिखकर दिया। वहां के लोगों ने भी मेडिकल दिया पर कार्यवही कोई नहीं। डा. सी. पी. जोशी, पूर्व पंचायती राज मंत्रीजी से लिखवा कर दिया। यह तो हमारी हालत है। उस पर सम्भागीय आयुक्त महोदय ने स्पष्ट कह दिया, चूंकि वह स्पष्टवादी है, मैं उनका आदर करता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता सदन में। उन्होंने कहा कि एक राज्य मंत्रीजी ने आदेश दे दिया कि वह उनके समुदाय के थे इसलिए इन्क्वायरी रोक दी। अगर आप इस ढंग से सशक्तीकरण लाना चाहते हैं, आप इस ढंग से पंचायती राज को बरबाद करना चाहते हैं, तो वास्तव में सशक्तीकरण की जो भावना आप कह रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कि हम वास्तव में योग्य हैं, सरपंच योग्य है, पंचायत समिति सदस्य योग्य है, जिला परिषद् चुनकर आएं वह प्रधान बनें, तो क्या हालत है आज? अभी तो क्या हालत है कि पंचायतों में काम करते हैं एस.पी. साहब और पंचायत समितियों में काम करते हैं पी.पी. साहब। एस. पी. यह पुलिस वाले नहीं और पी.पी. पब्लिक प्रोसीक्यूटर नहीं, एस.पी. सरपंच पति, पी.पी. प्रधान पति और जिला परिषद् पति।

एक बार मैं खुद अपनी पंचायत समिति, रामगढ़ में बैठा हुआ था तो वहां पर एक महिला सरपंच के पति महोदय आए। बड़ा कष्ट होता है इस बात का और आपको भी कष्ट होगा, वह आए और बी.डी.ओ. के पास कोई प्रस्ताव लाए। बी.डी.ओ. ने कहा कि इस बार तो सरपंच के साइन नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि, साहब, अभी करवा कर लाता हूं। वह बाहर गये, खुद ही दस्तखत कर के चले आए। अब जहां यह पोजिशन हो और आपका कोई चैक नहीं है किसी तरह का नियमों में।

माननीय मंत्री कमला जी, जिनका मैं आदर करता हूं, उन्होंने कहा कि एक सिस्टम को ठीक करना है। अब सिस्टम को ठीक करने के लिए पंचायतों में जो भावना है उन भावनाओं को गांवों में पैदा करने के लिए काम करें। आप यह कानून बना करके, कानून को थोप करके चलना चाहते हैं, आप चलें लेकिन मेरा यह कहना है कि कोई सर्वानुमति की ऐसी योजना बनाएं, आप ऐसी योजना बनाएं कि गांवों में फिर से वह भाईचारा पैदा हो, कोई ऐसी योजना बनाएं इन विभागों के द्वारा। वास्तव में सही कहा है पण्डित इन्दौरियाजी ने कि वह अधिकारी वहां जायेंगे नहीं क्योंकि अभी पंचायत का हमारे गांव में लगा ''प्रशासन शहर के संग अभियान'', अधिकारी आते नहीं। एक पत्र पंचायत समिति प्रधान ने लिखकर के दिया है, मैंने लिख कर दिया है। एक भी अधिकारी पंचायत समिति की मीटिंग में नहीं आया। मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं। अब यह स्थिति है। आप 29 विभाग दे भी दें और 29 विभाग देने बाद फिर हमारी वैसी दुर्गती

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हो पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक योग्य लोगों के लिए कितना मापदण्ड एजुकेशन का तय करना है, मैं यह नहीं कहता। किसी-किसी की अण्डरस्टैंडिंग होती है जो अनपढ़ होकर भी बहुत अच्छी समझ रखता है। कोई बी.ए., एलएल.बी. और एम.ए., एल.एल.एम. कर लिया। हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे एल.एल.एम. भी कर लिया। एक विधायक महोदय मेरे साथ आ रहे थे मरूधर में, वे कह रहे थे कि रेलवे भी एक निगम है। हमने कहा, रेलवे निगम नहीं है, निगम तो सैंटर के अण्डरटेकिंग एल.आई.सी. और बैंक इत्यादि हैं। मेरा ऐसा निवेदन है कि पढ़ाई-लिखाई के साथ कोई समझ जुड़ी हुई नहीं है इसलिए प्रधान का चुनाव हो, सरपंच का जो चुनाव हो, जिला परिषद्, जिला प्रमुख का जो चुनाव हो तो सीधे ही। हमारे पंचायती राज के स्थायी ग्रुप सचिव हो, स्थाई बी.डी.ओ., स्थाई जिला परिषद् के सचिव हो। यह स्थाई हो और पंचायत राज के हों, यह आर.ए.एस. और आई.ए.एस. नहीं थोपे जाएं, यह बी.डी.ओ. नहीं थोपे जाएं, यह विभागों के अधिकार नहीं थोपे जाएं।

आपने मुझे समय दिया, मैं एक मिनट और आपसे निवेदन करूंगा। मेरा यह निवेदन है कि परसादी लालजी मंत्री होकर, केबिनेट मंत्री हो गये पहले तो राज्य मंत्री थे, बार-बार आक्षेप कर रहे थे। काहे के लिए कर रहे थे कि चार साल से सुध नहीं ली। सुध नहीं ली कि पंचायती राज का सशक्तीकरण का कोई कानून लाएं, नगरपालिका का सशक्तीकरण का कानून लाएं। आरोप लगा रहे हैं, अपने से बड़ी उम्र के एक पूर्व मंत्रीजी पर आरोप लगा रहे हैं और कुछ का कुछ बोलते जा रहे हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आधे मिनट में कहना है कि ''जलजले आते हैं और बड़ी-बड़ी मीनारें ढहा जाते हैं, आप तो एक पत्थर हैं गिर पड़ो तो किसी को गम नहीं।''

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसलिए मेरा निवेदन है, आपने समय दिया, कम दिया, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था। पूरी तैयारी के साथ आया था लेकिन आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। इतना ही कहना काफी है कि हम इसका समर्थन करते हैं सशक्तीकरण का। नगरपालिकाओं को भी, पंचायतों को आप मजबूत करें, सारे विभाग दें, हम में से कोई विरोध नहीं कर रहा। झूठा आक्षेप हमारे ऊपर नहीं लगाएं। लेट किया है, देर से किया है और आपने इसको गम्भीरता से नहीं लिया और अब भी गम्भीर नहीं हैं। इस नाते से सारी जनता के सामने सब कुछ होने वाला है।

अन्त में चार-छह पंक्तियां और सुनाना चाहता हूं। बस अन्त में, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न, बहुत सुना दिया न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ठीक है, साहब, धन्यवाद। कल सुनाऊंगा, अकाल पर सुनाऊंगा कैसे अकाल पड़ा है आपके कारण।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर सदन पिछले दो दिन से चर्चा कर रहा है। इसके आधार पर राजस्थान की भविष्य की पंचायती राज व्यवस्था कैसी बनेगी और उससे सम्पूर्ण प्रदेश का विकास कैसे जुड़ेगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है लेकिन मुझे इस बात का बहुत दु:ख है कि हम जब कभी भी सदन में कोई चर्चा करते हैं तो केवल एक-दूसरे पर कुछ न कुछ कटाक्ष करके जैसे कोई डिबेट करते हों और अपने वाद-विवाद से, अपने तर्कों के आधार पर किसी को अच्छा और बुरा दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं सोचता हूं कि पंचायतों और नगरपालिकाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसमें शायद इन तर्कों की आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर हम इन तर्कों से हट करके अगर हम यह देखते कि अभी हम जहां तक पहुंचे हैं उसमें पहुंचने में इतना लम्बा समय हम को कैसे लगा, इस विषय पर कभी ध्यान देते कि आखिर हमारी कहां कमियां हैं कि हम अच्छे से अच्छा प्लान बनाते हैं, बुद्धिमानी से बहुत अच्छा लिख देते हैं लेकिन जब उसका एग्जीक्यूशन का सवाल आता है तो हमारे को जीरो नम्बर आता है।

वास्तव में आज यह सब चर्चा करने के बाद भी अगर भगवान ने चाहा और अपन दो-चार साल बाद फिर कहीं मिले तो हम उसी नतीजे पर पहुचेंगे कि हम सौ दिन चले ढाई कोस। कारण यह है कि हमारा मन साफ ही नहीं है कि हम किसी व्यवस्था को ठीक करना अन्त:मन से चाहते हैं या केवल यह हम ख्वाबी पुलाव बना दें, कागजों पर लिख दें परिणाम आयेगा कि नहीं आयेगा इसका कुछ पता नहीं, हम केवल अपने मन की तुष्टि के लिए ही मात्र यह सारा का सारा जितना भी कर्म करना होता है वह करते हैं। क्योंकि 1959 से चले हम पंचायती राज को सशक्त करने के लिए। नेहरूजी का नाम दो अक्टूबर के साथ हम पंचायती राज को सशक्त करने के लिए। नेहरूजी का नाम दो अक्टूबर के साथ हम जोड़ कर चले। पता नहीं कितने लोगों ने अपनी रिपोर्टें दे दीं। अब इन सभी रिपोर्टों के बाद आज अपन 2002 में खड़े हैं, ईमानदारी से हम देखें कि हमारा पंचायती राज खड़ा कहां है, पंचायती राज की व्यवस्था में हमने क्या उपलब्धि कर ली। यह जरूर है कि पहले से हम आगे बढ़े और यह आगे बढ़े पिछले इन कुछ वर्षों में। इसके लिए तो कोई पंचायत का सरपंच बनना ही पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि यह कौनसा भार है। बड़ा मना-मना करके गांव में किसी को सरपंच बनने के लिए उसको तय करते थे और उसी का कारण यह था कि हमने पंचायती राज को कभी सशक्त खड़ा होने ही नहीं दिया। आप हम को कहें, हम आपको कहेंगे लेकिन किसी ने इस बारे में विचार किया कि आखिर 1956-60 से पंचायती राज के चुनाव हमने शुरू किये, कितनी बार कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिये? चुनाव समय में नहीं होने में ऐसी कौनसी बाधा थी, कौनसी समस्या थी जिसके कारण हम चुनाव नहीं करा सके? लेकिन उसके बाद जिस तरह से हम को कानून ने बाध्य किया और उसके कारण से चुनाव सही समय पर होने लगा। 73वां और 74वां संशोधन आने के बाद किसी भी राज्य सरकार को यह मनमर्जी से नहीं है कि उसकी मर्जी हो तो चुनाव कराए, मर्जी नहीं हो तो नहीं कराए। मैं सोचता हूं उस दृष्टि से 1994 में हमने अपना पंचायत एक्ट बनाया और एक्ट बना करके जो कुछ भी अच्छा उसमें जोड़ा जा सकता था, कोई भारतीय जनता पार्टी ने अकेले बैठ कर नहीं बनाया, आप सब माननीय सदस्यों का भी उसमें पूरा सहभागी लेकर बनाया कि किस प्रकार का हमारा एक्ट बने और हमारा पंचायती राज कैसा बने।

मैं सोचता हूं कि पहली बार चेयरपर्सन को आरक्षण दिया, यह तो ठीक था कि 30 परसेंट या 33 परसेंट महिलाओं का आरक्षण होगा, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का होगा पर यह कहां पाबंदी थी कि चेयरपर्सन का भी आरक्षण उसी तरह से होगा? हमने एक कदम आगे बढ़ कर गये इस कारण से कि चाहे वह आज कितना ही कमजोर क्यों नहीं हो, आज वह चाहे कितना ही अनपढ़ क्यों नहीं हो लेकिन जब तक उसकी इस सहभागिता नहीं आयेगी तब तक लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होगा। अब आज भले ही हम खामी निकालें कि वह तो बिलकुल अनपढ़ सरपंच बन गयीं। बन गयीं, कोई बात नहीं, कम से कम वह उस जाजम पर आ करके बैठना तो सीखी है। पहली बार उसको बराबरी का अहसास तो हुआ है। कभी उसे लगे तो सही कि मैं भी गरीब के घर में पैदा होने के बाद भी जिला प्रमुख की कुर्सी पर जाकर बैठ तो सकती हूं। हो सकता है मेरे काम में दो कमियां रह जाएंगी लेकिन उसके मन में एक विश्वास तो पैदा होगा। इस विश्वास पैदा करने की दृष्टि से हमने इस प्रकार का आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ायेगा।

इसके साथ ही दो बच्चों की अनिवार्यता भी जोड़ी पहली बार इसलिए कि आवश्यक अंग था लेकिन उसकी किसी ने कोई तारीफ की? मतलब हमने क्या-क्या कमियां कीं, वह तो आपने सूचीबद्ध कर रखी हैं मगर कमियां गिनाना, यही सदन का एकमात्र उद्देश्य है? पूरा करो, कोई बात नहीं है लेकिन इससे उस जनता का हम भला नहीं कर पायेंगे जिसके बारे में हम सभी इतनी ऊंची-ऊंची बातें करते हैं। लेकिन सच में उसको क्या उपलब्धि हो रही है, इसके बारे में सोचने के लिए हम किसी की मन:स्थिति नहीं हैं, न हम किसी के लिए तैयार हैं।

वास्तव में एक कमी, जो उस समय भी रही, जिस को हम आज भी महसूस करते हैं। यह आपके जितने भी सरपंच हैं, जैसे डायरेक्ट चुनाव होता है वैसे ही प्रधान और जिला प्रमुख का भी डायरेक्ट चुनाव

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होना चाहिए। एक ही दिन में पूरा सैटअप तैयार होना चाहिए ताकि यह पैसे का खेल चलता है और उसके कारण से भ्रष्टाचार वहीं पर जन्म लेता है। प्रधान और सरपंच हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, चाहे हम बनाएं चाहे आप बनाएं, जहां कहीं भी एक–दो उम्मीदवारों की कमी पड़ जाती है तो बोली लगा करके उसको पैसे देकर हम प्रधान बनाते हैं, हम जिला प्रमुख बनाते हैं। मैं सोचता हूं कि इससे अच्छा तो यह है कि उसके चुनाव में दो–चार लाख खर्च होना है तो हो जाए जनता से सीधा ही चुना जाए ताकि कम से कम यह बीमारी तो नहीं चले जिसके कारण से आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा पंचायती राज कैसे वर्क करता है। यानी सरपंच अपने पैसे की स्वीकृति कैसे ले जाता है। हम सब अनजान हैं क्या? लेकिन चूंकि हमने सिस्टम को सुधारने की कोशिश ही नहीं की कि हम इस बीमारी को, क्योंकि सैंक्शन के पहले ही पैसे देकर आना पड़ता है। जब कभी भी उसकी एम.बी. भरेगी तो उसको जे.ईएन. के पीछे–पीछे घूमना पड़ेगा। जे.ईएन. तो उसका दरबार हो गया। हमने जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा को घटाया है।

हमको अगर कोई सोचना है तो इस सिस्टम के लिए सोचना है कि इसको कम करने के लिए कहां–कहां, कौन–कौनसे प्रतिबन्ध लगा सकते हैं और तरीकों में क्या सुधार किया जाए कि जिसके कारण ये दिक्कतें हुई, बेईमानियों को हमने किस प्रकार कम कर दिया। दुर्भाग्य तो यह है कि जहां हम अपने जिला परिषद् से डी.आर.डी.ए. से सैंक्शन लेकर आते हैं जो विधायक फण्ड देते हैं, जो एम.पी. फण्ड देते हैं उसके लिए भी वह उसके ऊपर डंक मारकर बैठा रहता है। हम अपनी तरफ से उनको देते हैं कि गांवों का विकास हो लेकिन उसके बीच में चोरी करने वाले लोग चोरियां कर जाते हैं और हम इस सिस्टम को नहीं सुधार सकते कि हम इसको कैसे सुधारें। इन कुछ बातों के ऊपर हमको निश्चित रूप से, कारण क्या है साहब कि अधिकार तो देंगे पर अधिकार का मतलब क्या है, यह समझ में आया है क्या? आप ये इतने काम दे देंगे वैसे तो कभी किसी ने यह कोशिश नहीं कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सब खराब ही किया इस बात को सुनकर दुःख होता है क्योंकि मंत्री स्तर के लोग भी अगर इस तर्क के आधार पर अपनी बातों को जमाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा आप जमाओ, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद इसके बारे में, लेकिन प्रयास किया है।

ऐसी बात नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया पंचायती राज को सशक्त करने के लिए। डी.आर.डी.ए. की क्रियान्विति की जा रही थी। निम्न योजनाओं को जिला परिषद् को हस्तान्तरित करी थीं न? ये 32 जिले 32 काम योजनाएं ट्रांसफर नहीं की थीं? निर्बन्ध राशि योजना क्या जिला परिषद् को नहीं दी थीं? क्या रूरल ग्रोथ सेन्टर स्कीम नहीं दी थी? क्या मेवात विकास

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

योजना नहीं दी थी? क्या डांग विकास योजना नहीं दी थी? क्या वानप्रस्थ योजना नहीं दी थी? क्या पुनर्वास कार्यक्रम नहीं दिया था? क्या बायोगैस योजना नहीं दी थी? क्या अपना गांव अपना काम नहीं दिया था? हमने पंचायती राज को सशक्त करने का प्रयास किया पर हमारा ध्यान विकास तक ही सीमित था और हमने विकास किया। अब आप चाह रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट पंचायती राज को पकड़ा दें। आपका स्ट्रक्चर क्या है आप पकड़ा देंगे? क्या केवल हवाई पुलाव दिखाने से सिस्टम को सुधार लेंगे? क्या है आपके पास स्टाफ पंचायत समितियों में, कोई तो जे.ईएन. नहीं है आपके पास? एक एस.डी.आई. होता वह नहीं है, विद्यालय देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, विद्यालय में अध्यापक है या नहीं इसको कोई देखने वाला नहीं है। वास्तव में हम अपने आप में थोड़े से अन्दर से टटोलने की कोशिश करें कि हम धरातल पर खड़े या नहीं खड़े हैं। हमारे विद्यालय की क्या स्थिति है? कभी किसी ने जाकर पढ़ाई देखने की गुंजाइश की है कि विद्यालयों में पढ़ाई क्या हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, किसी को फुर्सत का सवाल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है। विद्यालय में हमारे पास अध्यापक नहीं। हम योजनाएं बना रहे हैं। सब पंचायतों को ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर लोगे ट्रांसफर करके? पैसा इधर से उधर डाल देने से क्या एफिसिएंसी आ जायेगी? उस एफिसिएंसी को देखने के लिए आपके पास स्टाफ का स्ट्रक्चर क्या है? यानी जिला परिषद् को एक अपना अलग से आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। जब तक आप जिला परिषद् को अलग से पावर बनाकर, आप सब चीजों से आखिर इन अधिकारियों की लाइजनिंग क्या रहेगी, इनका प्रमोशन चैनल क्या रहेगा, कौन अधिकारी इनका सुपरविजन करेगा, कैसे सुपरविजन करेगा? आखिर वह जो नौकरी करने आता है वह भी तो अपनी जिन्दगी का कुछ न कुछ देखकर आता होगा कि उसे आगे बढ़ने का रास्ता कहां मिलेगा, क्या होगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि उस पंचायत समिति में नौकरी की और वहीं मर जायेगा?

आपने ये सब जो उसकी प्रारम्भिक तैयारियां हैं उनके बारे में तो मौन हैं। कुछ नहीं, हम तो अधिकार दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं और ये अधिकार भी ध्यान जब आया, मुझे इस कारण से कहना पड़ता है, अधिकार देने का हमको ध्यान में कब आया? आप अपने घोषणा पत्र, 1998 में लिखते जब आप सरकार में नहीं आए थे और उस घोषणा पत्र को लिखने के बाद। चार साल तक क्या हुआ? किसने रोका था आपको? ये अधिकार देने के लिए कोई तो बीच में नहीं था न? कोई जरूरी थोड़े ही था कि चार अप्रेल के दिन या छ: अप्रैल के दिन प्रधानमंत्रीजी के यहां अन्त में बैठने के बाद ही हुआ? यह जो चर्चा आप अपन कर रहे हैं, क्या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह दो साल पहले नहीं की जा सकती थी? इस पर कौनसी ऐसी बाधा थी जिसके कारण से हम इस चीज को नहीं कर पाते लेकिन हमारा स्वभाव है लिंगर ऑन करना और अब केवल जनता को सब्जबाग दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने का जो एक राजनीति का स्वभाव बन गया है। यह इस देश के लिए और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यशाली चीज है।

हम अगर वास्तव में चाहते हैं कि ये अधिकार मिले तो हमें आखिर अप्रैल से लेकर आज तक इतने महीने तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी जिसकी आप बार-बार बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि यह स्पेशल अधिवेशन है इसीलिए बुला रहे हैं कि यह अधिवेशन इसी के लिए है। अगर इसी के लिए था तो मई, जून में भी हो सकता था। ऐसा कौनसा बड़ा डाकूमेंट आपने बना दिया जो आपके पास तैयारी नहीं थी। यह सब तो जो पुरानी मीटिंग्स हुई हैं, जो प्रस्ताव आये हैं वही तो इसके अन्दर लिखे गये हैं। अन्त में अगर कोई मान लें तो केन्द्र सरकार से लिखी हुई बातें ही तो हैं। इनको हम समय से कर सकते थे लेकिन आज भी हम निर्णय लेंगे क्या हम एक साल में इसकी पालना करवा देंगे, केवल हवा में छोड़ देंगे कि हमने ये-ये काम कर दिये, हमने सब अधिकार दे दिये, वे अधिकार हवा में ही घूमते रहेंगे जमीन पर उतर कर नहीं आ सकते क्योंकि जमीन पर उतर कर आने का कोई लगता ही नहीं है।

अब आपकी मर्जी हो जिसको तो आप सस्पैण्ड कर दो। दुर्भाग्य है हमारा, मैं यह कहता हूं कि इसको राजनीतिक चश्मे से जब तक हम देखना बन्द नहीं करेंगे तब तक इस सिस्टम को कभी सुधार नहीं सकते। आप हमको मारना, हम आपको मारते चले जायेंगे और जिन्दगी ऐसे ही निकल जानी है लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आना है उसका। यानि हमारे देखने का नजरिया बेईमान, चोर चाहे किसी पार्टी का कोई व्यक्ति है अगर उसके पास शिकायत प्राप्त हुई है, तो उसकी जांच क्यों नहीं हो सकती? जांच में अन्तर क्यों आता है? एक की जांच तो चार महीने में निपट जाती है, दो दिन में निपट जाती है और सस्पैण्ड भी दो दिन में जाता है और दूसरे की सारी कमजोरियां बताने के बाद भी, आदमी लिख-लिख कर थक जाता है, तो तीन-तीन साल तक उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। उसको दफ्तर दाखिल। केवल आपके बाबू से एक बार मिल लेना तो उसकी फाइल छह महीने तक रद्दी की टोकरी में डाल देना जो न आपको मिले और न मुझे मिले। इस सिस्टम को हम सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अनजान हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके ऊपर ईमानदारी से पालना करने का मन ही नहीं बनाते हैं और इसके कारण से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जब बेईमान और भ्रष्ट बचता है तो वह चाहे आपका बचे चाहे हमारा बचे वह सारे सिस्टम को बिगाड़ कर रख देता है और इसके कारण कभी उसको सुधारने की स्थिति नहीं है। आपने जब चाहे किसी को निकाल दिया, जैसे दिमाग में लगा कि प्रधान सस्पैण्ड, फलां सस्पैण्ड, ये सस्पैण्ड, आपने इसमें डाला है। आपने यह कहा है कि हम किसी रिटायर्ड जज से, एक कमेटी बनाकर उसके द्वारा करेंगे। मैं सोचता हूं कि इसमें तो आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। कम से कम एक काम की ही शिकायत आपको करनी, किसी को करनी पड़े लेकिन कोई जांच अधिकारी तो ऐसा हो जिसके कारण से उसकी सही जांच होकर स्थिति आए।

इस पंचायती राज का अंकेक्षण विभाग क्या है, क्या जांच करता है? कोई देखने वाला है, कोई आडिट करने वाला है, कोई किसी प्रकार से उसकी आडिट होती है, किसी पंचायत की आडिट होती है, कभी हमने कोशिश की? अगर एक कुम्भलगढ़ की किसी ने जांच करा ली और उसमें लाखों रुपये का घोटाला निकल गया और ईमानदारी से आप प्रतिवर्ष कोई सैम्पल चैकिंग करें इन पंचायतों को और वह किसी को बताकर नहीं करें, अगर आप लाटरी निकालकर, अड़तालीस पंचायतें हैं उसमें से पांच लाटरी निकली, जिस पंचायत की आ गयी उसका पूरा खाता देखा शुरू से लेकर आखिरी तक इस पंचायत में कौनसा पैसा कहां खर्च हुआ, कहां नहीं हुआ। अगर यह मैसेज सबको जायेगा कि हर साल लाटरी के द्वारा मेरी पंचायत में आडिट है या उसका पूरा निरीक्षण हो सकता है तो सारे के सारे एलर्ट रहेंगे क्योंकि उसकी मौत कभी भी आ सकती है लेकिन हम तो जांच उसकी करते हैं जिससे हमारी दुश्मनी होती है। हमें लगता है कि उसका काम कितना ही बढ़िया क्यों न हो लेकिन मेरे हिसाब से सलामी नहीं करता है इसलिए हम निकालने के लिए जाते हैं। इस मन के आधार पर तो सुधार नहीं हो सकता है और इस आधार पर हम व्यवस्थाओं को भी नहीं सुधार सकते।

मेरा आग्रह है कि आप कम से कम क्या प्रशिक्षण है। अनपढ़ आ गयी, कोई चिन्ता की बात नहीं लेकिन अनपढ़ का स्टाफ तो ठीक हो। आप अनपढ़ को भी ऐसा गंवार आदमी भेज देते हो जो उसको रोजाना परेशान करके उल्टे-सुल्टे दस्तखत कराता है। जहां कम से कम आपको लगता है कि एस.सी. की कोई महिला सरपंच आ गयी, प्रधान आ गयी वहां कम से कम स्टाफ का मैम्बर तो ऐसा जाए जो उसको ठीक प्रकार से ठीक दिशा देकर काम करे। कई बार अनपढ़ के कारण वह उसको उलझाकर दो चार दस्तखत करवा लेता है और दस्तखत की मजबूरी में बाद में वह पूरे समय तक शोषण करके उसके साथ झूठे काम करता रहता है। हमारे मन में अगर सिफारिश होगी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि यह बी.जे.पी. का प्रधान है, यहां कोई न कोई ऐसा लट्ठ भेजो जो उसको रोज कम से कम कुरेदता रहे। काम की कोई जरूरत नहीं है, काम होने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए रोड़े कैसे अटकाए जाएं उसके काम में, यह हमारे मन का लक्ष्य रहता है और हम उसी दिशा में चलते हैं और उसी दिशा में हमारा काम रहता है। हम यह चाहते ही नहीं हैं कि उस पंचायत के द्वारा ठीक प्रकार से जन प्रतिनिधि उसका किसी प्रकार से विकास करें।

आपने देखा होगा जहां–जहां भी जन प्रतिनिधियों को आपने पावर दिए हैं वहां सब जगह आपने कोई न कोई ऊपर का अधिकारी ऐसा लगा दिया कि वह एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। अभी आपने प्रशिक्षण की व्यवस्था की? क्या प्रशिक्षण है? क्या प्रशिक्षण की इतनी सबल व्यवस्था है जिस सबल व्यवस्था के आधार पर हम कुछ कर सकेंगे। मैं सोचता हूं कि जो बिन्दु हम देना चाहते हैं आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद भी दे दें, वह भी दे दें। एक बार कम से कम जो शिक्षा विभाग दिया है उसको तो पूरा पुख्ता कर लो। जल्दी क्या है आपको? उनतीस काम आपको देना है, दे देना। पहले कम से कम आठ–दस काम देकर ट्राई तो करो कि इसमें परिणाम क्या आता है। बिना परिणाम आए अंधे की तरह थोप देंगे और फिर वापस लौटकर बुद्दू घर को आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े विद्वानों ने बना दिया और हम सबने तय कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है हम इसको कदम–कदम से भी चला सकते हैं। अब भी गति से हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं।

मैं आंकड़े देता हूं जो पैसा हमको मिलता है न वह भी हम खर्च नहीं कर पाते। हम केवल कहने के लिए, पहले तो हमारे पास पैसा नहीं है और पैसा है उसको नहीं खर्च कर पाते। यह आपका ही दिया प्रशासनिक ढांचा एवं प्रगति विवरण 1999–2000 पंचायती राज। इसमें आपको जो पैसा मिला न, यह आवासीय निर्माण सहायता के लिये जो पैसा मिला उसका खर्चा क्या है। कभी कोई मानीटरिंग नहीं करता कि हमारे पास कौन कौनसे प्रकार के पैसे आते हैं, उसका किस–किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। कई बार तो हम मैचिंग ग्रांट नहीं दे सकते इसके कारण से नहीं होता। हम बड़ा सुधार करने जा रहे हैं। गांठ में तो एक पैसा नहीं है और बातें करते हैं सेठगिरी की। इससे योजनाएं पूरी होंगी। यह केवल लुभावने नारे बहुत अच्छे लगेंगे। लिखने के लिये बहुत अच्छा लगेगा। बोर्ड बहुत अच्छे लगेंगे। परिणाम क्या आएगा इसमें से?

अब मैं केवल आवासीय निर्माण सहायता के पिछले वर्षों की प्रगति निम्न तालिका से अंकित है, यह पृष्ठ 9 पर दिया है। यानि 1992–93 में जहां अपनी उपलब्धि 99 परसेंट थी, 1993–94 में 101 परसेंट थी, 1994–95 में वह 98 परसेंट रह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गयी, 1995-96 में 81 परसेंट रह गयी 1996-97 में 87 परसेंट, 1998-99 में 77 परसेंट, 1999-2000 में हमारी उपलब्धि 30.92, 31 परसेंट। जो हमारे पास पैसा आता है न उसका भी उपयोग नहीं होता है। कोई मानीटरिंग करने का किसको समय है। कौन देखें? सब केवल अपनी अपनी स्वीकृतियां निकालने में लगे हुये हैं। कोई जा करके देखा कि जो स्वीकृति निकाली उसका उपयोग किया कि नहीं किया? क्या दिक्कत आयी, किसके कारण से पैसे का उपयोग नहीं होता है? लेकिन इसको कोई देखने की कोशिश नहीं करते। कभी भी हमारे पास कितना पैसा कहां से आया, उसका उपयोग हुआ?

यह आपका वार्षिक प्रतिवेदन 2001-2002, कभी कोई भगवान के लिये देखने, इसमें उपलब्धियों में यह जो है मरू विकास कार्यक्रम, डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत फैजवार प्रारम्भ से जनवरी से 2002 तक की प्रगति निम्नानुसार रही। डी.पी.ई.पी प्रथम 1995-96 में 88 प्रतिशत उपलब्धि रही। उसके बाद 1999-2000 में 66 परसेंट। उसके बाद 2000-2001 में 33 परसेंट। मतलब यह हमारी उपलब्धियां हैं। मतलब जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह भी हम नहीं खर्च पाते। यानि यहां तक कि अब आप तो बहुत सशक्तीकरण कर रहे हैं और उस पंचायत समिति में जाकर देखा भी है कि वहां कुछ कागज भी हैं कि नहीं? वहां उनके पास स्टाफ भी है कि नहीं? केवल तीन बाबुओं से आप पंचायती राज को विकसित कर दोगे? तीन बाबू सारे पंचायती राज को चला लेंगे पूरी की पूरी पंचायत समिति में। जिला परिषद् में आपके पास स्टाफ का पेटर्न क्या है? उस स्टाफ के पेटर्न के आधार पर आप कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने डिपार्टमेंट का काम इन सारी स्वायत्तशासी संस्थाओं को, पंचायती राज को सौंप तो रहे हैं, इसकी पूर्व तैयारी क्या है हमारे पास? हमने इसके लिये कौन कौनसी तैयार कर रखी है जिसके कारण से हम यह काम देंगे, तो बखूबी अच्छी चलेगी। हम अच्छा काम भी गलत तरीके से करने के कारण से जब असफल होंगे तो हमेशा के लिये प्रश्न चिन्ह और खड़ा कर देंगे। हम कम से कम जो काम करें वह पूरी तैयार के साथ में करे, उसमें हमें असफलता हाथ नहीं लगे।

इस बात को देखना, जैसे हमारे इंदौरियाजी कह रहे थे वास्तव में सच है न हास्पिटल में डाक्टर है। कितनी पोस्ट खाली पड़ी हैं। विद्यालय खाली पड़े हैं। हम क्रमोन्नत पर क्रमोन्नत करते जा रहे हैं केवल वाहवाही लूटने के लिये। कुछ तो अंतरात्मा से पूछो कि हमने यह हजारों स्कूल खोल दिये और एक मास्टर नया भर्ती नहीं किया तो वहां बच्चों को कौन पढ़ाएगा? आप बच्चे के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। भगवान के लिये ऐसा मत करो। जिस बच्चे के नम्बर कम आ जाएंगे जिन्दगी में वह जिन्दगी भर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तक उस सर्टिफिकेट को लेकर रोएगा। बिना अध्यापक के पढ़कर बच्चा अपनी जिन्दगी में पचास साल तक उस वजन को ढोकर के चलेगा। हमारे पास अगर कम साधन हैं तो जितने हैं उसको तो पुख्ता करें। केवल बस वाहवाही लूटने के लिये, मन को इस बात से प्रसन्न करने के लिये हमने आपके यहां नहीं खोला, आपने हमारे यहां नहीं खोला, उसने ऐसा नहीं किया, हमारे मंत्रीजी ने कह दिया, आपने मेरे ऐसे नहीं किया, बड़ा कई बार ऐसा दु:ख होता है कि किसकी बात समझाने जा रहे हैं। यानि हर आदमी अपने तर्क से समझाने की कोशिश करता है। हम यहां इस पांच करोड़ के मुल्क के प्रहरी हैं। जनता ने किसी आशा से चुन कर हमें यहां भेजा है। हमसे कुछ उम्मीद होगी उनकी। जिंदगी भर तक जीतते रहना, यही जिंदगी का अगर अरमान है तो चाहे फाउल खेलकर जीतो, जीतो कोई बात नहीं। बनते रहना खूब, बनते जाना। पहले भी खूब बने, आगे भी खूब बन जाना। लेकिन हम किस निर्णय पर इस मुल्क को पहुंचाएंगे, लोकतंत्र को पहुचाएंगे, इसके बारे में हमारा कहीं मन है? और अगर मन है तो फिर जो गलती करता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो, उसको सजा ईमानदारी से देने का क्रम चालू कर दो, व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन जब अपना पराया देखने का क्रम करते हैं न तो उसमें से सिस्टम नहीं सुधरता। मैं सोचता हूं कि इसमें एक के बाद ऐसी कई स्थितियां हैं।

मैं ज्यादा समय नहीं लेता, केवल दो तीन चीजों को आप इसमें स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। एक तो यह कि कम से कम इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम। उनको बराबर इस बारे में ट्रेनिंग और इस सारे सिस्टम को लागू करने के लिये जो स्टाफ पेटर्न आपको चाहिए, वह स्टाफ पेटर्न क्या होगा? जो कर्मचारी इसमें काम करेंगे उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे? उनके आगे के प्रमोशंस के चांसेज क्या होंगे? कौन डिपार्टमेंट जा करके उनको देखेगा, जयपुर वाले का उस पर क्या रहेगा? जब तक आप उस प्रधान को, उस सरपंच को और उस जिला प्रमुख को उसकी ए.सी.आर. की पकड़ नहीं दोगे तब तक यह अधिकारी कोई गांठने वाला नहीं है। सबसे बड़ा जो दु:ख है वह यह कि अधिकारी उनको ऐसे ही समझता है, यह सोचता है जैसे कुछ लेने आया होगा, मांगने आया होगा वैसे वह बाहर खड़ा रहता है जनप्रतिनिधि और आप और हम रोज भाषण देते हैं, जनप्रतिनिधि का सम्मान करते हैं। जनप्रतिनिधि का आपके राज के नौकर कितना सम्मान करते हैं यह आप भी जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। अगर यह किसी कारण से डरते हैं तो इसलिए कि आप इनका कहीं बिगाड़ दोगे, तो आपसे ज्यादा चिन्ता करके बात कर लेंगे, बाकी इनको कोई परवाह नहीं है। यह इस बात की चिन्ता ही नहीं करते हैं, यह तो सोचते हैं कि खुदा बन गये हैं। यानि जिस जनता के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पैसे से हम इनको लिखा-पढ़ा करके तैयार किया वह तो खुदा बन गया और वह गरीब आदमी हो सकता है भले ही। लेकिन उसके टैक्स से कालेज में पढ़ा है लेकिन यह इंसानियत उसकी खतम हो चुकी। उसके विचार ही खतम हो चुके और हम उसको ही प्रोटेक्ट करते हैं जो हमारे साथ रोज उठता बैठता है, चाहे वह कितनी ही गलतियां क्यों न कर ले। इसके कारण से सारे जितने भी, अभी इसमें बजट के प्रावधान के बारे में मैंने पूछा है कि आखिर यह सारे के सारे अधिकार तो आप उनको दे दोगे, बजट कहां है, क्या है बजट, कितना बजट है इस सिस्टम के लिए आपके पास? केवल कागजों में दे करके अगर आप इसको सुधारना चाहते हो, आपकी इच्छा है लेकिन मुझे तो इसमें कहीं भी नहीं लगता कि आपने कहीं बजट का कोई प्रावधान किया है।

इसी प्रकार एक के बाद ऐसी स्थिति जो है आपकी यह दयनीय स्थिति, ग्रामीण उदासीनता, हमारा पंचायती राज असफल क्यों हुआ? कल माननीय पंचायत राज मंत्रीजी अपनी तरफ से दे रहे थे कि दिनकरजी ने यह कहा, वह कहा। दिनकरजी ने यह भी कहा, उनकी रिपोर्ट में उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन कर निकाले गये निष्कर्षों को, दिनकरजी ने 90 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति दयनीय मानी तथा इसका कारण ग्रामीण की उदासीनता। उदासीनता का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। यह जो जितनी भी हम वार्ड की बैठकें करते हैं और जितनी भी ग्राम सभा करते हैं, प्रारम्भ में इसमें उत्साह था लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता जा रहा है उत्साह उसमें से निराशा में बदलता जा रहा है और निराशा में बदलने का कारण क्या है? कारण यह है कि आपने उनको कहा दस प्रस्ताव दो, उन्होंने दस प्रस्ताव दे दिये एक बैठक में। फिर अगले बार फिर दस दे दिये। फिर अगली बार में और दस दे दिये और उसमें से पालना एक की भी नहीं हुई। तो आदमी सोचेगा यह बार-बार प्रस्ताव देने के लिए काहे को जाना, किसके लिए जाना, दो काम अगर ईमानदारी से हो जाये कि अगर उस पंचायत का बजट और उसका साल का आडिट, यह दो बैठकें भी अगर बिलकुल सख्ती के साथ हो जाए तो निश्चित रूप से आधी बीमारी का अन्त तो उसी जगह हो जायेगा। ऐसा नहीं है कि लोग उसकी आलोचना नहीं करते हैं, करते हैं। लेकिन चूंकि उनको बुलाते नहीं, या फिर वह सोचते हैं जा करके वहां कहने का कोई अर्थ तो निकलता नहीं, कोई तर्क देते हैं तो कोई समझने को तैयार नहीं। अब आप एक ही दिन में सब ग्राम सभाएं करते हैं। स्टाफ कहां है? कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप करो। ऐसा किसी ने नहीं कहा होगा। साल में चार बैठकें होनी चाहिए और इन चार बैठकों में आप अपने स्टाफ की सुविधाजनक तारीखें रखें जिसके कारण से कम से कम यह तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लगे कि क्या उपस्थिति है, क्या लोगों के सुझाव हैं, क्या नहीं हैं। एक दूसरे से बचने के लिए वह उसकी सिफारिश, वह इसकी सिफारिश करता है। ग्राम सभा तो वास्तव में जो यह सारे का सोच है उसकी सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो ग्राम सभा है। अगर हमने ग्राम सभा को एक्टिव कर दिया और उस ग्राम सभा में अगर डिस्कशन ठीक प्रकार से हो गये और उसमें अच्छाई और बुराई सामने आने लग गयी, आधी बीमारी का अंत हो जायेगा। लेकिन चूंकि ग्राम सभा तो धीरे-धीरे निष्क्रिय होती चली जा रही है और उसके कारण से न तो हिसाब-किताब होता है, कुछ नहीं होता है, वास्तव में यह घर जा करके दस्तखत कराके अपनी ग्राम सभा पूरी कराके फारमल्टी हो रही है।

हमारे मन में हम यह जरूर चाहते हैं कि वार्ड सभा भी हो लेकिन वार्ड सभा इतनी होना सम्भव है क्या? इतनी मशीनरी हमारे पास कहां है कि वार्ड सभा में भी कोई देखेगा, ग्राम सभा में भी देखेगा। अगर हम इसकी संख्या को कुछ एडजस्ट कर सकते हों तो करें। ग्राम सभा जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, वार्ड सभा भी अगर सम्भव हो, लेकिन उतना ही काम बताएं जितना उसके पास सम्भव हो। अभी तो जितना पैसा हमारे पास आता है वह भी हम ठीक प्रकार से व्यय नहीं कर सकते। इस तरह की स्थिति है। मैं चाहता हूं कि आप सुदृढ़ीकरण करो, इसमें न भारतीय जनता पार्टी का विरोध है, न किसी का विरोध है लेकिन उस सुदृढ़ीकरण का जो ढांचा चाहिए, जो उसके लिये बजट चाहिए जो उसके लिए नियम चाहिए वह जब तक आप सुदृढ़ नहीं करोगे आप इस व्यवस्था में सफल नहीं होंगे क्योंकि पहले भी एक बार पंचायती राज को हम शिक्षा दे चुके हैं फिर हमने लौट करके पंचायती राज से शिक्षा को निकाला। मेरा अनुभव यह कहता है कि आज भी पंचायती राज में शिक्षा, शिक्षा के हिसाब से नहीं रहेगी और जो स्तर गिरेगा बच्चों का उसका परिणाम तो आगे आने वाला समय भुगतेगा। हम एक काम करें, पुख्ता करें और उस एक काम में सफलता को देख करके फिर उसके साथ दो नया जोड़ें। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने 29 तय कर लिया तो 29 एक साथ बतायेंगे तो वाहवाही।

मेरी आपसे प्रार्थना है, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से भी यह जो आपस में एक-दूसरे से छींटा कशी में जो समय बरबाद करते हैं इसको थोड़ा बंद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात करें तो तर्क के साथ करें तब तो बात को समझने का मतलब निकलेगा। हम मन से चाहते हैं कि पंचायती राज और नगरपालिकाओं का सुदृढ़ीकरण निश्चित हो। जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान बढ़े। उनके द्वारा काम पर ठीक प्रकार से चैकिंग रहे और ठीक प्रकार से पैसे का उपयोग हो, विकास ठीक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रकार से हो लेकिन उसके लिए उनको जो साधन चाहिए, जो तैयारी चाहिए उस तैयारी की दृष्टि से भी अपना विचार करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पंचायती राज मंत्री जी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पहले मैं कह लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से माननीय सदस्यों ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को सशक्त और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए बड़े उपयोगी और महत्वपूर्ण सुझाव दिये। बहुत से माननीय सदस्यों ने इन संस्थाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त, स्वावलम्बी बनाने के लिए अपने सुझाव दिये। हकीकत तो यह है कि हमारी स्थानीय निकाय प्राय: उनका प्रशासनिक व्यय इतना बढ़ा हुआ है कि जितना पैसा उनको राज्य सरकार की ओर से चुंगी पुनर्भरण के लिए दिया जाता है वह प्राय: तनखाहों के ऊपर खर्च हो जाता है और राज्य सरकार की तरफ से यदि पैसा नहीं दिया जाए, तो वह संस्थाएं एक तरीके से उनके पास कोई आर्थिक साधन नहीं है, कुछ बड़ी नगर परिषदों के पास गृह कर के रूप में एक राशि आती है लेकिन वह भी बहुत कम नगरपालिकाएं हैं, 183 में से जिनके पास यह राशि आ पाती होगी। इसके अलावा बहुत कम संसाधन हैं मैं यह चाहता था कि आप लोग, जिस तरीके से आपने यहां सुझाव दिये उसमें बताते। कुछ माननीय सदस्यों ने दिये भी थे, प्रवेश कर लगाया जाए, मनोरंजन कर के बारे में उन्होंने अपने सुझाव दिये। कुछ माननीय सदस्य केवल मात्र इसको एक विषय के रूप में बता गये कि उनको इस तरीके से अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने चाहिए।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि यह एक प्रथम चरण है जिसके अन्तर्गत हम स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की दृष्टि से उनको काफी अधिकार अलग-अलग क्षेत्रों में दे रहे हैं और पूरे मन के साथ दे रहे हैं। अभी रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे "सत्यम वद और धर्मम च" मैं आपको सत्यनिष्ठा से कहता हूं कि पहली बार राजस्थान में जो अधिकार दिये जा रहे हैं। वह बिलकुल फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ दिये जा रहे हैं। इसमें पूरा बजट दिया जायेगा, पूरे साधन दिये जाएंगे, पूरे क्रियाकलाप दिये जायेंगे और पूरा का पूरा स्टाफ दिया जायेगा ताकि वहां पर स्थानीय निकायों के और पंचायतों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आयेगी। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि मन से लोगों ने, पूरे सदन ने इसका स्वागत किया है लेकिन चिन्ता

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इस बात की है कि यह कांग्रेस पार्टी की सरकार उनको दे रही है और उनको कहीं वाहवाही नहीं मिल जाए इसलिए एक साथ इतने अधिकार क्यों दे रहे हैं। अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय बता रहे थे कि एक साथ थोड़े-थोड़े अधिकार देने चाहिए। मतलब देने की इच्छा तो उनकी भी है लेकिन वह चाहते हैं कि एक साथ इतने अधिकार नहीं दें। थोड़े थोड़े अधिकार दें।

मैं खास तौर से आप सब लोगों का ध्यान भारत की संसद जिसके केन्द्रीय हाल को आपने देखा होगा। उसके ऊपर एक ऋग्वेद की ऋचा लिखी हुई है :-

''अयम निजपरोवेति, गणनामं लघु चेतसाम्
उदार चरितानामं वसुधैव कुटुम्बकम्।''

इसका अर्थ यह है कि ''तेरा और मेरा'' यह भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति उदार चरित्रवान है, जिसमें पूरा संसार एक परिवार और कुनबे की तरह है। हम लोकतंत्र के हामी हैं, लोकतंत्र के समर्थक हैं। इस लोकतंत्र में खास तौर से संसद, राज्य सभा, विधान सभा, जिला परिषद्, पंचायत समिति, पंचायत और इसी तरह से नगर परिषद्, नगरपालिका- ये चुने हुए प्रतिनिधियों के संस्थान हैं। इन चुने हुए प्रतिनिधियों को हम एक परिवार की तरह, इकाई की तरह मानें। यह नहीं समझें कि उनको अधिकार देने से हम कमजोर हो जायेंगे। मैं समझता हूं इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, सशक्त होगा। इसीलिए कहा गया है कि यह जो मुद्दा है यह केवल मात्र अधिकारों का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा लोकतंत्र का। हम लोकतंत्र को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं? लोकतंत्र की जड़ को यदि मजबूत करना है तो हमको इन स्थानीय निकायों को और पंचायतों को मजबूत करना होगा। ये जब मजबूत होंगे तभी हमारे यहां लोकतंत्र मजबूत होगा। प्रशासन और शासन का विकेन्द्रीकरण, सत्ता का विकेन्द्रीकरण सही मायने में हो सकेगा।

इसलिए मैं इस अवसर पर खास तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां कुलमिलाकर 183 जो नगर निगम, नगर परिषदें और नगरपालिकाएं हैं उनमें कुलमिलाकर एक करोड़ 26 लाख 98 हजार लोग रहते हैं। इन स्थानीय निकायों को सशक्त करने से एक विशेष मैसेज जायेगा। ये संस्थाएं मजबूत होने से एक सपना जो राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने की दृष्टि से उसका कार्यान्वियन होगा। मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं, उन पर आने से पूर्व संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि इस 74वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय सुझाये गये थे, उनमें अधिकांश मामलों में हम अभिशंसा कर चुके हैं। खास तौर से मास्टर प्लान- पहले मास्टर प्लान पर नगर परिषद्, नगरपालिका और नगर निगम विचार नहीं कर सकते थे। अब उनके पास यह विचार के लिये जायेगा और जो उपयोगी सुझाव वे

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

देंगे उन सुझावों के बारे में कार्यान्वयन किया जायेगा। इसके बाद आप सब जानते हैं कि 500 वर्ग गज के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए हम सब लोग यहां सचिवालय में आते थे। जिनको भू-उपयोग परिवर्तन कराना होता था, मैं समझता हूं उनकी एक तरीके से जूतियां घिस जाती थीं।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अब इस सशक्तीकरण के माध्यम से 500 वर्ग गज के भू-उंपयोग परिवर्तन के अधिकार हम नगरपालिकाओं को देने जा रहे हैं। एक हजार वर्ग गज तक के भू-उपयोग परिवर्तन के अधिकार हम नगर परिषद् और नगरपालिका और नगर विकास न्यासों को दे रहे हैं। 1500 वर्ग गज तक के भू-उपयोग परिवर्तन के अधिकार हम नगर निगम और उसी के साथ-साथ नगर निगम जहां हैं वहां नगर विकास न्यासों को, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वहां जयपुर विकास प्राधिकरण को भी 1500 वर्ग गज तक के अधिकार हम देने जा रहे हैं। कुलमिलाकर इन सब चीजों से हमारी नगरपालिकाएं, नगर परिषदें, नगर विकास न्यास और जयपुर विकास प्राधिकरण ये सब मजबूत होंगे। सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा। छोटे-छोटे कामों के लिए सचिवालय आना पड़ता था, जयपुर आना पड़ता था, वें सारे के सारे काम स्थानीय स्तर पर होने लगेंगे। आप कह रहे थे कि हमने स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए आर्थिक संसाधन क्या जुटाए, मेरा यह दावा है कि यह एक ऐसा पहला कदम है जिससे कामर्शियल कंवर्जन करने से छोटी से छोटी नगरपालिका को कम से कम 50 लाख और बड़ी नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और जयपुर विकास प्राधिकरण को कम से कम 50 लाख से लेकर 100-100 करोड़ तक की ऊपर आय होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं पूरा कर लूं उसके बाद पूछना। मेरा क्रम टूट जायेगा, माननीय सदस्य।

इस एक कदम से, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी नगरपालिकाएं, नगर परिषद्, हमारे नगर विकास न्यास और नगर निगम ये सारे के सारे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, स्वावलम्बी होंगे, आत्मनिर्भर होंगे और उससे इनकी आय बढ़ेगी। उस आय से वे अपने क्षेत्र में विकास के काम करा सकेंगे।

इसके साथ साथ हम लोगों ने शिक्षा जो एक महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य है कि हम सब लोगों को साक्षर बनाएं। शिक्षित बनाने का काम हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व 40वें अनुच्छेद में बताए गये हैं उसके अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थाओं को, पंचायतों को इसके माध्यम से इन कामों को करने का उल्लेख किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे खास तौर से कहना चाहता हूं कि पहली बार राजस्थान में आठवीं तक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

की शिक्षा स्थानीय निकायों को दी गयी है और उसमें केवल मात्र हम उनको स्कूलों का स्थानान्तरण नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उप जिला शिक्षा अधिकारी को तैनात कर रहे हैं ताकि उन....(व्यवधान) शहरों में मास्टरों की कमी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसी बात नहीं है, राजस्थान में एक स्कूल ऐसी नहीं है जहां स्टाफ पर्याप्त हो, मंत्री जी ऐसा मत करो। 28 हजार अध्यापकों की कमी है पूरे प्रदेश के अन्दर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं 36 हजार...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : केवल दो मास्टर सैकण्डरी स्कूल में...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्री जी, प्रदेश को एक ही तरीके से...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : शहरों में तो मैं जब शिक्षा मंत्री था, दस हजार अध्यापक शहरों में अधिक लगे हुये थे उनको गांवों में लगाया गया था...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : उनको आप अधिक दे रहे हो, क्या सोच है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : शहरों में सरप्लस थे और शहरों के अध्यापकों को गांवों में समानीकरण के माध्यम से हमने लगाया था। एक से आठवीं तक की शिक्षा का अधिकार स्थानीय निकायों को देने से वहां पर सम्बन्धित वार्ड पार्षद, सम्बन्धित वहां की नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष शिक्षा का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकेंगे। एक विधायक अपने पूरे क्षेत्र में शिक्षा का प्रबंधन अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है। लेकिन एक स्थानीय निकाय के 55 पार्षद या 60 पार्षद...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : शिक्षा का प्रबंधन, यह विधायक का काम नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य, प्लीज, स्थानीय निकायों के लोग इस प्रबन्धन को अच्छी तरह से कर सकेंगे।

इसके अलावा होम्योपैथिक के चिकित्सालय, आयुर्वेद के औषधालय, सिटी डिस्पेंसरीज इनका काम स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किया जा रहा है। हमारी सड़कों के साथ-साथ जो हमारा वृक्षारोपण का कार्य है इस सब कामों को भी हम स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर रहे हैं। स्थानीय निकायों के माध्यम से हम अनेक काम पहले से कुछ कर रहे हैं जैसे सड़क बनाने का काम, सीवरेज का काम, ड्रेनेज का काम, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि सड़कें और पुल का काम उनको क्यों नहीं दिया गया। सड़कें और पुल जो सार्वजनिक निर्माण विभाग वर्तमान में कर रहा है उन कामों को अभी उनको हस्तान्तरित नहीं किया गया है क्योंकि उनके पास पर्याप्त बजट का अभाव है जब यह

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सक्षम हो जाएंगे तो आगे चरणों में इस पर विचार किया जा सकता है। कुछ माननीय सदस्य यह विचार दे रहे थे कि स्थानीय निकायों को क्यों इतने व्यापक अधिकार दिये जा रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि यह प्रथम चरण है, इसके बाद में हमारा विचार यह होना चाहिए और आपकी यह मंशा होनी चाहिए कि आठवीं तक की शिक्षा का काम उन्हें दिया गया है, आने वाले समय में हम उनको दसवीं और बारहवीं तक की शिक्षा का काम भी हमको देने का मानस बनाना चाहिए।

इसके साथ-साथ माननीय सदस्यों ने खास तौर से सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने 90बी के आबंटन में सुधार की व्यवस्था की मांग की। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत राजस्थान में 90बी के अन्तर्गत जो कृषि भूमि होती है उसको सरेंडर करने के बाद स्थानीय निकाय उसका पट्टा काटते हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 90बी के अन्तर्गत जो जमीन सरेंडर की जाएगी उसमें स्थानीय निकाय यथा समय...

श्री संयम लोढ़ा : माननीय मंत्री महोदय मैं तो यह कह रहा हूं कि आबादी भूमि को 90बी की आड़ में कर दिया और आज तक सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पायी। करोड़ों रुपयों की जमीन खुर्द-बुर्द कर दी। नगरपालिका एक्ट के सैक्शन 80 में आपको पावर है पट्टा निरस्त करने की आपने वह कार्यवाही तक नहीं की।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक उदाहरण मुझे देंगे तो मैं नियमों के अनुसार उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : मैं तो डेढ़ साल से सरकार को दे रहा हूं। सैक्शन 80 में आपको पावर है पट्टा निरस्त करने की, आपने आज तक कुछ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप मुझे स्पेसिफिक उदाहरण दे दें। आप जिस समय सदन में बोल रहे थे मैं उस समय क्वेश्चन अप्रूव करने गया हुआ था। मैंने जो लिखा हुआ देखा है उसके आधार पर कहा है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं जब बोला था। मैंने यह निवेदन किया था कि आप नगरपालिका अध्यक्ष और जो अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित कीजिए। अगर इस तरह से करोड़ों रुपयों के घोटाले करते हैं, उनकी पर्सनल प्रापर्टीज को रिकवर किया जाय। इसके सम्बन्ध में आप जवाबदेही सुनिश्चित करें। मैंने यह निवेदन किया था।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं इसी पर बोल रहा हूं, इस मामले में जो व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने भू-उपयोग परिवर्तन से

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आय बढ़ाने का सुझाव दिया वह तो मैं बता चुका हूं कि इससे आय बढ़ेगी और इससे निश्चित रूप से हमारी स्वायत्तशासी संस्थाएं सशक्त और मजबूत होंगी।

पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। मैं इस सम्बन्ध में सदन को बताना चाहता हूं कि डेढ़ महीने में जो हमने अभियान चलाया उसके अन्तर्गत 455 प्राथमिकियां भू-माफियाओं के खिलाफ दर्ज की गयी और कुल 190 व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान में भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गयी है और यह निरन्तर जारी रहेगी।

श्री मदन दिलावर : रतनलाल जी ताम्बी कैसे खुले घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है अभी तक? उपाध्यक्ष महोदय, 400 बीघा जमीन एक आदमी हड़प जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाए क्योंकि बिना नोटिस के किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, वह खुला घूमता रहे...(व्यवधान) भू-माफिया तो इनकी बगल में बैठे हैं, इनके सर पर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अब तो अन्दर होना चाहिए था, यह बाहर कैसे घूम रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने विद्युत मण्डल द्वारा खम्भे मनमर्जी से लगाने और आय के स्रोत के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विद्युत कम्पनियों से हमारी बातचीत चल रही है और जो भी नगर परिषद् और नगरपालिकाओं के सम्बन्धी आपसी मुद्दे हैं वह हम आपस में बैठकर के हल कर लेंगे।

इसके अलावा हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने बरामदों के बारे में भी कुछ बातें कहीं, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे शांति जी ने इतना मजबूती का ऐतिहासिक कार्य किया कि हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद आप बरामदों को खाली नहीं करा सके। पूरी दुनिया में बरामदों को खाली कराने से राजस्थान की सरकार का नाम हुआ है और आज चाहे बिल क्लिंटन आये, चाहे कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आये वह जयपुर के बाजारों को देखने के लिए जरूर आते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : रामगंज बाजार के बरामदों का...

डा. बुलाकीदास कल्ला : रामगंज बाजार के भीं बरामदे खाली किये गये हैं। आप जा करके देखकर आएं। आपने अभी देखे नहीं हैं। सबसे पहले बरामदे वहीं खाली हुए थे...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप जाते हैं? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : जा करके दुबारा देखें...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसी प्रकार से उन्होंने हैण्ड पम्पों के संधारण के बारे में शंका व्यक्त की, हैण्ड पम्प संधारण का, केवल मेंटिनेंस का काम नहीं दिया गया है, ए.ईएन. और जे.ईएन. की पोस्टें भी स्थानान्तरित की गयी हैं ताकि वहां पर यह सारे के सारे काम कर सकेंगे। जहां तक उन्होंने एस.सी., एस.टी. के छात्रावासों की बात की है। मैं समझता हूं कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह अप्रोच पेपर या जो पुस्तिका दी गयी है उसको पूरा ध्यान से नहीं देखा इसमें भी जो छात्रावास वगैरह स्थानान्तरित किये जा रहे हैं यह मय स्टाफ, मय बजट और मय कार्य-कलापों के स्थानान्तरित किये जा रहे हैं। उन्होंने एक शंका और व्यक्त की कि जहां पर छात्रावास नहीं हैं वहां छात्रों का क्या होगा? उपाध्यक्ष महोदय, पहले से ही प्रावधान किया गया है कि राजस्थान के किसी भी स्कूल में एस.सी.,एस.टी. का विद्यार्थी पढ़ता है तो उसकी फीस का पुनर्भरण राजस्थान का प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करता है। इसलिए उनकी यह चिन्ता मैं समझता हूं कि निरर्थक है और इसके लिये राज्य सरकार ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में यह बात कही कि 640 करोड़ का जो बोझ एक तरह से राज्य सरकार ने अपने ऊपर ले रखा है, लेकिन उन्होंने इसका यह सुझाव नहीं दिया, यह तो आपकी पुरानी सरकार ने जाते-जाते ही चुंगी समाप्त कर दी। हम यह कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों से सुझाव ले करके हम किस तरीके से स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं, इसके लिए उपाय करेंगे।

मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 70 प्रतिशत राशि प्रशासन पर खर्च हो जाती है यह बात सही नहीं है, आप अधिकांश नगरपालिकाओं का बजट देख लें, स्थानीय निकायों का बजट देख लें, कहीं-कहीं तो 90 प्रतिशत तक की राशि मात्र प्रशासनिक व्यय पर खर्च हो जाती है। विकास के लिए कोई राशि नहीं रहती है और यही स्थिति कई विभागों की भी है। जिसमें करीब-करीब 60-70 प्रतिशत पैसा प्रशासनिक व्यय पर खर्च हो जाता है और यह आप्टिमम 10 परसेंट होना चाहिए इसलिए इसको कम करना चाहिए। मैंने यह नहीं कहा कि 70 परसेंट आप्टिमम है, 10 परसेंट आप्टिमम प्रशासनिक व्यय होना

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चाहिए लेकिन हकीकत यह है कि यह 70 परसेंट के करीब, 90 परसेंट के करीब खर्चा हो जाता है। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर अपने गैर योजना व्यय में कटौती करनी चाहिए, रिर्सोस मोबिलाइजेशन करना चाहिए और आय के नये–नये स्रोत हमको स्थानीय निकायों के लिए ढूंढ़ने चाहिए। इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव आपने प्रवेश कर व अन्य कर के बारे में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सवाल, बताओ आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं पूरा कर लूं, उसके बाद में जो–जो आपने बताया है उन पर विचार करेंगे। माननीय सदस्यों, खास तौर से चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने नगरपालिका से सम्बन्धित भूमि और उसके आसपास चरागाह की भूमि पर जहां मकान बन गए, उसके सम्बन्ध में प्रश्न उठाया। मैं इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री महोदया से चर्चा करके इसका समाधान कराने का प्रयास करूंगा।

अब इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से खास तौर से 5 कार्य हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। इस वर्ष पूरे राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों का नए सिरे से सर्वे करवाया जाएगा। गृह कर पद्धति का सरलीकरण किया जाएगा। वर्तमान वार्षिक किराया मूल्यांकन के बजाय क्षेत्रफल आधारित, एरिया बेस्ड पद्धति लागू कर दी जाएगी। इसी प्रकार से बाम्बे योजना के अन्तर्गत 8280 मकान बनाए जाएंगे और 38 करोड़ 83 लाख रुपए उस पर खर्च किए जाएंगे, इसमें 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण राशि सम्मिलित है। इसी प्रकार से अपना घर योजना के अन्तर्गत राज्य में 50 हजार मकान बनाने की योजना है वर्ष 2003 तक। इसी प्रकार से कच्ची बस्तियों का नियमन और भूमि रूपान्तरण को गति प्रदान की जाएगी। भू–माफिया विरोधी अभियान निरन्तर जारी रहेगा। अग्निशमन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रथम श्रेणी 20 नगरपालिकाओं में सोलिड वेस्ट मैनजमेंट व्यवस्था कार्यवाही को गति दी जाएगी। स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत अब तक जो पट्टे दिए जाते थे, के पट्टे रहन नहीं रखे जाते थे और उनको एक तरीके से विक्रय भी नहीं किया जा सकता था। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में सवाल उठाया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि हम स्टेट ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे देने का विशेष अभियान चलाएंगे और इसके साथ साथ उनको रहन रखने और विक्रय करने का अधिकार भी देंगे। इसके साथ–साथ निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत पूरे राज्य में सामुदायिक शौचालयों के लिए 3 करोड़ 32 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खास तौर से यह कहना चाहता हूं, पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

हूं कि जैसा विवेकानन्दजी ने कहा था, अवेक, अराइज एण्ड स्टाप नोट "टिल द गोल इज रीच" उठो, जागो और तब तक मत करो रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। हमारा लक्ष्य है कि हम पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करना चाहते हैं, सशक्त करना चाहते हैं, हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। आप लोग एक तरफ तो कहते हो कि स्वागत योग्य है, स्वागत योग्य है और फिर कहते हो कि ज्यादा अधिकार दे दिए, कम अधिकार दे दिए। क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। एक शायर के शब्दों में "एक मयखाना है और एक सनमखाना है", "रिन्द" और "शेखजी" में बड़ा फर्क है। क्या मोम्मा है, दोनों में बनती नहीं, एक इधर जाएगा और एक उधर जाएगा। आपके सदस्य स्वागत की बात भी करते हैं और साथ-साथ कहते हैं, क्योंकि आपको चिंता है कि इतने अधिकार देने से कांग्रेस मजबूत होगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र के कभी आप हामी रहे नहीं इसलिए आप इसकी निन्दा करते रहते हैं या एक तरीके से इसकी आलोचना दबे शब्दों में करते रहते हैं क्योंकि पूरी आलोचना कर दें तो आपकी पिक्चर गांवों में यह जाएगी कि आपने पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देने का, स्थानीय निकायों को अधिकार देने का विरोध किया। इसलिए स्वागत करने के साथ-साथ आपकी भावनाएं जो हैं वह यदि रिकार्ड की गई है, अखबारों में आएगी तो पता लग जाएगा कि आप कितने अस्पष्ट हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : एक साल में पोल खुल जाएगी, अधिकार दे रह हो आप, एक साल में पोल खुल जाएगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हम निश्चित रूप से स्थानीय निकायों को मजबूत करेंगे, सुदृढ़ करेंगे और उसके लिए हर सम्भव प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पंचायती राज मंत्रीजी। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या सवाल बाकी है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय मंत्री महोदय, यह चुंगी पुनर्भरण में 30 प्रतिशत कटौती की बात जो आई है, यह वापस ले ली है, क्या है? 30 प्रतिशत कटौती की बात जो आपने की, नगरपालिकाओं की, उसका क्या किया? वह लगभग 30 करोड़ होती है तो क्या यह वापस आपने देने की बात तय करली है या 130 करोड़ रुपए काटेंगे। मतलब सुदृढ़ीकरण 130 करोड़ रुपए काटने से होगा कि वापस देने से होगा?

डा. बुलाकीदास कल्ला : सुदृढ़ीकरण का काम तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने हर नगरपालिका का कर दिया जो भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार दिया है, उससे उनके पास आय के साधन अधिक से अधिक आएंगे। जहां तक इन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है, वित्त विभाग से हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि हमारी मांग के ऊपर वह पुनर्विचार करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, एक मिनट।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) **:** उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के प्रतिपक्ष के नेता ने अभी जो कहा कि 130 करोड़ रुपए काटे गए हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं काटे जाएंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पंचायती राज मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट...

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया? 11 बज गए, अब तो रुको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सवाल। मंत्रीजी, स्थानीय निकायों की आमदनी का एक सबसे बड़ा स्रोत आबादी की जमीन है। आपकी 183 नगरपालिकाएं, नगर परिषदें, इनका रिकार्ड मंगवाकर देख लें, पिछले कई सालों से कांग्रेस की, बी.जे.पी. की, सब शासन इसमें है, पार्टी लेवल से ऊपर उठ कर देखें तो कहीं पर इनमें आक्शन नहीं हुआ, लगातार इन्होंने अतिक्रमण कराकर जबरदस्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शहरों में चल रही है, आबादी बढ़ रही है, कालोनियां बस रही हैं। अधिकांश कालोनियों का नियमन किया जाता है, वह भी गांवों में, नगरपालिकाओं में फर्जी तरीके से किया जाता है।

अभी प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चला, उसमें मात्र नियमन के आधार पर चूंकि आपके अफसर वहां मौजूद थे, आपके सर्कुलर वहां मौजूद थे, गवर्नमेंट के, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, उसके कारण काफी आमदनी सब नगरपालिकाओं को हुई है, वह आप अगर चालू कर दें, आज भी कहीं आक्शन नहीं होता, एक सबसे बड़ा सवाल यह है।

दूसरा, बाई योर ओन एडमिशन, 10 प्रतिशत परमीसिबल लिमिट 70 प्रतिशत अगर एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा होता है, दिस इज वेरी अनफार्चुनेट, उसको कैसे चैक करेंगे। आपको उन आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 70 प्रतिशत पैसा हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च कर दें, जो स्कीम इम्प्लीमेंट करें, यह बिलकुल बरदाश्त के बाहर है, मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान 12 लाख 37 हजार लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया गया एवं 34 करोड़ 49 लाख रुपये से अधिक की आय नगरपालिकाओं और नगर परिषदों को अर्जित हुई। अब रहा सवाल कि नगर परिषद और नगरपालिकाएं अपनी जमीनों का आक्शन करे...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं करते हैं वे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा नगरपालिकाएं और शहरों के मास्टर प्लान बना रहे हैं और उन मास्टर प्लान में उनको जोड़ रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं। उनके सुझावों को हम प्राथमिकता देंगे और हमारी यह कोशिश रहेगी कि नगरपालिकाएं अपने मास्टर प्लान के अनुरूप अपनी आबादियों को बसा सके। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पंचायती राज मंत्रीजी। प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार की कमी नहीं है मंत्रीजी। आपके स्टाफ की कमी है, कोल्यूशन नीचे लेवल पर है, इसको कंट्रोल कीजिए आप, यह नहीं है, मैं आपकी कमी, सरकार की कमी थोड़े बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पंचायती राज मंत्रीजी। बोलिए, बोलिए। आप बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा : चेयरमैन के डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में हमारा मुख्य सुझाव था।

श्री उपाध्यक्ष : पंचायती राज मंत्रीजी।

श्री शांति कुमार धारीवाल (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने मंत्रिमण्डल की उप समिति की जो सिफारिशें थीं, उन पर एक स्वर से रजामंदी जाहिर की, उनको स्वीकार किया। मैं इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के कई सदस्यों के मन में शंकाएं हैं और यहां तक कहा कि यह सरकार कर नहीं पायेगी, सिर्फ कागजों में रह कर यह अधिकार स्थानांतरित हो जायेंगे। आपसे एक बड़ा विनम्र निवेदन है कि सरकार के मन में इच्छा है कि ये संस्थाएं सुदृढ़ीकरण की ओर बढ़ें। आपने यह बात भी कही कि चार साल तक क्यों नहीं किया? घोषणा पत्र का हवाला दिया, घोषणा पत्र पूरे पांच साल के लिए होता है, हर काम पहले साल या दूसरे साल ही नहीं होता है। वादा जनता के साथ कांग्रेस ने जो किया वह पूरे पांच साल का वादा था और अभी साल से भी ज्यादा का टाइम बाकी है।

आपको मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पांच और छह अप्रैल का माननीय कटारिया साहब ने जो हवाला दिया कि पांच और छह अप्रैल को पंचायती राज

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

के अध्यक्षों का जो सम्मेलन हुआ, किसने इनिशिएट किया उसे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने बुलवाया लेकिन इनिशिएट किसने किया? मांग किसने की कि इस प्रकार का सम्मेलन बुलाया जाए, यह किसकी तरफ से मांग थी? यह कांग्रेस स्टेट की तरफ से मांग थी, उन मंत्रियों की तरफ से मांग थी जो कांग्रेस स्टेट के पंचायती राज मंत्री थे, उनकी मांग पर वैंकया नायडू ने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गोवा के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह तय हुआ कि पंचायती राज प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया जाए।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपको जानकारी नहीं है इस बात की।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका भी स्वागत है, आपने बुलाया है तो बहुत अच्छी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं। मैं आपको यही कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक ही बात है। आप बहुत प्रशंसा की बात बता रहे हैं। आपने बुलाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाया, आपके आग्रह पर बुलाया, वह भी बहुत प्रशंसा की बात है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आपको वही बात कह रहा हूं। उसी सम्मेलन में... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : स्पीकर माननीय गांधी जी थीं। कांग्रेस का समर्थित सम्मेलन था और वहां पर की नोट स्पीकर थीं वह माननीया सोनिया गांधी जी थीं और वह इसीलिए थीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, तो सोनिया जी की प्रशंसा है। सोनिया जी का यह कथन सराहनीय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त होने दीजिए ना, अब क्या डिबेट की तरह चलाना चाहते हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई कंट्रोवर्सी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लिये पहले, बहुत बोल लिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : माननीय व्यास जी, इस बात को आप समझिए जिस वक्त हमको यह कहा जा रहा था कि महात्मा गांधी को भूल गये उस वक्त तो आप चुप रहे। (व्यवधान) यह जो पुस्तक, संकलन बांटा गया इसकी प्रस्तावना में सबसे पहले अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के स्वराज की कल्पना की थी। दूसरा पेज आप लें तो महात्मा गांधी। इतने बड़े शब्दों में। इस तरीके की बात थी तब तो आप नहीं बोलें, अब आप यह बात बोल रहे हो। मेरा आपसे यह निवेदन है कि उस सम्मेलन में प्रधानमंत्रीजी ने भी कहा और प्रतिपक्ष की नेता ने भी कहा...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आराम से बोलो ना, इतना गुस्सा करके काहे को बोल रहे हो, काहे को दु:खी हो रहे हो इतना।

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, नहीं, गुस्सा नहीं है, कतई नहीं है। (व्यवधान) प्रधानमंत्रीजी ने भी उसी सम्मेलन में कहा 5 और 6 अप्रैल को और प्रतिपक्ष की नेता सोनिया गांधी जी ने भी यह कहा था अगर इन संस्थाओं को मजबूती देनी है तो यह एक दल का काम नहीं है, यह सबको मिलकर यह काम करना पड़ेगा इन संस्थानों को मजबूत करने का। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूं जिस तरीके की शंकाएं मन में आज की हैं कि आप यह नहीं कर पाओगे, यह नहीं कर पाओगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चुनाव में देख लेंगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : इस सरकार के बारे में चाहे आप मानें चाहे न मानें राजस्थान की जनता ही नहीं, देश की जनता जानती है यह एक दृढ़ निश्चियी मजबूत सरकार है और अगर इन संस्थाओं को कोई मजबूत बना सकता है तो यह सरकार ही बना सकती है, आप चाहे स्वीकार करें, चाहे न करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नान कंट्रोवर्सियल डिबेट को आप पोलिटिकल डिबेट बना रहे हो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप पोलिटिकल डिबेट की बात कर रहे हैं जिस वक्त वे लोग जिस तरीके के कमेंट्स कर रहे थे तब आप नहीं बोले। जब इर्रिलेवेंट बातें हो रही थीं, तब आप नहीं बोले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप तो बोलो। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : पहले मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गये और कारवां बनता गया।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह पहली बार देखा होगा, आपने। ठीक है 1992 में अमेंडमेंट हुआ, 1994 में आपने अमेंडमेंट किया और अकार्डिंगली उसके चलते रहे, चुनाव आपने भी समय पर कराये, चुनाव इस सरकार ने भी समय पर कराये। हमने कोई गुजरात की जैसी बेइमानी नहीं की। यह पहली बार है एक मंत्रिमण्डलीय समिति सिर्फ इस वास्ते बनी कि राजस्थान के मंत्रिमण्डल ने 2 जनवरी, 2002 को जो फैसले लिये थे उन फैसलों की क्रियान्विति पूरे अच्छे तरीके से नहीं कर पाए जिसकी हम खुली स्वीकृति, हम कोई बगैर किसी संकोच के यह स्वीकार करते हैं कि हमारे जो फैसले थे हम उसको पूरी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए उसी को पुन: देखने के लिए कि इसमें किस प्रकार की कमियां रह गईं, मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया, उसकी रिपोर्ट आयी और आपने पहली बार देखा होगा किसी रिपोर्ट में कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ इन विषयों को पंचायती राज को सौंपने का निर्णय किया गया, सिफारिश की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सिस्टम आफ गवर्नेंस का पार्ट है, हरेक गवर्नमेंट बनाती है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : बनाती है, लेकिन उसकी पालना कितनी होती है यह भी आप देखें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सिस्टम आफ गवर्नेंस ही ऐसा है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : ठीक है, मैं उस सिस्टम को भी समझता हूं, आपके सिस्टम को भी समझता हूं। एक शंका आपने यहां पर बार--बार की, आप किसी व्यक्ति को मजबूत करने का सरकार इरादा रखती है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं किसी भी व्यक्ति को चाहे वह प्रधान के पद पर बैठा हुआ है चाहे वह प्रमुख के पद पर बैठा हुआ है, आप ही ने यह बात उठायी है, आपने ही कहा था कि आप संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हो या किसी व्यक्ति को मजबूत करना चाहते हो, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, उसको भी नहीं सुनेंगे आप। बहुत स्पष्ट मत है सरकार का हम किसी व्यक्ति या किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को हम मजबूत नहीं करना चाहते हम इन संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वह ग्राम पंचायत की संस्था हो, चाहे पंचायत समिति की संस्था हो और चाहे जिला परिषद् की संस्था हो। (व्यवधान) यह प्रोसीजर आएगा, आप इस किताब को पूरा पढ़ लेते तो मेरा कहना समझ में आता। जो कुछ फैसले होंगे इन तीनों संस्थाओं के द्वारा जो कुछ फैसले लिये जाएंगे वह इनकी स्टैंडिंग कमेटी लेगी।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता कटारिया साहब ने जो बात कही थी कि अधिकारियों का क्या होगा। आपने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि अधिकारी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ढांचा किस तरीके का होगा, एस्टेब्लिशमेंट का क्या होगा, जो कुछ

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

आपके भाषण का सार था वह सब कुछ यह था। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जिन विषयों को इन पंचायत संस्थाओं को सौंपा जाएगा उनके सारे अधिकारी इनके अधीन होंगे और इनके फैसले मानना उनके लिए लाजिमी होगा। वे उनके प्रति रेस्पोंसिबल होंगे, उनके प्रति जवाबदायी होंगे और यही संस्थाएं उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही कर सकेंगे, इनका अनुशासनिक...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ए.सी.आर. कौन लिखेगा?

श्री शांति कुमार धारीवाल : ए.सी.आर. प्रमुख लिखेगा और प्रधान लिखेगा।

एक माननीय सदस्य : किताब में लिखा हुआ है क्या?

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह लिखा हुआ है साफ। वह आपने पढ़ा नहीं होगा। आपने इस बात की भी चर्चा की कि 26 जनवरी ही क्यों, 15 अगस्त ही क्यों, एक मई ही क्यों, 2 अक्टूबर ही क्यों? यह पाबंदी नेशनल कंसेंसस थी, यह हमने नहीं की है। नेशनल कंसेंसस इस बात की थी ग्राम सभाओं का आयोजन उसी तारीखों पर किया जाए, लेकिन उसमें भी जब देखा कि ग्राम सभाओं में उदासीनता छायी हुई है, ग्राम सभा अधिकारविहीन थी, इसलिए लोगों का आना-जाना कम हुआ। जो प्रस्ताव वे लिया करते थे उन प्रस्तावों पर जब कार्य नहीं हो पाया तो उन्होंने उसकी उपस्थिति को कम किया। इन सबको देखते हुए यह तय किया कि एक महीने का उनको समय देंगे तो पंचायती राज संस्थाएं अपने हिसाब से इस महीने में एक ग्राम सभा कभी भी बुलाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप हनुमान जयन्ती पर करना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपके जन्मदिन पर करना, हमें क्या एतराज है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने सोशल आडिट की बात कही। आपने सोशल आडिट की भी चर्चा की। आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सोशल आडिट भी नेशनल कंसेंसस का ही पार्ट है, उसी का पार्ट है, वही पांबदी है। आपने तो कहा कि इसको पूरा विथड्रा कर लेना चाहिए, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं यहां तक समझता हूं और मैं यह प्रस्ताव भी रखूंगा अपनी तरफ से सोशल आडिट कम से कम ग्राम सभा में एक बार जरूर होना चाहिए और यह बात सही है ग्राम सभा में हम उपस्थिति...

श्री मानिक चन्द सुराना : हमको समझा दीजिए सोशल आडिट का। सामाजिक अंकेक्षण का मतलब क्या है। मैंने जो सवाल पूछा था कि एंटी करप्शन के केसेज चल रहे हैं और यदि ग्राम सभा कह दे कि नहीं, यह भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इस काम में और आपने चालान कर दिया है, तो क्या वह भ्रष्टाचार समाप्त माना जाएगा और क्या वो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

भ्रष्टाचार निरोधक का केस समाप्त हो जाएगा? क्या सामाजिक अंकेक्षण का मलतब यह है कि ग्राम सभा इकट्ठी होकर कह दे, चार्ज तो यह हो कि दो किलोमीटर सड़क नहीं बनायी और ग्राम सभा कह दे कि नहीं बन चुकी। सामाजिक अंकेक्षण से आप क्या समझ रहे हैं मुझे समझाइए। तीन लोग कह दें कि हां, काम हो गया और मौके पर काम नहीं हुआ तो क्या यह माना जाएगा कि काम हो गया। जबकि पी.डब्ल्यू.डी. कह रही है, पुलिस कह रही है, डिपार्टमेंट कह रहा है काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हो गया, सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी और चालान हो गया, तो मैं पूछता हूं ऐसी परिस्थिति में सामाजिक अंकेक्षण का मतलब क्या होगा?

श्री सी. पी. जोशी : एक केस जो आप साइट कर रहे हैं उस साइट से जनरलाइज न करें। सोशल आडिट का कंसेप्ट नेशनल कंसेंसस है। पंचायत राज के मंत्रियों की मीटिंग में जो भारत सरकार के मंत्री हैं उन सबको और आपने देखा होगा कि टी.वी. पर जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि ग्राम सभा या सोशल आडिट दीज आर दी पार्ट अब आप क्या कहते हो वह सोशल आडिट क्या होती है, मैं बताना चाहता हूं आपको। जनावद में जो सोशल आडिट हुआ उसके पहले सारे जो वाउचर, बिल सब बने हुए थे, अभी तक जो हमारा कंसेप्ट था कि हम यू.सी. ले लें और उसके बाद शिकायत हो, पी.ई. हो, डी.ई. हो यह व्यवस्था थी। सोशल आडिट का मतलब यह है कि पूरी ग्राम सभा के अन्दर बैठकर सरकार ने जो पैसा दिया है उसके खर्चे के बारे में उन लोगों के बीच में जाकर पूछें कि खर्चा सही हुआ या नहीं। यदि सब ग्रामवासी उस बात पर यह कह दें कि खर्चा हुआ या नहीं हुआ उसको आधार मानकर पी.ई. या डी.ई. को नहीं, अभी तक हमने व्यवस्था कर रखी थी कि प्राइमरी इंक्वायरी करें, फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, फिर उसकी कार्यवाही हो उसकी बनिस्बत ग्राम सभा में मीटिंग करने के बाद जिस दिन निर्णय पहुंचता है कि यह काम नहीं हुआ है तो उसके आधार पर कार्यवाही करने को हम सोशल आडिट करते हैं। और राजस्थान सरकार ने जनावद में नहीं, राजस्थान सरकार ने 237 पंचायत समितियों में बिना यह देखे हुए पंचायत समिति में जिसने पांच साल में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया पंचायत में, उसकी 237 पंचायतों की सोशल आडिट करवाई है। इतना बड़ा काम किसी ने नहीं करवाया होगा। तो we are committed about this. इस कंसेप्ट को आगे कैसे बढ़ावें। इसमें एक कमी है उस कमी को हमें ठीक करना पड़ेगा कि आज जो सोशल आडिट होगा उस स्पेशल आडिट के आधार पर हमने जो कोर्ट में चालान करने की व्यवस्था कर रखी है उस व्यवस्था को इससे डी-लिंक करना पड़ेगा। समरी ट्रायल होता है, समरी चीजें होती हैं। जिस समय कोर्ट में क्राइम केस में हम समरी ट्रायल करके

(श्री सी. पी. जोशी)

फैसला करते हैं, इतनी थेप्ट को हम कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार सामाजिक अंकेक्षण का मतलब यह होगा कि पंचायत के पास जो पैसा आ रहा है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से आये, उस पैसे का सदुपयोग करने का सर्टिफिकेट यदि ग्राम सभा की मीटिंग में हो जाता है तो उसके बाद कोई पी.ई. और डी.ई. नहीं होगी और इस आधार पर जो कानून परिवर्तन करना है वह परिवर्तन करने की आवश्यकता है जो सरकार करेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : समझे आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आप ही की बात को कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक सैकण्ड, आप सुनें। कोई अनर्थक या निरर्थक बहस नहीं है, सामाजिक अंकेक्षण जहां पर कोई फौजदारी मुकदमे नहीं चल रहे हैं और मामला साधारण और जहां राज्य सरकार एनुअल फाइनेंशल स्टेटमेंट ग्राम सभा में लाने को ग्राम पंचायत को मजबूर करे और उसमें साधारणतया जो खर्चा आता है, रुपया आया और खर्च हुआ, उस बात का ब्यौरा आता है, ग्राम सभा उसको स्वीकार करती है, वह स्थिति अलग है। पर जहां पहले शिकायतें हो गई, जांच हो गई, एंटी-करप्शन के मुकदमे हो गये...

श्री सी. पी. जोशी : आप एक्सेप्शनल केस दे रहे हैं, I am asking about the social audit. सोशल आडिट यह है। एक एक्सेप्शनल का केस आप दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं कह रहा हूं अगर माननीय जोशीजी, एक सैकण्ड...

श्री सी. पी. जोशी : एक मिनट, सुनें आप मेरी। नहीं, मुझे पता है, मालूम है किस्सा। मुझे किस्सा मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप बहुत ऊंचाई पर हैं, मैं जानता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : नहीं, नहीं, किस्सा मैं कह रहा हूं आपको। जो जैतपुर का किस्सा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यह अर्ज कर रहा हूं, आप सुनें।

श्री सी. पी. जोशी : आप जैतपुर का किस्सा कह रहे हैं, मुझे मालूम है तो बताऊंगा जैतपुर का किस्सा क्या है... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : जहां शिकायतें नहीं हैं, सामाजिक अंकेक्षण सही है। पर जहां शिकायतें पहले...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब, आप एक इंडिविजुअल केस को साइट करके क्यों उसको...

श्री मानिक चन्द सुराना : आज सामाजिक अंकेक्षण का कोई मतलब नहीं है, हमें अपने अनुभवों से, यदि हम राज्य के धन का और भारत सरकार के धन का अपव्यय पंचायतों के द्वारा रोकना चाहते हैं, तो हमें इसकी विशद व्याख्या करनी पड़ेगी और जो परिस्थितियां हम फेस कर रहे हैं उन परिस्थितियों का उसमें स्पष्ट अंकन आवश्यक है ताकि कोई चीज अस्पष्ट न रहे और सामाजिक अंकेक्षण के नाम पर जो जुर्म करने वाले हैं वह बचे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या है...

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा और आपका उद्देश्य एक है और इसलिए हमें स्पष्टता लानी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो मैं समझ पाया हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक अंकेक्षण...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। इसमें डिस्प्यूट क्या है, कोई डिस्प्यूट नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सामाजिक अंकेक्षण क्रिमिनल केस को सुपरसीड नहीं करेगा लेकिन जहां पर यू.सी. इश्यू हो गया, ऊपर वाला अफसर भी मिला हुआ है, सब मिले हुए हैं और वहां अगर सामाजिक अंकेक्षण में जनता कहती है कि सड़क नहीं बनी तो नेचुरली इंक्वायरी होनी चाहिए। वही मतलब है उसका। मंत्रीजी ने समझाया वह बिलकुल सही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कुल मिलाकर बात यह है कि अपन एक-दो मामलों को ले करके इतना जनरलाइज करें और ग्राम सभाओं का ही भरोसा न करें...

श्री सुरेन्द्र व्यास : जोशीजी ने बहुत अच्छा समझा दिया।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मतलब सारी ग्राम सभाओं को अपन अंडरमाइन करने लग जायं, एक या दो प्रकरण अगर राजस्थान में घटते हैं कहीं तो। बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई अगर हम गांव वालों पर भी भरोसा नहीं करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय धारीवाल साहब, क्या पंचायत विभाग के पास...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरानाजी, माननीय सदस्य, प्लीज, ऐसे डिबेट मत करिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं बोलूंगा साहब। ऐसे रुकने वाला नहीं हूं, मैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। प्लीज। आप इसे डिबेट मत बनाइये।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या ग्राम सभाओं का रिकार्ड आपके पास है? क्या ग्राम सभाओं के प्रस्तावों का रिकार्ड आप रख रहे हैं पंचायत विभाग में? क्या वार्ड सभाओं का रिकार्ड रख रहे हैं? क्या उसका अवलोकन कर रहे हैं, क्या उसको पढ़ रहे हैं और क्या उसका कोई नतीजा निकाल रहे है?

श्री शांति कुमार धारीवाल : अगर मैं रिकार्ड, नहीं अभी तो मैं रिकार्ड...

श्री मानिक चन्द सुराना : आप मेरी इस बात का जो मुद्दा मैंने उठाया है...

श्री शांति कुमार धारीवाल : अगर मैं रिकार्ड इकट्ठा...

श्री मानिक चन्द सुराना : कि ग्राम सभाओं का आप कोई रिकार्ड नहीं रखते, आप उसको पढ़ते नहीं, आप उसको लागू नहीं करते, उसका स्पष्ट जवाब दीजिए कि क्या आपके पास सब ग्राम पंचायतों का रिकार्ड आपने पंचायत विभाग में बना रखा है और उसका रिकार्ड डेटवाइज आप रख रहे हैं?

श्री शांति कुमार धारीवाल : इस पर भी बहस कर लेंगे, साहब। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करें, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो समाजवादी विचाराधारा के रहे हैं, राममनोहर लोहिया के पांच खम्भों की जनता की एम्पावरमेंट को भी आप जानते हैं और आप खुद प्रश्न पूछ रहे हैं कि सोशल आडिट क्या है? मतलब इतनी दुर्भाग्यपूर्ण तो आपकी फिलासफी नहीं होनी चाहिए। मैं खाली...

श्री मानिक चन्द सुराना : आप रिकार्ड नहीं रखेंगे क्या?

श्री सी. पी. जोशी : रिकार्ड रहता है, आप कंफ्यूज न करें। पंचायत की जब भी मीटिंग होती है, ग्राम सेवक वहां पर नोटिस लेकर जाता है कि यह खर्च हुआ उसको बताना पड़ता है। रिकार्ड है वहां पर, ऐसा नहीं है। या तो आप ग्राम सभा की मीटिंग में जा नहीं रहे, पूरा रिकार्ड रहता है ग्राम सभा की मीटिंग का...

श्री मानिक चन्द सुराना : अभी खर्चों की बात नहीं हो रही है। ग्राम सभाओं के द्वारा पारित किये गये प्रस्तावों को...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : राज्य सरकार द्वारा लागू करना, जहां राज्य सरकार के विभागों में मांग है, मैं वह मुद्दा उठा रहा हूं कि क्या आप उसको पढ़ रहे हैं, क्या उसको लागू कर रहे हैं?

श्री सी. पी. जोशी : पढ़ रहे हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह आपने, नहीं-नहीं, अब आपने यह दूसरी बात कही है...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : दूसरे में, दूसरी बात है अब...

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने मेरे भाषण में कही थी, आपने सुनी थी, उस मुद्दे का जवाब दीजिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने अपने भाषण में जो बातें कही थीं उन सब का एक-एक का जवाब दे रहा हूं,

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

आप यह न समझें कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं तो आपकी, मुझे पता नहीं था कि आप ग्राम सभाओं के लिए भी यह विचार रखेंगे, आप अंडरमाइन कर देंगे ग्राम सभाओं को...

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके पास उसका रिकार्ड है क्या? आप उसका रिकार्ड रख रहे हैं? क्या पंचायत विभाग ने यह व्यवस्था की है कि पंचायतों से जो ग्राम सभाओं का रिकार्ड आएगा, कोई उसका पढ़ेगा और जहां सरकार के विभागों से कोई मांग है वह उसको लागू करेंगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं बता रहा हूं, साहब आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्लीज, आपको हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है। आपको अपनी बात कहनी है जो कह दीजिए। (व्यवधान) प्लीज।

श्री शांति कुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य बातें सामने आईं और खास तौर से इन्दौरिया साहब ने जो बात कही कि अकाल का साल है, सारे विषय जब इन संस्थाओं को ट्रांसफर होंगे तो बात बजट की भी आएगी, आर्थिक मदद की भी आएगी, सब कुछ बात आएगी। मैंने कल भी अपने भाषण में यह बात आपसे निवेदन की थी कि अगर हम इसी तरीके की मानसिकता रखेंगे कि कोई कर लगाने की जब भी बात हुई तो उसकी अनदेखी कर जाएं, क्योंकि मोटे तौर पर यह देखा जाता है कि करारोपण का घूंट कड़वा तो होता है, स्वीकार कोई नहीं करता इस बात को। आपने चुंगी की समाप्ति करी, चुंगी आपने खतम की, आज उसके परिणाम देख लीजिए, क्या परिणाम निकले हैं। तो अगर अपन वाक़ई इस बात के लिए गम्भीर हैं कि यह संस्थाएं विकास के काम में जुट जाएं, अधिक शक्तिशाली बनें, मजबूती से अपना काम यह कर सकें, सुचारू रूप से अपने स्वयं का काम निबटा सकें तो इस बाबत विचार करना पड़ेगा। चाहे आप बलवंतराय मेहता की सिफारिश ले लें, चाहे शांतारामजी की ले लें और चाहे राजकुमारीजी की ले लें, सब ने यह लिखा है कि अगर आर्थिक साधन इन संस्थाओं के मजबूत नहीं किये तो इनसे काम की इतनी ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते।

आपसे फिर एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह संस्थाएं अगर नहीं होतीं तो आज जो गांवों में विकास के काम हुए हैं, क्या इन सरकारी विभागों से वह काम हो सकते थे, यह कभी सम्भव नहीं था। जो कुछ अगर गांव में विकास हुआ है, अगर उसका श्रेय जाता है तो चाहे वह टूटी-फूटी जैसी भी पंचायत समितियां

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

थीं, पंचायत संस्थाएं थीं उन्हीं के मार्फत यह सारा काम हुआ है। इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए हमें। सवाल इस बात का है, सशक्तीकरण का, सशक्तीकरण के लिए सब कुछ प्रयास है और जितना जो कुछ आप लोगों ने यहां पर अपने-अपने वह रखें हैं, एक सवाल यह भी था कि पंचायतों में पता नहीं, सारी, प्रतिपक्ष के नेता कटारिया साहब ने यह बात कही थी कि सरपंच और ग्राम सेवक मिल करके पता नहीं क्या कर लेते हैं, पंचों को पता ही नहीं रहता है, पंचों को पत्र जाना चाहिए कि ग्राम पंचायत के पास कितना पैसा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : प्रतिपक्ष के नेता ने नहीं कही, मैंने कही। तो अब आप कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे भाषण को और इनके भाषण को।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने कहा, सारी। मैं भूल गया। मैं तो यह चाहता था कि प्रतिपक्ष के नेता आप बनते लेकिन आप सरेण्डर कर बैठे।

श्री मानिक चन्द सुराना : मुझे आपकी शुभकामनाओं की आवश्यकता नहीं है। उसे आप अभी रिजर्व रखें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आयन्दा काम आ जाएगी। भूल गया मैं। लेकिन यह आपका सुझाव बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सुझाव है। निश्चित तौर पर इस पर कार्यवाही करेंगे। हम जितना भी पैसा यहां से आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है या विभिन्न योजनाओं की तरफ से आता है उसकी पूरी जानकारी ग्राम पंचायत के हर सरपंच को हो, यह निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पंचों को।

श्री शांति कुमार धारीवाल : पंचों को। हां, पंचों की कह रहा हूं। (व्यवधान) पंचों को देंगे, जानकारी देंगे। ऐसा भी सुझाव है। ज्यादातर जो सुझाव यहां पर आए आज, वह यह आए कि पंचायत अधिनियम में यह संशोधन होना चाहिए। यदि आज मोटे तौर पर कल और आज की जो चर्चा थी वह सिर्फ इन सिफारिशों के ऊपर थी, अधिनियम के बाबत सरकार अपने निर्णय लेगी और मेरी मान्यता है कि पंचायती राज अधिनियम का आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। इन विषयों के हस्तांतरण से जो हालात पैदा होंगे उस वजह से भी और जो शंकाएं आपने प्रकट कीं, तरह-तरह की जो शंकाएं कीं कि साहब यह होता है, यह होता है तो एक्ट में जहां-जहां पर भी कोई खामियां होंगी। चाहे वह रूल्स में हो, चाहे एक्ट में हो, उनके परिवर्तन के प्रस्ताव लायेंगे और हमारा प्रयत्न यह होगा कि हम जो

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

प्रक्रियाएं निर्धारित हैं उन प्रक्रियाओं में भी इस तरीके का सरलीकरण करें कि गांव का एक छोटे से छोटा आदमी उस बात को समझ ले। नियमों को समझ ले और पंचायत अधिनियम को समझ ले, वह अपने अधिकारों को समझ ले कि किस प्रकार से मुझे अधिकारों का उपयोग करना है, अधिकारी से मुझे किस प्रकार से काम लेना है, कर्मचारी से मुझे किस प्रकार से काम करवाना है। इन सब बातों को वह समझ ले।

मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहता हुआ आपसे दो बातों पर और आपकी राय चाहता था, मोटे तौर पर मिली भी है कि जैसे संयम लोढ़ा साहब ने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। नगरपालिका के चेयरमैन का भी डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, प्रधान का भी, प्रमुख का भी हो। कोई आपत्ति नहीं है, अगर इस बात पर सर्वानुमति बनती है, तो इस प्रकार के प्रोविजन्स किये जा सकते हैं, संविधान हमें अलाउ करता है।

श्री सी. पी. जोशी : पोसिबल नहीं है। इसके लिए नेशनल कंसेंसस बनाकर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : नहीं, इसके लिए जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में डायरेक्ट इलेक्शन है नगरपालिका के।

श्री सी. पी. जोशी : नगरपालिका के। हमें भी इम्प्रेशन था, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में कांस्टीट्यूएंसी बना रखी है। उस कांस्टीट्यूएंसी का आदमी चुनाव लड़ सकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह मेम्बरशिप के लिए है। ऐसा नहीं लिखा।

श्री सी. पी. जोशी : आप पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ लिया। कल भी पढ़ा है मैंने। (व्यवधान) वही आदमी उन्हीं में से इलेक्ट होता है। पढ़ लीजिए आप। आप सुनिए हमें। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जोशी जी बिलकुल ठीक कह रहे हैं। उन्हीं में से बनता है। (व्यवधान) वह संविधान के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री सी. पी. जोशी : सुनो। मैं बहस नहीं कर रहा, मैं बहस नहीं कर रहा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ....के तहत कई स्टेटों में डायरेक्ट प्रधान और प्रमुख के हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपको कंफ्यूजन है जिसका उत्तर नहीं है मेरे पास। मैं बता रहा हूं आपको। मैं इस बात के लिए आपको कह रहा हूं कि यदि हम सब सहमत हैं तो हमें इस बात को भारत सरकार में उठाना चाहिए जिससे संविधान में संशोधन हो सके कि हमारे प्रधान के, प्रमुख के इलेक्शन डायरेक्ट हो सके। पर अभी जो प्रोविजो है उस प्रोविजो में पंचायत समिति और जिला परिषद् में डायरेक्ट चुनाव केवल सरपंच के सम्भव है बाकी प्रधान और प्रमुख के नहीं हैं। यह हमने भी कोशिश की थी, वह पोसिबल नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : ठीक है, अच्छा है राय बनी है। इसको देख लेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय जोशीजी ने जो कहा है इसको भी लॉ डिपार्टमेंट से और एग्जामिन करवा लीजिए और यदि इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से हमें संविधान संशोधन के लिए भी जाना चाहिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता था। कई बार यह बात उठती है और खास तौर पर अधिकारी वर्ग के जरिए यह बात उठती है कि सरपंच समझता नहीं है, अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है वगैरह-वगैरह। इस तरह की बातें हैं। ग्राम सेवक के लिए भी बात उठती है कि ग्राम सेवक वन विभाग के ले लिए, वहां के ले लिए, वहां के ले लिए, वे समझते नहीं हैं। कटारिया साहब ने उस बात का प्रशिक्षण पर जोर दिया कि प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रशिक्षण हुआ भी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Joshiji is correct. Joshiji you are right. यह नहीं हो सकता। इसमें साफ लिखा हुआ है। "A Panchayat at the intermediate levle or district level shall be elected by and from amongst the elected Members thereof." नहीं हो सकता। He is correct. वह अपने बस का नहीं है, वह पार्लियामेंट में कहो आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : ये जो दोनों बातें ऐसी हैं चाहे डायरेक्ट इलेक्शन की बात हो और चाहे आपके रोटेशन वाली बात हो जिसमें मेरा ख़याल है कि सदन पूरा एकमत है तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए लोक सभा तक यह बात पहुंचे किसी भी तरीके से। दो बातें और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो बातें तो कह दीं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : दो बातें और रह गयीं। बाकी आपने बीच में मेरा वक्त जाया कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कह दी न उन्होंने।

श्री शांति कुमार धारीवाल : एक तो ग्राम सेवक की और चुने हुए जन प्रतिनिधियों की मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

क्या होनी चाहिए.... (व्यवधान) क्या बात करते हो, नहीं है तो हो जाए तो क्या बुरा है? यह बात पंचायती राज से चालू हुई है। दो बच्चों से ज्यादा अगर कोई होगा तो वह डिसक्वालिफाई हो जाता है तो यह बात वहां से चालू हुई है। अगर विचार है तो अच्छे हैं, आने दीजिए। खैर, इसमें जैसी भी राय हो।

दूसरी बात यह कि विचार यह भी है कि राजस्थान विकास सेवा का गठन किया जाए और राजस्थान विकास सेवा के गठन के माध्यम से ही बी.डी.ओ., एडिशनल बी.डी.ओ. वगैरह, इस तरीके की जो पोस्टें हैं वे भरी जाएं। इसमें जो कुछ भी आइंदा विचार जानने का मौका मिलेगा वह मिलेगा।

आपसे एक आखिरी निवेदन यह करना चाहता हूं कि एक तो मन में विश्वास रखिये, आपने तो नहीं किया या जो कुछ किया, जितना जो कुछ आपने किया है उसको हम स्वीकारते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया हो लेकिन इस दृष्टि से आप इतनी तेजी से नहीं बढ़े जिस तेजी से आपको बढ़ना चाहिए था। आपके पास वक्त था, आपके पास पूरे पांच साल थे। 1994 में आपने अमेंडमेंट किये एक्ट में, उसके बाद आपको सशक्तीकरण का काफी कुछ मौका मिला था। हमने भी तीन साल गंवा दिये इसमें कोई दो राय नहीं। चौथे साल में हम लेकर के आए हैं, यह हम स्वीकार करते हैं इस बात को। लेकिन मंशा हमारी साफ है। हम चाहते हैं कि यह किसी भी प्रकार से ये संस्थाएं अपने बलबूते पर खड़ी हों। (व्यवधान) आप मुझे क्यों रोकते हो? तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं। साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि ये जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं ये सिर्फ अधिकारों को ले करके न बैठ जाएं, अपने कर्तव्यों को भी समझें। हम अधिनियम में उन संशोधनों को भी प्रस्तावित करेंगे कि जिससे कि इनके कर्तव्य बनें।

आज क्या कारण हैं, आप ही बताएं प्रतिपक्ष के नेता महोदय की शिक्षा दर्पण में जो 10 लाख 65 हजार बच्चे पिछले साल तक अनएनरोल्ड थे उनमें से साढ़े आठ लाख बच्चे एक साल के अन्दर अन्दर स्कूलों में चले गये। आखिर इन्हीं जन प्रतिनिधियों का ही सहयोग मिला। हर जन प्रतिनिधि का सहयोग मिला। छोटे स्तर पर सहयोग मिला जिन्होंने कि इस एनरोलमेंट से शिक्षा आपके द्वार का जो आन्दोलन मुख्य मंत्री जी ने चलाया उसमें उन्होंने सहयोग दिया। कौन आया, किस विधायक ने भर्ती करवाये? अपन अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें कि कौनसा विधायक ऐसा है जो यहां मौजूद है जिसने कि पांच लड़के भी जा करके भर्ती

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

करवाये? अगर भर्ती करवाये तो उन छोटे जन प्रतिनिधियों ने भर्ती करवाए जो इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हमें इस बात को नकारना नहीं चाहिए। जब जिम्मेदारी हम डालेंगे तो उनके कर्तव्य भी बतायेंगे और कर्तव्य बताएंगे तो वह कर्तव्यों की पालना भी करेंगे। हमें उन पर विश्वास करके चलना चाहिए। ये वो ही संस्थाएं हैं जिन्होंने गांवों को खड़ा किया है, जिन्होंने गांवों में हजारों विकास के काम करवाये हैं और जिन्होंने गांवों में अच्छे से अच्छे आदमी पैदा कर दिये। आज प्रशासनिक सेवाओं में देखिए, आज राजनीति में देखिए, उनमें भेजे हैं। हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। तो कभी हम यह सोचते हैं कि यह अधिकार दे करके और सत्यानाश कर देंगे, यह नहीं है।

आज जो कुछ आलोचना होती है, डाक्टर नहीं है, अध्यापक नहीं है, ग्राम सेवक नहीं है, वह कृषि पर्यवेक्षक नहीं है, ये नहीं हैं, वो नहीं है, वे विभागों की आलोचना तो बरदाश्त कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कोई जन प्रतिनिधि को यह अधिकार दे दिये जाएं कि ये अधिकारी आपको सौंपे जाते हैं, ये कर्मचारी आपको सौंपे जाते हैं, आप इनसे काम करवाओ, वह हमें बरदाश्त नहीं है। यह मानसिकता जब तक हमारी रहेगी, इन संस्थाओं की मजबूती को हम फूटी आंख से नहीं देख पाएंगे।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो आपने बात बोली है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस मन्तव्य के साथ है कि इन संस्थाओं की मजबूती के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है वह और आगे बढ़े। कृपया उसमें दोमुंही बात करना छोड़ें। ये दोमुंही बातें हैं, कि यों होगा तो यों हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसा अभी चौहान साहब ने कहा कि साल भर में डूब जाएगा। किसको डुबो रहे हो आप? क्या पूरे राजस्थान को डुबोना चाहते हो? इन सरकारी अधिकारियों से, इन सरकारी विभागों से ही यह सब कुछ सम्पन्न हो पाएगा? हम जनता के चुने हुए उन प्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं करें। किसने बनाया आपके ग्राम का प्राइमरी स्कूल? किसने बनायी यह आपके गांव में राजीव गांधी पाठशाला?

श्री हीरासिंह चौहान : हमने सुदृढ़ीकरण का विरोध नहीं किया लेकिन हमने आपको सावधान किया कि इस कार्यवाही को आप किस तत्परता से कैसे कर सकोगे। यही बातें हम सब ने कही हैं, किसी ने विरोध नहीं किया।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपका सहयोग ही आवश्यक है। आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर गहलोत

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

सरकार इस काम में सफल होगी। अगर आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से सफल होगी और आपसे अपेक्षा भी यही है। तो मैं पहले भी आपसे यह निवेदन कर चुका, कोई ज्यादा बात नहीं कहता हुआ आपसे सिर्फ...

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : शिक्षा आपके द्वार में जो नामांकरण हुआ है उसमें खाली नाम जरूर लिये हैं, केवल पांच प्रतिशत बच्चे आते हैं। उसमें कोई नहीं आता है चाहे कितना ही आपका नामांकन हुआ हो। किसी भी एक स्कूल को आप चैक करवा लें, किसी भी एक स्कूल को चैक करवा लें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप मुझे लिख कर दे दें कि कौनसा स्कूल है, मैं दिखवा लूंगा।

श्री कन्हैया लाल : एक नहीं, सारी स्कूलों की हालत है यह...

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह जनरल मत कहिये कि सारी की सारी खराब है, ऐसा मत कहिए। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : नाम जरूर लिखे हैं, आते नहीं है। आते नहीं हैं उसमें, यह मैं आपको सही कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : इसका मतलब यह है कि आप राजनीति से प्रेरित हो करके मत बोलिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : इसका मतलब आप गांव में नहीं जाते हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपको आखिर में बहुत-बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से देना चाहता हूं कि आपने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अमूल्य सहयोग दिया और मैं यह आशा करता हूं कि आपके सहयोग से यह सरकार इन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सफल होगी, जनतंत्र की जड़ मजबूत करने के लिए हम सफल होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त, 2002 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.50 बजे गुरुवार, 29 अगस्त, 2002 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट ''अ''

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-31 का विवरण)

वर्ष 1999-2000 से जुलाई, 2002 तक मण्डी प्रांगण झुंझुनूं में करवाये गये निर्माण कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्य पर व्यय की गई राशि (रु.)		
			कार्य पर व्यय	सुपरवीजन व अन्य	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	1999-2000	निर्माण कार्य आर.सी.सी. ओवर हैड टैंक	511001	76510	587511
2.		निर्माण कार्य रेजिंग ऑफ कम्पाउण्ड वाल	652509	75257	727766
3.		निर्माण कार्य पम्प रूम	37730	4537	42267
4.		निर्माण कार्य ट्यूब वैल	277721	38674	316395
5.		निर्माण कार्य स्टाफ क्वार्टर्स चतुर्थ टाइप	449132	54832	503964
6.		निर्माण कार्य स्टाफ क्वार्टर्स पंचम टाइप	365207	44632	409839
7.	2000-2001	निर्माण कार्य कार्यालय भवन विस्तार	218898	34933	253831
8.		निर्माण कार्य पाइप लाइन बिछाने का कार्य	190480	26057	216537

1	2	3	4	5	6
9.	2001-2002	टावर लाइट 1 नग	386010	39992	426002
10.	2002-2003	निर्माण कार्य पानी की खेळ	—	—	कार्य प्रगति पर भुगतान अभी नहीं किया गया है
11.		निर्माण कार्य कम्पाउण्ड वाल स्टाफ क्वार्टर्स	—	—	कार्य प्रगति पर भुगतान अभी नहीं किया गया है
12.		निर्माण कार्य विशेष मरम्मत आंतरिक सड़क मण्डी यार्ड	—	—	कार्य प्रगति पर भुगतान अभी नहीं किया गया है
		योग	**3083688**	**395424**	**3585112**

अन्य कार्य (मरम्मत) के सम्बन्ध में व्यय की राशि का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	कार्य पर वास्तविक व्यय की गई राशि (रुपये)	सुपरवीजन एवं अन्य व्यय (रुपये)	कुल व्यय (रुपये)
1.	1999-2000	भवन मरम्मत कार्य	39845.00	4863.00	44708.00
2.	2000-2001	भवन मरम्मत	29319.00	3527.00	32846.00
3.	2001-2002	सर्विस कनेक्शन ओवर हैड लाइन	169378.00	17143.00	186521.00
4.		विभिन्न भवनों में विद्युत फिटिंग का कार्य	20334.00	2373.00	22703.00
5.		भवन मरम्मत	52600.00	6238.00	58838.00
		योग	311474.00	34144.00	345618.00

परिशिष्ट "ब"

निर्माण कार्य के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी.एस.आर. तथा
व्यय की गयी राशि का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी.एस.आर. दर से राशि (रुपये)	बोर्ड द्वारा स्वीकृत निविदा के अनुसार कार्यादेश की राशि (रुपये)	कार्य पर वास्तविक व्यय की गई राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	6
1.	1999–2000	निर्माण कार्य रेजिंग आफ कम्पाउण्ड वाल	532641.00	665801.00	652509.00
2.		निर्माण कार्य पम्प रूम	43358.00	46783.00	37730.00
3.		निर्माण कार्य ट्यूब वैल	435130.00	301980.00	277721.00
4.		निर्माण कार्य स्टाफ क्वार्टर्स चतुर्थ टाइप	491133.00	508274.00	449132.00
5.		निर्माण कार्य स्टाफ क्वार्टर्स पंचम टाइप	385989.00	399460.00	365207.00
6.		निर्माण कार्य आर.सी.सी. ओवर हैड टैंक	535666.00	511001.00	511001.00
7.	2000–2001	निर्माण कार्य–कार्यालय भवन विस्तार	207340.00	269542.00	218898.00
8.		निर्माण कार्य पाइप लाइन	164720.00	194781.00	194781.00

1	2	3	4	5	6
9.	2001–2002	टावर लाइट 1 नग	495225.00	398656.00	386010.00
10.	2002–2003	निर्माण कार्य पानी की खेळ	50109.00	42593.00	कार्य प्रगति पर, भुगतान अभी नहीं किया गया है।
11.		निर्माण कार्य कम्पाउण्ड वाल स्टाफ क्वार्टर्स	241241.00	205055.00	कार्य प्रगति पर, भुगतान अभी नहीं किया गया है।
12.		निर्माण कार्य विशेष मरम्मत आंतरिक सड़क	735016.00	585073.00	कार्य प्रगति पर, भुगतान अभी नहीं किया गया है।
		योग	4317568	4128999	3092989

प्रपत्र ''अ''

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या–33 का विवरण)

अतिक्रमणी की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	ख. नं.	कुल रकबा	किस्म जमीन	नाम खातेदार	नाम अतिक्रमणी	ख.नं.	रकबा	किस्म अतिक्रमण	कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	खुराड़	459 460	0.03 1.43	गै.मु. चाह पेटा तालाब	सिंचाई विभाग	मु. हमीदा बेगम बेवा सरदार खां, असरार खां, इस्लाम खां, इकबाल खां, पि. सरदार खां, मु. नसीम बानो बेवा याकूब खां, यूसूफ खां, जफर खां, शहीद खां, रसीद खां, पुत्र याबुब खां नाबालिक बली माता नसीम बानों जाति मुसलमान निवास आमेर।	459 460 मि.	0.03 0.96	कृषि हेतु	यह अतिक्रमण सम्वत् 2059 में पास के खातेदार हमीदा बेगम वगैरह ने फसल हेतु किया था, जिसे अब विभाग द्वारा हटा दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	कूकस	156	10.92	गै. मु. बन्धा	सिवाय चक जे.डी.ए.	1. मु. हमीदा, बेगम बेवा सरदार खां, असरार खां, इस्लाम खां, इकबाल खां, पि. सरदार खां, मु. नसीम बानो बेवा याकूब खां, यूसूफ खां, जफर खां, शहीद खां, रसीद खां, पुत्र याकुब खां नाबालिक बली माता नसीम बानों जाति मुसलमान निवास आमेर।	156 मि.	0.08	कृषि हेतु	यह अतिक्रमण इसी वर्ष काश्त हेतु किया गया है, क्योंकि यह भूमि जे.डी.ए. के स्वामित्व में है, अत: उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जे.डी.ए. द्वारा ही की जानी है।
						2. एस. आर. एग्रीकल्चर फार्म पंजीकृत कार्यालय कूकस बांध जरिये प्रबन्ध निदेशक श्री आनन्द कुमार डालमिया पुत्र कालूराम डालमिया।	156 मि.	2.70	सफेदे के पेड़ लगा कर	उक्त अतिक्रमण वर्ष 1986 से पूर्व का है। बेदखली वाली कार्यवाही अमल में लाने पर वादी ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। वर्तमान में अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										कार्यवाही जे.डी.ए. द्वारा की जानी है, क्योंकि उक्त भूमि का स्वामित्व वर्ष 1995 से जे.डी.ए. के अधीन है।
						3. वामनारायण घीया पुत्र बद्रीनारायण घीया जाति हिन्दु निवासी प्लाट संख्या 41, ऐवरेस्ट कॉलोनी, लालकोठी जयपुर।	156 मि.	1.40	पुख्ता डण्डा कम्पाउण्ड वाल लगाकर	यह अतिक्रमण वर्ष 1989 से पूर्व का है। जिसको हटाने के वास्ते सिंचाई विभाग द्वारा कलक्टर, जयपुर को वर्ष 1989 एवं 1990 में अर्द्ध शासकीय पत्र द्वारा लिखा गया था। इसमें अग्रिम कार्यवाही जे.डी.ए. द्वारा की जानी है, क्योंकि उक्त भूमि जे.डी.ए. के स्वामित्व में है।

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

प्रश्न संख्या-34

(स्थगित)

समाज कल्याण परियोजना केन्द्रों में कार्यरत कर्मियों को भुगतान

35. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के कुल कितने जिलों में समाज कल्याण परियोजना केन्द्र चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परियोजना केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रति माह वेतन का भुगतान समय पर किया जा रहा है? यदि हां, तो वर्ष 2001 से जुलाई, 2002 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा 4 जिलों में सीमा क्षेत्र परियोजनाएं तथा 5 जिलों में सामुदायिक विकास परियोजनाएं संचालित हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा संचालित सीमा क्षेत्र एवं सामुदायिक विकास परियोजनाएं

सीमा क्षेत्र परियोजनाएं :

1.	जैसलमेर	1. रूपसी, 2. चादन, 3. बड़ोडा, 4. मोहनगढ़
2.	बाड़मेर	1. बिसाला, 2. सियाणी, 3. रानी गांव, 4. सनावड़ा, 5. रामसर
3.	श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)	1. श्री गंगानगर, 2. अरायण, 3. फूसेवाला, 4. मानकसर, 5. ई.ओ.एफ. 6. रोड़ेवाला
4.	रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)	1. समेजा कोठी, 2. फोजूवाला, 3. श्यामगढ़, 4. थान्देवाल, 5. सांवतसर
5.	पूगल (बीकानेर)	1. खाजूवाला, 2. मोतीगढ़, 3. जयमलसर, 4. बरसिंहसर, 5. पूगल
6.	श्रीगंगानगर	1. मिर्जेवाल, 2. दौलतपुरा, 3. मदेरा, 4. सुजानलपुर

सामुदायिक विकास परियोजनाएं :

1.	निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)	1. निम्बाहेड़ा, 2. रानीखेड़ा, 3. बिनोता, 4. कनेरा, 5. सतखंडा, 6. लसड़ावन
2.	बानसूर (अलवर)	1. बानसूर, 2. ज्ञानपुरा, 3. हमीरपुरा, 4. भूपसेड़ा, 5. हरसोरा
3.	कोलायत (बीकानेर)	1. गजनेर, 2. कोलायत, 3. झझू, 4. कोलासर
4.	विराट नगर (जयपुर)	
5.	पचपदरा (बाड़मेर)	1. पचपदरा, 2. जसोल, 3. पारलू

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में कार्यरत अयोग्य व्याख्याता

36. श्री निर्भय लाल (रूपवास) **एवं श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में वर्तमान में कुल स्थाई/अस्थाई व्याख्याता कितने हैं? सूची विश्वविद्यालयोंवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के स्थाई/अस्थाई कितने व्याख्याता हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्याख्याताओं का कितना बैकलाग है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अस्थाई व्याख्याताओं को अध्यादेश के तहत स्थाई कर रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में अयोग्य व्याख्याता कार्यरत हैं? यदि हां, तो कितने तथा न्यायालय द्वारा कितने अयोग्य व्याख्याताओं को हटाया गया है और कितने व्याख्याताओं को क्यों नहीं हटाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत स्थाई/अस्थाई व्याख्याताओं की संख्या परिशिष्ट–1 में बताये अनुसार है।

(2) राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के स्थाई/अस्थाई व्याख्याताओं का विवरण परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

(3) विश्वविद्यालय बैकलाग का विवरण परिशिष्ट–3 पर उपलब्ध है।

(4) प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(5) राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में निर्धारित योग्यताएं पूरी न करने वाले एडहाक व्याख्याताओं के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है। माननीय न्यायालय के आदेशों से 129 एडहाक व्याख्याता इस विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, जिनमें से अभी तक न्यायालय ने किसी को भी हटाने के आदेश नहीं दिये हैं।

परिशिष्ट-1

विश्वविद्यालयों में कार्यरत स्थाई/अस्थाई व्याख्याताओं के सम्बन्ध में सूचना

क्र.सं.	नाम विश्वविद्यालय	व्याख्याताओं की कुल संख्या	
		स्थाई	अस्थाई
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	322	289
2.	सुखाड़िया विश्व. उदयपुर	103	20
3.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्व. अजमेर	14	—
4.	जयनारायण व्यास विश्व. जोधपुर	333	18
5.	कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	15	—
6.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर	—	—
7.	राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर	—	—

परिशिष्ट-2

विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्याख्याताओं की सूचना

क्र. सं.	नाम विश्वविद्यालय	व्याख्याताओं की संख्या			
		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		स्थाई	अस्थाई	स्थाई	अस्थाई
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	02	01	01	01
2.	सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	05	—	—	01
3.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	01	—	—	—
4.	जमनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	18	—	10	—
5.	कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	—	—	—	—
6.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर	—	—	—	—
7.	राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर	—	—	—	—

परिशिष्ट-3

विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थाई व्याख्याताओं के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग की सूचना

क्र. सं.	नाम विश्वविद्यालय	बैकलाग	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	35	22
2.	सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	12	06
3.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	—	—
4.	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	47	37
5.	कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	—	—
6.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर	—	—
7.	राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर	—	—

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में पशुधन सहायक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना

37. **श्री भाणजी (दानपुर):** क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दानपुर आदिवासी क्षेत्र है?

(2) क्या उक्त क्षेत्र ग्रामों व दानपुर के स्थानीय लोगों के पशु बीमार होने पर उन्हें इलाज हेतु दूर जाना पड़ता है?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये पशुधन सहायक चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। इस क्षेत्र में कुल 25 पशु चिकित्सा संस्था कार्यरत हैं।

(3) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्ष 2002-2003 में नवीन पशु चिकित्सालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है, किन्तु वर्ष 2002-2003 में 200 नवीन उपकेन्द्र खोले जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

पंचायत समिति, कठूमर (अलवर) को एस.जी.आर. वाई. की राशि का भुगतान

38. **श्री रमेश खींची** (कठूमर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला अलवर में एस.जी.आर.वाई. की राशि कितनी-कितनी, किस-किस पंचायत समिति को किस-किस मद में आबंटित की गई?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, कठूमर में दिनांक 2 मार्च, 2002 को साधारण सभा की बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव व पंचायत समिति द्वारा राशि के प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में वित्तीय स्वीकृति प्रस्ताव अनुमोदन हो चुका था? यदि हां, तो क्या उक्त योजना की राशि प्रकरण का पुन: साधारण सभा की बैठक में रखा जाना न्यायोचित था?

(3) क्या दिनांक 2 मार्च, 2002 को अनुमोदन हुआ? यदि हां, तो फिर ग्राम पंचायत को अब तक राशि क्यों नहीं आबंटित की गई? क्या एम.वी. जारी की गई? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक सरकार उक्त राशि आबंटित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जि.ग्रा.वि.अ., अलवर जिले में एस.जी.आर.वाई. योजना (सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना) की प्रथम धारा के अन्तर्गत पंचायत समितियों को वर्ष 2002-2003 में दिनांक 31.7.2002 तक निम्नानुसार राशि आबंटित कर जारी की गई :

क्र.सं.	पंचायत समिति	एस.जी.आर.वाई. (प्रथम धारा) (राशि रुपये में)
1.	बानसूर	714003
2.	बहरोड़	459943
3.	कठूमर	1007265
4.	किशनगढ़	602905
5.	कोटकासिम	409482
6.	लक्ष्मणगढ़	991591
7.	मुण्डावर	725467
8.	नीमराना	497080
9.	राजगढ़	783970
10.	रामगढ़	751696
11.	रैणी	796949
12.	थानागाजी	850206
13.	तिजारा	654089
14.	उमैरण	862354
	योग	10107000

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) भारत सरकार द्वारा जारी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् द्वारा कार्यों का निर्धारण कर, वार्षिक कार्य योजना अपने-अपने स्तर पर अनुमोदन करने के प्रावधान हैं। जि.ग्रा.वि.अ., अलवर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 2 मार्च, 2002 की पं.स. कठूमर की साधारण सभा की बैठक में वार्षिक कार्य योजना के लिए कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं किया गया एवं उक्त साधारण सभा के प्रस्ताव संख्या-4 के अनुसार उक्त सभी प्रस्तावों के अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव जिला परिषद् को भिजवाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं थी, ऐसी स्थिति में पंचायत समिति कठूमर के स्तर की सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की कार्य योजना में लिये जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों को पुनः पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में रखा जाना न्यायोचित था।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति, कठूमर के स्तर की सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की कार्य योजना का अनुमोदन दिनांक 21.8.2002 को पंचायत समिति की बैठक में हो चुका है। अब कार्यों की स्वीकृतियां एवं कार्यों के लिए कार्यकारी संस्थाओं को नियमानुसार राशि हस्तान्तरण कर, कार्यों के निष्पादन करने की प्रक्रिया जारी है।

कृषि उपज मण्डी, दौसा के कार्मिकों के विरुद्ध शिकायतें

39. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खाद्य पदार्थ व्यापार संघ मानगंज जिला दौसा एवं अन्य व्यापारियों के विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त शिकायती पत्रों में दर्ज शिकायतों पर कार्यवाही कर दोषी कार्मिकों को तत्काल वहां से हटा कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कृषि उपज मण्डी के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध स्थानीय विधायक एवं व्यापारी, ग्राहक मजदूरों व अन्य व्यक्तियों ने शपथ पत्रों पर सरकार को शिकायत भेजी है? यदि हां, तो स्थानीय विधायक एवं समस्त शपथ पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने उक्त प्रकरण में स्थानीय विधायक एवं शपथ पत्रों को भी दर किनार कर अब तक दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त व्यापार मण्डल द्वारा दिनांक 24 मई, 2000 को

(श्री कन्हैया लाल)

जिला कलेक्टर, दौसा को सम्बोधित एवं निदेशक कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन मंत्री, सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार को पृष्ठांकित पत्र द्वारा सरकार को उक्त कृषि उपज मण्डी दौसा के दोषी सचिव एवं तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रशासक, मण्डी समिति दौसा की जांच बदलवाने की सूचना सरकार को मिली है?

(6) क्या सरकार ने उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी बदला है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त शिकायतों की प्रति परिशिष्ट "क (1) से क (10)" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्राथमिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया में सही नहीं पाई गई है। इस मामले में सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध पुलिस थाना, दौसा में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी। जिसमें पुलिस ने अन्वेषण के उपरान्त दोषीयों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया तथा प्रकरण अभी तक न्यायालय में लम्बित है।

(3) विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिये गये शपथ पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट ख (1) से ख (9) पर संलग्न है। विधायक महोदय का शपथ पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां।

(6) जिला कलक्टर, दौसा द्वारा अतिरिक्त कलक्टर से जो मण्डी समिति के प्रशासक भी थे, जांच कराई गई थी। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में मुख्य लेखाधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिये गये। मुख्य लेखाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निर्णयाधीन है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रेगिस्तानी जिलों में भूमिहीन अतिक्रमियों की भूमि का नियमन

40. श्री अमीन खान (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के रेगिस्तानी जिलों में भूमि आबंटन व नियमन करने की पाबन्दी में छूट देने के बाद में अब तक भूमिहीन अतिक्रमियों के कितने नियमन किये गये हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भूमि कास्त काबिज सैटलमेंट के रेकार्ड अनुसार मानती है या काजरी को भूमि की किस्म तय करने का अधिकार है?

(3) क्या सरकार ने तहसील स्तर पर आबंटन/नियमन सलाहकार समिति से काश्त काबिल भूमि मानने के प्रस्ताव मंगाए हैं? यदि हां, तो जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने गांवों की कितनी भूमि काश्त काबिल मानने की सिफारिश की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के रेगिस्तानी जिलों में भूमि आबंटन एवं नियमन में छूट देने के बाद अब तक भूमिहीन अतिक्रमियों के कब्जे काश्त की निम्न विवरणानुसार नियमित किये गये हैं :-

नाम जिला	नियमित किये गये प्रकरणों की संख्या
जैसलमेर	363
बीकानेर	शून्य
चूरू	7
जालौर	876
पाली	932
नागौर	201
बाड़मेर	857
जोधपुर	1891

(2) सैटलमेंट विभाग द्वारा भूमि का वर्गीकरण सैटलमेंट के साथ किया जाता है। भूमि की वास्तविक स्थिति भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बदल जाती है। काजरी द्वारा इन भौगोलिक परिस्थितियों जैसे :- औसत वर्षा, भूमि की मृदा व उसकी समतलता आदि आधारों पर कृषि योग्य/अयोग्य भूमि का वर्गीकरण करती है। अधिकृत तौर पर भूमि का वर्गीकरण राजस्व विभाग का कार्य है।

(3) राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(6)राज-6/97 दिनांक 28.5.2002 द्वारा (काजरी के 5 से 8 श्रेणियों के लिए ही) तहसील स्तरीय भूमि चिन्हिकरण समिति के माध्यम से आबंटन योग्य भूमियों को चिन्हित कर आबंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। परिपत्र क्रमांक पं.6(6)राज-6/97 दिनांक 31.7.2002 द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए आबंटन प्रस्ताव सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रस्तुत किये जायेंगे।

तहसील स्तरीय भूमि चिन्हिकरण समिमि ने जिला जैसलमेर में 324 गांवों की 734847 एकड़ आबंटन योग्य भूमि चिन्हित की है। बाड़मेर में 413 गांवों में 112126.05 बीघा भूमि आबंटन योग्य समिति ने चिन्हित की है।

जिला बारां में बिना चयनित पैराटीचर्स को नियुक्ति

41. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या गत दो वर्षों में पंचायत समिति अटरू (बारां) में पैराटीचर्स का चयन किया गया था? यदि हां, तो किन-किन ग्राम पंचायतों में किस-किस का चयन किया गया? नाम व पता की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायत अटरू द्वारा भी पैराटीचर्स का चयन किया गया है? यदि हां, तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त हेतु

(श्री मदन दिलावर)

किस तारीख को चयन में सरपंच व कोरम की सहमति थी? यदि नहीं, तो चयन किस आधार पर किया गया?

(3) क्या ब्लाक शिक्षा अधिकारी, अटरू ने ग्राम पंचायत, अटरू के चयनित व्यक्तियों को चयन के आधार पर प्रशिक्षण हेतु भेजा था? क्या ग्राम पंचायत द्वारा चयन सूचना दे दी गई थी? यदि हां, तो ग्राम पंचायत द्वारा चयन की भेजी हुई सूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त ग्राम पंचायत द्वारा प्रशिक्षण में पैराटीचर्स को भेजने के सम्बन्ध में कोई पत्र भेजे गये थे? यदि हां, तो उक्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या ग्राम पंचायतों के पैराटीचर्स के अधिकार जिला कलक्टर्स को दे दिये गये? यदि हां, तो ऐसे आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो जिला कलक्टर, बारां द्वारा किस आधार पर बिना चयनित हुए पैराटीचर्स को नियुक्ति देने के आदेश उप खण्ड अधिकारी, अटरू को दिये और उप खण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा ग्राम सेवक/ग्रुप सचिव ग्राम पंचायत, अटरू को दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या उक्त प्रकार से और पैराटीचर्स भी लिए जा सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गत दो वर्षों में पंचायत समिति, अटरू की ग्राम पंचायतों में चयनित पैराटीचर्स का नाम व पता सहित विवरण सूची परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत, अटरू द्वारा चयन नहीं हुआ। किन्तु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.4.2001 के द्वारा चयन के लिए निर्धारित चयन कमेटी के दो सदस्यों यथा पंचायत मुख्यालय के प्रधानाध्यापक एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा चयन किया गया।

(3) जी हां। किन्तु ग्राम पंचायत, अटरू द्वारा चयन की सूचना नहीं दी गई थी।

(4) जी नहीं।

(5) राज्य सरकार द्वारा पैराटीचर्स के चयन के सम्बन्ध में परिवेदना समिति के निर्णयों के पुनर्वलोकन व पुनरीक्षण करने हेतु जिला कलक्टरों को दिये गये अधिकार से सम्बन्धित आदेश पत्र की प्रति परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है जिसके आधार पर परिवेदना प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, बारां द्वारा उप खण्ड अधिकारी को चयनित पैराटीचर को नियुक्ति देने के आदेश दिये गए।

(पंचायती राज मंत्री)

(6) जिला कलक्टर, बारां के निर्देशानुसार उप जिला कलक्टर, अटरू (बारां) के आदेश दिनांक 26.7.2002 की पालना में ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत, अटरू द्वारा पैराटीचर को नियुक्ति आदेश प्रदान किये गये, जिसके लिए कोई दोषी नहीं है।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पालना में ही पैराटीचर्स का चयन किया जाता है। वर्तमान में 30.4.2001 के चयन आदेश प्रभावी नहीं है।

परिशिष्ट "क"

चयनित पैराटीचर्स की सूची निम्न प्रकार है–

सत्र 2001-02

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	विद्यालय का नाम	चयनित पैराटीचर्स का नाम व पता
1	2	3	4
1.	खेड़ली गंज	उ.प्रा.वि., खेड़ली गंज	कल्पना दुबे, ग्राम अटरू
2.	दीलोद हाथी	उ.प्रा.वि., कासमपुरा	अनिता सिंह, ग्राम भकरावदा
3.	कवाई	उ.प्रा.वि., बा. कवाई	सीमा सिंह, ग्राम कवाई
4.	अटरू	उ.प्रा.वि., अटरू नवीन	मंजु दिलावर, ग्राम खेड़ली गंज
5.	बरलां	उ.प्रा.वि., बरला	ममता कुमारी, ग्राम गायत्री नगर
6.	कटावर	उ.प्रा.वि., झाड़ौता	विमला कुमारी, ग्राम झाड़ौता
7.	पटना	उ.प्रा.वि., मूण्डला	गायत्री गुप्ता, ग्राम अटरू
8.	सहरोद	उ.प्रा.वि., सहरोद	अनिता चौहान, ग्राम बारां
9.	कूण्डी	उ.प्रा.वि., कूण्डी	कुसुमलता नागर, ग्राम कूण्डी
10.	बड़ौरा	उ.प्रा.वि. बा., बड़ौरा	शशिकला, ग्राम बड़ौरा
11.	दड़ा	उ.प्रा.वि., दड़ा	राहिदा बानो, ग्राम खेड़ली गदि.
12.	कनोटिया	उ.प्रा.वि., कनोटिया	उर्मिला कुमारी, ग्राम कनोटिया
13.	केरवालिया	उ.प्रा.वि., केरवालिया	रूकमणी वैष्णव, ग्राम केरवालिया
14.	मुसई गुजरान	उ.प्रा.वि., मुसई गुजरान	अन्जना चौहान, ग्राम पाण्डुडेली
15.	गोरधनपुरा	उ.प्रा.वि., गोरधनपुरा	रेखा रानी योगी, ग्राम मूण्डला

1	2	3	4
16.	ननावता	उ.प्रा.वि., ननावता	गायत्री मीणा, ग्राम ननावता
17.	शेरगढ़	उ.प्रा.वि., शेरगढ़	संतोष कुमारी, ग्राम किशनगंज
18.	मूण्डला बिसौती	उ.प्रा.वि., मूण्डला बिसौती	रामप्यारी बाई, ग्राम मूण्डलाल बि.
19.	खुरी	उ.प्रा.वि., खुरी	मीना पारीक, ग्राम अटरू
20.	सकतपुर	प्रा.वि., सकतपुर	सरोज कुमारी, ग्राम कवाई
21.	भैंसड़ा	उ.प्रा.वि., भैंसड़ा	ममता बैरवा, ग्राम मायथा
22.	चरड़ाना	प्रा.वि., चरड़ाना	अनिता विजय, ग्राम बारां
23.	आटौन	प्रा.वि., आटौन	नीतू त्यागी, ग्राम खेड़ली गंज
24.	खरखड़ाराम लोधान	उ.प्रा.वि., खरखड़ाराम	ऊषा चौधरी, ग्राम दीलोद हाथी
25.	अर्ड़ान्द	प्रा.वि., अर्ड़ान्द	विद्या गुप्ता, ग्राम मण्डोला
26.	मेरमाचाह	उ.प्रा.वि., मेरमाचाह	कलावती पारीक, ग्राम अटरू
27.	मौठपुर	बा.उ.प्रा.वि., मौठपुर	पदमा अग्रवाल, ग्राम मौठपुर
28.	कुन्जैड़	प्रा.वि., कुन्जैड़	प्रतिभा उपाध्याय, ग्राम कुन्जैड़
		सत्र 2001-02	
29.	बमोरी	उ.प्रा.वि., बमोरी	लक्ष्मीकान्ता, ग्राम अटरू
30.	ढ़ोटी	उ.प्रा.वि., ढ़ोटी	संतोष बाई, ग्राम ढ़ोटी
31.	आटोन	प्रा.वि., आटोन	पूर्णिमा वैष्णव, ग्राम अटरू
32.	दीलोद हाथी	उ.प्रा.वि., कासमपुर	गीतांजली शर्मा, दीलोद हाथी
33.	चरड़ाना	प्रा.वि., चरड़ाना	सीमा कुमारी, ग्राम चरड़ाना
34.	जीरोद	उ.प्रा.वि., जीरोद	ममता बैरवा, ग्राम बारां
35.	रीछन्दा	प्रा.वि., रीछन्दा	रजनी बाला पारीक, ग्राम अटरू
36.	सकतपुर	प्रा.वि., सकतपुर	देव कन्या, ग्राम बपावर
37.	अटरू	उ.प्रा.वि., अटरू नवीन	रेखा यादव, ग्राम खेड़ली गंज
38.	किशनपुरा टापरिया	उ.प्रा.वि., किशनपुरा	उमा रानी, कोटा

1	2	3	4
39.	अन्ताना	उ.प्रा.वि., मुसेनमाता	चन्द्रकला मीणा, ग्राम मुसेनमाता
40.	बड़ोरां	बा. उ.प्रा.वि., बडोरा	विष्णु कान्ता, ग्राम बडोरा
41.	खेड़ली गंज	उ.प्रा.वि., खेड़ली गंज	नीलू त्यागी, ग्राम खेड़ली गंज
42.	कूण्डी	उ.प्रा.वि., कूण्डी	सरोज कुमारी, ग्राम कवाई
43.	शेरगढ़	उ.प्रा.वि., शेरगढ़	निर्मला वर्मा, ग्राम तुरकाड़िया
44.	केरवालिया	उ.प्रा.वि., केरवालिया	रूकमणि वैष्णव, ग्राम केरवालिया

नोट क्रम संख्या : – 1, 2, 4, 9, 10, 13, 17, 20, 22, 23, 32, 34, 35, 40, 41, 43 पर अंकित आशार्थियों द्वारा प्रशिक्षण नहीं करने के कारण उनके चयन निरस्त किये गये।

पैरा शारीरिक शिक्षक 2001-2002

45.	मूण्डला बसौती	रा. उ.प्रा.वि., मूण्डला बसौती	ब्रजमोहन वर्मा, ग्रा. गीगची पो. बादीपुर, त. किशनगंज
46.	खुरी	रा. उ.प्रा.वि., दिवाली	हरिराम मीणा, ग्रा. पं. बरला, तह. अटरू
47.	शेरगढ़	रा. उ.प्रा.वि., शेरगढ़	दानमल मीणा, ग्रा. बरखेड़ी, त. अटरू
48.	शेरगढ़	रा. उ.प्रा.वि., करजूना	बद्रीलाल मीणा, ग्रा.टापरिया रिछन्दा, तह. अटरू
49.	अन्ताना	रा. उ.प्रा.वि., मूसेनमाता	ओमप्रकाश मीणा, ग्रा. बरलां, त. अटरू
50.	हाथी दिलोद	रा. उ.प्रा.वि., कासमपुरा	हेमन्त शर्मा, प्रति जनरल स्टोर, हाट बाजार, अटरू
51.	ननावता	रा. उ.प्रा.वि., ननावता	प्रमीला शर्मा, बारां
52.	बडोरा	रा. बा. उ.प्रा.वि., बडोरा	शबाना कुरेशी, छबड़ा

चयनित शिक्षा सहयोगी 2001-2002

53.	मेरमा चाह	रा.गा.पा., महेशपुरा	पवन कुमार, ग्राम बमूलिया, तह. अंता

चयनित अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी 2001-2002

54.	बडोरा	रा.गा.पा., रामपुरिया	राजेन्द्र कुमार, पोस्ट ग्राम बडोरा

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान सरकार

पंचायती राज विभाग

क्रमांक :-एफ.139 (5) परावि/शिक्षा/2000/294 जयपुर, दिनांक : 1.2.2002

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 98 तथा इस हेतु समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पूर्व में जारी अधिसूचना सं. एफ. 139(19) आर.डी.पी./एल.एण्ड.जे/95/3273 दि. 26.10.1996 (राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग–सी में दिनांक 3.12.1996 को प्रकाशित) एवं एफ. 139(19)आर.डी.पी./एल.एण्ड.जे./95/3273 दिनांक 26.10.1996 (राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 सी (II) में दिनांक 13.11.1996 को प्रकाशित) को अधिक्रमित करते हुए एतद् द्वारा राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में शिक्षा सहयोगियों/पैरा टीचर्स के चयन से सम्बन्धित परिवेदना समिति के निर्णय के पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन करने की उक्त अधिनियम की धारा 1997 में प्रदत्त अपनी शक्तियों को सम्बन्धित जिला कलक्टर को प्रत्यायोजित करती है।

आज्ञा से

ह०/-

(शिवजीराज परिहार)

निदेशक एवं शासन उप सचिव

सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही

42. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ क्या समाज के पीड़ित एवं दलितों को प्राप्त हो रहा है?

(2) क्या अब तक उक्त योजनाओं की क्रियान्विति की जानकारी पंचायत समिति, तहसील एवं जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का सरकार ने प्रयास किया है?

(3) उक्त योजनाओं की क्रियान्विति सही प्रकार से नहीं कराने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है या प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1)जी हां।

(2)जी हां।

(3) योजनाओं की क्रियान्विति के क्रम में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सही ढंग से कार्य नहीं किये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार तुरन्त कार्यवाही की जावेगी।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिला बीकानेर में कराए गये कार्यों में अनियमितता

43. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1998-99 से 2001-2002 में जिला बीकानेर में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित कितनी शिकायत क्षेत्रीय विधायक द्वारा की गई? अब तक प्रकरणवार की गई कार्यवाही के विवरण सहित शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरणों में सम्बन्धित व्यक्ति को दोषी पाये जाने के बावजूद भी अब तक दण्डित नहीं किया गया? यदि नहीं, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी?

(3) उक्त प्रकरणों की जांच में जिन व्यक्तियों, जन प्रतिनिधियों, कर्मचारियों को जांच अधिकारी ने बचाने का प्रयास किया है उनके विरुद्ध अब कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बीकानेर द्वारा वर्ष 1998-99 से 2001-2002 के दौरान क्रियान्वित विभिन्न विकास कार्यों के सम्बन्ध में 20 शिकायतें श्री मानिक चन्द सुराणा एवं 4 शिकायतें

(ग्रामीण विकास मंत्री)

श्री देवीसिंह भाटी क्षेत्रीय विधायकों के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। शिकायत प्रकरणों में की गई कार्यवाही का प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट 'क' एवं विधायकों द्वारा प्रेषित शिकायत पत्रों की छाया प्रति परिशिष्ट 'ख' पर अवलोकनीय है।

(2) जी नहीं। एक प्रकरण में सरपंच तथा ग्राम सेवक को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा जांच की जा रही है तथा सम्बद्ध ग्राम सेवक को निलम्बित किया जा चुका है। तीन प्रकरणों में सरपंचों को जांच के दौरान दोषी पाये जाने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर परीक्षणोंपरान्त तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। 17 शिकायती प्रकरणों में जांच के उपरान्त कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया है तथा 3 प्रकरणों में जांच का कार्य प्रक्रियाधीन है। जांच पूर्ण होने पर तदनुसार ही उक्त प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) उक्त शिकायती प्रकरणों की जांच अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति/जन प्रतिनिधि/कर्मचारी को बचाने का प्रयास नहीं किया गया है।

(विवरण/प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की डामरीकृत सड़कों में अनियमितताएं

44. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पंचायत मुख्यालय तिरोल, चित्रावास, छाली एवं पाटीया मोरवल की सड़कों को कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से डामरीकृत किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त में कराये गये कार्य व साइड दीवारों में हल्का माल ठेकेदार द्वारा लगाया गया और उसके जांच के आदेश भी राज्य सरकार द्वारा दिये गये हैं? यदि हां, तो जांच कार्यवाही का क्या नतीजा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि छाली में निर्माण की गई सड़क को एक वर्ष भी नहीं हुआ और सड़क घटिया सामग्री उपयोग के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है? यदि हां तो क्या उक्त ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी कोई जांच चल रही है? यदि हां, तो प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि घटिया सामग्री उपयोग के कारण निर्मित सड़कें समय पूर्व ही टूट गई हैं और उक्त सड़कों

(श्री मांगीलाल गरासिया)

की मरम्मत व पुनः निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है? यदि हां, तो उक्त सड़कों की मरम्मत व पुनः निर्माण कब तक व किसके द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) माननीय कृषि विपणन राज्य मंत्री के माध्यम से ग्रामवासी चित्रावास की प्राप्त शिकायत के आधार पर बोर्ड स्तर से सम्पर्क सड़क चित्रावास मोरवल की प्राथमिक जांच अधिशाषी, अभियन्ता, गुण नियंत्रण एवं अधिशाषी, अभियन्ता, खण्ड जयपुर प्रथम से करवाई गई। जांच में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर सम्बन्धित अभियन्ताओं के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(3) सम्पर्क सड़क छाली की कुल लम्बाई 3 कि.मी. है, जिसमें से 2.25 कि.मी. लम्बाई में डामरीकरण का कार्य पूर्ण हुए एक वर्ष 9 माह तथा शेष 0.75 किलोमीटर लम्बाई पर डामरीकरण का कार्य एक वर्ष 4 माह पूर्व पूर्ण हो चुका था। इस सड़क पर कुछ स्थानों पर पेच पड़ गये हैं, जिसका कारण घटिया सामग्री का उपयोग में लेना नहीं है। इस डामरीकरण क्षेत्र का संवेदक को भुगतान भी नहीं किया गया है। घटिया सामग्री प्रयोग में लेने की कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस कार्य के लिए किसी भी अधिकारी/संवेदक के विरुद्ध कोई जांच नहीं चल रही है। मरम्मत तथा पट्‌टरियों का कार्य प्रगति पर है।

(4) जी नहीं। अपितु सम्पर्क सड़क मोरवल, पाटिया एवं चित्रावास पर पुलिया एवं सी.डी. कार्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसकी आंशिक मरम्मत भी संवेदक की लागत पर करवायी जा चुकी है। सड़कों के पुनः निर्माण की आवश्यकता नहीं है। क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत कार्य सम्बन्धित संवेदक से उसकी लागत पर ही करवाया जाएगा, जिसके लिए संवेदक को निर्देशित किया जा चुका है। मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

जिला डूंगरपुर में वन विकास पर व्यय

45. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत दस वर्षों में जिला डूंगरपुर में कुल कितनी राशि वन विकास कार्य हेतु व्यय की गई और किस–किस प्रकार के वन विकास कार्य प्रारम्भ किये गये?

(2) क्या उक्त वर्षों में वन विकास के लिए किये व्यय के अनुपात में वन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्षेत्र बढ़ा है और वन विकास हो पाया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों तक वनों से आच्छादित जिला डूंगरपुर आज पूर्ण तरह से वन विहीन हो चुका है? यदि हां, तो क्यों तथा राज्य सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किये हैं?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में गत दस वर्षों (वर्ष 1992-93 से 2001-2002 तक) व्यय की गई राशि तथा कराये गये वन विकास कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है।

(2) गत दस वर्षों (वर्ष 1992-93 से 2001-2002 तक) जिला डूंगरपुर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत करवाये गये वन विकास कार्यों का ही सुफल है कि उपग्रह सर्वेक्षण के आधार पर भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित की गई। वर्ष 1991 से 1999 की अवधि के प्रतिवेदनों में डूंगरपुर जिले में 1100 हैक्टेयर्स वृक्षाच्छादित क्षेत्र में अभिवृद्धि आंकी गई है।

(3) जी नहीं। करवाये गये वानिकी विकास कार्यों के परिणामस्वरूप ही वृक्षाच्छादित क्षेत्र में अभिवृद्धि आंकी गयी है जिसका विवरण प्रश्न के भाग संख्या दो में दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

जिला डूंगरपुर में गत 10 वर्षों (वर्ष 1992-93 से 2001-2002 तक)
व्यय की गई राशि तथा करवाये गये वन विकास कार्यों का विवरण

अ. व्यय की गई राशि - 23.37 करोड़ रुपये

ब. व्यय राशि से करवाये गये कार्यों का विवरण :-

1.	वन एवं पंचायत भूमि पर करवाये वृक्षारोपण का क्षेत्रफल	12,279 हैक्टेयर्स
2.	निर्मित किये गये एनिकटों की संख्या	14
3.	निर्मित किये गये अरदन डैम की संख्या	27
4.	निर्मित किये गये उन्नत शवदाह गृहों की संख्या	15
5.	निर्मित किये गये भवनों की संख्या	13
6.	सीमांकन हेतु निर्मित की गई मिनारों की संख्या	736
7.	कृषि वानिकी के अन्तर्गत तैयार किये गये पौधों की संख्या	113.70 लाख

मिड-डे-मील हेतु आबंटित घटिया किस्म के गेहूं की जांच

47. श्री अमराराम (धोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मिड-डे-मील (घूघरी) हेतु प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रतिदिन कितनी राशि विद्यालयों को धन एवं गेहूं के रूप में आबंटित की गई है?

(2) विद्यालयों में आबंटित गेहूं घटिया किस्म का होने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उक्त कारण कितने छात्र बीमार होने की सूचना प्रशासन को मिली है?

(3) क्या मुख्य मंत्री ने गेहूं भी घटिया किस्म देने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को लिखा है? यदि हां, तो केन्द्र सरकार से क्या निर्देश मिले हैं तथा इसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं?

उत्तर

(1) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 196/2001 में दिये गये निदेशों की अनुपालना में राजकीय/अनुदानित विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 के छात्रों को पका हुआ भोजन (घुघरी आदि) उपलब्ध करवाने हेतु मिड-डे-मील योजनान्तर्गत गेहूं को पकाने हेतु राज्य सरकार द्वारा रु. 5.00 प्रति किलो गेहूं की दर से राशि उपलब्ध करवाई जा रही है एवं 100 ग्राम गेहूं प्रति दिन प्रति छात्र के आधार पर गेहूं भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाता है।

(2) कोटा जिले से पंजाब का लस्टर-लोस्ट गेहूं प्राप्त होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। छात्रों के बीमार होने बाबत जिला कोटा, बारां व राजसमन्द से सूचना प्राप्त हुई थी। जांच करवाने पर यह पाया गया कि बीमारी का कारण घूघरी खाना न होकर मौसमी बीमारी होना पाया गया।

(3) माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा भारत सरकार को नया एवं उत्तम क्वालिटी का गेहूं उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने गेहूं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम से गेहूं को उठाने से पूर्व एक समिति जिसमें जिला कलक्टर का प्रतिनिधि, भारतीय खाद्य निगम का स्थानीय प्रतिनिधि, जिला रसद अधिकारी का प्रतिनिधि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रतिनिधि व कृषि विभाग के विशेषज्ञ/वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं द्वारा संयुक्त निरीक्षण कराने एवं Fair Average quality के गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिला नागौर के व्यक्तियों को आबंटित ऋण/अनुदान

48. श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हरीश चन्द कुमावत)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 में अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि., नागौर द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में 30 व्यक्तियों को ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया गया था? उक्त ऋण व अनुदान का उपयोग सही प्रकार से हुआ क्या इसकी मानीटरिंग व भौतिक सत्यापन किया गया? यदि नहीं, तो कब तक कराया जाएगा?

(2) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. के पास नागौर जिले के किन-किन व्यक्तियों के ऋण व अनुदान के आवेदन विचाराधीन हैं और किस-किस पंचायत समिति क्षेत्र के कितने-कितने लोगों को स्वीकृति जारी की जा सकेगी? उक्त राशि उन्हें कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

(3) उक्त निगम द्वारा ऋण व अनुदान किन-किन बातों के आधार पर दिया जाता है? उक्त की अनुपालना के लिये निगम क्या-क्या कार्यवाही करता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जिला कार्यालय, नागौर द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में 30 व्यक्तियों को ऋण व अनुदान का वितरण किया गया, जिसमें से 18 लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है इनके पास ऋण से प्राप्त संसाधन उपलब्ध पाए गए। शेष 12 का भौतिक सत्यापन शीघ्र करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

(2) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि., जयपुर में नागौर जिले के आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं हैं।

(3) राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए प्रचलित शर्तों का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तदर्थ शिक्षकों का नियमन प्रकरण

49. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के लिये तदर्थ शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा सकता? क्या उक्त विषय में सरकार द्वारा कानूनी राय भी ली जा चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार पर अनुचित दबाव डालने हेतु शिक्षक संघ द्वारा शैक्षिक कलेण्डर को अस्त-व्यस्त करके शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य में व्यवधान डाला जा रहा है?

(2) क्या जो भी नियमित शिक्षक इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विश्वविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में क़ानूनी राय प्राप्त की जा रही है।

राज्य सरकार पर शिक्षक संघों का कोई दबाव नहीं है तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक कलेण्डर के अनुसार प्रवेश कार्य एवं छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा गत दिनों में प्रशासनिक कार्य का आंशिक रूप से बहिष्कार किया गया।

(2) नियमित शिक्षकों के द्वारा नियमानुसार निर्धारित कार्य का सम्पादन न करने तथा विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाये जाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध विश्वविद्यालयों में विद्यमान नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

जिला सिरोही के ग्रामदानी ग्रामों की भूमि व्यवस्था में परिवर्तन

50. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 2002-2003 में राजस्थान ग्रामदान बोर्ड को ग्रामदानी गांव कृष्ण गंज व वाडेली (सिरोही) के सम्बन्ध में नागरिकों की क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई? उक्त की किन-किन के द्वारा कब-कब जांच की गई? शिकायतों व जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रामदानी गांव कृष्णगंज व वाडेली के गठन के समय कौन-कौन सी भूमि खातेदारी/चरागाह व अन्य प्रयोजन के लिए व्यवस्थित की गई? उक्त ग्रामदानी गांवों के गठन के समय भूमि व्यवस्था का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त गठन के समय भूमि की व्यवस्था के बाद उक्त दोनों ग्रामदानी गांवों की भूमि की व्यवस्था में कब-कब किसके द्वारा क्यों परिवर्तन किये गये और किस-किस किस्मे की भूमि का बेचान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2002-2003 में राजस्थान ग्रामदान बोर्ड को ग्रामदानी गांव सम्बन्ध में नागरिकों तथा विधायक महोदय से 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनकी जांच बोर्ड के अध्यक्ष मान. श्रीपाल सिंघी ने 5.8.2002 को पूरी जानकारी कर रिपोर्ट करने का सचिव को निर्देश दिया है। अत: जांच विचाराधीन है।

उक्त शिकायतों की सूची व शिकायत की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

ग्रामदानी गांव बाडेली के बारे में इस अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) ग्रामदानी गांव कृष्णगंज एवं बाडेली के गठन के समय भूमि की व्यवस्था निम्न प्रकार है :–

(राजस्व मंत्री)

भूमि व्यवस्था	कृष्णगंज (बीघा)	बाडेली (बीघा)
1. खातेदारी भूमि	1703.00	2925.02
2. गैर खातेदारी	721.19	637.12
3. चरागाह	1421.16	150.15
4. अन्य प्रयोजन		
– आबादी भूमि	215.17	15.02
– विद्युत विभाग	5.15	–
– सा.नि.वि.	510.13	–
– वन विभाग	3965.01	423.07
– अध्यक्ष ग्रामदान	10605.17	2934.16
योग	**18790.05**	**7086.16**

(3) ग्रामदानी गांव कृष्णगंज एवं बाडेली के घोषणा के बाद विभिन्न समयावधि में ग्राम सभा द्वारा विभिन्न प्रयोजनार्थ किए गये भूमि व्यवस्था में परिवर्तन की सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सवाईमाधोपुर के विद्यालयों में उर्दू विषय की स्वीकृति

51. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इस वर्ष राज्य के किन-किन विद्यालयों में उर्दू विषय खोलने के लिए आवेदन आये हैं? क्या उक्त सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों के पत्र आये हैं? उक्त में से सरकार कहां-कहां उर्दू विषय खोलने जा रही है?

(2) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी जो निर्धारित छात्रों की संख्या होने के बावजूद वहां उर्दू विषय नहीं खोलते हैं और सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजते हैं?

(3) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर में मानटाउन सैकण्डरी स्कूल तथा साहूनगर हायर सैकण्डरी स्कूल में उर्दू विषय खोलने की छात्रों ने मांग की है? यदि हां, तो कब तक उर्दू विषय खोल दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। इस वर्ष राज्य में उर्दू विषय खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट "क" पर सदन की पटल पर रख दी गई है।

प्राप्त प्रस्तावों पर मानदण्ड के आधार पर एवं क्षेत्र की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए निर्णय लिया जावेगा।

(2) अल्पभाषा बिना पद प्रावधान के प्रारम्भ करने की सुविधा आदेश दिनांक 6.11.2000 के द्वारा बन्द कर दी गई थी, जिसे राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.8.2002 के द्वारा पुन: प्रारम्भ कर दिया गया है। अत: इस हेतु किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(3) जी हां। उर्दू विषय खोलने के प्राप्त प्रस्तावों को अन्य प्रस्तावों के साथ मानदण्ड एवं उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत एवं क्षेत्र की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए, गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

परिशिष्ट-"क"

उर्दू विषय खोलने के प्राप्त प्रस्तावों की सूची

1. रा.उ.मा.वि., जगदीश चौक, पिढ़ावा, खानपुर बकानी, अकलेरा, चौमहेला, भवानी मण्डी, जिला उदयपुर
2. रा.उ.मा.वि., हमीरपुर, सवाईमाधोपुर
3. रा.बा.उ.मा.वि., राजारा सीकर
4. रा.उ.मा.वि., नैनवा, बून्दी
5. रा.उ.मा.वि., छावनी क्षेत्र, कोटा
6. रा.उ.मा.वि., वजीरपुर, सवाईमाधोपुर
7. रा.उ.मा.वि., मनोहरपुर, जयपुर
8. रा.उ.मा.वि., अन्ता, कोटा
9. रा.उ.मा.वि., नरायणा, दूदू, जयपुर
10. रा.उ.मा.वि., नासिडा, टोंक
11. रा.बा.उ.मा.वि., जगदीश चौक, उदयपुर
12. रा.उ.मा.वि., साहूनगर, सवाईमाधोपुर
13. रा.मा.वि., माउनटाउन, सवाईमाधोपुर
14. रा.उ.मा.वि., आलनपुर
15. रा.उ.मा.वि., बालघाट, कारौली
16. रा.बा.उ.मा.वि., पिण्डावा, झालावाड़
17. रा.मा.वि., कानिया, अजमेर
18. रा.मा.वि., माण्डेडा, टोंक
19. रा.उ.मा.वि., मसूदा, अजमेर
20. रा.मा.वि., रूपनगर, अजमेर
21. रा.उ.मा.वि., विजयनगर, अजमेर
22. रा.उ.मा.वि., बकानी, झालावाड़

मारवाड़ जंक्शन (पाली) के छात्रावासों में नए सामान हेतु राशि का आबंटन

52. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली के मारवाड़ जंक्शन में समाज कल्याण छात्रावास की कम्बलें व लोहे के पाटे जर्जर हालत में हैं? यदि हां, तो उक्त हेतु नए बजट का आबंटन कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र का विधायक समाज कल्याण छात्रावास का अध्यक्ष है? यदि हां, तो विधायक द्वारा उक्त छात्रावास के हालात सामने रखे जाने के बावजूद भी राशि उपलब्ध नहीं करवाना कहां तक न्याय संगत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला पाली के मारवाड़ जंक्शन में विभाग द्वारा संचालित छात्रावास की कम्बल व लोहे के पाटे जर्जर अवस्था में हैं। इस हेतु बजट आबंटन हो गया है। खरीद की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। यह सही है कि सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र का विधायक छात्रावास प्रवेश एवं प्रबन्ध सलाहकार समिति का अध्यक्ष है। वित्त विभाग द्वारा बजट का आबंटन किया जा चुका है, खरीद की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अध्यापकों की कमी से प्रभावित शिक्षण कार्य

53. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्तमान में करीब 40 हजार अध्यापकों की कमी चल रही है? क्या इससे विद्यार्थी प्रभावित नहीं हो रहे हैं? यदि हां, तो स्कूलें खोलने से क्या औचित्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि शिक्षा में प्रयोग तो होने चाहिए परन्तु खिलवाड़ नहीं और राज्य की शिक्षा नीति को उद्देश्यहीन बताया है? यदि हां, तो शिक्षा को उद्देश्यपरक बनाने के लिए अब तक सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं, अध्यापकों की कमी है परन्तु 40,000 की कमी नहीं है। वर्तमान में विद्यालयों में रिक्त पदों पर गैस्ट फैकल्टी योजना व समानीकरण प्रक्रिया अपना कर, महिला पैराटीचर एवं पैरा शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति कर, शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु सुविधाविहीन स्थानों पर राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोलने के साथ-साथ ही उनमें शिक्षा सहयोगियों का चयन कर शिक्षण कार्य आरम्भ करवाया जाता है।

(2) प्रशासनिक सुधार आयोग की शिक्षा से सम्बन्धी रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-69 की सूची)

तहसील चौमूं क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची जिला-जयपुर

क्र.सं.	नाम ग्राम
1.	चौमूं
2.	अणतपुरा
3.	जैतपुरा
4.	मौरीजा
5.	चीथवाड़ी
6.	कुशलपुरा
7.	विजयसिंहपुरा
8.	फतेहपुरा
9.	समरपुरा
10.	सुल्तानपुरा
11.	सामोद
12.	झीड़ा
13.	म्हारकलां
14.	कानपुरा
15.	शिम्भूपुरा
16.	मालेरा
17.	जाटवाली
18.	ढहरा
19.	हाडोता
20.	भोपावास
21.	गोविन्दगढ़
22.	मालिकपुर
23.	सीतारामपुरा
24.	नृसिंहपुरा
25.	उगरियावास
26.	ढोढसर
27.	लोहरवाड़ा
28.	अणतपुरा
29.	चिमनपुरा
30.	बलेखण
31.	धोबलाई
32.	स्याउ
33.	नांगलकलां
34.	चक चारणवास
35.	रायसिंह का बास
36.	नांगल गोविन्द
37.	बगड़ी
38.	सिरसा
39.	रणजीतपुरा
40.	किशनपुरा
41.	गुडलिया
42.	छोटा गुढ़ा
43.	कीरतसिंह का बास
44.	भूतेडा
45.	चेता का बास
46.	हीरा का बास
47.	हाबू का बास
48.	माधो का बास
49.	कालाडेरा
50.	टाकरडा
51.	नया बास
52.	ढहर टांकरड़ा

क्र.सं.	नाम ग्राम
53.	चक टाकरड़ा
54.	जोधपुरा
55.	आड़ा गैला
56.	जयसिंहपुरा
57.	गुवारड़ी
58.	देवपुरा
59.	घिनोई
60.	कानरपुरा
61.	बाई का बास
62.	सबलपुरा
63.	ढाणी निढरणा
64.	मण्ढा भिण्ढा
65.	गोरी का बास
66.	दौलतपुरा
67.	बावड़ी गोपीनाथ
68.	डोला का बास
69.	हस्तेड़ा
70.	लालपुरा
71.	विजयनगर
72.	नौपुरा
73.	आष्टीकलां
74.	आष्टीखुर्द
75.	बागडो का बास
76.	आलीसर
77.	चारणवास
78.	दम्बा का बास
79.	कुम्भा का बास
89.	बाधा का बास

क्र.सं.	नाम ग्राम
81.	सांदरसर
82.	विमलपुरा
83.	जालिमसिंह का बास
84.	खन्नीपुरा
85.	धाना का बास
86.	बाढ़ अभयकरण
87.	खैजरोली
88.	निदोला
89.	नांगल कोजू
90.	कुम्भपुरिया
91.	कंवरपुरा
92.	चकलदूदू
93.	चक दलेलपुरा
94.	निवाणा
95.	देवथला
96.	बाढ़ देवथला
97.	तिगरिया
98.	कालू का बास
99.	ईटावा भोपजी
100.	उदयपुरिया
101.	नांगल भरड़ा
102.	हाथनोदा
103.	अमरपुरा
104.	बि. चारणवास
105.	बरवाड़ा
106.	सिंगोदखुर्द
107.	नाड़िया
108.	सिंगोदकलां

ह०/-
कलक्टर (भू.अ.)
जयपुर

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-78 की प्रति)

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

Certified Copy of Order Dated 29.1.97

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR BENCH, JAIPUR

S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 403/1997

State of Rajasthan through Sub. Divisional Officer, Amer (Jaipur).

.....Petitioner

VERSUS

1. Goswami Govind Laldeo Son of Shri Madholal, Resident of Purani Basti, Jaipur.
2. Manda Baori Joint Krishi Sahkari Samiti, Manda, Tehsil Amer, District Jaipur.
3. Board of Revenue, Rajasthan, Ajmer.

....Respondents

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226
OF THE CONSTITUTION OF INDIA

AND

IN THE MATTER OF RAJASTHAN LAND
REVENUE ACT

AND

IN THE MATTER OF JAIPUR STATE
GRANTS LAND TENURE ACT, 1947.

****

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहफाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	29.1.1997 D/on b/c Mr. Anshuman singh, Acting Chief Justic Mr. N. L. Pareek Additional Govt. Advocate for the state. This petition is directed against the Judgement dated 25-1-1957 passed by the Board of Revenue. The petitioner has failed to give any plausible satisfactory explanation for not filling the petition earlier. After personal of the record and hearing the learned council, I see no ground to interfere in the impgned order passed by the Board of Revenue and the petition is dismissed on the ground of laches.	

ह०/–

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-82 की सूची)

समझौता

राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति (सियाराम) के मध्य तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व व्याख्याता संवर्ग की मांगों के सम्बन्ध में आज निम्नानुसार समझौता हुआ :-

1. तृतीय श्रेणी अध्यापकों को केन्द्र सरकार के प्राथमिक अध्यापकों के समकक्ष प्रारम्भिक वेतनमान 4500-7000 देने पर राज्य सरकार सहमत है।
2. द्वितीय श्रेणी अध्यापकों को केन्द्र सरकार के प्रशिक्षित अध्यापकों (टी.जी.टी.) के समकक्ष प्रारम्भिक वेतनमान 5500-9000 देने के लिए राज्य सरकार सहमत है।
3. व्याख्याताओं/समकक्ष पदों तथा प्रधानाध्यापक, सैकण्डरी विद्यालय/समकक्ष पदों की समकक्षता तथा वेतनमानों का, केन्द्र सरकार द्वारा दोनों श्रेणियों को स्वीकृत प्रारम्भिक वेतनमानों एवं राज्य में इन पदों के विद्यमान वेतनमानों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार होगी:-

   उप मुख्य मंत्रीजी – अध्यक्ष
   उच्च शिक्षा मंत्रीजी – सदस्य
   शिक्षा मंत्रीजी – सदस्य

   इन विषयों पर अन्तिम निर्णय समिति के सिफारिश के आधार पर लिया जायेगा। यह निर्णय अन्तिम होगा व संघर्ष समिति को स्वीकार्य होगा। व्याख्याताओं/समकक्ष पदों तथा प्रधानाध्यापकों/समकक्ष पदों के प्रारम्भिक वेतनमान उपरोक्त निर्णय होने तक 6500-10500 रहेंगे।
4. तृतीय श्रेणी अध्यापकों, द्वितीय श्रेणी अध्यापकों, व्याख्याताओं व प्रधानाध्यापकों में से पात्र कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों को दी जा रही चयनित वेतन श्रृंखला का लाभ दिया जावे या केन्द्र में समकक्ष पदों के लिए दिये गये वरिष्ठ/चयनित वेतनमान दिये जाएं इसका निर्णय उप मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर किया जायेगा। यह निर्णय अंतिम होगा व संघर्ष समिति को स्वीकार्य होगा। इस समझौता तिथि से उक्त समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार के फैसले तक राज्य की चयनित वेतनमान व्यवस्था शिक्षकों के लिए प्रास्थगित (इन अवेयेंस) रहेगी।
5. प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान का मुद्दा भी उपरोक्त उच्च स्तरीय समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
6. शारीरिक शिक्षक (ग्रेड-1) को 5500-9000 के वेतनमान के स्थान पर 6500-10500 वेतनमान देने के लिए राज्य सरकार सहमत है।

ह०/-

संयोजक

परिशिष्ट-7

परिशिष्ट ''क''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-83 की सूची)

राजस्थान सरकार

कार्मिक विभाग

(क-ग्रुप-II)

सं. एफ-3(104)डीओपी/ए-II/65 जयपुर, दिनांक : 22.7.1998

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 में और संशोधन करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** :-(I) इन विनियमों का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन)(संशोधन) विनियम, 1998 है।
   (II) ये 1.9.1996 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. **विनियम 6 का संशोधन** :- राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन), विनियम, 1951 के विनियम 6 के खण्ड (क) के विद्यमान उप-खण्ड (II) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

   ''अधीनस्थ सेवा या राज्य सेवा में, जो चाहे तकनीकी या गैर तकनीकी हो, जिसका प्रारम्भिक वेतन 5000 रु. प्रतिमास या उससे कम हो।''

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह०/-

सूरजमल केड़वाल

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-85 की सूची)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम, अलवर

दिनांक 1 जून, 2002 से 31.7.2002 तक च.श्रे.क. एवं
प्रयोगशाला सेवक के प्राप्त आवेदन-पत्र

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	कार्यरत स्थान	स्थानान्तरण चाहने वाले स्थान
1	2	3	4	5
1.	श्री लक्ष्मणदास	प्र.शा. सेवक	उ.मा.वि. मतलवास	उ.मा.वि. तिजारा, थानागाजी यशवंत, मालाखेड़ा, बानसूर
2.	श्री सुवालाल मीणा	"	उ.मा.वि. बड़ौद	उ.मा.वि. बानसूर
3.	श्री बाबूलाल मीणा	"	उ.मा.वि. कोटकासिम	उ.मा.वि. राजगढ़, पिनान, रैणी
4.	श्री कल्याण सहाय शर्मा	"	उ.मा.वि. टपूकड़ा	उ.मा.वि. राजगढ़, मालाखेड़ा, पिनान, माचाड़ी, ढिगावड़ा
5.	श्री कैलाश चन्द सैनी	"	उ.मा.वि. करनीकोट	उ.मा.वि. बड़ौद
6.	श्री भुल्लनराम बैरवा	"	उ.मा.वि. बानसूर	उ.मा.वि. नवीन, अलवर, मालाखेड़ा
7.	श्री राजेन्द्र कुमार	"	उ.मा.वि. गण्डाला	उ.मा.वि. बहरोड़
8.	श्री सुरेश चन्द अग्रवाल	"	मा.वि. बबेड़ी	उ.मा.वि. मतलवास
9.	श्री कृष्ण कुमार यादव	"	उ.मा.वि. शाहजहांपुर	उ.मा.वि. बहरोड़

1	2	3	4	5
10.	श्री कालूराम	च.श्रे.क.	बा.मा.वि. गोठड़ा	बा.मा.वि. अलवर शहर
11.	श्रीमती मंजूबाला गुप्ता	,,	मा.वि. हमीरपुर	अलवर शहर एवं आसपास
12.	श्री संजय कुमार	,,	मा.वि. भांगडोली	अलवर शहर एवं आसपास
13.	श्री शिवराम शर्मा	,,	उ.मा.वि. जुहरेरा (भरतपुर)	अलवर शाप्र प्रथम के क्षेत्र में कहीं भी
14.	श्रीमती नानगी खेड़ा	,,	बा.उ.मा.वि. बानसूर	नवीन अलवर, खानपुजाट, कस्बाडहरा
15.	श्री हीरालाल	,,	बा.मा.वि. थानागाजी	अलवर शहर या आसपास
16.	श्रीमती चन्द्रावती	,,	उ.मा.वि. मुबारिकपुर	नवीन उ.मा.वि., अलवर
17.	श्री दयाचन्द	,,	उ.मा.वि. जौनायचाकलां	मा.वि. पुर, पाटन–अहीर, बीबीरानन
18.	श्री सुनिल कुमार जैन	,,	मा.वि. मैथना	मा.वि. किलपुरखेड़ा, परवैणी, रैणी
19.	श्री रमेश चन्द तिवाड़ी	,,	मा.वि. खैडामैदा	खेडामंगल सिंह, झालाटाला, गढ़ी–सवाइराम, बड़ौदामेव, टिटपुरी
20.	श्री किशोरीलाल जाटव	,,	बा.मा.वि. हरसौरा	जगताबसई, चांदोली, शाहपुर डहरा, कस्बाडहरा

1	2	3	4	5
21.	श्री शिवनारायण बैरवा	च.श्रे.क.	उ.मा.वि. डूमरोली	उ.मा.वि. राजगढ़
22.	श्री बाबूलाल शर्मा	,,	उ.मा.वि. कायसा	राजगढ़ तहसील के किसी भी विद्यालय में
23.	श्री प्रभातीलाल सैन	,,	उ.मा.वि. कठूमर	मा.वि. टिटपुरी
24.	श्री ओमवीर सिंह	,,	मा.वि. पीपली	सैंख, मैथना, मसारी
25.	श्री हुकमचन्द शर्मा	,,	बा.मा.वि. नारायणपुर	रामपुर, देवती दुब्बी
26.	श्री बाबूलाल शर्मा	,,	मा.वि. बल्लूबास	उ.मा.वि. भानौत
27.	श्री रणजीत सिंह	,,	उ.मा.वि. रिंवाली	गंगा पुस्तकालय बहरोड़, उ.प्रा.वि. बहरोड़
28.	श्रीमती कैलाशी	,,	मा.वि. फौलादपुर	धमरेड, दुब्बी, राजगढ़
29.	श्री जगदीश प्रसाद मीणा	,,	मा.वि. कुतीना	मा.वि. जौनायचाकलां
30.	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	,,	उ.मा.वि. मुबारिकपुर	अलवर शहर एवं आसपास
31.	श्री सेवाराम	,,	मा.वि. गारू	उ.मा.वि. मुबारिकपुर
32.	श्री रमेश चन्द यादव	,,	उ.मा.वि. नौगांवा	अलवर शहर, बुर्जा के आसपास
33.	श्री बच्चू सिंह	,,	उ.मा.वि. कायसा	मसारी, मैथना, कांकरोली
34.	श्री सुरेश	,,	मा.वि. बधीन	बा.उ.मा.वि. हरसौली

1	2	3	4	5
35.	श्री हरीलाल	,,	उ.मा.वि. टहला	राजगढ़, बा राजगढ़
36.	श्री भानुप्रताप सिंह	,,	मा.वि. शाहबाद	अलवर शहर एवं आसपास
37.	श्री ओमप्रकाश गुरु	,,	मा.वि. खौह	उ.मा.वि. पिनान
38.	श्री सूरत सिंह	,,	उ.मा.वि. बाजवाड़ चौहान	जलालपुर, पुर, मतलवास
39.	श्री धर्मपाल गोठवाल	,,	मा.वि. काठूवास	उ.मा.वि. परतापुर
40.	श्री कमल सिंह राठौड़	,,	मा.वि. बारा भड़कोल	मा.वि. बूटोली
41.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	,,	मा.वि. बूटोली	मा.वि. बाराभड़कोल
42.	श्रीमती रेशमी देवी	,,	उ.मा.वि. टहला	मन्नीकाबड़, अलवर, एस.एम.डी., जिशिअ–मा–द्वि, अलवर
43.	श्री राजेन्द्र सिंह	,,	बा.उ.मा.वि. गण्डाला	अलवर शहर, खानपुर जाट
44.	श्री विमल प्रसाद शर्मा	,,	उ.मा.वि. अजबपुरा	डेहरा शाहपुरा
45.	श्री गौरी शंकर शर्मा	,,	उ.मा.वि. किशोरी	मा.वि. झिरी

परिशिष्ट-9

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-88 का विवरण)

नवक्रमोन्नयन विद्यालयों में मानदण्डनुसार स्वीकृत होने वाले/हुए पदों का विवरण

विद्यालय का स्तर	विद्यालयों की संख्या	पदनाम	स्वीकृति योग्य पदों की संख्या	स्वीकृत किये गये पदों की संख्या
वर्ष 1999-2000				
उ.प्रा.वि. से मा.वि.	400	प्रधानाध्यापक	200	200
		वरिष्ठ अध्यापक	2000	1400
		शा.शिक्षक-III	400	200
		वरिष्ठ लिपिक	400	400
		कनिष्ठ लिपिक	400	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	400	—
मा.वि. से उ.मा.वि.	200	प्रधानाचार्य	200	200
		व्याख्याता	1000	1000
		वरिष्ठ अध्यापक	200	200
		पुस्तकालयाध्यक्ष-II	200	—
		कनिष्ठ लिपिक	200	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	200	—
वर्ष 2000-2001				
उ.प्रा.वि. से मा.वि.	190	प्रधानाध्यापक	—	—
		वरिष्ठ अध्यापक	950	570
		शा.शिक्षक-III	190	190
		वरिष्ठ लिपिक	190	190
		कनिष्ठ लिपिक	190	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	190	—
मा.वि. से उ.मा.वि.	190	प्रधानाचार्य	190	190
		व्याख्याता	950	950
		शा. शिक्षक-II	190	190
		पुस्तकालयाध्यक्ष-II	190	—
		कनिप्ठ लिपिक	190	—
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	190	—

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट ''क''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-99 की सूची)

जिला नागौर में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाओं में डाक्टर/कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	पशु चिकित्सा संस्था का नाम	पद कब से रिक्त है
1	2	3
	पशु चिकित्सा अधिकारी	
1.	पशु चिकित्सालय, मेड़ता	7/2001
2.	पशु चिकित्सालय, भंकरी	8/2000
3.	पशु चिकित्सालय, गच्छीपुरा	9/1999
4.	पशु चिकित्सालय, मारोठ	7/2000
5.	पशु चिकित्सालय, मीठड़ी (नावां)	12/1999
6.	पशु चिकित्सालय, नालोट	9/1998
7.	पशु चिकित्सालय, कुकनवाली	8/2000
8.	पशु चिकित्सालय, मनाना	2/2001
9.	पशु चिकित्सालय, भींचावा	7/2000
10.	पशु चिकित्सालय, रताऊ	6/1999
11.	पशु चिकित्सालय, रोडू	12/2000
12.	पशु चिकित्सालय, मण्डकरा	12/1999
13.	पशु चिकित्सालय, भरनावा	7/2001
14.	पशु चिकित्सालय, लीचाना	6/2002
15.	पशु चिकित्सालय, नीम्बीजोधा	6/2002
16.	पशु चिकित्सालय, सीलन्द बास	6/2000
17.	पशु चिकित्सालय, बड़ीखाटू	7/2000
18.	पशु चिकित्सालय, हरसौरा	12/1999

1	2	3
19.	पशु चिकित्सालय, डेह	8/2002
20.	पशु चिकित्सालय, खुड़ीकलां	7/2000
21.	पशु चिकित्सालय, पूंद–लोता	8/2000
22.	पशु चिकित्सालय, पाचेड़ी	7/2000
23.	पशु चिकित्सालय, रियाबड़ी	3/1999
24.	पशु चिकित्सालय, अलाय	6/2002
25.	पशु चिकित्सालय, आलनियावास	6/2002
26.	पशु चिकित्सालय, ईडवा	8/2001
27.	पशु चिकित्सालय, खजवाना	6/2002
28.	पशु चिकित्सालय, रेण	6/2002
29.	पशु चिकित्सालय, संखवास	8/2002
30.	पशु चिकित्सालय, भैरून्दा	8/2002
31.	पशु चिकित्सालय, पादूकलां	10/1999
32.	पशु चिकित्सालय, बीरलोका	2/2001
33.	पशु चिकित्सालय, काठोती	9/2001
34.	पशु चिकित्सालय, फलौदी	6/2002
पशुधन सहायक		
1.	पशु चिकित्सालय, मोलासर	8/2001
2.	पशु चिकित्सालय, छोटीखाटू	8/2001
3.	पशु चिकित्सालय, डेह	7/2001
4.	पशु चिकित्सालय, संखवास	8/2001
5.	पशु चिकित्सालय, रोडू	6/2002

परिशिष्ट–11

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–103 की सूची)

आयुर्वेद विभागान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सकों एवं नर्स/कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों की जिलेवार संख्या सूचना-स्थिति दिनांक 15.8.2002

क्र.सं.	जिला	रिक्त पदों की संख्या	
		आयुर्वेद चिकित्सक	नर्स/कम्पाउण्डर
1	2	3	4
1.	अजमेर	11	32
2.	अलवर	3	3
3.	बांसवाड़ा	30	—
4.	बारां	2	12
5.	बाड़मेर	21	3
6.	भरतपुर	2	—
7.	भीलवाड़ा	20	42
8.	बीकानेर	26	37
9.	बूंदी	5	8
10.	चित्तौड़गढ़	33	38
11.	चूरू	8	4
12.	दौसा	—	—
13.	धौलपुर	1	—
14.	डूंगरपुर	25	—
15.	श्री गंगानगर	15	4
16.	हनुमानगढ़	5	—
17.	जयपुर	9	15

1	2	3	4
18.	जैसलमेर	5	3
19.	जालौर	18	5
20.	झालावाड़	7	8
21.	झुंझुनूं	16	34
22.	जोधपुर	22	28
23.	कोटा	3	3
24.	करौली	4	3
25.	नागौर	22	29
26.	पाली	30	32
27.	राजसमंद	18	35
28.	सीकर	9	29
29.	सवाईमाधोपुर	2	3
30.	सिरोही	10	7
31.	टोंक	2	2
32.	उदयपुर	38	40
	योग	**422**	**459**

परिशिष्ट-12

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-104 का विवरण)

आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	आगंनबाड़ी केन्द्र का नाम	ग्राम पंचायत	वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि	पूर्ण	पूर्ण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1– पंचायत समिति-माज							
1.	आडन	आडन	2001–02	181	180350	पूर्ण	7/2001
2.	खारड़ी	बारीमादा	2001–02	181	176800	पूर्ण	7/2001
3.	सिचियावास	बारीमादा	2001–02	181	180780	पूर्ण	8/2001
4.	सारण	सारण	2001–02	181	177988	पूर्ण	8/2001
5.	बाडिया	पांचटिया	2001–02	181	176927	पूर्ण	10/2001
6.	सिरियारी	सिरियारी	2001–02	181	181000	पूर्ण	8/2001
7.	फुलाद	फुलाद	2001–02	181	179730	पूर्ण	8/2001
8.	चवाडिया	चवाडिया	2001–02	181	180980	पूर्ण	10/2001
9.							
10.	जाडन	जाडन	2001–02	125	125000	पूर्ण	4/2002
11.	दवली	दवली	2001–02	125	125000	पूर्ण	4/2002
12.	बासनी	बासनी	2001–02	125	125000	पूर्ण	4/2002
13.	रडाबोस	रडाबोस	2001–02	125	125000	पूर्ण	4/2002
14.	इसाली	इसाली	2001–02	125	125000	पूर्ण	4/2002
15.	सिनला	सिनला	2001–02	125	125000	पूर्ण	4/2002

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	गुडाकसरसिंह	गुडाकसर सिंह	2001-02	125	125000	पूर्ण	4/2002
17.	जोजावर	जोजावर	2001-02	125	125000	पूर्ण	4/2002
18.	आगदोष	आगदोष	2001-02	125	125000	पूर्ण	4/2002
			योग	**2764**	**2740169**		
2–	**पंचायत समिति-रानी**						
1.	इन्दरवाड़ा	इन्दरवाड़	2001-02	125	125000	पूर्ण	8/2002
2.	बालाकुड़ा	सावलता	2001-02	125	125000	पूर्ण	8/2002
			योग	**250**	**250000**		
3–	**पंचायत समिति-देसूरी**						
1.	मगरतालाब	मगरतालाब	2001-02	181	164376	पूर्ण	8/2001
2.	मवीकल्ला	पनोता	2001-02	181	159987	पूर्ण	8/2001
3.	गुडाअखराज	कसूली	2001-02	181	159085	पूर्ण	8/2001
4.	डायलानाकल्ला	डायलाना-कल्ला	2001-02	125	125000	पूर्ण	5/2002
5.	गांधी	सुमेर	2001-02	125	125000	पूर्ण	4/2002
6.	सुमेर	सुमेर	2001-02	125	125000	पूर्ण	4/2002
			योग	**918**	**858448**		
			कुल योग	**3922**	**3848617**		

परिशिष्ट-13

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-105 का विवरण)

ग्रामीण विकास विभाग

विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम	केन्द्र राज्य अनुपात केन्द्र : राज्य
(अ)	**केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित कार्यक्रम**	
1.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	75 : 25
2.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	75 : 25
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना (जलग्रहण)	75 : 25
4.	इन्दिरा आवास योजना	75 : 25
5.	इन्दिरा आवास योजना (क्रमोन्नत)	75 : 25
6.	ग्रामीण आवास हेतु ऋण एवं अनुदान योजना	75 : 25
7.	मरू विकास कार्यक्रम	75 : 25
8.	सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	75 : 25
9.	डीआरडीए (प्रशासन)योजना	75 : 25
10.	बायोगैस	निर्धारित नहीं
(ब)	**100 प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं**	
11.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	100 : —
12.	सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम	100 : —
13.	सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	100 : —
(स)	**प्रान्तीय/राज्य प्रवर्तित योजनाएं**	
14.	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0 : 100
15.	मेवात क्षेत्रीय विकास योजना	0 : 100
16.	डांग क्षेत्रीय विकास योजना	0 : 100

परिशिष्ट-14

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-106 की सूची)

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में वर्ष 1995 के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के शैक्षणिक पदों पर चयन की सूची

1. प्रो. एम.एल.छीपा, पुत्र श्री बी.एल.छींपा

जाति	—	छींपा
स्थाई पता	—	"पितृ वन्दना" साध, मोहल्ला, सांगानेर, जयपुर
पद	—	प्रोफेसर–अर्थशास्त्र
चयन वर्ष	—	1995

2. प्रो. के.सी.शर्मा, पुत्र स्व. श्री एम.डी.शर्मा

जाति	—	खाती
स्थाई पता	—	ए–107, नाका मदार, यू.टी.आई. कालोनी, अजमेर
पद	—	प्रोफेसर–पर्यावरण अध्ययन विभाग
चयन वर्ष	—	1998

परिशिष्ट-15

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-111 की प्रति)

राजस्थान-सरकार

वित्त विभाग (नियम डिवीजन)

क्रमांक : पं.20(1)वित्त/नियम/92-एक्स/ जयपुर, दिनांक : 12 अप्रैल,2002

निदेशक,
प्राथमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– अप्रशिक्षित अध्यापकों को चयनित वेतनमान स्वीकृति बाबत।

सन्दर्भ :– वित्त विभाग का पत्र संख्या प.20(1)वित्त(ग्रुप-2)92 पार्ट-4 दिनांक 27.7.1995.

महोदय,

राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थानों के अध्यापकों के भर्ती सम्बन्धी नियमों में कुछ परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप अप्रशिक्षित लोगों को अध्यापक नियुक्त करने का प्रावधान रहा है। ऐसे स्पष्ट प्रावधान के कारण जिन लोगों को अप्रशिक्षित होते हुए भी अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी उनके सम्बन्ध में हाल ही में कुछ प्रकरण अदालत से निर्णित हुए हैं, अत: स्पष्ट किया जाता है कि यदि ऐसे नियमों में स्पष्ट प्रावधान के कारण जिन अप्रशिक्षित लोगों को नियुक्तियां प्रदान की गई थी उन्हें प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता एवं सेवा अनुभव का लाभ देय है। ऐसा लाभ देते समय यह अवश्य देखा जावे कि नियुक्ति नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए की गई हो एवं खाली पद उपलब्ध रहे हों एवं नियुक्ति सक्षम स्तर से हुई हो। अध्यापक की पात्रता में प्रशिक्षण के अलावा अन्य कोई खामी न हो।

इस विषय पर इस विभाग का पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 27.7.1995 उपर्युक्त सीमा तक सम्भावित माना जावे।

भवदीय,

ह०/-

(एम.पी. दीक्षित)

विशेषाधिकारी

परिशिष्ट "ब"

निम्नलिखित सेवानिवृत्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान दिया गया है

1. श्री किशन गोपाल गौतम, व.अ. I ग्रेड
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, व.अ. I ग्रेड
3. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रधानाध्यापक
4. श्री प्रहलाद शर्मा, III ग्रेड अध्यापक
5. श्री मोहन लाल मिश्र, III ग्रेड अध्यापक
6. श्री बृजमोहन व्यास, III ग्रेड अध्यापक